राजस्थान असैनिक सेवाएं

(वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील)

नियम, १९५८ पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

(नियमो का विश्लेषण, विवेचन एव विस्तृत अध्ययन)

(राजस्थान सी सी ए रूल्स)

लेखक

सावत राज भसाली

एल एल एम साहित्य रत्न

व्याख्याता, विश्वविद्यालय विधि पीठ, जयपुर

अनुवाद सहायक

गोविन्द नारायण माथुर

बी ए, एल एल बी

एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय

प्राक्कथन कर्ता

माननीय न्यायाधीश श्री भगवती प्रसाद बेरी

न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

प्रकाशक

बाफना बुक डिपो

कानूनी पुस्तको के विक्रेता एव प्रकाशक

घोडा रास्ता, जयपुर–3

मूल्य १५) रुपये

प्रकाशक
बाफना बुक डिपो
चौड़ा रास्ता जयपुर-३

With Supplement
1975

(अप्राधिकृत अनुवाद)

विषय-सूची

राजस्थान असैनिक सेवाएं
(वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील)
नियम १९५८

भाग १
सामान्य

नियम

भाग २
वर्गीकरण

भाग ३
नियुक्ति प्राधिकारीगण

पृष्ठ

भाग ४

निलम्बन

भाग ५

अनुशासन

भाग ६

अपीलें

भाग ७

पुनरावलोकन

पृष्ठ

भाग ८

विविध एवं अस्थायी

अनुसूचियाँ

परिशिष्ट

८७

भाग ४
निलम्बन

भाग ५
अनुशासन

भाग ६
अपीलें

भाग ७
पुनरावलोकन

पृष्ठ

भाग ८

विविध एव अस्थायी

अनुसूचियां

परिशिष्ट

निर्णय—तालिका

अ

आ

इ

ई

उ

ए

ऐ

ओ

क

पृष्ठ

च

छ

ज

ट

ड

पृष्ठ

म

ल

राजस्थान असैनिक सेवाएं
(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)
नियम, १९५८

[प्रथम बार प्रकाशित हुआ राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग ४-सी दिनांक ७ मई १९५९]

निुयक्ति 'डी' विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर ११, १९५८

क्रमांक एफ १८ (२) नियुक्ति (ए) ५६—भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०९ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के असैनिक सेवाओ के सदस्यो के वर्गीकरण, नियन्त्रण एव उनके द्वारा की जानेवाली अपीलो के नियमन के लिये निम्न लिखित नियम बनाते हैं

भाग १

सामान्य

१ संक्षिप्त शीर्षक एव प्रारम्भ —(क) ये नियम राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम, १९५८ कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।

टिप्पणी

प्रस्तावना तथा शीर्षक

साधारणतया राज्यपाल द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है जिसमें उसके उद्देश्य को व्यक्त करते हुए परिचय कराने वाले शब्द एव संबंधित अधिनियम के उन प्रावधानो का उल्लेख होता है जो राज्यपाल को ऐसे नियम बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन नियमों की प्रस्तावना के शब्द व्यवस्था करते हैं कि राज्यपाल ने ये नियम संविधान के अनुच्छेद ३०९ द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाये हैं। संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अनुसार लोक सेवाओं के पदो पर भर्ती और राज्य सरकार के कार्यों के संबध में सेवा की शर्तें विधान मंडल के अधिनियमो द्वारा नियमित की जा सकती हैं। परन्तु जब तक समुचित विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम द्वारा प्रावधान नहीं हो जावे तब तक राज्य का राज्यपाल

नियुक्तियें एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें नियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम होंगे। अभी तक राज्य विधानसभा ने ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया है अतः जब तक इस प्रयोजन के लिये किसी अधिनियम द्वारा प्रावधान नहीं हो जाते तब तक ये वर्तमान नियम प्रभावशाली रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत बनाये गये ये नियम जो कार्यपालिका को विधिवत प्रभावशाली नियम बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं, केवल उस मध्यम काल तक के लिये हैं जब तक विधान सभा इस विषय में कानून नहीं बनाए।

इन नियमों का संक्षिप्त शीर्षक प्रथम नियम में दिया हुआ है यथा- "राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम।" असैनिक सेवाएं उन कर्मचारियों के समूह द्वारा गठित हुई हैं जो राज्य सरकार की सेवा में हैं। असैनिक सेवाओं के सदस्य असैनिक पद धारण करते हैं, और वे न तो जल सेना, स्थल सेना तथा वायु सेना के सदस्य होते हैं और न ही राजनैतिक पद को धारण करते हैं जैसे मन्त्रिमण्डल की सदस्यता। संविधान के अनुच्छेद ३१० के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है या राज्य के अन्तर्गत कोई असैनिक पद धारी है, अपना पद राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त धारण करता है। अतः राज्य की असैनिक सेवा (आर. ए. एस.) या किसी अन्य असैनिक सेवा का कोई सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। परन्तु संविधान में ऐसे भी कुछ पद हैं जिनको ऐसा राज्य की सुविधा पर निर्भर नहीं रखा गया है। अतः संविधान के अन्तर्गत उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाएँ राज्यपाल की प्रसन्नता पर निर्भर नहीं हैं। असैनिक सेवाओं के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट अपवादों के बिना प्रसन्नता का सिद्धान्त मान्य नहीं होता। विशेष संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले सामान्य प्रसन्नता नियम के अपवाद हैं और इस प्रकार की संविदा में पहले सेवा-समाप्ति की दशा में, संविदित व्यक्ति हर्जाने का दावा कर सकता है यदि ऐसी सेवा-समाप्ति के कारण या किसी भी एक अन्य कारणों से हो जो उसके दुराचरण से सम्बन्धित नहीं थे।[1] इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ३१० को पठित अनुच्छेद ३११ के अधीन ऐसा "शान्ति" जो निर्धारित करता है कि कोई असैनिक कर्मचारी किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता जो उसके नियुक्ति अधिकारी के अधीनस्थ हो और यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पदच्युत किया जाता है तो ऐसी पदच्युति अवैध है।[2] अनुच्छेद ३११ का खण्ड (२) व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति पदच्युत सेवा से पृथक अथवा पदावनत नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में उस कारण बताने के लिए समुचित अवसर नहीं दे दिया गया हो। अनुच्छेद ३११ के प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।[3]

नियमों से पूर्व का कानून (इतिहास)

मूलतया एवं प्रत्यक्ष रूप में ये नियम विभिन्न विभागों में काम कर रहे विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को व्यवस्थित करने के अभिप्राय से बनाये गये हैं। कानून के इस

[1] मोतीराम बनाम एन. ई. फ्रन्टियर रेलवे ए. आई. आर. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ६००

[2] उत्तर पश्चिमी प्रान्तीय प्रान्त बनाम सूरज नारायण ए. आई. आर. १९४९ प्रिवी कौंसिल ११२ बिहार सरकार बनाम अब्दुल मजीद १९५० पन्ना १०

[3] पुरुषोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

विषय का इतिहास राज्य कर्मचारियों के विषय में "प्रसन्नता पर्यन्त कार्यकाल" के सिद्धान्त को लागू करने पर केन्द्रित है और इसका धीरे धीरे संवैधानिक अधिनियमों द्वारा विलियम चतुर्थ के काल से प्रारंभ होकर १९५० तक जब कि भारत का संविधान अपनाया गया संशोधन होता रहा।[1] आप देखेंगे कि भारत में प्रसन्नता का सिद्धांत विलियम चतुर्थ के कानून की देन है। सन् १८५८ में जब कि कंपनी का राज्य ब्रिटिश सरकार ने संभाला तब १८५८ के अधिनियम के पश्चात् दिनांक १ नवम्बर १८५८ को महारानी की घोषणा हुई जिस में ये शब्द सम्मिलित थे –

और हम उन सब व्यक्तियों को स्थायी करते हैं जो अभी माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में विभिन्न असैनिक और सैनिक पदों पर कार्य करते हैं किन्तु वे हमारी भविष्य की प्रसन्नता एवं ऐसे कानूनों एवं नियमों के अधीनस्थ रहेंगे जो इसके बाद बनाये जावे।[2] सन् १९१९ तक यही कानून रहा। भारत सरकार अधिनियम १९१९ की धारा ९६बी ने अंग्रेजी सामान्य कानून के इस नियम को कानूनी वैधता एवं मान्यता दी कि सरकार के कर्मचारी सरकार की प्रसन्नता पर्यन्त अपने पद ग्रहण करते हैं। धारा ९६ बी की उपधारा (१) निर्धारित करती है कि उक्त सेवा में कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायगा जो उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ हो। उप-धारा (२) ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल को असैनिक कर्मचारियों की सेवाओं के नियमन एवं वर्गीकरण तथा उनकी भर्ती की रीति और सेवा की शर्तों आदि के नियम बनाने का अधिकार दिया। ये नियम, मौलिक नियम कहलाये और दिनांक १ जनवरी १९२२ में प्रभाव में आये।

असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम जो सबसे पहले दिसम्बर १९२० में बने और भारत सरकार के राजपत्र दिनांक २१ जून १९३० में पुनः प्रकाशित हुये वे इसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम १९१९ की धारा ९६ बी के अन्तर्गत बनाये गये थे।[3] इन नियमों के नियम ५५ ने प्रावधान किया कि लोक सेवाएं जांच अधिनियम १८५० के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध पदच्युति पृथक्करण अथवा पदावनति की कोई आज्ञा जारी नहीं की जायगी (किसी दंड न्यायालय या सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि करने वाले तथ्यों के आधार पर दी गई आज्ञा के अतिरिक्त) जब तक जिन आधारों पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित है उनकी सूचना उसको लिखित में नहीं दी गई है और उसको अपनी प्रतिरक्षा करने के लिये पर्याप्त अवसर नहीं दे दिया गया है । किन्तु प्रिवी कौंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि ये नियम विधिवत् कानून के प्राधिकार के अन्तर्गत बनाये गये फिर भी किसी कर्मचारी को अपनी इच्छानुसार पदच्युत करने के सरकार (क्राउन) के स्वविवेक

---

१ मोतीराम बनाम उत्तर-पूर्वीय सीमांत रेलवे ए आई आर १९६४ पृष्ट ६०० में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय में सेवा नियमों के इस इतिहास को गवर्नमेंट आफ इन्डिया एक्ट १८३३ की धारा ७४ से माना है और गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट १८५८ की धारा और धारा ३७ का अवलोकन किया। न्यायाधीश दास गुप्ता ने भी अपने पृथक निर्णय में चार्टर एक्ट १७९३ को उद्गम बताया है और इसी अधिनियम की धाराएं ३५ और ३६ को निर्दिष्ट किया है।

२ २१ वा एवं २२ वा विक्टोरियन प्रकरण १०६।

३ हीरेन्द्र बनाम पश्चिम बंगाल सरकार (१९५४) ५९ सी डब्ल्यू एन ४५० श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (१९५५) एस सी आर २६

पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा और इन नियमों के उल्लंघन से पदच्युत कर्मचारी को किसी विधि-न्यायालय में विनाश्यवाद पैदा नहीं होता। ऐसे नियमों एवं विनियमों को सामान्य पथ प्रदर्शन हेतु दिये गये सरकारी आदेश मानने चाहियें और इनके अतिक्रमण में की गई किसी कर्मचारी की पदच्युति या निष्कासन उसे किसी दीवानी अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं देता किन्तु प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष वह अपील कर सकेगा।[1] भारत सरकार अधिनियम १९३५ पास करते समय इस विषय पर विचार किया गया था। इस अधिनियम की धारा २४० ने असैनिक कर्मचारियों के विषय में कानून बनाया। उपधारा (१) ने प्रसन्नता के सिद्धान्त को दोहराया उपधारा (२) ने १९१९ के अधिनियम की धारा ९६ बी द्वारा निर्दिष्ट परिसीमा का उद्धरण किया और उपधारा ( ) ने असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियमों के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया। तदनुसार संघ न्यायालय (फेडरल कोर्ट) का निर्णय हुआ कि यदि इन परिसीमाओं में से किसी का उल्लंघन हुआ है तो पीड़ित असैनिक कर्मचारी को सरकार के विरुद्ध उचित समाधान प्राप्त करने के लिये जिसमें अवैध पदच्युति के दिनांक से चढ़ा हुआ वेतन भी सम्मिलित है दावा लाने का अधिकार था।[2] किन्तु प्रिवी कौंसिल ने[3] संघ न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए बतलाया कि धारा २४० की किसी भी उपधारा के उल्लंघन में की गई पदच्युति की दशा में उपचार केवल यह था, अर्थात् यह घोषणा कि पदच्युति की आज्ञा शून्य एवं प्रभावहीन थी और वादी दावा दायर करने की तारीख को सेवा का सदस्य बरकरार था और सरकारी सेवा के लिये वेतन सरकार के अनुग्रह का मामला था इस आधार पर न तो चढ़ा हुआ वेतन न हर्जाना ही वसूल कर सकता था और क्षतिपूर्ति न कर पाने से सरकार हर्जाने की जिम्मेदार नहीं बनाई जा सकती थी। हमारा संविधान प्रारम्भ होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने[4] प्रिवी कौंसिल के फैसले को उन्मूलन कर दिया और संघ न्यायालय (फेडरल कोर्ट) के फैसले को पुनः स्थापित कर दिया एवं निर्णय दिया कि धारा २४० की उपधारा (२) अथवा (३) में से किसी का भी उल्लंघन होने की दशा में पीड़ित असैनिक कर्मचारी सरकार के विरुद्ध उचित कानूनी सहायता, जिस में पदच्युति के दिनांक से चढ़े हुए वेतन की डिग्री भी शामिल है, पाने का अधिकारी है और यह उपचार केवल घोषणा तक सीमित नहीं है। सन् १९५७ में केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम बनाये गये जिन्होंने पुराने १९३० के नियम निरस्त कर दिये। पुनः सन् १९६५ में नये केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम बनाये गये जिन्होंने पहले के १९५७ के नियमों को निरस्त कर दिया।

सन् १९५० में राजस्थान बनने के पश्चात केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमों के आधार पर राजप्रमुख ने राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण

---

[1] रंगाचारी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ए. आई. आर. १९३७ प्रिवी कौंसिल २७ वेंकट राव बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ए. आई. आर. १९३७ प्रिवी कौंसिल ३१

[2] पंजाब प्रान्त बनाम तारासिंह ए. आई. आर. १९४७ फेडरल कोर्ट २३ उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त बनाम सूरज नारायण ए. आई. आर. १९४८ फेडरल कोर्ट ११२

[3] हाई कमिश्नर बनाम लाल ए. आई. आर. १९४८ प्रिवी कौंसिल १२१

[4] बिहार सरकार बनाम अब्दुल मजीद (१९५४) एस. सी. आर. ७८६

एव अपील) नियम, १९५० बनाये जो राजस्थान राज-पत्र मे दिनाक ७ मई १९५० को प्रकाशित हुए। सन् १९५७ मे जब कि भारत सरकार ने नये नियम बनाये तो राज्य सरकार ने भी उसी आधार पर, राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९५८ का गठन किया और पहले के नियम निरस्त कर दिये। इन नियमो मे श्यामलाल के वाद[1] मे दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के इस फसले को प्रभावशील किया गया कि नियत सेवा अवधी या सेवा निवृति सबधी प्रावधानो के अनुसार, किसी राज्य कर्मचारी की अनिवार्यत सेवा निवृति दड स्वरूप नहीं मानी जायेगी।[2]

सेवा नियम एव मौलिक अधिकार—अनुच्छेद ३०९ द्वारा प्रदत्त अधिकार सविधान के अन्य प्रावधानो के अधीन हैं। अत यदि कोई नियम सविधान के भाग ततीय म दिये प्रावधानो का उल्लघन करता है उदाहरणार्थ अनुच्छेद १५ या १६ तो वह नियम शून्य होगा। अनुच्छेद १९ (१) द्वारा गारटी किये गये अधिकार समस्त नागरिको के पक्ष म ह जिनम स्पष्टतया सरकारी कमचारी सम्मिलित हैं। अत प्राथमिक अवलोकन स प्रतीत होता है कि सरकारी कमचारियो के अधिकारो के प्रतिबन्धो मे कटौती केवल अनुच्छेद १९ के खड २ से ६ म निर्दिष्ट आधारो पर ही की जा सकती है और उस सीमा तक ही जहा तक प्रतिबन्ध उचित हो। इसके विपरीत, राज्य के हितों मे, नौकरी का तकाजा है कि सावजनिक कमचारी म काय दक्षता, सत्यशीलता, निष्पक्षता, अनुशासन एव इसी प्रकार के गुण हो। अत मद्रास उच्च न्यायालय[3] ने निणय दिया है कि सरकारी कमचारियो की कार्यदक्षता एव ईमानदारी कायम रखने की गज से यह अत्यावश्यक है कि उनको उनके सरकारी पद से असबधित किसी प्रयोजन के लिय किसी से पसे मागन अथवा प्राप्त करने स रोका जावें। राज्य कमचारी ससद के किसी भी सदन के लिये अथवा राज्य के विधान मडल के लिये चुने जाने क अयोग्य है (अनुच्छेद १०२ (१) (क) या १९१ (१) (क))

२ व्याख्या—इन नियमो मे जब तक कि सदभ से किसी अन्य अथ की आवश्यकता न हो —

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी" से किसी राज्य कमचारी के सबध में अभिप्राय है—

(i) वह प्राधिकारी जो उस सेवा के लिये, जिसका वह राज्य कमचारी तत्समय सदस्य हो अथवा सेवा के उस ग्रेड के लिये जिसमें वह राज्य कर्मचारी तत्समय सम्मिलित हो नियुक्तिया करने के लिये सशक्त हो, अथवा

(ii) वह प्राधिकारी जो उस राज्य कमचारी द्वारा तत्समय धारण किये हुये पद पर नियुक्तिया करने मे सशक्त हो, अथवा

---

१ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९

२ गगाराम बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर (१९६१) ११ राजस्थान ३६९

३ मधुमाधव बनाम कलेक्टर, ए आई आर १९५५ मद्रास ४६८

(iii) वह प्राधिकारी जिसने उस राज्य कर्मचारी को ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर, जैसी भी दशा हो, नियुक्त किया था अथवा

(iv) जब कि वह राज्य कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रह चुका है, या किसी अन्य स्थायी पद को मौलिक रूप में धारण करते हुये राज्य सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है, तो वह प्राधिकारी जिसने उसको उस सेवा पर, या सेवा के किसी ग्रेड पद या उस पद पर नियुक्त किया था।

जो भी प्राधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी हो

परन्तु जब कि विभागाध्यक्ष ने अपनी शक्तियां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायुक्त कर दी हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष नियम २८ (२) (क) (ख) के प्रयोजनार्थ "नियुक्ति प्राधिकारी" होगा।[1]

(ख) "आयोग" से अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयोग से है।

(ग) "अनुशासन प्राधिकारी" से अभिप्राय किसी राज्य कर्मचारी को शास्ति देने के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो इन नियमों के अन्तर्गत वैसी शास्ति देने के लिये सक्षम हो।

(घ) "राजपत्र" से अभिप्राय राजस्थान राजपत्र से है।

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।

(च) "राज्य कर्मचारी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी सेवा का सदस्य है और जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई असैनिक पद धारण किये हुये हो और इस में सम्मिलित होगा-वैदेशिक सेवा में कोई ऐसा व्यक्ति, अथवा जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन सुपुर्द कर दी गई हैं या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी की सेवा का वह व्यक्ति भी जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार के अधीन सुपुर्द कर दी गई हैं, अथवा किसी संविदा पर सेवा में कार्य करने वाला व्यक्ति, अथवा वह व्यक्ति जो किसी अन्य सरकार की सेवा से रिटायर हुआ हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुनः नियुक्त किया गया हो परन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो भारतीय संघ की असैनिक सेवा में हो या किसी अन्य राज्य सरकार की असैनिक सेवा में हो और जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर नौकरी कर रहा हो, जो कि उस व्यक्ति पर लागू होने वाले नियमों से शासित होता रहेगा।

---

1 संशोधित राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) दिनांक १४ जुलाई १९६० पृष्ठ ६२

*(छ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो राज्य के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन अनुसूचि 'क' में विभाग का अध्यक्ष निर्दिष्ट है और इसमें विभागीय जाच आयुक्त भी उन मामलो के सम्बंध में सम्मिलित है जिसमें उसको विभिन्न विभागो के रू० ५०) या इससे अधिक के गबन के मामलो की जाच सरकार द्वारा सौंपी गई हो।

†(ज) "कार्यालयाध्यक्ष" से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो राज्य के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन अनुसूचि 'ख' मे प्रत्येक कार्यालय के लिये कार्यालय का अध्यक्ष' निर्दिष्ट है और इस में विभिन्न विभागो के उन गबन के मामलो के लिये गबन की जाच के विशेष कार्याधिकारी एव सहायक आयुक्त विभागीय जाच भी सम्मिलित होंगे जिनकी मालियत रु० ५०) या इससे अधिक हो और जो आयुक्त विभागीय जाच को सौंप गये हो।

(झ) "अनुसूचि" से अभिप्राय इन नियमो से सलग्न अनुसूचि से है।

(ञ) 'सेवा" से अभिप्राय राजस्थान राज्य की किसी असैनिक सेवा से है।

टिप्पणी

इन नियमो के प्रयोजनार्थ परिभाषित शब्दो का अर्थ निकालने के लिये इस नियम के प्रारंभिक शब्द- 'जब तक कि सदर्भ से किसी अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो' का ध्यान रखना चाहिये। परन्तु इन शब्दो को अल्प महत्व दिया है। कार्तिक चन्द्र बनाम हृसा मुखि दास[1] के वाद मे यह व्यक्त किया गया कि शब्द- 'जब तक कि विषय अथवा सदर्भ मे कोई प्रतिकूल बात न हो' किसी अधिनियम मे कहा भी लिखे हो तो भी उनका होना सदैव मान लेना चाहिये। जब कि किसी शब्द अथवा वाक्य खड की परिभाषा नियमो मे विशेष अर्थ की दी हुई हो तो उसका केवल वही अर्थ लगाना चाहिए, चाहे सामान्य कानूनी सभाषण मे उसका कोई भिन्न तात्पर्य निकलता हो।[2] एक मौलिक नियम यह भी है कि एक नियम या अधिनियम में एक शब्द जहा कही भी आवे उसका वही अर्थ समझना चाहिये जब तक कि सदर्भ उसका निषिद्ध न करदे।[3]

---

* इन शब्दो के स्थान पर बदले गये - (विभागाध्यक्ष) से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो अनुसूचि 'क' मे सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन किसी विभाग के अध्यक्ष निर्दिष्ट है।

देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनाक २७ अप्रल १९६४ जो दिनाक ६ जुलाई १९५९ से प्रभावशील हुआ।

† इन शब्दो के स्थान पर बदले गये - 'कार्यालयाध्यक्ष' से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो अनुसूचि 'ख' मे सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक पद के लिये कार्यालय का अध्यक्ष निर्दिष्ट है।

देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनाक २७ अप्रल १९६४ जो दिनाक ६ जुलाई १९५९ से प्रभावशील हुआ

१ ए आई आर १९४३ कलकत्ता ३४५ पूर्णपीठ

२ दियालसिंह बनाम गुरुद्वारा श्री असाला वल्ल, १९२८ लाहौर ३२५

३ गनपत कि० सुनार बनाम विठ्ठल भीका० ४५ बम्बई एल आर ९७६

(क) नियुक्ति प्राधिकारी

(१) इससे अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जिसने नियुक्ति की थी अथवा जो निम्न की नियुक्ति करने के लिये सक्षम है–

(अ) उस सेवा के लिये जिसका राज्य कर्मचारी एक सदस्य है या

(आ) उस पद पर जो राज्य कर्मचारी धारण करता है, या

(इ) सेवा के उस ग्रेड में जिसमें वह राज्य कर्मचारी सम्मिलित है।

दूसरी बात यह है कि जब कि किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति किसी ग्रेड सेवा या पद पर किसी प्राधिकारी द्वारा की जाना है तो वह प्राधिकारी भी नियुक्ति प्राधिकारी होना समझा जावेगा। जब कि कोई व्यक्ति निम्नतर पद से उच्चतर पद में पदोन्नत किया जाता है तो वह प्राधिकारी जिसने उसको पदोन्नत किया उस पद के लिये नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

जब कोई राज्य कर्मचारी किसी विशेष पद के लिये बिना किसी पद पर जहां उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति हुई थी पदाधिकार रखे अनिम रूप से नियुक्त कर लिया जाता है, तो उसके मामले में नियुक्ति प्राधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसको उसके नये पद पर नियुक्तियें करने का अधिकार है।[1]

(२) राज्यों का एकीकरण नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा ?—संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) में यह चाहा गया है कि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी एवं पदच्युत करने वाला प्राधिकारी एक ही राज्य का प्राधिकारी माना चाहिये। किन्तु राजस्थान जैसी दशा में जिसमें अनेक भूतपूर्व रियासतों का विलीनीकरण हुआ अवस्था भिन्न रूप में है। ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं देखना चाहिये कि प्रार्थी की भूतपूर्व रियासत में जिसका राजस्थान राज्य में विलीनीकरण हो चुका है, प्रारम्भ में नियुक्त करने वाला प्राधिकारी कौन था। देखना यह है कि राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् राजस्थान राज्य में प्रार्थी को नियुक्त करने वाला प्राधिकारी कौन था। अत इस अवस्था में अनुच्छेद ३११ (१) का सही अभिप्राय यह है कि किसी असैनिक कर्मचारी को राजस्थान राज्य में एकीकरण के समय जिस प्राधिकारी ने नियुक्त किया उससे अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी उसको पदच्युति अथवा पदावनति नहीं कर सकता। भूतपूर्व रियासत के मौलिक नियुक्ति प्राधिकारी को नहीं वरन् राजस्थान राज्य के नियुक्ति प्राधिकारी को देखना है, और राजस्थान के उस प्राधिकारी के अधीनस्थ स्तर का कोई प्राधिकारी पदच्युति नहीं कर सकता।[2] परन्तु जब कि कोई कर्मचारी एकीकृत राज्य में कभी नियुक्त ही नहीं हुआ क्योंकि एकीकरण पूर्ण होने से पहले ही वह निलम्बित हो चुका था तो इसका यही तात्पर्य है कि अनावश्यक यह देखना होगा कि यदि वह एकीकृत राज्य में स्थापित किया जाता तो उसको नियुक्त कौन करता।[3] इसी प्रकार जब कि नियुक्ति प्राधिकारी का अस्तित्व ही नहीं रहा जैसे किसी भूतपूर्व राज्य का महानिरीक्षक पुलिस तो इसका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति किया गया राज्य कर्मचारी बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता।[4]

---

१ धरम चन्द बनाम मजिस्ट्रेट सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट ऑफिस ए० आई० आर० १९५६ इलाहाबाद ४७५

२ घासीराम बनाम राजस्थान सरकार, ए० आई० आर० १९५४ राजस्थान २०७

३ उपरोक्त नोट २

४ रघुनाथ सिंह बनाम मध्य भारत सरकार, ए० आई० आर० १९५१ मध्यभारत ४३

(३) नियुक्ति प्राधिकारी एवं उच्चतर प्राधिकारी कार्यवाही की वैधता—यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति एक प्राधिकारी ने की है और उसके विरुद्ध कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी से भी उच्चतर प्राधिकारी है तो कार्यवाही वैध समझी जायगी। जब कि प्रार्थी की नियुक्ति उप आयुक्त के कार्यालय में लिपिक की हैसियत से हुई और नियुक्ति-पत्र राज्य के सहायक शासन सचिव के हस्ताक्षरों से जारी हुआ और उप-आयुक्त ने उसकी पदच्युति की आज्ञा जारी करदी तो निर्णय हुआ कि बर्खास्तगी यथोचित थी क्योंकि उप आयुक्त कोई अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं था।[१] जब कि वन विभाग के संरक्षक ने प्रार्थी की नियुक्ति की और पदच्युति की आज्ञा वन विभाग के मुख्य संरक्षक द्वारा जारी की गई तो निर्णय हुआ कि नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार नियुक्त हुए व्यक्ति को पदच्युत अथवा सेवा से पृथक करने में अनुच्छेद ३११ रोक नहीं लगाता।[२] जब कि एक रेलवे के ट्रैफिक मैनेजर ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपेरिंटेंडेंट को पत्र भेजकर चुन गये अभ्यर्थी को नियुक्त करने को कहा और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपेरिंटेंडेंट ने नियुक्ति का देश जारी किया, तो यह निर्णय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपेरिंटेंडेंट प्रार्थी को हटा सकता था क्यों कि वही नियुक्ति प्राधिकारी था।[३] जब कि एक चपरासी की नियुक्ति अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा हुई और पुष्टिकरण मुख्य अभियंता द्वारा हुआ और बाद में मुख्य अभियंता द्वारा उसे सेवा से हटा दिया गया तो निर्णय हुआ कि अस्थायी तौर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा जारी किया गया आरंभिक नियुक्ति आदेश अनुच्छेद ३११(१) के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था।[४] जब कि राज्य के सहायक शासन सचिव ने प्रार्थी की नियुक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर की और राज्य के उपशासन सचिव द्वारा बर्खास्त कर दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि बर्खास्तगी अनुचित नहीं थी और यह तय नहीं किया जा सकता कि बर्खास्तगी किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई।[५] पुनः राज्य का राज्यपाल जो कि उच्चतम अधिशासी प्राधिकारी है निस्सन्देह अनुच्छेद ३११ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है, परन्तु उसको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसके अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी जिसमें नीचे तक नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी भी सम्मिलित है, ऐसा कर सकता है।[६]

(४) नियुक्ति प्राधिकारी एवं अधीनस्थ प्राधिकारी—कार्यवाही की वैधता—जब कि राज्य में एक व्यक्ति की नियुक्ति एक प्राधिकारी ने की है तो इन नियमों के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई पदच्युति अथवा पृथकीकरण की कार्यवाही अवैध होगी। अधीनस्थ प्राधिकारी की संवैधानिक अभिव्यक्ति उसकी वर्तमान अधीनता की ओर संकेत करती है। परन्तु इस उपर्युक्त संवैधानिक नियम को ऐसे मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिये

---

१ लक्ष्मी नारायण सारंगी बनाम उड़ीसा सरकार ए० आई० आर० १९६३ उड़ीसा ८
२ करमदेव सिंह बनाम बिहार सरकार ए० आई० आर० १९५६ पटना २२८
३ गंगाधर पाण्डे बनाम भारतीय संघ, ए० आई० आर० १९६४ पटना १०२
४ साधूराम बनाम इंजिनियर टेलीग्राफ जबलपुर ए० आई० आर० १९५७ मध्य प्रदेश ४२
५ शतीशचन्द्र गुप्ता बनाम प० बंगाल सरकार ए० आई० आर० १९६० कल० २७८
६ जोसफ जान बनाम ट्रावन कोर कोचीन राज्य ए० आई० आर० १९५५ ट्रावन कोर १३०

जिसमें इसके प्रयोग का प्रयास ऐसी दशा में किया जा रहा हो जिसमें असैनिक कर्मचारी को पदच्युत करने वाला प्राधिकारी पदच्युत करने समय अधीनस्थ नहीं रहा हो क्या कि भूतपूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का पद अब समाप्त हो चुका है।[1] यह पूर्णतया निश्चित कानून है कि वैध नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति आज्ञा जारी करने में सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी ने जब कि किसी की वैध नियुक्ति की हो तो उस नियुक्ति का वास्तविक तथ्य ही संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) द्वारा गारंटी की गई सीमा का नियन्त्रण करता है और यदि उसकी बर्खास्तगी या सेवा से पृथक्करण किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो उस कर्मचारी की नियुक्ति करने तथा बर्खास्त करने में सक्षम तो था किन्तु वह उस प्राधिकारी से निम्न स्तर का प्राधिकारी था जिसने उसकी नियुक्ति आज्ञा वास्तव में जारी की थी तो ऐसा पदच्युति आदेश संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।[2] जब किसी पुलिस थानेदार की नियुक्ति आई जी पुलिस ने की थी और पदच्युति डिप्टी आई जी द्वारा हुई तो निर्णय हुआ कि ऐसा पदच्युति असंवैधानिक था।[3] जब कि पुलिस थानेदार की नियुक्ति रतलाम सरकार द्वारा हुई और पदच्युति डिप्टी आई जी पुलिस मध्य भारत द्वारा हुई तो निर्णय हुआ कि डिप्टी आई जी जो द्वारा जो थानेदार की नियुक्ति करने में सक्षम था की गई पदच्युति अवैध थी क्या कि वह नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ स्तर का था।[4]

जब कि प्रार्थी की नियुक्ति कारागारों के महानिरीक्षक द्वारा हुई थी और नोटिस जारी करने के पश्चात जब अधीक्षक ने उसे बर्खास्त कर दिया तो निर्णय हुआ कि पदच्युति की आज्ञा अनुच्छेद ३११ (१) के प्रावधानों का उल्लंघन थी। यह तथ्य कि अपील में कारागारों के महानिरीक्षक ने आज्ञा की समर्थन कर दिया प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अभाव का उपचार करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।[5] जब कि प्रार्थी का नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य आयुक्त था और उपआयुक्त ने पृथक्करण की आज्ञा जारी की तो निर्णय हुआ कि यह संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था और पृथक्करण अवैध था।[6] पुन जब कि प्रार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हुई था और पदच्युति आयुक्त द्वारा हुई तो निर्णय हुआ कि बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद ३११ (१) के अतिक्रमण में हुई।[7] जब कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति गवर्नर जनरल इन कौंसिल के साथ

१ बुलाक रजन प्रान्तिय बनाम आर के सोम, ए आई आर १९५८ कलकत्ता ३५६

२ परमेश्वर दयाल बनाम सरकार ए आई आर १९६३ राजस्थान १७६

३ रामरतन बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६४ मध्य प्रदेश ११४ गुरमुख सिंह बनाम संघ सरकार, ए आई आर १९६३ पंजाब ३७० सज्जनसिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५९ आर एल डब्ल्यू २८७

४ रामचन्द्र गोपालराव बनाम उप आई जी पुलिस ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश १७६

५ एन सोम सुन्दरम् बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९५६ मद्रास ४१८ सारंगथम मान्यिकर बनाम मणिपुर सरकार ए आई आर १९५६ मणिपुर ३४

६ मकसूद हुसैन बनाम डिप्टी कमिश्नर मणिपुर ए आई आर १९६० मणिपुर ५१ एन एन सिंह बनाम नाम्बा सिंह ए आई आर १९५७ मणिपुर ७७ ए आई आर १९५५ कलकत्ता ८१

७ ए एम खान बनाम मध्य भारत सरकार, ए आई आर १९५६ मध्य भारत २५९

किये गये एक इकरार के अन्तर्गत हुई थी और उसे डिवीजनल सुप्रिन्टेंडेंट ने हटा दिया, तो निर्णय हुआ कि पृथक्करण अवैध था।[1] जब कि प्रार्थी को राजप्रमुख ने उप आयुक्त के पद के लिये नियुक्त किया था और बाद मे राजप्रमुख के सलाहकार ने उसे अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया तो निर्णय हुआ कि आज्ञा वैध नहीं थी और इसकी राजप्रमुख ने असम्मति नहीं दन के आधार से ही ऐसी आज्ञा का अनुमोदन होना नहीं माना जासकता जो नियमो के अन्तर्गत राज प्रमुख को देनी चाहिये थी।[2] परन्तु जब कि कर्मचारी की सेवा दड स्वरूप समाप्त नहीं की गई तो यह निर्णय हुआ कि यह पृथक्करण की सीमा मे नहीं आता, और यद्यपि सेवा की समाप्ति का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी ने जारी किया था फिर भी अनुच्छेद ३११ लागू नहीं हुआ।[3]

(५) नियुक्ति प्राधिकारी एवं उसी स्तर का प्राधिकारी-कार्यवाही को वरना — यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्य के एक प्राधिकारी ने की है तो उसी स्तर के प्राधिकारी द्वारा इन नियमो के अन्तर्गत की गई कार्यवाही वैध होगी। जब कि प्रार्थी की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा हुई थी परन्तु उसकी बर्खास्तगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हुई तो यह निर्णय हुआ कि कार्यवाही वैध थी क्योंकि शब्द पुलिस अधीक्षक मे शब्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल है।[4] परन्तु जब कि प्रार्थी की नियुक्ति भूतपूर्व इन्दौर राज्य के डिप्टी आई जी द्वारा हुई थी, और उसका सेवा से पृथक्करण मध्य भारत के पुलिस अधीक्षक द्वारा हुआ तो निर्णय हुआ कि आपसी राज्यीय अधीनस्थता के कानूनी नियमो के अभाव मे यह नहीं कहा जा सकता कि मध्यभारत राज्य का पुलिस अधीक्षक तत्कालीन इन्दौर रियासत के डिप्टी आई जी का वास्तव मे अधीनस्थ प्राधिकारी था।[5] इसी प्रकार जब कि विलीनीकरण से पूर्व प्रार्थी की नियुक्ति हैड कान्स्टेबल के पद पर ग्वालियर के आई जी पी ने की थी और मध्यभारत के डिप्टी आई जी की आज्ञानुसार उसकी पदच्युति हुई तो यह निर्णय हुआ कि किसी भी आधार पर मध्य भारत के डिप्टी आई जी का नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात आई जी पी ग्वालियर से अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं कहा जा सकता।[6] पुन जब कि प्रार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति पश्चिम बगाल के आयकर कमीश्नर ने की था परन्तु बाद मे उसका स्थानान्तरण कलकत्ता हो गया। उस पद के लिये कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष कलकत्ता का आयकर कमीश्नर था। अत यह निर्णय हुआ कि वाद का प्राधिकारी प्रार्थी को बर्खास्त करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति था।[7] अत यह नहीं कहा

१ एम एम सिद्दिकी बनाम सघ सरकार, ए आई आर १९५५ इलाहबाद ५६५ यह भी देखें—मोहम्मद मतीन किदवई बनाम गवर्नर जनरल इन कौंसिल, ए आई आर १९५३ इलाहबाद १७

२ सरदार बलदेवसिंह बनाम पटियाला सरकार, ए आई आर १९५४ पप्सू ९८

३ वी एम श्रीवास्तव बनाम कलेक्टर ए आई आर १९६१ इलाहबाद २८४

४ आर आर हल्दर बनाम आई जी पी पश्चिम बगाल, ए आई आर १९५९ कलकत्ता १०३

५ अ तर सिंह बापूसिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २५४

६ मगल सिंह बनाम सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत २५७

७ ए सी मडल बनाम कमीश्नर आयकर पश्चिम बगाल ए आई आर १९६२ कलकत्ता ३

जा सकता कि पृथक्करण उसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये जिसने नियुक्ति की थी, इतना पर्याप्त है कि पृथक्करण अधिकारी उसी पंक्ति अथवा पद का हो।[1]

(६) स्थायी रूप से नियुक्त करने वाला नियुक्ति प्राधिकारी ही सक्षम विचारणीय होगा —किसी पद विशेष पर स्थायी रूप से नियुक्त करने वाला प्राधिकारी ही नियुक्ति प्राधिकारी होता है और इस कारण से वह पदच्युत करने के लिये भी सक्षम है। जब कि आरोपी को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया था, उसने ही स्थायी किया और जांच की समाप्ति पर उसी ने आरोपी को बर्खास्त कर दिया तो निर्णय हुआ कि पदच्युति के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।[2]

(७) प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का नियुक्ति प्राधिकारी — यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य सरकार की सेवा से प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर आया हुआ है तो वह अनुशासनीय मामलों के लिये अपनी सरकार की सेवाओं में माना जावेगा। जब कि एक पुलिस कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्य में सेवा ली गई और उस राज्य के एक पदाधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही की [illegible] प्रस्तावित की [illegible] तो यह निर्णय हुआ कि कार्यवाही सक्षम प्राधिकृत माध्यम द्वारा प्रस्तावित की गई और इसी लिये नियुक्ति करने वाले राज्य का [illegible] विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।[3]

(ग) अनुशासन प्राधिकारी —धारा २ (ग) परिभाषा से जो इन नियमों के अन्तर्गत नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति किसी राज्य कर्मचारी पर लागू करने में सक्षम हो वही अनुशासन प्राधिकारी है। अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न हो सकता है। विभिन्न वर्गों के असैनिक कर्मचारियों के लिये अनुशासन प्राधिकारी कौन होगा—यह सिद्धान्त नियम १५ में निर्धारित हुआ है। यदि अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी का अधीनस्थ प्राधिकारी है तो वह केवल नियम १४ के खंड (१) से (३) तक में निर्दिष्ट शास्ति को ही लागू कर सकता है और अन्य शास्तियां केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३११ के अनुसार लागू की जा सकती हैं। यदि नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी एक ही व्यक्ति है तो वह नियम १४ में निर्दिष्ट समस्त शास्तियाँ लागू कर सकता है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को अनुशासन प्राधिकारी घोषित करता है तो ऐसा अधीनस्थ प्राधिकारी पदच्युति एवं पदावनीकरण के अतिरिक्त समस्त शास्तियों से दंडित कर सकता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ३११ में निर्दिष्ट है। संविधान के अनुच्छेद ३११ सहित अनुच्छेद ३१०, २३३ एवं २३४ के अन्तर्गत किसी राज्य की न्यायिक सेवा (जुडिशियल सर्विस) के सदस्य के लिये नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल होने के कारण पदच्युति प्राधिकारी भी राज्यपाल ही है। परन्तु अनुच्छेद २३५ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में जारी रहेगा। इन अनुच्छेदों का सर्वोत्तम सम्मिलानीकरण यह है कि राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी होना जारी रहेगा परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३११ में उल्लेखित शास्तियों के अतिरिक्त अन्य शास्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय

---

1 महेश प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर. १९५५ सर्वोच्च न्यायालय ७०

2 [illegible] बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर. १९५७ राजस्थान १४८ यह भी देखिये ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ५०

3 जगराम मामो बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५५ नागपुर १६०

अनुशासन प्राधिकारी होगा। कठोर शास्तियों से संबंधित मामलों में जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। अतः संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान का अभिप्राय अनुच्छेद २३५ द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय के नियंत्रण संबंधी अधिकार का लोप करना नहीं है परन्तु उसका तात्पर्य केवल इन शर्तों का नियमन एवं निर्धारण करना है जिसके अन्तर्गत दो दशाओं (१) पदच्युति और (२) पृथकीकरण में उक्त नियंत्रण का संचालन करना है। अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जांच करने और उसके निष्कर्षों का प्रतिवेदन प्रेषित करने के पश्चात पदच्युति अथवा पृथकीकरण के मामले में उच्च न्यायालय राज्यपाल को प्रेषित करेगा और यदि पदच्युति पृथकीकरण अथवा पंक्तिच्युति की शास्ति का दंड दिया जाना है तो अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये।[1]

(च) राज्य कर्मचारी—(१) राज्य कर्मचारी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो (१) किसी राज्य सेवा का सदस्य है या (२) जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई असैनिक पद पर आसीन है। निम्नलिखित भी इसमें सम्मिलित होंगे—

(१) वह व्यक्ति जो किसी पारदेशिक (विदेशी) सेवा में है या

(२) वह व्यक्ति जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी स्थानीय संस्था अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन सुपुर्द करदी गई हो या

(३) किसी स्थानीय संस्था अथवा किसी अन्य प्राधिकारी का कर्मचारी जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार के सुपुर्द करदी गई हो या

(४) वह व्यक्ति जो किसी संविदा के आधार पर सरकारी सेवा में हो और

(५) वह व्यक्ति जो किसी अन्य स्थान से सरकारी सेवा से निवृत हो चुका हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुनः नियुक्त किया गया हो।

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति "शब्द राज्य कर्मचारी" में सम्मिलित नहीं होंगे—

(१) जो भारतीय संघ की असैनिक सेवाओं में हो या

(२) वह व्यक्ति जो की अन्य राज्य सरकार की असैनिक सेवाओं में हो और जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति के रूप में (डेपुटेशन) सेवा कर रहा हो।

इस खण्ड में दी गई परिभाषा उदाहरणार्थ मात्र है—यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है। शब्द असैनिक पद की परिभाषा कहीं भी दी हुई नहीं है और ऐसी परिभाषा जो नियमों में उल्लिखित गणना के अनुरूप सही बैठती हो ज्ञात करने के लिये हमें न्यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णयों में शोध करना होगा।

१ नृपेंद्र नाथ बागची बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिव ए० आई० आर० १९६१ कलकत्ता १ यह भी देखिये मोहम्मद गाऊस बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए० आई० आर० १९५५ आन्ध्र प्रदेश ६५ ए० आई० आर० १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २८६ ए० आई० आर० १९५९ आन्ध्र प्रदेश ४६७।

(२) "असैनिक पद" का तात्पर्य —राज्य के "असैनिक पद" से तात्पर्य उस पद से है जो राज्य सरकार के नियन्त्रण में हो और यदि राज्य सरकार चाहे तो वह पद समाप्त कर सकती है अथवा उस पद की शर्तों को निर्धारित कर सकती है जिनके आधार पर उक्त पद की पूर्ति होना है या पूर्ति की जावेगी। अतः वास्तविक परीक्षण यह है कि उक्त पद के सम्बन्ध में राज्य सरकार का नियन्त्रण सीधा एवं अन्तिम है।[1] दूसरी बात यह है कि इस शब्द का अभिप्राय शासन की उस नियुक्ति एवं पद से है जो असैनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हो अर्थात् जो सैनिक क्षेत्र से भिन्न माने हों।[2] अन्य शब्दों में समस्त पद जो राज्य कर्मचारियों द्वारा धारण किये हुए हैं असैनिक पद समझे जावेंगे यदि वह सैनिक विभाग या सुरक्षा के अन्तर्गत नहीं हों।[3] तृतीय यदि कोई राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पद पर आसीन हो परन्तु उसे कोई वेतन नहीं मिलता हो तो भी उसकी स्थिति राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य असैनिक सरकारी कर्मचारी के स्तर से कम नहीं होती।[4] चौथे राज्य निधि में से वेतन प्राप्ति मात्र अथवा किन्हीं संस्थाओं पर सरकारी नियन्त्रण होने से ही स्वतः किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के अधीन असैनिक पद पर आरूढ़ होने का स्तर प्राप्त नहीं होता।[5] जिला कमाण्डेंट व प्रधान होम गार्ड[6] प्रतिपालक अधिकरण विभाग (महकमा कोर्ट निगरान) का मुख्य व्यवस्थापक[7] सरकारी खजाने का तहवीलदार[8] और असैनिक कर्मचारी[9] राज्य के अधीन असैनिक पद धारण करने वाले माने जावेंगे और उनको अधिकार है कि उनके विरुद्ध पदच्युत करने की, नौकरी से हटाने की या पदावनति की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व उनको सफाई कारण बताने का नोटिस यथावत् दिया जावे।

(३) जो "असैनिक पद" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं हैं —राज्य का अधीन कोई व्यक्ति असैनिक पदधारी है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्णय करने हेतु वास्तविक परीक्षण यह नहीं है कि वह व्यक्ति सरकारी निधि से वेतन प्राप्त करता है परन्तु आवश्यक बात यह है कि उसका पद एवं उस पद पर नियुक्ति राज्य की इच्छा पर आधारित हो और राज्य के नियन्त्रण में हो और वास्तव में जो कार्य वह करता है वह सरकारी कार्य हो। अतः स्टेट बैंक आफ इण्डिया

१ लक्ष्मी इत्यादि बनाम राज्यपाल के सचिव सचिव ए०आई०आर० १९५६ पटना ३९८
प्रफुल्लकुमार सेन बनाम कलकत्ता राज्य परिवहन निगम ए आई आर. १९६३ कलकत्ता ११६
२ शेरसिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए०आई०आर० १९५५ नागपुर १७५
३ मोहन सिंह बनाम पेप्सू राज्य ए०आई०आर० १९५४ पेप्सू १३६
४ बृजगोपाल बनाम पुलिस आयुक्त ए०आई०आर० १९५५ कलकत्ता ५५६
५ जी०एम० कादरी बनाम राज्य सचिव ए०आई०आर० १९५८ जम्मु और कश्मीर २६
६ शेरसिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए०आई०आर० १९५५ नागपुर १७५
७ पी०एन० सरकार बनाम बिहार सरकार, ए०आई०आर० १९६० पटना ९६६
८ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अवध नारायण सिंह, पी ए०आई०आर० १९६५ सुप्रीम कोर्ट ३६०
एवं बलभद्र प्रसाद बनाम कलेक्टर, ए०आई०आर० १९५९ इलाहाबाद ७३६
९ उपरोक्त नोट/क्रमांक ४

का खजान्ची,[1] राज्य सहकारी बैंक का कर्मचारी,[2] सहकारी समिति का कर्मचारी,[3] सुरक्षा सेवाओं में असैनिक पदाधिकारी, सेना से सम्बन्धित धातु एवं लोह कारखाने का कर्मचारी,[4] सैनिक अभियन्ता सेवाओं का ओवरसीयर,[5] राज्य परिवहन निगम का कर्मचारी[6] कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्त[8] सरकार द्वारा नियुक्त नगर पालिका समिति का कर्मचारी[9] जिला बोर्ड का कर्मचारी[10] डाकखाने की अविभागीय शाखा का पोस्टमास्टर[11] पंचायत का सचिव एवं अधिशासी अधिकारी[12] नक्ल नवीस[13] सुधार प्रयास (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) का कर्मचारी[14] सरकारी होजरी मिल का

१ वी रानाई बनाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए० आई० आर १९६५ मद्रास ३३५ यह भी देखिये सुप्रसाद मुखर्जी बनाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए आई आर १९६२ कलकत्ता ७२ बालेश्वर प्रसाद बनाम एजेंट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए आई आर १९५८ पटना ४१८ एस मोहन सिंह बनाम पेप्सू ए आई आर १९५४ पेप्सू १३९

२ चतुर्भुज सहाय बनाम सभापति राज्य सहकारी बैंक ए आई आर १९६२ पटना २२३

राम नाथ शर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ मध्यप्रदेश २१८ यह भी देखिये-कुमारन बनाम ट्रावनकोर सरकार ए आई आर १९५२ ट्रावनकोर २६३ दलेल सिंह बनाम सचिव कोआपरेटिव यूनियन लि० ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४३

४ कपूर सिंह बनाम भारत संघ ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश १९९ तारासिंह बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६० बम्बई १०१ दासमल बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६५ पंजाब ४२ सुबोध राजन बनाम मेजर एल ए ओ सी केलाधन ए आई आर १९५६ कलकत्ता ५३२

५ प्रतीन्द्र नाथ मुखर्जी बनाम जी एफ मल्लट ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५४३

६ सुबोध राजन बनाम मेजर एन ए ओ केलाधन ए आई आर १९५३ कलकत्ता ३१९

७ प्रफुल्ल कुमार सेन बनाम कमाण्डर कलकत्ता बन्दरगाह ए आई आर १९६३ कलकत्ता ११९

८ पतित पावन बोस बनाम कमाण्डर कलकत्ता बन्दरगाह ए आई आर १९५७ कलकत्ता ७९०, *यह भी देखिये नगेंद्र कुमार रोय बनाम कमाण्डर, कलकत्ता बन्दरगाह* ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५९

९ विशम्भर नाथ नेहरु बनाम एच एच सरकार जम्मू और कश्मीर, ए आई आर १९५८ जम्मू कश्मीर ६, यह भी देखिये-किशोरी लाल बत्रा बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५८ पंजाब ४०२ मंगल सेन बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५२ पंजाब ५८ पंजाब सरकार बनाम प्रेम प्रकाश ए आई आर १९५७ पंजाब २१९

१० रंग नाथ मिश्रा बनाम सभापति जिला बोर्ड ए आई आर, १९५७ पटना ३३३। यह भी देखिये—आर श्री निवासन् बनाम सभापति जिलाबोर्ड ए आई आर १९५८ मद्रास २११

११ सी एच वेंकटास्वामी बनाम अधीक्षक, डाकखाना ए आई आर १९५७ उड़ीसा ११२, यह भी देखें-सुब्रामलू बनाम अधीक्षक डाकखाना ए आई आर १९६१ मद्रास १६६

१२ रूप सिंह बनाम पंचायत एवं समाज सेवा इन्दौर ए आई आर १९६२ मध्य प्रदेश ५० और एम युगान्धा राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५९ आंध्र प्रदेश ५३६

१३ भगवान सहाय बनाम सय्यद नावनी ए आई आर १९५६ पटना २५७

१४ मोहम्मद एहमद किदवई बनाम सभापति, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ३५३

मजदूर,[1] किसी कम्पनी या निगम का कर्मचारी [2] सरकारी अधिवक्ता (गवर्नमेंट एडवोकेट) [3] निजी (प्राइवेट) पाठशाला और उच्च विद्यालयों के कर्मचारी [4] राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मन्दिर-अधिकारी [5] गाँव चौकीदार [6] राज भवन के मालीगण [7] एवं सरकार का आकस्मिक या प्रासंगिक कर्मचारी वर्ग (कन्टिन्जेंट स्टाफ) [8] राज्य के सिविल (असैनिक) सेवाओं के सदस्य नहीं है और न वे राज्य सरकार के अधीन सरकार द्वारा 'नियन्त्रित पद' ही धारण करते हैं और इस कारण से वे अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा पाने के हकदार नहीं हैं।

(४) **जो व्यक्ति संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर सरकारी सेवा में है**—साधारणतया सरकारी नियुक्तियाँ नियुक्ति पत्रों के द्वारा होती हैं जिसे राज्य सरकार जारी करती है और नौकरी पानेवाला उसे स्वीकार करता है। उन समस्त असैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों के अनुसार होती है एसी नियुक्ति हेतु सरकार एवं कर्मचारी के मध्य कोई संविदा करने की आवश्यकता नहीं होती।[9] संविधान का अनुच्छेद २९९ ऐसे मामलों में सम्बन्धित है जिनमें उभयपक्ष लिखित रूप में गंभीरता पूर्वक संविदा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद २९९ में शब्द संविदा के अर्थ की परिधि इस प्रकार सीमित समझनी चाहिये कि इस सरकारी कर्मचारियों के मामले बाहर रह जावें जिनकी नियुक्ति संविदा से प्रारम्भ होती है परन्तु जो नियुक्ति के पश्चात संविदा के अनुसार नहीं वरन् कानूनी नियमों के

---

१ जा एम कान्रा बनाम शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ए आई आर १९५६ जम्मू कश्मीर २६

२ एस वर्गीस बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर १९६३ कलकत्ता ५०१ एस के मुकर्जी बनाम कमिश्नर एण्ड एनाइड प्राइवेट्स नियात विकास परिषद ए आई आर १९६२ कलकत्ता १० भगवान राजनाथ बनाम सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमि कल्स लि० ए आई आर. १९५७ पटना १० दामोदर वैली कारपोरेशन ए आई आर १९५३ कलकत्ता ५८१ राम बाबू राठौर बनाम डिवीजनल मैनेजर जीवन बीमा निगम ए आई आर. १९६१ इलाहाबाद ५०२

३ राजस्थान सरकार बनाम मदन स्वरूप ए आई आर १९६० राजस्थान १३८

४ श्रीमती ऐना धोप बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार ए आई आर १९६२ कलकत्ता ४२० यह भी देखिये—विश्वनारायण सोम बनाम सचिव राम कृष्ण मिशन ए. आई आर. १९५८ पटना ६५३, जोसेफ मुडासे बनाम व्यवस्थापक सेन्ट थामस कालेज ए आई आर. १९५४ ट्रावन कोर कोचीन १६६

५ महेन्द्र लाल चक्रवर्ती बनाम भारत संघीय क्षेत्र त्रिपुरा ए आई आर १९५८ त्रिपुरा २१

६ धर्मसिंह बनाम राजस्थान राज्य ए आई आर. १९५६ राजस्थान ३३५

७ लक्ष्मी एवं अन्य बनाम राज्यपाल का सचिव सचिव ए आई आर १९५६ पटना ३६८

८ कर्तारसिंह बनाम पेप्सू सरकार, ए आई आर पेप्सू ७५

९ बेदी बनाम पेप्सू सरकार, ए आई आर. १९५३ पेप्सू १८६

द्वारा नियमित होते हैं।[१] अस्थायी कर्मचारियों के लिये नौकरी की विशेष संविदा बनाने में सरकार स्वतन्त्र है बशर्ते कि नौकरी की शर्तें संविधान के विपरीत नहीं हो।[२] पुनः राज्य सरकार एवं कर्मचारी दोनों ही संविदा में उल्लिखित इकरार और शर्तों का पालन करने के लिये बाध्य है।[३] जबकि कोई अस्थायी कर्मचारी निश्चित अवधि तक के लिये नियुक्त हुआ हो तो उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है और उसके लिये कोई एक महिने का नोटिस देना आवश्यक नहीं है।[४]

केवल इस आधार पर कि किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस दिया गया था जिसका देना कानूनन आवश्यक नहीं था अदालत के लिये यह निर्णय देना कि प्रार्थी के अधिकारों का गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण हुआ है, उचित नहीं है।[५] संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (छ) का तात्पर्य यह नहीं है कि जो व्यक्ति किसी संविदा की शर्तों पर सेवा में लिया गया हो वह उन शर्तों के अनुसार हटाया नहीं जा सकता।[६] परन्तु संविदा में दर्ज की गई यह शर्त कि कर्मचारी को पदच्युत करने अथवा हटाने से पहले उसको सुनने का कोई अवसर नहीं दिया जावेगा स्पष्टतया संविधान के अनुच्छेद ३११ का अतिक्रमण है।[७] यदि कोई व्यक्ति निश्चित अवधि के लिये संविदा पर नियुक्त किया गया हो तो वह उस संपूर्ण अवधि तक के लिये सेवा में रहने का अधिकारी होगा।[८] यदि एक राज्य दूसरे राज्य में संविलीन हो जावे—चाहे, स्वेच्छा से या पराजय के कारण विलीनीकरण में अथवा एकीकरण (इन्टीग्रेशन) होने के कारण, तो सेवाओं की समस्त संविदाएं जो पहले की सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य हुई होंगी स्वतः समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात् जो व्यक्ति नौकरी करना चाहेंगे उन्हें नये राज्य द्वारा लागू की गई शर्तें माननी होंगी।[९]

३ प्रभाव—(१) ये नियम समस्त राज्य कर्मचारियों पर प्रभावशील होंगे सिवाय,—

(क) उन व्यक्तियों पर जो भारत सरकार या अन्य राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर आए हुए हों,

(ख) उन व्यक्तियों पर जो सरकार के ऐसे औद्योगिक संगठनों में नियुक्त हों जिन्हें समय समय पर अधिसूचित किया जाय और जो कि औद्योगिक विवाद अधि-नियम के अन्तर्गत मजदूर (कारीगर या वर्कमेन) हों,

---

१ रणजीत कुमार चक्रवर्ती बनाम बंगाल सरकार, ए आई आर. १९५९ कलकत्ता ५५१

२ शारदा प्रसाद श्रीवास्तव बनाम ए जी उत्तर प्रदेश ए आई आर. १९५५ इलाहाबाद ५९६

३ सतीशचन्द्र आनन्द बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५३ सुप्रीम कोर्ट २५०

४ थामस गौरीसिंह बनाम भारतीय गणतन्त्र नई दिल्ली ए आई आर. १९६२ मनी ५२

५ सरदार अर्जुनसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर. १९५० पंजाब २५४

६ चतुर्भुज सहाय बनाम सभापति राजकीय सहकारी बैंक ए आई आर. १९५५ पटना २२३

७ फकीरचन्द बनाम चक्रवर्ती, ए आई आर. १९५४ कलकत्ता ५५६

८ बम्बई राज्य बनाम डा० एम टी अडवानी, ए आई आर. १९६३ बम्बई १३

९ मन्यायम मावोसिंह बनाम भा एस डी मनीपुर राज्य-परिवहन १९६० मनीपुर ४१

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो पर,

(घ) उन पर जो उपरोक्त न्यायालय के अधिकारी एव कमचारी हैं, जो कि सविधान के अनुच्छेद २२९ के खड (२) के अन्तगत बनाए गये नियमों से शासित होंगे

(ङ) उन पर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, जो कि सविधान के अनुच्छेद ३१८ के अन्तगत बनाए गये विनियमों से शासित होंगे

(च) उन व्यक्तियो पर जिनकी नियुक्ति तथा अन्य मामला के लिय जो इन नियमा के अन्तगत आते हो, तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अन्तगत कोई विशेष प्रावधान रखा गया हो,

(छ) आकस्मिक (केजूअल) नौकरी मे रखे गए व्यक्तिया पर,

(ज) उन व्यक्तिया पर जिन्ह एक मास से कम अवधि के नोटिस द्वारा नौकरी से मुक्त किया जा सकता है और

(झ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर।

(२) उपरोक्त-उपनियम (१) मे कोई बात होते हुए भी और सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान के अधीन सरकार यदि चाहे तो आज्ञा जारी करके किसी राज्य कर्मचारी को या राज्य कमचारिया के किसी वर्ग को इन समस्त नियमा या इनमें से कुछ नियम लागू होने स अपवजन (पृथक) कर सकती है।

(३) यदि कोई शका उत्पन्न हो कि—

(क) ये नियम या इनमे से कुछ अमुक व्यक्ति पर लागू हैं या नही या

(ख) कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हैं, किसी विशेष सेवा का सदस्य है

तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में निर्देश हेतु भेजा जावेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

टिप्पणी

ये नियम सिवाय उन व्यक्तियों के जिनका वर्णन उपनियम (१) के खण्ड (क) से (झ) में किया गया है समस्त सरकारी कमचारियों पर लागू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार किसी सरकारी कमचारी या उनके वर्ग विशेष का इन नियमों के प्रभाव से उप-नियम (२) के अन्तगत अपवर्जित (मुक्त या पृथक) कर सकता है।

(१) प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर आए व्यक्ति—वे समस्त व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य से प्रतिनियुक्ति पर आए हों वे अपने निजी नियमो से शासित होते रहेंगे। एक मामले में प्रार्थी मध्यप्रदेश पुलिस का थानेदार हैदराबाद में प्रतिनियुक्ति पर था और

करने की शर्त का

उसके विरुद्ध कोई आरोपों पर उप-अधीक्षक आरक्षी ने हैदराबाद के कानून के अन्तर्गत अतिक्रमण था तो यह पाया गया कि जाच सर्वथा अनाधिकार माध्यम द्वारा की गई।[1] अवधि

(२) राजकीय उद्योग सगठन का कारीगर (वर्कमैन) —वे समस्त व्यक्ति जो राजकीय उद्योग सगठना म कार्य करते हैं और जो कि कारीगर (वर्कमैन) हैं वे इन नियमो से शासित नही होते। औद्योगिक विवाद अधिनियम १६४७ मे शब्द 'कारीगर (वर्कमैन) की परिभाषा यह दी गई है कि इससे तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो किसी कारखाने मे शिष्यमाण (एप्रेंटिस) सहित प्रवीण अथवा अप्रवीण (स्किल्ड या अनस्किल्ड) या हाथ का काम करने के लिये या पर्यवेक्षण के लिये विशेष विषयक (टक्निकल) या लिखा पढी का (क्लेरीकल) कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया हो, चाहे किराये पर हो या पारितोषिक (रिवार्ड) के आधार पर हो और उनमे वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कि किसी विवाद के सबध म नौकरी से बर्खास्त या मुक्त कर दिया गया हो या जो छंटनी म आ गया हो परन्तु इस परिभाषा मे वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो कि सैनिक अधिनियम के अधीनस्थ हो या जो पुलिस सेवा म कार्य करता हो या जो किसी कारागार का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी व्यवस्थापनीय अथवा शासकीय पद पर कार्य करता हो अथवा जो निगरानी रखने वाले की हैसियत से कार्य करता हुआ रु० ५००/ माहवार से अधिक वेतन प्राप्त करता हो। ऐसे कारीगर (वर्कमैन) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत शासित होगें।

(३) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकारी गण एव कर्मचारी —राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने निजी हस्ताक्षर एव मुहर द्वारा सविधान के अनुच्छेद २१७ के अन्तर्गत करते ह और उनका पृथक्कीकरण राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद २१८ और अनुच्छेद १२४ (४) (५) के अनुसार निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा कर सकते हैं। आगे व उच्च न्यायालयो के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १६५४ (हाई कोर्ट जजेज् कन्डिशनस् आफ सर्विस एक्ट १६५४) एव उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, १६५६ (हाई कोर्ट जजेज् रूल्स १६५६) द्वारा शासित होते हैं। सविधान के अनुच्छेद २२६ (२) के अनुसार उच्चन्यायालय के अधिकारी एव कर्मचारीगण उन नियमो से शासित होते हैं जो इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनावें या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी गठन करें। इस राज्य मे उच्च न्यायालय ने ऐसे नियम १६५६ मे बनाए जो कि उच्च न्यायालय के अधिकारियो एव कर्मचारियो पर लागू हैं। एक मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारीगण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियन्त्रण मे हैं और सविधान के अन्तर्गत उनको नियुक्त करने, हटाने एव उनके मामलो मे अन्य प्रकार का व्यवहार करने म मुख्य न्यायाधीश सक्षम हैं।[2]

(४) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्य—सविधान के अनुच्छेद ३१८ के अधीन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्यो की सेवाओं की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल

---

१ जगराम बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर. १६५५ नागपुर १६०

२ प्रद्योत कुमार बनाम चीफ जस्टिस ए आई आर. १६५६ सुप्रीम कोर्ट २८५

(ग) ये नियम (राजस्थान सरकारी सेवक आचरण नियम) आयोग के अध्यक्ष ... आयोग के सदस्य तथा आयोग के कर्मचारी वर्ग ... इन नियमों द्वारा ... राजस्थान संविधान के अनुच्छेद १८ (ग) के अन्तर्गत ... हुए हैं।

स्थानों के अन्तर्गत रखे गए व्यक्ति—जिस व्यक्ति पर ... (घ) लागू होने से ... तभी ... है जब कि किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अनुसार ... प्रावधान न किया गया हो। ये नियम पुलिस अधिनियम के अधीन राजस्थान पुलिस के अधीनस्थ स्तर (सबार्डिनेट रैंक) के सदस्यों पर भी लागू होते हैं। वे समस्त मामले जो कि विशिष्ट रूप से पुलिस अधिनियम के ... ... था। और जो सजा देने के बारे में सम्बन्धित हैं दण्ड सहित जिनका पुलिस अधिनियम १८६१ (धारा ७) में ... प्रावधान नहीं है और जो अधिनियम के विरुद्ध भी नहीं है पुलिस के अधीनस्थ स्तर के अधिकारियों पर पुलिस अधिनियम की धारा २ द्वारा प्रदत्त ... में और नियम (१) (४) की भाषा की दृष्टि से ... हुए लागू होते हैं और ये नियम केवल उसी दशा में लागू नहीं होते जब कि किसी कानून में या कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया हुआ हो। अतः ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं।[1]

(६) आकस्मिक नौकरी के कर्मचारी—जो व्यक्ति आकस्मिक रूप से नियुक्त होते हैं वे इन नियमों के अन्तर्गत कोई अधिकार (सिविल) पद धारण नहीं करते। समस्त ... श्रमिक उदाहरणार्थ ... ... के निर्माण के लिये लगे हुए श्रमिक ... या ... में पानी देने वाले मजदूर इत्यादि आकस्मिक कर्मचारी होते और उनका पारिश्रमिक राजकीय निधि में से मिलने के बावजूद भी वे इन नियमों द्वारा शासित नहीं होंगे। मगर ... विधिवत् बजट में स्वीकृत स्थायी पद पर कार्य करते हैं तो वे आकस्मिक नौकरी की परिभाषा में नहीं आएंगे।

(७) वे व्यक्ति जो एक मास से कम अवधि के नोटिस द्वारा सेवा विहीन (डिसचार्ज) किये जा सकते हैं—संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत अस्थायी राजकीय कर्मचारी को भी संरक्षण दिया गया है जब कि उनकी नौकरी दण्ड स्वरूप समाप्त करनी चाही है। ... सेवा विहीन (डिस्चार्ज) का अर्थ वही है जो कि ... (रिमूवल) का है और ... 'पदच्युति' (डिसमिसल) में सम्मिलित समझा जाना चाहिये।[3] परन्तु जहां बिना एक मास का नोटिस दिये सेवा विहीन किया जा सकता है वहां ये नियम लागू नहीं होंगे। ... परिवीक्षा पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करनी गई तो यह निर्णय हुआ कि उसको नोटिस देना आवश्यक नहीं था और वह आज्ञा गलत नहीं थी।[4] ... ... सेवा बिना नोटिस दिये

---

1 सोगमल बनाम अधिशासी अभियन्ता ए आई आर. १९६७ राजस्थान ४१८, ए आई आर. १९६१ इलाहाबाद ५१० और ए आई आर. १९६० राजस्थान ५६ अनुच्छेद ... ए आई आर. १९५४ इलाहाबाद ४८७ और ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ५९९

2 सद्दसो बनाम मुख्य सचिव ए आई आर १९५६ पटना २९८

3 ब्रज गोपाल बनाम पुलिस आयुक्त ए आई आर. १९५५ कलकत्ता ५३०

4 विरेन्द्रसिंह वर्मा बनाम अतिरिक्त कृषी सचालक ए. आई आर. १९६० इलाहाबाद ६४७ यह भी देखिये—शिवनारायण बनाम सागर विश्वविद्यालय ए आई आर. १९६० मध्यप्रदेश २०८ और राजेन्द्रचन्द बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १५५२

इकरारनामे के अनुसार समाप्त करदी गई तो यह निर्णय हुआ कि सेवा समाप्त करने की शर्त का समावेश उसकी नियोजन संविदा मे होने के कारण संविधान के अनुच्छेद ३११ के अतिक्रमण का प्रश्न ही नहा उठता।[1] पुन जबकि कोई अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित सेवा अवधि तक की गई है तो उस अवधि के समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है और उसको एक महीने का नोटिस देना आवश्यक नही है। अस्थायी नौकरी मे एक महीने का नोटिस देने का प्रश्न तभी आता है जब कि वह नौकरी अनिश्चित काल तक के लिये होती है।[2] इस प्रकार का नोटिस देना आवश्यक नहीं होता जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा नियमो के अन्तर्गत सेवा समाप्त की जाती है।[3] *आवश्यक स्तर की शारीरिक स्वस्थता का अभाव होने के फलस्वरूप नौकरी समाप्त करने के* लिये कोई नोटिस देना आवश्यक नही हैं क्योंकि ऐसी सेवा मुक्ति को नौकरी से निकालना या बर्खास्तगी नही समझा जाता है।[4]

४ इकरार द्वारा विशेष प्रावधान—जहा किसी राज्य कर्मचारी के सबध मे यह आवश्यक समझा जावे कि उसके लिये विशेष प्रावधान बनें जो कि इन नियमो मे से किसी नियम से असगत हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे राज्य कर्मचारी से इकरार द्वारा ऐसे विशेष प्रावधान बना सकता है, और तत्पश्चात ये नियम उस सीमा तक उस राज्य कर्मचारी पर लागू नही होंगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाये गये प्रावधान इन नियमो से असगत हो

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी राजकीय नियुक्ति विभाग के अतिरिक्त कोई है तो ऐसे प्राधिकारी को नियुक्ति विभाग[5] की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

टिप्पणी

साधारणतया समस्त प्रसनिक कर्मचारी इन नियमो के प्रावधानो से शासित होंगे परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़े जिसे इन नियमो के प्रावधानो से मुक्त रखना हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उक्त राज्य कर्मचारी के साथ किये गये इकरार में विशेष प्रावधान कर सकता है और तदुपरान्त ये नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर उस सीमा तक लागू नही होंगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाये गये विशेष प्रावधान इनसे असगत है। ऐसे इकरार के लिये दो चीजें आवश्यक होती हैं, अर्थात् (१) इन नियमो से असगत विशेष प्रावधान करना और (२) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राजकीय नियुक्ति विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना।

---

१ भारतीय सघ बनाम पाडुरग काशीनाथ मोरे, ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ६३०
प्रिय गुप्ता बनाम जनरल मनेजर उत्तर-पूर्वीय रेलवे ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ६४३,
सोमेश्वर प्रसाद बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५७ पटना ३२६

२ *थागरा गौरीसिंह बनाम भारतीय गणतंत्र ए आई आर १९६२ मनीपुर ५२*

३ पी बालाकोटाइश बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२,
यह भी देखिये—अजीतकुमार मुकर्जी बनाम मुख्य ओपरेटिंग अधीक्षक ईस्ट इण्डिया रेलवे ए आई आर १९५३ पटना ८८

४ फकीरचंद्र बनाम चक्रवर्ती ए. आई आर १९५४ कलकत्ता ५६६

५ अधिसूचना सख्या १६ (६) नियुक्ति/ए/५६/प्र III दिनाक २३-२ ६२ द्वारा जोड़ा गया

> एवं सरकारी नौकरी का इच्छुक नागरिक आपसी इकरार द्वारा इस प्रकार का बना सकते हैं कि नौकरी की संविदा पर संविधान लागू नहीं होगा।[1]

संविदा में यह प्रावधान कि कर्मचारी को बिना सुनवाई का अवसर दिये नौकरी से पदच्युत या अलग किया जा सकता है स्पष्टतया संविधान के अनुच्छेद ३११ का अतिक्रमण है।[2] इससे यह स्पष्ट है कि अस्थायी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार विशेष सेवा संविदा कर सकती है परन्तु ऐसी नौकरी की शर्तें संविधान से असंगत नहीं होनी चाहिए।[3] नियोजक को सेवा संविदा की शर्तों के अनुसार एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के एवज में एक महीने का वेतन देकर सेवक को सेवा से पृथक करने का अधिकार हो सकता है। उसको यह भी अधिकार हो सकता है कि दुराचरण के कारण दण्ड स्वरूप सेवक की सेवाएं समाप्त करे। संविधान का अनुच्छेद ३११ इन तमाम मामलों में लागू होता है जिनमें किसी राजकीय असैनिक कर्मचारी की सेवा दण्ड स्वरूप समाप्त की जाती है और बर्खास्तगी अथवा पृथक्करण की आज्ञा जारी की जाती है चाहे नियुक्ति करने वाला सेवक के साथ की गई संविदा की शर्तों एवं इकरार के अनुसार उसकी सेवा समाप्त कर सकता हो अथवा नहीं।[4] युद्ध में सरकार को किसी व्यक्ति को नौकर रखने हेतु किसी सेवा-संविदा में भाग लेने की स्वतन्त्रता है बशर्ते कि ऐसी संविदा से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता हो और यदि ऐसा सेवक उसके साथ किये गये संविदा के प्रावधानों के अनुसार हटा दिया गया है तो संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) आकर्षित नहीं होता।[5] जबकि प्रार्थी को भारत सरकार ने एक पांच वर्षीय संविदा पर नियुक्त किया था और संविदा की समाप्ती से पूर्व प्रार्थी एवं सरकार के मध्य दोबारा इकरार हुआ कि संविदा की समाप्ती पर उसे अस्थायी रूप से आगे रहने दिया जाएगा और वह असैनिक सेवाएं प्रतिनियम से शासित होगा। इन नियमों में यह प्रावधान था कि सेवाएं एक महीने का नोटिस देने पर समाप्त की जा सकती थी। मौलिक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ती के पश्चात एक महीने का नोटिस देकर प्रार्थी को सेवा से डिसचार्ज (पृथक) कर दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि सेवा से डिसचार्ज (पृथक) संविदा की शर्तों के अनुरूप ही था इसलिये वैध था।[5] जब कि एक व्यक्ति की नियुक्ति इस अनुबन्ध पर हुई कि वह युद्ध काल में और उसके पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो नौकरी में रखा जाएगा, यदि युद्ध बन्द हो जाने के पश्चात् किसी समय उसे सेवा मुक्त कर दिया जावे तो उसे शिकायत का कोई कारण नहीं मिलता।[6]

जबकि निश्चित काल तक के लिये की गई संविदा समाप्त हो जावे तो नवीन आधार पर उस अधिकारी को सरकार पुनः नियुक्त कर सकती है और यदि पुनः नियुक्ति भिन्न शर्तों पर की जावे तो वह अधिकारी पुनः नियुक्ति की शर्तों पर आधारित रहेगा चाहे नई शर्तें निम्न श्रेणी की

---

१ पतित पावन दास बनाम कलकत्ता बन्दरगाह का आयुक्त ए आई आर. १९५७ कलकत्ता ७२०
२ फकीरचन्द्र बनाम चक्रवर्ती ए आई आर १९५४ कलकत्ता ५६६
३ शारदा प्रसाद बनाम ए जी उत्तर प्रदेश ए आई आर. १९५५ इलाहाबाद ४९६
४ ईश्वरनारायण सिन्हा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ४३६
५ सतीशचन्द्र आनन्द बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०
६ जामिनी बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४५

हों।[1] किन्तु यदि संविदा की अवधि समाप्त होने पर कोई ताजा सबध नहीं होता और बिना अवधि निश्चय किये वह अधिकारी काय करता रहे तो ऐसी दशा में वह अस्थायी राजकीय सेवा में होना माना जावेगा और उसकी अस्थायी सेवा समाप्ति पर संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) प्रयोगित होगा।[2]

जबकि एक राज्य दूसरे म सविलीन हो जावे चाहे स्वेच्छा से, पराजय के कारण, विलीनीकरण से अथवा एकीकरण (इन्टीग्रेशन) के कारण तो सेवाओ की समस्त संविदाए जो पहले की सरकार एवं सेवको के मध्य हुई थी स्वत समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात् जो व्यक्ति नौकरी करना चाहेंगे उन्हें नये राज्य द्वारा लागू की गई शर्तें माननी होगी।[3] किन्तु इन नियमो के नियम ३७ मे यह प्रावधान है कि जब कि कोई अधिकारी एकीकरण की किसी भी योजना के अतगत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो वह राजस्थान म सम्मिलित होने वाली उसी इकाई के नियमों से शासित होता रहेगा जो उसकी पिछली अन्तिम नियुक्ति पर लागू होते थे।

संविधान के अनुच्छेद ३१० (२) के अनुसार इच्छानुसार बर्खास्तगी के नियम के प्रभाव को कम एवं सीमित करते हुए सरकार को नये भर्ती होने वालो के साथ विशेष संविदा मे प्रवेश करने का अधिकार है। यह कानून बनाता है कि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियो की सेवाए प्राप्त करने के लिये यदि राज्यपाल चाहे तो सेवा-संविदा म अवधि से पूर्व पद की समाप्ति अथवा बिना दुराचरण के सेवा निवृत हो जाने की दशा में क्षति पूर्ति (मुआवजा) का विशेष प्रावधान रख सकेंगे। ध्यान रहे कि ऐसी संविदा केवल नये प्रवेश पाने वाले के साथ ही की जा सकती है अर्थात उसके साथ जो पहले से राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नही है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नही है कि यदि किसी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति के साथ कोई संविदा है तो उसमे क्षति पूर्ति की शर्तें अनिवार्य रूप से हो या ऐसी शर्त के अभाव मे वह संविदा अनुच्छेद ३१० (२) के उल्लंघन मे अवैध समझ ली जावे।[4] अत अनुच्छेद ३१० (२) का परिधि अत्यन्त संकीर्ण है और केवल उन मामलो तक सीमित है जिनका पद किन्ही नियमित सेवाओ म नहीं है एवं किसी विशेष योग्यताधारी की सेवाए प्राप्त करने हेतु सरकार को संविदा विशेष म प्रवेश होने के लिये बाध्य होना पडे। परन्तु इस प्रकार के मामलो मे भी यदि किसी की सेवा निवृति संविदा की अवधि म दुराचरण के कारण कर दी जावे तो इस अनुच्छेद ३१० (२) के अतगत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

५ किसी विधि या इकरार द्वारा प्रदत्त अधिकारो एवं विशेषाधिकारों का संरक्षण—इन नियमो की कोई बात किसी राज्य कर्मचारी को उसके किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसका वह निम्न आधार पर हकदार है—

(क) तत्समय प्रभावित किसी विधि द्वारा या उसके अतगत, अथवा

---

[1] उपरोक्त नोट ५ पृष्ठ २२

[2] उपरोक्त नोट २ पृष्ठ २२

[3] अन्धीकम मोबीसिंह बनाम विशेष सेवाधिकारी ए आई आर १९५० मनीपुर ६० यह भी देखिये अमरसिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २२८

[4] मोहन बनाम पेपसू ए आई आर १९५४ पेपसू ११६

■ एवं सरकारी नौकरी का इच्छुक नागरिक आपसी इकरार द्वारा इस प्रकार का बना सकते हैं कि नौकरी की संविदा पर संविधान लागू नहीं होगा।[1]

संविदा में यह प्रावधान कि कर्मचारी को बिना सुनवाई का अवसर दिये नौकरी से बर्खास्त या अलग किया जा सकता है स्पष्टतया संविधान के अनुच्छेद ३११ का अतिक्रमण है।[2] इससे यह स्पष्ट है कि अस्थायी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार विशेष संविदा कर सकती है परन्तु ऐसी नौकरी की शर्तें संविधान से असंगत नहीं होनी चाहिए।[3] नियोजक को तथा संविदा की शर्तों के अनुसार एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के एवजाने में एक महीने का वेतन देकर सेवक को सेवा से पृथक करने का अधिकार हो सकता है। उसको यह भी अधिकार हो सकता है कि दुराचरण के कारण दण्ड स्वरूप सेवा का संविदा समाप्त करे। संविधान का अनुच्छेद ३११ उन तमाम मामलों में लागू होता है जिनमें किसी राजकीय कर्मचारी की सेवा दण्ड स्वरूप समाप्त की जाती है और बर्खास्तगी अथवा पदच्यावरण की आज्ञा जारी की जाती है चाहे नियुक्ति करने वाला सेवक के साथ की गई संविदा की शर्तों एवं इकरार के अनुसार उसकी सेवा समाप्त कर सकता हो अथवा नहीं।[4] संक्षेप में सरकार का किसी व्यक्ति को नौकर रखने हेतु किसी सेवा—संविदा में भाग लेने की स्वतन्त्रता है बशर्ते कि ऐसी संविदा से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता हो और यदि ऐसा सेवक उसके साथ किये गये संविदा के प्रावधानों के अनुसार हटा दिया गया है तो संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) आकर्षित नहीं होता।[5] जबकि प्रार्थी को भारत सरकार ने एक पांच वर्षीय संविदा पर नियोजन किया था और संविदा की समाप्ति से पूर्व प्रार्थी एवं सरकार के मध्य दीगर इकरार हुआ कि संविदा की समाप्ती पर उसे अस्थायी रूप से आगे रहन किया जायगा और वह असैनिक सेवाएं अधिनियम से शासित होगा। इन नियमों में यह प्रावधान था कि सेवाएं एक महीने का नोटिस देने पर समाप्त की जा सकती थी। मौलिक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ती के पश्चात एक महीने का नोटिस देकर प्रार्थी का सेवा से डिसचार्ज (पृथक) कर दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि सेवा से डिसचार्ज (पृथक) संविदा की शर्तों के अनुरूप ही था इसलिये वैध था।[6] जब कि एक व्यक्ति की नियुक्ति इस अनुबन्ध पर हुई कि वह युद्ध काल में और उसके पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो नौकरी में रखा जाएगा, यदि युद्ध बन्द हो जाने के पश्चात् किसी समय उस सेवा मुक्त कर दिया जाव तो उस शिकायत का कोई कारण नहीं मिलता।[6]

जबकि निश्चित काल तक के लिये की गई संविदा समाप्त हो जावे तो नवीन आधार पर उस अधिकारी को सरकार पुनः नियुक्त कर सकती है और यदि पुनः नियुक्ति भिन्न शर्तों पर की जावे तो वह अधिकारी पुनः नियुक्ति की शर्तों पर आधारित रहेगा चाहे नई शर्तें निम्न श्रेणी की

१ पतित पावन बोस बनाम कलकत्ता बन्दरगाह का आयुक्त ए आई आर. १९५७ कलकत्ता ७२०
२ फकीरचन्द्र बनाम चक्रवर्ती ए आइ आर १९५४ कलकत्ता ५९६
३ शारदा प्रसाद बनाम ए जी उत्तर प्रदेश ए आई आर. १९५५ इलाहाबाद ४१६
४ ईश्वरनारायण सिन्हा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ४३९
५. सतीशचन्द्र आनन्द बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०
६ जामिनी बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४५

हों।[1] किन्तु यदि संविदा की अवधि समाप्त होने पर कोई ताजा संविदा नहीं होता और बिना अवधि निश्चय किये वह अधिकारी काम करता रहे तो ऐसी दशा में वह अस्थायी राजकीय सेवा में होना माना जावेगा और उसकी अस्थायी सेवा समाप्ति पर संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) प्रयोगित होगा।[2]

जबकि एक राज्य दूसरे में सविलीन हो जावे, चाहे स्वेच्छा से, पराजय के कारण, विलीनीकरण से अथवा एकीकरण (इन्टीग्रेशन) के कारण तो सेवाओं की समस्त संविदाएं जो पहले का सरकार एवं सेवकों के मध्य हुई थी स्वतः समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात् जो व्यक्ति नौकरी करना चाहेंगे उन्हें नये राज्य द्वारा लागू की गई शर्तें माननी होंगी।[3] किन्तु इन नियमों के नियम ३७ में यह प्रावधान है कि जब कि कोई अधिकारी एकीकरण की किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो वह राजस्थान में सम्मिलित होने वाली उसी इकाई के नियमों से शासित होता रहेगा जो उसकी पिछली अन्तिम नियुक्ति पर लागू होते थे।

संविधान के अनुच्छेद ३१० (२) के अनुसार इच्छानुसार बर्खास्तगी के नियम के प्रभाव को कम एवं सीमित करते हुए सरकार को नये भर्ती होने वालों के साथ विशेष संविदा में प्रवेश करने का अधिकार है। यह कानून बताता है कि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिये यदि राज्यपाल चाहे तो सेवा-संविदा में अवधि से पूर्व पद की समाप्ति अथवा बिना दुराचरण के सेवा निवृत्त हो जाने की दशा में क्षति पूर्ति (मुआवजा) का विशेष प्रावधान रख सकेंगे। ध्यान रहे कि ऐसी संविदा केवल नये प्रवेश पाने वाले के साथ ही की जा सकती है अर्थात उसके साथ जो पहले से राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यदि किसी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति के साथ कोई संविदा है तो उसमें क्षति पूर्ति की शर्तें अनिवार्य रूप से हों या ऐसी शर्त के अभाव में वह संविदा अनुच्छेद ३१० (२) के उल्लंघन में अवैध समझ ली जावे।[4] अतः अनुच्छेद ३१० (२) की परिधि अत्यन्त संकीर्ण है और केवल उन मामलों तक सीमित है जिनका पद किन्हीं नियमित सेवाओं में नहीं है एवं किसी विशेष योग्यताधारी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु सरकार को संविदा विशेष में प्रवेश होने के लिये बाध्य होना पड़े। परन्तु इस प्रकार के मामलों में भी यदि किसी की सेवा निवृत्ति संविदा की अवधि में दुराचरण के कारण कर दी जावे तो इस अनुच्छेद ३१० (२) के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

५. किसी विधि या इकरार द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षण—इन नियमों की कोई बात किसी राज्य कर्मचारी को उसके किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसका वह निम्न आधार पर हकदार है—

(क) तत्समय प्रभावित किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत, अथवा

---

१ उपरोक्त नोट ५ पृष्ठ २२

२ उपरोक्त नोट २ पृष्ठ २२

३ अन्धोवम मार्कासिंह बनाम विशेष सेवाधिकारी ए आई आर १९५० मनीपुर ६० यह भी देखिये अमरसिंह बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २२८

४ मोहन बनाम पेपसू ए आई आर १९५४ पेपसू १३६

(ग) इन नियमों के आरम्भ होने से पूर्व ऐसे व्यक्ति एवं सरकार के मध्य विद्यमान किसी इकरार की शर्तों के अन्तर्गत।

टिप्पणी

यह नियम राज्य कर्मचारी के उन अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है जो उसको—

(१) किसी कानून के प्रावधानों से मिले हैं, अथवा

(२) किसी ऐसे इकरार की शर्तों से प्राप्त हुए हैं जो इन नियमों के आरम्भ होने तक विद्यमान थे।

(१) सरकारी कर्मचारियों के अधिकार एवं विशेषाधिकार—कोई असैनिक कर्मचारी जो कि राजस्थान का असैनिक पद्धन्य कोई पद धारण करता है—किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पदच्युत (बर्खास्त) या हटाया नहीं जा सकता जो उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है,[1] और उसको बचाव (सफाई) रखने का अवसर दिए बिना किसी असैनिक कर्मचारी को बर्खास्तगी, पदावनरण एवं पदावनति का दण्ड नहीं दिया जा सकता। यह संरक्षण एक व्यक्ति को तब उपलब्ध है जब कि उस व्यक्ति को वह पद धारण करने का अधिकार हो जिससे वह हटाया जा रहा है। किसी स्थायी पद पर मूल नियुक्ति उस पद को धारण करने का अधिकार तब तक प्रदान करता है जब तक कि वह पदधारी किसी सेवा अवधि को नहीं पा जाता या उसकी अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) नहीं हो जाता। एक निश्चित काल तक के लिए अस्थायी पद पर नियुक्ति भी इस प्रकार का अधिकार प्रदान करती है। किन्तु स्थानापन्न हैसियत—(आफिशिएटिंग केपेसिटी) में या परीक्षण काल में की गई नियुक्ति उस पद को धारण करने का अधिकार प्रदान नहीं करती। अस्थायी पद पर मूल नियुक्ति तब तक इस दशा में सुधार नहीं करती जब तक कि नियमों के अन्तर्गत यह सेवा परिपक्व होकर स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी सेवा नहीं बन जाती।[2] यदि किसी अस्थायी अथवा परीक्षण पर नियुक्त सेवक को संविदा की शर्तों एवं सेवा-नियमों के अनुसार नोटिस देकर या नोटिस की एवज में वेतन देकर सेवा मुक्त (डिसचार्ज) कर दिया जावे तो उसको संरक्षण नहीं मिलता। केवल उसी दशा में जब कि किसी अस्थायी सेवक की सेवा निवृत्ति दण्ड स्वरूप की जावे तो अनुच्छेद ३११ (२) की परिधि के अन्तर्गत ऐसी सेवा निवृत्ति (डिसचार्ज) बर्खास्तगी रूप में मानी जावेगी और इससे प्रभावित व्यक्ति संरक्षण का अधिकारी है।[3] यह संरक्षण उन मामलों में उपलब्ध नहीं है जो कि सेवा से निलम्बन के या मूल पद पर स्थानापन्न पद से अथवा अस्थायी पद

१ अनुच्छेद ३११ (१) बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद, ए. आई. आर. १९५०, पटना १७

२ पुरुषोत्तमलाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

३ मोतीराम बनाम उत्तर पूर्वीय सीमान्त रेलवे ए. आई. आर. १९६४, सर्वोच्च न्यायालय ६०० सुखबन्त सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११ मदन गोपाल बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ५३१ उड़ीसा राज्य बनाम रामनारायण दास ए. आई. आर. १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १७७ बिहार राज्य बनाम गोपी किशोर प्रसाद ए. आई. आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय ६८९।

से अथवा अवकाश पर गए कर्मचारी के लौटने से सद्भावपूर्ण प्रत्यावर्तन (रिवर्शन) के एवं परीक्षण अवधि से पूर्व परीक्षणार्थी (प्रोबेशनर) को हटा देने के संबंध में हो।

संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा निर्मित अधिकार में विधान मंडल द्वारा गठित कानून अथवा राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत कमी नहीं की जा सकती।[1] सरकारी कर्मचारी न्यायालय में इस घोषणा की मांग कर सकता है कि बर्खास्तगी अथवा नौकरी से हटाये जाने का आदेश शून्य एवं अप्रभावशील है और वह वाद प्रस्तुत करने की तारीख के दिन राज्य-सेवा का सदस्य कायम है।[2] वह बकाया वेतन पाने का भी हकदार है। आंग्ल देश का यह विधान कि कोई असैनिक कर्मचारी बकाया वेतन का वाद सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकता, भारत में लागू नहीं होता। उक्त विधान भारत के वैधानिक कानून (स्टेट्यूटरी ला) के प्रावधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है।[3]

(२) क्या संरक्षण का परित्याग किया जा सकता है—एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या सरकार और राज्य कर्मचारी ऐसा इकरार कर सकते हैं जिसका प्रभाव संविधान द्वारा प्रत्याभूत (गारन्टीड) अधिकारों में संशोधन करने का हो। एक वाद में[4] मुख्य न्यायाधीश छागला ने बताया है कि अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रदत्त संरक्षण ऐसा अनिवार्य कानूनी देय है जो कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर आधारित नहीं है। एक अन्य वाद[5] में न्यायाधीश मेनन ने बताया है कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध जो राजकीय सेवा संबंधी संविदा द्वारा लगाये गये हों अधिकारबाह्य (अल्ट्रा वाईरिस) नहीं हैं क्योंकि कर्मचारी द्वारा नौकरी स्वीकार करने के साथ यह मान लिया जायगा कि उक्त कर्मचारी ने अपने उन अधिकारों का परित्याग करना चुन लिया है जो उससे असंगत हों।

---

१ टा मुनीस्वामी बनाम मैसूर सरकार ए आई आर १९६४, मैसूर २५०
२ भारतवर्ष का उच्च आयुक्त (हाईकमीश्नर फॉर इंडिया) बनाम आई एम लाल, ए आई आर १९४७ प्रीवी कौंसिल २३
३ बिहार सरकार बनाम अब्दुल मजीद ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय २४५
४ सरकार बनाम गजानन महादेव, ए आई आर १९५४ बम्बई ३५।
५ सी एन छत्रप्पन पिनाई बनाम ट्रेवनकोर कोचीन राज्य, ए आई आर १९५७ करल ४३

भाग २

वर्गीकरण

६ असैनिक सेवाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा—

(१) राज्य सेवाएं

(२) अधीनस्थ सेवाएं (सबोर्डिनेट सर्विसेज),

(३) लेखक वर्गीय सेवाएं (मिनिस्ट्रियल सर्विसेज),

(४) चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं।

यदि एक सेवा के पद[1] में एक से अधिक ग्रेड हों तो विभिन्न ग्रेडों के पद विभिन्न श्रेणियों (क्लासेज) में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

टिप्पणी

यह नियम असैनिक सेवाओं का चार श्रेणियों में वर्गीकरण करता है, उदाहरणार्थ (१) राज्य सेवाएं (२) अधीनस्थ सेवाएं (३) लेखक वर्गीय सेवाएं एवं (४) चतुर्थ श्रेणी सेवाएं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पदों का विवरण इन नियमों से संलग्न चार अनुसूचियों में उपलब्ध है। यह वर्गीकरण अनुशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी द्वितीय वर्ग से उच्चतर है, द्वितीय तृतीय से उच्चतर है और तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी से उच्चतर है। नियुक्ति प्राधिकारी के लिये भी यह वर्गीकरण महत्व का है। जबकि एक ड्राइवर को चतुर्थ श्रेणी में समझ लिये जाने के कारण ६० वर्ष की आयु तक नौकरी में रहने दिया गया जब कि वह अधीनस्थ सेवा का सदस्य था तो ऐसी त्रुटियों पर नियंत्रण लगाने के लिये राज्य के नियुक्ति विभाग को परिपत्र (सरक्यूलर) जारी करना पड़ा।[2]

असैनिक कर्मचारियों के पहले से विद्यमान अधिकारों की मान्यता के आधार पर निर्मित वर्गीकरण अनुचित अथवा स्वच्छन्द (आरबिट्ररी) नहीं कहा जा सकता।[3] तथा उचित वर्गीकरण संविधान द्वारा प्रत्याभूत (गारंटी किया हुआ) समान संरक्षण के अधिकार का अतिक्रमण नहीं है।[4]

उप नियम (२) विभिन्न श्रेणियों में पदों के ग्रेडों के विभाजन बाबत है। एक सेवा में अनेक ग्रेड हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रेड को सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि सचिवालय सेवा में (क) उत्कृष्ट ग्रेड, (ख) प्रथम ग्रेड (ग) द्वितीय ग्रेड (घ) तृतीय ग्रेड और (ङ) चतुर्थ ग्रेड है तो उत्कृष्ट ग्रेड एवं प्रथम ग्रेड को राज्य सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, द्वितीय ग्रेड अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है,

---

१ अधिसूचना संख्या एफ १६ (६) नियुक्ति (ए) ५८ ग्रुप ३ दिनांक २३ २ ६३ द्वारा जोड़ा गया

२ सरक्यूलर संख्या एफ ८ (३१) नियुक्ति (ए) । ५५ दि० २६ मई १९५६

३ एच एन नंजुंडा स्वामी बनाम मैसूर सरकार, ए आई आर १९६३ मैसूर, २०३

४ एम बी सेशगिरराव बनाम हैदराबाद सरकार, ए आई आर १९५६ आन्ध्र प्रदेश २५१

तृतीय ग्रेड को लेखक वर्गीय सेवाओं मे और चतुर्थ ग्रेड को चतुर्थ श्रेणी सेवाओं म सम्मिलित किया जा सकता है। इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी वह व्यक्ति होंगे जिनका उल्लेख इन नियमो के नियम १२ मे किया गया है।

ये नियम विभिन्न सेवाओं का कुछ श्रेणियों मे वर्गीकरण करते हैं परन्तु असनिक पदो का वर्गीकरण नहीं किया है। नियम २ म शब्द "राजकीय कर्मचारी की परिभाषा दी गई है जिसका अभिप्राय है किसी सेवा का सदस्य, अथवा किसी असनिक पद को धारण करने वाला। कोई व्यक्ति जो असनिक पद धारण करता है राजकीय कर्मचारी है चाहे उसे सेवाओं म से किसी म भी सम्मिलित नही किया गया है। केन्द्रीय असनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९६५ के नियम ६ म असैनिक पदो का वर्गीकरण किया गया है और नियम ■ म यह प्रावधान किया गया है किसी भी श्रेणी के असनिक पद जो किसी अन्य सेवाओं म सम्मिलित नही है उन्हे जनरल केन्द्रीय सेवाओं की समवर्ती श्रेणी म समझा जावेगा तथा यदि किसी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति किसी एसे पद पर हो तो उसे उस सेवा का सदस्य समझा जावेगा यदि वह उसी श्रेणी के किसी अन्य असनिक सेवा का सदस्य नही है।

७ राज्य सेवा मे ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची १ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूची १ मे सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना मे (केडर पर) स्थित नही है।

(ग) वे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमानुसार अंतिम चुनाव (सलेक्शन) विचाराधीन होने की दशा मे तदर्थ आधार पर ऐसे पदो पर नियुक्त किये गये हो जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदो की मूल रचना (केडर) पर स्थित हैं।

८ अधीनस्थ सेवाओं मे ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची २ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूचि २ में सम्मिलित पद धारण करत हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नही हैं।

(ग) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अन्तिम चुनाव (सलेक्शन) विचाराधीन होने की दशा में तदर्थ आधार पर ऐसे पदो पर नियुक्त किये गये गये हो जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदो की मूल-रचना में (केडर पर) स्थित हैं।

९ लेखक वर्गीय सेवाओं में ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची ३ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूचि ३ में सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नही हैं।

(ग) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अ तिम चुनाव विचाराधीन होने की दशा में तदथ आधार पर ऐसे पदा पर नियुक्त किये गये हो जो कि खण्ड (क) म उल्लिखित सेवाओ के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।

१० चतुर्थ श्रेणी सेवा मे ये सम्मिलित होंगे—

(क) अनुसूची ४ में सम्मिलित सेवा के सदस्य।

(ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनुसूचि ४ में सम्मिलित पद धारण करते हैं और जो किसी अन्य सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं।

(ग) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अन्तिम चुनाव विचाराधीन होने की दशा में तदथ आधार पर ऐसे पदा पर नियुक्त किए गये हो जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित पदा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं है।

११ (क) समय समय पर सरकार अनुसूचिया के इन्द्राजा में वृद्धि अथवा परिवर्तन कर सकती है।

(ख) जब कि कोई विद्यमान पद किसी भी अनुसूचि में सम्मिलित नहीं है तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग मे निर्णय हेतु भेजा जाकर निश्चय किया जावेगा।

भाग ३

नियुक्ति प्राधिकारीगण

१२ (१) राज्य सेवा म समस्त[1] नियुक्तिया सरकार द्वारा अथवा इस प्रयाजन के लिये विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जायगी।

(२) अधीनस्थ सेवा में समस्त[1] नियुक्तिया विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा सरकार के अनुमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जायगी।

(३) लेखक वर्गीय सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा मे समस्त[1] नियुक्तिया कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष के बनाए हुए सबधित नियमा एव आदेशा के अधीन की जायगी।

टिप्पणी

यह नियम यह सिद्धान्त निर्धारित करता है कि राजकीय सेवा की सब नियुक्तिया राज्य सरकार करेगी और अधीनस्थ सेवा की समस्त नियुक्तिया विभागाध्यक्ष करेंगे। उप नियम (१) के अंतर्गत राज्य सरकार किसी प्राधिकारी को राज्य सेवा म नियुक्तिया करने का अधिकार दे सकती है। इसी प्रकार उप नियम (२) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष किसी प्राधिकारी को अधीनस्थ सेवा म नियुक्तिया करने का अधिकार दे सकते हैं और ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति अधिकारी कहलाएगा। अधीनस्थ सेवा के विषय मे शर्त केवल यह है कि किसी अधिकारी को ऐसे अधिकार प्रयोग करने का अधिकार देने से पहले विभागाध्यक्ष को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये। यह नही हो सकता कि विभागाध्यक्ष पहले अधिकार दे दे और सरकार की स्वीकृति अथवा अनुमोदन तत्पश्चात प्राप्त करे।

उपनियम (३) प्रावधान करता है कि लेखक वर्गीय सेवाओ एव चतुर्थ श्रेणी सेवाओ म नियुक्तिया कार्यालय अध्यक्ष करेगा। परन्तु कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्तिया विभाग के अध्यक्ष द्वारा निर्मित नियमा तथा समय समय पर जारी किये गये आदेशा के अधीन होगी। यदि विभागाध्यक्ष ने यह आज्ञा जारी की है कि आगामी आदेशा तक कोई नियुक्तिया नही की जाव तो ऐसा भावी तारीख तक कार्यालय अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी नही रहेगा।

इस नियम में निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी के अख्तियारा म यह अधिकार भी सम्मिलित है कि एक ही व्यक्ति की वह प्रथम नियुक्ति एव पश्चात्वर्ती यानी बाद की नियुक्ति करदे। परन्तु जब कि एक राज्य कर्मचारी को किसी पद विशेष पर बिना पिछले पद पर पदाधिकार रखे जिस पद पर वह आरम्भ म नियुक्त हुआ था अन्तिम रूप से किसी पद के लिये नियुक्त किया जाता है तो उसके मामले में नियुक्ति प्राधिकारी वह होगा जिसको नए पद पर नियुक्त करने का अधिकार हो।[2]

---

१ शब्द 'प्रथम' अधिसूचना सख्या एफ १६(८) नियुक्ति ए/५६ ग्रुप ३ दिनाक २३-२-६२ द्वारा हटाया गया।

२ शफीक एहमद बनाम डाकखाने का वरिष्ठ अधीक्षक ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४७५। नियम २ के अन्तर्गत नियुक्ति अधिकारी के शीर्षक के नीचे विवरण युक्त वाद विवाद देखिये।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार है तो उसे किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित एवं बर्खास्त करने से पहले व्यवहार नियमों में निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण करना चाहिये। जबकि एक पुलिस सब इन्सपेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हुई थी और उसकी अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति का आदेश भी राज्य सरकार ने जारी की तो यह तय पाया हुआ कि उक्त आदेश मुख्यमंत्री से आगे राज्यपाल तक पहुंचा ही नहीं। व्यवहार नियमों के नियम ३१ (vii) में प्रावधान है कि किसी एक अधिकारी के संबंध में जिसका नियुक्ति अधिकारी राज्य सरकार है, आदेश जारी करने से पूर्व बर्खास्त करने, हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के प्रस्ताव राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त आदेश केवल मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गये और राज्यपाल के समक्ष पेश नहीं किये गये तो यह निर्णय हुआ कि उक्त आदेश कानून के अनुरूप नहीं था।[1]

संविधान का अनुच्छेद ३११ बर्खास्तगी अधिकारी के विषय में कुछ नहीं कहता परन्तु यह केवल यह कहता है कि किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने वाला या हटाने वाला अधिकारी उसको नियुक्त करने वाले अधिकारी का अधीनस्थ अधिकारी नहीं होना चाहिये इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस अनुच्छेद द्वारा नियुक्ति अधिकारी को बर्खास्तगी के अधिकार प्राप्त हुए हैं।[2]

कर्मचारी का पुष्टीकरण (कनफर्मिंग) प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है — कोई प्राधिकारी परीक्षण के आधार पर सेवा की किसी विशेष श्रेणी में नियुक्ति कर सकता है परन्तु परीक्षणार्थी की परीक्षण अवधि की समाप्ति पर मौलिक पद पर पुष्टीकरण यानि पक्का करने वाला अधिकारी ही उसका नियुक्ति अधिकारी माना जायगा।[3]

विवरण युक्त टिप्पणी नियुक्ति प्राधिकारी' की परिभाषा के अन्तर्गत देखिये।

---

१ आनन्द जैन बनाम पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान आई एल आर. (१९६१) ११ राजस्थान ५२६

२ मदनलाल बनाम एच बी टी इन्स्टीट्यूट ए. आई आर. १९६२, इलाहाबाद १६६
ईश्वर नारायण सिन्हा बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४२६, सातुराम बनाम कमिश्नर वार, ए. आई आर. १९५३ मध्य प्रदेश ५०, नन्दशंकर बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५७, राजस्थान १४८।

भाग ४

निलम्बन

१३ निलम्बन —(१) नियुक्ति प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी है अथवा इस विषय में सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित कर सकता है—

(क) जबकि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही सोची जा रही हो अथवा चालू हो, या

(ख) जबकि उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध के विषय में तफतीश या मुकद्दमा जारी हो

परन्तु जबकि निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी ने दी हो, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियो की रिपोर्ट तुरन्त देगा जिनमें वह आज्ञा दी गई थी।

राजस्थान सरकार का निर्णय*—राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम, १९५८ के नियम १३ के उपनियम (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन नियमो के नियम १४ में बताई गई छोटी शास्तियो में से कोई एक को लगा सकने वाले सक्षम अधिकारी को सरकारी कर्मचारी को निलम्बित करने का अधिकार प्रदान करती है।

(२) यदि कोई राज्य कर्मचारी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्य कारण से ४८ घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में अवरुद्ध रखा गया हो तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निलम्बित किया जाना समझा जायगा और अगली आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

(३) जबकि निलम्बित राज्य कर्मचारी को दिया गया पदच्युति (बर्खास्तगी), हटाये जाने या अनिवायत सेवा निवृति का दण्ड इन नियमो के अन्तर्गत की गई अपील या पुनर्वलोकन (निगरानी) में खारिज कर दिया गया हो और मामला और अधिक (दीगर) जाच या कार्यवाही के लिये या अन्य किसी निर्देश के साथ वापिस लौटा दिया जाता है तो उसके पदच्युत, हटाने या अनिवायत सेवा निवृति की मूल आज्ञा की तारीख से उस कर्मचारी का निलम्बन आगामी आज्ञा तक जारी रहना समझा जावेगा।

(४) जबकि किसी राज्य कर्मचारी को दिया गया, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवायत सेवा निवृति का दण्ड किसी विधि न्यायालय के फसले द्वारा या उसके फल

---

*अधिसूचना स० एफ ३ (६) नियुक्ति (ख) ६२, दिनाक १०-६-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

स्वतः खारिज अथवा शून्य घोषित कर दिया गया हो और अनुशासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके उन आरोपों के विषय में जिनके आधार पर उसे पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति का दण्ड दिया गया था और अधिक जांच करने का निश्चय करे तो उस राज्य कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने अथवा अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति करने की मूल आज्ञा की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जाना समझा जायगा और वह आगामी आज्ञा तक निलम्बित रहेगा।

(५) इस नियम के अन्तर्गत दी गई या समझी गई निलम्बन की आज्ञा किसी भी समय वह प्राधिकारी निरस्त कर सकता है जिसने ऐसी आज्ञा दी है या जिसके द्वारा ऐसी आज्ञा दी हुई समझी गई थी अथवा उस प्राधिकारी द्वारा भी निरस्त की जा सकती है जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

टिप्पणी

प्रारम्भ में तो यह बात उठाई कि स्वामी और सेवक के सामान्य कानून के अन्तर्गत नियोक्ता को कोई अन्तर्निहित अधिकार सेवक को निलम्बन के रूप में दण्ड देने का नहीं है[1] और ऐसे मामलों में यदि सेवक कार्य करने को तैयार है तो वह कार्य नहीं करने देने के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। किन्तु यदि कोई अधिकार निलम्बन का है तो निलम्बन का प्रभाव सेवा की संविदा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का होगा जिसका फल यह होगा कि सेवक कार्य करने के लिए आग्रह नहीं कर सकता या निलम्बन की अवधि के लिए पूरे वेतन का दावा नहीं कर सकता।[2] निलम्बन सेवा-समाप्ति से कुछ कम है अतः मालिक और सेवक का सम्बन्ध दुर्बल होते हुए भी जारी रहेगा। अपने मालिक की सामान्य सेवा नहीं करते हुए भी सेवक किसी अन्य स्थान पर नौकरी करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार मालिक भी निर्वाह भत्ता देने के लिए बाध्य है।[3]

(१) निलम्बन का अभिप्राय —मूल शब्द निलम्ब और उससे सम्बन्धित शब्दों का आधारभूत सूत्र से तात्पर्य यह है कि राज्य की सेवा में कोई पद धारण करते हुए जो राज्य कार्य सम्पादन कर रहा है या कोई विशेषाधिकार का पद धारण किये हुए है[4] उसको ऐसा करने से रोका जाना चाहिये और वह वर्तमान समय के लिए उस पद पर आगे कार्य करने के लिए अथवा

१ हनर्स बनाम पाल एण्ड पार्सन्स लि० (१९१५)१ के बी ६९८ एवं भवानी के महेश्वरी वर्क्स लि० बनाम वेंकटस्वामी नायडू (१९५५)१ एम एल जे २८९

२ बोल्टन बनाम फार्मर (१९७२) २ के बी ६६ मैक्टगार्ट फारस्टर बनाम सुरेन्द्रनाथ (१९८८) कलकत्ता ७४९ पद्मकान्त मालीवार बनाम अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पो० ए आई आर १९४ बम्बई ९ कावरन्गि मन्डल बन बनाम तिम्बक नारायण ए आई आर १९५५ नागपुर, १८९ रघुनन्दन बनाम शुक्ल ब्रादर्स मैन्युफैक्चरिंग कं० ए आई आर १९४४, नागपुर २४४ रामराम बनाम डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट एन डब्ल्यू रेलवे ए आई आर १९५८ पंजाब १८८ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अमरावती बनाम विट्ठल विनायक बापट, ए आई आर १९४१ नागपुर १२६

डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाम मक्खनलाल ए आई आर १९५९ पंजाब १५०

विशेषाधिकार का पद धारण करने से वंचित किया जाता है।[१] उसको कार्य सम्पादन से या अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है और वह एक प्रकार से अपने कार्य एवं विशेषाधिकारों से कुछ समय के लिये पृथक कर दिया जाता है।[२] जांच विचाराधीन रहते निलम्बन की आज्ञा अस्थाई काल के लिये सेवा के किसी सदस्य को केवल कर्तव्यों के पालन से वंचित रखने के समान है और वह इस शब्द के किसी अर्थ में बर्खास्तगी या डिसचार्ज नहीं होता जिससे कि संविधान के प्रावधान आकर्षित हो सकें।[३] यहां यह बतादें कि निलम्बन दो प्रकार के होते हैं उदाहरणार्थ (१) दंड-स्वरूप एवं (२) आरोपों की जांच के दरमियान। प्रथम प्रकार में कर्मचारी को कारण बताने के लिये उचित नोटिस दिये बिना मूल दंड स्वरूप निलम्बन की सजा देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।[४] दूसरे प्रकार में अर्थात् किसी विभागीय जांच या फौजदारी अभियोग के विचाराधीन रहते कर्मचारी को प्रत्यक्षतः नौकरी के कार्य से सक्रिय सम्बन्ध रखने से मना किया जाता है क्योंकि अपने पद के कार्यों से सीधा सक्रिय सम्बन्ध रहने से समस्त सम्बन्धित पक्षों को कठिनाई रहेगी। ऐसे मामलों में उसके निर्वाह करने के लिये कोई अन्तरिम व्यवस्था की जाती है और यदि कार्यवाही का निर्णय उसके हक में होता है तो यह उपलक्षित है कि उसे उसका पूरा वेतन मिल जायेगा।[५]

(२) **उप-नियम (१)—निलम्बन की आज्ञा कौन जारी कर सकता है**—यह उप नियम प्रावधान करता है कि किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बन आदेश देने के लिये निम्नलिखित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी माने जावेंगे —

(i) नियुक्ति प्राधिकारी,[६] अथवा

(ii) वह प्राधिकारी जिसका नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ है, अथवा

(iii) इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी। राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने के अधिकार, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा उस प्राधिकारी को दिये हैं जो इन नियमों के अधीन नियम १४ में निर्दिष्ट कोई सी भी लघु शास्ति प्रदान करने में सक्षम है।[७]

---

१ मोहम्मद आजम बनाम हैदराबाद सरकार, ए आई आर १९५८ आंध्र प्रदेश ६१९

२ हेमन्तकुमार भट्टाचार्य बनाम एस बी मुखर्जी ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३४० यह भी देखिये दंडपानी गौडा बनाम उडीसा सरकार ए आई आर १९७३ उडीसा ३२९ एवं प्रतापसिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२

३ डी एन गंगा बनाम जम्मू कश्मीर सरकार, ए आई आर १९५४ जम्मू कश्मीर १४, आसाम सरकार बनाम हरनाथ बरुहा, ए आई आर १९५७ आसाम ७७

४ गोपाल कृष्ण बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर १७०, काली प्रसन्न बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार (१९५२) ५६ सी डब्ल्यू एन ४९२

५ मुरारी चक्रवर्ती बनाम जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ए आई आर १९६१ कलकत्ता २२५

६ विशेष विवरण के लिये नियम (२) (क) के अन्तर्गत पढ़िये

७ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक ११ ६ ६२

उपनियम (१) का परन्तुक यह प्रावधान करता है कि यदि निलम्बन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर के प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो वह प्राधिकारी तुरन्त निलम्बन करने की परिस्थितियों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। एक विवाद में जब कि जिला पंचायत ने नौकर का गबन तथा मिथ्या कथा और स्वास्थ्य का प्रथमावस्थान (प्राइमाफेसी) मामला बनने के कारण सरकारी अनुमोदन की आशा में तुरन्त जिला पंचायत ने उपजिला पंचायत के विरुद्ध जांच के दौरान निलम्बन की आज्ञा जारी कर दी तो यह निर्णय हुआ कि उक्त आज्ञा नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं था।[१]

(३) निलम्बन के कारण — राज्य कर्मचारी निम्नलिखित कारणों से सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा सकता है —

(i) जब कि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही सोची जा रही हो या
(ii) जब कि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चालू हो या
(iii) जब कि किसी फौजदारी अभियोग की जांच जारी हो या
(iv) जब कि कोई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन हो।

किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के समय उसका निलम्बन एक ऐसा विषय है जो अनुशासन प्राधिकारी के स्व विवेक का है[२] और उस संविधान के अनुच्छेद ३११ का उल्लंघन होना नहीं कहा जा सकता।[३]

अगर कोई राज्य कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है तथा हिरासत में बन्द हो गया है[४] अथवा उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चालू है[५] अथवा भारत की सुरक्षा के कारण या नजरबन्दी निरोधक अधिनियम[६] के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है[६] तो निलम्बन की आज्ञा जारी की जा सकती है एवं ऐसी आज्ञा वैध होगी। किसी राज्य सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) का निलम्बन जारी रहने के लिये कोई फौजदारी दोषारोपण (चार्ज) कहीं न कहीं विचाराधीन (पेंडिंग) होना चाहिये। यदि कोई चार्ज न तो साधारण और न किसी विशेष न्यायालय में ही विचाराधीन है तो वह विचाराधीन होना नहीं कहा जा सकता और चार्ज का कहीं न कहीं विचाराधीन होना समाप्त होने हो उस तारीख के पश्चात् निलम्बन आज्ञा जारी नहीं रह सकती।[८]

---

१ दण्डापानी गोडा बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९५२ उड़ीसा ३२९
२ निरीमलसिंह बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९६४ मनीपुर १८
३ जोतीप्रसाद रामकृपाल बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर. १९६५ पंजाब १०२ गुरुदेव नारायण श्रीवास्तव बनाम बिहार सरकार ए आई आर. १९५७ पटना १३१ डा० नो थिम्मा रेड्डी बनाम आन्ध्र सरकार ए आई आर १९७८ आन्ध्र प्रदेश ५५
४ सरोजकुमार दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर १९४८ कलकत्ता २६४
५ आर पी कपूर बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६३ पंजाब ८७
६ राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ डी २६४७ । ५६ एफ ७ ए (१) एफ डी ए रूल्स । ५८ १ दिनांक १८ ८ ५९
७ मोहम्मद घोष बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २४६
८ एच के भट्टाचार्यजी बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५९ कलकत्ता २२९

(४) **निलम्बन पदच्युति नहीं है** — विभागीय जाच के दौरान निलम्बन अस्थायी चीज है और वह सजा में सम्मिलित नही है। उसका अभिप्राय अधिकारी को काम करने से अथवा अपना कर्तव्य करने के हक को अस्थायी तौर पर वंचित रखने में है और यह उसकी पद पदवि अथवा रुतबे की अवनति करना नही माना जाता। अत इस प्रकार की निलम्बन आज्ञा जारी करने से पूर्व अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत उसका कारण बताने का अवसर देना आवश्यक नही है। इसके विपरीत नया नागपुर उच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश बनाम शमसु हुसन** मे कायम की है[१] जिसमे जस्टिस बोस ने कहा है कि जबकि एक व्यक्ति निलम्बित किया जाता है तो हमारी राय मे यह उसका पदच्युत करना है। यह साबित है कि निलम्बन बरखास्तगी के समतुल्य नही है क्योकि यदि ऐसा होता तो मौजूदा तक असफल हो जाता। परन्तु यदि वह व्यक्ति सेवा में कायम रहता तो वह कौन सा पद धारण करता ? स्पष्टतया वह पद नही जो कि वह निलम्बन की तारीख को धारण किये हुआ था। निलम्बन की दशा म उस कोई भी नौकरी करने का हक नही है। तब यह साबित है कि वह अपने मौलिक पद का धारण नही कर रहा है क्योकि पद के दो मूलभूत अंग, सिवाय उस दशा म कि वह अवैतनिक हो अपनी नौकरी अदा करने का हक और नौकरी का वेतन पाने का हक होते है। तब यदि वह व्यक्ति सेवा म तो जारी है परन्तु जो पद वह धारण करता था वह अब नही करता तब वह पदच्युत अवश्य हुआ और हमारी राय मे निलम्बित अधिकारी जिस शब्द से वह अधिकार पूर्वक पुकारा जाता है उसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसकी पद पदवि अवनत करदी गई है। दूसरी ओर कलकत्ता[२] उडीसा,[३] मद्रास[४] मध्यभारत[५] पटना,[६] पंजाब[७] आसाम[८] आन्ध्र प्रदेश[९] एव केरल[१०] उच्च न्यायालयो ने यह सम्मति प्रकट की है कि निलम्बन की आज्ञा अनुच्छेद ३११ की परिभाषा म पदच्युति नही है। इन समस्त न्यायालयो ने अब नागपुर की राय से असहमति प्रकट की है। सर्वोच्च न्यायालय[११] ने अब यह निर्णय दिया है कि एक अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने स्वय ने जाच करके और उस अधिकारी के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही विचाराधीन रहते निलम्बन की आज्ञा दी उसस अनुच्छेद ३११ आकर्षित नही होता।

---

१ ए आई आर १९४९ नागपुर ११८

२ काली प्रसन्न बनाम पश्चिम बगाल सरकार ए आई आर १९५२ कलकत्ता ७६६ पुलिन विहारी बनाम प्रादेशिक अधीक्षक, ए आई आर १९५३ कलकत्ता ४५, शिवनन्दन बनाम पश्चिम बगाल सरकार, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ६० हेमन्ती कुमार भट्टाचारजी बनाम एस एन मुकर्जी, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३४०

३ दडपानी गौडा बनाम सरकार, ए आई आर १९५३ उडीसा ३२९

४ वेंकटेश्वरलू बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९५४ मद्रास ५८७

५ प्रेम बिहारी बनाम सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ४६

६ गुरुदेव नारायण बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५५ पटना १३१

७ जाताप्रसाद बनाम पुलिस अधिक्षक ए आई आर १९५५ पजाब १०२

८ आसाम सरकार बनाम हरनाथ बरुआ ए आई आर १९५७ आसाम ७७

९ सिम्भा रेड्डा बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ आन्ध्र प्रदेश ३५

१० एम इब्राहिम पिलाई बनाम प्रिन्सीपल यु आई कालेज, ए आई आर १९५८ केरल ७२

११ मोहम्मद घौस बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २४६

(५) क्या निलम्बन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक है?—निलम्बन पद एवं क्रियाधिकार में अस्थायी वंचन है। निलम्बन की आज्ञा दण्ड की अन्तिम आज्ञा नहीं है।[1] अतः यह तर्क कि एक कर्मचारी को निलम्बन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक है माननीय नहीं है।[2] अतः निलम्बन की आज्ञा से पहले नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

(६) उप नियम (२) से (४)—स्वतः निलम्बन—नियम १३ के उप नियम (२) (३) और (४) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी स्वतः निलम्बित किया जाना माना जाता है—

(i) जब कि वह किसी फौजदारी दोषारोपण के फलस्वरूप अथवा अन्य कारण से ४८ घण्टों से अधिक समय के लिए हिरासत में अवरुद्ध रखा गया है; अथवा

(ii) जब कि बर्खास्तगी, नौकरी से हटाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आज्ञा अपील या पुनर्विचारण (निगरानी) में निरस्त (रद्द) कर दी गई है और मामले को दीगर जांच या कार्यवाही के लिए या किसी अन्य निर्देश के साथ वापिस लौटाया जाता है, अथवा

(iii) जब कि बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है और अनुशासन अधिकारी उन आरोपों के विषय में दीगर जांच करना निश्चय करता है जिनके आधार पर दण्ड शुरू में लागू किया था।

उपरोक्त समस्त अवस्थाओं में राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया जाना समझा जाएगा और कोई पृथक नियम निलम्बन आज्ञा आवश्यक नहीं है। जबकि कोई व्यक्ति ४८ घण्टे से अधिक हिरासत में हो तो अवरुद्ध होने की तारीख से वह निलम्बित हुआ समझा जावेगा और जब कि अपील अथवा निगरानी में दण्ड निरस्त किया जाकर मामला दीगर जांच इत्यादि के लिये वापिस भेजा जाता है तो वह दण्ड की प्राथमिक आज्ञा की तारीख से निलम्बित किया जाना समझा जावेगा और तीसरी दशा में जब कि शास्ति की आज्ञा न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है और अनुशासन अधिकारी दीगर जांच करना तय करे तो वह दण्ड की प्राथमिक आज्ञा की तारीख से निलम्बित किया जाना समझा जावेगा। जबकि तीन कर्मचारियों पर जिनमें प्रार्थीगण भी सम्मिलित थे दोषारोपण किये गये थे और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे तो उनका निलम्बन कर दिया गया। यह निर्णय हुआ कि राज्य कर्मचारी हिरासत अथवा जेल की सजा पाने की अवधि में स्वतः निलम्बित किया जाना समझा जावेगा। जबकि हिरासत अथवा जेल में अवरुद्ध रहने की अवधि के लिये निलम्बन की विशेष आज्ञा की आवश्यकता नहीं थी किन्तु जिस अवधि में वह वास्तविक रूप से हिरासत अथवा जेल में नहीं था उन दिनों के लिये निलम्बन की विशेष आज्ञा आवश्यक था।[3]

(७) निलम्बन का अतीतकालीन प्रभाव (रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट) कब वैध होता है—जब किसी राज्य कर्मचारी को दी गई बर्खास्तगी, हटाने अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति

---

१ लखाराम साम्बासिंह बनाम लखाराम गोपालसिंह, ए आई आर १९६२ मनीपुर २८
२ मुरुगादास बनाम मद्रास राज्य ए आई आर १९६४ मद्रास ५१८
३ सूर्यकुमार चटर्जी बनाम एस एन बनर्जी ए आई आर. १९५५ कलकत्ता ३६५

की शास्ति विभागीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई है तो वह दीगर जाच की आज्ञा जारी करे या नहीं भी करे ठीक वैसे ही जैसे कि इसी प्रकार की शास्ति न्यायालय के निर्णय द्वारा निरस्त कर दी जाने की अवस्था में अनुशासन अधिकारी दीगर जाच करने का निर्देशन देवें अथवा नहीं भी देवें। जब कि बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्यत सेवा निवृत्ति की शास्ति रद्द करने के पश्चात् दीगर जाच के लिये नियम ३० (२) (ii) के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी मामला वापस दर्ज करने वाले प्राधिकारी को भेजने की आज्ञा प्रदान करता है तो ऐसी दशा में नियम १३ (३) कार्यान्वित हो जायेगा और इसलिये निलम्बन की आज्ञा जो कि अनुशासनीय कार्यवाही सोची जाने या चालू होने की दशा में अनुमानत सब मामलों में दी जाती है वही आज्ञा बर्खास्तगी की प्रथम आज्ञा की तारीख से जारी रहती समझ ली जाएगी और आगामी आज्ञा होने तक प्रभावशाली रहेगी। अत नियम १३ (४) जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्तगी हटाने या अनिवार्यत सेवा निवृत्ति की शास्ति विधिवत न्यायालय द्वारा निरस्त की जाकर और दीगर जाच करना तय होता है और नियम १३ (३) के प्रभाव में जिसमें किसी अन्य राज्य कर्मचारी पर इस प्रकार की शास्ति विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी की जाकर दीगर जाच करना तय होता है दोनों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। दोनों प्रकरणों में राज्य कर्मचारी को बर्खास्तगी हटाये जाने अथवा अनिवार्यत सेवा निवृत्ति की मूल आज्ञा की तारीख से निलम्बित किया जाना समझा जावेगा, परन्तु उस दशा में जब कि किसी विभागीय जाच में शास्ति लागू करने की आज्ञा से पूर्व वह निलम्बित नहीं था इस परिणाम का अनुगमन नहीं होगा क्योंकि तब नियम १३ (३) की कोई क्रिया नहीं होगी। किन्तु यह सर्वथा अनहोनी बात है कि साधारणतया बर्खास्तगी की तारीख से पूर्व किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बन में नहीं रखा जावे।[1] यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **खेमचन्द बनाम भारतीय संघ**[2] में उठा जिसमें तथ्य इस प्रकार के थे। अपीलाट केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी था और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक १७ दिसम्बर १९५१ से पदच्युत (बर्खास्त) हुआ था। पदच्युति की यह आज्ञा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्णय दिनांक १३ दिसम्बर १९५७ में प्रभावहीन घोषित कर दी गई।" सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी ने वास्तव में यह निश्चय किया कि जिन आरोपों पर पदच्युति की शास्ति प्रारम्भ में स्थापित की थी उन पर अपीलाट के विरुद्ध दीगर जाच की जावे और उसके फलस्वरूप पदच्युति की प्रथम आज्ञा की तारीख १७ दिसम्बर १९५१ से अपीलाट निलम्बित किया जाना समझा गया। इसके विरुद्ध अपीलाट ने केन्द्रीय असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९५७ के नियम १२ (४) की वैधता को चुनौती दी (जो कि इन नियमों के नियम १३ (४) का समवर्ती है)। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियम १२ (४) वैध है और अपीलाट को दिनांक १७ दिसम्बर १९५१ से निलम्बित किया जाना समझा जाना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने मत प्रकट किया कि 'इस नियम का प्रावधान कि पदच्युति की प्रथम आज्ञा की तारीख से राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया जाना समझा जाना चाहिये, इस स्थिति पर असर नहीं करता कि पहले जारी की हुई पदच्युति की आज्ञा प्रभावहीन थी और यह कि अपीलाट दिनांक २५ मई १९६१ का सेवा का

---

१ खेमचन्द बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ६८७

२ खेमचन्द बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३००

सदस्य था जब कि अपीलार्थी द्वारा पहला वाद प्रस्तुत किया गया। एक राज्य कर्मचारी का निलम्बन आदेश राज्य के अन्तर्गत उसकी सेवा को समाप्त नहीं करता। निलम्बन की आज्ञा के बावजूद वह राज्य सेवा का सदस्य जारी रहता है। दिनांक १७ दिसम्बर १९५१ को जब कि पदच्युति की आज्ञा हुई अपीलार्थी की सेवा समाप्त हो गई। जब कि पदच्युति की आज्ञा निरस्त की गई अपीलार्थी की सेवा पुनर्जीवित हो गई और जब तक कि पदच्युति का अन्य आदेश नहीं दी जाती अथवा किसी और प्रणाली में अपीलार्थी की सेवा समाप्त नहीं की जाती तब तक अपीलार्थी राज्य सेवा का सदस्य जारी रहेगा और निलम्बन की आज्ञा इस स्थिति पर कोई प्रभाव किसी भी प्रकार नहीं डालती। निलम्बन की आज्ञा का वास्तविक प्रभाव यह है कि यद्यपि वह राज्य सेवा का सदस्य जारी रहा, उसे कार्य करने की अनुमति नहीं मिली और इसके अतिरिक्त निलम्बन की अवधि में उसे केवल कुछ भत्ता दिया गया जिसे सामान्यतया निर्वाह भत्ता कहते हैं—जो साधारणतया उसके वेतन से कम है—बजाय उस वेतन और भत्ते के जिसका यदि वह निलम्बित नहीं किया जाता तो पाने का अधिकारी होता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि निलम्बन की आज्ञा राज्य कर्मचारी पर आघातपूर्ण प्रभाव डालती है। किन्तु यह सोचने के लिए कोई आधार नहीं है कि निलम्बन की आज्ञा के कारण वह राज्य सेवा का सदस्य नहीं रहा। नियम १२ (४) का प्रावधान कि कुछ परिस्थितियों में पदच्युति की प्रारम्भिक आज्ञा की तारीख से राज्य कर्मचारी निलम्बित किया जाना समझा जावेगा एवं आगामी आदेश तक निलम्बित रहेगा इस न्यायालय की धारणा के विपरीत किसी प्रकार से भी नहीं जाता। अतः यह विवाद कि आक्षेपित नियम अनुच्छेद १४२ या १४४ का उल्लंघन है टिकने वाला नहीं है। अपीलार्थी का दूसरा विवाद कि आक्षेपित नियम संविधान के अनुच्छेद (१९) (१) (च) का उल्लंघन है उतना ही निराधार है। तर्क यह है कि इस न्यायालय की डिगरी के फलस्वरूप अपीलार्थी को अपने बचे हुए वेतन और भत्ते पाने का अधिकार है। यह अधिकार उसकी सम्पत्ति में जाता है और चूंकि इस विवादग्रस्त नियम का प्रभाव यह है कि कम से कम कुछ समय तक उसको उक्त अवशिष्ट (चढ़ा हुआ) भाग नहीं मिलेगा अतः यह उसके अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह स्वीकार कर सकते हैं कि अवशिष्ट वेतन और भत्ते का अधिकार संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (च) की परिभाषा में सम्पत्ति बनता है और अनुच्छेद १९ (१) (च) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति पर उसके अधिकार पर सारभूत प्रतिबन्ध नियम १२ (४) द्वारा प्रभावित होता है। प्रश्न यह रह जाता है कि क्या जनहित में यह प्रतिबन्ध उचित है। सच्चाई, ईमानदारी एवं अन्य उचित धारणाओं से राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के महत्व एवं आवश्यकता पर कोई गम्भीर सन्देह नहीं कर सकता। निःसन्देह ऐसी कार्यवाही सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के हित के विरुद्ध है परन्तु जनता के हित के लिये सर्वथा आवश्यक है एवं इसके लिये ही सरकारी सेवा स्थित एवं कायम हैं। जांच के दौरान राज्य कर्मचारी को निलम्बित करना उसके विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने की एक प्रारम्भिक कार्य प्रणाली है।

अतः इसका अभिप्राय यह निकला कि सेवाच्युति का दण्ड निरस्त कर दिया जाता है परन्तु उन्हीं तथ्यों पर अनुशासन अधिकारी उसके विरुद्ध और अधिक जांच करना निश्चय करता तो जांच की समाप्ति तक, कानून के अनुसार निलम्बन का ताजा हुक्म कार्यप्रणाली में एक उचित कदम है। अतः यह निर्णय देने में हमको कोई सन्देह नहीं कि जिस सीमा तक संविधान के अनुच्छेद (१९) (१) (च) द्वारा प्रदत्त अपीलार्थी के अधिकार पर नियम (१०) (४) प्रतिबन्ध लगाता है वह आम जनता

के हित मे उचित प्रतिबंध है। इसलिये नियम (१२) (४) अनुच्छेद (१६) (६) के अपवादात्मक प्रावधानों मे है जिसमे संवैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लघन नही होता। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त स्पष्ट निर्णय को देखते हुए इसके साथ अन्य सर्वोच्च न्यायालय के [1] कलकत्ता उच्च न्यायालय के [2] राजस्थान उच्च न्यायालय के [3] और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के [4] फसलों का सामजस्य करना कठिन है।

(८) **निलम्बन का अतीत कालीन प्रभाव कब अवैध होता है**—नियम १३ के उप नियम (२) (३) और (४) पर मनन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि निम्न परिस्थितियों मे राज्य कर्मचारी का अतीत कालीन (पिछली तारीख से प्रभावशील) निलम्बन अवैध होगा—

(i) जब कि राज्य कर्मचारी को ४८ घण्टो से अधिक समय तक हिरासत मे बंद नही रखा गया है।

(ii) जब कि राज्य कर्मचारी निलम्बन मे नही था और सेवाच्युति हटाने या अनिवार्य सेवा मुक्ति की शास्ति अपील अथवा नजरसानी मे निरस्त की जाकर मामला दीगर जाच कार्यवाहिया या अन्य निर्देशन सहित वापिस भेज दिया जाता है।

---

१ ओमप्रकाश गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ सर्वोच्च न्यायालय ६००। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उठाया गया कि क्या सेवाच्युति की आज्ञा के पश्चात् जो बाद म दीवानी न्यायालय द्वारा अवैध करार दे दी गई थी निलम्बन की आज्ञा जारी रही। माननीय न्यायाधीशो ने सम्मति दी कि सेवाच्युति की आज्ञा के साथ निलम्बन *की आज्ञा का अन्त होगया। दीवानी न्यायालय द्वारा बाद म दी गई घोषणा की* सेवाच्युति की आज्ञा अवैध थी निलम्बन की आज्ञा को पुन जीवित नही कर सकती जो मौजूद ही नही थी। और इसलिये पदधारी का निलम्बन अवधि के बडे वेतन का हकदार करार दिया गया।

२ प्रबोध चन्द्र बनाम अधिशाषी अभियन्ता ए आई आर १९५६ कलकत्ता ४४७। इस वाद म यह निर्णय हुआ कि निलम्बन की आज्ञा का डिसचार्ज की आज्ञा म विलीनीकरण हो गया और जब उच्च न्यायालय द्वारा डिसचार्ज की आज्ञा निरस्त करदी गई, वह पुनर्जीवित नही *हो सकता। यह भी देखिये सरकारी बनाम पुलिस आयुक्त ए आई आर १९६५* कलकत्ता १३।

३ जसवन्त राव बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६३ राजस्थान २०३। इस वाद म जस्टिस मोदी ने सम्मति दी है कि जब विभागीय जाच के दौरान निलम्बन की आज्ञा के पश्चात डिसचार्ज की आज्ञा होती है और इस प्रकार से उसी म सम्मिलित हो जाती है एव तत्पश्चात डिसचार्ज की आज्ञा किसी न्यायालय अथवा सक्षम विभागीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त करदी जाती है तो ऐसी दशा म निलम्बन की आज्ञा पुनर्जीवित नही हो सकता क्योकि उसका कतई अस्तित्व नही है। ऐसे मामले मे निलम्बन की नवीन आज्ञा कानूनी प्रावधान के अभाव म गत कालिक प्रभाव रखने वाली नही हो सकती।

४ सी ए डी सोजा बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर. १९६१ मध्यप्रदेश २६१

(iii) जब कि राज्य कर्मचारी सेवा में पुनः स्थापित हो जाता है उसी दिन उसका पिछली तारीख से प्रभावशाली निलम्बन नहीं हो सकता।[1]

(iv) जब कि हुक्म होता है कि निलम्बन किसी पिछली तारीख से या किसी आगामी दिनांक से प्रभावशील होगा, ऐसी आज्ञा प्रभावहीन एवं तात्पर्यहीन है।[2]

(v) जब कि राज्य कर्मचारी ने वास्तव में अपने पद पर कार्य किया है तो वह पिछली तारीख से निलम्बित नहीं किया जा सकता।[3]

(vi) जब कि एक राज्य कर्मचारी का अतीत कालीन निलम्बन दिनांक ६.६.१९५१ से २१.८.१९५५ तक हुआ तो यह निर्णय हुआ कि ये नियम अधिकारी को पिछली तारीख से निलम्बित करने का अधिकार नहीं देते न इस प्रकार का अधिकार निलम्बन की स्वाभाविकता के अनुकूल ही है।[4]

(vii) जब कि राज्य कर्मचारी निलम्बित किया जाता है और उसे फिर कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो निलम्बन सदा के लिये समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात् वह पिछली निलम्बन की तारीख से पुनः निलम्बित नहीं किया जा सकता। निलम्बन का निलम्बन नहीं हो सकता।[5]

(९) निलम्बन की आज्ञा कब अवैध है—निलम्बन की आज्ञा जब नियमों एवं संविधान के अनुच्छेद ३११ का पालन नहीं करते हुए दण्ड स्वरूप की जाती है तो वह कानूनन अवैध होता है।[6] जैसा कि सब विदित है निलम्बन दो प्रकार के होते हैं दण्ड स्वरूप निलम्बन एवं कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की जांच के विचाराधीन रहते निलम्बन। यदि निलम्बन दंड स्वरूप है और सजा है तो उसकी सेवाच्युति पर लागू होने वाली बातें इस विषय में भी विचारणीय होंगी और जब तक नियोक्ता दुराचरण का मामला साबित नहीं करता तब तक अस्थाई सेवा भंग का उचित नोटिस अवश्य देना होगा क्योंकि यह नहीं हो सकता कि नियोक्ता, जो कि बिना उचित नोटिस दिये सेवा का संविदा समाप्त नहीं कर सकता वह अपनी खुशी से एकतर्फा कार्यवाही से किसी की नौकरी अस्थाई रूप से भंग कर दे और उसका वेतन रोक ले। जब कि निलम्बन की अवधि में एक राज्य कर्मचारी का उसका पद-पंक्ति से नीचे उतार दिया जाता है[7] अथवा उसका वेतन कम कर दिया जाता है[8] अथवा एक लम्बे समय तक उसे अभियोग पत्र नहीं दिया जाता है[9] अथवा उसका निलम्बन

१ अब्दुल मोहम्मद खां बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ मध्य प्रदेश ४४ हेमन्तकुमार भट्टाचार्य बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५८ कलकत्ता २८९
२ लखराम शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए आई आर १९५९ मध्यप्रदेश ४०४
३ नारायणप्रसाद रेवे बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५७ उड़ीसा ५१ वी एम हार्लीकर बनाम मुख्य अधिशाषी अधिकारी ए आई आर १९६० बम्बई २७४
४ मोहम्मद आजम बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर १९५८ आंध्रप्रदेश ६१९
५ हुकमचन्द जैन बनाम एस वी फिरोजाबाद ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ६८९
६ भारतीय सरकार बनाम मलिक मोहम्मद इलियास, ए आई आर १९६४ पटना १९८
७ केदारनाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२
८ केदारनाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२ जे वी पुरुषोत्तम बनाम जनरल मैनेजर, ए आई आर. १९६३ मद्रास ८५
९ भारतीय संघ बनाम मलिक मोहम्मद इलियास, ए आई आर १९६४ पटना १९८

की अवधि सचित एव नियमानुकूल अवकाश एव तत्पश्चात अवर्तनिक अवकाश के रूप मे मानली जाती है [1] एव उसके सेवा निवृत्ति (रिटायर) होने के समय उसकी सेवा का काय काल बढाया जाकर साथ ही वह निलम्बन म रख दिया जाता है[2] तो निलम्बन की आज्ञा अवैध है।

(१०) **सेवा निवृत्ति से पूव अवकाश के समय निलम्बन**—राज्य कमचारी को रिटायर होने से पूव ली जाने वाली छुट्टी म निलम्बन करना वैध है। एक मामले मे जम्मू एव कश्मीर उच्च न्यायालय[3] ने यह निणय दिया कि निवृत्ति पूव अवकाश काल म राज्य कमचारी को निलम्बन की आज्ञा नही दी जा सकती। परन्तु उसके बाद एक निणय म सर्वोच्च न्यायालय[4] ने उसे स्वीकार नहीं किया। **प्रतापसिंह बनाम पजाब राज्य**[5] मे दिसम्बर १९६० के लगभग अपीलान्ट सेवा निवृत्ति से पूव अवकाश पर गया। उसका अवकाश १८ दिसम्बर, १९६० को स्वीकार किया गया। ३ जून १९६१ को पजाब के राज्यपाल ने आज्ञा दी कि चू कि सरकार ने उसके विरुद्ध विभागीय जाच करना निश्चय किया है इसलिये उसे तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। यह निणय हुआ कि जिस दिनाक से राज्य कमचारी निवृत्ति पूव छुट्टी पर था वह उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख नही मानी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकट किया "इस बात पर भी बल दिया गया है कि निवृत्ति पूव अवकाश की अवधि म किसी राज्य कमचारी को निलम्बित नही किया जा सकता क्योंकि निलम्बन से तात्पय उसके धारण किये हुए पद का काय करना बद कर देना है और ऐसी छुट्टी म गया हुआ सावजनिक सेवक कोई नौकरी या पद धारण नही करता इसलिये वह प्रभावशालता से निलम्बित नही किया जा सकता। नौकरी की अवधि म किसी राज्य कमचारी का निलम्बन केवल इतना सा अभिप्राय रखता है कि निलम्बन की अवधि मे उससे कोई काम नही लिया जावे। राज्य कमचारी निलम्बन की अवधि मे किसी पद पर काम नही करता। यदि वह निलम्बन से पूव वास्तव म किसी पद का काय कर रहा है तो निलम्बन का अथ होगा कि वह उक्त पद पर काय करना एव अपनी नौकरी करना बद कर देगा। यदि उस समय वह किसी पद पर काय नहीं करता और अवकाश पर है तो कोई प्रश्न उसके वास्तविक रूप से काय बन्द करने का या नौकरी करना बन्द करने का नही उठता, परन्तु इसका तात्पय यह नही है कि निलम्बन की आज्ञा प्रभावहीन होगी। निलम्बन में अथवा अवकाश पर राज्य कमचारी अपने स्थाई पद पर पदाधिकार (लियन) रखता है और जब तक उसका पदाधिकार उचित नियमानुसार निलम्बित या स्थानान्तरण नही किया जाता निलम्बन काल अथवा अवकाश काल मे उसे वह पद धारण करने का स्वत्वाधिकार (टाइटल) होता है।"

(११) **क्या पुर्नानियुक्ति (री इन्स्टेटमेंट) के बाद वेतन पाने का अधिकारी है**—आरम्भ म ही बतादें कि पुर्नानियुक्ति के पश्चात् राज्य कमचारी पूरे वेतन का स्वत्वाधिकार अधिकृत रूप से नही रखता। यदि किसी फौजदारी दोषारोपण मे वह सम्मानपूवक बरी नही हुआ तो वह

---

१ बसन्त रघुनाथ गोखले बनाम महाराष्ट्र सरकार, ए आई आर. १९५७ बम्बई १३०

२ आसाम राज्य बनाम राम बोराह, ए आई आर. १९६५ सर्वोच्च न्यायालय ४७३ नृपेन्द्रनाथ बागची बनाम पश्चिम बगाल सरकार, ए आई आर. १९६१ कलकत्ता १

३ गगानाथ बनाम धर्माय विभाग, ए आई आर. १९५८ जम्मू कश्मीर ४१

४ प्रतापसिंह बनाम पजाब राज्य, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२

पूरे वेतन का हकदार नहीं होगा[१] यदि न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी की आज्ञा निरस्त करदी गई हो तो राज्यकर्मचारी निलम्बन के दिनांक से वेतन पाने का अधिकारी है।[२] यदि राज्य सरकार उन आरोपों को जिनके आधार पर कर्मचारी को निलम्बित किया था वापस ले लेती है तो वेतन मिलने का वाद वैध है।[३] निलम्बन अवधि के वेतन पर न्यायालय ब्याज दिलाने का आदेश दे सकता है यद्यपि ऐसा समाधान मांगा भी नहीं गया हो।[४]

(१२) निलम्बन की अवधि में अधिकार—जैसा कि पहले बताया जा चुका है निलम्बन की अवधि में राज्य कर्मचारी सरकारी सेवा में यथावत् रहता है। निलम्बन की अवधि में राज्य कर्मचारी पूरे वेतन पाने का अधिकारी नहीं भी हो[५] तो भी निम्नलिखित अधिकारों की मांग कर सकता है —

(i) निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ता[६]

(ii) यदि उसकी सेवा सरकार द्वारा आवश्यक सेवा के अन्तर्गत घोषित (नोटीफाइड) हो चुकी है तो निवास स्थान (क्वार्टर्स) के सम्बन्ध में सुविधा[७]

(iii) नियमित राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं,[८]

(iv) यदि कोई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन नहीं हो और निलम्बन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया है तो पुनः स्थापन

(v) निलम्बन अवधि में अवकाश (परिवार में कोई गंभीर बीमारी की दशा में) एवं मुख्य स्थान (हेडक्वार्टर) छोड़ने की अनुमति।[१०]

राज्य सरकार ने समय समय पर आदेश जारी किये हैं कि निलम्बित राज्य कर्मचारियों के मामले यथासम्भव शीघ्र निपटाये जावें और जब तक कि बड़ी शास्ति की सम्भावना नहीं हो राज्य कर्मचारी निलम्बित नहीं किया जाना चाहिये।[११]

(१३) उप नियम (५)—निलम्बन आज्ञा का निरस्तीकरण—जब कि कोई निलम्बन आज्ञा उपनियम (१) के अन्तर्गत दिया गया है अथवा उपनियम (२) (३) व (४) के अन्तर्गत जारी किया हुआ समझा गया है तो निम्नलिखित अधिकारी द्वारा आज्ञा निरस्त किया जा सकता है—

---

१ एस एन रैना बनाम जम्मू एवं कश्मीर सरकार, ए आई आर १९६२ जम्मू कश्मीर ६८
२ भंवरलाल बनाम सरकार आई एल आर १९६० राजस्थान ६५२
३ श्यामलाल बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६५ कलकत्ता २८१
४ आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद सुलतान खां ए आई आर १९६४ आन्ध्र प्रदेश ४८१
५ डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाम मुकन्दलाल ए आई आर १९५७ पंजाब १३०
६ भारतीय संघ बनाम पांडुरंग काशीनाथ मोरे ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ६३०
७ वी एन सुरेन्द्र बनाम जी ए अजवानी ए आई आर १९५६ मद्रास ६५
८ राजस्थान राजपत्र भाग IV (सी) दिनांक १० १२-५९ पृष्ठ ६६० में प्रकाशित अधिसूचना
९ नियुक्ति विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ (६१) नियुक्ति (ए) ५२ ग्रुप III दिनांक २१-११ ६२
१० वित्त विभाग आज्ञा क्रमांक ६ (१) बी ५५१ दिनांक ८ फरवरी १९५५
११ परिपत्र क्रमांक ना। ६६३३।५१। एफ १६ (२७) नियुक्ति ए ६० दिनांक १७-३ ६०

(i)प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया अथवा जिस प्राधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश जारी किया जाना समझा गया, अथवा

(ii) वह प्राधिकारी जिसका उपरोक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

अत इसका अभिप्राय यह हुआ कि निलम्बन अवधि मे भी जाच के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य कमचारी पुर्ननियुक्त किया जा सकता है। पुर्ननियुक्ति करने का तात्पय व्यक्ति को उसके काय पर फिर से लगाना है। यदि किसी काल म कोई व्यक्ति वास्तव म निलम्बित किया गया था अथवा नौकरी करने की अनुमति नही दी गई थी तो बाद म यह नही कहा जा सकता कि वह काम पर था। जब कि कोई व्यक्ति वास्तव म पद धारण करता है उस पद का कार्य करते है तभी उक्त पद उस व्यक्ति द्वारा धारण किया हुआ समझा जाता है। केवल भावना अथवा कल्पना मात्र से कोई पद ग्रहण किया हुआ हो ऐसा प्रावधान कही नही है। निःसदेह यह बात समझने योग्य है कि प्राधिकारी गण उसे पद धारण किया हुआ मान कर, यद्यपि उसने कोई काम नही किया तो भी पूरा वेतन दे देवें। परन्तु यह बात सवथा भिन्न है। पुन नियुक्ति तभी हो सकती है जब कि कोई व्यक्ति सवाच्युत किया गया हो नौकरी से हटाया गया हो या अन्य प्रकार से उसकी नौकरी समाप्त करदी गई हो और उसे वापस नौकरी पर लगा दिया गया हो। कोई व्यक्ति केवल निलम्बित होता है फिर भी वह सरकारी सेवा म समझा जावेगा परन्तु वह स्थगित उत्साह की अवस्था म कहा जा सकता है। जबकि अवधि समाप्त हो जाये तो उसे केवल कोई काय सुपुर्द करना होताहै। इस सम्बध म यदि शब्द पुर्ननियुक्ति का उपयोग किया गया है तो उसका उपयोग शिथिलता से हुआ है और उसका कोई कानूनी महत्व नही है।[1]

यदि किसी कमचारी का निलम्बन फौजदारी दोषारोपण के कारण हुआ है और बाद म वह दोषमुक्त बरी हो जाता है तो निलम्बन स्वत समाप्त नहीं होता। जब कि एक व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने एव दड विधान की धारा १६१ के दोषारोपण म उस पर मुकदमा चलने के कारण उसे निलम्बित किया गया था, तो मुकदमे का समाप्ति एव उसके दोष मुक्त (बरी) हो जाने, पर उसकी पुर्ननियुक्ति स्वत होनी नही मानी जा सकती पुर्ननियुक्ति के लिये निलम्बन कर सकने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आज्ञा जारी करना आवश्यक होगी।[2] इसके अतिरिक्त फौजदारी मुकदमा चालू रहते भ्रष्टाचार के अन्य आरोपो के सम्बन्ध म विभागीय जाच स्थगित की जाती है एव फौजदारी मुकदमा के कारण विभागीय जाच म देर होती है और फौजदारी मुकदमा समाप्त होते ही कमचारी का तुरन्त सूचना दी जाती है कि उसका निलम्बन जारी रहेगा तो ऐसी दशा मे फौजदारी मुकदमे मे सम्बन्धित तथ्यो की जाच होकर कमचारी को बरी किये जाने के आधार पर अन्य आरोपो के विषय म निलम्बन समाप्त नहीं होता।[3]

---

१ एच के भट्टाचाय बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९५८ कलकत्ता २३९

२ जगदीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४३७ परन्तु नारायण प्रसाद रेवानी बनाम उड़ीसा राज्य ए आई आर १९५७ उड़ीसा ५१ म यह निर्णय हुआ कि फौजदारी मुकदमे के समाप्त होने के साथ ही निलम्बन की आज्ञा का स्वत अन्त होगया। न्यायालय ने गोपाल कृष्ण नायडू बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर १७० के मामले को इससे विभिन्न किया।

३ जगदीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४३७

भाग ५

अनुशासन

१४ शास्तियों के प्रकार—निम्नलिखित शास्तिया, सही एव पर्याप्त कारणो से, जो कि अभिलिखित होंगे, और आगे बताए हुए प्रावधानो के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकती हैं —

(१) निन्दा,

(२) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोक देना,

(३) कार्य उपेक्षा या किसी कानून, नियम या आदेश के उल्लघन के कारण उत्पन्न हुई सरकारी आर्थिक हानि को पूर्णतया या आंशिक रूप से, वेतन में से वसूल करना,

(४) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर या निम्नतर समयमान (टाइम स्केल) में या उसी समयमान में नीचे के स्तर पर अवनत कर देना या पेंशन की दशा में नियमानुसार जितनी पेंशन बनती हो उससे कम कर देना ।

(५) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्यत सेवा निवृत्ति (रिटायर) कर देना,

(६) सेवा से हटाया जाना जो कि पुन नियोजन के लिये अयोग्यता नहीं होगी,

(७) सेवा से पदच्युति (बर्खास्तगी) जो कि सामान्यतया पुन नियोजन के लिये अयोग्यता होगी ।

स्पष्टीकरण (१) —इस नियम के अभिप्राय के लिये निम्नलिखित बातें शास्ति रूप में नहीं मानी जावेंगी—

(i) राज्य कर्मचारी की सेवा या पद पर लागू होने वाले नियमो या आदेशानुसार या उसकी नियुक्ति के साथ की हुई शर्तों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफल हो जाने के कारण वेतन वृद्धि पर रोक,

(ii) राज्य कर्मचारी को समय मान में दक्षतावरोध (कार्यकुशलता प्रवर, ई बी) पर, प्रवर को पार करने की अयोग्यता के कारण रोक,

(iii) राज्य कर्मचारी को उच्च सेवा, ग्रेड या पद के लिये जिसका वह पात्र है, चाहे मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से उसका मामला विचार करने के पश्चात उसे पदोन्नति नहीं देना,

---

अधिसूचना संख्या एफ ३ (२) नियुक्ति ए/६० ग्रुप ३, दिनांक ८ १२ ६० द्वारा जोड़ा गया

(iv) उच्च सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी राज्य कर्मचारी का प्रत्यावर्तन वापिस निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर इस आधार पर कर देना कि परीक्षण के पश्चात् अथवा प्रशासकीय आधार पर जो उसके आचरण से सम्बंधित नहीं है वह उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिये अनुपयुक्त समझा गया है

(v) परीक्षण (प्रोबेशन) पर किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर कार्य कर रहे किसी राज्य कर्मचारी को परीक्षण अवधि में ही या अवधि की समाप्ती पर उसकी नियुक्ति की शर्तों अथवा परीक्षण सम्बन्धी आदेश अथवा नियमों के अनुसार उसे वापिस उसके स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित कर देना,

(vi) राज्य कर्मचारी की नियत सेवा अवधि (सुपर एन्यूएशन) अथवा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेन्ट) करने सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार उसे अनिवार्यत सेवा निवृत कर देना,

(vii) सेवा समाप्ति—

(क) ऐसे राज्य कर्मचारी की जिसे परीक्षण (प्रोबेशन) पर नियुक्त किया गया था, परीक्षण अवधि में या परीक्षण अवधि के अन्त पर, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अथवा परीक्षण पर लागू होने वाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, या

(ख) किसी संविदा के अतिरिक्त अस्थायी रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारी की उसकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर; या

(ग) किसी राज्य कर्मचारी की जिसकी नियुक्ति किसी इकरार के आधार पर की गई थी, उक्त इकरार की शर्तों के अनुसार, या

(घ) ऐसे राज्य कर्मचारी की जो राजस्थान में सम्मिलित होने वाले किसी इकाई की सेवा में था और जिसका चुनाव या संविलीनीकरण सम्मिलित राजस्थान की किसी सेवा में एकीकरण नियमों के अनुसार नहीं हुआ।

स्पष्टीकरण (२)—राजस्थान सेवाओं के एकीकृत ढाचे में किसी पद पर तदर्थ अथवा सामयिक आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति का एकीकरण नियमों के अनुसार किन्हीं सेवाओं या पदों पर चुनाव या संविलीनीकरण नहीं होने के अतिरिक्त किसी आधार पर सेवा मुक्ति (डिसचार्ज) किये जाने को सेवा से हटाया जाना या पदच्युत किया जाना जैसी भी सूरत हो, समझा जायगा।

[1]नोट—नियम (१४) (७) के अन्तर्गत पदच्युत किये जाने से उत्पन्न पुन सेवा के लिये अयोग्यता यदि किसी विशेष मामले की यथातता पर उचित समझी जावे तो केवल राज्य सरकार द्वारा हटाई जा सकती है।

१ अधिसूचना संख्या एफ ३ (५) नियुक्ति/ए/६१ ग्रुप ३, दिनांक २२.३.६१ द्वारा जोड़ा गया

टिप्पणी

अब यह भली भांति निश्चित हो चुका है कि जब कोई कानून या कानूनी नियम सेवा की शर्तें, सेवानिवृत्ति एवं उनमें से कोई अन्य शास्तियों का लागू होना नियंत्रित करता है तो वही कानून और नियम सरकार की प्रभुसत्ता के सामान्य सिद्धान्त एवं मर्जी से समाप्त सेवाओं को नियंत्रित करते हैं। तदनुसार राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम सब असैनिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के आचरण तथा अनुशासन की विस्तृत कार्य प्रणाली बताते हुए उन पर लागू होते हैं। ये इस भाग ५ में दिये हैं जो नियम १४ से प्रारम्भ होते हैं। यह नियम १४ प्रावधान करता है कि इसमें गिनाई हुई शास्तियें यहां एवं यहां बताये कारणों से जो निश्चित रूप से हों, राज्य कर्मचारियों पर लागू होंगी। इन्हीं शास्तियों को लागू करने की कार्यप्रणाली इन नियमों के नियम १६ से १९ में दी गई है। इन नियमों की आवश्यकतानुसार शास्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है अर्थात् (१) लघु शास्तियां एवं (२) बड़ी शास्तियां जो इस प्रकार है:—

(१) लघु शास्तियां

(क) निन्दा
(ख) वेतन वृद्धि पर रोक
(ग) पदोन्नति पर रोक
(घ) कार्य उपेक्षा इत्यादि के कारण उत्पन्न आर्थिक हानि की वसूली।

(२) बड़ी शास्तियां

(क) पंक्ति में अवनति
(ख) अनुपातिक पेन्शन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति
(ग) नौकरी से हटाना
(घ) सेवाच्युति (बरखास्तगी) या पदच्युति।

पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह शास्तियां राजस्थान पुलिस के अधीनस्थ दर्जों के सदस्यों पर भी लागू हो सकती है। अधीनस्थ स्तर के पुलिस अधिकारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में सब मामलें जो पुलिस अधिनियम में विशेषतया नहीं आते जिसमें शास्तियों का प्रश्न भी सम्मिलित है और जो पुलिस अधिनियम के विपरीत नहीं हैं इन नियमों के नियम ३ (१) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति द्वारा शासित होते हैं। भारतीय पुलिस अधिनियम १८६१[1] की धारा ७ में प्रावधान है कि निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक शास्तियें दी जा सकती है —

१ भारतीय पुलिस अधिनियम १८६१ राजस्थान में प्रथमबार दिनांक १९-७-५० को प्रसारित हुआ। इस अधिनियम की धारा ७ इस प्रकार है— 'संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम राज्य सरकार बनावें उनके अधीनस्थ रहते हुए, पुलिस के महा निरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महा निरीक्षक एवं जिला अधीक्षक किसी समय भी अधीनस्थ पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को जिनको वे स्वयं उपेक्षा में शिथिल अथवा अनुपयुक्त समझें उसे बरखास्त, निलम्बित अथवा पदावनत कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित शास्तियों में से कोई एक या अधिक किसी अधीनस्थ स्तर के पुलिस अधिकारी को जो नौकरी में असावधानी या सेवा में उपेक्षा करता हो अथवा अपने किसी कार्य द्वारा उसने अपने आपको उक्त कार्य के लिए अयोग्य होना प्रकट किया हो, उसके विरुद्ध लागू कर सकता है यथा, (क) जुर्माना किसी धनराशि का जो एक महीने के वेतन से अधिक नहीं (ख) क्वार्टर में नजरबन्दी जो १५ दिनों से अधिक अवधि की न हो जिसमें अतिरिक्त पहरा, कवायद या अन्य कार्य भार की सजा के साथ अथवा नहीं (ग) सदाचरण के वेतन से वंचित करना (घ) किसी विशिष्ट पद अथवा विशेष उपलब्धि के पद से हटा देना।'

(क) जुर्माने की कोई रकम जो एक महीने के वेतन से अधिक न हो

(ख) क्वार्टरों में नजरबन्दी की सजा जो १५ दिनों की अवधि से अधिक नहीं हो डिल अतिरिक्त पेहरा थकान एवं अन्य कार्य भार की सजा के साथ अथवा नहीं

(ग) सदाचरण के वेतन से वंचित करना

(घ) किसी विशिष्ट पद अथवा विशेष उपलब्धियों के स्थान से हटा देना।

ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं[1] और इसलिये अनुशासन प्राधिकारी इन नियमों एवं पुलिस अधिनियम में उल्लिखित कोई भी शास्ति लागू करने में स्वतन्त्र है। जब कि अधीनस्थ पंक्ति के एक पुलिस अधिकारी ने स्थानान्तरण आज्ञा का पालन नहीं किया तो वह प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये बुलाया गया। जब कि वह अधीक्षक आरक्षी के सामने साक्षात्कार के लिये गया तो स्थानान्तरण पर नहीं जाने से उक्त आज्ञा के उल्लंघन के अतिरिक्त उसने वर्दी पहिनने से इन्कार किया और मुफ्ती में पेश हुआ एवं धृष्टता का व्यवहार किया। इस पिछले दोष के फलस्वरूप पुलिस अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत उसे १४ दिनों का क्वार्टर गार्ड और साथ में ड्रिल, थकान लाने वाला कार्य भार दिया गया। यह निर्णय हुआ कि यह सजा उस शास्ति से पृथक थी जो उसे स्थानान्तरण पर अग्रसर नहीं होने के अपराध में दी गई एवं यह नहीं कहा जा सकता कि एक अपराध के लिए उसे दो दफा सजा हुई।[2]

शास्तियें किस प्रकार के कारणों पर लागू की जा सकती है यह नियमों में बताया हुआ नहीं है। नियम १४ के प्रारम्भिक खण्ड में केवल यह लिखा है कि सही और पर्याप्त कारणों पर जो रेकर्ड पर रखे जावें शास्ति दी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुशासन अधिकारी को उपयुक्त शास्ति का चुनाव दुराचरण की गम्भीरता एवं प्रकार का ध्यान रखते हुए स्व विवेक से करने की पूरा छूट है।[3] अन्य शब्दों में जिस व्यक्ति की बर्खास्तगी अथवा पदावनति करनी हो उसे यह विदित होना चाहिये कि प्रस्तावित शास्ति उसके कुछ कार्यों की भूल चूक के कारण दी जा रही है और ऐसी कार्यवाही करने के आधार उसे अवगत करा देने चाहिये।[4]

(१) निन्दा —यह लघु शास्तियों का प्रथम प्रकार है। निन्दा का तात्पर्य है अनुशासन प्राधिकारी द्वारा असहमति अथवा भर्त्सना प्रकट करना। केवल निन्दा की शास्ति सेवाच्युति, नौकरी से हटाना या पद पंक्ति में नीचे गिराना नहीं होना।[5] इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ३११ में निन्दा का शास्ति का उल्लेख नहीं है।[6] ऐसी शास्ति के लिये लोक सेवा आयोग की राय लेना आवश्यक नहीं है। एक मामले में जब कि लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की कि मामले की परिस्थितियों में निन्दा पर्याप्त शास्ति होगी तो यह निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा नोटिस दिया जाकर राज्य कर्मचारी को लोक सेवा आयोग की मन्त्रणा पर टिप्पणी करने का अवसर देना आवश्यक नहीं

१ लोगमल बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६७ राजस्थान ४१४

२ उपरोक्त नोट १ देखिये

३ गोविन्द शंकर बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६३ मध्य प्रदेश ११५

४ बरकत राम बनाम महा निरीक्षक आरक्षी ए आई आर १९५५ विन्ध्य प्रदेश ४७

५ आसाम राज्य बनाम हरनाथ बरुआ, ए आई आर १९५७ आसाम ७७

६ केदार नाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२

था।[1] सेवा मुक्ति (डिस्चार्ज) में दिया हुआ आदेश प्रतिकूल वचन निहित नहीं है। जब कि प्रार्थी ने स्थायी सेवा मुक्ति में वचन एवं कार्यक्षमता विषयक कथन सम्मिलित हैं या निष्कर्ष के लिए परमावश्यक जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो निर्णय हुआ कि उसका रिमार्क (कथन) केवल एक राय मात्र था और निन्दा नहीं था।[2]

(२) वेतन वृद्धि पर रोक —यह लघु शास्तियों का अन्य प्रकार है। नियमों में कोई विशिष्ट कारण नहीं दिये गए हैं जिनके आधार पर यह शास्ति दी जा सकती हो। जब कि राज्य कर्मचारी सेवा में वेतन में कमी अथवा असमर्थता स्पष्ट हो या जहाँ कि अनुशासन अधिकारी द्वारा शास्ति प्रदान करें उस शास्ति के लिए कोई सेवा आदेश की राय लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु अतिरिक्त यह शास्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ में सम्मिलित की हुई नहीं है। जब कि मजिस्ट्रेट की सेवा समाप्ति कर दी गई और उसकी वेतन वृद्धि बन्द हुई उन कारणों से तो यह निर्णय हुआ कि वेतन वृद्धि रोकना एक लघु शास्ति है जिसका प्रावधान सेवा नियमों (शक्ति स्तर) में किया हुआ है। सेवा समाप्ति के साथ ऐसा एक शास्ति दी गई जो बाद में वापिस ली गई जिससे उसकी स्थिति यह निकलती है तो यह अवैध एवं प्रभावहीन है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रावधानों का अनुपालन उचित नहीं हुआ।[3]

स्पष्टीकरण १ (i) में प्रावधान है कि सेवा या पद के लिए लागू किन्हीं नियमों अथवा आदेशों के अनुसार या नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप यदि वेतन वृद्धि रोकी जाय तो यह शास्ति नहीं मानी जायेगी। किन्हीं अवस्थाओं पर या किसी एक व्यक्ति पर सरकार परीक्षा लागू कर सकती है और राज्य सरकार के इस निर्णय पर न्यायालय जांच नहीं कर सकता। ऐसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना वेतन वृद्धि तथा शास्ति लागू करने का कारण हो सकता है। जब कि विभागीय परीक्षा केवल ग्राम स्तर तथा तहसील स्तर के लिए निर्धारित की गई थी प्रार्थी ने दावा किया कि इस परीक्षा का उच्चतर विभाग में लागू करना मनमाना एवं अनुचित है और ग्राम स्तर तथा तहसील एवं अन्य तथा परीक्षा के बाद अन्य विभाग की तारीख में आता है तो यह निर्णय हुआ कि चूंकि सरकार का यह मत था कि सामान्य शाखा में कार्य करना और उच्च परीक्षा करना अधिक कठिन और जटिल काम था एवं उसके लिए अधिक ज्ञान होना चाहिए था तो न्यायालय इस राय को बदलना एवं औचित्य की जांच नहीं कर सकता। कानून या कानूनी व्यवस्था सरकार पर यह कर्तव्य स्थापित नहीं करता कि जो परीक्षा वह नहीं लेना चाहे उसे लेने के लिए बाध्य होना पड़े।[4]

दूसरा स्पष्टीकरण (१) (ii) यह प्रावधान करता है कि दक्षता अवरोध पार करने की अयोग्यता के आधार पर दक्षता अवरोध पर किसी राज्य कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकना शास्ति की तारीख में नहीं आता। किसी राज्य कर्मचारी को दक्षता अवरोध पर रोकना अनुशासन अधिकारी की सामर्थ्य में है और न्यायालय द्वारा इस अधिकार की विवेचना का प्रश्न नहीं बना सकता और

१ सी० ए० डी० सांगा बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए० आई० आर० १९६७ मध्य प्रदेश २६७
२ मधुसूदन रतन नायक बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए० आई० आर० १९६१ कलकत्ता १६८
३ गुरनाम सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए० आई० आर० १९६० पंजाब १२६
४ मोहम्मद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए० आई० आर० १९६० इलाहाबाद ४८८

न प्रशासन अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी अदालत अपील ही सुन सकती है।[1] यदि किसी अधीनस्थ प्राधिकारी ने दक्षता अवरोध पार करने की आज्ञा दे दी है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी आज्ञा रद्द कर सकता है और दक्षता अवरोध पार करने के लिये परीक्षा पास करने की शर्त लगा सकता है।[2]

(३) **पदोन्नति रोकना**—यह भी लघु शास्तियों में से ही एक है। नियम १४ के प्रारम्भिक अंश में कोई कारण नहीं गिनाये गये हैं जिनके आधार पर यह शास्ति दी जा सके। केवल इतना कहा गया है कि ऐसी शास्ति सही एवं पर्याप्त कारणों पर दी जा सकती है जो रेकर्ड में रखे जावें। राजकीय सेवाओं के सम्बन्ध में पदोन्नति रोकने से पहले लोक सेवा आयोग की राय लेना आवश्यक होगा। सेवा एवं नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में पदोन्नति सम्मिलित है[3] और पदोन्नति का प्रश्न सदैव ज्येष्ठ प्राधिकारी की शक्ति एवं स्वविवेक का अंग होता है जब तक कि किन्हीं विशिष्ठ नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होना नहीं बताया जाता।[4]

नियम १४ का स्पष्टीकरण (१) (iii) प्रावधान करता है कि मामले पर विचार करने के पश्चात् यदि किसी राज्य कर्मचारी की मौलिक या स्थानापन्न क्षमता में सेवा, ग्रेड अथवा पद पर पदोन्नति नहीं होती जिसका वह पात्र है तो ऐसा करना शास्ति की तारीफ में नहीं आता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी राज्य कर्मचारी की पदोन्नति उसके मामले पर बिना उचित विचार किये रोकदी जावे तो वह दण्ड (शास्ति) की तारीफ में आवेगी। जब कि प्रथम-श्रेणी की सेवा में पदोन्नति करने के लिये द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की एक सूची बनाई गई, इस सूची में एक अधिकारी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया और उसके आवेदन पर लोक सेवा आयोग ने उक्त सूची में उसका नाम सम्मिलित करने की सिफारिश की तो यह निर्णय हुआ कि उस अधिकारी का चुनाव नहीं करने की सरकारी कार्यवाही अवैध एवं दोषमय थी।[5] यदि प्रार्थी का नाम एक दफा पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया और बाद में उसे कहा गया कि वह पदोन्नति के लिये योग्य नहीं है तो यह तथ्य अपने आपमें कोई कार्यान्वित करने योग्य स्वत्व प्रार्थी को जिसका नाम अन्तिम सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है प्रदान नहीं करता।[6]

जब कि वरिष्ठ वन सेवा के सदस्य को उप वन संरक्षक (डिप्टि कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स) के पद पर स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया गया परन्तु शिकायतें प्राप्त होने पर एक वर्ष के लिये पुनः सहायक वन-संरक्षक के मूल पद पर लौटा दिया गया और भविष्य में उसकी पदोन्नति मुख्य वन संरक्षक की अच्छी रिपोर्ट पर आधारित करदी गई। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पदोन्नति के हक की उसने स्वत्वस्वरूप में मांग की। अदालत ने उसके विवाद को यह कहते हुए अस्वीकार किया कि एक असैनिक कर्मचारी को स्वत्व रूप में यह अधिकार नहीं है कि नीचे की

---

१ भरूप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६० राजस्थान ६५२
२ के बी माथुर बनाम एन सी चटर्जी ए आई आर १९५५ कलकत्ता ५८५
३ मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार १९६५ आर. एल. डब्ल्यू ३८८
४ ओयनाम बिहारीसिंह बनाम विद्यालयों के निरीक्षक, ए आई आर. १९५६ मनीपुर १
५ के एल नन्दा बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर १९६४ पंजाब ३०२
६ एन बालकृष्णन बनाम उप महानिरीक्षक आरक्षी ए आई आर. १९५८ मद्रास २७०

पंक्ति में उस उच्च पंक्ति में पदोन्नत किया जाय और जबकि एक बार किसी व्यक्ति को नीचे के पद स्तर पर लौटा दिया जाता है तो उसकी पदोन्नति उसकी सेवा में सम्बन्धित पदोन्नति के नियमों द्वारा शासित होगी।[1] जब कि वरिष्ठता सूची के अनुसार अधीनस्थ (सब ऑर्डिनेट) जज से उच्च पद पर वादी की पदोन्नति होनी थी और जब कि सिविल लिस्ट में वादी के नाम के नीचे बहुत से अन्य मुंसिफों के नाम थे जो बाद में आए एवं वादी को पार करके अधीनस्थ जज (सबऑर्डिनेट जज) नियुक्त हो गए थे। यह निर्णय हुआ कि संविधान के अनुच्छेद २३५ के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के राज्य न्यायिक सेवा अधिकारियों के सम्बन्ध में पदोन्नति के लिये सम्बन्धित अधिकारी उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय ने वादी के पदोन्नति के मामले पर पूर्ण विचार करने के पश्चात अपनी शक्ति का प्रयोग किया था एवं वादी वाद विनाय दावा (दावे के कारण) बनाने में असमर्थ रहा।[2] यद्यपि प्रार्थिया ने मांग की कि सहायक पंजीयक अथवा मुख्य न्यायाधीश के सचिव के पद के लिये उनके अधिकारों पर उचित विचार नहीं किया गया तो यह निर्णय हुआ कि अनुच्छेद १६ में विचारणीय किसी नागरिक को समान अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निश्चयात्मक रूप से यह नियोजित सुविधाएं प्रदान की जावें। तदनन्तर मुख्य न्यायाधीश को पदोन्नति के लिए विचार करने के पश्चात सर्वोत्तम व्यक्ति को छांट कर चुनने का अधिकार था।[3]

जबकि नियमों के अन्तर्गत गुण एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिये तो वरिष्ठता का ध्यान केवल उसी दशा में रखना चाहिये जबकि गुण एवं योग्यता लगभग समान हो।[4] जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर हो उनके मामले पर भी पदोन्नति के लिये विचार किया जाना चाहिये क्योंकि उस व्यक्ति का इस पद पर पदाधिकार है।[5] सरकार के लिये यह अनिवार्य है कि पदोन्नति की पक्की सूची बनाकर प्रकाशित करे ताकि जो व्यक्ति प्रभावित होते हों उनको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रभावशील अवसर मिल सके।[6] परन्तु यदि कोई व्यवस्था वर्तमान पदोन्नति पर नहीं वरन भविष्य में पदोन्नति पर असर करती हो[7] या पदोन्नति की अनियमितता कुछ वर्षों के बाद सुधारी गई हो[8] अथवा कोई अन्तर कालीन पदोन्नति सूची में नाम छूट गया हो।[9]

---

१ बी सी तिवारी बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर. १९६० मध्यप्रदेश ३१६

२ कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम अमलकुमार रॉय ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४

३ परमात्म शरण बनाम चीफ जस्टिस राजस्थान उच्च न्यायालय १९६३ आर एल डब्ल्यू २४६

४ शंकरनाथ गंजू बनाम जम्मू कश्मीर सरकार ए आई आर १९५७ जम्मू कश्मीर २[illegible]

५ मोहनलाल बनाम सरकार १९६५ आर. एल डब्ल्यू ८८ मैसूर राज्य बनाम एस एच बराठे ए आई आर. १९६७ सर्वोच्च न्यायालय ८०८

६ आर. आर. राव बनाम मध्यप्रदेश सरकार, ए आई आर १९६४ मध्यप्रदेश ४०७

७ पी सी माधवन बनाम ट्रावनकोर कोचीन सरकार, ए आई आर. १९५७ ट्रावनकोर कोचीन २३६

८ के रामवतरम बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर. १९५६ उड़ीसा ११८

९ जेम्स एडविन बादशाह बनाम आसाम सरकार, ए. आई आर. १९६१ असम ७४

अथवा गलती से की गई पदोन्नति बाद में रद्द कर दी गई हो,[1] अथवा नाम किसी पद विशेष की सूची में दर्ज किया जाता है और चाही हुई पदों की सूचि में नहीं हो,[2] तो पदोन्नति रोक लेने के आधार पर कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती न ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद ३११ या १६ के प्रावधानों का आकर्षित ही करती है।[3] जब कि प्रार्थी का मुख्य विवाद यह था कि पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के पक्ष में स्थान संरक्षण रखना असंवैधानिक है तो यह निर्णय हुआ कि ऐसा संरक्षण असंवैधानिक नहीं है और अनुच्छेद १६ (२) द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है और इसका बचाव अनुच्छेद १६ (४) द्वारा हुआ है।[4] मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी अभिरुचि इस सम्मति में है कि अनुच्छेद १६ (४) के अन्तर्गत राज्य को जो संरक्षण के अधिकार प्रदत्त हुए हैं उसका उपयोग उचित मामले में न केवल नियुक्तियों हेतु प्रावधान करने में वरन् चुनाव-पदों के लिये संरक्षण का प्रावधान करने के लिये भी हो सकता है। यह अर्थ हमारी राय में संविधान निर्माण करने वालों के इस ध्येय की पूर्ति करेगा कि पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये यथेष्ट संरक्षण एवं सेवाओं में उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नौकरी संबंधी मामलों में सेवा से संबंध रखने वाले सभी मामले सम्मिलित हैं (पदोन्नति सहित) नियुक्ति से पहले के और नियुक्ति के पश्चात् के जो कि नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी नौकरी की शर्तों का ही एक अंग है और वह संविधान के अनुच्छेद १६ (१) व (२) के साथ अनुच्छेद १४ और (१५) (१) द्वारा प्रत्याभूत (गारंटी किये हुए) हैं।

(४) **असावधानी आदि द्वारा हुई सरकार की आर्थिक हानि की क्षति पूर्ति वेतन से वसूल करना** —यह लघु शास्तियों का अन्य प्रकार है। यह प्रावधान करता है कि यदि राजकीय कर्मचारी द्वारा की गई असावधानी अथवा किसी कानून नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करने के कारण सरकार को कोई आर्थिक हानि पहुँची है तो अनुशासन प्राधिकारी उस राजकीय कर्मचारी के वेतन से वसूली द्वारा क्षति पूर्ति की आज्ञा दे सकता है। ऐसी क्षति पूर्ति संपूर्णतया या आंशिक रूप में हो सकती है परन्तु वास्तविक हानि से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह जुर्माने का रूप नहीं है। पुलिस अधिनियम १८६१ की धारा ७ के अन्तर्गत जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अपने कार्य में असावधानी रखते हैं या नौकरी के लिये अनुपयुक्त होते हैं तो सक्षम अधिकारी उनपर जुर्माना आरोपित कर सकता है जो उनके एक महीने के वेतन से अधिक नहीं हो। परन्तु असावधानी के कारण हुई क्षति की पूर्ति इस नियम के अनुसार वसूल की जावेगी। ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं।[5] राजकीय सेवाओं के मामले में यह शास्ति आरोपित करने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग से सलाह ले लेनी चाहिये।

---

१ टी एस गुरुमिदाह बनाम मसूर सरकार, ए आई आर. १९६३ मसूर १०२

२ शिव मोहन पांडे बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५७ नागपुर ९५

३ सम्पत बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर. १९६२ मद्रास ४८५

४ जनरल मनेजर बनाम रंगाचारी, ए आई आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ३६, उलट गया रंगाचारी बनाम जनरल मनेजर, ए. आई आर १९६१ मद्रास ३५, अस्वीकृत मोइनुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९६० इलाहाबाद ४८४

५. सौंगमल बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर. १९६७ राजस्थान ४१४

यहां पर अवनति एवं प्रत्यावर्तन में भेद का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्रत्यावर्तन का प्रत्येक आदेश पंक्ति से अवनति करने की तारीफ में नहीं आता।

एक स्थानापन्न नियुक्ति से प्रत्यावर्तन का साधारण आदेश जो शासन के सामान्य प्रक्रम (नोमल कोर्स) में हुआ है केवल प्रशासनिक कार्य होने के कारण वादयोग्य प्रतीत नहीं होता। अनुच्छेद ३११ के अंतर्गत पंक्ति से अवनति बतौर सजा या शास्ति के होनी चाहिये। यदि किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न स्वरूप कार्य करने वाले को, सामान्य प्रक्रम में उसके मौलिक पद पर वापिस भेज दिया जाता है तो सजा अथवा शास्ति आरोपित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। परन्तु यदि मौलिक पद स्तर पर प्रत्यावर्तन शिकायतें, जांच एवं प्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट के पश्चात किया जाता है तो वह किसी अपराध या दुराचरण के कारण हुआ दंड समझा जायेगा। ऐसा प्रत्यावर्तन निःसन्देह आगामी पदोन्नति में अवरोध का कार्य करेगा और पंक्ति में अवनति माना जायेगा।[1]

स्थानापन्न पद से प्रत्यावर्तन (ओफिशिएटिंग पोस्ट से रिवशन)—जैसा की ऊपर बताया गया है कार्यवाही का दण्ड रूप में होना पंक्ति में अवनति के लिये एक सारभूत बात है तथा कोई कार्यवाही अनुच्छेद ३११ (२) को आकर्षित नहीं करती जब तक पदावनति में कोई शास्ति सम्मिलित नहीं है। कोई पदावनति बतौर शास्ति है या नहीं इसका निश्चय करने के लिये वास्तविक परीक्षण इस बात की खोज करने से होगा कि क्या अवनति का आदेश कर्मचारी पर कोई शास्तिमय परिणाम लाता है। इस प्रकार यदि उस आज्ञा में या उसके द्वारा उसके वेतन या भत्तों की जब्ती या उसकी मौलिक पद-पंक्ति में वरिष्ठता की हानि अथवा उसकी पदोन्नति के भावी अवसरों में रुकावट या विलम्बन होता हो तो परिस्थितियां यह संकेत कर सकती हैं कि यद्यपि आकृति में सरकार का अभिप्राय सेवा-संविदा की शर्तानुसार या नियमों के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग सेवा समाप्ति अथवा कर्मचारी को नीचे की पंक्ति में पदावनति करने का था परन्तु सत्यता एवं वास्तविकता में सरकार ने उसकी सेवा को दण्ड स्वरूप समाप्त कर दिया है।[2] जब कि एक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक को जांच से पहले प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिया[3] या अतिरिक्त सहायक आयुक्त को जांच में दोष मुक्त करने के पश्चात तहसीलदार के पद पर प्रत्यावर्त कर दिया[4] या एक कर्मचारी को चार्जशीट के पश्चात बिना जांच किये प्रत्यावर्त कर दिया[5] या स्थानापन्न उप निरीक्षक को बिना जांच किये प्रत्यावर्त कर दिया[6] या जांच के बाद स्थानापन्न डिप्टी-कलेक्टर

---

१ ननदा बालकृष्ण देश मुख बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर. १९५६ मध्य भारत १७२ काशीनाथ बनाम पी के कपिरा ए आई आर १९५० उड़ीसा २८५ एम बी बिचौरी बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५२ नागपुर ३८८ जीतेन्द्र बनाम आर गुप्ता ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३८३, कदार बनाम अजमेर राज्य ए आई आर १९५४ अजमेर २२ मोहिन्द्रसिंह बनाम सरकार ए आई आर १९५५ पेपसू १०६ किशनलाल बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९५६ मध्य भारत १०० एवं हाटवल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८८६

२ पुरुषोत्तमलाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

३ पी सी वाधवा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ४२३

४ एस सुखवससिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११

५ जुगलकिशोर गुप्त बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६४ पंजाब ५२८

६ एम ए वहीद बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर २२९

को मामलतदार के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया और इस प्रकार से उसको वरिष्ठता में भी हानि हुई[1] या स्थानापन्न कमचारी को उसके मौलिक विभाग में वापिस भेज दिया और उसको उनकी वरिष्ठता मौलिक विभाग द्वारा नहीं दी गई[2] या स्थानापन्न सहायक पुलिस अधीक्षक को बतौर निरीक्षक प्रत्यावर्तित कर दिया जिसका दुष्प्रभाव उसकी कार्य क्षमता एवं भविष्य कालिक पदोन्नति पर पड़ा[3] या स्थानापन्न तहसीलदार की जांच के पश्चात नायब तहसीलदार के पद पर पुनः भेज दिया और आगामी तीन वर्षों के लिए उसकी पदोन्नति पर अवरोध लगा दिया[4] तो यह निर्णय हुआ कि यह कार्यवाही अन्याय पूर्ण एवं दुर्भावना पूर्ण थी तथा प्रत्यावर्तन दण्ड के रूप में था। असैनिक कर्मचारी पर किसी भी प्रकार का दण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित विभागीय जांच नहीं हो जाय और उसको अपने बचाव का उचित अवसर नहीं दिया जाय।

इसके विपरीत ऐसे प्रत्यावर्तन में दण्ड सम्मिलित नहीं होता जो इस आधार पर किया गया हो कि स्थायी पदाधिकारी अथवा उचित योग्यता वाला व्यक्ति उपलब्ध हो गया है[5] या कोई व्यक्ति उच्चतर पद के लिये अनुपयुक्त पाया गया हो,[6] या जिस निर्धारित अवधि के लिये उसकी स्थानापन्न नियुक्ति हुई थी उसके अन्त होने पर[7] या स्थानापन्न अवधि में वह निर्धारित परीक्षा पास करने में सफल नहीं होता[8] या स्थानापन्न अवधि में चुनाव समिति द्वारा उसका चुनाव नहीं किया जाता[9] या प्रशासनिक कारणों से[10] या स्थानापन्न पद पर कार्य करते हुए उसके विरुद्ध रिमार्क दिये जाने के आधार पर।[11]

जब कि किसी स्थानापन्न पद से प्रत्यावर्तन का आदेश कोई कारण प्रकट नहीं करता और ऐसा प्रतीत होता है कि पद की समाप्ति नहीं हुई है तो यह निश्चय करने के लिये कि प्रत्यावर्तन दण्ड रूप में हुआ अथवा नहीं सम्बन्धित परिस्थितियों का अवलोकन करना पड़ेगा। अतः जब कि राजकीय पत्र व्यवहार में उच्च अधिकारी द्वारा किसी स्थानापन्न राजकीय कर्मचारी के विरुद्ध आरोप लगाये गये एवं तत्पश्चात बिना कारण बताए उसे उसके स्थायी पद पर वापिस लौटा दिया

---

१ माधव लक्ष्मण बनाम मैसूर राज्य ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ८
२ मल्लसप्पा बनाम मैसूर सरकार ए आई आर १९६२ मैसूर १४६
३ एस महिन्द्रसिंह बनाम पेप्सू सरकार ए आई आर. १९५५ पेप्सू १०६
४ गणेश बालकृष्ण देशमुख बनाम मध्यभारत सरकार, ए आई आर १९५६ मध्यभारत १७२
५ बम्बई सरकार बनाम एम ए इब्राहिम, ए आई आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ७९४
६ जतीन्द्र बनाम आर गुप्ता (१९५३) ५८ सी डब्ल्यू एन १२८ विचोराय बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर. १९५२ नागपुर २८८।
७ रविन्द्र बनाम व्यवस्थापक ई रेलवे (१९५५) ५९ सी डब्ल्यु एन ८५९
८ शिवजी लाल बनाम मुख्य संरक्षक वन विभाग ए आई आर १९५६ पटना २७३
९ के एन थाम्पन बनाम केरल सरकार, ए आई आर. १९६५ केरल २ ८, के एस श्रीनिवासन बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ४१९
१० केदार नाथ अग्रवाल बनाम अजमेर राज्य, ए आई आर १९५४ अजमेर २२ हर बन सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर. १९६० पंजाब ६५।
११ पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

जब कि स्थानापन्न पद की स्थिति जारी रही, तो यह निर्णय हुआ कि यह प्रत्यावर्तन संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का उल्लंघन है।[1]

परीक्षण अवधि के पश्चात प्रत्यावर्तन—शब्द परीक्षण (प्रोबेशन) का अर्थ व्यक्ति के आचरण एवं चरित्र की परीक्षा लेने से है। अब किसी सेवा संविदा में परीक्षण रखना उस व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा सूचित कर देना है कि यदि परीक्षण अवधि में कर्मचारी अपने आपको नियोक्ता की दृष्टि में संतापप्रद साबित करता है तो परीक्षणार्थी ने जिस सेवा के लिए अपने आपको समर्पित किया था उसका कार्य करने के लिये वह उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति है और परीक्षणार्थी नौकरी पर पक्का किया जाने का अधिकारी है। चूंकि परीक्षण का अभिप्राय केवल कर्मचारी के चरित्र एवं योग्यताओं की परीक्षा लेना है सेवा के इकरारों में साधारणतया परीक्षण की अवधि सामान्य रूप में छः महीने से एक वर्ष तक निर्धारित होती है।[2] अथवा यह भी हो सकता है कि इकरार में कोई अवधि बताई ही नहीं जावे। यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की किसी स्थायी सेवा में कार्य कर रहा है और उच्चतर पद पर पदोन्नति पर भेजा गया है और परीक्षण पर रखा गया है तो परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर उसको उसी स्थायी सेवा में वापिस भेज दिया जाता है तो यह प्रत्यावर्तन दण्ड की तारीफ में नहीं आएगा। जब कि एक स्थायी नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया और दो वर्षों की अवधि के लिये परीक्षण पर रखा गया जो अवधि एक वर्ष के लिये आगे बढ़ाई गई, उक्त बढ़ाई गई अवधि के पंद्रह महीने पश्चात उसको इस आशय का नोटिस दिया गया कि परीक्षण अवधि में तहसीलदार रहते उसका सेवा-रेकर्ड संताप्रद नहीं था इसलिये उसका परीक्षण समाप्त क्यों नहीं कर दिया जावे। इस पर प्रार्थी ने ऐसी कार्यवाही का कारण पूछा तो उक्त में धार देने की बजाय उसका मौलिक पद पर प्रत्यावर्तन करना राज पत्र में प्रकाशित हो गया। यह निर्णय हुआ कि उक्त प्रत्यावर्तन कानूनन् गलत था क्या कि नोटिस देने वाले प्राधिकारी का कर्त्तव्य था कि प्रस्तावित कार्यवाही के आधारों से प्रार्थी को अवगत कराता।[3] एक अन्य मामले में स्कूलों के एक मौलिक सब डिप्टी इन्सपेक्टर को डिप्टी इन्सपेक्टर के पद के लिये चुना गया और उसे दो वर्षों के लिये परीक्षण में रखा। परीक्षण की अवधि समाप्त होने के सात साल बाद उसे सूचना दी गई कि उस की परीक्षण अवधि छः महीने के लिये आगे बढ़ाई गई है और इस अवधि के समाप्त होनेपर परीक्षण अवधि दो बार और आगे बढ़ाई गई और उसके बाद उसे पूछा गया कि उसको उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित क्यों नहीं कर दिया जावे। ऐसे नोटिस पर प्रार्थी ने विवाद किया। यह फैसला हुआ कि जब कि उसकी परीक्षण अवधि दो वर्षों में समाप्त हो चुकी थी तो उसको अब सेवा मुक्त या प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता था उसका प्रत्यावर्तन संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए स्पष्टतया पद पतिन से पदावनति की तारीफ में आता है। परीक्षण की अवधि को पिछली तारीख से बढ़ाने का स्पष्ट प्रभाव अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रदत्त संरक्षण की क्षति है।[4] जब कि प्रार्थी का चुनाव उच्चतर पद के लिये हुआ था और परीक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात बिना जांच किये उसका प्रत्या

---

१ सर्वदियन बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५५ ट्रावन कोर कोचीन १२।
२ पी एल धागरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६ (४२)
३ दामोदर सिंहा बनाम भूमी सुधार आयुक्त ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ४३७
४ विपत प्रसाद सानकर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५९ इलाहाबाद ५३६

वापस कर दिया गया। यह निर्णय हुआ कि परीक्षण की अवधि समाप्त कर देने पर उसको पद पर स्थायी करने के विषय में विचार करना था और चूंकि नियुक्तियों के सब प्रसंग परीक्षणार्थी पर भी समान रूप से लागू होते हैं उसका प्रत्यावर्तन अवैध था।[1]

(क) निम्नतर सेवा पर अवनति—सेवा संविदा की शर्तों के अनुसार जो स्पष्ट हो या गर्भित अथवा सेवा की शर्तों पर लागू होने वाले नियमानुसार जबकि किसी राज्य कर्मचारी को कोई राज्य सेवा में पद धारण करने का अधिकार हो तो अधीनस्थ सेवा में उसकी अवनति अपने आप में और अपमानजनक रूप से निम्नतर सेवा में उसकी अवनति है। परन्तु अगर राज्य सेवा में किसी कर्मचारी का उस पद पर स्वत्व नहीं है और उसकी नियुक्ति अस्थायी या स्थानापन्न या परीक्षण के आधार पर हुई है और जिसकी सेवा परिपक्व होकर अभी तक अर्ध स्थायी सेवा नहीं हुई है तो अधीनस्थ सेवा में उसका प्रत्यावर्तन निम्न सेवा पर अवनति की तारीफ में नहीं आता। अतः अनाज की दुकान पर अस्थायी कार्य करने वाले एक लिपिक को चतुर्थ श्रेणी में पाइंट मैन (रेल की लाइन बदलने वाला) प्रत्यावर्तित कर दिया तो निर्णय हुआ कि यह सेवा में अवनति नहीं था।[2] इसके विपरीत जबकि एक लिपिक को जिला स्थानीय अधिकारी के रूप में पदोन्नति हुई और वह उस स्थान पर पांच साल तक कार्य करता रहा और अर्ध स्थायी दर्जा हासिल कर लिया, तो उसका प्रत्यावर्तन लिपिक सेवा में उसके मौलिक पद पर कर देना सेवा में अवनति घोषित की गयी।[3] परन्तु एक ही सेवा में एक पद से दूसरे में स्थानान्तरण कर देना दंड नहीं माना जा सकता।[4]

(ख) निम्नतर ग्रेड पर अवनति—उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर, यदि किसी राज्य कर्मचारी का अपने पद के किसी ग्रेड विशेष पर स्वत्व है तो उसी पद पर नीचे के ग्रेड में प्रत्यावर्तन करना पंक्ति में अवनति होगी।

यदि किसी द्वितीय ग्रेड के आशुलिपिक को प्रथम ग्रेड के आशुलिपिक के ग्रेड पर उन्नत किया जाता है एवं आशुलिपिक ग्रेड प्रथम में पक्का कर दिया जाता है, उसके पश्चात पुनः द्वितीय ग्रेड में प्रत्यावर्तन कर देना निम्नतर ग्रेड में अवनति होगी। जबकि एक आशुलिपिक तृतीय ग्रेड में शुरू हुआ परन्तु बाद में द्वितीय ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया और पदोन्नति की आज्ञा में यह लिखा था कि वह अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। बाद में अपने मौलिक तृतीय ग्रेड में वह प्रत्यावर्तित कर दिया गया तो निर्णय हुआ कि यह पंक्ति में अवनति नहीं था।[5]

---

१ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अकबर हुसैन ए आई आर १९६४ इलाहाबाद २४६। देखिये—एन नाथ बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६२ हिमाचल प्रदेश ८१ और यह भी—उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अकबर अली ए आई आर १९६३ इलाहाबाद २७७।

२ चिरंजीलाल बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९५७ राजस्थान ५

३ बिहारीलाल कपूर बनाम चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश ए आई आर १९६३ हिमाचल प्रदेश ५४

४ पंजाब राज्य बनाम सुख बंस सिंह, ए आई आर. १९५७ पंजाब २६१

५ मोहम्मद [illegible] बनाम हैदराबाद राज्य ए आई आर. १९५२ हैदराबाद ५६

(ग) निम्नतर पद पर अवनति –यदि किसी राज्य कर्मचारी का हक किसी विशेष पद पर है तो उस पद से नीचे गिरावट स्वयं में दंड के समान प्रभावशाली होगी क्योंकि तब वह उस पद का फन्दियाँ (वेतन इत्यादि) एवं विशेषाधिकार खो देगा। परन्तु यदि उस पद विशेष पर उसे कोई हक नहीं है तो स्थानापन्न पद से नीचे के मौलिक पद पर पदावनति सामान्यतया सजा नहीं होगी। परन्तु केवल इतनी सी बात कि कर्मचारी का उक्त पद पर कोई स्वत्व नहीं है और सरकार को संविदा द्वारा जो स्पष्ट हो या गर्भित अथवा नियमों के अन्तर्गत हो, उसकी पदावनति नीचे के पद पर करने का अधिकार है उसका यह अर्थ नहीं होता कि चाहे जैसी परिस्थितियों में कर्मचारी की पदावनति नीचे के पद या स्तर पर कर देना सजा नहीं होगी। **धींगरा** के मामले में [1] सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निश्चय करने के लिये कि कोई पदावनति सजा की तारीफ में आती है या नहीं उसका वास्तविक परीक्षण इस प्रकार करना होगा कि क्या उस पदावनति में कर्मचारी को कोई दण्ड रूपी परिणाम भुगतने पड़े। अतः जबकि एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर को बिना अवसर दिये हेडकान्स्टेबल के पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया गया,[2] अथवा जब कि एक कर्मचारी का प्रत्यावर्तन करने से उसकी पदोन्नति एक वर्ष के लिये स्थगित हो गई [3] अथवा किसी परिगणित जाति के सदस्य को स्थान देने के लिये उसका मौलिक पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया [4] अथवा प्रत्यावर्तन का कारण गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत रिमार्क था [5] या अनुपयुक्तता [6] या वित्तीय तंगी के कारण[7] अथवा प्रत्यावर्तन के आदेश में अगर वेतन या भत्ते की जब्ती या मौलिक पद पर वरिष्ठता की हानि या भविष्य में पदोन्नति के अवसरों में अवरोध का प्रावधान हो[8] तो यह निर्णय हुआ कि प्रत्यावर्तन वस्तुतः में पदावनति था। इसके विपरीत जब कि प्रत्यावर्तन पद की मूल रचना के भंग होने के कारण [9] अथवा वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत करने के कारण [10] अथवा अनन्त पदों की कमी के कारण [11] अथवा दृष्टि शक्ति दोषयुक्त होने के कारण हुआ हो [12] तो यह निर्णय हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यावर्तन पदावनति नहीं था। जबकि प्रार्थी को गलत फहमी में ऐसा पद बांट दिया गया जिसका वह अधिकारी नहीं था (उदाहरण के लिये आवश्यक योग्यताओं का अभाव)

---

१ पुरुषोत्तमलाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

२ जातीप्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९५६ पंजाब १०२, शम्भूदयाल बनाम पेप्सू सरकार ए आई आर १९५२ पेप्सू १४२ मज्जधारी दत्त बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ कलकत्ता ५४६

३ एम रमय्या बनाम मैसूर सरकार ए आई आर १९६१ मैसूर १६४

४ सुदामा प्रसाद बनाम डिवीजनल सुप्रिंटेंडेंट १९६४ आर एल डब्ल्यू ६३०

५ भारतेन्द्रनाथ बनाम आयकर आयुक्त, ए आई आर १९५९ कलकत्ता ५५६

६ मोहिनी मोहन बनाम त्रिपुरा सरकार, ए आई आर. १९५६ त्रिपुरा २

७ वनमाली बनाम जिला बोर्ड ए आई आर. १९५६ इलाहाबाद ८५०

८ पुरुषोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

९ पी सी कन्हाई कृष्णन नम्बियार बनाम केरल सरकार, ए आई आर. १९५६ केरल ८४

१० मज्जफर हुसन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३१६

११ के सी. शर्मा बनाम कन्ट्रोलर डिफेन्स एकाउन्ट्स ए आई आर १९५६ इलाहाबाद ८८०

१२ हरप्रसाद बनाम भारतीय संघ, आई एल आर १९५४ राजस्थान ६३६

और बाद में जब यह गलती पकड़ी गई तो उसका प्रत्यावर्तन कर दिया तो यह फैसला हुआ कि कोई पदावनति नहीं हुई।[1]

(घ) निम्नतर समय मान (टाइम स्केल) पर अवनति –यदि कोई राज्य कर्मचारी उसी पद पर नीचे के काल क्रम में अवनत कर दिया जाता है (दण्डस्वरूप आदेश द्वारा) तो उसकी पंक्ति में अवनति हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई विशेष काल-क्रम धारण करने का कोई अधिकार नहीं है तो नीचे के काल क्रम में उसका प्रत्यावर्तन पंक्ति में अवनति की तारीफ में नहीं आएगा। अतः जब कि एक राज्य कर्मचारी विभागीय परीक्षा पास नहीं करने से नीचे के काल क्रम में स्थित कर दिया गया तो निर्णय हुआ कि चूंकि यह दण्ड स्वरूप नहीं था, वह पंक्ति में अवनति नहीं था।[2] इसके विपरीत जबकि एक राज्य कर्मचारी का प्रत्यावर्तन गतकालिक प्रभाव से (पिछली तारीख से) निम्न काल क्रम में कर दिया गया तो निर्णय हुआ कि इस आदेश का गतकालिक अंश अवैध था एवं आदेश का उत्तर कालिक (आगामी) प्रभाव वाला भाग प्रभावशाली रखा।[3]

(ङ) समय मान में निम्नतर स्टेज पर अवनति –समय मान में निम्नतर स्टेज (स्तर) पर दण्ड स्वरूप अवनति भी जाना संविधान के अनुच्छेद ३११ में सोची गयी पंक्ति में अवनति की तारीफ में आती है। इस विषय पर प्रथम निर्णय **रघुनाथ साबाये बनाम सरकार**[4] में हुआ प्रतीत होता है जिसमें डिविजन बेंच ने यह फैसला दिया कि समय मान में नीचे के स्टेज पर अवनति में एक पंक्ति में अवनति अन्तर्गत सम्मिलित है क्योंकि अधिकारी अपनी पंक्ति अथवा ग्रेडेशन सूची में वरिष्ठता खो देता है। इसी हाईकोर्ट के एक अन्य केस में जबकि एक सरकार ने जिला प्रधान हैड मास्टर को दो वर्षों के लिये वेतन क्रम ५०-१५० में सब से नीचे के स्टेज रु. ५०) पर स्थित कर दिया तो फैसला हुआ कि यह पंक्ति में अवनति था क्योंकि जो लोग उससे कनिष्ठ थे वे उससे भी नीचे रख दिया गया और इस प्रकार उसकी वरिष्ठता में हानि हुई।[5]

(च) उचित पेंशन राशि में कमी कर देने की अवनति –सही एवं पर्याप्त कारणों पर अनुशासन अधिकारी किसी राज्य कर्मचारी पर यह शास्ति आरोपित कर सकता है। पेंशन को अनुदान एक ऐसी वस्तु है जिस पर राज्य कर्मचारी को स्वत्व (हक) समझना चाहिये। ऐसा अधिकार अनुच्छेद ३१ की परिभाषा में सम्पत्ति की तारीफ में आता है। यदि सर्वथा मनमाने तरीके से संविधान के अनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार से कोई राजकीय कर्मचारी वंचित रखा जाता है तो वह अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत संरक्षण पाने का अधिकारी हो जाता है।[6] परन्तु एक राज्य कर्मचारी को जितना पेंशन उचित रूप में देय है उसमें कमी करना संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत पंक्तिच्युति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि पंक्तिच्युति तो केवल उन कर्मचारियों पर लागू हो सकती

१ अमलेन्दु बनाम बंगाल (१९५२) ५६ सी डब्ल्यू एन ८८६
२ ए सम्बन्धन बनाम राजन टी एस ए आई आर १९५६ मद्रास ६८
कपूरचन्द बनाम आई जी पी ए आई आर १९६२ हिमाचल प्रदेश ३१
३ आई एल आर (१९५४) कटक ६८८
४ रूपनारायणसिंह बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५८ उड़ीसा १६३ यह भी देखिये—बद्री प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार, आई एन आर. १९५९ राजस्थान १३४
६ भगवान सिंह बनाम भारतीय संघ, ए. आइ. आर. १९६२ पंजाब ५०३

है जिनमे पदावनति के पश्चात भी सेवा करने का आशा हो। इससे पेन्शन की कमी का कोई सम्बन्ध नही है।[1] आरोपो के साबित हो जाने पर पेन्शन कम की जा सकती है[2] परन्तु अधिकारी को उससे कनिष्ठ अधिकारियो से कम हिता वाली स्थिति म नही रखा जा सकता जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो जावे और कर्मचारी की ऐसी पतिच्युति अवनति की तारीख मे आवेगी।[3] किसी राज्य सेवा के सदस्य की पेन्शन म कमी लोक सेवा आयोग की सलाह लेने के पश्चात ही की जा सकती है। यदि किसी की जितनी पेन्शन उचित रूप म देय हो उससे कम राशि देने का आदेश हो जाय तो दीवानी अदालत भी वाद की सुनवाई कर सकती है।[4]

(६) आनुपातिक पेन्शन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति—अनुपातिक पेन्शन पर अनिवाय रूप से रिटायर कर देना भी बडी सजाओ म से एक है। नियम १४ का स्पष्टीकरण (१) (vi) प्रावधान करता है कि किसी राज्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति अथवा रिटायर होने सम्बन्धी नियमो के अनुसार अनिवायत सेवा निवृत्त (रिटायर) कर देना शास्ति की परिभाषा म नही आवेगी। राजस्थान सेवा नियम (आर एस आर) भी अनिवायत सेवा निवृत्ति के विषय मे सम्बन्ध रखते हैं। आर एस आर एव इन नियमो का सम्मिलित प्रभाव निम्नांकित किसी तरीके से किसी प्रशासनिक राज्य कर्मचारी का सेवा से रिटायर होने की आयु से पहले समाप्त करने का प्रावधान करते है —

(१) बरखास्तगी द्वारा जो भविष्य म नौकरी से अयोग्य करार देती है या सेवा से हटाने द्वारा जो आगामी सेवा हेतु अयोग्यता नहीं लाती। यह शास्तिया नियम १४ (६) एव (७) के अन्तगत आती हैं और इनके लिये नियम १६ के प्रावधानो में जाच करनी पडती है। इस प्रकार म बरखास्त किया गया या नौकरी से पृथक किया गया राजकाय कर्मचारी किसी पेन्शन का अधिकारी नही होता परन्तु सक्षम अधिकारी के स्वविवेकानुसार उसे अनुग्रह भत्ता (कम्पैसनेट एलाउन्स) मजूर किया जा सकता है जो आर एस आर. के नियम १७२ के अनुसार सेवा निवृत्ति की पेन्शन से दो तिहाई से अधिक नहीं हो सकता।

(२) आनुपातिक पेंशन पर अनिवायत सेवा निवृत्ति द्वारा जो नियम १४ (५) के अन्तगत शास्ति स्वरूप लागू होती है। यह नियम १६ मे सबन्धित है और इसके लिए नियमित जाच की जाती है। जिस अधिकारी को सेवा से अनिवायत शास्ति स्वरूप रिटायर कर दिया जाता है वह आर एस आर के नियम १७२ के अन्तगत अनिवायत सेवा निवृत्ति की तारीख से पेंशन पाने का अधिकारी है, जो कि उचित सेवा निवृत्ति की पेंशन की दर से अधिक नहीं होगी एव उससे दो तिहाई से कम भी नहीं होगी।

---

१ एम नरसिंह चार बनाम मसूर राज्य ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय २८७ पी सी माधवन बनाम ट्रावन कोर कोचीन राज्य १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २३६

२ दुर्गा चरण दास बनाम उडीसा सरकार ए आई आर. १९६४ उडीसा ६५

३ हनरी एम एम वी सालधानी, ए आई आर १९५७ मद्रास ६१२

४ गुरुदीप सिंह बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६२ पजाब ८ इससे भिन्न राय के लिये देखिये एम सज्जानम् बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर १९६३ मद्रास ४९

(३) २५ वर्षों की अर्हकारी (क्वालीफाइंग) सेवा पूर्ण करने के पश्चात बिना कारण बताए आर. एस. आर. (राजस्थान सेवा नियमों) के नियम २४४ (२) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति द्वारा। यह उचित नहीं है क्योंकि यह नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vi) के अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार से निवृत्त किया गया राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम २४४ के अनुसार व नियम २५६ में दी गई व्यवस्थानुसार पूर्ण पेंशन पाने का अधिकारी है।

(४) शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के आधार पर २५ वर्षों की अर्हकारी (क्वालीफाइंग) सेवा की समाप्ति से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम २०८ के अन्तर्गत। यह भी इसी तरह है क्योंकि नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vi) के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार से सेवा निवृत्त किया गया सरकारी कर्मचारी अशक्तता के आधार पर सेवा निवृत्त पर इस पेंशन पाने का अधिकारी होता है।

पच्चीस वर्षों की सेवा के बाद सेवा निवृत्ति—राजस्थान सेवा नियमों के नियम २४४ (२) के प्रावधानानुसार राज्य सरकार किसी भी राजपत्रित स्तर के राज्य कर्मचारी को २५ वर्षों की अर्हकारी सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस) समाप्त होने पर बिना कारण बताए सेवा निवृत्त (रिटायर) कर सकती है।[1] परन्तु यह अधिकार तभी प्रयोग किया जा सकता है जब कि ऐसा करना जनहित में हो। जबकि किसी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवा के राज्य कर्मचारी को अनिवार्य रिटायर करना हो तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।[2]

कार्य नियमों (बिजनिस रूल्स) का नियम ३१ (vii) प्रावधान करता है कि जिस कर्मचारी का नियुक्ति अधिकारी सरकार है उसको अनिवार्य रूप से हटाये जाने अथवा अनिवार्य रिटायर करने के प्रस्ताव आदेश जारी करने से पहले मुख्य मंत्री व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। जब कि एक मामले में कर्मचारी का नियुक्ति अधिकारी सरकार न था या और सरकार ने ही उसे अनिवार्य रिटायर कर दिया किन्तु उसके अनिवार्य रिटायर करने के आदेश मुख्य मंत्री व राज्यपाल के समक्ष पहुँचे ही नहीं तो यह निर्णय हुआ कि ऐसा आदेश कानूनन अवैध था और तदनुसार निरस्त किया गया।[3] इस मामले में न्यायाधीश बेरी ने व्यक्त किया —

'राजपत्रित स्तर के सरकारी कर्मचारी को २५ वर्षों की अर्हकारी सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस) पूरी करने के पश्चात अनिवार्य रिटायर करना जनहित में आवश्यक है या नहीं यह निर्णय लेने का कार्य राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री के स्तर करने के लिए आरक्षित है। यह कार्य यदि कोई अन्य प्राधिकारी करे, तो चाहे वह कितना भी उच्च पद पर क्यों न हो कानून के विरुद्ध होगा।

जब कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को जनहित में राजकीय सेवा से अनिवार्य रिटायर किया गया तब उन्होंने यह बात प्रस्तुत किया कि (१) नियम १४ (५) एवं स्पष्टीकरण (१) (vi) का प्रभाव यह है कि रिटायर होने की आयु से पहले अनिवार्य रिटायर करने का प्रत्येक आदेश कठोर शास्ति होता है जो तब ही आरोपित किया जा सकता है जब कि नियम

---

१ परिपत्र क्रमांक एफ. २८ (५५) नियुक्ति (ए) ५७ दिनांक १७-१ ५६

२ परिपत्र क्रमांक डी. १२७०३।६० एफ. २८ (५५) नियुक्ति (ए) ५७ दि० २६ २ ६०

३ [illegible] जैन बनाम आई जी पी राजस्थान आई एल आर. १९६१ राजस्थान ५३०

१६ (२) के अनुसार जांच करली जाय (२) और चूंकि ऐसी जांच नहीं की गई इसलिए उक्त आदेश शून्य एवं प्रभाव हीन था। यह तर्क दिया गया कि राजस्थान सेवा नियमों (आर एस आर) के नियम २४४ (२) के सम्बन्ध में जो कि बिना कारण बताये २५ वर्षों की अर्हकारी सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस) पूरी होने के पश्चात अस्थायी कर्मचारी की अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति का प्रावधान करता है इस नियम १४ के गर्भित अभिप्राय द्वारा रद्द किया गया समझा जाना चाहिये क्योंकि मौजूदा शक्ल के नियम २४४ (२) के बाद में १९५९ में नियम १४ प्रभावशाली हुआ। द्वितीय विवाद यह किया गया कि यदि इन नियमों का जैसा कि वे वर्तमान में स्थित हैं यह अर्थ लगा लिया जाय कि इनके द्वारा बिना कारण बताये २५ साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात किसी अस्थायी कर्मचारी को रिटायर किया जा सकता है तो ऐसा प्रावधान शून्य है क्योंकि ऐसा सेवा निवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की परिभाषा में सेवा से हटाया जाना है और नौकरी से हटाने का कोई आदेश उसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिये बिना जारी नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने उक्त तर्क अस्वीकार कर दिए और यह निर्णय दिया कि २५ साल की क्वॉलिफाइंग सेवा पूरी करने के पश्चात् बिना कारण बताए किसी को अनिवार्यतः रिटायर कर देना इन नियमों के नियम १४ के अन्तर्गत शास्ति रूप नहीं होता और नियम १६ के अनुसार कोई जांच करना आवश्यक नहीं है। इस फैसले को देखते हुए इस तर्क में कोई बल नहीं है कि ऐसे मामले में संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) लागू होता है।[1] जबकि एक सेवाकाल के कलेक्टर को २५ सालों की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया यह तर्क किया गया कि राज्यपाल ने ऐसी शक्ति प्रयोग में लाने का अधिकार कलेक्टर को नहीं दिया था। यह फैसला हुआ कि जब तक राज्यपाल नियम २४४ (२) के अन्तर्गत विशेष तौर से इस विषय में अपनी शक्ति किसी अधीनस्थ कर्मचारी को प्रदत्त नहीं करदे तब तक कोई भी अन्य रूप में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता और चूंकि ऐसी सेवा निवृत्ति (रिटायरमेन्ट) अवैध है अतः उस शक्ति के अतीत कालीन प्रदान (रिट्रोस्पेक्टिव डलीगेशन) द्वारा वह वैध नहीं की जा सकती।[2]

२५ वर्षों की अर्हकारी सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस) पूरी करने के पश्चात अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति में दोष अथवा आरोप लगाने का तत्व नहीं है। जब कि एक पुलिस सब इन्सपेक्टर को आई जी पी ने अनिवार्यतः रिटायर कर दिया तो यह फैसला हुआ कि इसमें संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) आकर्षित नहीं होता और इसमें विभागीय जांच की भी आवश्यकता नहीं है।[3] जब कोई जांच की जाती है तो वह केवल सरकार के अपने बेहतर संबंधी सरोकार के लिये होती है कि क्या उसका पुलिस सेना के सदस्य रूप में नौकरी में आगे स्थित रखना जनहित में नहीं होगा।

---

१ गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर (१९६१) ११ राजस्थान ३७१ आश्रय लिया गया — श्यामलाल बनाम उत्तरप्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९ बम्बई सरकार बनाम सौभागचन्द दोशी ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८९२ पी एल धींगरा बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६, एवं दलीपसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय १३०५

२ कपूरचन्द बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६२ राजस्थान ६८

३ शंकरदत्त बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ नागपुर १६२ राम आधारसिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५४ पटना १८७

इस मामले में अनिवार्य सेवा निवृत्ति का हुक्म नौकरी से हटाया जाना या बरखास्तगी नहीं होता।[1]

पच्चीस वर्षों की सेवा से पूर्व सेवा निवृत्ति—जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है राजस्थान सेवा नियमों के नियम २४४ के अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक अयोग्यता के आधार पर २५ सालों की लगातार सेवा हो चुकने से पहले अनिवार्य सेवा निवृत्ति (कम्पलसरी रिटायरमेन्ट) मना नहीं है। ऐसी अयोग्यता के अभाव में की गई सेवा निवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ का उल्लंघन करता है। जबकि प्रार्थी ने [illegible] वर्षों की लगातार सेवा कर ली थी उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर विचार करते हुए निर्णय किया गया कि यदि प्रार्थी ने अनुबन्ध के अनुसार २५ सालों की लगातार (बगैर किसी व्यवधान) सेवा जिसने पूरी नहीं की हो तो उसको अनिवार्य रिटायर नहीं किया जा सकता।[2]

नियत सेवा अवधि आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति—राज्य कर्मचारी की सेवावधि आयु (सुपरएनुएशन एज) उसके स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार तय की जा सकती है।[3] आयु का निर्धारण करना सेवा की शर्त है। जिस दिन वह आयु पूरी होती है उस दिन पर राज्य कर्मचारी रिटायर हो जाता है और उस अवधि तक उसे नौकरी में रहने का हक है सिवाय उस दशा में कि जबकि किसी अयोग्यता के आधार पर या और किसी कारण से उसकी सेवा निवृत्ति का आदेश न हो जाय।[4] नियत सेवावधि की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति करना संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत नौकरी से हटाया जाना अथवा पदच्युति व सेवामुक्ति की परिभाषा में नहीं आता।[5] जबकि राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया कि समस्त राज्य कर्मचारी गण जिन्होंने तारीख [illegible] मई १९४९ को ५५ वर्ष की आयु अथवा ३० वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर ली हो वह रिटायर किये जायेंगे और प्रार्थी जिसने ३० साल की नौकरी पूरी कर ली था रिटायर किया गया। यह विवाद किया गया कि नौकरी के अभाव में ५५ वर्ष तक की आयु तक उस नौकरी पर स्थित रहने का अधिकार है। न्यायालय ने यह विवाद खारिज किया और फैसला किया कि ५५ साल की उम्र तक नौकरी पर स्थित रहने का कोई स्थाई अधिकार नहीं है। किसी सरकारी को ३० साल की सेवा समाप्ति पर पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का नियम कोई विभेद नहीं करता। सेवानिवृत्ति का आदेश निकालने में पूर्व संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत प्रार्थी को कोई नोटिस देना

---

१ के. आर. जोशी बनाम बम्बई सरकार ए. आई. आर. १९५८ बम्बई ९० यह भी देखिये—राजकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए. आई. आर. १९५४ इलाहाबाद ३४३ और मोहम्मद हसन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९६६ इलाहाबाद [illegible]

२ गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६१ राजस्थान ८७१ विपरीत राय के लिये देखिये—मध्य प्रदेश सरकार बनाम मोहम्मद साबिर उद्दीन ए आई आर, १९६४ आंध्र प्रदेश २०६

३ बलप्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर, १९५७ इलाहाबाद १२४ अनूहान बनाम ट्रावनकोर कोचीन राज्य ए आई आर, १९५४ ट्रावनकोर कोचीन ३२

४ पद्मनाभाचार्य बनाम मैसूर राज्य ए आई आर १९६२ मैसूर ५१० निर्मलसिंह बनाम पेप्सू राज्य ए आई आर १९५६ पेप्सू ६५

५ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५४ इलाहाबाद २०५, पी केशव राव बनाम निर्देशक डाक एवं तार ए आई आर, १९५८ आंध्र प्रदेश ६६७, हरेन्द्रनाथ बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९५८ कलकत्ता ४११

आवश्यक नहीं था।[1] अनिवार्यत सेवानिवृत्ति का राजस्थान सेवा नियमों का नियम २४४ (२) संविधान के अनुच्छेद ३११ १४ अथवा १६ से नहीं टकराता।[2] सेवानिवृत्ति (रिटायरमेन्ट) का आदेश बर्खास्तगी अथवा नौकरी से हटाये जाने की आज्ञा से भिन्न है क्योंकि यह नियमों द्वारा निर्धारित कोई दंड के स्वरूप में नहीं होता और सजा के रूप में कोई नतीजा इसमें शामिल नहीं होता एवं सेवानिवृत्ति पाने वाला व्यक्ति उसके द्वारा की गई सेवा काल के अनुपात में पेन्शन आदि का अधिकारी होता है। अनुच्छेद ३११ (२) में निहित सिद्धान्त यह है कि जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई दंड रूप कार्यवाही हो और जिसमें उसके द्वारा अब तक अर्जित किये गये लाभ की जाती हो तो ऐसी दशा में उसकी सुनवाई होनी चाहिये और आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर मिलना चाहिये। परन्तु जब कि कोई आदेश शास्ति का नहीं है और उससे अब तक एकत्रित हुए लाभों की हानि भी नहीं होती तो ऐसे मामले में सेवा की शर्तों या सेवा नियमों का कार्यान्वित नहीं करने का कोई कारण नहीं होता।[3]

यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रार्थना करे कि उसे ५५ वर्ष की आयु समाप्ति से ही पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जावे तो बाद में वह शिकायत नहीं कर सकता। वादी ने ३३ वर्ष की नौकरी कर लेने के पश्चात और रिटायर होने की आयु से बहुत पहले सेवानिवृत्ति का अवकाश लेकर रिटायर होने का आग्रह किया जो सरकार ने अन्तत स्वीकार किया और उसे ११ महीने और २५ दिन का अवकाश भी दे दिया। उक्त अवकाश की समाप्ति से ठीक दस दिन पहले उसने अपना विचार बदल दिया और फिर से नौकरी पर आने की इच्छा की। तत्पश्चात सरकार ने उसे कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। इस मामले में वादी का विवाद ठुकराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि स्थिति सर्वथा वादी के खुद के द्वारा मांगी गई तथा खुद की बनाई हुई थी। उसको किसी ने रिटायर होने के लिये नहीं कहा था। अतः वह न्यायालय की सहायता नहीं मांग सकता।[4]

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले अनिवार्यत सेवानिवृत्ति—यदि किसी राज्य कर्मचारी को नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा पूरी करने के आधार पर नहीं परन्तु किसी अन्य कारणों पर, यद्यपि उसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की है अनिवार्यत सेवानिवृत्ति दी जाती है तो ऐसी सेवा निवृत्ति (रिटायरमेन्ट) शास्ति (सजा) के रूप में है।[5] आनुपातिक पेंशन का अधिकारी होने के लिये निर्धारित वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी करने से पहले यदि कार्य में अकुशलता के आधार पर अनिवार्यत सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जाती है तो वह सजा रूप होती है।[6] ऐसी

---

१ केवलमल सिंघवी बनाम हलाराम आई एल आर १९५१ राजस्थान ४०५ यह भी देखिये—गंगाराम पुरोहित बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६१ राजस्थान ३७१

२ गोपालमल बनाम सरकार १९६५ आर एल डबल्यू ४४, कपूर चन्द बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६२ राजस्थान ६६, गंगाराम पुरोहित बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६१ राजस्थान ३७१

३ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९, यह भी देखिये—राजकिशोर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५४ इलाहाबाद ३४३

४ जयराम बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ५८५

५ डी एन धर बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ए आई आर १९६४ जम्मू एवं कश्मीर ६२

६ मीर खुरशीद अली बनाम आई जी पुलिस ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश ११७

शास्ति के लिए नियम १६ में बताई गई जांच पूरी की जानी आवश्यक है। यदि मामला राज्य सेवा के किसी राज्य कर्मचारी का है तो राज्य सेवा आयोग से राय भी लेना होगा। जबकि एक राज्य कर्मचारी उसकी जन्म तिथि के अनुसार रिटायर नहीं किया गया[1] अथवा वह साम्प्रदायिक या राजनैतिक कार्यवाहियों में भाग लेता रहता था[2] अथवा उसने ६० वर्ष की आयु पूरी कर ली थी परन्तु (सेवा से बरखास्त होने से) संविदा द्वारा निश्चित अवधि समाप्त नहीं हुई थी[3] अथवा वह असमर्थ या अकुशल था[4] अथवा उसके सेवा काल में राय थी कि भ्रष्टाचार सिद्ध हो गये हैं[5] अथवा विध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेता था या उसका आचरण संदिग्ध था[6] अथवा उसने ... साल की नौकरी पूरी कर ली थी[7] अथवा ... साल की नौकरी करने के बाद उस अवस्था में पहुँच गई और बाद में रिटायर किया गया[8] तो यह निर्णय हुआ कि ऐसी सेवानिवृत्ति नौकरी से हटाये जाने के समान है और इस कारण संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) लागू होता है। **श्याम लाल**[9] के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्वयं में कोई प्रभाव रखता है क्योंकि यह अधिकारी को नौकरी करने के अवसर से व अधिवार्षिकी आयु (सेवानिवृत्ति आयु) तक उस पद के वेतन प्राप्ति से वंचित रखता है और सेवा-काल के बाद बढ़ी हुई पेंशन से भी वंचित रखता है। परन्तु यह व्यक्त किया गया कि भविष्य में वृद्धि या पेंशन की हानि कानून की दृष्टि से इतना अनिश्चित है कि उसे सजा नहीं माना सकते। अतः यह निर्णय हुआ कि सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद ४६५ ए की टिप्पणी (नोट) १ के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा नौकरी से हटाया जाना नहीं बनता। **दोशी**[10] के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने **श्यामलाल** के मामले पर पुनः विचार किया और यह वक्तव्य जारी किया कि उपरोक्त प्रकार के प्रश्न तभी पैदा हो सकते हैं जबकि नियमों द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पहले निर्धारित हो और किसी अवांछित कर्मचारी को सेवा से हटाने की प्रक्रिया के बीच में समाप्त कर दी जावें। परन्तु जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी नियम द्वारा निर्धारित नहीं की गई है या जबकि कोई ऐसा नियम था और उसके द्वारा निर्धारित आयु से पूर्व कर्मचारी को रिटायर कर दिया गया था तो इसको संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत बरखास्तगी या नौकरी से हटाया जाना ही माना जावेगा। श्री **दलीपसिंह**[11] के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने **श्यामलाल** एवं **दोशी** वाले के मामलों पर विचार किया और व्यक्त किया कि इन

---

१ नारायण मल बनाम कृष्णा असमगार सिंह ए. आई. आर. १९५९ राज. १०४

२ डा. एस. मदन बनाम नारायण मध ए. आई. आर. १९६६ सर्वोच्च न्यायालय ११६०

पन्नालाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए. आई. आर. १९५९ इलाहाबाद १६६

४ सौभाग्यचन्द दोशी बनाम सौराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. १९५४ सौराष्ट्र १४६, देखो भी रमेश्वर—ए. आई. आर. १९५३ सर्वोच्च न्यायालय ८९०

५ मद्रास राज्य बनाम एन. के. नारायण अय्यर ए. आई. आर. १९५८ मद्रास ९८

६ लछमनसिंह बनाम श्री जी. पी. ए. आई. आर. १९५९ जम्मू ९६

७ गुरदेवसिंह बनाम पंजाब सरकार ए. आई. आर. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय १५८५

८ हरिचन्द रैना बनाम जम्मू कश्मीर सरकार ए. आई. आर. १९६१ जम्मू कश्मीर ६०

९ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९

१० बम्बई सरकार बनाम सौभाग्यचन्द दोशी ए. आई. आर. १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८९२

११ दलीपसिंह बनाम पंजाब सरकार ए. आई. आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय १३०५

मामला द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत ऐसे मामला म लागू हुआ। है जिसमें सरकार अपने कर्मचारी को लोक हित की दृष्टि से रिटायर करना चाहती थी। इस वाद म प्रशासनिक कारणों से राज प्रमुख न आई जी पुलिस को अधिवार्षिक आयु से पहले सेवानिवृत कर दिया। प्रार्थी का मुख्य त र्क यह था कि इस किस्म की सेवानिवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ की परिभाषा म नौकरी म हटाया जाना हो गया और इस कारण अवैध थी। **श्यामलाल** के मामल म नियत किये हुए परीक्षण को लागू करते हुए प्रधान क्या अब तक अर्जित किये गये लाभ की अधिकारी को क्षति हुई है न्यायालय न व्यक्त किया कि आई जी पी को पूरी पेंशन दी गई है। उसके द्वारा अब तक अर्जित किये हुए लाभ की हानि का कोई प्रश्न नहीं है। नियमानुसार बिना पेंशन दिये यदि रिटायर करने का प्रावधान होता तो यह मान्यता देने का कुछ कारण हो सकता था कि सेवानिवृत्ति बतौर सजा थी। किन्तु चूंकि सेवानिवृत्ति नियमानुसार पेंशन पर ही हो सकती है-मौजूदा वाद मे पूरी पेंशन अधिकारी को स्वीकृत की गई है ऐसी दशा में सेवानिवृत्त स्पष्टतया दाण्डिक स्वरूप नहीं है। जबकि शासकीय ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार ने एक आदेश निकाला कि प्रार्थी की सेवा में ११ महीने और २० दिन की बढोतरी दी जावे। परन्तु लगभग एक पखवाड़े के भीतर सरकार न एक दूसरी अधिसूचना जारी करके गत अधिसूचना का तत्कालिक प्रभाव से वापिस ले लिया। उसके फलस्वरूप प्रार्थी का पद से मुक्त कर दिया। यह निर्णय हुआ कि सरकार ने बाद की अधिसूचना द्वारा अपने पहले आदेश को वापिस ले लिया और उस असैनिक कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा गारंटी किये गये सुनवाई के कोई भी अवसर नहीं दिये गए अत वह कार्य प्रत्यक्ष रूप म गलत था।[1]

सरकार की नीति के अनुसार सेवानिवृति संविधान के विपरीत नहीं—जबकि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना द्वारा सेवानिवृति की आयु ५८ से घटा कर ५५ वर्ष करदी। इस घटोतरी का कारण सार्वजनिक प्रशासन की कार्य कुशलता उन्नत करने एवं आम भलाई मे अग्रसर होना था। यह निर्णय हुआ कि इस मामले म अनुच्छेद ३११ आकर्षित नहीं होता।[2] न्यायालय न यह भी व्यक्त किया कि राज्यपाल को सेवा नियमो का बदलन की इकतर्फा स्वतन्त्रता है और इसके लिये कर्मचारी की राय पहले लेना आवश्यक नही है। यह भी निर्णय हुआ कि संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत कार्य करते हुए राज्यपाल के अधिकार इतने विस्तृत हैं कि वह गतकालिक प्रभाव वाले नियम भी बना सकते है। ऐसे मामलो मे अनुच्छेद ३२० (३) (ग) भी लागू नहीं होता। यह अनुच्छेद अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलो मे लोक सेवा आयोग की सलाह लेने से संबंधित है। *अनिवार्यत सेवानिवृत्ति का मामला अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला नहीं है जिस पर संविधान का अनुच्छेद ३२० (३) (ग) लागू होता हो।*[3] इसके अतिरिक्त सरकारी नीति पर अग्रसर होते हुए अधिवार्षिकी आयु तक पहुचने से पहले आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत करने का आदेश, सामान्य क्रम म सेवानिवृत्ति (रिटायरमेन्ट) है और वह शास्ति रूप नहीं है।[4] इसी प्रकार ५५ साल की आयु

१ के श्यामा राव बनाम मसूर सरकार, ए आई आर १९६३ मसूर २०८

२ राम अवतार पाडे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६२ इलाहाबाद ३२८

३ चितौर वारादराजा बनाम ट्रावन कौर कोचीन सरकार, ए आई आर १९५३ ट्रावन कौर कोचीन १४०, रामाधारसिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५४ पटना १८७

४ मुंशीराम बनाम मध्यभारत सरकार ए आई आर १९५४ मध्यभारत ५४, केवलमल बनाम हुतराम ए आई आर १९५२ राजस्थान १७, प्रीतमसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९५८ पंजाब १८९

शास्ति के लिए नियम १६ में बताई गई जांच पूरी की जाना आवश्यक है। यदि मामला राजकीय सेवा के किसी राज्य कर्मचारी का है तो लोक सेवा आयोग की राय भी लेनी होगी। जबकि एक राज्य कर्मचारी उसकी जन्मतिथि के अनुसार रिटायर नहीं किया गया[1] अथवा वह साम्यवादी दल की राजनैतिक कार्यवाहियों में अभिरुचि रखता था[2] अथवा उसने ६० वर्ष की आयु पूरी कर ली थी परन्तु (मगर या वकील होने से) संविदा द्वारा निश्चित अवधि समाप्त नहीं हुई थी[3] अथवा वह असमर्थशील या अकुशल था[4] अथवा लोक सेवा आयोग की राय थी कि आरोप सिद्ध हो गए हैं[5] अथवा विभागीय कार्यवाहियों में लगे रहने के कारण या वहां उसका आवागमन था[6] अथवा उसने २५ साल की नौकरी पूरी करली थी[7] अथवा ? साल की नौकरी करने के बाद उसे जबरदस्ती से छुट्टी दी गई और अन्त में रिटायर किया गया[8] तो यह निर्णय हुआ कि ऐसी सेवानिवृत्ति नौकरी से हटाये जाने के समान है और इस कारण संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) लागू होता है। **श्यामलाल**[9] के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दण्ड का प्रभाव रखता है क्योंकि यह अधिकारी को नौकरी करने के अवसर से व अधिवार्षिक आयु (पचपन साल) तक चन्द वर्ष के वेतन प्राप्ति से वंचित रखता है और तत्पश्चात वह बनी हुई पेंशन से भी वंचित रहता है। परन्तु यह व्यक्त किया गया कि भविष्य में वृद्धि या आनुपातिक क्षति कानून की दृष्टि में इतना अनिश्चित है कि उसे सजा नहीं मान सकते। अतः यह निर्णय हुआ कि सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद ४६५ ए का टिप्पणी (नोट) १ के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा नौकरी से हटाया जाना नहीं माना। **डोशी**[10] के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने **श्यामलाल** के मामले पर पुनः विचार किया और यह वक्तव्य जारी किया कि उपरोक्त प्रकार के प्रश्न तभी पैदा हो सकते हैं जबकि नियमों द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु दोनों निर्धारित हों और किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं इन दोनों अवधियों के बीच में समाप्त कर दी जावें। परन्तु जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी नियम द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो या जबकि कोई ऐसा नियम हो और उसके द्वारा निर्धारित आयु से पूर्व कर्मचारी को रिटायर कर दिया गया हो तो उसका संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत अवश्यतया ही नौकरी से हटाया जाना ही माना जावेगा। आगे **दलीपसिंह**[11] के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने **श्यामलाल** एवं **डोशी** दोनों के मामलों पर विचार किया और व्यक्त किया कि इन

---

१ भारतीय संघ बनाम कर्नल अमरीक सिंह ए आई आर १९६६ पंजाब १०४
२ डा. एस. सेन बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ११६०
३ पृथ्वीनाथ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५९ इलाहाबाद १६९
४ सौभागचन्द दोशी बनाम सौराष्ट्र राज्य ए आई आर १९५५ सौराष्ट्र १४६, यह भी देखिये—ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८९२
५ मद्रास राज्य बनाम टी. के. गोपाल अय्यर ए आई आर १९५९ मद्रास १४
६ लछमनसिंह बनाम आर. जी. पी. ए आई आर १९५६ पंजाब १६
७ गुरुदेवसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय १५८५
८ हरीचन्द रैना बनाम जम्मू कश्मीर सरकार ए आई आर १९५९ जम्मू कश्मीर ६०
९ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९
१० बम्बई सरकार बनाम सौभागचन्द दोशी ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८९२
११ दलीपसिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय १३०५

मामला द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धान्त ऐसे मामलों में लागू हुआ है जिसमें सरकार अपने कर्मचारी को लोक हित की दृष्टि से रिटायर करना चाहती थी। इस वाद में प्रशासनिक कारणों से राज प्रमुख ने आई जी पुलिस को अधिवार्षिक आयु से पहले सेवानिवृत्त कर दिया। प्रार्थी का मुख्य तर्क यह था कि इस किस्म की सेवानिवृत्ति संविधान के अनुच्छेद ३११ की परिभाषा में नौकरी से हटाया जाना हो गया और इस कारण अवैध थी। **श्यामलाल** के मामले में नियत किये हुए परीक्षण को लागू करते हुए अधिवक्ता अब तक अर्जित किये गये लाभ का अधिकारों की क्षति हुई है न्यायालय ने व्यक्त किया कि आई जी पी को पूरी पेंशन दी गई है। उसके द्वारा अब तक अर्जित किये हुए लाभ की हानि का कोई प्रश्न नहीं है। नियमानुसार बिना पेंशन दिये यदि रिटायर करने का प्रावधान होता तो यह मान्यता देने का कुछ कारण हो सकता था कि सेवानिवृत्ति बतौर सजा थी। किन्तु चूंकि सेवानिवृत्ति नियमानुसार पेंशन पर ही हो सकती है मौजूदा वाद में पूरी पेंशन अधिकारी को स्वीकृत की गई है ऐसी दशा में सेवानिवृत्ति स्पष्टतया शास्ति स्वरूप नहीं है। जबकि तात्कालीन शासन के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार ने एक आदेश निकाला कि प्रार्थी की सेवा में ११ महीने और २० दिनों की बढ़ोतरी दी जाय। परन्तु लगभग एक पखवाड़े के भीतर सरकार ने एक दूसरी अधिसूचना जारी करके गत अधिसूचना को तत्कालिक प्रभाव से वापिस ले लिया। उसके फलस्वरूप प्रार्थी को पद से मुक्त कर दिया। यह निर्णय हुआ कि सरकार ने बाद की अधिसूचना द्वारा अपने पहले आदेश को वापिस ले लिया और उस प्रसनिक कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा गारंटी किये गये सुनवाई के कोई भी अवसर नहीं दिये गए अतः वह कार्य प्रत्यक्ष रूप में गलत था।[1]

सरकार की नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति संविधान के विपरीत नहीं—जबकि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु ५८ से घटा कर ५५ वर्ष करदी। इस घटोतरी का कारण सार्वजनिक प्रशासन की कार्य कुशलता उत्पन्न करने एवं आम भलाई में प्रयत्न होना था। यह निर्णय हुआ कि इस मामले में अनुच्छेद ३११ आकर्षित नहीं होता।[2] न्यायालय ने यह भी व्यक्त किया कि राज्यपाल को सेवा नियमों को बदलने की इकतर्फा स्वतन्त्रता है और इसके लिये कर्मचारी की राय पहले लेना आवश्यक नहीं है। यह भी निर्णय हुआ कि संविधान के अनुच्छेद ३०६ के अन्तर्गत कार्य करते हुए राज्यपाल के अधिकार इतने विस्तृत हैं कि वह पश्चात्वर्ती प्रभाव वाले नियम भी बना सकते हैं। ऐसे मामलों में अनुच्छेद ३२० (३) (ग) भी लागू नहीं होता। इस अनुच्छेद अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में लोक सेवा आयोग का परामर्श लेने से [illegible] अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला नहीं है जिस [illegible] का अनुच्छेद ३२० (३) (ग) लागू होता हो।[3] इसके अतिरिक्त सरकारी नीति पर [illegible] अधिवार्षिकी आयु तक पहुंचने से पहले आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्त करने का [illegible] क्रम में सेवानिवृत्ति (रिटायरमेन्ट) है और वह शास्ति रूप नहीं है।[4] इसी प्रकार ५५ [illegible]

---

१ के शामा राव बनाम मैसूर सरकार, ए आई आर. १९६३ मैसूर ३०८

२ राम अवतार पाण्डे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६२ [illegible]

३ चित्तौड़ वारादराजा बनाम ट्रावनकोर कोचीन सरकार, ए आई आर [illegible] कोचीन १६०, रामआधारसिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर. १९५६ [illegible]

४ मुंशीराम बनाम मध्यभारत सरकार ए आई आर १९५४ मध्यभारत ३१, [illegible] हतराम ए आई आर १९५२ राजस्थान १७, प्रीतमसिंह बनाम [illegible] १९६८ पंजाब १८६

के पश्चात् उसको सेवा में लगातार रखा जाता है तथा बाद में अस्थाई रखे नहीं होने के कारण उसको सेवा निवृत्त कर दिया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद ३११ का उल्लंघन नहीं होता और न उसके न्यायालय द्वारा सरकार के ऐसे निर्णय को बदला जा सकता है।[1]

आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्ति — साधारणतया जब किसी राज्य कर्मचारी की आनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्ति होती है तो वह दण्ड नहीं है। परन्तु कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें वह दण्ड स्वरूप नहीं होता। एक व्यक्ति को न्यायालय में बचाव के लिये सुन कर आनुपातिक पेंशन पर रिटायर होने को कहा गया तो यह निर्णय हुआ कि जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने पेंशन पर रिटायर होना या प्राथमिकता का आरोप बचन में उसने प्रश्न रखा, दो हानियों में से कम को चुना। उसने यह राय अपने आपसे और उसके सलाह से पूरा तरह स्वीकार करते हुए लिया।[2] एक अन्य केस में जबकि प्रार्थी को निरीक्षक के पद्धति हटाया गया था और उसने उसके दण्ड लेना स्वीकार कर लिया तो वह सरकार की इच्छा का नाश के नाम से आ गया। यह निर्णय हुआ कि इच्छा का नाश लागू करते हुए आनुपातिक पेंशन पर अधिवार्षिकी आयु से पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) करने को प्रारम्भ सेवा से हटाया जाना नहीं वरन् सामान्य क्रम में सेवानिवृत्ति है।[3] जबकि एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन में कोई हानि किये बिना अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया तो यह निर्णय हुआ कि अधिवार्षिकी आयु से पूर्व इस प्रकार का अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति कर्मचारी को नौकरी से हटाया जाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके द्वारा पिछली नौकरी पर उचित आनुपातिक पेंशन का अन्त नहीं होता।[4] इसी प्रकार यह घमना हुआ कि सरकार का एकतरफा अथवा और किसी जांच के अन्तर्गत आनुपातिक पेंशन पर अधिवार्षिकी आयु से पहले रिटायर कर देना सामान्य क्रम में सेवा निवृत्त माना जायेगा दण्ड स्वरूप होना नहीं।[5]

(७) सेवा से हटाया जाना —यह शास्ति बड़ी सजाओं में से एक है। ऐसी शास्ति अनुशासनीय प्राधिकारी द्वारा दिये जाने में सक्षम है। राज्य सजाओं के कर्मचारियों को ऐसी सजा देने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी को राज्य सेवा आयोग की राय लेनी होगी। स्पष्टीकरण (१) (vii) में चार शर्तें हैं जिनमें राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति शास्ति स्वरूप नहीं होगी। वे निम्नलिखित हैं —

(१) किसी परीक्षणार्थी की सेवा परीक्षण की अवधि में या उस अवधि के अन्त होने पर समाप्त करना

(२) किसी संविदा के आधार के अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी की सेवा उसके नियुक्ति काल समाप्त होने पर समाप्त करना,

---

१ एन एन एस मठा बनाम मैसूर राज्य ए आई आर १९६८ मैसूर ११६

२ आसाम सरकार बनाम हरनाथ बरुआ ए आई आर १९५७ आसाम ७७

३ शिवराजसिंह बनाम सरकार, ए आई आर १९५८ मध्यभारत ४०

४ बम्बई सरकार बनाम सौभागचन्द दोशी ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८९२ पंजाब सरकार बनाम रामप्रसाद ए आई आर १९ ? पंजाब ३४५

५ सुन्दरराम बनाम मध्यभारत सरकार ए आई आर १९५६ मध्यभारत ५४

(३) किसी इकरार के अंतर्गत किसी कर्मचारी की सेवा ऐसे इकरार की शर्तों के अनुसार समाप्त करना, या

(४) किसी ऐसे राज्य कर्मचारी की सेवा जो एकीकृत राजस्थान राज्य में चुना या संविलीन नहीं किया जा सका समाप्त करना।

नियम १४ का स्पष्टीकरण (२) यह प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति की एकीकृत राजस्थान राज्य में किसी पद पर चुनाव अथवा संविलीन नहीं हो सकने के अतिरिक्त किसी आधार पर सामयिक अस्थायी नियुक्ति हुई है और उसके पश्चात उसे नौकरी से छुट्टी (डिसचार्ज) दे दी जाती है तो ऐसा डिसचार्ज नौकरी से हटाया जाना माना जायगा।

शब्द 'हटाया जाना' या 'बर्खास्तगी' यहां पर परिभाषित नहीं हुए हैं। सामान्य सम्भाषण में उक्त शब्दों का तात्पर्य प्रायः किसी व्यक्ति के पद समाप्ति से है। किसी को उसके पद से हटाने या बर्खास्त करने का प्रभाव उसे उसके पद से डिसचार्ज (छुट्टी देना) होता है उस अर्थ में उक्त शब्दों में राज्य कर्मचारी की प्रत्येक प्रकार से सेवा समाप्ति आ जाती है। अनुच्छेद ३११ (२) प्रभावित रूप में निर्दिष्ट करता है कि किसी राज्य कर्मचारी की सेवा इस प्रकार समाप्त करने से पहले उसे ऐसी सेवा समाप्ति के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिया जाना चाहिये। नौकरी से हटाने से निःसन्देह सेवा समाप्त हो जाती है, परन्तु हर प्रकार की सेवा समाप्ति बर्खास्तगी या हटाया जाना नहीं होता। ऊपर उल्लेख किया गया स्पष्टीकरण १ (vii) देखने से विदित होगा कि सेवा समाप्तियों की कई किस्मों को नौकरी से हटाना नहीं माना जाता। अनुच्छेद ३११ सेवा समाप्ति के समस्त मामलों में लागू नहीं होता।[1] हटाने की कार्यवाही में यह अर्थ आ जाता है कि अधिकारी किसी प्रकार से लाछनीय अथवा अपूर्ण है जिसका तात्पर्य यह है कि वह किसी दुराचरण का दोषी है या उसमें सेवा कार्य करने की वांछित योग्यता, समर्थता या लगन का अभाव है। ऐसी परिस्थितियों में नौकरी से हटाने की कार्यवाही का कारण एवम् औचित्य उस अधिकारी के व्यक्तिगत आधार पर स्थित है।[2] नौकरी से हटाया जाना भविष्य में राज्य में नौकरी मिलने के लिए अयोग्यता नहीं है जब कि बर्खास्तगी सामान्यतया राज्य में भविष्य में नौकरी के लिये अयोग्यता होना है। इसलिये चाहे काम में दिये गये प्राकृतिक शब्द बर्खास्तगी और हटाये जाने का अर्थ अपनाये जावें अथवा नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vii) में लिखित इन शब्दों के सीमित अर्थों को मान्यता दी जावे, जहां तक स्थायी या अस्थायी (निश्चित अवधि के लिए नियुक्त हुये) कर्मचारियों से संबंध है नतीजा एक ही होगा अर्थात स्पष्टीकरण १ (vii) में दिए गए चार वर्गों के अतिरिक्त किसी कारणवश राज्य कर्मचारी को सेवा से अलग करना नियम १४ (६) एवं अनुच्छेद ३११ के अंतर्गत हटाया जाना माना जावेगा।[3] जब कि एक राज्य कर्मचारी इस आधार पर नौकरी से हटा दिया गया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को डाक्टरी प्रमाण पत्र दे दिया जिसकी दृष्टि दोष पूर्ण नहीं थी,[4]

---

१ सतीशचन्द्र बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०, एम एन एस सेठा बनाम मैसूर राज्य, ए आई आर १९६८ मैसूर ११६ भी देखें

२ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९।

३ मोतीराम बनाम उत्तर-पूर्वीय सीमांत रेलवे, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ६००

४ डा० ईश्वरनारायण सिन्हा बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४३९

अथवा जिसको प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर को अर्जी बिना उसे सूचना दिये सेवा-निवृत्त कर दी गई[1] अथवा जिसने किसी पद का कार्यभार ग्रहण किया[2] अथवा उसने एक प्रस्ताव में भाग लिया[3] अथवा जिसने राज्य आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया एवं दुर्व्यवहार किया[4] अथवा जिसे नौकरी में पुनः स्थापित किया गया और तत्पश्चात् उसको पुनः सेवा-निवृत्त कर दिया गया और उसे सेवा से पृथक कर दिया गया[5] अथवा उसे स्थायी सेवा के बजाय अन्य या नौकरी पर पुनः स्थापित किया गया[6] अथवा उसको इच्छा को प्राप्त जारी करने के लिए उसको उसके बाद कागजात के विरुद्ध खण्ड के स्थान में रखा गया[7] अथवा उसने बिना शर्तों के क्षमायाचना की है[8] तो यह निर्णय हुआ कि उसके पद पर प्रभाव डालने वाला सेवा से पृथक करने के निर्णय अन्य कुछ नहीं था तथा नियमों एवं संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों का पालन किये बिना आदेश अवैध था।

इसके विपरीत जब कि एक राज्य कर्मचारी को सेवा इस्तीफे, सम्मति, स्वतः प्राप्ति के मुकदमे में मुलजिम था, प्रावधिक आधार (टेक्निकल ग्राउण्ड) पर उच्च न्यायालय द्वारा बरी किया गया परन्तु सरकार द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया[9] अथवा किसी को संविदा द्वारा प्रस्ताव अधिकार के प्रयोग में रद्द किया गया[10] अथवा जब सेवा आधार पर सम्मति से सरकार द्वारा रद्द किया गया,[11] अथवा उचित कार्यवाही लागू करने के पश्चात् हटाया गया[12] तो निर्णय हुआ कि सेवा से पृथक करने का आदेश उचित रूप से जारी हुआ था और संविधान के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत है कि किसी किसी असैनिक कर्मचारी की सेवाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध दुराचरण के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर, समाप्त करना अनुच्छेद ३११ (२) को आकर्षित करता है[1] परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

---

१ विभूति भूषणदास बनाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट, ए. आई. आर. १९६४ उड़ीसा २७८
२ मोहिन्द्दीन बनाम डिविजनल इंजी. ए. आई. आर. १९५६ हैदराबाद ७८१ एवं स्वर्ण भूषण धर बनाम चीफ कमिश्नर सुपरिन्टेंडेंट ए. आई. आर. १९६१ कलकत्ता ८
एम. एन. बाधवा बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९६४ पंजाब १४
४ मध्यप्रदेश सरकार बनाम सोहनलाल मिश्रा ए. आई. आर. १९५८ मध्यप्रदेश २८
५ रामचरण बनाम मध्य भारत सरकार ए. आई. आर. १९५६ मध्यप्रदेश १५, मोहनसिंह बनाम डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर, ए. आई. आर. १९५९ पंजाब ७
६ रामनारायण बनाम मध्य भारत सरकार ए. आई. आर. १९५८ मध्यप्रदेश १४
७ बालकृष्ण बनाम मध्य भारत सरकार ए. आई. आर. १९५३ मध्य भारत १०
८ रामनारायण बनाम भारतीय संघ १९६३ आर. एल. डब्ल्यू. १२८
९ मोहम्मद हैदर बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार ए. आई. आर. १९६० आ. प्र. प्रदेश ४७८
१० किशन प्रसाद बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९६० कलकत्ता २०४, ए. आई. आर. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ६०० भी देखें
११ जार्ज जान बनाम ट्रावनकोर कोचीन सरकार ए. आई. आर. १९६२ ट्रावनकोर कोचीन १३०
१२ नाजाइराय बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९५ पंजाब १२७

श्यामलाल[1] के मामले में दी गई अभिव्यक्ति के पश्चात इस प्रश्न का तयशुदा मान (कि अनुच्छेद ३११ (२) तभी लागू होता है जब किसी अधिकारी की सेवाएं उसके व्यक्ति के आधार पर समाप्त की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप अथवा चार्ज जिनको अनुमानत वह अधिकारी गलत साबित कर सकता है या जिनका स्पष्टीकरण कर सकता हो, लगाना अनुच्छेद ३११ (२) को आकर्षित करता है चाहे उसका कारण दुराचरण अथवा कार्यपालन की योग्यता, क्षमता या इच्छा का अभाव हो अथवा दूसरे शब्दों में शारीरिक या मानसिक अदक्षता या असमर्थता हो। अत इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई अधिकारी स्थायी रूप से शारीरिक कारणों से असमर्थ हो जाता है—डाक्टरी प्रमाण-पत्र या कोई अन्य आधार पर—तो उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही आदेश जारी हो सकता है।[2]

परीक्षणार्थी की सेवा समाप्ति—नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vii) (क) के अनुसार परीक्षण पर नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति जो उसकी नियुक्ति की शर्तों या नियमों या परीक्षण पर लागू आदेशों के अनुसार परीक्षण के मध्य में अथवा अंत में की गई हो उसको सेवा से पृथक करना नहीं माना जायगा। चूंकि परीक्षण का ध्येय कर्मचारी के आचरण एवं योग्यताओं की परीक्षा लेना मात्र होता है सेवा के इकरार में सामान्यतया ६ महीनों से एक वर्ष तक की अवधि परीक्षण काल की निर्धारित की जाती है अथवा यह भी हो सकता है कि इकरारनामे में कोई अवधि बिलकुल नहीं दर्शाई गई हो। एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या किसी परीक्षणार्थी को जो परीक्षण काल समाप्त हो जाने के पश्चात भी बिना पूर्व पद पर लौटाये जाने के उसी पद पर जारी रहता है नौकरी में पक्का किया जाना अथवा पक्का हो जाने की तरह शुमार किया जाने का हक है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में[3] इस प्रश्न पर विस्तृत विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परीक्षणार्थी को पक्का किये जाने का कोई हक नहीं है न उसका पक्का किया जाना शुमार ही किया जा सकता है। किसी स्थायी पद के लिये पात्र मात्र होने से परीक्षणार्थी कोई श्रेष्ठतर स्थिति में नहीं होता। इतना होने के बावजूद भी जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **धींगरा** के वाद में[4] निर्देशित किया है परीक्षणार्थी को संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकताओं का पालन किये बिना दुराचरण के लिये दण्डित नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर परीक्षण काल बढ़ाने का अधिकार सर्वथा राज्य सरकार को है।[5] परन्तु यदि किसी परीक्षणार्थी को किसी विशेष अपराध या दुराचरण के कारण डिसचार्ज (पृथक) किया जा रहा है तो वह सेवा से पृथक करना माना जावेगा और इसलिए सरकार के लिए आवश्यक होगा कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करें।[5]

---

१ श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३६९
२ बसु भारत का संविधान (अंग्रेजी) तृतीय संस्करण जिल्द II ४८२
३ सुखबंससिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७११ यह भी देखिये—हाट बल प्रकोटसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८८६, जिसमें ग्रेडेशन सूची में एक इन्द्राज की ध्वनि से कि वह अधीनस्थ सेवा में परीक्षार्थी के रूप में शुमार किया जा रहा है न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि उसने अधीनस्थ सेवा में लगभग ८ वर्षों तक कार्य किया है एवं अन्य १० वर्षों तक वह राज्य सेवा में था तो भी वह अधीनस्थ सेवा में परीक्षणार्थी ही समझा जायगा।
४ पुरुषोत्तमलाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
५ मध्य प्रदेश सरकार बनाम अमृतलाल ए आई आर १९५ उडीसा २९ यह भी देखिये गोपी किशोर बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना ३७२

जब कि किसी परिवीक्षार्थी की सेवाएं भ्रष्टाचार एव असन्तोषजनक कार्य के आधार पर[1] अथवा शारीरिक अयोग्यता के कारण[2] अथवा अपने आचरण के कारण अथवा विभागीय परीक्षा पास नहीं कर सकने के कारण[3] समाप्त की गई तो यह निर्णय हुआ कि उसको हटाया जाना स्पष्टतया शास्ति स्वरूप था और इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार था।

यह भी भली भांति निश्चित है कि परीवीक्षा पर रखे गये राज्य कर्मचारी को डिस्चार्ज (पृथक) किया जा सकता है और जब कि उसकी सेवाएं शास्ति रूप में नहीं अपितु नियमानुसार समाप्त की जाती हैं तो उसका डिसचार्ज अनुच्छेद ३११ (२) की परिभाषा में पदच्युतता या नौकरी से हटाया जाना नहीं होगा न उस अनुच्छेद के प्रावधान ही लागू होंगे। परीक्षार्थी को अपने पद पर स्थित रहने का कोई स्वत्व नहीं है और उसकी नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत एवं मामलों पर लागू होने वाले नियमों के अधीन रहते हुए वह परीवीक्षा काल में किसी भी समय डिसचार्ज किया जा सकता है।[4]

अस्थाई सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति – नियम १८ के स्पष्टीकरण (१) (iii) के अनुसार किसी संविदा द्वारा नियुक्त हुए कर्मचारियों के अतिरिक्त नियुक्ति काल समाप्त होने पर अस्थाई कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को नौकरी से हटाया जाना नहीं माना जाता। **सतीशचन्द्र** के वाद में[5] सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि नौकरी स्थाई होना है तो कुछ वैधानिक शर्तें होनी चाहिये परन्तु उस प्रकार के प्रभाव में अस्थाई तौर में कार्य पर लगाए हुए अस्थाई कर्मचारियों के साथ अन्य नियोक्ताओं की भांति सरकार बिना संविदा (कान्ट्रेक्ट) करने में स्वतन्त्र है। मुख्यतया इस सिद्धान्त को यों रखा जा सकता है कि जब कि किसी कर्मचारी की किसी सेवा संविदा की स्पष्ट या गर्भित शर्तों के अन्तर्गत अथवा सेवा शर्तों पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत किसी पद या पद विशेष पर स्वत्व है तो उस कर्मचारी की सेवा समाप्ति या पदावनति अपने आप में एव प्रथम अवलोकन में शास्ति होता है, क्योंकि इसका प्रभाव उसके उस पद पर अथवा पंक्ति पर स्थित रहने और उससे सम्बन्धित वेतन एव अन्य उपलब्धियों प्राप्त करने के अधिकार को क्षति करना माना है। परन्तु यदि कर्मचारी को अपने पद पर कोई स्वत्व नहीं है जैसा कि अस्थायी तौर पर या परीक्षण पर की गई नियुक्ति में होता है और जिसकी अस्थाई सेवा पर पद अब स्थाई नौकरी नहीं बना है ऐसे कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति उसको किसी स्वत्व से वंचित नहीं करती और इसलिए अपने आपमें सजा नहीं है। किसी राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति शास्ति के रूप में है या नहीं इसको तय करने के लिए एक परीक्षण यह मालूम करना है कि यदि सेवा इस

---

१ बिहार सरकार बनाम गोपीकिशोर प्रसाद ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ६८९
२ डा० कालाराम आनन्द बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ३३०
३ डूंगरसिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५५ नागपुर १०७
४ राजाराम बनाम सरकार, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद १४१ विपरीत राय के लिए देखिये—ए आई आर १९६० कलकत्ता १८ तथा—ए आई आर १९६२ मनीपुर ७५
५ राजेन्द्र चन्द्र बनर्जी बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६ सर्वोच्च न्यायालय १५५२
६ सतीशचन्द्र आनन्द बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २५०

प्रकार समाप्त नहीं की जाती तो क्या उस कर्मचारी को उक्त पद धारण करने का स्वत्व प्राप्त था। स्थाई रूप से मौलिक पद अथवा नियत अवधि के अस्थाई पद अथवा अजस्थायी तौर पर पद धारण करने वाला को अपने पदों पर स्वत्व होता है। अत धींगरा के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि यदि उसे पद पर स्वत्व था तो उसकी सेवा समाप्ति अपने आप में सजा होगी और वह अनुच्छेद ३११ द्वारा प्रदत्त संरक्षण पाने का अधिकारी है। इस प्रकार से इसी तरह को या प्रस्तुत कर सकते हैं कि यदि सरकार को किसी स्पष्ट या गर्भित संविदा द्वारा अथवा नियमों के अन्तर्गत किसी भी समय सेवा समाप्ति का अधिकार है तो संविदा या नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसी सेवा समाप्ति प्रथम अवलोकन में एवं स्वयं में सजा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे।

इस प्रकार जब कि किसी अस्थायी राजकीय कर्मचारी की सेवाएं छटनी के कारण समाप्त की गई[2] अथवा पद उन्मूलन के कारण[3] अथवा सरकारी व्यवस्था की समाप्ति होने के कारण[4] अथवा कर्मचारी वर्ग की समाप्ति के कारण[5] अथवा कानून में किसी विषय को हटा दिये जाने कारण[6] अथवा विध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण,[7] अथवा उसे अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किये जाने से[8] अथवा उसके पूर्व चरित्र से असन्तुष्ट होने के कारण अथवा भूतपूर्व कैदी होने के कारण और नियुक्ति के पश्चात इस गलती से अवगत होने से,[10] तो निर्णय हुआ कि सेवा समाप्ति बतौर सजा नहीं थी और इस वजह से राज्य कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) में दिये गये संरक्षण का अधिकार नहीं था। सामान्य न्याय के सिद्धान्त भी लागू नहीं हो सकते।

इसके विपरीत अस्थायी पद पर काम कर रहे कर्मचारी की सेवा किसी भी समय नोटिस देकर कि अब उसके नौकरी की आवश्यकता नहीं है समाप्त की जा सकती है।[11] नियुक्ति अधिकारी के लिए कोई कारण प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अत जबकि एक महिने का नोटिस देकर इस आधार पर सेवा समाप्त की गई कि वह पद के लिए उपयुक्त नहीं है[12] अथवा लोक सेवा आयोग

---

१ पुरुषोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६
२ के एन श्री निवासन् बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ४१६
३ ब्रजनन्दन बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५५ पटना ३५३
४ महेश्वरी प्रसाद बनाम रीजनल ई ओ ए आई आर १९५७ पटना ५५५
५ अब्दुल कादर बनाम सरकार ए आई आर १९५७ हैदराबाद १२
६ गोपाल नारायण मिश्र बनाम रीजनल ऐपीलेट कमेटी ए आई आर १९६५ इलाहाबाद २५२
७ पी वाला कौशल बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२
८ बलबीरसिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५५ नागपुर २८९
९ के एम सुगया प्रसाद बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६५ केरल १९
१० ईश्वरी प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार, १९६५ आर एल डब्ल्यू ७
११ अहमद शेख बनाम डिविजनल एफ ओ ए आई आर १९५७ जम्मू कश्मीर ११
१२ गुलाम एहमद बनाम आई जी पी ए आई आर १९५९ जम्मू कश्मीर १३६

ने उसे चुना नहीं है,[1] अथवा आम हड़ताल की तैयारी में स्वयं सक्रिय भाग लिया[2] तो निर्णय हुआ कि नोटिस पर सेवा समाप्ति करना नौकरी से हटाया जाना नहीं माना जा सकता एवं अनुच्छेद ३११ के प्रावधान लागू नहीं होते। परन्तु जबकि एक अस्थायी राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई यद्यपि उससे कनिष्ठ व्यक्ति सेवा में रख लिए गये[3] अथवा जब कि एक चेतावनी दी गई और साथ में नोटिस के बदले में एक माह के वेतन पर सेवा समाप्त कर दी गई[4] अथवा सेवा इसलिए समाप्त की गई कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ[5] (एक राजनैतिक दल) का सदस्य है अथवा वह पहले दण्डित (सजायाफ्ता) था[6] अथवा उसके विरुद्ध एक रिमार्क (शिकायत) थी कि वह सेवा में रखने के लिए अनुचित व्यक्ति था[7] अथवा आदेश में उसकी सत्यनिष्ठा एवं क्षमता पर कलंक लगाया था[8] अथवा अवचरण (मिसकण्डक्ट) की प्रारम्भिक कार्यवाहियों के आधार पर अथवा दुर्व्यवहार एवं खराब काम[10] अथवा रिश्वत[11] के आधार पर तो यह निर्णय हुआ कि इस प्रकार की सेवा समाप्ति स्पष्टतया कठोर सजा है और ऐसी कार्यवाही के लिए अनुच्छेद ३११ लागू होगा। जबकि कोई अधिकारी किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करना चाहता है तो किसी प्रकार का लांछन अथवा उसके आचरण पर धब्बा डाले बिना वह डिस्चार्ज का साधारण आदेश जारी कर सकता है।

अवधि पूरी होने से पूर्व सेवा-समाप्ति नोटिस का प्रभाव रखता है।[12] एक मामले में जब कि प्रारम्भ में प्रार्थी की नियुक्ति छः मास के लिए अस्थायी की गई थी बाद में नियुक्ति काल समय समय पर बढ़ाया गया। फिर प्रार्थी की सेवा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने का आदेश इस आधार पर किया गया कि लोक सेवा आयोग ने उसे नियुक्ति हेतु चुना नहीं। तो यह कहना हुआ कि नियुक्ति काल की अवधि पहली अवधि पूरी हो जाने के बाद बढ़ाई गई और आगे की अवधि निश्चित नहीं की गई तो यह नहीं कहा जा सकता कि नियुक्ति निश्चित काल तक के लिए थी और ऐसी अस्थायी नियुक्ति में अनुच्छेद ३११ लागू होगा।[13]

---

१ विश्वम्भर बनाम चन्दर सेन एस डी ए आई आर १९५४ नागपुर ९०
२ श्रीमति अनमा मुखर्जी बनाम ग्वालियर ए आई आर १९५८ कलकत्ता ४६१
३ सुखनन्दन ठाकुर बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५७ पटना ८१७
४ जे एम वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९६२ इलाहाबाद ६३१
५ किशनलाल तख्तमल बनाम मध्य भारत सरकार, ए आई आर १९५६ मध्य भारत १००
६ गोपाल चन्द्र बनाम त्रिपुरा क्षेत्र ए आई आर १९६० त्रिपुरा १ त्रिपुरा क्षेत्र बनाम गोपाल चन्द्र ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ६०१
७ जगदीश मित्तर बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ४४९
८ दर्शनसिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९६४ पंजाब २४८
९ ज्योतिर्मय राय बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६२ कलकत्ता २४६
१० हरिश्चन्द्र बनाम उपनिरीक्षक शिक्षा विभाग १९६४ आर एल डब्ल्यू ६२५
११ मदन गोपाल बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ५३१
१२ श्याम बिहारी तिवारी बनाम भारतीय संघ ए आई आर, १९६२ असम ९४
१३ द्वारकादास मेहता बनाम जम्मू सरकार, ए आई आर १९५२ जम्मू १४८

जब कि एक राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य स्थान पर किया गया, उसने डाक्टरी आधार पर रियायती अवकाश मांगा। उसे ऐसे अवकाश में वृद्धियें स्वीकृत हुई। तत्पश्चात अवकाश और अधिक बढ़ाने का उसका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। उसे पुन आदेश हुआ कि कार्य-ग्रहण करले वर्ना उसकी नौकरी समाप्त की जाना समझली जायेगी। यह निर्णय हुआ कि उसकी सेवा समाप्ति बतौर सजा नही था और उसमे सामान्य न्याय के सिद्धान्त लागू करना आवश्यक नही था।[1] परन्तु जब कि एक राज्य कर्मचारी को सूचित किया गया कि चूंकि वह अपना तमाम अर्जित अवकाश खत्म करने के बाद भी नौकरी मे गैर हाजिर रहता रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति समाप्त की जाना मानली जायगी किन्तु नौकरी समाप्त करने की आज्ञा वास्तव में जारी नही हुई। यह निर्णय हुआ कि सरकार उसकी सेवा समाप्त कर सकती है परन्तु जब तक वह ऐसा नही करे तब तक उसे सरकारी कर्मचारी ही मानना पड़ेगा और जो वेतन एवं उपलब्धियां उसे देय हैं वह चुकानी चाहिये।[2]

इकरार के अन्तर्गत सेवा समाप्ति—नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (vii) (ग) प्रावधान करता है कि किसी संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किये गये राज्य कर्मचारी की सेवा, उक्त संविदा की शर्तों के अनुसार समाप्त कर दी जावे तो वह दण्ड नही समझा जावगा। अस्थायी कर्मचारियों के साथ भी नौकरी की विशेष संविदा निर्माण करने में सरकार स्वतन्त्र है[3] परन्तु सेवा की ऐसी शर्तें संविधान से असंगत नही होनी चाहिये।[4] ऐसे मामलों में संविदा की शर्तें राज्य सरकार पर भी लागू होती है।[5] परन्तु यदि कोई मनुष्य राज्य सरकार के सामान्य कार्य मानने में अपने आपको बांध लेता है तो जो शर्तें वध हो वे उस पर लागू होना मानली जवेगी। जब कि किसी अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित काल के लिए हुई तो उस अवधि के समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति का अन्त हो जायगा और उसे एक महिने का नोटिस देना आवश्यक नही होगा। केवल उन मामलो में जिनमें अस्थायी नौकरी अनिश्चित काल के लिए है एक महिने का नोटिस देने का प्रश्न आयेगा।[7] इकरार नामे के अनुसार सेवा समाप्ति बतौर सजा नही होती उसके लिये कोई विशेष कार्य प्रणाली भी आवश्यकता नहीं है[8] परन्तु जब कि दुराचरण के लिए कार्यवाही की जाती है और एक व्यक्ति को जांच के बाद सेवा से पृथक किया जाता है यद्यपि संविदा की शर्तों के अनुसार किसी भी ओर से एक महिने का नोटिस देकर

---

१ डा० परमानन्द बनाम जिला बोर्ड ए आई आर १९६२ पटना ४५२
२ जतीन्द्र मोहन साहू बनाम सचालक स्वास्थ्य सेवाए ए आई आर. १९६३ कलकत्ता ६०८
३ शारदा प्रसाद बनाम एकाउन्टेन्ट जनरल, ए आई आर १९५५ इलाहाबाद ४९६
४ पतित पावन बोस बनाम कमीश्नर ए आई आर १९५७ कलकत्ता ७२०
५ सतीशचन्द्र बनाम भारतीय सघ ए आई आर. १९५३ सर्वोच्च न्यायालय २५०
६ फकीरचन्द बनाम एम चक्रवर्ती, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ५६६
७ योगम गौरीसिंह बनाम भारतीय गणतन्त्र, ए आई आर १९६२ मनीपुर ५२
८ रणजीत घोष बनाम दामोदर घाटी निगम, ए आई आर. १९६० कलकत्ता ५४९, मोहनलाल शर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरकार, १९५७ मध्य प्रदेश १३३, गंगाधर गुरुसिद्दप्पा बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९६३ मैसूर १९३ वामन बालकृष्ण बनाम कलेक्टर केन्द्रीय आबकारी, ए आई आर १९५९ बम्बई १४२, आर एल गुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार, ए आई आर. १९५४ हिमाचल प्रदेश १, अनन्तराम बनाम ए एन दीक्षित

कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती थी तो निर्णय हुआ कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ था इसलिए सेवा समाप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकती। सेवा समाप्ति के आदेश में दिए गये संविदा की शर्तों के अन्तर्गत लिए गये कदम के लिये परीक्षण नहीं हो सकता कि वस्तुतः सेवा की शर्तों के अन्तर्गत हुआ। परिस्थितियों एवं आदेश के शब्दों से उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए।[१] यदि किसी राज्य कर्मचारी को संविदा द्वारा निश्चित अवधि से पूर्व पृथक कर दिया जाता है तो उसे संविदा द्वारा निर्धारित काल तक के लिए नियुक्त समझा जाना चाहिये।[२]

एकीकरण ढांचे में सेवाओं की समाप्ति—नियम १४ का स्पष्टीकरण (१) (viii) (ख) प्रावधान करता है कि राजस्थान में मिले हुए इकाइयों की सेवाओं में जो राज्य कर्मचारी थे यदि उनका चुनाव एकीकृत सेविस प्रकरण सम्मिलित राजस्थान राज्य में नहीं हुआ तो स्पष्टीकरण नियमों के अनुसार उनकी सेवा समाप्ति के लिए नहीं मानी जावेगी। जब एक राज्य अन्य राज्य में समाविष्ट होता है—चाहे स्वेच्छा से पराजय के कारण, सम्मिलन अथवा एकीकरण के फलस्वरूप तो पहिले की सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य हुई समस्त संविदायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं एवं तत्पश्चात जो व्यक्ति नवीन सरकार में नौकरी करना चाहे और जो नौकरी में ले लिए जायें तो उन पर नई सरकार की इच्छानुसार नियमावली लागू होगी।[३] जब कि तत्कालीन जयपुर राज्य के सामर एवं भाकरोटा विभाग के निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया कि उसे सेवा से पृथक क्यों न कर दिया जावे और वह प्रशासक द्वारा सेवा से डिसमिस एवं पृथक कर दिया गया और इस कार्यवाही की सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई तो यह निर्णय हुआ कि इस मामले का प्रश्न ये निर्णय नहीं करता है कि यदि उस व्यक्ति को एकीकरण ढांचे में ले लिया जाता तो नई सरकार में उसकी नियुक्ति कौन करता। अतः पहले के राज्य का नियुक्ति अधिकारी को नहीं वरन् नए राज्य के नियुक्ति अधिकारी को देखना है।[४] परन्तु यदि नये राज्य ने पहले की कार्यवाही के लिए कर्मचारी का अभिग्रहण कर लिया है और उसकी सेवाएं अनुबन्ध के आधार पर बिना जांच किये समाप्त की गई हैं तो उसका पृथक्करण उचित नहीं होगा।[५]

(८) सेवा से पदच्युति—इन नियमों के अन्तर्गत अनेक दण्ड शास्तियों में से एक है। राज्य सेवाओं में स्थित सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसी शास्ति आरोपित करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त करनी होगी। सामान्यतया सेवा से पदच्युति भविष्य में नियुक्ति के लिए अयोग्यता होगी, परन्तु यदि किसी विशेष मामलों

ए आई आर. १९५६ इलाहाबाद ५२७, शिव गुप्ता बनाम जनरल मैनेजर ए आई आर. १९५८ इलाहाबाद ६८३ जयन्ति प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५१ इलाहाबाद ७०३ भूपेन्द्र प्रसाद वर्मा बनाम बिहार सरकार, ए आई आर. १९५७ पटना ३२६, देशराज बनाम भारत डामिनियन ए आई आर १९५२ पंजाब २०५

१ डा० मदन बनाम संचालक हरिजन सुधार ए आई आर. १९५७ इलाहाबाद ४०८
२ बम्बई राज्य बनाम डा० एन टी अडवाना ए आई आर १९६३ बम्बई १३
३ अयाराम माचीसिंह बनाम श्री एस डी ए आई आर १९६० मनीपुर ४९
४ सौभागमल बनाम सरकार आई एल आर. १९५८ राजस्थान ७३५
५ बम्बई सरकार बनाम डा० गिरधारीलाल ६० बम्बई एल आर ११३७

के तथ्य (मेरीटस) को देखते हुए उचित समझे तो राज्य सरकार इस अयोग्यता का परित्याग करने मे समर्थ है।

शब्द 'बर्खास्तगी', 'नौकरी से हटाना' एवं पंक्ति से अवनति सब विशेष पारिभाषिक (टेक्निकल) शब्द है,[1] और इनका अभिप्राय साधारण अर्थ से निकालने का अनुमति नहीं है। यद्यपि पदच्युति (बर्खास्तगी) दुराचरण के मामलों के लिये सीमित नहीं है फिर भी सामान्यतया बर्खास्त हुआ व्यक्ति को कलंकनीय समझते हैं। इसके विपरीत किसी आदमी को सेवा से पृथक करने (हटाने) में उसका अपराधी होना आवश्यक नहीं है।[2] संविधान में भविष्य में नियुक्ति के मामले में अतिरिक्त 'हटाना' एवं बर्खास्तगी समान रूप से व्यवहरित हुए हैं। जबकि पदच्युति सामान्यतया अधिकारी का आगामी नियुक्ति में अयोग्यता लाती है सेवा से पृथक्करण यह अयोग्यता नहीं लाता।

अवैध पदच्युति—किन आधारों पर राज्य कर्मचारी की पदच्युति की जा सकती है यह संविधान का अनुच्छेद ३११ निर्धारित नहीं करता। अनुच्छेद ३१० के अन्तर्गत "राज्यपाल की प्रसन्नता पर्यन्त" का प्रयोग करने की एक मात्र शर्त यह है अनुच्छेद ३११ (१) एवं (२) में दी गई शर्तों का पालन किया जावे। यदि अनुच्छेद ३११ की पालना हुई है तो किसी अन्य कारण से न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते और बर्खास्तगी का औचित्य केवल फौजदारी आरोपण अदक्षता अथवा भ्रष्ट आचरण अथवा शासन नीति के कारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।[3] जबकि लम्बे अवकाश के कारण एक चेतावनी दी गई और उस चेतावनी को बर्खास्तगी के लिये नोटिस मान लिया गया[4] अथवा बर्खास्तगी की आज्ञा जारी करने के लिये पिछले रेकार्ड को ध्यान में रखा गया[5] अथवा जबकि जांच एक दिन में की जाकर पदच्युति कर दी गई,[6] अथवा पक्षपात पूर्ण राय के आधार पर पदच्युति का आदेश जारी किया गया[7] अथवा जबकि उसके विरुद्ध अपराध का कोई चार्ज नहीं था किन्तु बर्खास्तगी कर दी गई[8] अथवा जबकि पदच्युति जांच करने वाली अदालत के फैसले के आधार पर की गई और दण्ड अपील में खारिज हो गया[9] तो यह निर्णय हुआ कि ऐसी बर्खास्तगी का आदेश अवैध था। नियुक्ति अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि स्पष्ट

---

१ अमूल्य मुखर्जी बनाम ईस्ट इण्डिया रेलवे ए आई आर १९६१ कलकत्ता ४० विश्वनाथसिंह बनाम ट्रैफिक अधीक्षक ए आई आर १९५६ पटना २२१ तबीबुद्दीन एहमद बनाम असम सरकार, ए आई आर १९५८ असम १८१, शारदा प्रसाद बनाम ऐनाउन्स्मेंट जनरल ए आई आर १९५५ इलाहाबाद ४१६

२ ईश्वरदास मेहता बनाम पेप्सू सरकार, ए आई आर १९५२ पेप्सू १४८

३ केवलमल बनाम हेतराम ए आई आर १९५२ राजस्थान १७

४ कमलाबाई बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ मध्य भारत १२८

५ रामचन्द्र बनाम डिप्टी आई जी ए आई आर. १९५७ मध्य प्रदेश १२६

६ कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर १९५८ राजस्थान ४३२

७ राजाराम बनाम सरकार, ए आई आर १९५६ मध्य प्रदेश १४

८ पी ए. एहमदसा बनाम ट्रैवनकोर कोचीन राज्य ए आई आर. १९५६ ट्रैवनकोर कोचीन ३५

९ डिवीजनल अधीक्षक बनाम रामसरन दास, ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३६

अभियोग पूर्ण विवरण सहित निर्धारित करें और सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अवगत कर दें और उन अभियोगों का उत्तर देने के लिए उसे समुचित अवसर प्रदान करें।

अनुच्छेद ३१० और ३११ स्थाई रूप से नियुक्त असैनिक कर्मचारियों एवं अस्थाई रूप में नियुक्त कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं करते। जब कि एक अस्थाई सिपाही ने अफसर पर हुई थाना पर आक्रमण करने का प्रयास किया और सेवा से पदच्युत कर दिया गया, यह निर्णय हुआ कि दोनों प्रकार अवस्थाओं को सेवा से निकाले अनुपयुक्त या अविश्वसनीय होने या सेवा समाप्ति के कारण से सम्बन्ध है तो अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों का पालन होना चाहिये और इसमें कर्मचारी की स्थाई अथवा अस्थाई होने में कोई अन्तर नहीं होगा।[1]

जब कि प्रार्थियों को पुनः स्थापित नहीं किया गया और यह आरोप लगाया कि उन्होंने कर्मचारियों की सभा का आयोजन किया और उनको हड़ताल करने को उकसाने तथा राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए सरकारी सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करके उसमें भाषण दिया और स्वयं ने भी भूख हड़ताल में भाग लिया। यह निर्णय हुआ कि यद्यपि हड़तालों का आश्रय लेना राजस्थान राज्य कर्मचारी आचरण नियमों (राजस्थान गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स) में विशेष तथा निषेध किया हुआ नहीं है फिर भी हड़तालों का आश्रय लेने वाले प्रशासनीय विभागों के राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता था। संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रावधानुसार प्राव धान का पालन किए बिना पदच्युति स्थाई मान्य नहीं है।[2]

इसके विपरीत यदि कोई राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों पर बर्खास्त किया गया है तो इन नियमों के आधार पर उसके आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती जैसा संविधान के अनुच्छेद ३११(२) (ग) द्वारा वर्जित है।[3]

१४ अनुशासन अधिकारीगण—(१) राज्य सेवाओं के लिए सरकार अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेषतया अधिकृत प्राधिकारी अधीनस्थ सेवाओं के लिए विभागाध्यक्ष अथवा सरकार के अनुमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी और निम्नवर्गीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के लिए कार्यालयाध्यक्ष, नियम १४ में निर्दिष्ट समस्त शास्तियाँ देने के लिए अधिकृत होंगे।

[4]राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १५(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने प्रसन्न होकर राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर उक्त नियमों में निर्धारित कोई भी शक्ति, सिवाय सेवा से पृथक्करण अथवा पदच्युति का लागू करने की शक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासन न्यायाधीश अथवा[5] मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को प्रत्यायुक्त की है।

---

[1] जी पी भाट बनाम बम्बई सरकार, ए आई आर. १९५७ बम्बई १७२ डी पी रघुनाथ बनाम कुग राज्य ए आई आर १९५७ मसूर ८

[2] मथराज बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर. १९५५ राजस्थान ८८७

[3] जगन्नाथ नाजादा बनाम एकाउन्टेन्ट जनरल, ए आई आर. १९५८ बम्बई २८३

[4] अधिसूचना संख्या एफ. ३(१) नियुक्ति ए/६० ग्रुप III दिनांक १६ १ ६० एवं ९ १ ६१

(२) जिन राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में नियुक्ति का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित (डेलीगेट) नहीं किया गया है उन पर निन्दा और वेतन-वृद्धि रोकने की शास्तियों के अतिरिक्त अन्य शास्तियें लागू करने के पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।

टिप्पणी

यह नियम वास्तव में अनुशासन प्राधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों से सम्बन्ध रखता है। शब्द अनुशासन प्राधिकारी से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो किसी राज्य कर्मचारी पर शास्ति आरोपित करने की शक्ति रखता है। उपनियम (१) के अनुसार अनुशासन प्राधिकारी को, नियम (१४) में निर्दिष्ट समस्त शास्तियें लागू करने का अधिकार है। दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत कोई राज्य कर्मचारी उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता। इन नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ती प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी एक ही व्यक्ति हों। नियम १२ नियुक्ति प्राधिकारियों के विषय में है। नियम १५ का उपनियम (१) निम्नलिखित अनुशासन प्राधिकारियों के नाम घोषित करता है जो नियम १४ में निर्दिष्ट समस्त शास्तियें आरोपित कर सकते हैं —

वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारीगण	अनुशासन प्राधिकारीगण
राज्य सेवा	सरकार अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी	सरकार अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
अधीनस्थ सेवा	विभागाध्यक्ष अथवा सरकार के अनुमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी	विभागाध्यक्ष अथवा सरकार के अनुमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी
लेखक वर्गीय सेवा	कार्यालयाध्यक्ष परन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदेशों के अनुसार।	कार्यालयाध्यक्ष
चतुर्थ श्रेणी सेवा		

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या अनुशासन प्राधिकारी उस दशा में समस्त शास्तियें लागू कर सकता है जब कि नियुक्ति प्राधिकारी कोई अन्य व्यक्ति हैं उदाहरण के लिये, यदि एक राज्य सेवा के सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हुई तो क्या उसके विरुद्ध कोई शास्ति सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अनुशासन प्राधिकारी लागू कर सकता है? निःसन्देह ऐसा अनुशासन प्राधिकारी बर्खास्तगी एवं पृथक्कीकरण के अतिरिक्त तमाम शास्तियें लगा सकता है। बर्खास्तगी या सेवा से पृथक्कीकरण का दण्ड नियुक्ति प्राधिकारी होने से, केवल सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति विभागाध्यक्ष ने की है एवं कोई अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी सरकार की अनुमति से विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशासन प्राधिकारी होना घोषित किया गया है, तो ऐसा प्राधिकारी बर्खास्तगी और सेवा से पृथक्कीकरण के अतिरिक्त और सब दण्ड लागू कर सकता है।[1]

१ 'नियुक्ति प्राधिकारी' एवं 'अनुशासन प्राधिकारी' की परिभाषाओं के अन्तर्गत टिप्पणी देखिये

संविधान के अनुच्छेद ३११ के साथ पठित अनुच्छेद ३१०, २३३ एवं २३४ के अन्तर्गत न्यायिक (जुडिशियल) सेवा के सदस्य के लिये नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल होता है। इसलिये बर्खास्तगी और सेवा से पृथक करने वाला प्राधिकारी भी राज्यपाल होगा। परन्तु संविधान के अनुच्छेद २३५ के अन्तर्गत नियन्त्रण प्राधिकारी उच्च न्यायालय बना रहेगा। इन अनुच्छेदों का सर्वोत्तम सामंजस्य यह होगा कि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी बना रहेगा, परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३११ में उल्लिखित शास्तियों के अलावा समस्त शास्तियों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय अनुशासन प्राधिकारी होगा। एक अधिसूचना[1] द्वारा राज्यपाल ने प्रशासनिक न्यायाधीश को अथवा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को यह अधिकार समर्पण किये हैं कि राजस्थान न्यायिक सेवा सदस्यों को इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किसी भी शास्ति से —सिवाय बर्खास्तगी और सेवा से पृथक्करण के— दंडित कर सकें।

उपनियम (२) लोकसेवा आयोग से परामर्श—उपनियम (२) प्रावधान करता है कि राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में नियुक्ति के अधिकार अगर किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को समर्पण किये हुए नहीं हैं तो शास्तियें लागू करने से पहले निम्न एवं वर्णित अवधि से दीर्घ के सिवाय लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।

राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार ही नियुक्ति प्राधिकारी है। नियम १२ के अन्तर्गत राज्य सेवाओं में नियुक्ति के अधिकार राज्य सरकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को दे सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है तो निम्नलिखित शास्तियें लागू करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।

१ पदावनति रोकना

२ असावधानी या किसी कानून नियम या आदेश की अवहेलना द्वारा उत्पन्न हुई सरकारी क्षति की सम्पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति वेतन में वसूल करना,

३ निम्न सेवा, ग्रेड या पद पर अथवा निम्न वेतन के समय मान पर अथवा उसी समय मान में नीचे के स्टेज पर अवनति अथवा पेंशन के मामले में नियमानुसार जो पेंशन बनती हो उसी राशि में कमी करना,

४ आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति,

५. सेवा से पृथक्करण (नौकरी से हटाना), एवं

६ पदच्युति (बर्खास्तगी)

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या इस नियम में "होगा" शब्द आज्ञासूचक है जिससे बिना लोक सेवा आयोग का परामर्श लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही शून्य हो जायेगी। संविधान का अनुच्छेद ३२०(३) (ग) यह प्रावधान करता है कि असैनिक पद पर सरकार के

[1] अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति ए/६० III दिनांक १६-९-६० एवं ९-१-६१

प्रधीन काम करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासनीय मामलो मे राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करना होगा किन्तु राज्यपाल राज्य के काय पालन से सम्बन्धित सेवाओ एव पदो के विषय मे ऐसे विनियम बना सकेगा, जिसम निर्दिष्ट मामलो म सामान्य तया, अथवा किसी विशेष वग के मामला मे अथवा किन्ही विशेष परिस्थितियो मे लोक-सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक नही होगा। हाल म अब तक इस मामले म बहुत विवाद रहा कि उक्त सविधानीय प्रावधान आज्ञासूचक है अथवा निर्देशात्मक। कुछ उच्च यायालय यथा उडीसा पेपसू मनीपुर, पटना, इलाहाबाद और गुजरात इस सम्मति के थे कि सविधान के अनुच्छेद ३२०(३) (ग) मे निर्धारित लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना केवल निर्देशात्मक है और आयोग म परामर्श नही लेने की दशा म सरकारी आदेश अवध नही होंगे।[1] इसके विपरीत बम्बई राजस्थान कलकत्ता और सौराष्ट्र उच्च यायालयो ने यह सम्मति दी कि आयोग से परामर्श लेना आज्ञासूचक है एव आयोग से परामर्श नहीं लिए जाने से सरकारी आदेश अवैध हो जायगा।[2] **उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मनबोधनलाल**[3] के वाद मे सर्वोच्च न्यायालय के निणय द्वारा यह विवाद शात हो गया है। यह फसला हुआ कि अनुच्छेद ३२०(३) के प्रावधान आदेश सूचक प्रकृति के नहीं है और अनुच्छेद ३११ के परिशिष्ट (राइडर) की तरह नही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे व्यक्त किया कि सविधान का अनुच्छेद ३२०(३) (ग) लोक-सेवक पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता अत परामर्श के अभाव मे अथवा परामर्श करने म अनियमितता करने के कारण किसी वध यायालय मे उसे कोई विनाय दावा पश नही होता न वह सविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तगत उच्च यायालय से या अनुच्छेद ३२ के अन्तगत सर्वोच्च यायालय से विशेषाधिकारी के अन्तगत कोई सहायता पाने का अधिकारी ही होता है।

यह कोई एसा अधिकार नही है जिसे मान्यता दी जा सके और जो याचिका (रिट) द्वारा पालन कराया जा सके। इसका यह अथ नहीं है कि राज्य सरकार आयोग के अस्तित्व की सवथा उपेक्षा करने म स्वतन्त्र है या वह मनमाने ढग स किसी मामले म परामर्श लेवे और किसी से नही लेवे। सर्वोच्च यायालय ने आगे कहा कि जब भी सरकार किसी लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही प्रस्तावित करे तो उसके लिए आयोग से यह परामर्श लेना अनिवाय होगा कि

---

१ दम्बरुधरदास बनाम उडीसा सरकार ए आई आर १९६०, उडीसा ६२ -एस दलमेरसिंह बनाम पेपसू सरकार ए आई आर. १९५५ पेपसू ६७ नागम तोम्बी सिंह बनाम मनीपुर राज्य, ए आई आर १९५८ मनीपुर ३५ बृजनन्दन बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना ३५३, बनारसीदास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ इलाहाबाद ८१३ नगमोहनदास बनाम बम्बई सरकार ए आई आर १९६२ गुजरात १९७

२ डी एं गोरेगावकर बनाम बम्बई राज्य ए आई आर १९५८ बम्बई १९६, छलाराम बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर. १९५४ राजस्थान १२ मुरालाल बनाम स्कोट ए आई-आर १९५५ कलकत्ता ४५१ और भानु प्रसाद बनाम सरकार ए आई आर १९५६ सौराष्ट्र १४

३ ए आई आर १९५७ सर्वोच्च यायालय ९१२, यह भी देखिये—यू आर भट्ट बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६२ सर्वोच्च यायालय १३४४ ए एन डी सिलवा बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६२ सर्वोच्च यायालय ११३०

क्या प्रस्तावित कार्यवाही उचित है और परिस्थिति की आवश्यकताओं के लिहाज से कोई ज्यादती तो नहीं होगा।

इस प्रावधान का अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि सामान्यतया आयोग से परामर्श लेना चाहिये और यदि किसी विशेष मामले में उससे परामर्श नहीं लिया गया तो अधिकारियों द्वारा जारी किये गए अनुशासन के आदेश को इस आधार पर अभाव लेने मानने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारीगण इस संवैधानिक प्रावधान की उपेक्षा और भाव से परिणामों के तौर पर अवहेलना नहीं कर सकते। केवल इस कारण से कि संविधान निर्माण करने वालों ने इस प्रावधान को निर्देशात्मक मात्र बनाया, संविधान में दिये गये कानून के इस प्रावधान की उपेक्षा अधिकारियों को नहीं करनी चाहिए।[1]

उप नियम (२) प्रावधान करता है कि राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जबकि नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार है आयोग से परामर्श लेना होगा। यथानतरथ, नगरवर्गीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों पर शास्ति लागू करने के मामलों में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।[2] इसी प्रकार जबकि राज्य सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य अधिकारी ने की हो तो आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।[3]

१६ कठोर शास्तियें लागू करने की कार्य प्रणाली— (१) लोक सेवक (जांच) अधिनियम १८५० के प्रावधानों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना किसी राज्य कर्मचारी पर नियम १४ के खण्ड (४) से (७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक यथा सम्भव आगे दी गई कार्य प्रणाली के अनुसार जांच नहीं कर ली गई हो।

(२) जिन अभिकथनों की जांच की जानी है उनके आधार पर अनुशासन अधिकारी निश्चित आरोप (चार्ज) बनाएगा। इन आरोपों को अभिकथनों के विवरण सहित जिन पर आरोप आधारित हैं राज्य कर्मचारी को लिखित रूप में देगा और उसे कहा जायगा कि वह निर्धारित अवधि में, जो अनुशासन अधिकारी निर्दिष्ट करें अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करें जिसमें वह बतावे कि क्या सब अथवा कुछ आरोपों की सत्यता को वह स्वीकार करता है उसे क्या स्पष्टीकरण या प्रतिरक्षा यदि कोई हो तो देनी है, और क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है

परन्तु आरोपित व्यक्ति की प्रतिरक्षा (जरियत) के सिलसिले में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी कथन अथवा अभिकथन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित हो तो कोई अतिरिक्त आरोप स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा।

---

१ दुर्गासिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर. १९५७ पंजाब ९७ ए आई आर १९५८ मनिपुर ३५

२ भानुप्रसाद बनाम सरकार, ए आई आर १९५६ सौराष्ट्र १४ मनीपुर राज्य बनाम मारग थम एन सिंह ए आई आर. १९५७ मनिपुर ७

३ करमदर्शसिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर. १९५८ पटना २२८ बामन बनाम सरकार ए आई आर. १९५३ नागपुर ६६

स्पष्टीकरण —इस उपनियम एव उपनियम (३) मे शब्द अनुशासन प्राधिकारी की व्याख्या मे वह प्राधिकारी भी सम्मिलित है जो राज्य कर्मचारी को नियम १४ के खण्ड (१) से (३) मे निर्दिष्ट सजायें देने के लिये सक्षम हो।

(३) राज्य कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा बताये गये सरकारी रेकर्ड का निरीक्षण करने एव उनमे से उद्धरण लेने की अनुमति दी जायगी परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी की सम्मति मे ऐसा रेकर्ड इस प्रयोजन के लिये सुसगत नही है अथवा उसको दिखाने की अनुमति देना लोकहित मे नही है तो वह लिखित रूप मे कारण बताकर ऐसी अनुमति प्रदान करना अस्वीकार कर सकता है।

(४) प्रतिरक्षा का लिखित उत्तर प्राप्त होने पर या निर्दिष्ट अवधि मे ऐसा कोई उत्तर प्राप्त नही हो तो, जो आरोप कर्मचारी ने स्वीकार नही किये है उनकी जाच अनुशासन प्राधिकारी स्वय कर सकता है, अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो इस कार्य के लिये कोई जाच मण्डल अथवा जाच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(५) जाच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष (जिसे आगे जाच प्राधिकारी कहा जायगा) आरोपो की पुष्टि में पैरवी करने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्य कर्मचारी अनुशासन प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा किसी राज्य कर्मचारी से सहायता लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु इस प्रयोजन के लिये कर्मचारी कोई वकील नही रख सकता जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति वकील न हो, अथवा मामले की परिस्थितियो को देखते हुए, अनुशासन प्राधिकारी ऐसी अनुमति प्रदान नही करे।

[1]स्पष्टीकरण —इस उपनियम के प्रयोजनार्थ एक सरकारी अभियोक्ता, अभियोग निरीक्षक या एक अभियोग सहायक निरीक्षक को एक वकील मान लिया जाएगा।

(६) (क) जाच के दौरान, जाच प्राधिकारी दस्तावेजी शहादत पर विचार करेगा और ऐसी मौखिक गवाही लेगा जो आरोपो के सम्बन्ध मे सुसगत अथवा सारभूत हो। राज्य कर्मचारी को अधिकार होगा कि आरोपो की पुष्टि मे बयान देने वाले गवाहो से जिरह कर सके, एव स्वय भी शहादत मे बयान दे सके। आरोपो के पुष्टि पक्ष को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा कि वह राज्य कर्मचारी एव प्रतिरक्षा मे बयान देने वाले गवाहो से जिरह कर सके। यदि जाच प्राधिकारी किसी गवाह के बयान लिखने से इस आधार पर इन्कार कर दे कि वह सुसगत अथवा सारभूत नही है तो लिखित रूप में इसका कारण दर्ज करेगा।

[2](ख) जाच प्राधिकारी, सही तथा पर्याप्त कारणो से, जो लिखित रूप से अभिलेखित किये जायेंगे, उसके द्वारा सचालित अधूरी सुनवाई की गई जाच मे, गवाहो को बयान हेतु पुन बुला सकता है।

१ अधिसूचना सख्या एफ १ (६) नियुक्ति ए III/६३ दिनाक १६ ७-६३ द्वारा जोडा गया।
२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (५) नियुक्ति (ए –III)/६५ दिनाक ११ मार्च १९६६ द्वारा जोड़ा गया

¹(ग) किसी राज्य कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध जांच के आदेश हुए हैं, सम्मन स्पष्टतया तामील होने के बावजूद जांच में उपस्थित नहीं होने की दशा में, जांच प्राधिकारी, इन नियमों के नियम १६ (ii) को दृष्टिगोचर करते हुए, ऐसे राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति में जांच में अग्रसर हो सकता है।

¹(घ) इन नियमों के नियम १८ के अन्तर्गत संयुक्त विभागीय जांच की दशा में यदि किसी तारीख को कोई एक या अधिक राज्य कर्मचारी जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो, परन्तु अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदन प्राप्त उनको सहायता करने वाला/वाले कर्मचारी उपस्थित हो, तो जांच प्राधिकारी जांच में अग्रसर हो सकता है।

(७) जांच की समाप्ति पर जांच प्राधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक आरोप पर कारण सहित निर्णय लिखेगा। यदि ऐसे प्राधिकारी की सम्मति में जांच के फलस्वरूप मूल आरोपों से भिन्न आरोप प्रमाणित होते हों तो वह ऐसे आरोपों पर अपने निष्कर्ष लिखेगा परन्तु जब तक राज्य कर्मचारी उन नये आरोपों के आधारित तथ्यों को स्वीकार नहीं करले अथवा उसको उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिल चुका हो तब तक वह अपना निर्णय नहीं लिखेगा।

(८) जांच के अभिलेख (रेकर्ड) में सम्मिलित होंगे —

(i) उपनियम (२) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी के विरुद्ध बनाये गये आरोप एवं उसको दिये गये अभिकथनों का विवरण,

(ii) प्रतिरक्षा में दिया गया उसका लिखित उत्तर, यदि कोई हो

(iii) जांच के दौरान ली गई मौखिक साक्ष्य

(iv) जांच के दौरान विचार की गई दस्तावेजी साक्ष्य,

(v) अनुशासन प्राधिकारी एवं जांच प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान जारी की गई आज्ञायें, यदि कोई हो

(vi) रिपोर्ट, जिसमें प्रत्येक आरोप पर निर्णय कारणों सहित हों।

(९) यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं हो, तो वह जांच के रेकर्ड पर विचार करेगा एवं प्रत्येक आरोप पर अपना निर्णय लिखेगा।

¹जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते समय, यदि अनुशासन प्राधिकारी को यह विश्वास करने के कारण हों कि अभी तक की गई जांच में कोई न कोई कमी रह गई है तो वह सही एवं पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे मामले को दोबारा/नवीन जांच हेतु वापिस भेज सकता है।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (५) नियुक्ति ए-III ६५ दिनांक ११ मार्च १९६६ द्वारा डाला गया।

(१०) (i) यदि आरोपो पर लिखे गये निष्कर्षों के आधार पर अनुशासन अधिकारी इस निर्णय पर पहुचे कि नियम १४ के खण्ड (४) से (७) तक मे निर्दिष्ट कोई शास्ति दी जानी चाहिये तो वह—

(क) राज्य कर्मचारी को जाच प्राधिकारी की रिपोट की प्रतिलिपि और यदि अनुशासन अधिकारी स्वय जाच अधिकारी नही हो तो अपने निष्कर्षों का विवरण जाच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणो सहित, यदि कोई हो तो देगा।

[1](ख) उसको नोटिस देगा जिसमे उस पर प्रस्तावित शास्ति व्यक्त की जायगी, और आदेश दिया जायगा कि वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावित शास्ति पर अभिवेदन अपनी इच्छानुसार प्रेषित करे, किन्तु ऐसा अभिवेदन केवल जाच के दरमियान प्रस्तुत की गई शहादत पर ही आधारित होगा।

(ii) (क) ऐसे प्रत्येक मामले मे जिसमे आयोग (कमिशन) से परामश लना आवश्यक हो, जाच का अभिलेख खण्ड i) के अन्तगत दिये गये नोटिस की प्रतिलिपि सहित और ऐसे नोटिस के उत्तर मे दिया गया अभिवेदन, यदि कोई हो, अनुशासन अधिकारी आयोग को सम्मति के लिये भेजेगा।

(ख) आयोग की सम्मति प्राप्त होने पर अनुशासन प्राधिकारी राज्य कमचारी द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रतिवेदन पर एव आयोग की सम्मति पर विचार करेगा और यदि शास्ति देनी हो तो यह तय करेगा कि राज्य कमचारी पर कौन सी शास्ति लागू की जानी चाहिये और मामले मे उपयुक्त आज्ञा जारी करेगा।

(iii) जिस मामले मे आयोग से परामश लेना आवश्यक नही हो उसमे खण्ड (i) के अन्तगत दिये गये नोटिस के उत्तर मे कमचारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर, यदि कोई हो तो अनुशासन प्राधिकारी विचार करेगा और यदि शास्ति देनी हो तो यह तय करेगा कि राज्य कमचारी पर कौन सी शास्ति लागू की जानी चाहिये और मामले मे उपयुक्त आज्ञा जारी करेगा।

(११) यदि अनुशासन प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को ध्यान मे रखते हुए यह सम्मति बनाये कि नियम १४ के खण्ड (१) से (३) तक मे निर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति दी जानी चाहिये, तो वह उस मामले मे उपयुक्त आज्ञा जारी करेगा

परन्तु प्रत्येक मामले मे जिसमे आयोग से परामश लेना आवश्यक हो, जाच का अभिलेख अनुशासन प्राधिकारी द्वारा आयोग को राय के लिये भेजा जावेगा और आज्ञा जारी करने से पहले आयोग की राय पर विचार कर लिया जायेगा।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (८) नियुक्ति ए-III/६४ दिनांक २०-३-६५ द्वारा इन शब्दो के स्थान पर लिखा गया— उसको नोटिस देगा जिसमे उसके विषय मे प्रस्तावित कार्यवाही को व्यक्त की जायगी और आदेश दिया जायगा कि वह प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभिवेदन अपनी इच्छानुसार सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।

(१२) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा राज्य कर्मचारी को सूचित की जायेगी जिसे कि जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं हो तो अपने निष्कर्षों का विवरण और यदि जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति हो तो संक्षेप में उसके कारण सहित देगा, जब तक कि वे पहले ही उसे नहीं दे दी गई हों और यदि आयोग ने कोई राय दी हो तो उसकी भी प्रतिलिपि और जब कि अनुशासन प्राधिकारी ने आयोग की राय स्वीकार नहीं की हो तो संक्षेप में ऐसी अस्वीकृति के कारण सहित दी जायगी।

[1] परन्तु जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि देना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जब कि राज्य कर्मचारी पर नियम १४ के खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की गई हो।

टिप्पणी

यह स्पष्ट है कि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी के पास कुछ सामग्री होनी चाहिये जो उचित कार्यवाही का सुझाव दे। एक प्राधिकारी द्वारा यह सामग्री इस नियम के अन्तर्गत की गई जांच से प्राप्त हो सकती है।

इस नियम के अन्तर्गत कर्मचारी का यह अधिकार है कि जिन कारणों के आधार पर प्रश्न किन कार्यवाही की जाना हो वे उसे सूचित किये जायें तथा उसे अपना प्रतिरक्षा के लिये समुचित अवसर दिया जाय। यह नियम असैनिक कर्मचारी को यह अधिकार प्रदान करता है कि उसके विरुद्ध जांच इस नियम द्वारा निर्धारित प्रणालीनुसार की जावे और यह बात जांच करने वाले अधिकारी की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ी गई है कि वह अपनी मर्जी मुताबिक तरीके से जांच करे। एक सा तरीका अपनाने के उद्देश्य से ही इस नियम का प्रावधान किया गया है, और इसलिये जांच करने वाले अधिकारी को इसका अक्षरशः पालन करना चाहिये।[2]

(१) उपनियम (१)-शास्ति से पहले जांच आवश्यक —यह नियम प्रावधान करता है कि जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को इन शास्तियों में सम्मिलित करना हो यानी (क) पदच्युति (ख) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति (ग) सेवा से पृथक करना, एवं (घ) सेवा से पदच्युति तो इस नियम द्वारा निर्धारित तरीके से नियमित जांच की जाना चाहिए, एवं तदनन्तर उस जांच के नतीजे के अनुसार ऐसी शास्ति दी जा सकती है। ऐसी जांच या तो (१) इन नियमों के अन्तर्गत अथवा (२) सार्वजनिक सेवक (जांच) अधिनियम १८५० के अन्तर्गत की जा सकती है।

लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (पब्लिक सर्वेन्ट्स इन्क्वायरीज एक्ट) प्रावधान करता है कि इन लोक सेवकों (पब्लिक सर्वेंट्स) के आचरण के विषय में जो बिना

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१३) नियुक्ति ए-III/६४ दिनांक १६-६-६५ द्वारा जोड़ा गया।

२ कन्हैयालाल बनाम सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान १, ए आई आर १९५४ राजस्थान २०७ का अनुसरण।

राजकीय स्वीकृति के सेवा से पृथक नहीं किये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरकार अभियोगों का साराश आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों मे बनवा सकती है और उनकी सत्यता की औपचारिक एव सार्वजनिक जाच करने की आज्ञा दे सकती है। जाच उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयुक्त नियुक्त किये जायें। आयुक्तों के समक्ष दोषारोपण सरकार द्वारा स्वय या किसी दोषारोपक (शिकायत करने वाले) व्यक्ति द्वारा आरोप बनाने पर किया जा सकता है। जाच बन्द होने पर आयुक्त गण सरकार को प्रत्येक आरोप पर अपनी राय एव समस्त मामले पर अपने विचार जो वे व्यक्त करना उचित समझे और जो ऐसे मामला के विषय म सरकार के अधिकारो के अनुकूल हो भेजें। एक बाद म सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियो का पूरा कार्य क्षेत्र विचार हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसम न्यायालय ने व्यक्त किया[1] कि लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत जाच का प्रयोजन केवल यह है कि किसी सार्वजनिक कर्मचारी के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध म निश्चित निष्कर्ष पर पहुचने मे सरकार को सहायता मिले, और इस प्रकार सविधान के अनुच्छेद ११(२) द्वारा अपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूर्व कर्मचारी के लिये कौन सी सजा उपयुक्त होगी इसका सामयिक निर्णय सरकार ले सके। अधिनियम के अन्तर्गत जाच करना इसलिए अनिवार्य नही है और अपना मन चाहा तरीका अपनाने के लिये सरकार पूर्णतया स्वतन्त्र है। यह बात सरकार की सुविधा पर निर्भर है कि जाच इन नियमो के अन्तर्गत अथवा, लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत की जावे।[2]

जाच सचालन की कार्य प्रणाली—उपनियम (१) बताता है कि जाच यथासभव नियम १६ मे निर्दिष्ट कार्य प्रणाली द्वारा की जायगी। जाच सचालन की यह प्रणाली साक्ष्य अधिनियम अथवा जाब्ता दीवानी के प्रावधानो से शासित नही होगी। जाच सामान्य न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धान्तो के अनुसार की जानी चाहियें, और यदि इन नियमो का मुख्यतया पालन किया गया है और सबधित अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है तो, केवल एक नियम की पालना नही होना जाच को खारिज करने के लिये पर्याप्त नही है।[3] विभागीय जाच एक प्रकार से अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है,[4] और सामान्य न्याय के नियम इसमें अवश्यमेव इतनी ही शक्ति से प्रभावशील हैं जितने न्यायिक कार्यवाहियो म होते हैं और इसलिये ऐसी कार्यवाहियो को खारिज करने के लिये उत्प्रेक्षण लेख या आदेश (रिट आफ सरशिओरेरी) अवश्य जारी हो सकता है।[5]

१ एस ए वेंकटरमन बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७५, यह भी देखिये-प्यारा सिंह बनाम पजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पजाब ३, एस फतह सिंह बनाम पजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३

२ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९६० पटना ११६

३ ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६० राजस्थान १४१९, गोपीनाथ नाय्यर बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल ६३

४ भारतीय सघ बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३६६, ज्योति प्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५९ पजाब ३२७, सुरेन्द्र चन्द्र बनाम हिमान्सु कुमार रॉय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६, टी एस रामचन्द्र राव बनाम भारतीय सरकार ए आई आर १९५३ हैदराबाद २०१, बुधसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ६०७, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, ए आई आर १९५७ आन्ध्र प्रदेश ८९४

५ सुरेन्द्र चन्द्र बनाम हिमान्सु कुमार रॉय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६

(१२) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा राज्य कर्मचारी को सूचित की जायगी जिसके साथ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं हो तो अपने निष्कर्षों का विवरण और यदि जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति हो तो संक्षेप में ऐसे कारणों सहित देगा, जब तक कि वे पहले से ही उसे नहीं दे दी गई हों और यदि आयोग ने कोई राय दी हो तो उसकी भी प्रतिलिपि और जब कि अनुशासन प्राधिकारी ने आयोग की राय स्वीकार नहीं की हो तो संक्षेप में ऐसी अस्वीकृति के कारण सहित दी जायगी।

[1] परन्तु जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि देना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जब कि राज्य कर्मचारी पर नियम १४ के खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की गई हो।

टिप्पणी

यह स्पष्ट है कि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी के पास कुछ सामग्री होनी चाहिए जो उचित कार्यवाही का सुझाव दे। इस प्राधिकारी द्वारा यह सामग्री इस नियम के अन्तर्गत की गई जांच से प्राप्त हो सकती है।

इस नियम के अन्तर्गत कर्मचारी को यह अधिकार है कि जिन कारणों के आधार पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी हो वे उसे सूचित किये जायें तथा उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिये समुचित अवसर दिया जाय। यह नियम अपराधी कर्मचारी को यह अधिकार प्रदान करता है कि उसके विरुद्ध जांच इस नियम द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाय और यह बात जांच करने वाले अधिकारी की इच्छा पर नहीं छोड़ी गई है कि वह अपनी मर्जी मुताबिक तरीके से जांच करे। एक सा तरीका करने के उद्देश्य से ही इस नियम का प्रावधान किया गया है, और इसलिये जांच करने वाले अधिकारी को इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए।[2]

(१) उपनियम (२)—शास्ति से पहले जांच आवश्यक—यह नियम प्रावधान करता है कि जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को इन शास्तियों से दण्डित करना हो यथा (क) पदच्युति (ख) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति (ग) सेवा से पृथक् करना, एवं (घ) सेवा से पदच्युति तो इस नियम द्वारा निर्धारित तरीके से नियमित जांच की जानी चाहिए, एवं तत्पश्चात् उस जांच के नतीजे के अनुसार ऐसी शास्ति दी जा सकती है। ऐसी जांच या तो (१) इन नियमों के अन्तर्गत अथवा (२) सार्वजनिक अवचार (जांच) अधिनियम १८५० के अन्तर्गत की जा सकती है।

लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (पब्लिक सर्वेन्ट्स इन्क्वायरीज एक्ट) प्रावधान करता है कि लोक सेवकों (पब्लिक सर्वेन्ट्स) के आचरण के विषय में जांच किया

---

१ अधिसूचना संख्या एफ. ३ (१२) नियुक्ति ए-III/६३ दिनांक २६-६-६५ द्वारा जोड़ा गया।

२ कन्हैयालाल बनाम सरकार, ए. आई. आर. १९५८ राजस्थान १, ए. आई. आर. १९५४ राजस्थान २०७ का अनुसरण।

राजकीय स्वीकृति के सेवा से पृथक नहीं किये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरकार अभियोगों का सारांश आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों में बनवा सकती है और उनकी सत्यता की औपचारिक एवं सार्वजनिक जाच करने की आज्ञा दे सकती है। जाच उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयुक्त नियुक्त किये जावें। आयुक्तों के समक्ष दोषारोपण सरकार द्वारा स्वयं या किसी दोषारोपक (शिकायत करने वाले) व्यक्ति द्वारा आरोप बनाने पर किया जा सकता है। जाच बन्द होने पर आयुक्त गण सरकार को प्रत्येक आरोप पर अपनी राय एवं समस्त मामले पर अपने विचार जो वे व्यक्त करना उचित समझें और जो ऐसे मामलों के विषय में सरकार के अधिकारों के अनुकूल हो भेजेंगे। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियों का पूरा कार्य क्षेत्र विचार हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसमें न्यायालय ने व्यक्त किया[1] कि लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत जाच का प्रयोजन केवल यह है कि किसी सार्वजनिक कर्मचारी के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सरकार को सहायता मिले, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद ३११(२) द्वारा अपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूर्व कर्मचारी के लिये कौन सी सजा उपयुक्त होगी इसका सामयिक निर्णय सरकार ले सके। अधिनियम के अन्तर्गत जाच करना कतई अनिवार्य नहीं है और अपना मन चाहा तरीका अपनाने के लिये सरकार पूर्णतया स्वतन्त्र है। यह बात सरकार की सुविधा पर निर्भर है कि जाच इन नियमों के अन्तर्गत अथवा, लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत की जावे।[2]

जाच सचालन की कार्य प्रणाली—उपनियम (१) बताता है कि जाच यथासम्भव नियम १६ में निर्दिष्ट कार्य प्रणाली द्वारा की जायगी। जाच संचालन की यह प्रणाली साक्ष्य अधिनियम अथवा जाब्ता दीवानी के प्रावधानों से शासित नहीं होती। जाच सामान्य न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धान्तों के अनुसार की जानी चाहिये, और यदि इन नियमों का मुख्यतया पालन किया गया है और सम्बंधित अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो, केवल एक नियम को पालना नहीं होना जाच को खारिज करने के लिये पर्याप्त नहीं है।[3] विभागीय जाच एक प्रकार से अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है,[4] और सामान्य न्याय के नियम इसमें अवश्यमेव इतनी ही शक्ति से प्रभावशील हैं जितने न्यायिक कार्यवाहियों में होते हैं, और इसलिये ऐसी कार्यवाहियों को खारिज करने के लिये उत्प्रेषण लेख या आदेश (रिट आफ सरशियोरेरी) अवश्य जारी हो सकता है।[5]

१ एस ए वेंकटरमन बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७५, यह भी देखिये—प्यारा सिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पंजाब ३, एस फतह सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३

२ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९६० पटना ११६

३ ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९६० राजस्थान १४१९, गोपीनाथ नाम्बर बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल ६३

४ भारतीय संघ बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३६६, ज्योति प्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५८ पंजाब २७, सुरेशचन्द्र बनाम हिमांशु कुमार रोय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६, टी एल रामचन्द्र राव बनाम भारतीय सरकार ए आई आर १९५३ हैदराबाद २०१, बुधसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ६०७, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, ए आई आर १९५७ आन्ध्र प्रदेश ८९४

५. सुरेश चन्द्र बनाम हिमांशु कुमार रोय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६

(१३) [illegible] अधिकारी द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] की जांच [illegible] अधिकारी की [illegible] की प्रतिलिपि और [illegible] अधिकारी [illegible] अधिकारी [illegible] [illegible] निष्कर्षों का विवरण [illegible] अधिकारी के निष्कर्षों [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] दी [illegible] [illegible] प्रतिलिपि और [illegible] अधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि [illegible] [illegible] नियम १६ के उप (१) व (२) में [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] ।

टिप्पणी

[illegible] है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है ।

[illegible] नियम [illegible] [illegible] है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नियम [illegible] [illegible] है कि [illegible] नियम [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नियम का [illegible] किया गया है, और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है ।[2]

(१) उपनियम (१)-शास्ति से पहले जांच आवश्यक —[illegible] नियम [illegible] करता है कि जब [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करता हो [illegible] (क) [illegible] (ख) [illegible] [illegible] (ग) [illegible] [illegible] (घ) [illegible] [illegible] [illegible] नियम द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] जा सकता है । [illegible] (१) इन नियमों के अन्तर्गत अथवा (२) सार्वजनिक सुरक्षा (जांच) अधिनियम १९५० के अन्तर्गत की जा सकती है ।

सार्वजनिक सुरक्षा (जांच) अधिनियम, १९५० (पब्लिक सर्वेण्ट्स इन्क्वायरीज एक्ट) प्रावधान करता है कि इन [illegible] अथवा (पब्लिक सर्वेण्ट) के आचरण के विषय में जो बिना

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१०) नियुक्ति ए-III/६३ दिनांक १६-६-६५ द्वारा जोड़ा गया ।

२ [illegible] बनाम सरकार, ए आई आर. १९५८ राजस्थान १, ए आई आर. १९५४ राजस्थान २०७ का अनुसरण ।

राजकीय स्वीकृती के सेवा से पृथक नहीं किये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरकार अभियोगा का साराश आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों मे बनवा सकती है और उनकी सत्यता की औपचारिक एव सार्वजनिक जाच करने की आज्ञा दे सकती है। जाच उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयुक्त नियुक्त किये जावें। आयुक्तों के समक्ष दोषारोपण सरकार द्वारा स्वय या किसी दोषारोपक (शिकायत करने वाले) व्यक्ति द्वारा आरोप बनाने पर किया जा सकता है। जाच बन्द होने पर आयुक्त गण सरकार को प्रत्येक आरोप पर अपनी राय एव समस्त मामले पर अपने विचार जो वे व्यक्त करना उचित समझ और जो ऐसे मामलों के विषय मे सरकार के अधिकारी के अनुकूल हो भेजेंगे। एक वाद मे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियों का पूरा कार्य क्षेत्र विचार हेतु प्रस्तुत हुआ, जिसमे न्यायालय ने व्यक्त किया[1] कि लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत जाच का प्रयोजन केवल यह है कि किसी सार्वजनिक कर्मचारी के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध मे निश्चित निष्कर्ष पर पहुचने मे सरकार को सहायता मिले, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा अपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूर्व कर्मचारी के लिये कौन सी सजा उपयुक्त होगी इसका सामयिक निर्णय सरकार ले सके। अधिनियम के अन्तर्गत जाच करना कतई अनिवार्य नही है और अपना मन चाहा तरीका अपनाने के लिये सरकार पूर्णतया स्वतन्त्र है। यह बात सरकार की सुविधा पर निर्भर है कि जाच इन नियमों के अन्तर्गत अथवा, लोक सेवक (जाच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत की जावे।[2]

जाच सचालन की कार्य प्रणाली—उपनियम (१) बताता है कि जाच यथासम्भव नियम १६ मे निर्दिष्ट कार्य प्रणाली द्वारा की जायगी। जाच सचालन की यह प्रणाली साक्ष्य अधिनियम अथवा जाब्ता दीवानी के प्रावधानों से शासित नहीं होती। जाच सामान्य न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धान्तो के अनुसार की जानी चाहियें, और यदि इन नियमों का मुख्यतया पालन किया गया है और सबधित अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है तो, केवल एक नियम की पालना नही होना जाच को खारिज करने के लिये पर्याप्त नही है।[3] विभागीय जाच एक प्रकार से अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है,[4] और सामान्य न्याय के नियम इसमे अवश्यमेव इतनी ही शक्ति से प्रभावशील हैं जितने न्यायिक कार्यवाहियों मे होते है, और इसलिये ऐसी कार्यवाहियों को खारिज करने के लिये उत्प्रेषण लेख का आदेश (रिट आफ सरशियोरेरी) अवश्य जारी हो सकता है।[5]

१ एस ए वेंकटरमन बनाम भारतीय सघ, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय ३७५, यह भी देखिये-प्यारा सिंह बनाम पजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पजाब ३, एस फतह सिंह बनाम पजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३

२ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९६० पटना ११६

३ ए के व्यास बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९६० राजस्थान १४१९, गोपीनाथ नाम्बर बनाम सरकार, ए आई आर १९६० केरल ६३

४ भारतीय सघ बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३६६, ज्योति प्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५८ पजाब २२७, सुरेशचन्द्र बनाम हिमांशु कुमार रॉय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६, टी एस रामचन्द्र राव बनाम भारतीय सरकार ए आइ आर १९५३ हैदराबाद २०१, ... सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आइ आर १९५८ इलाहाबाद ६०७, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, ए आई आर १९५७ आन्ध्र प्रदेश ७९४

५ सुरेश चन्द्र बनाम हिमांशु कुमार रॉय, ए आई आर १९६३ कलकत्ता ३१६

विभागीय जांच का उद्देश्य सत्यता की खोज करना है और इस समस्त प्रश्न के लिए, अनुचित हस्तक्षेप से प्रतिकूल प्रभाव अवश्यमेव पड़ेगा, जो उचित अवसर को अस्वीकार करना माना जाना चाहिये।[1] इस नियम द्वारा निर्धारित की गई कार्य प्रणाली के अनुसार जांच करने वाले अधिकारी को निम्न लिखित कार्य करने पड़ते हैं :—

(१) जिन आधारों पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है उनको निश्चित आरोपों के रूप में बनावें।

(२) आरोपित व्यक्ति को आरोप से सूचित करना चाहिये।

(३) आरोपित व्यक्ति को अभिकथनों का विवरण भी जिनके आधार पर आरोप बने हैं दिया जावे और यदि आरोप एक से अधिक हों तो उन सब अभिकथनों का विवरण पत्र दिया जावे।

(४) यदि मामले में कोई अन्य परिस्थितियां हैं जिन पर आदेश देने के समय विचार किया जाना प्रस्तावित है तो आरोपित व्यक्ति को उनसे भी अवगत कराना चाहिये।

(५) आरोप-पत्र देने के पश्चात प्रतिरक्षा में अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए एवम् क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई का इच्छुक है यह व्यक्त करने के लिये उचित अवधि प्रदान की जानी चाहिये।

(६) लिखित उत्तर प्राप्त हो जाने पर उन आरोपों पर जांच करना है अथवा वह इस प्रयोजन के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तत्पश्चात यह नियम कार्यप्रणाली को बताता है कि जांच किस प्रकार संचालित की जाए। यह नियम निर्दिष्ट करता है

(क) जिन अभियोगों को कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किये हैं उन पर मौखिक गवाही लेनी चाहिये।

(ख) आरोपित व्यक्ति को गवाहों से जिरह करने का अवसर देना चाहिये।

(ग) आरोपित व्यक्ति को अपने गवाह प्रस्तुत करने का एवं उसके द्वारा चाहे गये गवाहों को बुलवाये जाने का अवसर मिलना चाहिये।

इस विषय में जांच करने वाले अधिकारी को इस विवेक प्रयोग करने का अधिकार है कि वह विशेष एवं पर्याप्त कारणों पर किसी गवाह को बुलाने से मना कर सकता है परन्तु वह उन कारणों को लिखित रूप में रेकार्ड पर रखेगा।

(घ) उक्त अधिकारी द्वारा संचालित कार्यवाही में समावेश होगा—

(i) गवाही का पर्याप्त अभिलेख (ii) निष्कर्षों का विवरण एवं (iii) निष्कर्षों के आधार।

---

१ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सी एस शर्मा ए आई आर, १९६६ इलाहाबाद ६४, इसका पुष्टिकरण हुआ-उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सी एस शर्मा ए आई आर, १९६८ सर्वोच्च न्यायालय १५८ द्वारा।

(७) निष्कर्षों के आधार पर यदि वह इस राय का है कि बडी शास्तियो मे से कोई लागू की जावे तो वह कमचारी को जाच रिपोट की प्रतिलिपि देगा और प्रस्तावित शास्ति बताते हुए नोटिस देगा कि एसी प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(८) जिस मामले म आवश्यक हो उसम लोक सेवा आयोग का परामश प्राप्त करे और ऐसे परामश एव प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात मामले म उचित आज्ञा जारी करेगा जो राज्य कमचारी को सूचित की जायेगी।

जब की आरोपित व्यक्ति को उसी दिन अभिवेदन प्रेषित करने को कहा गया और मौखिक गवाही उसकी उपस्थिति मे नही लिखी गई तो यह निणय हुआ कि जांच करने वाले अधिकारी ने न केवल नियम १६ म निर्दिष्ट काय प्रणाली की बल्कि सामान्य न्याय के सिद्धान्तो का भी उल्लघन किया है।[१]

(२) उपनियम (२)—**आरोपों तया अभिकथनों के विवरण का निर्धारण राज्य कर्मचारी को सूचित करना**—यह नियम निर्देश देता है कि जब अनुशासन प्राधिकारी राज्य कमचारी के विरुद्ध आरोपो पर जाच करना चाहता है तो उसे (i) निश्चित आरोप और (ii) अभिकथनो का विवरण बनाने चाहिये और एक निर्दिष्ट अवधि मे उसका उत्तर मागना चाहिये। सविधान का अनुच्छेद ३११ प्रावधान करता है कि राज्य मे प्रसनिक पद धारण करने वाले को अथवा राजकीय प्रसनिक सेवा के सदस्य को बर्खास्त सेवा से हटाने या पक्तिच्युत करने से पहले जाच करना आवश्यक होगा जिसम उसको उसके विरुद्ध लगाये गये अभियोगो की सूचना दी गई हो और उन आरोपो के सबध म उसे सुनवाई का उचित अवसर मिल गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि विभागीय जाच प्रारम्भ होने स पहले उसे उन आरोपो की स्पष्ट सूचना मिल जानी चाहिये जिनका मुकाबला करने के लिए उसे कहा गया है और ऐसा नोटिस उसे मिल जाने के बाद और उसका स्पष्टीकरण पेश हो जाने के पश्चात ही इस प्रकार की जाच की जानी चाहिये जो इन नियमो एव सामान्य न्याय की आवश्यकताओ के अनुकूल हो। शब्द 'आरोप' का अथ राज्य कमचारी के विरुद्ध किसी दोषारोपण से है और इसका आवश्यक रूप से वह अथ होना अनिवाय नही है जो जाब्ता फौजदारी मे दिये हुए और विशिष्ट (टक्नीकल) अथ रखने वाले शब्द 'आरोप' का तात्पय है।[२] साधारणतया जाच की दो अवस्थाए होती है। पहली अवस्था में व्यक्ति के विरुद्ध आरोप बनाया जाता है। आरोप का उचित रूप मे होने के लिए और प्रतिरक्षा का समुचित अवसर देने हेतु आवश्यक है कि आरोप अनिश्चित एव अस्पष्ट नही हो परन्तु स्पष्ट एव निश्चित हो।[३] यदि आरोप अनिर्दिष्ट एव असीमित होंगे तो समुचित अवसर नही दिया गया, ऐसा माना जावेगा।[४] जब की प्रार्थी के विरुद्ध आरोप यह था कि परीक्षण काल म उसका काय सतोषजनक नही पाया

१ कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान १
२ बस्तीराम बनाम डिवीजनल अधीक्षक उत्तर रेलवे ए आई आर १९५९ पजाब १६६
३ रामानन्द बनाम डिवीजनल मेकेनिकल इजीनियर आई एल आर १९६२ राजस्थान ३०२, रणवीरसिंह बनाम अधीक्षक स्मॉल आर्मस फक्ट्री ए आई आर १९५७ इलाहाबाद २७४, भारतीय सघ बनाम श्री कुलाचन्द्रसिंह ए आई आर १९६३ त्रिपुरा २०
४ भारतीय सघ बनाम श्री कुलाचन्द्र सिंह ए आई आर. १९६३ त्रिपुरा २०

गया यह निर्णय हुआ कि कर्मचारी द्वारा आरोपों का उत्तर देने के लिये उसके आरोप अनिश्चित या चार निर्गत हुआ कि व्यक्ति को साफ शब्दों में और पूर्ण विवरण देते हुए बताना आवश्यक है कि आरोपित अपराध क्या थे।[1]

इसलिये यह आवश्यक है कि अनुशासक प्राधिकारी को विशेष निश्चित आरोप बनाने चाहिये न कि अनिश्चित आरोप अन्यथा बहुत संभव है कि ऐसे अभियोग के बल पर की गई जांच समाप्त होने से प्रश्न हो जावे।[2] यदि आरोप में विशेष उदाहरण एवं घटना का समय और स्थान के विवरण * या शिकायत करने वाले के नाम और राज्य कर्मचारी के द्वारा किये गये तथा कथित कार्यों का वर्णन है तो वे त्रुटिपूर्ण नहीं माने जाहियें।[3] यदि किसी राज्य कर्मचारी का दुराचरण या विरुद्ध कार्यवाहियों का विवरण नहीं दिया गया है तो उसको यथोचित अवसर नहीं दिया जाना समझा जावेगा। किसी व्यक्ति का यह कथन की पहले उसने बातें न कहीं लिये थे और यह स्वीकारोक्ति (स्वीकार करना) कि उसने अन्य लिखित के रूप में लिये थे शब्दों में विभिन्नता है। प्रथम प्रकार का वक्तव्य एक मत तो उत्पन्न कर सकता है कि स्वीकृति इस लिखित के रूप में लिया हो परन्तु उसके आप में लिखित तक की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है।[4] जब कि यह विशिष्टतया कहा गया कि प्रार्थी पर जिन्होंने लाइसेंस के ३६७ पास कपट से जारी करने का आरोप था किन्तु जिन व्यक्तियों के नाम पर वे जारी हुए उनके नाम प्रकट नहीं किये गये न उन जिन्होंने लाइसेंस के नाम ही बताये जिन पर जाली वे ये पास थे। तो यह निर्णय हुआ कि ऐसे आरोपों पर जो विभागीय जांच की गई वह कानून के विपरीत हुई।[5]

साधारणतया आरोप अनुशासन प्राधिकारी को निर्धारित करने पड़ते हैं। परन्तु यदि वह प्रारम्भिक जांच करने वाले व्यक्ति को आरोपों का मसौदा बनाने को दें और मसौदा तैयार हो जाने पर उनका अनुमोदन कर दें तो बात एक ही होगी।[6]

पहले के आरोपों को रद्द करके नया आरोप-पत्र बनाने में भी अनुशासन प्राधिकारी सक्षम है।[7] यदि एक ही जांच में आरोपों के विषय हों तो इससे जांच गलत नहीं होगी।[8] परन्तु यदि आरोपों के स्मृतिपत्र में प्रस्तावित शास्ति भी सम्मिलित है तो यह माना जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद ३११ का उल्लंघन हुआ है क्योंकि यह जाहिर करता है कि सरकार ने जांच का

१ त्रिभुवन नाथ बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९५३ नागपुर १३६
२ रविन्द्र मोहन बनाम त्रिपुरा क्षेत्र ए आई आर १९६१ त्रिपुरा १, यह भी देखिये – भारतीय संघ बनाम कुमार सिंह ए आई आर. १९६३ त्रिपुरा २०, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम रामाराव ए आई आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १७२३, पंजाब सरकार बनाम चूनीलाल ए आई आर. १९६३ पंजाब ५०३
३ भानु प्रसाद बनाम सरकार, ए आई आर. १९५६ सौराष्ट्र १४ –
४ निरंजन प्रसाद बनाम सरकार ए आई आर. १९५६ सौराष्ट्र १४
५ अमूल्य रतन बनाम डिप्टी चीफ एम ई ए आई आर. १९६१ कलकत्ता ४०
६. मुकुन्देन्द्र चन्द्र दास बनाम त्रिपुरा क्षेत्र, ए आई आर १९६२ त्रिपुरा १६
७ विनोद चन्द्र बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६० पंजाब १४७
८ कपूर सिंह बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५६ पंजाब ५८

जब कि अभियोग ८० नजदीक नजदीक लिख गये पृष्ठा म थ और अवधि बढाने की प्राथना अस्वीकृत कर दी गई, तो यह निर्णय हुआ कि आरोप लम्बे बनाये गये और प्रार्थी को अपना स्पष्टीकरण प्रषित करने के लिये दिया गया समय अपर्याप्त था। अवधि बढाने के लिये दिया गया प्रार्थी का आवेदन-पत्र बिना उचित कारण बताये खारिज किया गया।[1] परन्तु यदि मागा गया स्थगन स्वीकार हो जाता है तो समय समय पर पुन स्थगन याचना करने का कोई कारण नही होता। जब कि जाच आयुक्त का नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अवधि बढाने की प्रार्थना की जो स्वीकृत हो गई परन्तु और आगे अवधि बढाने के लिये दिया गया प्रार्थी का आवेदन-पत्र अस्वीकृत हो गया, तो यह निर्णय हुआ कि चूकि वह स्वय अवसर का उपयोग करने मे असफल रहा, इसलिये वह यह नही कह सकता कि सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का पालन नही हुआ।[2] पुन जब कि प्रार्थी ने नोटिस प्राप्त होने पर उत्तर नही दिया परन्तु अनेक अवसरो पर समय मागता रहा—भिन्न भिन्न आधारो पर जैसे बीमारी आवश्यक कागजात की उपलब्धि म कठिनाई आदि। अन्तत उसे सूचित किया गया कि और अधिक अवधि स्वीकार नही की जायगी तो यह निर्णय हुआ कि सक्षम अधिकारी द्वारा और अधिक अवधि बढाने से इन्कार करना उचित था।[3] कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक वाद मे तय किया कि यदि लिखित उत्तर प्रषित नही किया गया है तो शहादत पेश होने से पहले कभी भी पेश किया जा सकता है।[4]

लिखित उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासन प्राधिकारी जाच प्रारम्भ कर सकता है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासन प्राधिकारी है तो वह जाच शुरू कर सकता है। परन्तु यदि नियुक्ति अधिकारी से अनुशासन प्राधिकारी भिन्न है तो वह अपना प्रतिवेदन-सेवा से पदच्युति अथवा पृथक्करण की प्रस्तावित शास्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी का दे सकता है। राजस्थान न्यायिक सेवाओ के सदस्यो के सम्बन्ध म जाच करने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम है और पदच्युति या सेवा से पृथक्करण के अतिरिक्त और कोई भी शास्ति लागू कर सकता है।[5] यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा हुई है और उसका अन्य विभाग मे स्थानान्तरण हो गया है तो जिस विभाग म उसका स्थानान्तरण हुआ है उस विभाग का अध्यक्ष कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।[6] इसके विपरीत यदि किसी राज्य कर्मचारी का प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर भेजा गया है तो उसके विरुद्ध जाच की कार्यवाही उस कार्यालय का कोई प्राधिकारी नही कर सकता जहा वह प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है। ऐसे मामलो म राज्य कर्मचारी को वापस उसके मौलिक कार्यालय म भेजना उचित होता है और उसके बाद उसके विरुद्ध जाच करवाई जानी

१ एहमद शेख बनाम गुलाम हुसैन ए आई आर १९५७ जम्मू कश्मीर ११

२ जोसेफ जोन बनाम ट्रावनकोर कोचीन सरकार ए आई आर १९५५ सर्वोच्च न्यायालय १६०

३ नित्या रजन बोहीदर बनाम सरकार ए आई आर १९६२ उडीसा ७८

४ शिशिर कुमारदास बनाम पश्चिम बगाल सरकार ए आई आर १९५५ कलकत्ता १८३

५ मोहम्मद गाउस बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५५ आन्ध्र प्रदेश ६५, मोहम्मद गाउस बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार ए आई आर १९५६ आन्ध्र प्रदेश ४६७

६ मदनलाल चावला बनाम प्रिंसीपल, हारकोट बटलर टक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, ए आई आर १९६२ इलाहाबाद १०६६

चाहिए। जिस विभाग में वह प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है उस विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर मूल नियुक्ति प्राधिकारी कार्यवाही नहीं कर सकता।[1]

जांच मंडल अथवा जांच अधिकारी की नियुक्ति—जांच मंडल (बोर्ड) अथवा जांच अधिकारी की नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी करता है। जांच अधिकारी केवल तथ्यों का पता लगाने वाला अधिकारी होता है। इस विषय में विधिशास्त्र (ज्यूरिसप्रूडेन्स) का मूलभूत सिद्धान्त स्मरण रखना उचित होगा कि मुद्दे के मामले में मुद्दई को ही न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यही नहीं, न केवल न्यायिक कार्यवाही (जुडिशियल कोर्ट्स) में ही लागू नहीं होता वरन् प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है जिनको न्यायिक ढंग से कार्यवाही करनी चाहिए। सामान्य न्याय के नियमों का तकाजा है कि उसको स्वयं के मामले में व्यक्तिगत अभिरुचि नहीं रखनी चाहिए।[3] उसको अभियोजन पक्षकार नहीं होना चाहिए—ऐसा अभियोजक जो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध पूर्वाग्रहयुक्त नहीं है।[4] उस व्यक्ति को निर्णय देने में ही नहीं भाग लेना चाहिए।[5] उसको झुकाव ऐसा अधिकारी के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।[6] वह न्यायाधीश एवं गवाह एक साथ नहीं बन सकता।[7] वह दोषी कर्मचारी को निलम्बित करने वाली के पक्ष में भाग लेने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए।[8] वह जांच में अभियोजक एवं न्यायाधीश दोनों का काम नहीं कर सकता। विभागीय जांचों में अभियोजक न्यायाधीश नहीं हो सकता वाला सिद्धान्त सख्ती से लागू नहीं होता।[9] परन्तु इस प्रकार ऐसा साधारण अभियोजक के स्तर तक नहीं गिराना चाहिए, अथवा

---

1 जोराम मानिक बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए. आई. आर. १९५५ नागपुर १६० पश्चिम बंगाल बनाम ज्ञानेन्द्रनाथ भट्टाचार्य ए. आई. आर. १९६७ कलकत्ता १६०

2 अब्दुल रहीम बनाम मुख्य अधिशासी अधिकारी ए. आई. आर. १९६४ मद्रास प्रदेश ४०७ राजाराम बनाम सरकार, ए. आई. आर. १९५६ विन्ध्य प्रदेश १४ ए. एम. राजवा बनाम डिवीजनल कमिश्नर ए. आई. आर. १९६४ गुजरात १३८

४ ए. आर. एस. चौधरी बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९५६ कलकत्ता ६ १

५ के० वी० नारायण राव बनाम आन्ध्र प्रदेश ए. आई. आर. १९५८ आन्ध्र प्रदेश २३६, ईस्ट इण्डिया इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रैक्शन क. बनाम एस. सी. एस. गुप्ता ५८ सी. डब्ल्यू. एन. १०२

६ सी. एम. शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९६१ इलाहाबाद ४५, काशीप्रसाद बनाम पुलिस अधीक्षक ए. आई. आर. १९५८ पंजाब १३७, दुलन्द नारायण बनाम बिहार सरकार, ए. आई. आर. १९७५ पटना १ १, केवल झुकाव की सम्भावना जज को अयोग्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है—देखिये गजाराम बनाम सरकार, ए. आई. आर. १९५६ विन्ध्य प्रदेश १४

७ मृत्युञ्जयदास बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए. आई. आर. १९५९ कलकत्ता २७८, विजयचन्द्र चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ५८ सी. डब्ल्यू. एन. ९८८

८ के. एन. रामा अय्यर बनाम सरकार, ए. आई. आर. १९५२ मद्रास ६६

९ पंजाब सरकार बनाम धरमचन्द, ए. आई. आर. १९५८ पंजाब ४०२

१० बम्बई प्रान्त बनाम खुशालदास आडवानी, ए. आई. आर. १९५० सर्वोच्च न्यायालय २२२ राजेन्द्रसिंह बनाम भारतीय संघ, ए. आई. आर. १९६२ मध्य प्रदेश

उस व्यक्ति के स्तर तक जो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आक्षेप सिद्ध करना अपने कर्त्तव्य का भाग समझता है। उसे न्यायाधीश के समान निर्लिप्तता से व्यवहार करना चाहिये क्यों कि वह वैसा प्रतिष्ठित कर्त्तव्य पालन करना प्रकट कर रहा है।

राज्य सरकार एवं अनुशासन प्राधिकारी जिनको राज्य कर्मचारी को दंडित करने का अधिकार है उसके विरुद्ध अंतिम कार्यवाही करने से पूर्व साधारणतया, जांच करने की शक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दे सकते हैं। जब कि मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के पंजीयक के विरुद्ध किये गये अभियोगों की जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया तो यह विवाद किया गया कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं को इस मामले में जांच करनी चाहिये था। यह निर्णय हुआ कि अभियोगों में जांच करने का कार्य अन्य न्यायाधीश को सुपुर्द करने में मुख्य न्यायाधीश सक्षम था।[1]

हाल ही के एक वाद में,[2] सरकार के शासन सचिव ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप बनाये और डिप्टी हाई कमीश्नर को एक जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। दोषी कर्मचारी को आदेश दिया कि वह अपना लिखित उत्तर डिप्टी हाई कमीश्नर द्वारा चुने गये अधिकारी के समक्ष प्रेषित करे। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी और लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने के पश्चात कर्मचारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया। एक प्रश्न उठा कि क्या जांच अधिकारी की नियुक्ति अथवा चुनने का अधिकार किसी को प्रत्यायुक्त (डेलीगेट) किया जा सकता था। फैसला हुआ कि वास्तव में कोई प्रत्यायुक्ति हुई ही नहीं। जिस प्राधिकारी का कर्त्तव्य निर्णय पर पहुँचने का था वह सामग्री एकत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता था। यह तो केवल कार्य प्रणाली का मामला हुआ। जब तक वह प्राधिकारी सुनवाई करने एवं एकत्रित सामग्री पर अपना दिमाग लगाने और स्वयं नतीजे पर पहुँचने के अपने कर्त्तव्य का त्याग नहीं देता तब तक सामग्री एकत्रित करने के लिये की गई नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यदि सरकार के शासन सचिव ने जांच अधिकारी स्वयं मनोनीत करने के बजाय किसी अन्य द्वारा चुने हुए व्यक्ति को सामग्री एकत्रित करने का कार्य सुपुर्द करने के लिए कहा है तो इसका कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता। एक अन्य मामले में जब कि जांच समिति का गठन डिवीजनल अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता ने किया तो निर्णय हुआ कि रिपोर्ट मूल्यहीन नहीं हुई और उस पर कार्यवाही की जा सकती थी।[3]

प्रारंभिक जांच में तफतीश करने वाले अधिकारी द्वारा जांच होना निषेध नहीं — आरोप सकलन करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी प्रारम्भिक जांच करवा सकता है और तथ्यों का पता लगाने के पश्चात आरोप बना सकता है। यदि उसने तथ्यों का पता लगाने के लिये किसी अन्य को नियुक्त किया है तो वही व्यक्ति जांच अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। जब कि प्रार्थी ने आरक्षी महानिरीक्षक की आज्ञा पर इस आधार पर प्रहार किया कि चूं कि जांच अधिकारी उसके विरुद्ध में पक्षपात रखने वाला था वह जांच के लिये योग्य नहीं था तो यह फैसला हुआ कि एक विशेष अधिकारी जिसने आरोपित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय

१ प्रफुल्ल कुमार बनाम मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता, ए आई आर १९५४ सर्वोच्च न्यायालय २८५
२ ए एम सेल्ही बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६८ दिल्ली २६
३ मदनसिंह बनाम भारतीय सरकार आई एल आर १९६१ राजस्थान ६३

तन म पहल प्रारभिक जाच म था वा विभागीय जाच करन स रोका नहीं जा सकता, न उसको आरोपित अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार पक्षपात सूचक हो मान सकते हैं।[1] इसी प्रकार जब यह तय किया गया कि एक विशेष अधिकारी जाच समिति म बैठने के योग्य नहीं था क्योंकि पहले की तथ्य शोधक समिति (फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी) का सदस्य होने के नाते उसने मामले का निर्णय पूर्व निश्चित कर रखा था और वह समस्त घटना का गवाह भी था। कहना दूसरा कि गत वातान तथ्य शोधक समिति के सदस्या म स एक सदस्य पूर्व जन मात्र से विभागीय जाच म जाच समिति म बैठने के लिये वह स्वतः अयोग्य नहीं होता।[2]

अनुशासन प्राधिकारी केवल जाच संचालन करन का अधिकार सुपुर्द कर सकता है परन्तु जो अधिकार उसको अनुशासन प्राधिकारी का हैसियत से है वह सुपुर्द नहीं किये जा सकते।[3] यह नया प्रावधान बनाकर उस पर अपना निर्णय नहीं ले सकता न वह उस प्राधिकारी पर निर्णय ले सकता है जो सभी बनाया हो नहीं गया।[4] जाच समिति की किसी अन्य व्यक्ति का जाच अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा प्रत्यायुक्ति एक प्रतिप्रत्यायुक्ति है।[5]

(५) उप नियम (५)–पैरवी के लिये व्यक्तियों की सहायता–यह उप नियम प्रावधान करता है कि अनुशासन प्राधिकारी अपना मामला जाच अधिकारी के सामने निम्न लिखित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कर सकता है —

(क) सरकारी व्यक्ति जो वकील न हो, अथवा

(ख) सरकारी व्यक्ति जो वकील हो। यदि किसी सरकारी अभियोजक (पब्लिक प्रासीक्यूटर) या अभियोजन निरीक्षक या अभियोजन सहायक निरीक्षक की नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी करता है तो वह कानूनी वकील माना जावेगा।

दूसरी तरफ राज्य कर्मचारी भी अपना प्रतिवाद जाच अधिकारी के सामने निम्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करवा सकता है—

(क) अनुशासन प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी अन्य राज्य कर्मचारी की सहायता से अथवा

(ख) वकील द्वारा यदि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा सरकारी व्यक्ति भी वकील है अथवा

(ग) वकील द्वारा यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, अनुशासन प्राधिकारी ने इसके लिये अनुमति न दी हो।

राज्य कर्मचारी वकील द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने का दावा अधिकार रूप में नहीं कर सकता। सारी अधिकारी को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना अनुशासन प्राधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः ऐसी कानूनी सहायता जब म अस्वीकार कर

---

१ गोविन्द शकर बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर. १९६३ मध्य प्रदेश ११५

२ श्रीकान्त उपाध्याय बनाम भारतीय सरकार, ए आई आर १९६ पटना ८

अब्दुल रहीम बनाम मुख्य अभियन्ता आबकारी ए आई आर. १९६४ आन्ध्र प्रदेश ४०३

४ मुन्ना राय बनाम मुख्य शासन सचिव ए आई आर १९६४ मैसूर २०१

५ मानन्द नारायण बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर, १९६८ मध्य प्रदेश ३१८

निर्णय पहले ही दे दिया है।[1] यद्यपि आरोप में प्रस्तावित शास्ति सम्मिलित है तो भी प्रसनिक कर्मचारी पर शास्ति लागू करने की अंतिम आज्ञा जारी होने से पूर्व सब कार्यवाही को खारिज करने के लिये उत्प्रेषण लेख (सरशियोरेरी) की लिखित आज्ञा (रिट) नहीं दी जा सकेगी।[2]

अभिकथनों का विवरण—अभिकथनों का विवरण देने के सबंध में किये गये प्रावधान व्यर्थ नहीं हैं और सहज ही में उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। आरोपित व्यक्ति का जाच अधिकारी द्वारा अभियोगों एवं परिस्थितियों का विवरण देने में चूक हो जाना कुछ विशेष मामलों में फसले को खारिज करने के लिये अच्छा आधार माना जा सकता है। परन्तु जब की आरोप पूर्ण रूप से विस्तृत था और उसमें समस्त आरोपों जिन पर वह आधारित था दर्ज थे। प्रार्थी को दोषी सिद्ध करने में जाच अधिकारी ने उनके अतिरिक्त और किसी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया था तो यह निर्णय हुआ कि प्रार्थी का अभिकथनों का विवरण नहीं देना केवल एक ऐसी अनियमितता थी जिसका अभियोग की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।[3]

प्रारम्भिक जाच—प्रारम्भिक जाच यह तय करने के लिये की जाती है कि क्या विधिवत विभागीय जाच करने के लिये प्रथमावलोकन से राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई मामला बनता है।[4] ऐसी प्रारम्भिक जाच में प्रार्थी को बुलाया जाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ऐसी जाच केवल अधिकारी के संतोष के लिये होती है। और राज्य कर्मचारी को कोई हक पैदा नहीं होता।[5] प्रारम्भिक जाच दरकनार की जावे तो भी उससे कोई अतिक्रमण नहीं होगी।[6] परन्तु प्रारम्भिक जाच के दौरान जो सामग्री एकत्रित की गई या बनाई है उसका उपयोग राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उसको स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना नहीं हो सकता। जब की प्रारम्भिक जाच में लिये गये सात गवाहों के बयान राज्य कर्मचारी को उपलब्ध नहीं कराये गये यद्यपि उनका आश्रय लिया गया, तो निर्णय हुआ कि ऐसा कदम अवैध था।[7]

लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिये नोटिस—अनुशासन प्राधिकारी आरोप-पत्र और अभिकथनों का विवरण राज्य कर्मचारी को भेजते समय एक नोटिस भी भेजेगा। ऐसे नोटिस में अनुशासन प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर पेश करने के लिये कर्मचारी को आदेश देगा। निर्दिष्ट अवधि वाजिब होनी चाहिये। वह पन्द्रह दिनों से एक महिने के बीच की हो सकती है। जबकि राज्य कर्मचारी को आदेश हुआ कि उसी दिन कारण बताव तो न्यायालय ने निर्णय दिया

१ एन मनिक्कम बनाम पुलिस अधिक्षक ए आई आर १९६८ मद्रास ३७८
२ श्री कान्त उपाध्याय बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६० पटना ३८
३ कन्हैया लाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान १, यह भी देखिये—नत्थाई राय बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५३ पंजाब १३७
४ चम्पत लाल बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय १८५४
५ मोहम्मद शरीफ खा बनाम ओंकार सिंह, ए आई आर १९५७ इलाहाबाद २१७
६ नगेन्द्र कुमार रौय बनाम कमीश्नर बन्दरगाह ए आई आर. १९५५ कलकत्ता ५६
७ भारतीय संघ बनाम श्री कुलाचन्द्र सिंह ए आई आर. त्रिपुरा २० एस दलमेर सिंह बनाम पेप्सू राज्य ए आइ आर १९५५ पेप्सू ९७

कि उसे उचित अवसर नहीं दिया गया था।[1] आरोपों का उत्तर देने के लिये एक दिन की अवधि अपर्याप्त मानी गयी।[2] परन्तु एक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ६ दिनों का समय अनुचित नहीं माना गया।[3] नोटिस आरोप पत्र एवं अभिकथना के विवरण सहित जवाबी रजिस्ट्री पत्र द्वारा भेजना चाहिये। राज्य सरकार ने अनुशासन प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये नोटिस आरोप पत्र एवं अभिकथना के विवरण के आदर्श प्रपत्र तय्यार किये हैं।

जांच किसी भी समय बंद करने का अधिकार—निर्देश (रेफरेन्स) करने के अधिकार के साथ वापिस लेने का अधिकार आवश्यक रूप में सम्मिलित है।[4] किन्तु ये नियम राज्य कर्मचारी को यह आग्रह करने का अधिकार प्रदान नहीं करते कि उसके विरुद्ध आरम्भ की हुई जांच अन्त पर पहुँचने तक चालू रखी जावे या उसे एक नतीजे पर पहुँचने तक नौकरी में रखा जावे। किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध की जा रही जांच बंद करने का अधिकार राज्य सरकार को हर समय है।[5] जब कि प्रार्थी को अभियोगों के साथ अभिकथनों का विवरण दिया गया जिनके आधार पर विभागीय जांच नियम १६ के अन्तर्गत प्रस्तावित थी और बाद में राजस्थान सेवा नियमों (आर. एस. आर.) के नियम २४४ (?) के अन्तर्गत उसे सेवा से अनिवार्यतः रिटायर कर दिया गया तो उसने यह विवाद किया कि पहले जांच समाप्त करनी जावे उसके बाद उसे रिटायर किया जावे। न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार किया और निर्णय दिया कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है अथवा रिटायर कर दिया जाता है तो वह सेवा का सदस्य नहीं रहता न वह कोई प्रशासनिक पद धारण करता है। जब कि सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) की आज्ञा एक बार प्रभावशील हो जाती है तो उसको पश्चातवर्ती सेवा से पदच्युति अथवा पदच्युति नहीं की जा सकती और इसलिए उसके विरुद्ध कोई जांच नहीं की जा सकती।[6]

आरोप स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना—अनुशासन प्राधिकारी नोटिस द्वारा राज्य कर्मचारी से पूछता कि क्या वह आरोपों एवं अभिकथनों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में स्वीकार करता है और अपराध स्वीकार करता है अथवा वह अभियोग मंजूर नहीं करता और अपराध स्वीकार नहीं करता। यदि राज्य कर्मचारी अभियोगों को स्वीकार करले और जांच नहीं करवाना चाहे तो संविधान के अनुच्छेद ३११ अथवा इन नियमों द्वारा आवश्यक नहीं है कि जांच की जावे।[7] यदि कोई ऐसी स्वीकारोक्ति का सबूत नहीं है तो यह स्पष्ट है कि अधिकारी को जांच अनिवार्यतः करना

---

१ कन्हैया लाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५८ राजस्थान १

२ सुधार रजन बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ए आई आर. १९६१ कलकत्ता ६२६ कृष्ण लाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर. १९६५ पंजाब ४४२

३ बम्बई सरकार बनाम अमर सिंह ए आई आर. १९६२ गुजरात २४४

४ आर. मरजयाह बनाम अनुशासन कार्यवाहियों का न्यायाधिकरण ए आई आर. १९६२ आन्ध्र प्रदेश २०४

५ एम एम पांडे बनाम मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्य ए आई आर १९६१ मध्यप्रदेश २१२

६ नवल किशोर दुबे बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९६७ राजस्थान ८२

७ रवीन्द्र मोहन बनाम भारतीय संघ शेष, ए आई आर १९६१ त्रिपुरा ३ गंगाराम बनाम एकाउटेंट जनरल ए आई आर. १९६२ बम्बई १२१, करमसिंह बनाम राजनगर कमाण्डर ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ४

होगी और जो सामग्री जाच के समय उसके सामने प्रस्तुत की जाव, उन पर निष्कर्ष तक पहुँचे।[1] यदि राज्य कर्मचारी अभियोगो को स्वीकार करले तो ऐसी दशा में जाच नहीं भी की जा सकती है परन्तु नियम १६ (१०) (i) (ख) के अन्तर्गत प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध वह नोटिस पाने का अधिकारी है। जब कि जाच के समय कर्मचारी ने क्षमायाचना की तो निर्णय हुआ कि यह अपराध स्वीकार करना हो गया और जाच आगे जारी रखना आवश्यक नहीं था, परन्तु फिर भी शास्ति की मात्रा के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्राप्त करने का स्वत्व उसे अवश्य था।[2]

यह भी बतादें कि अपराध की तथा कथित स्वीकृति पर जाच त्यागी नहीं जा सकती। जब कि बिना यथोचित जाच किये अपराध की तथाकथित स्वीकृति के बल पर राज्य कर्मचारी को सेवा से पृथक कर दिया गया तो यह फैसला हुआ कि चू कि राज्य कर्मचारी द्वारा दिये गये बयानो का स्पष्ट एवं निश्चित शब्दो मे अपराध स्वीकार करना नहीं समझ सकते, इसलिये अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई।[3]

( ) **उपनियम (३)—रेकर्ड का निरीक्षण एवं उद्धरण लेना**—यह नियम निर्धारित करता है कि जिस राज्य कर्मचारी को आरोप-पत्र एवं अभिकथनो का विवरण नोटिस द्वारा दिये गये है उसको अपनी प्रतिरक्षा की तय्यारी करने हेतु अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जायगी कि वह—

(१) इच्छित सरकारी रेकर्ड का निरीक्षण करलें और

(२) उसके द्वारा निर्दिष्ट रेकर्ड मे से उद्धरण ले सकेगा।

किन्तु यह अधिकार कुछ सीमा तक प्रतिबन्धित है। यदि अनुशासन प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा रेकर्ड (क) कर्मचारी की प्रतिरक्षा की तय्यारी हेतु सुसंगत नहीं है, अथवा (ख) उस रेकर्ड को बताना लोक हित में नहीं है, तो वह ऐसी अनुमति देना अस्वीकार कर सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मचारी को सरकारी अभिलेख की प्रतिलिपियां देने का प्रावधान नहीं है। सरकारी कर्मचारी केवल अभिलेखो का निरीक्षण कर सकता है और अभिलेखो मे से उद्धरण ले सकता है।

यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय में दस्तावेज विशेषाधिकार के (प्रिविलेज्ड) है तो अनुमति अस्वीकार की जा सकती है। इसी प्रकार अनुशासन प्राधिकारी इस प्रकार के अभिलेख (रेकर्ड) के लिये ऐसी अनुमती नामन्जूर कर सकता है जैसे लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट,[4] विभागीय जाच से पूर्व गोपनीय अन्वेषण मे लिये गये बयानात[5] अथवा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की रिपोर्ट।[6] इसके

१ एस ई रेलवे बनाम अरुलाप्पन ए आई आर १९५७ मद्रास ३५६
२ मेघराज बनाम सरकार, ए आई आर १९५६ राजस्थान २८, रामलाल बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६३ राजस्थान ५७
३ जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्य भारत सरकार ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १०७०
४ पंजाब सरकार बनाम सोधी सुखदेव सिंह ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय ४९३
५ जमेन ग्रुणी बनाम गजम जिलाधीश, ए आई आर १९५६ उड़ीसा १५२
६ पुनीत लाल साहा बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५७ पटना ३५७

विभाग, यदि शासकीय दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य रूप में निरीक्षण की अनुमति अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो इस आवश्यकता की पूर्ति रूप में पालन हुआ मान लिया जायगा। जहाँ प्रार्थी ने राजस्व मंडल के अध्यक्ष द्वारा लिखित एवं गोपनीय रिपोर्ट की प्रतिलिपि मांगी परन्तु मना करते हुए जिलाधीश कार्यालय की कुछ मिसलों को देखने एवं कुछ मिसलों और कुछ रजिस्टरों में से उद्धरण लेने की अनुमति दी गई तो यह निर्णय हुआ कि इस नियम की आवश्यकता का पूर्ण रूप से पालन किया गया है और उसके कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं रही कि रिकॉर्ड पर जो सामग्री थी वह प्रार्थी को अपराध स्थापन के लिए दर्शाने का अवसर नहीं।[1]

यदि लिखित बयान महत्त्वपूर्ण है तो उसका निरीक्षण प्राप्त करने की अनुमति अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिये। राज्य कर्मचारी यह दावा कर सकता है कि सम्बद्ध दस्तावेज का निरीक्षण नहीं करने के कारण जिनका उसको अधिकार था, वह अपने बचाव को प्रस्तुत करने के अधिकार से अवरुद्ध रहा।[2] अतः जब कि राज्य कर्मचारी को निरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया,[3] अथवा शासकीय अन्वेषण पत्र[4] अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज[5] नहीं दिये गये तो यह निर्णय हुआ कि राज्य कर्मचारी को नोटिस का उत्तर देने के लिये समुचित अवसर नहीं दिया गया।

जब कि अपीलार्थी को सूचित किया गया कि इच्छित प्रतिलिपियाँ उनको नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करना विभागीय नियमों के प्रतिकूल होगा अतः प्रशासन ने अपीलार्थी को सूचना दी कि वे मिसलों में से नोट लिये जा सकते हैं, तो यह निर्णय हुआ कि पूर्वकथित कारण को मान्य नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि उनको स्थान में पूर्ण प्रतिरक्षा करने सम्बन्धी मूल्यवान अधिकारों से अपीलार्थी को वंचित रखा गया, इसलिये कार्यवाही में भारी अनियमितता रही।[6]

(४) उपनियम (४)—लिखित उत्तर प्रस्तुत करना और जांच का प्रारम्भ—यह उपनियम प्रावधान करता है कि राज्य कर्मचारी की प्रतिरक्षा में उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासन प्राधिकारी अभियोगों की जांच करेगा। यदि प्रतिरक्षा का उत्तर निर्धारित अवधि में या स्वीकृत की अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो अनुशासन प्राधिकारी उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर अभियोगों की जांच करेगा।

---

१ गौरचंद्र राठी बनाम उड़ीसा सरकार, ए. आई. आर. १९६० उड़ीसा ८६
२ मध्य प्रदेश सरकार बनाम चिन्तामन वामन्यायन ए. आई. आर. १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १६२३
३ एस. नटराजन बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर. १९६० मैसूर १५९
४ गुजरात सरकार बनाम अमरसिंह रावल ए. आई. आर. १९६२ गुजरात २८८
५ त्रिपाठी लक्ष्मीनारायण बनाम चा. इन्स्पे. मंत्रि आन्ध्रप्रदेश ए. आई. आर. १९६१ आन्ध्रप्रदेश २८९, रघुवंश प्रसाद बनाम बिहार सरकार, ए. आई. आर. १९५७ पटना १००, नारायणसिंह बनाम आई. जी. पुलिस ए. आई. आर. १९५४ विन्ध्यप्रदेश ५०
६ प्रभाती बनाम वर्क्स मैनेजर, ए. आई. आर. १९५७ कलकत्ता ४

देना मात्र, आवश्यक रूप से, सामान्य न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं होता। वकील द्वारा मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रश्न तय करने के लिये ऐसी बातों पर भी विचार करना चाहिये — जैसे उसके विरुद्ध आरोपित अभियोगों की किस्म उसके खुद की शिक्षा एवं अन्य निपुणता जिससे वह बिना वकील के अपना नाम प्रस्तुत करने में समर्थ होने से संबंधित हो।[1] जब की एक सेशन न्यायाधीश ने जिसके विरुद्ध कुछ अभियोगों का आरोप लगाया गया था वकील से सहायता लेने की प्रार्थना की तो यह तर्क किया गया कि चूंकि वह स्वयं एक प्रशिक्षित व्यक्ति था उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु गवाहों और दस्तावेजों के समूह को देखते हुए न्यायालय ने उक्त तर्क अस्वीकार किया और व्यक्त किया कि मैं यह सोचना अनुचित नहीं समझता कि एक श्रेष्ठतर वकील भी बिना कानूनी सहायता के इतने गवाहों और दस्तावेजों के समूह से कैसे गुजारा कर सकता है। इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिये कि वह एक ५५ वर्ष का वृद्ध आदमी था और जांच के समय स्वाभाविकतया घोर मानसिक क्लेश में था। यह कहा गया कि उसे ऐसे व्यक्ति से सहायता लेने की अनुमति दे दी गई थी जो वकील न हो, परन्तु यह बात भ्रान्तिपूर्ण थी क्यों कि एक अविनिज (जो वकील न हो,) ढेर सारे बयानों, जिनकी प्रतिलिपियां भी नहीं दी गई थी और दस्तावेजों के बाहुल्य में सर्वथा किंकर्तव्यविमूढ हो जाता और वह यह नहीं कह सकता था कि क्या छांट क्या चुने और क्या नोट करे। यदि कोई डाक्टर अपने आप की चिकित्सा करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो यह आवश्यक नहीं कि एक वकील भी अपने खुद का मामला पैरवी करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति हो कम से कम उस दशा में जबकि उसके पास कोई सहायक न हो। मुझे अभी तक यह ज्ञात करना है उन तमाम न्यायाधीशों को विशेषतया ऐसे न्यायाधीश जिनकी जीवनवृत्ति राज्य सेवाओं में रही और जिन्होंने मुश्किल से ही कोई वकालत की हो जो अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात अच्छे वकील बने हों।[2] पुनः जबकि सब मिलाकर गवाहों की संख्या ६१ थी, कुल प्रदर्शित दस्तावेजों की संख्या १६६ थी, केवल गवाहों के बयान ४३७ पृष्ठों में थे, केवल प्रार्थी का लिखित उत्तर २५ पृष्ठों में था न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) की रिपोर्ट १३६ पृष्ठों में थी, तो यह फैसला हुआ कि प्रार्थी को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिये थी।[3] एक वाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकट किया कि सही हो या गलत जब प्रार्थी की समुचित आशंका थी कि जांच एक पहले से सोचे गये षडयन्त्र के फल स्वरूप थी और चिकित्सा विभाग की मिलावट से की गई थी तो वकील के लिये की गई प्रार्थना निःसंदेह उचित थी।[4] एक वाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने भी व्यक्त किया कि विभागीय जांच में वकील नियुक्त करने की अस्वीकृति जिसमें कि संवैधानिक आदेश का उल्लंघन हुआ हो, आरोपित शास्ति को अवैध बनाता है।[5] इसके विपरीत राजस्थान त्रिपुरा, पंजाब गुजरात, उड़ीसा और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय इस राय में हैं कि कोई राज्य कर्मचारी अधिकार स्वरूप यह दावा नहीं कर सकता कि उसको वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जावे। अपवादात्मक कठिनाइयों के मामलों में

---

१ जेम्स कुजो बनाम कलेक्टर, ए आई आर. १९५६ उड़ीसा १५२ गुजरात सरकार बनाम अमरसिंह रावल ए आई आर १९६३ गुजरात २४४

२ नृपेंद्र नाथ बागची बनाम मुख्य शासन सचिव, ए आई आर १९६१ कलकत्ता १

३ निरंजन बनाम सरकार, ए आई आर १९६२ उड़ीसा ७८

४ डा. के सुब्बाराव बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर. १९५७ आन्ध्र प्रदेश ४१४

५ टी मुनीस्व मी बनाम मैसूर राज्य ए आई आर. १९६४ मैसूर २५०

जब कि वकील से अभियोग हो और रेकर्ड बड़ा हो जिसका एक व्यक्ति उचित ढंग से अध्ययन नहीं कर सकता हो तो वकील की सहायता की अनुमति मिलनी चाहिये।[1] राज्य सरकार ने एक प्रपत्र जारी किया है जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि जांच बोर्ड अथवा जांच अधिकारी की नियुक्ति के दिनांक से १५ दिन के भीतर उस राज्य कर्मचारी का नाम प्रस्तुत कर दिया जाय जो मामले को प्रस्तुत करने में सहायता करेगा।[2] यदि इस अवधि में अथवा बढ़ाई गई अवधि में अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ कोई नाम प्रस्तुत नहीं किया गया है तो जांच की कार्यवाही स्थगित करने का यह कोई कारण नहीं होगा। यदि कोई ऐसा राज्य कर्मचारी दोषी कर्मचारी की सहायता हेतु नियुक्त हुआ है तो वह नियमानुसार यात्रा भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

(६) उपनियम (६)-साक्ष्य का अभिलेख एवं जिरह-यह उप नियम प्रावधान करता है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी (i) दस्तावेजी शहादत पर विचार करेगा और (ii) अभियोगों के सुसंगत या तथ्यगत जबानी साक्ष्य लेगा। दोनों पक्षों को एक दूसरे से जिरह करने का अधिकार होगा। उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत असैनिक कर्मचारी को संरक्षण मिलने से संबंधित यह स्थिति बनती है अर्थात (१) असैनिक कर्मचारी को उसके विरुद्ध आरोपित अभियोग या अभियोगों से अवगत कराया जाय और (२) उसको अभिकथनों का विवरण (अभियोगों की पुष्टि में साक्ष्य का ब्यौरा) दिया जाय। तथा अभियोगों की पुष्टि में साक्ष्य दोषी कर्मचारी की उपस्थिति में ली जाय और उस उसके विरुद्ध साक्ष्य देने वाले गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाय। तत्पश्चात दोषी कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये। इस समय अभियुक्त को दोषी कर्मचारी के गवाहान से जिरह करने का मौका दिया जाय।

यह अति आवश्यक है कि जांच अधिकारी जबानी शहादत दोषी कर्मचारी की उपस्थिति में लिखे।[3] सामान्य न्याय के सिद्धांत और इसी प्रकार कार्यप्रणाली के नियमानुसार आवश्यक है कि जिस साक्ष्य के आधार पर राज्य कर्मचारी को दण्डित किया जाना प्रस्तावित है वह उसको उस स्थिति में ला जाय।[4] जब कि अभियोग की पुष्टि में ली गई शहादत दोषी कर्मचारी की उपस्थिति में नहीं लिखी गई और उन गवाहान से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गई जांच दूषित हो गई।[5] जब कि प्रार्थी को जांच अधिकारी

1. ए. के. व्यास बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६० राजस्थान १४१९, भारत सरकार बनाम कुन्ना चन्द्र सिंह ए आई आर १९६८ त्रिपुरा ३० एम दुर्गासिंह बनाम पुलिस ए आई आर १९६२ पंजाब ९०, नग मोहन लाल जय जीवन लाल भाटी बनाम मैसूर सरकार ए आई आर. १९६२ गुजरात १६७, डा. जानेंद्र नाथ लाल बनाम ...... सरकार १९६४ इलाहाबाद ५४१, एवं राम चन्द्र बनाम आर डी वर्मा ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ५३०
2. प्रपत्र संख्या एक (३४) नियुक्ति (ए II) दिनांक १४-२-६४
3. एफ ३ (१६) एफ डी (व्यय-नियम) ६ दि० १०-२-६४
4. कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर. १९५३ राजस्थान ८३३
5. माधो राम बनाम डिविजनल वन अधिकारी ए आई आर. १९५२ जम्मू १७० एम नाजूदन्वर बनाम मैसूर राज्य ए आई आर १९६० मैसूर १७९ नारायन नड्वर बनाम बम्बई राज्य ए आई आर १९६० बम्बई ६ श्यामलाल गाजनलाल बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. १९६२ पंजाब ४८६
कुन्दन प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९५६ राजस्थान ११

के कमरे से बाहर रहने को कहा गया और वहां प्रार्थी की अनुपस्थिति में बयान कलमबद किये गये तो निर्णय हुआ कि ऐसी जाच, जिसमें मुख्य-परीक्षा दोषी कर्मचारी की अनुपस्थिति में लिखी गई यद्यपि उसे बाद हो से जिरह करने की अनुमति दी गई थी फिर भी वह सामान्य न्याय के नियमों के अनुकूल होनी नहीं मानी जा सकती।[1] संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी को सुनवाई का अधिकार है।[2] बिना मुख्य परीक्षा के दोषी कर्मचारी को केवल प्रारंभिक जाच में लिए गये बयानों पर जिरह करने का आदेश देना बहुत अन्यायपूर्ण है।[3]

उप नियम ६ (ग) प्रावधान करता है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, सम्मन स्पष्टरूप से तामील हो जाने के बावजूद जाच की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता तो जाच प्राधिकारी इकतरफा कार्यवाही कर सकता है परन्तु उसे अभिलेख में लिखना होगा कि नियम १६ (ii) को दृष्टिकोण में रखते हुये नियम १६ में निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार चलना व्यवहार्य नहीं है। इसी प्रकार जब कि राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध संयुक्त जाच की जा रही हो और बावजूद स्पष्ट तामील सम्मन एक या अधिक राज्य कर्मचारी जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो परन्तु ऐसे दोषी कर्मचारी की सहायता करने वाले राज्य कर्मचारी उपस्थित हो तो जाच प्राधिकारी नियम १६ के उप नियम ६ (घ) के अनुसार इकतर्फा कार्यवाही कर सकता है।

जब कि दोषी कर्मचारी पेशी की सूचना मिलने के उपरांत भी जाच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो निर्णय हुआ कि जाच अधिकारी इकतर्फा कार्यवाही कर सकता था परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि बिना किसी प्रकार की जाच किये अर्थात बिना मौखिक या दस्तावेजी शहादत लिये निष्कर्ष लिख दिया जाय।[4] अतः जब कि जाच अधिकारी ने इकतर्फा जाच की और प्रार्थी को अभियोग का दोषी व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन दिया तो फैसला हुआ कि समस्त जाच अवैध थी क्योंकि जो कार्यप्रणाली अपनाई गई वह मनमानी थी एवं कानून के अनुकूल नहीं थी।[5]

गवाहों का आह्वान एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण—जब कि दोषी कर्मचारी द्वारा इच्छित गवाहों कि जाच न्यायाधिकरण ने इस आधार पर अस्वीकार करदी कि दोषी कर्मचारी की सहायतार्थ गवाहों को सम्मन भेजना उसका कर्त्तव्य नहीं है तो निर्णय हुआ कि इस प्रकार की अस्वीकृति न्याय एवं सद्भावना के प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिकूल है जो न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों सब पर लागू है।[6] यदि प्रतिरक्षा के गवाह को सम्मन भेजने से इन्कार करने का अधिकार बिना

---

१ श्यामलाल रोशनलाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ पंजाब ४९६ पंजाब *सरकार बनाम दीवान चिनीलाल, ए आई आर १९६३ पंजाब ३९९ बिमलचरण मिश्र* बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५७ उड़ीसा १८४, के एस हेमराजसिंहजी बनाम पुलिस महानिरीक्षक ए आई आर १९६१ गुजरात ६ अलाईचंद बासक बनाम एन रॉय ए आई आर १९५४ कलकत्ता ४६५ श्याम सुन्दर मिश्रा बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९५७ उड़ीसा २२२

२ ए आर. एम चौधरी बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५६ कलकत्ता ६६२

३ सुरेन्द्र चन्द्र दास बनाम त्रिपुरा क्षेत्र, ए आई आर १९६२ त्रिपुरा १५

४ श्यामनारायण शर्मा बनाम भारतीय संघ १९६४ आर. एल डब्ल्यू ६१३

५ अभिय प्रसाद दास गुप्ता बनाम डाइरेक्टर प्रक्योरमेंट ए आई आर. १९५६ कलकत्ता ११४

६ एस ठाकुरजी बनाम मद्रास सरकार ए आई आर १९५५ आंध्र प्रदेश १६८ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सी एम शर्मा ए आई आर १९६३ इलाहाबाद ९४ जिसका पुष्टिकरण हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सी एम शर्मा ए आई आर १९६८ सर्वोच्च न्यायालय १५६

उचित सावधानी एवं सचेतनता से प्रयोग किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा सुरक्षित प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के सिद्धान्त का उल्लंघन है।[1] जब कि विचार का विषय यह था कि पुलिस उप अधीक्षक ने उन गवाहों को सम्मन करने एवं कुछ दस्तावेजों को पेश करने का मौका नहीं दिया तो यह फैसला हुआ कि कारण बताने के लिए नोटिस का दिया जाना या अभिप्राय सुनवाई के अवसर के लिए कर्मचारी द्वारा केवल अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना नहीं है परन्तु उसकी परिधि में गवाहों को सम्मन कराने, सहायक पेश करने तथा गवाहों से जिरह करने के अवसर प्रदान करने के अवसर देना भी सम्मिलित है। उसे यह अवसर अवश्य देना था।[2] इसी प्रकार जब कि पुलिस अधीक्षक ने पन्द्रह गवाहों को बुलाना अस्वीकार कर दिया तो यह निर्णय हुआ कि जांच संचालन करने वाला पुलिस अधिकारी इस मत से पर तो पहुँचा कि प्रतिरक्षा के कुछ गवाहों को सम्मन भेजे जाय परन्तु ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया अतः दोषी अधिकारी को उसकी प्रतिरक्षा का मौका नहीं मिला और ऐसी जांच पर आधारित पदच्युति का आदेश स्थिर नहीं रह सकी।[3]

यदि गवाह के बयान बिना नोटिस दिये और दोषी कर्मचारी की अनुपस्थिति में लिये गये हों तो जांच सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल समझी जायेगी।[4] परन्तु यदि किसी अनावश्यक गवाह को प्रस्तुत नहीं किया तो न्याय सामान्य न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं होता।[5] जब कि यह विचार किया गया कि कोई गवाह या कोई कानूनन दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण समस्त कार्यवाही दूषित हो गई तो निर्णय हुआ कि गवाह का बयान नहीं लेने से और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी को उसकी उचित प्रतिरक्षा में कोई बाधा नहीं हुई न उसके विरोध में कोई पक्षपात ही हुआ।[6]

जिरह—जांच अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच में साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता यद्यपि इसके लगाने चाहिये हैं। कानून का तकाजा है कि ऐसा अधिकारी जांच के संचालन में सामान्य न्याय के नियमों का पालन करे, और यदि वह ऐसा कर रहा है तो उसके द्वारा दिये गये निर्णय पर इस आधार पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा अपनाई गई न्याय प्रणाली न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली से भिन्न थी। सामान्य न्याय के नियमों का तकाजा है कि दोषी कर्मचारी को ऐसी समस्त सहायता जिस का वह आश्रय लेता है पेश करने का अवसर मिल जाना चाहिये एवं विरोधपक्ष की गवाही उसकी उपस्थिति में ली जानी चाहिये और उसे विरोधपक्ष के गवाहों के साथ जिरह करने का अवसर मिलना चाहिए, और कोई भी ऐसी सामग्री का आश्रय उसके विरुद्ध नहीं लिया जाना चाहिये जब तक कि उसे स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया हो।[7] अतः ऐसी रिपोर्ट का सहारा के आधार उसके विरुद्ध नहीं लिया जा सकता

---

१ रामानन्द बनाम डिविजनल मैकेनिकल इंजिनियर ए० आई० आर० १९[illegible] राजस्थान ३०२
२ मोहम्मद हनीफ बनाम पुलिस उपअधीक्षक ए० आई० आर० १९५३ इलाहाबाद ६३४
३ बुद्धसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए० आई० आर० १९५[illegible] इलाहाबाद ६०३
४ [illegible] बनाम सरकार ए० आई० आर० १९६० केरल २६४
५ बगान सरदार बनाम यदुनाथ दास ए० आई० आर० १९६४ कलकत्ता १८४
६ डा० जी० बालय्या पान्तुलु बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार ए० आई० आर० १९५८ आन्ध्रप्रदेश २४०
७ भारतीय संघ बनाम टी० आर० वर्मा ए० आई० आर० १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ८८२, फुलबारी चाय एस्टेट बनाम उसके कर्मचारी ए० आई० आर० १९५९ सर्वोच्च न्यायालय १११[illegible]
कपूर सिंह बनाम भारतीय संघ ए० आई० आर० १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९

को दोषी अधिकारी की उपस्थिति में नहीं ली गई हो। शब्द 'शहादत' का तात्पर्य केवल जिरह करने मात्र से नहीं है। इसमें गवाह की समस्त शहादत सम्मिलित है और यदि शहादत दोषी कर्मचारी की उपस्थिति में ली जाती है तो ऐसी कोई शहादत का जो उसकी उपस्थिति में नहीं ली गई उपयोग नहीं किया जा सकता।[1] अतः जिरह करने से अस्वीकृति इस कारण से नहीं दी जा सकती कि उनमें कोई उपयोगी प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा।[2] जिरह करने का अवसर प्रारम्भिक अवस्था में ही दिया जाना चाहिये और दूसरी अवस्था संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा निर्देशित अवसर देने से इन्कार करना है।[3]

दोषी कर्मचारी गवाहों से पुनः जिरह करने[4] अथवा अपनी इच्छानुसार सब गवाहों के बयान खत्म होने के बाद जिरह करने का आग्रह नहीं कर सकता।[5] इसी प्रकार यदि दोषी कर्मचारी ने गवाहों के बयान हो चुकने पर जिरह करने की इच्छा प्रकट नहीं की तो वह यह तर्क नहीं कर सकता कि कार्यवाही में सामान्य न्याय के किसी नियम का अतिक्रमण हुआ है।[6] जब कि जाँच समाप्त हो जाने पर किसी दस्तावेज को साबित करने के लिये जाँच अधिकारी ने एक और गवाह के बयान लिये तो यदि दोषी अधिकारी को उस गवाह से जिरह करने का अवसर दे दिया था तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती।[7] जब कि एक विभागीय जाँच में प्रार्थी को अपने विभागाध्यक्ष से जो केवल कुछ पत्र प्रेषित करने के लिये उपस्थित हुआ था जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह व्यक्त किया गया कि अच्छा होता यदि प्रार्थी को अनुमति दी जाती, परन्तु साथ ही यह निर्णय हुआ कि मामले की परिस्थितियों में प्रार्थी को कोई पक्षपात नहीं भुगतना पड़ा और तदनुसार जाँच अवैध नहीं हुई।[8]

जब कि जाँच में एक अनोखी प्रणाली अपनाई गई कि प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने का प्रयास किये बिना जाँच-समिति के सदस्यों ने प्रश्न पर प्रश्न पूछना आरम्भ कर दिया। तत्पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी ने प्रार्थी का सेवा से पृथक् करने की आज्ञा जारी करदी। यह निर्णय हुआ कि सामान्य प्रणाली अर्थात् गवाहों और दीगर शहादत से मामला साबित करने की व्यवहार में नहीं लाई गई। अतः सेवा से पृथक्करण का आदेश स्थित नहीं रह सका।[9]

---

१ मध्य प्रदेश सरकार बनाम चिंतामन सदाशिव ए आई आर १९६१ सर्वोच्च न्यायालय १६२१, श्यामलाल बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६२ पंजाब ४९६ धेनोमाधव बनाम सरकार ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ११८
२ साधूराम बनाम इंजीनियर, ग्लोफ्राफ, ए आई आर १९५७ मध्य प्रदेश ५२
३ रामचन्द्र वर्मा बनाम आर डी वर्मा ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ५३२
४ मोहम्मद उमर बनाम आई जी पुलिस ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ७६७
५ जगदीश प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५७ इलाहाबाद ४३६
६ एन० वासुदेवन नाय्यर बनाम केरल सरकार ए आई आर १९६२ केरल ४३
७ गयाप्रसाद मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ६१८
८ ए० के० व्यास बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९६० राजस्थान १४१६
९ पशुपति बनर्जी बनाम डिप्टी चीफ इंजीनियर, ए आई आर १९६० असम ५१

गवाहों को बुलाने से इन्कार करने का जांच प्राधिकारी का अधिकार—उचित मामले में जांच अधिकारी का अधिकार है कि जब कि कोई गवाह प्रतिरक्षा के लिए सुसंगत अथवा सम्बद्ध नहीं था अथवा जब कि उद्देश्य केवल कार्यवाही को लम्बा करना या किसी विशेष गवाह को परेशान करना हो तो ऐसे गवाह को गवाही का सम्मन भेजने से इन्कार करे। परन्तु ऐसा अधिकार स्पष्टतया असाधारण स्वरूप है और इसका उपयोग कभी कभी ठोस कारणों से ही होना चाहिये जो लिखित में दर्ज किये जावें जैसा कि नियम स्वयं निर्देशित करता है। अतः यह आवश्यक है कि जब जांच अधिकारी इस अधिकार का प्रयोग करना चाहे तो उस प्रकार कारणों से ही होना चाहिये जो ज्ञानवान सही समझें और जो जांच प्राधिकारी की केवल मनमानी बात न हो। जब भी ऐसा प्रश्न उठे तो स्वविवेक को राज्य कर्मचारी के विरुद्ध प्रयोग करने के कारण, प्रश्न उठते ही उसी समय व्यक्त कर देने चाहियें। कारणों को बाद में दर्ज करना इस नियम के प्रयोजन को ही नष्ट करता है। जब कि उचित समय पर जांच प्राधिकारी ने कारण नहीं दिये परन्तु उसने केवल अपनी अन्तिम रिपोर्ट में दर्ज करना उचित समझा तो निर्णय हुआ कि ऐसा करने से नियम का प्रयोजन नष्ट हुआ है।[1]

जब कि प्रार्थी ने जांच अधिकारी को १७ प्रतिरक्षा के गवाहों की सूची दी जिनमें से उसने [illegible] को चुना और प्रार्थना किया कि प्रार्थी अपने खर्च और अपनी जिम्मेदारी से उनको प्रस्तुत करे। यह निर्णय हुआ कि यदि उनके प्रस्तुतिकरण का औचित्य प्रार्थी बता देता [illegible] तो जांच अधिकारी को अन्य प्रतिरक्षा के गवाहों को भी सम्मन द्वारा बुलाने के प्रश्न को पुनः निर्णय में पुनः विचार करना चाहिये क्योंकि यह एक प्राथमिक सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है वह यह अनुभव करे कि उसके प्रति न्यायपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है।[2]

अधूरे सुने गये मामले में गवाहों को दुबारा बुलाने की जांच अधिकारी की शक्ति—उप नियम ६ (ख) के अन्तर्गत उपयुक्त मामले में, किसी अधूरी की गई जांच में गवाहों को बयानों के लिये पुनः बुलाने की शक्ति जांच प्राधिकारी को प्रदान की गई है। ऐसी कार्यवाही के लिये कारण जांच प्राधिकारी को अभिलेख में लिखने चाहियें। कारणों को बाद में अभिलिखित करना इस नियम के प्रयोजन को ही विफल कर सकता है। यदि किसी जांच प्राधिकारी का स्थानान्तरण हो गया हो और बाद अन्य व्यक्ति जांच प्राधिकारी नियुक्त किया हो तो वह अपनी सन्तुष्टि के लिये दोनों पक्ष के गवाहों को अथवा किसी भी पक्ष के किसी गवाह को परिस्थितिनुसार पुनः बुला सकता है। ऐसे मामलों में उन गवाहों से पुनः जिरह करने का अवसर विपक्ष को देना आवश्यक होगा।

(७) उपनियम (७)—जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष—यह उप नियम आवश्यक करता है कि जांच पूरा करने के पश्चात् जांच प्राधिकारी रिपोर्ट बनायेगा और प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित अपना निष्कर्ष लिखेगा। रिपोर्ट तय्यार करते समय, जांच प्राधिकारी को लिखित उत्तर, मौखिक एवं लेखात्मक साक्ष्य और अन्य कोई प्रार्थना जो जांच के दौरान अनुशासन

---

१ रामानन्द बनाम दी एस इन्जीनियर ए. आई. आर. १९६२ राजस्थान २०४ यह भी देखिये—उत्तरप्रदेश सरकार बनाम सी एस शर्मा ए.आई.आर. १९६ इलाहाबाद ९८ एवं ए. आई. आर. १९६८ सर्वोच्च न्यायालय १५८

२ शिवचरन बनाम पंजाब सरकार ए. आई. आर. १९६२ पंजाब २५४ यह भी देखिये—कान्ताबाई बनाम जनरल मैनेजर ए. आई. आर. १९६४ कलकत्ता ४५७

अधिकारी अथवा जाच अधिकारी ने जारी किये हो, उन पर विचार करना चाहिये। दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत बहस पर भी जाच अधिकारी को विचार करना चाहिये। जाच अधिकारी को बाहरी सामग्री का जो दोषी कर्मचारी को प्रकट नही कराई गई और जो रेकार्ड पर कभी नहीं आई उसका आश्रय नही लेना चाहिये। यदि जाच अधिकारी बाहरी सामग्री पर विचार करना चाहता है तो दोषी कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर देना चाहिये। जब बाहरी सामग्री पर निष्कर्ष आधारित थे और जब समुचित अवसर नही दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि यदि ऐसे बाहरी सामग्री पर आधारित निष्कर्ष आरोपो से सम्बन्धित सामग्री के निष्कर्षों से अधिक गंभीर हो तो यह मानना यथोचित एवं उचित होगा कि संविधान एवं सेवा नियम द्वारा गारटी किया हुआ यथोचित अवसर नहीं दिया गया।[1]

जाच अधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारी को बिना समुचित अवसर दिये इन चीजों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये जैसे पिछला रेकार्ड[2] अथवा पिछली शास्ति[3], या पहले के बुरे कर्म[4] या पहले के खराब प्रतिवेदन[5] (रिपोर्ट) या व्यक्तिगत ज्ञान[6] या ऐसे तथ्य जिन पर उसने जाच नहीं की हो[7]।

ऐसे अन्य आरोपो पर विचार करना जो उन आरोपो मे सम्मिलित नहीं थे जिनका मुकाबला करने के लिये राज्य कर्मचारी को प्राप्त हुआ था यहत अनुचित है। यदि जाच अधिकारी का यह राय हो कि कोई अन्य आरोप बनते हैं तो ऐसे आरोप पर वह अपने निष्कर्ष तभी लिख सकता है जब कि (i) राज्य कर्मचारी को उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जा चुका है अथवा (ii) उसने उन आरोपो के तथ्य स्वीकार कर लिये हैं। इस प्रकार के अवसर अथवा स्वीकारोक्ति के अभाव मे सब निष्कर्ष अवैध होंगे।

---

१ मन्नलाल चावला बनाम प्रिंसीपल, एच बी टी इन्स्टीट्यूट ए आई आर १९६२ इलाहाबाद १९६, हरबसंसिह बनाम पजाब सरकार ए आई आर १९६२ पजाब २८९ रामराव लक्ष्मीकान्त बनाम एकाउन्टेंट जनरल ए आई आर १९६३ बम्बई १२१ ए आई आर १९६२ पजाब २८९ नरेशनारायण सिंह बनाम आई जी पुलिस ए आई आर. १९५४ विन्ध्यप्रदेश ५०

२ बरवनराम बनाम आई जी पुलिस ए आई आर १९५५ विन्ध्यप्रदेश ४७ ए बी एल श्रीवास्तव बनाम आई. जी पुलिस ए आई आर १९५७ नागपुर १८ गोपालराव दामोदरजी बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर ९० गिरजाशकर बनाम डाकखाना अधीक्षक ए आई आर १९५९ इलाहाबाद ६२४

३ मसूर सरकार बनाम के मये गौडा ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ५०९ सुरेन्द्र चन्द्र दास बनाम भारतीय सघ ए आई आर १९६२ त्रिपुरा १४

४ सागीर एहमद मौलवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९६० इलाहाबाद २७०

५ पजाब सरकार बनाम दिवानचन्द ए आई आर १९६३ पजाब २९९

६ भानुतापराम बनाम पश्चिम बगाल सरकार ए आई आर १९५६ कलकत्ता २७८

७ डा० के० सुब्बाराव बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार, ए आई आर १९५७ आन्ध्रप्रदेश ४१४ श्याम सुन्दर बनाम उडीसा सरकार, ए आई आर. १९५७ उडीसा २२२

जांच अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि कोई विशेष आरोप साबित हुआ है अथवा नहीं इसका अनुसंधान करे। उसको इसके लिये कारण भी व्यक्त करने चाहिये। परन्तु अपने निष्कर्षों में साबित आरोपों के आधार पर उसे कोई शास्ति सबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।[1]

(८) उपनियम (९)–अनुशासन प्राधिकारी के निष्कर्ष—यह उप नियम तभी प्रभावशाली होगा जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है। ऐसी दशा में अनुशासन प्राधिकारी जांच प्राधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों को पढ़ेगा और प्रत्येक आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालेगा। इस प्रयोजन के लिये वह लिखित उत्तर मौखिक अथवा दस्तावेजी शहादत उनके अपराध जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जांच से सम्बन्धित अभिलेख अथवा कोई अन्य सुसंगत सामग्री देख सकेगा। यह आवश्यक नहीं कि वह जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो। अनुशासन प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों की पुष्टि में कारण व्यक्त करने चाहिये। जब कि जांच प्राधिकारी किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा और अनुशासन प्राधिकारी ने बिना सोचे समझे एक औपचारिक नोटिस देकर कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, तो यह निर्णय हुआ कि वह आदेश कानूनन् गलत था।[2]

अनुशासन प्राधिकारी मामले को आगे जांच के लिए वापिस भेज सकता है। वह जांच प्राधिकारी को ताजा (नवीन) जांच करने के लिये भी मामला भेज सकता है। परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है जब कि पहले की जांच में कोई कमी रह गई हो और ऐसा विश्वास करने के लिये पर्याप्त कारण हों। ऐसे कारण भी अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभिलेख में लिखे जाने चाहिये।

(९) उपनियम (१०)–प्रस्तावित कठोर शास्ति प्रस्तावित शास्ति के विरोध में कारण बताने का अवसर तभी दिया जा सकता है जबकि प्रस्तावित दण्ड को अस्थायी रूप से तय करता गई हो। यह निर्णय करने की अवस्था तभी आती है जब कि प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की सत्यता पर विचार कर लिया हो और इस अस्थायी नतीजे पर पहुँचा है कि आरोप साबित हो चुके हैं और कोई विशेष कठोर शास्ति लागू करना फिलहाल तय कर लिया हो।[3] ऐसी राज्य कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत नोटिस केवल ऐसी स्थिति पहुँच जाने पर ही दिया जा सकता है कि उसको निम्नलिखित शास्तियों में से किसी द्वारा क्यों नहीं दण्डित किया जावे :—

---

१ अब्दुल रहीम बनाम मुख्य अधिशाषी अधिकारी ए आई आर १९६४ मध्य प्रदेश ८०७

२ नाथूलाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर. १९५८ राजस्थान ५९८

३ सरकार बनाम गजानन महादेव ए आई आर १९५४ बम्बई ३५१ धारेन्द्र दास बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५८ उड़ीसा ९६ कृष्ण गोपाल मुखर्जी बनाम सरकार ए आई आर १९६० उड़ीसा ३७ एम डी तिवारी बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६१ इलाहाबाद १२२ उड़ीसा सरकार बनाम विद्याभूषण ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ७७९।

(क) पंक्ति में अवनति—निम्नतर श्रेणी की सेवा ग्रेड या पद पर, या निम्नतर टाइम स्केल या उसी टाइम स्केल में निम्नतर स्थिति में और यदि मामला पेंशन का हो तो नियमानुसार देय पेंशन दर को घटा कर कम राशि कर देना

(ख) अनुशासनिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

(ग) सेवा से पृथक्करण अथवा

(घ) सेवा से बर्खास्तगी।

अब यह आवश्यक है कि अनुशासन प्राधिकारी को कर्मचारी के विरुद्ध साबित अभियोगों की गंभीरता अथवा अन्यथा पर अपना दिमाग लगाना चाहिये और प्रस्तावित शास्ति के लिये अपनी सम्मति लिखनी चाहिये और कर्मचारी को सूचित करना चाहिये। यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय है कि जांच में कोई आरोप साबित नहीं होता तो इस उपनियम के अन्तर्गत भले ही कार्यवाही न करें। परन्तु यदि वह जांच प्राधिकारी की राय से सहमत है कि आरोप साबित होता है तो वह इस उप नियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

रिपोर्ट एवं उसके निष्कर्षों की प्रतिलिपि देना—उपनियम १० (i) (क) प्रावधान करता है कि अनुशासन प्राधिकारी राज्य कर्मचारी को जांच प्राधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसके निष्कर्षों का विवरण एवं असहमति के कारणों सहित (यदि ऐसा हो) देगा। इन दस्तावेजों का दिया जाना अनिवार्य है।[१] जब कि प्रार्थी को न उप-खंड दण्डनायक के रिपोर्ट की प्रतिलिपि न जिलाधीश के अस्थायी निष्कर्षों की प्रतिलिपि ही दी गई तो यह निर्णय हुआ कि जिन आधारों पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित थी उनके विरोध में उसे कारण बताने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।[२] पुनः जब कि प्रार्थी ने रिपोर्ट की प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र दिया परन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया। उस रिपोर्ट का निरीक्षण करने एवं अपने वाद पर पूरी बहस करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह फैसला हुआ कि उसे समुचित अवसर नहीं दिया गया।[३] प्रार्थी को अभियोगों एवं जांच के निष्कर्षों की प्रतिलिपि नहीं देना केवल प्राविधिक (टेक्नीकल) त्रुटि नहीं है।[४] जब तक कि राज्य कर्मचारी को यह विदित नहीं हो कि उसके विरुद्ध क्या और कितना शक्तिशाली मामला बनाया गया है तब तक वह प्रभावशाली कारण व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं होगा कि जांच अधिकारी की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जावे अथवा उन पर किसी प्रकार से कठोर शास्ति आरोपित करना न्यायपूर्ण नहीं होगा।[५]

---

१ विमल चन्द्र मिश्रा बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९५७ उड़ीसा १८४

२ नाथूलाल बनाम सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान १५३, देव दमन बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९५४ राजस्थान ४६१ वामन करपे बनाम सरकार ए आई आर १९५१ मध्य प्रदेश ३२२ जतीन्द्र मोहन बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९६२ असम ३४, अब्दुल हसन बनाम वक्फ मनजर ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३८, शिशिर कुमार दास बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९५५ कलकत्ता १८ के जी पिलाई बनाम कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया ए आई आर १९६३ पंजाब ३६०

३ एम वी विचाराय बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९५२ नागपुर २२८

४ हीरो सीताराम छबलानी बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर १९५५ हैदराबाद ४८

५ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शालिगराम शर्मा ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५४३

जांच प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि कोई विशेष आरोप साबित हुआ है अथवा नहीं इसका अनुसंधान करे। उसका इसके लिये कारण भी व्यक्त करने चाहिये। परन्तु अपने निष्कर्षों में साबित आरोपों के आधार पर उसे कोई शास्ति संकेत करने की आवश्यकता नहीं है।[1]

(८) उपनियम (९)—अनुशासन प्राधिकारी के निष्कर्ष—यह उप नियम तभी प्रभावशाली होगा जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है। ऐसी दशा में अनुशासन प्राधिकारी जांच प्राधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों का परीक्षा और प्रत्येक आरोप पर अपने खुद के निष्कर्ष लिखेगा। इस प्रयोजन के लिये वह लिखित उत्तर मौखिक अथवा दस्तावेजी शहादत उत्तर अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जांच से सम्बन्धित प्रश्न अथवा कोई अन्य सुसंगत सामग्री देख सकेगा। यह आवश्यक नहीं कि वह जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो। अनुशासन प्राधिकारी का अपने निष्कर्षों की पुष्टि में कारण व्यक्त करने चाहिये। जब कि जांच प्राधिकारी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा, और अनुशासन प्राधिकारी ने बिना सोचे समझे एक औपचारिक नोटिस देकर कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया तो यह निर्णय हुआ कि वह आज्ञा कानूनन् गलत थी।[2]

अनुशासन प्राधिकारी मामले को आगे जांच के लिए वापिस भेज सकता है। वह जांच प्राधिकारी को ताजा (नवीन) जांच करने के लिये भी मामला भेज सकता है। परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है जब कि पहले की जांच में कोई कमी रह गई हो और ऐसा विश्वास करने के लिये पर्याप्त कारण हो। ऐसे कारण भी अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभिलेख में लिख देने चाहिये।

(९) उपनियम (१०)—प्रस्तावित कठोर शास्ति प्रस्तावित शास्ति के विरोध में कारण बताने का अवसर तभी दिया जा सकता है जबकि प्रस्तावित कठोर दण्ड हो प्रत्यर्थी को दे सकना तय करली गई हो। यह निर्णय करने की अवस्था तभी आती है जब कि प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की यथार्थता पर विचार कर लिया हो और इस अस्थायी नतीजे पर पहुँचा है कि आरोप साबित हो चुके हैं और कोई विशेष कठोर शास्ति लागू करना फिलहाल तय कर लिया हो।[3] दोषी राज्य कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत नोटिस केवल ऐसी स्थिति पहुँच जाने पर ही दिया जा सकता है कि उसको निम्नलिखित शास्तियों में से किसी द्वारा क्यों नहीं दण्डित किया जावे:—

---

१ अब्दुल रहीम बनाम मुख्य अधिशाषी अधिकारी ए आई आर १९६४ जम्मू कश्मीर ४०७

२ नाथूलाल बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर. १९५८ राजस्थान २९८

३ सरकार बनाम गजानन महादेव ए आई आर १९५४ बम्बई ३५१ धीरेन्द्र दास बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५८ उड़ीसा ९६ कृष्ण गोपाल मुखर्जी बनाम सरकार ए आई आर १९६० उड़ीसा ३ एम डी तिवारी बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६१ इलाहाबाद १२२ उड़ीसा सरकार बनाम विद्याभूषण ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ७७९।

(क) पंक्ति में अवनति—निम्नतर श्रेणी की सेवा ग्रेड या पद पर, या निम्नतर टाइम स्केल या उसी टाइम स्केल में निम्नतर स्थिति में और यदि मामला पेंशन का हो तो नियमानुसार देय पेंशन दर को घटा कर कम राशि कर देना

(ख) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्यत सेवा निवृत्ति

(ग) सेवा से पृथक्करण अथवा

(घ) सेवा से बर्खास्तगी ।

अतः यह आवश्यक है कि अनुशासन प्राधिकारी को कर्मचारी के विरुद्ध साबित अभियोगों की गंभीरता अथवा अयत्ता पर अपना दिमाग लगाना चाहिये और प्रस्तावित शास्ति के लिये अपनी सम्मति लिखनी चाहिये और कर्मचारी को सूचित करना चाहिये । यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय है कि जांच में कोई आरोप साबित नहीं होता तो इस उपनियम के अन्तर्गत भले ही कार्यवाही न करें । परन्तु यदि वह जांच प्राधिकारी की राय से सहमत है कि आरोप साबित होता है तो वह इस उप नियम के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर सकता है ।

रिपोर्ट एवं उसके निष्कर्षों की प्रतिलिपि देना—उपनियम १० (१) (क) प्रावधान करता है कि अनुशासन प्राधिकारी राज्य कर्मचारी को जांच प्राधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसके निष्कर्षों का विवरण एवं असहमति के कारणों सहित (यदि ऐसा हो) देगा । इन दस्तावेजों का दिया जाना अनिवार्य है ।[1] जब कि प्रार्थी को न उप-खण्ड दण्डनायक के रिपोर्ट की प्रतिलिपि न जिलाधीश के अस्थायी निष्कर्षों की प्रतिलिपि ही दी गई तो यह निर्णय हुआ कि जिन आधारों पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित थी उनके विरोध में उसे कारण बताने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया ।[2] पुनः जब कि प्रार्थी ने रिपोर्ट की प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र दिया परन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया । उस रिपोर्ट का निरीक्षण करने एवं अपने वाद पर पूरी बहस करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह फैसला हुआ कि उसे समुचित अवसर नहीं दिया गया ।[3] प्रार्थी को अभियोगों एवं जांच के निष्कर्षों की प्रतिलिपि नहीं देना केवल प्राविधिक (टेक्नीकल) त्रुटि नहीं है ।[4] जब तक कि राज्य कर्मचारी को यह विदित नहीं हो कि उसके विरुद्ध क्या और कितना शक्तिशाली मामला बनाया गया है तब तक वह प्रभावशाली कारण व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं होगा कि जांच अधिकारी की सिफारिश पर कार्यवाही नहीं की जावे अथवा उन पर किसी प्रकार से कठोर शास्ति आरोपित करना न्यायपूर्ण नहीं होगा ।[5]

---

१ विमल चन्द्र मिश्रा बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९५७ उड़ीसा १८४

२ माथूलाल बनाम सरकार ए आई आर १९५८ राजस्थान १५३ देखें दमन बनाम राजस्थान सरकार आई एल आर १९५४ राजस्थान ४६१ वामन करवे बनाम सरकार ए आई आर १९५६ मध्य प्रदेश ३२२, जतीन्द्र मोहन बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९६२ असम ३४, अब्दुल हसन बनाम वर्क्स मनेजर ए आई आर १९६१ इलाहाबाद ३३८, शिशिर कुमार दास बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९५५ कलकत्ता १८ के जी पिलाई बनाम कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया ए आई आर १९६३ पंजाब ३६०

३ एम बी विचाराय बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५२ नागपुर २२८

४ हीरो मीलाराम छबलानी बनाम हैदराबाद सरकार ए आई आर १९५५ हैदराबाद ४८

५ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शालिगराम शर्मा, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५४३

नोटिस-कारण बताने का—उपनियम १० (i) (ख) प्रावधान करता है कि अनुशासन प्राधिकारी दोषी अधिकारी को नोटिस देगा जिसमें प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख करेगा। इस नोटिस में दोषी अधिकारी को कहा जायगा कि प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध यदि वह कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकता है। अभ्यावेदन ऐसी जांच के दौरान दी गई शहादत पर आधारित होगा। यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) पर आधारित है।[1] यह अनुच्छेद संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम १९६३ द्वारा संशोधित हुआ था। ऐसे संशोधन के आधार पर राज्य सरकार ने भी इस उपनियम में संशोधन किया। इस संशोधन ने युक्तियुक्त अवसर का सूचित को विस्तृत किया है, और इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्त अवसर दो अवस्थाओं में दिया जाना चाहिये अर्थात् (१) जांच के समय और (२) जब जांच समाप्त हो जाय और जब अनुशासन प्राधिकारी ने फिलहाल शास्ति तय करली है।

अन्य शब्दों में कार्यवाही की प्रथम अवस्था में उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के अवसर का अधिकार है। जब जांच खत्म हो जाय और जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो अनुशासन प्राधिकारी को उसकी रिपोर्ट पर विचार करना है एवं यह निश्चय करना है कि वह रिपोर्ट के निष्कर्ष से सहमत है अथवा नहीं। यदि रिपोर्ट के निष्कर्ष दोषी अधिकारी के विरुद्ध हैं एवं कथित निष्कर्षों से अनुशासन प्राधिकारी सहमत होता है तो यह अवस्था आजाती है जब दोषी अधिकारी को अन्य अवसर यह कारण बताने के लिये दिया जाता है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाय। यह द्वितीय नोटिस देने के लिये स्वाभाविकतया दोषी अधिकारी के अपराध के विषय में और साथ ही मामले के अनुरूप न्यायपूर्ण शास्ति के बारे में भी उस अस्थायी या फिलहाल निश्चय निकालने के पश्चात् ही अनुशासन प्राधिकारी दूसरा नोटिस जारी करता है। निःसन्देह इस नोटिस के उत्तर में दोषी अधिकारी न केवल उसके विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के विषय में बल्कि जांच अधिकारी के उन निष्कर्षों की बाबत एवं उनका जिनको अनुशासन प्राधिकारी ने फिलहाल स्वीकार किया है के विरुद्ध भी कारण बताने का अधिकार रखता है।[2] दूसरे शब्दों में दोषी अधिकारी का यह दूसरा अवसर

---

१ अनुच्छेद ३११ (२) इस प्रकार है —

'उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायगा अथवा पद से नहीं हटाया जायगा अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायगा जब तक ऐसी जांच जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया है और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है नहीं करली जाती और जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर कोई शास्ति आरोपित करना प्रस्तावित है वहां जब तक उस प्रस्तावित शास्ति की बाबत अभिवेदन किन्तु ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर, करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता'

२ पंजाब सरकार बनाम विमल कुमार, ए. आई. आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १६१२ गुजरात सरकार बनाम रणछोड़भाई भालाभाई पटेल ए. आई. आर. १९६१ गुजरात १३०। विपरीत राय के लिए देखिये—ए. एम. अनन्त सुब्रमण्यम बनाम केरल सरकार, आई. एल. आर. १९६३ केरल १२१ बसन्त पाडुरंग बनाम सरकार, ६५ बम्बई एल. आर. ४७४ बम्बई सरकार बनाम गजानन ५६ बम्बई एल. आर. १७२

मिलता है जिसमे वह सब बातें कह सकता है और अभिव्यक्त कर सकता है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने लायक कोई आधार नहो बनता और तदपुरान्त यह प्रार्थना भी कर सकता है कि यदि वह अपनी निर्दोषता प्रमाणित नहो कर सकता हो तो उसके विरुद्ध प्रस्तावित शास्ति अत्यंत कठोर है अथवा अनावश्यक है।

यह वाछित है कि द्वितीय नोटिस मे उसे जारी करने से पूर्व अनुशासन प्राधिकारी जाच अधिकारी के निष्कर्षों से अपनी सहमति प्रकट करदें। **विमल कुमार के वाद मे**[1] एक प्रश्न उठा कि यदि अनुशासन प्राधिकारी न स्पष्ट रूप मे यह व्यक्त नही किया है कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध किए जाच-अधिकारी के निष्कर्ष को उसने स्वीकार कर लिया हैं, तो क्या कार्यवाही में ऐसी निर्बलता आजायगी जिससे अंतिम आज्ञा व्यर्थ हो जावे? सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का पुष्टिकारक उत्तर देना अस्वीकार किया। उसमे कहा गया है कि दोषी अधिकारी को यह साफ विदित हो गया कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी निष्कर्ष का नोटिस जारी होना जिसमे उसके विरुद्ध दी जाने वाली शास्ति के विषय में सकेत है स्पष्टतया एवं साफ साफ बताना है कि जाच द्वारा लिखित निष्कर्षों को अनुशासन प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है अन्यथा इस उप नियम अथवा अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने का कोई अर्थ या प्रयोजन नही है। अतः अनुशासन प्राधिकारी ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट में लिखे निष्कर्ष स्वीकार कर लिये हैं, यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करने के कारण यह अर्थ निकालना उचित नहीं होगा कि उक्त नोटिस से दोषी कर्मचारी को अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत मुख्य अवसर प्रदत्त नहीं हुआ।[2]

यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय जाच रिपोर्ट मे लिखे निष्कर्षों से भिन्न है तो यह आवश्यक है कि वह इस विषय मे अपना अस्थायी निष्कर्ष द्वितीय नोटिस मे व्यक्त करदें। यह सभव है कि रिपोर्ट में निष्कर्ष दोषी अधिकारी के पक्ष मे लिखे हो सेवाच्युति प्राधिकारी कथित निष्कर्षों से असहमत हो और अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत नोटिस देने की कार्यवाही करे। ऐसे मामले मे, स्पष्टतया आवश्यक है कि सेवाच्युति प्राधिकारी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दे कि जाच की रिपोर्ट मे लिखे निष्कर्षों से वह असहमत है एवं तत्पश्चात दोषी अधिकारी के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की प्रकार बतादे। नोटिस मे इस प्रकार से स्पष्टतया व्यक्त किए बिना, नोटिस जारी करना ही सर्वथा असभव हो जायगा।[2]

ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमे कुछ तनकियात पर रिपोर्ट मे लिखे निष्कर्ष दोषी अधिकारी के पक्ष में हो और कुछ तनकियात पर विपक्ष में हो। यदि अनुशासन प्राधिकारी ऐसे समस्त निष्कर्ष स्वीकार करले तो दूसरी बात है परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी दोषी अधिकारी के विपक्ष में दिये गये निष्कर्ष तो स्वीकार करले और उसके पक्ष मे दिये गये कुछ अथवा सब निष्कर्षों से असहमत हो और प्रश्न स्वय के परिणामो पर प्रस्तावित कार्यवाही की किस्म व्यक्त करे तो यह आवश्यक होगा कि कथित परिणामो का सक्षेप मे उल्लेख नोटिस में कर दिया जावे। इस वर्ग के मामलो में प्रस्तावित की गई कार्यवाही न केवल दोषी प्राधिकारी के विपक्ष मे लिखित जाच रिपोर्ट पर आधारित होगी परन्तु अनुशासन प्राधिकारी की राय पर भी आश्रित होगी कि अन्य अभियोग जो

१ असम सरकार बनाम विमल कुमार ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १६१२ जिसने विमल कुमार बनाम असम सरकार, ए आई आर १९६२ असम ८८ का खडन किया।

२ उपरोक्त नोट १ देखिये।

जांच अधिकारी द्वारा अप्रमाणित करार दिये गये थे वह अनुशासन प्राधिकारी की राय में प्रमाणित है। इस उपनियम अथवा संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत दोषी अधिकारी को बचाव के लिये समुचित अवसर प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में अनुशासन प्राधिकारी द्वारा निकाले गये अस्थायी निष्कर्षों का उल्लेख नोटिस में कर दिया जाय। परन्तु जब कि जांच रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार करने के पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी की इच्छा दोषी अधिकारी को नोटिस देने की है तो यह आवश्यक नहीं कि अनुशासन प्राधिकारी को यह उल्लेख कर देना चाहिये कि उसने इस प्रकार से रिपोर्ट स्वीकार करली है, परन्तु यह वांछनीय है कि ऐसे मामलों में इस आशय का वक्तव्य दे दिया जाय।[1]

अनुच्छेद ३११ का तकाजा है कि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध पदच्युति, पृथक्करण अथवा पंक्तिच्युति का आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक वह प्रस्तावित कार्यवाही से लिखित रूप में अवगत नहीं करा दिया गया है। जब कि प्रार्थी को कारण बताने का ऐसा नोटिस नहीं दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि आदेश स्पष्टतया संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का उल्लंघन था।[2] जब कि बिना कारण बताने का नोटिस दिये कठोर दण्ड इसलिये लागू कर दिया गया कि दोषी अधिकारी ने क्षमा याचना की थी[3] अथवा वह अयोग्य था,[4] अथवा पहले से सहित रजिस्टरों में दर्ज गये रिकार्ड पर आधार 'असंतोषजनक' अंकित था,[5] तो निर्णय हुआ कि अनुच्छेद ३११ (२) की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया एवं ऐसा अधिकारी का सेवा से पृथक्करण असंवैधानिक था। इसके विपरीत जब कि कारण बताने के लिये नोटिस तो दिया गया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ[6] किन्तु बाद में दावा किया कि नोटिस त्रुटिपूर्ण था[7] तो निर्णय हुआ कि अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत युक्तियुक्त अवसर उचित रूप से दिया गया था।

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या कारण बताने के नोटिस में सही एवं 'वास्तविक' दण्ड जो अनुशासन प्राधिकारी ने लागू करना तय किया है का उल्लेख करना आवश्यक है? हुकमचन्द के बाद में[8] सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया। इस मामले में

---

१ उपरोक्त नोट १ पृष्ठ १०७ पर देखें

२ महन्त तिवारी बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९६१ इलाहाबाद १७२ रामबराज सिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५६ पटना २६ डा पी रघुनन्द बनाम कुर्ग सरकार ए आई आर १९५७ मसूर ८, पन्नालाल शाह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १९५७ पटना २५७।

३ करतार सिंह बनाम आयुक्त यातायात, ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ५३

४ जी अप्पाराव बनाम उप महानिरीक्षक पुलिस, ए आई आर १९५८ आन्ध्र प्रदेश २६९

५ उड़ीसा सरकार बनाम कृष्णास्वामी मूर्ती, ए आई आर १९६४ उड़ीसा २६

६ टी एस रामचन्द्र राव बनाम भारत सरकार, ए आई आर १९५३ हैदराबाद २०१

७ वसन्तराव शंकरराव बनाम बम्बई सरकार, ए आई आर १९५६ बम्बई ४८३

८ हुकमचन्द मल्होत्रा बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५९ सर्वोच्च न्यायालय ५३६ जतीन्द्रनाथनाम विश्वास बनाम आर गुप्ता, ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३८२ दयानिधि रथ बनाम बी एस महन्ता ए आई आर १९५५ उड़ीसा ३२ लक्ष्मीनारायण गुप्ता बनाम ए पुरी ए आई आर १९५४ कलकत्ता ३५ एमन्त्र बनाम त्रिपुरा क्षेत्र ए आई आर १९५८ त्रिपुरा ५१, के राजा गोपालराव बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५८ उड़ीसा ७४ दामोदर महान्ती बनाम उड़ीसा सरकार ए आई आर १९५७ उड़ीसा ७८

अनुच्छेद ३११ (२) म उल्लिखित तीनो शास्तियां कारण बताने के नोटिस मे व्यक्त की गई थी, और वास्तविक अथवा सही शास्ति का विशेष नाम नही बताया गया था। यह निर्णय हुआ कि उक्त कारण बताने के लिए दिए गए नोटिस ने संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का अतिक्रमण नही किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न लिखित कारण व्यक्त किए —

(१) यह स्पष्ट है और अनुच्छेद ३११ (२) भी साफ साफ कहता है कि द्वितीय अवस्था म कारण बताने का नोटिस जारी करने का प्रयोजन राज्य कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति क्यों नही दी जावे इसका कारण बताने के लिये समुचित अवसर प्रदान करना है उदाहरणार्थ यदि प्रस्तावित शास्ति पदच्युति है तो संबंधित राज्य कर्मचारी अपने उत्तर मे कह सकता है कि यद्यपि उसके विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो गये है परन्तु उसे हल्की शास्ति जैसे पृथक्करण अथवा पंक्तिच्युति से दंडित करना न्याय सगत होगा। यदि दंड प्राधिकारी के लिये द्वितीय अवस्था में कारण बतान के लिये दूसरे नोटिस म सही एव विशेष शास्ति का नाम व्यक्त करना अनिवार्य है तो यदि वह संबंधित राज्य कर्मचारी का उत्तर स्वीकार करने तो एक ततीय नोटिस देने की आवश्यकता हो जायगी। यह कारण बताने के द्वितीय नोटिस के प्रयोजन के विरुद्ध होगा।

(२) यदि कारण बतान के नोटिस म केवल पदच्युति की शास्ति व्यक्त है और अन्य दो शास्तियो का उल्लेख नही है फिर भी अनुशासन प्राधिकारी हल्की शास्तियें–पृथक्करण एव पंक्तिच्युति म से कोई शास्ति लागू करने म स्वतन्त्र है और कारण बतान के नोटिस के सम्बन्ध म अथवा आरोपित वास्तविक शास्ति के विषय म कोई शिकायत नही हो सकती। क्या यह कहा जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस म अन्य दो शास्तियें यहां मिलाने के कारण नोटिस अवैध हो गया? कारण बताने के नोटिस म तीनो शास्तियो का उल्लेख करने से दोषी अधिकारी को तीनो म से कोई भी शास्ति नही दी जाने का कारण व्यक्त करने के लिये श्रेष्ठतर एव पूर्णतः अवसर दिया जाता है। एक से अधिक शास्तियो का वैकल्पिक उल्लेख करना प्रस्तावित कार्यवाही को आवश्यक रूप से कम निश्चित नही बनाता। इसके विपरीत ऐसा करना राज्य कर्मचारी को इनमे से प्रत्येक शास्ति लागू की जाने के विरोध म कारण बताने के लिये श्रेष्ठतर अवसर प्रदान करता है, जो उसे नही मिलता यदि नोटिस म केवल सबसे कठोर शास्ति का ही उल्लेख होता और निम्नतर शास्तियें व्यक्त नही की जाती।

यदि अभियोग अधिक हो तो अनुशासन प्राधिकारी प्रत्येक अभियोग के लिये पृथक पृथक शास्ति बता सकता है, अथवा अलग अलग नहीं भी बतावे। जब कि नोटिस मे प्रत्येक अभियोग के लिये प्रार्थी पर प्रस्तावित पृथक पृथक शास्ति नही दर्शाई गई तो निर्णय हुआ कि भिन्न भिन्न अभियोगो के लिये अलग अलग शास्ति व्यक्त नही करने के कारण से नोटिस अवैध नहीं होता है।[1] पुन जब कि प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अतिरिक्त अभियोगो के संबंध म प्रार्थी को द्वितीय नोटिस नही दिया गया तो निर्णय हुआ कि आरंभिक अभियोगो की तुलना म अतिरिक्त अभियोग तुच्छ मात्र थे, इन अतिरिक्त अभियोगो के विषय म प्रस्तावित कार्यवाही का नोटिस नही दिये जाने से पदच्युति की आज्ञा अवैध नही हो सकती।[2] अनुशासन प्राधिकारी पहले इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिये कि दोषी

१ गोविन्द शंकर बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १९६३ मध्य प्रदेश ११५

२ करमदेव सिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५९ पटना २२१, उडीसा सरकार बनाम सल्हारी चटर्जी, ए आई आर १९ २ उडीसा ७३

अधिकारी के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो गए हैं और तब उस पर दण्ड दिए जाने के विषय में जो निर्णय हो वह तय करना चाहिये।[1] यदि नियम निर्धारित नहीं है और संविधान के नियमानुसार दण्ड नहीं है तो उस आधार पर दिया गया नोटिस अवैध होगा और उस पर जारी किया गया पदच्युति का आदेश भी गैर कानूनी होगा।[2]

अनुच्छेद ३११ (१) के अनुसार अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य अथवा जो राज्य में कोई असैनिक पद धारण किये हो, वह अपने नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ स्तर के प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न यह उठ सकता है कि प्रस्तावित पदच्युति अथवा सेवा से पृथक्करण के मामले में क्या ऐसे अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नोटिस वैध है जो नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है? इसका उत्तर स्वीकारात्मक दिया जा सकता है।[3] यह स्पष्ट है कि संविधान का अनुच्छेद ३११ (२) जो पदच्युति के लिए सुनवाई का समुचित अवसर का सिद्धान्त निश्चित करता है, स्पष्ट करता है कि लोक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभियोगों की जांच के पश्चात् जब पदच्युति या पदावनति की शास्ति दिये जाने की प्रस्थापना की जाय तब सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी) पर ऐसा समुचित अवसर प्रदान करने का दायित्व आता है। संविधान के अनुच्छेद २२७ तथा २३५ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के नियन्त्रण प्रयोग करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। इसलिये केवल उच्च न्यायालय को ही अधिकार है कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की जांच करे और अभियोग सिद्ध हो जाने पर और उच्च न्यायालय द्वारा पदच्युति अथवा सेवा से पृथक्करण की शास्ति अस्थायी तौर पर प्रस्तावित हो चुके। पर, पदच्युति प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) प्रस्तावित विनिष्ट शास्ति लागू किये जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के लिये फिर नोटिस देगा और अन्त में अन्तिम रूप से फैसला करेगा कि प्रस्तावित शास्ति दी जाय अथवा नहीं।

---

१ किशन नारायण मुखर्जी बनाम सरकार ए. आई. आर. १९६० उड़ीसा ७

२ माधुलाल बनाम सरकार ए. आई. आर. १९५८ राजस्थान १४३; पंजाब सरकार बनाम औंकार नाथ जोशी, ए. आई. आर. १९६० पंजाब ८, गोपालसिंह बनाम सरकार ए. आई. आर. १९५४ राजस्थान ७३०।

३ कृष्ण नाथ बागची बनाम मुख्य शासन सचिव ए. आई. आर. १९६१ कलकत्ता ८१, मोहम्मद गौस बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए. आई. आर. १९५५ आन्ध्र प्रदेश ६५, ए. आई. आर. १९५७ सर्वोच्च न्यायालय २४६, ए. आई. आर. १९५६ मध्य प्रदेश ४७८, ए. एन. डी सिल्वा बनाम भारतीय संघ, ए. आई. आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ११३०, मथाराम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए. आई. आर. १९५४ इलाहाबाद ४८७।

'नियुक्ति प्राधिकारी' 'अनुशासन प्राधिकारी' की परिभाषाओं पर टिप्पणी देखिये। इसके विपरीत सम्मति के लिये देखिये—ज्योति नाथ शास्त्री बनाम आसाम सरकार ए. आई. आर. १९५५ आसाम १७२। इस वाद में कारण बताने के लिये नोटिस स्थानीय अधीक्षक ने दिया था न कि राज्य के प्रशासन सचिव ने जो कि नियुक्ति प्राधिकारी था। निर्णय हुआ कि अनुच्छेद ३११ (२) यह स्पष्ट करता प्रतीत होता है कि नोटिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो कि उस अधिकारी को सेवा से पृथक् कर सकने वाले प्राधिकारी के साथ कार्य करता है जारी होना चाहिये। न्यायालय तो केवल यह मान कर चलेगा कि नोटिस उस प्राधिकारी की इच्छानुसार था जिसने अभियुक्त अधिकारी की नियुक्ति की थी और वह नोटिस था।

लोक सेवा आयोग से परामर्श—उपनियम १० (ii) प्रावधान करता है कि जब कि परामर्श लेना आवश्यक हो तब अनुशासन प्राधिकारी लोक सेवा आयोग से परामर्श लेगा। नियम १५ (२) के अन्तर्गत राज्य सेवाओं के संबंध में, जिनकी नियुक्ति के अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सुपुर्द नहीं किये गये हैं निंदा एवं वेतन वृद्धि पर रोक के अतिरिक्त और कोई भी शास्ति लागू करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।[1] ऐसे मामलों में अनुशासन प्राधिकारी लोक सेवा आयोग को निम्नांकित अभिलेख भेजेगा —

(१) जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट,

(२) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियम १० (i) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की प्रतिलिपि, एवं

(३) ऐसे नोटिस के उत्तर में दोषी अधिकारी का उत्तर।

यह उपनियम तथा संविधान का अनुच्छेद ३२० (३) (ग) राज्य कर्मचारी को कोई सत्व प्रदान नहीं करते। परामर्श का अभाव अथवा परामर्श में अनियमितता, असैनिक कर्मचारी को किसी न्यायालय में विनायदावा या समाधान पाने का अधिकार प्रदान नहीं करते। अनुच्छेद ३२० (३) (ग) के प्रावधान आज्ञात्मक नहीं हैं।[2] जब कि पदच्युति अथवा पदच्युति की आज्ञा जारी करने से पहले आयोग से परामर्श नहीं लिया गया तो निर्णय हुआ कि चूंकि उक्त आज्ञा राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी ने जारी की थी इसलिये परामर्श आवश्यक नहीं था।[3]

लोक सेवा आयोग को शास्ति की आज्ञा जारी करने अथवा किसी असैनिक कर्मचारी को आगामी नियुक्ति से वंचित रखने का अधिकार नहीं है।[4] आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको कुछ संवैधानिक अधिकार कर्तव्य एवं आभार दिये गये हैं। निर्देश की परिधि में, जो संविधान लोक सेवा आयोग के लिये निर्धारित करता है आयोग को कार्य करना पड़ता है। न तो वह संवैधानिक आभारों को अस्वीकार कर सकता है न अतिरिक्त संवैधानिक आभार स्वीकार कर सकता है और न वह अतिरिक्त संवैधानिक क्षमता ही हासिल कर सकता है।[5]

अधीनस्थ लेखक वर्गीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किसी भी शास्ति से दंडित करने की दशा में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।[6] इसी प्रकार, यदि राज्य सेवा का कोई व्यक्ति राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त हुआ है तो आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा।[7]

---

१ विस्तृत टिप्पणी नियम १५ (२) के नीचे देखिये।

२ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम मनबोधनलाल, ए आई आर १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ९१२

३ वामन बनाम सरकार ए आई आर १९५३ नागपुर ६९ कार्तिक चन्द्र बनाम डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट ए आई आर १९५७ पटना ६७६

४ के आई एन्टोनी बनाम लोक सेवा आयोग ए आई आर १९५८ केरल ३५२

५. मारा चटर्जी बनाम लोक सेवा आयोग ए आई आर. १९५८ कलकत्ता ३४५

६ भानुप्रसाद बनाम सरकार ए आई आर १९५६ सौराष्ट्र १४ मनीपुर राज्य बनाम सारंग थम एन सिंह ए आई आर १९५७ मनीपुर ७

७ करमेन्द्र सिंह बनाम बिहार सरकार, ए आई आर. १९५६ पटना २२८, वामन बनाम सरकार, ए आई आर १९५३ नागपुर ६९

आयोग की मन्त्रणा प्राप्त हो जाने पर अनुशासन प्राधिकारी अभिवेदन और आयोग की मन्त्रणा पर विचार करेगा और जैसा उचित समझा जावेगा वैसा आदेश जारी करेगा। मन्त्रणा प्राप्त हो जाने के पश्चात ऐसे अधिकारी को पुनः नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

जब कि नियम १५ (२) के अनुसार आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं हो, तो अनुशासन प्राधिकारी ऐसे अधिकारी के अभिवेदन पर विचार करेगा और मामले में उचित आदेश जारी करेगा। पदच्युति या सेवा से पृथक्करण का आदेश केवल नियुक्ति प्राधिकारी जारी कर सकता है कोई अधीनस्थ प्राधिकारी नहीं कर सकता।

(१०) उपनियम (११)-लघु शास्तियें लागू करना—यह उप नियम प्रावधान करता है कि निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात यदि अनुशासन प्राधिकारी की सम्मति यह है कि केवल लघु शास्तियें लागू की जावें तो आयोग से परामर्श लेने के पश्चात यदि आवश्यक हो तो वह ऐसा आदेश जारी कर सकता है। राज्य सेवाओं के व्यक्तियों पर निन्दा अथवा वेतन वृद्धियों में रोक लगाने की शास्ति आरोपित करने के लिये आयोग से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु राज्य सेवाओं के सदस्यों पर पदोन्नति रोकने तथा असावधानी आदि के कारण सरकार को हानि वेतन से वसूल करके पूर्ति करने की शास्ति की दशा में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। परामर्श प्राप्त करने के पश्चात आयोग की सलाह पर विचार करने के बाद अनुशासन प्राधिकारी आदेश जारी कर सकता है।

ऐसे मामलों में नियम १६ (१०) अथवा संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा निर्धारित कारण बताने के लिये दिखाव नोटिस देना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि कार्यवाही नियम १६ के अन्तर्गत आरम्भ हुई हो तो अनुशासन प्राधिकारी पश्चात कार्यवाही का परिवर्तन नियम १७ के अनुसार नहीं कर सकता जब तक कि दोषी अधिकारी को सूचना नहीं दी गई हो। नियम १६ के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में दोषी अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई या किसी गवाह की जांच करने का अवसर देना चाहिये जो नियम १७ के अन्तर्गत आवश्यक नहीं होता।[1]

(११) उप नियम (१२)-राज्य कर्मचारी को आज्ञा की सूचना देना—यह उप नियम प्रावधान करता है कि जब कि राज्य कर्मचारी को आज्ञा सूचित की जावे तो उसे निम्न लिखित दस्तावेज भी दिये जाने आवश्यक हैं

(क) जांच प्राधिकारी के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि

(ख) निष्कर्षों का विवरण, जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के संक्षिप्त कारणों सहित (यदि कोई हो) (यदि उप नियम १० के अन्तर्गत न पहले से नहीं दे दिये हों),

(ग) लोक सेवा आयोग की सम्मति की प्रतिलिपि

(घ) निष्कर्षों का विवरण आयोग की सलाह से असहमत होने के संक्षिप्त कारणों सहित। जब कि नियम १४ के खंड (१) से (३) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति दी गई हो तो राज्य कर्मचारी को जांच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिलिपि देना आवश्यक नहीं होगा।

---

१ विजयसिंह बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९६६ राजस्थान ५५

अनुशासन प्राधिकारी के लिये आवश्यक है कि वह राज्य कर्मचारी को उपरोक्त दस्तावेज दवे ताकि वह निकटतम के उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सके। यदि राज्य सरकार ही अनुशासन प्राधिकारी है तो उसकी किसी आज्ञा की अपील नहीं होती।

(१२) पुन जाच —उप नियम (१) प्रावधान करता है (१) कि जाच प्राधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए यदि अनुशासन प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि अब तक की गई जाच म किसी प्रकार से कोई कमी रह गई है, तो वह सही एव पर्याप्त कारणों से जिनको अभिलेख में लिखगा, आगे अथवा नई जाच करने के लिये मामले को वापिस भज सकता है। इसका तात्पय यह हुआ कि ऐसी पुन जाच के लिये य देश तभी दिये जा सकते हैं जब कि वह जाच प्राधिकारी क निष्कर्षों से सहमत न हो, और उसने दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई शास्ति अन्तिम रूप स नहीं दी हो। उप-नियम (६) में अनुशासन प्राधिकारी को ताजा जाच के लिये मामले को फिर से खोलने का अधिकार उस दशा म नहीं दिया है जब कि उसने एक बार मामले को तय कर दिया हो और शास्ति लागू कर दी हो अथवा राज्य कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया हो।

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या उन्हीं तथ्यों पर राज्य सरकार अथवा अनुशासन प्राधिकारी पुन जाच करने का आदेश दे सकते हैं? इस विषय पर बहुत विवाद रहा है। कुछ उच्च न्यायालय जसे राजस्थान और इलाहाबाद इस सम्मति के थे कि एक ही तथ्य पर दुबारा जाच करना अनुमति योग्य नहीं है।[१] इसके विपरीत असम, केरल और मणिपुर उच्च न्यायालयो की राय थी कि अनुशासन प्राधिकारी निसदेह त्रुटि का सुधार करने और उन्हीं आरोपो के विषय म ताजा जाच करने मे सक्षम है।[२] यह विवाद अभी तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवेन्द्र प्रताप के वाद द्वारा शात नहीं हुआ है।[३] इस वाद मे उच्च न्यायालय का निर्णय था कि प्रार्थी सविधान के अनुच्छेद ३११ के सरक्षण से वचित रहा। प्रार्थी सेवा म पुन स्थापित किया गया और बाद म फिर से निलबित कर दिया गया। यह निर्णय दिया गया कि किसी फैसले का बाध्यकारी प्रभाव उसके टक्नीकल विचारो को प्रारूप पर आधारित नहीं होता बल्कि उसके तथ्य पर आधारित होता है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर फैसला किया कि शास्ति लागू करने की कार्यप्रणाली अनियमित थी, और इसलिये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह फसला सरकार को अन्य जाच शुरू करने से नहीं रोक सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक यह प्रश्न खुला छोड़ दिया है कि यदि निर्णय म कोई वधानिक (टक्नीकल) अशुद्धि नहीं हो तो क्या ऐसे मामलो मे पुन जाच की जा सकती है अथवा नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर

---

१ द्वारकाचद बनाम राजस्थान सरकार ए आई आर. १६५८ राजस्थान ३८, हरबस लाल बनाम डिवीजनल सुपिरिंटेंडेंट, सेन्ट्रल रेलवे, ए आई आर १६६० इलाहाबाद १६४

२ श्रीकेशबचन्द्र शर्मा बनाम असम सरकार ए आई आर १६६२ असम १७, लसाराम तोम्बी सिंह बनाम लसाराम गोपाल सिंह, ए आई आर १६६३ मणिपुर २८, एन नीलमणि सिंह बनाम भारतीय सघ, ए आई आर. १६६४ मणिपुर ८, बाम्ली भूपा बनाम सरकार, ए आई आर १६६० केरल २६४

३ देवेन्द्र प्रताप नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १६६२ सर्वोच्च न्यायालय १३३४

द्वारकाचंद के मामले में विस्तृत विवेचन किया है।[१] इस मामले में तहसीलदार की रिपोर्ट पर कि प्रार्थी के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप है, पुलिस के उप अधीक्षक (भ्रष्टाचार विरोधी शाखा) द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया यद्यपि बाद में जमानत पर उसे छोड़ दिया गया था। यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी जिलाधीश द्वारा निलंबित कर दिया गया। जिलाधीश ने विभागीय जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता। तत्पश्चात भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी के निवेदन पर, जिलाधीश ने जांच पुनः प्रारम्भ कर दी, नया आरोप (चार्ज) कायम किया गया और प्रार्थी को कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया। प्रार्थी ने इस नई विभागीय जांच को चुनौती दी और प्रार्थना की कि जिलाधीश को ताजा विभागीय जांच करने से रोका जाय। यह निर्णय हुआ कि उन्हीं आक्षेपों पर द्वितीय जांच करने का आदेश नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश वांचू ने व्यक्त किया कि, "जब कि एक बार विभागीय जांच समाप्त हो जाती है और किसी सार्वजनिक कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो जब तक सेवा नियमों अथवा और किसी कानून में दोष मुक्ति को आज्ञा के पुनरावलोकन (नजरसानी) करने का विशेष प्रावधान नहीं हो तब तक उन्हीं तथ्यों पर विभागीय जांच दुबारा करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सेवा नियमों का यह मकसद नहीं था कि विभागीय जांच पर सार्वजनिक कर्मचारी की दोषमुक्ति उसी प्रकार से पुनरावलोकन के लिये खुला हो जिस प्रकार जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अभियुक्त के बरी होजाने पर अपील का रास्ता खुला है। न्याय, निष्पक्षता एवं सद्भावना के सिद्धान्तों पर, सेवा नियमों में प्रावधान के अभाव में ऐसा दुबारा विभागीय जांच की अनुमति देना गलत है।

यह बात कि इस दृष्टिकोण से सरकार के विरुद्ध बहुत पक्षपात होगा, क्योंकि पहले के जांच अधिकारी ने जांच बहुत असावधानी से अथवा बेईमानी वश से की होगी और सरकार निःसहाय रहेगा, मानने योग्य नहीं है। यदि कोई वरिष्ठ पदाधिकारी विभागीय जांच उस प्रकार से करता है तो सरकार निःसन्देह उस वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। दूसरे शब्दों में विभागीय जांच में दोषमुक्त हो जाने के बावजूद अथवा जैसा भी विभागीय पदाधिकारी ने तय किया हो—सही अथवा गलत उसके बावजूद सरकार के लिये उस व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने का रास्ता खुला है। इसके विपरीत, यदि द्वितीय विभागीय जांच की आज्ञा दी जा सकती है तो उससे सार्वजनिक कर्मचारी की परेशानी का खतरा बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने[२] इस मामले की जांच की और व्यक्त किया कि "हम उस निर्णय के निष्कर्ष से असहमति नहीं है लेकिन विद्वान न्यायाधीशों के प्रति बहुत आदर रखते हुए हम यह कहते हैं कि इतने ही प्रबल कारण इससे विपरीत राय के लिए दिए जा सकते हैं अर्थात यह कि प्रशासन की पवित्रता के हित में विशेषतया प्रजातांत्रिक प्रणाली के हित में अनिवार्य नहीं तो कम से कम वांछित अवश्य है कि उन मामलों में जिनमें किसी अधिकारी के विरुद्ध सबंधित प्राधिकारी द्वारा अभियोग समाप्त कर दिये गये हो और जब कि सरकार सन्तुष्ट है कि उक्त निर्णय न केवल अन्यायपूर्ण बल्कि अनुचित अथवा भ्रष्ट है तो ऐसे मामलों का पुनरावलोकन सरकार के सुरक्षित अन्तर्निहित अधिकार के अन्तर्गत हो जाय। यद्यपि ऐसी शक्ति अथवा ताजी जांच करने की सीमा तक जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई अवांछित परिणाम होना हो नहीं या दी जाय

---

१ द्वारका चन्द बनाम राजस्थान सरकार, ए. आई. आर. १९५८ राजस्थान ३८

२ मद्रास सरकार बनाम सामी अय्यर, ए. आई. आर. १९६३ मद्रास १४

तो भी उचित कारण पर पुनरावलोकन का अधिकार आरोपों को समाप्त करने अथवा स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में भ्रष्ट निष्कर्षों के संबंध में प्रयोग में लाना तर्कयुक्त प्रतीत होता है।

एक दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि फौजदारी न्यायालय द्वारा राज्य कर्मचारी के बरी हो जाने के पश्चात उन्हीं तथ्यों पर विभागीय जांच उचित होगी ? इस विषय पर भी विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद है। उडीसा और पटना उच्च न्यायालयों की राय है कि राज्य कर्मचारी को फौजदारी न्यायालय द्वारा बरी (दोषमुक्त) कर दिये जाने के पश्चात उन्हीं तथ्यों पर राज्य सरकार विभागीय जांच बिठा सकती है।[1] इसके विपरित मैसूर और मध्य प्रदेश न्यायालयों की सम्मत्ति है कि उन्हीं अभियोग पर पुन जांच करना और जो शहादत फौजदारी अदालत में पेश हुई थी और वह दोषमुक्त हो गया था उसी शहादत पर उसे अपराधी करार देना अनुशासन प्राधिकारी के लिये बेहद गैरवाजिब होगा।[2] यह सामान्य न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा। प्रतीत होता है कि यह बाद वाली राय सही है। एक विभागीय प्राधिकारी को कानूनी अदालत पर निर्णय के लिये बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जैसे कि वह कोई अधीन प्राधिकारी हो।

एक तृतीय प्रश्न यह उठ सकता है कि किसी दीवानी अदालत द्वारा पदच्युति अथवा सेवा से पृथक्करण की मांग खारिज कर दिये जाने के पश्चात् उसी विषय पर विभागीय जांच दुबारा करना उचित होगा ? ऐसे मामले में, अदालत द्वारा विपरीत आदेश नहीं दिये जाने के अभाव में, अनुशासन प्राधिकारी आगे विधिवत कार्यवाही करने में स्वतन्त्र है।[3]

इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न उठ सकता है कि क्या विभागीय जांच में राज्य कर्मचारी के दोषमुक्त हो जाने के पश्चात, राज्य सरकार उसके विरुद्ध फौजदारी अदालत में मुकदमा चला सकती है ? प्रतीत होता है कि विभागीय जांच में, विभागीय पदाधिकारी चाहे जैसा भी निर्णय दे फिर भी कानूनी अदालत में उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने में राज्य सरकार स्वतन्त्र है।[4] जब कि एक बार कोई मामला फौजदारी अदालत के सामने लाया जा चुका है तो यह उचित होगा कि विभागीय जांच स्थगित कर दी जावे। यदि वह स्थगित नहीं की गई है तो विभागीय जांच और अदालत में फौजदारी मुकदमा साथ साथ भी चल सकते हैं।[5]

---

१. राधाकान्त पटनायक बनाम उडीसा सरकार ए आई आर १९६२ उडीसा १२५, कामदेव सिंह बनाम बिहार सरकार ए आई आर १९५५ पटना २२८

२. वी एकाम्बरम पोन्नुस्वामी बनाम जोइन्ट मनजर ए आई आर १९६२ मैसूर ८४, रामस्वरूप शर्मा बनाम डिवीजनल कर्माशियल सुप्रिंटेंडेंट, ए आई आर १९६४ मध्य प्रदेश १५५ कासर अली वहीद अली बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५९ मध्य प्रदेश ४९

३. राम चन्द्र वर्मा बनाम आर डी वर्मा ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ५३२

४. द्वारका चंद बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान ३८, धनजी चन्द बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९६५ पंजाब १५३, खेम चन्द बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३००

५. भगत सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६० सर्वोच्च न्यायालय १२१०, मध्य प्रदेश सरकार बनाम तारन सिंह ए आई आर १९५८ मध्य प्रदेश ३२५, नारप्पू उदायर बनाम मद्रास सरकार ए आई आर १९५६ मद्रास ४६०

१७ लघु शास्तियां देने का तरीका —(१) नियम १४ के खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति की आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि—

(क) राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही और जिन आरोपों पर वह प्रस्तावित है उनकी सूचना नहीं दी गई हो और उसे उसकी इच्छानुसार अभिवेदन करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो,

(ख) यदि कोई ऐसा अभिवेदन हो, तो उस पर अनुशासन प्राधिकारी ने विचार नहीं कर लिया हो,

(ग) जिन मामलों में ऐसा करना अनिवार्य हो, उनमें आयोग से परामर्श नहीं कर लिया हो।

(२) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में सम्मिलित होगी —

(i) राज्य कर्मचारी को दी गई प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना की प्रतिलिपि

(ii) अभिकथनों के विवरण की प्रतिलिपि जो उसे सूचित की गई,

(iii) उसका अभिवेदन, यदि कोई हो,

(iv) आयोग की सलाह यदि कोई हो, और

(v) मामले में दी गई आज्ञा, कारणों सहित।

टिप्पणी

यह नियम प्रावधान करता है कि जब अनुशासन प्राधिकारी निम्नांकित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना चाहता है तो वह इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर सकता है —

(१) निंदा,

(२) वेतन वृद्धि पर रोक

( ) पदोन्नति रोकना

(४) राज्य कर्मचारी की असावधानता आदि के फलस्वरूप राजकीय क्षति की पूर्ति पूर्ण तया अथवा आंशिक रूप से राज्य कर्मचारी के वेतन से करना।

जब तक अनुशासन प्राधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही नहीं कर लेता तब तक राज्य कर्मचारी के विरुद्ध वह उपरोक्त लघु-शास्तियां लागू नहीं कर सकता —

(१) यह कि उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना उसे लिखित रूप में दी गई है,

(२) यह कि अभिकथनों के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित है उनके विवरण की प्रतिलिपि उसे दी जा चुकी है

(३) यह कि उन एवं प्रस्तावों एवं आरोपों के विवरण पर अभिवेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया जा चुका है,

(४) यह कि उसके अभिवेदन पर अनुशासन प्राधिकारी ने विचार कर लिया है,

(५) यह कि पदोन्नति पर रोक अथवा राज्य कर्मचारी की असावधानता आदि के फलस्वरूप राजकीय हानि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूल करने की शास्तियें लगू करने की दशा में आयोग से परामर्श प्राप्त कर लिया गया है। ऐसा परामर्श केवल राज्य सेवाओं के व्यक्तियों के मामलों में ही आवश्यक है।

नियम १६ के अन्तर्गत अनुशासन प्राधिकारी को अभियोगों की प्रतिलिपि आरोपों के विवरण सहित देनी होती हैं और उसके पश्चात् एक नियमित जांच की जाती है जिसमें जांच प्राधिकारी ऐसी दस्तावेजी शहादत एवं मौखिक साक्ष्य ग्रहण करता है जो सारभूत हो। तत्पश्चात दोषी राज्य कर्मचारी गवाहों से जिरह कर सकता है और उसके गवाहों से भी अभियोगी जिरह कर सकता है। परन्तु नियम १७ के अन्तर्गत ऐसी कोई कार्यप्रणाली नहीं होती। यदि कार्यवाही नियम १६ के अन्तर्गत प्रारंभ की गई हो तो वह दोषी अधिकारी को बिना सूचना दिये नियम १७ में परिवर्तित नहीं हो सकती। जब कि प्रार्थी के विरुद्ध अभियोग यह थे कि उसने (१) सर्विस स्टाम्पों का उपयोग निजी कार्य के लिये किया (२) बीमार नहीं होते हुए भी बीमारी की छुट्टी ली और (३) उच्चतर प्राधिकारियों तक पहुँचने में अनुशासन भंग किया एक आरोप के संबंध में प्रार्थी को नोटिस ५ वर्ष पश्चात दिया और अन्य आरोप के संबंध में अढ़ाई वर्ष बाद दिया। जब अनुशासन प्राधिकारी ने नोटिस दिया तो प्रार्थी को पूछा कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। किन्तु उसने अकस्मात कार्यवाही का तरीका बदल दिया और नियम १६ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बजाय नियम १७ के अन्तर्गत कार्यवाही करने लगा। इस परिवर्तन का कोई कारण नहीं बताया गया और बिना व्यक्तिगत सुनवाई किये और उसकी उपस्थिति में उसके पक्ष में या विपक्ष में बिना किसी की गवाही लिये प्रार्थी को शास्ति देनी गई। यह निर्णय हुआ कि यह एक ऐसा ज्वलंत मामला था जिसमें सामान्य न्याय के बिलकुल प्रथम सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।[1] मुख्य न्यायाधीश दवे ने व्यक्त किया 'यह सच है कि लघु शास्तियें लागू करने हेतु अनुशासन प्राधिकारी बजाय नियम १६ के नियम १७ के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी नियम १७ में कार्यवाही करना चाहता हो, तो उस नियम की मांग है कि राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की लिखित में सूचना दी जावे और उन आरोपों से भी अवगत कराया जावे जिनके आधार पर कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। उसको जो अभिवेदन वह करना चाहे उसे प्रेषित करने का अवसर दिया जावे। हमको विदित हुआ है कि प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई कि उसके विरुद्ध अनुशासन प्राधिकारी क्या कार्यवाही करना चाहता है और क्या वह नियम १७ के अन्तर्गत अग्रसर होने का इच्छुक है। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि लघु शास्तियें आरोपित करने के लिये अनुशासन प्राधिकारी को नियम १७ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति केवल इसी कारण से नहीं है कि प्रारंभिक कार्यवाही नियम १६ के अन्तर्गत की गई, परन्तु यह निश्चयत आवश्यक है कि यदि वह कार्यवाही का नियम १६ से नियम १७ में परिवर्तन करना चाहता है तो नियम १७ के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को इस आशय की स्पष्ट सूचना देनी चाहिये। प्रस्तुत मामले की तरह के एक वाद में जब कि प्रतिवादी पांच वर्ष पूर्व अथवा ढाई वर्ष पूर्व की तथाकथित त्रुटि के संबंध में वादी के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता था तो यह और भी

---

१ किशन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९६६ राजस्थान ५५

अधिक आवश्यक हो गया कि उस व्यक्ति को सुनना चाहिए था और जिस साक्ष्य के आधार पर उसे दंड दिया जा रहा था वह उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए था।[1]

निम्न पदवी वेतन वृद्धियाँ पर रोक लगाने की शास्ति के मामले में धारा सेवा आयोग से परामर्श करना भी आवश्यक नहीं है। जब कि आयोग ने सिफारिश की कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए निम्न की शास्ति पर्याप्त होगी तो निर्णय हुआ कि धारा सेवा आयोग की सलाह पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा असैनिक कर्मचारी को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था।[2]

निम्न एवं राज्य कर्मचारी के विरुद्ध दंड अंतिम रूप से निश्चित करने से पहले नोटिस देना आवश्यक है। जब कि प्रार्थी ने उस प्रान्त के अंतिम रूप में दिए गए रिमार्क 'सन्देहजनक ईमानदारी वाला आदमी' को हटवाने के लिए परमादेश का रिट याचिका की, तो निर्णय हुआ कि वह रिमार्क दंड एवं सम्मति की श्रेणी में नहीं था।[2] बाद में भी लघु शास्ति के रूप में, प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख करते हुए अभियुक्त कर्मचारी को नोटिस जारी करना आवश्यक है। जब कि प्रार्थी को वेतन वृद्धियाँ पर रोक की शास्ति दिया कारण बताने का अवसर दिए, प्रश्न उत्पन्न हुआ तो निर्णय हुआ कि अभियुक्त कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति आरोपित करने के विरुद्ध कारण बताने के नोटिस देने में यह बात आवश्यक रूप से गर्भित है कि कर्मचारी को केवल उत्तर प्रस्तुत करने के लिये नहीं कहा जाय किन्तु कारण बताने के उसके हक में यह भी एक भाग है कि उसे वह सामग्री दी जाय जिसके आधार पर उसे दंडित किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि बिना दिया गया सामग्री के वह उस प्रभावशाली ढंग से प्रतिवाद करने की अवस्था में नहीं होता।[3] हानि की वसूली के मामले में राज्य कर्मचारी को अवसर मिलने का अधिकार है। जब कि दवाइयों के स्टाक में कुछ विभिन्नताएं थीं — स्टाक रजिस्टर और वास्तविक स्टाक में फर्क था तो सरकार ने रकम वसूल करने का आदेश जारी कर दिया। निर्णय हुआ कि उसकी असावधानी के कारण सरकारी हानि की पूर्ति-पूर्ण अथवा आंशिक-उसके वेतन से वसूल करने के प्रस्ताव के विरुद्ध राज्य कर्मचारी को अभिवेदन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने का हक था।[4]

वेतन वृद्धि में रोक और वेतन रोकने में अन्तर है। किसी व्यक्ति को काम करने के लिये कहना और फिर भुगतान नहीं करने का निषेध संविधान के अनुच्छेद २३ में है। जब कि विद्यालयों के निरीक्षक ने एक शिक्षक का वेतन देना इस आधार पर मना कर दिया कि उसका कार्य असन्तोषजनक था, तो निर्णय हुआ कि वेतन रोकना और शिक्षक से काम लेना केवल नियम विरुद्ध ही नहीं बल्कि संविधान के सिद्धांत का अतिक्रमण था।[5] जब कि एक राज्य कर्मचारी का वेतन

---

१ श्री ए डी मौजा बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९-? मध्य प्रदेश २०१

२ प्रद्युम्न रतन नायक बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९.. कलकत्ता १०६
कैलाशनाथ भट्ट बनाम डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ए आई आर १९६१ इलाहाबाद २३०

४ डा० रामचरण प्रसाद बनाम विन्ध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५४ विन्ध्य प्रदेश २१
बाबूलाल बनाम डिविजनल इन्जीनियरिंग ..., ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २६६

५ सूरजनारायण बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४३

१८ मास तक रोका गया क्योंकि उसने अपने वेतन में कटौती स्वीकार नहीं की और अन्ततः उसे सेवा मुक्ति (डिसचार्ज) का विकल्प प्रदान किया तो निर्णय हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को उसका उचित देय वेतन नहीं दिया जाता है तो वेतन रोकने का मुआवजा, ब्याज के स्वरूप में अथवा और कोई उचित क्षतिपूर्ति के रूप में वह अवश्य पाने का अधिकारी है जो ऐसे वेतन को रोकने के तथ्य का सीधा नतीजा है।[1]

कोई असैनिक कर्मचारी का निम्नतर पंक्ति से उच्चतर पंक्ति में पदोन्नति पाने का अधिकार स्वतः रूप से नहीं है। किसी व्यक्ति का पदोन्नति के लिये उपयुक्त होने वाबत किसी पदाधिकारी का निर्णय प्रशासन द्वारा नजरसानी किया जा सकता है। परन्तु वह न्यायिक (जुडिशियल) नजरसानी के लिये उपयुक्त विषय नहीं हो सकता।[2] संविधान का अनुच्छेद ३३३ स्पष्ट करता है कि पदोन्नति के लिये कोई हक नहीं होता। प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे राजकीय कर्मचारी का वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति का हक उतना ही है जितना उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने की अवस्था में होता।[3] जिस विभाग में उसका पदाधिकार है उस विभाग को उसकी उचित पदोन्नति कायम रखनी चाहिये।[4] अनुसूचित जातियों के लिए चुनाव पदों पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले स्थानों के लिये संरक्षण असंवैधानिक नहीं है। जब कि प्रार्थी का मुख्य वाद यह था कि अनुसूचित जातियों एवं अ.दमजातियों के सदस्यों के पक्ष में पदोन्नति का संरक्षण संवैधानिक नहीं था तो यह निर्णय हुआ कि चुनाव पदों को पदोन्नति द्वारा भरने में पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण संवैधानिक है और अनुच्छेद १६ (२) द्वारा गारंटी किये गये मौलिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं है और इसका बचाव संविधान के अनुच्छेद १६ (४) द्वारा होता है।[5]

जब कि व्यवस्था ने राज्य कर्मचारी को विभाग में एक स्थायी पद से वंचित कर दिया, यद्यपि उसके वर्तमान वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके पेंशन एवं पदोन्नति के अवसर दोनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो निर्णय हुआ कि प्रार्थी कोई सहायता पाने का अधिकारी नहीं था। प्रार्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनीय कार्यवाही नहीं की गई थी और अनुच्छेद ३११ का प्रयोग सम्भव नहीं था।[6] जब कि सहायक अभियन्ताओं की प्रतिबंधित अन्तिम सूचि बनाई गई और उसके

---

१ जमिनी कान्तादास बनाम भारतीय संघ ए आई आर १९५५ कलकत्ता ४५

२ नायम तोम्बीसिंह बनाम मणिपुर राज्य ए आई आर १९५९ मणिपुर ३५ बी मा तिवारी बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २१९, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम अमलकुमार राय, ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४

३ मैसूर राज्य बनाम एल आर बेनारी, ए आई आर १९६५ सर्वोच्च न्यायालय ८६८

४ सुधीरकुमार घोस बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर. १९५२ कलकत्ता ५८७ परमात्मा शरण बनाम मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय १९६३ आर एल डबल्यू २४६

५ जनरल मनेजर बनाम रंगाचारी ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय ३६, रंगाचारी बनाम जनरल मनजर, ए आई आर १९६१ मद्रास ३५ का खंडन

६ पी सी माधवन बनाम ट्रेवनकोर कोचीन सरकार ए आई आर १९५७ ट्रवनकोर कोचीन २३६

विरुद्ध अभिवेदन करने का हक नामजूर कर दिया तो निर्णय हुआ कि सरकार के लिये यह लाजिमी था कि पदोन्नति की सत्रतिबन्ध सूचि बनाती और उसे प्रकाशित करता, ताकि जिन व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ा उन्हें उसके विरुद्ध अभिवेदन करने का प्रभावशील अवसर मिलता।[1]

१८ सयुक्त जाच—(१) जब किसी मामले मे एक से अधिक राज्य कर्मचारी सम्बन्धित हो, तो सरकार अथवा ऐसा अन्य प्राधिकारी जो उन समस्त राज्य कर्मचारियो को पदच्युति की शास्ति से दण्डित करने मे सशक्त हो, यह आदेश देते हुए आज्ञा जारी कर सकता है कि उन सब के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही सयुक्त रूप से की जावे।

(२) ऐसी किसी भी आज्ञा मे यह निर्दिष्ट किया जायगा —

(i) वह प्राधिकारी जो प्रत्येक सयुक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनुशासन प्राधिकारी का कृत्य करेगा,

(ii) नियम १४ मे निर्दिष्ट शास्तियें जो ऐसा अनुशासन प्राधिकारी आरोपित करने मे समर्थ होगा, और

(iii) आया नियम १६ से १७ मे निर्धारित प्रक्रिया प्रयोग मे लाई जाय।

टिप्पणी

यह नियम सम्मिलित कार्यवाही का सिद्धान्त निर्धारित करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी जो मामले मे सम्मिलित रूप से सबधित समस्त कर्मचारियो को बर्खास्तगी की सजा देने मे समर्थ हो, वह सयुक्त जाच के लिये आज्ञा दे सकता है। यदि ऐसे राज्य कर्मचारियो को पदच्युति की शास्ति लागू करने मे सशक्त प्राधिकारीगण भिन्न भिन्न हैं, तो ऐसे प्राधिकारियो मे से उच्चतम प्राधिकारी अन्य की सहमति से सयुक्त कार्यवाही करने के लिये आज्ञा जारी कर सकता है। अतः यदि दो व्यक्ति दो विभिन्न विभागो मे काम करने वाले एव मामले मे सयुक्त रूप से सबधित है तो सम्मिलित अनुशासन कार्यवाही की आज्ञा राज्य सरकार जारी करेगा क्योकि उनमे से कोई भी एक विभागाध्यक्ष अन्य विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत काम करने वाले राज्य कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकता। ऐसे मामले मे राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को सयुक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनुशासन प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। ऐसी आज्ञा मे इस नियम के उप नियम (२) के उप-खण्ड (i) से (iii) मे निर्धारित आवश्यकतायें निर्दिष्ट होना चाहिये।

पक्षपात के अभाव मे सयुक्त जाच अवैध नहीं होगी। जब कि यह तर्क किया गया कि अपीलांट की जाच दूसरो के साथ सम्मिलित होने से अवैध हो गई, तो निर्णय हुआ कि केवल एक तथ्य जांच सम्मिलित होने का जाच को दूषित नहीं करता जब तक कि कोई पक्षपात न हो।[2]

१ आर आर राय बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए आई आर १६६४ मध्य प्रदेश ३०७
२ एम वी जोगाराव बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १६५७ आन्ध्र प्रदेश १६७

जब कि प्राथियो पर सम्मिलित मुकदमा चला, तो निर्णय हुआ कि मुलजिम पदाधिकारियों पर सयुक्त मुकदमा नहीं होना चाहिये। जान्ता फौजदारी के प्रावधान मुलजिमो की सयुक्त जाच के विषय मे, विभागीय जाचो के सबध मे आयात नहीं किये जा सकते।[1]

१६ कुछ मामलों मे विशेष प्रक्रिया —नियम १६, १७ एव १८ मे कुछ भी होते हुए भी —

(i) जब कि किसी राज्य कर्मचारी पर किसी ऐसे आचरण के आधार पर शास्ति दी गई हो जिसके फलस्वरूप फौजदारी अभियोग में वह अपराधी करार दिया गया हो, अथवा

(ii) जब कि अनुशासन प्राधिकारी को यह तसल्ली हो जावे, जिसके कारण वह लेख बद्ध करेगा, कि कथित नियमो मे निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नही है, अथवा

(iii) जब कि राज्यपाल को यह तसल्ली हो जावे कि ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना राज्य की सुरक्षा के हित मे नही है,

तो अनुशासन प्राधिकारी मामले की परस्थितियो पर विचार करेगा और ऐसी आज्ञा जारी करेगा जो वह उपयुक्त समझे,

बशर्ते कि ऐसी आज्ञा जारी करने से पूर्व, जब कि आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, तो उससे सलाह लेली जावेगी।

नोट —यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या किसी व्यक्ति को सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अन्तर्गत कारण बताने के लिये नोटिस देना वाजिब तौर से व्यवहार्य है, तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत, पृथकीकरण अथवा उसे पदिच्युत करने मे सशक्त प्राधिकारी द्वारा इस प्रश्न पर दिये गये निर्णय की केवल एक अपील निकटतम उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष हो सकेगी।

टिप्पणी

यह नियम स्वभावत नियम १६, १७ एव १८ का अपवाद स्वरूप है, और मामलो को ऐसा तीन श्रेणि मे व्यक्त करता है, जिनमे नियम १६, १७ और १८ की आवश्यक कार्य-प्रणाली लागू नहीं होगी। यह नियम सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य खड (क) से (ग) द्वारा निर्धारित सिद्धान्त पर आधारित है।

खण्ड (i)—फौजदारी अभियोग मे अपराधी करार दिया जाना —यह खड प्रावधान करता है कि नियम १६, १७ और १८ द्वारा प्रदत्त सरक्षण राज्य कर्मचारी को उस दशा म देना आवश्यक नहीं है जब कि शास्ति आचरण के आधार पर दी गई हो जिसके कारण फौजदारी अभियोग म वह अपराधी ठहराया गया हो। नतिक पतन रखन वाले अपराध एव अन्य अपराधो में

1 एस ठाकरजी बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर. १६५५ आन्ध्र प्रदेश १६८

कोई विभिन्नता नहीं की गई है। जब कि एक पुलिस के सिपाही को सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में पाये जाने के कारण पुलिस अधिनियम, १८६१ की धारा ३४ के अन्तर्गत अपराधी करार दिया गया तो वह अनुच्छेद ३११ (२) की औपचारिकता का पालन किये बिना बर्खास्त कर दिया गया। प्रार्थी का तर्क यह था कि प्रतिबंधात्मक वाक्य खण्ड में उल्लिखित फौजदारी मुकदमा और अपराधी करार दिया जाना नैतिक पतन से सम्बन्धित होना चाहिये। न्यायालय ने अनुच्छेद ३११ (२) के प्रतिबंधात्मक वाक्य खण्ड (क) में उक्त शब्द आयात करने से इन्कार कर दिया और आगे निर्णय दिया कि पुलिस अधिनियम की धारा ३४ में किसी व्यक्ति का अपराधी करार दिया जाना नैतिक पतन बन गया है।[1]

इस खंड में शब्द अभियोग में कुछ दोषारोपण होना सोचा गया है जो जाब्ता फौजदारी में दिया गया तकनीकी अर्थ मात्र नहीं है। अतः न्यायालय का अपमान करने का दोषी होना जिसमें किसी न्यायालय के अध्यक्ष के प्रति अपमानजनक दोषारोपण होना है, इस खण्ड की सीमा में अपराधी करार दिया जाना है यद्यपि इस प्रकार का अपमान भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई जुर्म न भी हो।[2] यदि अपील में अथवा अन्यथा उसको मुलजिम करार देने का फैसला बाद में खारिज कर दिया जाता है, तो पदच्युति का आदेश प्रभावहीन हो जाता है, और जब तक अनुच्छेद ३११ (२) का पालन करते हुए वह बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वह कर्मचारी तुरन्त पुनः स्थापित होने एवं पदच्युति की तारीख से चढ़ा हुआ वेतन पाने का हकदार होता है।[3]

खंड (ii)—प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं हो—इस खंड के अन्तर्गत यदि अनुशासन प्राधिकारी लेखबद्ध करदे कि ऐसे व्यक्ति को कारण बताने के अवसर देना उचित रूप में व्यवहार्य नहीं है तो कारण बताने का अवसर देना आवश्यक नहीं है। पदच्युति की आज्ञा आदि का यह संरक्षण लागू करने के लिये निम्नांकित शर्तें पूरी होना जरूरी है—

(क) तसल्ली शासित देने के लिये सक्षम प्राधिकारी की होनी चाहिये, और यदि शास्ति पदच्युति अथवा सेवा से पृथक्करण करने की है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी या कोई उच्चतर प्राधिकारी होना चाहिये। जब कि वह केवल उच्चतर प्राधिकारी की आज्ञा क्रियान्वित करता है और राज्य कर्मचारी को तुरन्त बर्खास्त कर देता है तो इस आधार पर आज्ञा कायम नहीं रखी जा सकती कि इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया गया था।[4] किन्तु इस नियम के नीचे दिया हुआ नोट कहता है कि पदच्युति आदि करने में सक्षम प्राधिकारी का ऐसा निर्णय को रद्द एवं अपील निकटतम उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष हो सकेगी।

(ख) पदच्युति आदि करने में सक्षम प्राधिकारी, ऐसी आज्ञा देने से पूर्व नियम
१ १७ और १८ के अन्तर्गत अवसर देने से इन्कार करने के कारण लेखबद्ध करेगा। नियम

---

१ दुर्गासिंह बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९५७ पंजाब ९७

२ वेंकटारामा बनाम मद्रास प्रान्त, ए आई आर १९४६ मद्रास ३७५

३ भारतीय संघ बनाम भवर, ए आई आर १९६१ मद्रास ४८६ दिन दयाल बनाम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट, ए आई आर १९५९ पंजाब ४०१, दास बनाम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट, ए आई आर १९६० इलाहाबाद ५३८

४ मुगाराम बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर १९५४ मद्रास १८

१६,१७ या १८ अथवा अनुच्छेद ३११ (२) के उल्लंघन मे आज्ञा जारी करने के पश्चात् और आज्ञा को चुनौती दिये जाने के बाद, यह तर्क नहीं किया जा सकता कि इस खंड की वजह से उक्त आज्ञा वध है।[1]

(ग) पदच्युति आदि करने में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में व्यक्त करना चाहिये कि नियम १६ १७ या १८ मे निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण करना उचित रूप से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। शब्द "युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य" ऐसी संभावना को दृष्टिगोचर करते हैं जिसमे दोषी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो अथवा जब उसको नोटिस देना संभव या साक्ष्य नहीं हो।[2] खंड (i) से खण्ड (ii) की तुलना करने पर प्रतीत होता है कि खंड (ii) के अन्तर्गत दिये गये कारणों को कम से कम बदनीयती के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

खंड (iii)—राज्य की सुरक्षा के हित मे—ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमे केवल आरोप को प्रकट कर देने मात्र से राज्य की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो। ऐसे मामलो में, राज्यपाल जांच संचालन करना अथवा कारण बताने के लिये नोटिस देना मुक्त कर सकता है। इस खंड में उल्लिखित तसल्ली पर कोई प्रतिबन्ध आरूढ नहीं हैं। इसका नतीजा यह है कि राज्यपाल के लिये कोई जांच करना आवश्यक नहीं है,[3] और इस खंड के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के लिये कारण व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। परन्तु राज्य सेवाओं के व्यक्तियो के विरुद्ध निंदा अथवा वेतन वृद्धियों पर रोक लगाने के अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति देने के लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

किन्तु जब कि राज्यपाल ने अनुच्छेद ३०९ के अन्तर्गत कोई नियम बनाये हो और नियमो के अन्तर्गत अग्रसर हुआ हो, मसलन राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं (राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव) नियम १९५४, तो उन नियमो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिये, और यदि उन नियमो की आवश्यकताएं पालन नहीं की गई हैं तो राज्यपाल वापिस इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति का आश्रय नहीं ले सकता।[4]

किन्तु तसल्ली राज्यपाल की व्यक्तिगत तसल्ली हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि अनुच्छेद १६६ की अनुपालना मे इसका उपयोग किया गया हो तो पर्याप्त होगा, क्यो कि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना राज्य सरकार की अधिशासी शक्ति है।[5] तसल्ली का आधार राज्य कर्मचारी का पूर्व चरित्र, राज्यपाल द्वारा जारी किये गये आदेश से पहले के आचरण सहित

---

१ उपरोक्त नोट ४ पृष्ठ १२२

२ करण सिंह बनाम यातायात आयुक्त ए आई आर १९६५ जम्मू कश्मीर ५१

३ नरेन्द्र बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ए आई आर १९६२ कलकत्ता ४८१। सत्येन्द्र बनाम भारतीय संघ, ए आई आर १९६२ पंजाब ४००

४ बालाकोटिहा बनाम भारतीय संघ (१९५८) एस सी आर १०५२, मैनन बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ११६०

५ सत्येन्द्र बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९६२ पंजाब ४०० कपूर सिंह बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९६० सर्वोच्च न्यायालय ४९३

हो सकता है,[1] अथवा राज्य कर्मचारी की विध्वंसक कार्यवाहियां हो सकती है।[2] परन्तु साम्यवादी दल की राजनैतिक कार्यवाहियों में भाग लेना, विध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेना नहीं समझा जावेगा जब तक कि साम्यवादी दल मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन होना जारी रहता है।[3] जब कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा, प्रार्थी को तुरन्त सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, तो निर्णय हुआ कि चूंकि राष्ट्रपति ने आक्षेपित आज्ञा, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण अनुच्छेद ३१० व अनुच्छेद ३११ के खण्ड (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति के बल पर दी थी अतः कथित आज्ञा को चुनौती नहीं दी जा सकती।[4]

२० सरकार के अलावा अन्य अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाएं अधीनस्थ सेवाओं और लिपिक वर्गीय सेवाओं के मामलों में सरकार को सूचित की जायेंगी और चतुर्थ श्रेणी की सेवा के मामलों में अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचित की जावेगी।

टिप्पणी

यह नियम निर्धारित करता है कि अनुशासन संबंधी प्रत्येक मामले में अनुशासन प्राधिकारी (राज्य सरकार के अतिरिक्त) अपनी आज्ञा की प्रतिलिपि (i) अधीनस्थ सेवा अथवा (ii) लिपिक वर्गीय सेवा की दशा में राज्य सरकार को और चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों के विषय में निकटतम उच्चतर प्राधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं। यह नियम निर्देशात्मक है, आज्ञात्मक नहीं। आज्ञा को आगे सूचित नहीं करने से कार्यवाही अवैध नहीं होगी, न इससे राज्य कर्मचारी के किसी अधिकार का हनन होता है। यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा दिये गये दण्डादेशों का पुनरावलोकन राज्य सरकार समय समय पर कर सके।

सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य अनुशासन प्राधिकारी द्वारा राज्य सेवा के व्यक्तियों के मामलों के विषय में यह नियम कुछ नहीं कहता कि क्या ऐसी आज्ञाएं सरकार को सूचित की जावें अथवा नहीं। अन्य सेवाओं की समानता को देखते हुए यह श्रेष्ठतर होगा यदि ऐसी आज्ञाएं राज्य सरकार को सूचित की जावें ताकि दोषी अधिकारी द्वारा अपील नहीं करने की दशा में सरकार आज्ञा का पुनरावलोकन कर सके।

---

१ दारा कान्हिा बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२

२ मनन बनाम भारतीय संघ ए. आई. आर. १९६१ सर्वोच्च न्यायालय ११६०

३ उपरोक्त नोट २।

४ जगन्नाथ दाजीबा बनाम महालिंगपा, बम्बई, ए. आई. आर. १९५८ बम्बई ५८३

भाग ६

अपीलें

२१ सरकार द्वारा दी जाने वाली आज्ञाओं की अपील नहीं —इस भाग में कुछ भी समावेश होने के बावजूद, सरकार द्वारा नियम १४ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू करने की किसी भी आज्ञा की अपील नहीं होगी।

टिप्पणी

राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ में राज्य सरकार उच्चतम एवं अंतिम अपील न्यायालय है। परन्तु यह नियम प्रावधान करता है कि यदि कोई आज्ञा मौलिक अथवा अपील क्षेत्र में राज्य सरकार जारी करती है और नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाती है, तो ऐसी आज्ञा की अपील नहीं की जा सकेगी। किन्तु ऐसी आज्ञा का पुनरावलोकन सरकार स्वयं कर सकती है। जब कि सरकार द्वारा जांच की जाने का प्रभाव अपील के हक को इन्कार करना हुआ, तो निर्णय हुआ कि सरकार ने स्वयं ने जांच की और यद्यपि इसका प्रभाव प्रार्थी को अपील से वंचित करना हुआ तो भी इससे कार्यवाही दूषित नहीं हुई।[1] उच्च न्यायालय का यह काम नहीं है कि सरकार अथवा उसके पदाधिकारियों द्वारा की गई जांच के विरुद्ध अपील में बैठे। उच्च न्यायालय कोई अपील की अदालत नहीं है परन्तु वह यह निर्णय देने से संबंध रखती है कि आया जांच करने वाला प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिये सक्षम था और आया जांच निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार की गई और आया सामान्य न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है।[2]

उपचार (रेमेडीज) —एक सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अन्तर्गत निम्न उपचार उपलब्ध हैं.—

(क) अपील (नियम २१ से ३१)

(ख) पुनरावलोकन, (नियम ३२ व ३३) एवं

(ग) राज्यपाल द्वारा पुनरावलोकन (नियम ३४)

उपरोक्त उपचारों के अलावा एक सरकारी कर्मचारी को निम्न दो प्रकार के उपचार न्यायालयों द्वारा मिल सकते हैं —

(क) दावा, एवं

(ख) रिट याचिका

---

१ श्री जोन बनयान बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार, ए आई आर १९६३ इलाहाबाद ५५४

२ आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम एस श्री रामाराव ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १७२३, प्यारा सिंह मुल्तां बनाम पंजाब सरकार, ए आई आर १९५५ पंजाब २[illegible]

(४) अगर किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी गई है या दी नहीं गई है या कम कर दी गई है तो वह अपनी पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए दीवानी न्यायालय में दावा कर सकता है।[१]

(५) अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति नियमित रूप से हुई है तथा उसे सेवा से पृथक् किसी अन्य व्यक्ति का पुनः स्थापन करने के कारण किया जा रहा हो तो ऐसे कर्मचारी द्वारा घोषणा करने के लिए दावा किया जा सकता है।[२]

परन्तु अगर किसी कर्मचारी को अपील के समय में सेवा से निवृत्त कर दिया गया हो तो वह सेवा में बने रहने के लिए दावा नहीं कर सकता।[३] इसी प्रकार अगर किसी कर्मचारी को ऊपर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है तो पदोन्नति प्राप्त करने के लिए दावा नहीं कर सकता।[४]

रिट याचिकाएं—किसी दिवानी न्यायालय में दावा करने के अलावा राज्य कर्मचारी अपने अधिकार अनुच्छेद ३२ या २२६ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर प्राप्त कर सकता है। किसी कर्मचारी को अगर पदच्युत या सेवाच्युत कर दिया गया है तो वह नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपील कर सकता है। अगर सरकारी कर्मचारी अपील में न जाकर रिट याचिका द्वारा अपने पर लागू शास्ति हटवाना चाहता है तो उच्च न्यायालय ऐसी याचिका सुनने से मना कर सकता है।[५] जब किसी नियमों या अधिनियम में अपील के प्रावधान हो तो पहले उनके अन्तर्गत अपील करनी चाहिए। परन्तु नियमों में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पश्चात् अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत रिट याचिका दायर की जाती है तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी को पहले दीवानी न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिए था।[६] सिर्फ उसके मूलभूत अधिकारों या अनुच्छेद ३११ के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ही उच्च न्यायालय से याचिका द्वारा आदेश प्राप्त कर सकता है।[७] सिर्फ नियमों के उल्लंघन मात्र से उच्च न्यायालय को अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए,[८] वरन् उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए।[९] परन्तु

---

१ गुरुदेवसिंह बनाम संघ सरकार, ए आई आर. १९६२ पंजाब ८, एक विपरीत राय के लिए सज्जनम् बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर. १९६३ मद्रास ४९ देखें।

२ मकरेना मम्मामा बनाम मकरेना तिरुपतया ए आई आर १९५२ मद्रास ८९५

३ रामनाथ बनाम संघ सरकार, ए आई आर १९६३ राजस्थान ५७

४ हाई कोर्ट कलकत्ता बनाम अमल कुमार, ए आई आर १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४

५ सुखाई बनाम संघ सरकार, आई एल आर. १९५३ राजस्थान १२३ चिरंजीलाल बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५१ राजस्थान १३४

६ सौभागमल बनाम सरकार, आई एल आर १९५४ राजस्थान ७३३ वा एम बेनी बनाम पेप्सू सरकार ए आई आर. १९५३ पेप्सू १९६, एस महेन्द्रसिंह बनाम पेप्सू सरकार, ए आई आर. १९५५ पेप्सू १०६

७ जगन्नाथ सिंह बनाम असिस्टेन्ट एक्साइज कमीश्नर, ए आई आर. १९५१ इलाहाबाद ७३१; आनन्द स्वरूप भटनागर बनाम राज्य सरकार १९६५ आर. एल डब्ल्यू ३७२

८ एम एन वैरावन् नायर बनाम ट्रावनकोर देवस्थान बोर्ड, ए आई आर. १९५९ केरल २१

९ गंगाराम भाटिया बनाम संघ सरकार, ए आई आर १९५९ पंजाब ६४०

अगर सरकारी कर्मचारी का इस कारण पदच्युत किया गया कि उसका चरित्र ठीक नहीं है और साक्ष्य के अभाव में ऐसा निर्णय किया गया है तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत यह जांच कर सकता है कि क्या राज्य सरकार का निर्णय जिस पर कि पदच्युति का आदेश निर्भर है किसी भी शहादत द्वारा अनुमोदित नहीं है।[1] परन्तु शहादत के होने पर अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत होने पर उच्च न्यायालय शहादत का पुनरावलोकन कर किसी स्वतन्त्र निर्णय पर नहीं पहुँच सकता।[2] रिट याचिका दायर करने के लिए कोई नियत अवधि नहीं है।[3] अगर रिट याचिका देरी से प्रस्तुत करने का कारण सतोषजनक है तो उच्च न्यायालय उस पर विचार करना स्वीकार कर सकता है।[4] परन्तु अगर प्रार्थी सतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं कर सकता तो अधिक देरी हो जाने पर उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार करने से मना कर सकता है।[5] कुछ मामलों में जब डेढ़ साल से ज्यादा समय की देरी हो चुकी थी तो उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत रिट याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया।[6]

२२ निलम्बन की प्राज्ञा के विरुद्ध अपीलें —राज्य कर्मचारी निलम्बन की प्राज्ञा के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समक्ष कर सकता है जिसका निलम्बन की प्राज्ञा जारी करने वाला अथवा ऐसा समझा जाने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ हो।

टिप्पणी

जब कि नियम ११ के अन्तर्गत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई राज्य कर्मचारी निलम्बित किया जाता है तो ऐसे राज्य कर्मचारी को निलम्बन की प्राज्ञा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि निलम्बित कर्मचारी को अपील करने का अधिकार प्रदान किया है फिर भी निलम्बन कोई शास्ति नहीं है।[7] जो राज्य कर्मचारी विभागीय जांच अथवा न्यायिक कार्यवाही के

१ सघ सरकार बनाम एच सी गोयल, ए आई आर १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ३६४

२ आध्र प्रदेश सरकार बनाम एस सी रामाराव, ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय १७२३

३ एस महेन्द्रसिंह बनाम पेप्सू राज्य, ए आई आर १९५५ पेप्सू १०६

४ रूपसिंह देवीसिंह बनाम सचालक पचायत एव समाज सेवा ए आई आर १९६२ मध्यप्रदेश ५० बाबूराम उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए आई आर १९५८ इलाहाबाद ५८४ रामचन्द्र महेश्वरी बनाम भोपाल राज्य ए आई आर १९५४ भोपाल १२५ पी ए अहमद खां बनाम त्रावनकोर कोचीन राज्य ए आई आर १९५६ टी सी ३५ पूनमाराम बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५९ राजस्थान ६५४

५ गगाराम भाटिया बनाम सघ सरकार ए आई आर १९५९ पजाब ५४३

६ गजराज सिंह भेरूसिंह बनाम मध्य भारत सरकार, ए आई आर १९६० मध्य प्रदेश २९९ भगवानदास बनाम सीनियर सुप्रिन्टेंडेंट, ए आई आर १९५६ पटना २३ बोगम गोरोसिंह बनाम सघ सरकार, ए आई आर १९६२ मणिपुर ५२ अलताफुर रहमान बनाम कलेक्टर सेन्ट्रल एक्साईज, ए आई आर. १९६० इलाहबाद ५५१ सुरेन्द्रनाथ बनाम चीफ कन्जर्वेटर आफ फॉरेस्ट ए आई आर १९५८ पजाब १९ अमरेन्द्रचन्द्र देव वर्मा बनाम सघीय क्षेत्र ए आई आर १९६१ त्रिपुरा २९

७ नियम १३ के नीचे दी गई टिप्पणी भी देखिये -

लोगन निलम्बित किया गया हो उसका पद धारण करना समाप्त नहीं हो जाता, वह केवल फिल हाल अपने पद की शक्तियां प्रयोग करना एवं कार्यालय का काम करना बन्द कर देता है। वह उन्हीं अनुशासन एवं उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहना जारी रहता है। नियम ३० (१) के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा क्या नियम १३ के प्रावधानों के अनुसार और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन उपयुक्त है अथवा नहीं और तदनुसार आज्ञा की पुष्टि अथवा खंडन करेगा। जब निलम्बित राज्य कर्मचारी दंडित किया जायगा तो उसे नियम २३ के प्रावधानों के अनुसार पुन अपील करने का अधिकार होगा।

२३ शास्तियां देने की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें —(१) पुलिस विभाग, आर ए सी सहित, की अधीनस्थ सेवा का सदस्य[1] या लेखक वर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई भी सदस्य, नियम १६ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू किये जाने पर, उस प्राधिकारी के समक्ष उक्त आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकेगा जिसके शास्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ है, जब तक कि सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई अन्य प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं करदे।

[2]परन्तु साथ ही, लिपिक वर्गीय सेवा अथवा चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध, गबन की जांच के मामले के सम्बन्ध में विभागीय जांचों के आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष की हैसियत से, नियम १६ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू किये जाने की आज्ञा जारी हुई हो तो वह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

परन्तु साथ ही यह भी कि, लेखक वर्गीय सेवा अथवा चतुर्थश्रेणी सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध गबन की जांच के मामले के सम्बन्ध में, गबन के मामलों की जांच के लिये विशेषाधिकारी/सहायक आयुक्त विभागीय जांच द्वारा कार्यालयाध्यक्ष की हैसियत से, नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू किये जाने की आज्ञा जारी हुई हो तो वह विभागीय जांचों के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।

(२) पुलिस विभाग जिसमें आर ए सी सम्मिलित है के अतिरिक्त अधीनस्थ सेवा का सदस्य[3] निम्न लिखित के समक्ष अपील कर सकता है —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध,

(ख) सरकार के समक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध,

जिसमें नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर लागू की गई हो।

[4]परन्तु साथ ही अधीनस्थ सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध गबन की जांच के मामले के सम्बन्ध में विभागीय जांचों के आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष की हैसियत

१ अधिसूचना संख्या एफ २(१) नियुक्ति ए/६० ग्रुप ३ दि० १६-९-६० दि० ८-१-६१

२ अधिसूचना संख्या एफ ३(३) नियुक्ति (ए) ग्रुप ३ दिनांक २८ अप्रेल १९६४ द्वारा जोड़ा गया तथा ९-७-६१ से प्रभाव में होगा

३ अधिसूचना सं० एफ ३(१) नियुक्ति(ए ३)/६३ दि० १९-८-६० द्वारा जोड़ा गया

४ अधिसूचना सं० एफ ३(१) नियुक्ति(ए ३)/६० दि० १६-८-६० एवं ६-१-६१ द्वारा जोड़ा गया

से नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाने की कोई आज्ञा हुई हो, तो वह सम्बंधित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

(३) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति की आज्ञा सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी ने जारी की हो तो वह ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील सरकार के समक्ष कर सकता है।

[1]परन्तु साथ ही राजस्थान न्यायिक सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध पृथकी-करण अथवा पदच्युति के अतिरिक्त नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति की आज्ञा किसी प्राधिकारी ने जारी की हो तो वह अपील केवल ऐसी समिति[2] के समक्ष कर सकता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश एवं उसके द्वारा मनोनीत राजस्थान उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश[3] होंगे।

परन्तु साथ ही यह भी कि राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध गबन की जांच के मामले के सम्बन्ध में विभागीय जांचों के आयुक्त द्वारा विभागाध्यक्ष की हैसियत से प्रत्यायुक्त प्राधिकार के अन्तर्गत नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाने की आज्ञा जारी हुई हो, तो वह सम्बंधित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

(४) चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामलों के अतिरिक्त, नियम १४ के खंड (४) से (७) में निर्दिष्ट कोई शास्ति, अपील प्राधिकारी द्वारा जारी की जाने की आज्ञा के विरुद्ध अंतिम अपील सरकार के समक्ष की जासकेगी, और सरकार उस पर आज्ञा प्रदान करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श करेगी।

परन्तु साथ ही यह कि सिविल और सेशन न्यायालयों के लेखक वर्गीय सेवाओं के मामले में अंतिम अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(५) उपनियम (१) से (३) में कुछ भी होने के उपरान्त नियम १८ के अन्तर्गत संयुक्त कार्यवाही में दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समक्ष होगी जिसका उक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ काम करने वाला अनुशासन प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ हो।

(६) जब कि इस नियम के अन्तर्गत अपील सरकार के समक्ष होती हो तो उस पर निर्णय लोक सेवा आयोग से परामर्श जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो,[2] करने के पश्चात् लिया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम में अभिव्यक्त, "असैनिक सेवा का सदस्य" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसकी सेवा की सदस्यता समाप्त हो चुकी हो।

---

१ अधिसूचना संख्या एफ ३(३) नियुक्ति (ए ३)/६० दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोड़ा गया तथा दिनांक ६-७-५६ से प्रभाव में होगा।

२. अधिसूचना संख्या एफ ३(१) नियुक्ति ए /६३ दिनांक ६/१२ मई १९६४ द्वारा जोड़ा गया।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ३(१)नियुक्ति(ए)६०।ग्रुप (iii) दिनांक २७ अक्तूबर १९६० द्वारा जोड़ा गया एवं इसी क्रमांक की अधिसूचना दि० ९ जनवरी १९६१ द्वारा संशोधित किया गया।

टिप्पणी

नियम १४ में उल्लिखित शास्तियों की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें किन प्राधिकारियों के समक्ष हो सकती हैं उनका निर्धारण इस नियम में किया गया है। इस नियम को नियम २१ के साथ पढ़ना चाहिए जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी आज्ञा की अपील नहीं होगी। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलें इस प्रकार की जा सकती हैं —

सेवा	मौलिक आज्ञा देने वाला	प्रथम अपील किसके पास होगी (नियम १४ में किसी भी शास्ति के विरुद्ध)	द्वितीय अपील किसके पास होगी (नियम १४ के खंड (४) से (७) तक की शास्ति के विरुद्ध)
१	२	३	४
राज्य सेवा का सदस्य	सरकार के अतिरिक्त कोई अधिकारी	सरकार	—
		राजस्थान न्यायिक सेवा के मामले में अपील मुख्य न्यायाधीश एवं उनके द्वारा मनोनीत राजस्थान उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की समिति में होगी यदि शास्ति सेवा से पृथक्करण अथवा पदच्युति के अलावा कोई अन्य है।	सरकार
अधीनस्थ सेवा का सदस्य (पुलिस विभाग एवं आर ए सी के अतिरिक्त)	नियुक्ति प्राधिकारी का निकटतम अधीनस्थ प्राधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी	सरकार
,, ,,	नियुक्ति प्राधिकारी	सरकार	—
पुलिस विभाग एवं आर ए सी की अधीनस्थ सेवा का सदस्य	अनुशासन प्राधिकारी	प्राधिकारी जिसका शास्ति देने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ है।	सरकार
लिपिक वर्गीय सेवा का सदस्य	,, ,,	,, ,,	सरकार [सिविल एवं सेशन न्यायालय से व्यथित होने की दशा में उच्च न्यायालय]

१	२	३	४
चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य	अनुशासन प्राधिकारी	प्राधिकारी जिसका शास्ति देने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ है	—
समस्त सेवाएं (जब आज्ञा नियम १८ के अन्तर्गत की गई हो)	"	"	सरकार
गबन की जांच सम्बन्धी मामलों के विषय में —			
राज्य सेवा का सदस्य	आयुक्त विभागीय जांच	प्रशासन विभाग में सरकार	—
अधीनस्थ सेवा का सदस्य	"	"	—
लिपिक वर्गीय सेवा का सदस्य	"	"	
लिपिक वर्गीय सेवा का सदस्य	जिलाधिकारी, गबन की जांच के मामलों में अथवा सहायक आयुक्त विभागीय जांच	आयुक्त, विभागीय जांच	प्रशासन विभाग में सरकार
चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य	आयुक्त, विभागीय जांच	प्रशासन विभाग में सरकार	—
" "	जिलाधिकारी, गबन की जांच के मामलों में अथवा सहायक आयुक्त, विभागीय जांच	आयुक्त विभागीय जांच	—

प्रथम अपील राज्य सरकार को होने की दशा में यह आवश्यक होगा कि इन नियमों के नियम १५ (२) के अनुसार यदि लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी हो तो ऐसा परामर्श ले लिया जावे।[1] राज्य सरकार के समक्ष अन्तिम अपील होने की दशा में, उस पर आज्ञा जारी करने से पूर्व समस्त मामलों में, सरकार को लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी चाहिये। परन्तु जब अपील उच्च न्यायालय को की गई हो तो उच्च न्यायालय द्वारा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं

१ नियम १५ (२) के नीचे टिप्पणी देखिये।

होगा। जब कोई आज्ञा नियम १९ (ii) के अन्तर्गत जारी की गई हो तो उसकी केवल एक अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को होगी। इसके विपरीत यदि कोई आज्ञा अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियम १६ (i) और १६ (iii) के अन्तर्गत की गई हो तो इस नियम में निर्धारित नियमित अपील हो सकेगी।

जब कोई अपील सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस अपील की सुनवाई वह व्यक्ति करेगा जिसमें सरकार की अधिशासी शक्ति निहित है अर्थात् सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी मन्त्री।[1] इसलिए राज्य कर्मचारी द्वारा मन्त्रियों पर समय लगाना स्वामी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करना है और इन कारणों के आधार पर स्वामी को अधिकार होगा कि कर्मचारी को बर्खास्त कर दे।[2]

इसके के मामलों की जाँच के सम्बन्ध में आयुक्त विभागीय जाँच, जिलाध्यक्ष घोषित किया हुआ है। इसका निष्कर्ष यह है कि मामले का मान्यता पश्चात् समय से अधिक हो। इसी प्रकार, विशेष कार्याधिकारी, सतर्कता जाँच अथवा, सहायक आयुक्त विभागीय जाँच, 'कार्यालयाध्यक्ष' घोषित किया हुआ है।

२४. जब किसी आज्ञा की अपील हो सकती हो, ऐसी दशा में, आज्ञा प्रदान करने वाला अधिकारी उचित समय में आज्ञा की एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस व्यक्ति को निःशुल्क देगा जिसके विरुद्ध आज्ञा जारी की गई है।

टिप्पणी

यह नियम आवश्यक करता है कि यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की कोई आज्ञा नियम २३ के अनुसार अपील योग्य हो तो ऐसा अधिकारी उक्त आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि उस व्यक्ति को निःशुल्क देगा जिसके विरुद्ध ऐसी आज्ञा जारी हुई हो। चाहे ऐसे अधिकारी ने नकल के लिए प्रार्थना की हो अथवा नहीं नकल देनी ही चाहिये। यह नकल होनी चाहिये जो सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अथवा इस कार्य के लिये सक्षम किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की हुई हो। यह भी आवश्यक है कि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि युक्तियुक्त समय में दी जाय। युक्तियुक्त समय क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर है। अपील करने की मियाद उस दिन से शुरू होगी जिस दिन ऐसे अधिकारी को सम्बन्धित प्राधिकारी से ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो। सामान्यतया आठ दिनों का समय, युक्तियुक्त समय समझा जा सकता है।

प्राधिकारी की आज्ञा अपील योग्य नहीं होने की दशा में, जब तक कि ऐसे अधिकारी ने इसके लिए प्रार्थना नहीं की हो तब तक उसे प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क देना आवश्यक नहीं है।

---

१ प्रतापसिंह बनाम पंजाब सरकार, ए. आई. आर. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२

२ नरसिम्हनलाल जगजीवनलाल मोदी बनाम गुजरात सरकार, ए. आई. आर. १९६२ सर्वोच्च न्यायालय १६३, एन. सी. ... जॉर्ज बनाम ट्रैवनकोर कोचीन सरकार, ए. आई. आर. १९५५ सर्वोच्च न्यायालय १६०, कृष्णा स्वामी बनाम बम्बई सरकार, ए. आई. आर. १९६० केरल २७४

२५. **अपीलों के लिए मयाद**—इस भाग के अन्तर्गत कोई अपील विचार हेतु स्वीकृत नहीं की जायगी जब तक कि वह अपीलान्ट द्वारा जिस आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीन महीना की अवधि में प्रेषित नहीं कर दी गई हो।

परन्तु साथ ही यह कि यदि अपीलेट अधिकारी को तसल्ली हो कि अवधि के भीतर अपील प्रेषित नहीं करने का अपीलान्ट के पास पर्याप्त कारण था, तो वह कथित मयाद समाप्त होने के पश्चात भी अपील विचार हेतु स्वीकृत कर सकता है।

टिप्पणी

यह नियम प्रावधान करता है कि जब तक नियम २४ के अन्तर्गत दी गई आज्ञा की प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने की तारीख से तीन महीना की मयाद में अपील प्रेषित नहीं की गई हो तब तक दोषी अधिकारी की अपील विचार के लिए स्वीकार नहीं की जावगी। यह समय की अवधि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अपीलों की दशा में लागू होगी। इस नियम में सलग्न प्रतिबंध प्रावधान करता है कि उक्त अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अपीलेट प्राधिकारी कोई अपील स्वीकृत कर सकता है यदि उसे यह भरोसा हो जावे कि अपील कर्ता उचित कारण से मयाद के भीतर अपील पेश नहीं कर सका था। शब्द 'पर्याप्त कारण' का अर्थ उदारता से लगाना चाहिये, ताकि जब प्रार्थी की ओर से कोई असावधानी या असमर्थता न हो और न उसकी सद्भावना में अभाव ही बताया जा सकता हो, तो उसे वास्तविक न्याय दिया जासके।[1] मयाद समाप्त होने की तारीख के बाद अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ उसका स्पष्टीकरण अपील कर्ता को करना होता है परन्तु यदि यह पाया जावे कि वह पूर्वकालीन गफलत या असमर्थता का दोषी था अथवा उसमें सद्भावना का अभाव था तो अपील प्राधिकारी उसके पक्ष में अपना स्वविवेक उपयोग में लाने से इन्कार कर सकता है चाहे वह मयाद समाप्त होने की तारीख से विलम्ब का स्पष्टीकरण करने में सफल भी हो जाव।[2] दोषी अधिकारी द्वारा अपीलेट प्राधिकारी का भरोसा दिलाया जाना चाहिये कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर नहीं कर सकने का पर्याप्त कारण था, और यह सदैव माना गया है कि स्पष्टीकरण विलम्ब के पूरे काल का होना चाहिये अर्थात उसे प्रत्येक दिन की देर का कारण समझाना है।

यह विचारणीय है कि कानून मयाद १९६३ के अनुच्छेद ११३ के अन्तर्गत, अवैध पदच्युतियों के सब वाद चाहे घोषणा के रूप में हो अथवा चढ़े हुए वेतन के लिये हो, तीन वर्षों की मयाद के भीतर पेश किये जा सकते हैं।

रिट याचिकाएं तथा विभागीय अपीलें—यह तथ्य कि विभागीय अपील का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए उसका उपयोग नहीं किया गया, उपयुक्त मामलों में रिट प्रदान करने के

१ कृष्णा बनाम सपप्पान १३ मद्रास ७ ६ (फुल बैंच) जिसका अनुमोदन हुआ ज्ञान वसु बनाम जदुमनी ए आई आर (१९५४) सर्वोच्च न्यायालय ४११

२ भगवत स्वरूप बनाम राम गोपाल, ए आइ आर (१९६६) इलाहाबाद ३७८, यह भी देखिये सीताराम रामचरन बनाम एम् एन नगरीनाथ, ए आई आर (१९६०) सर्वोच्च न्यायालय २६०

लिये कोई रोक नहीं माना गया।[1] विभागीय जांच में सम्बद्ध नियमों के पालन नहीं करने के फलस्वरूप प्रार्थी का पदच्युत हुआ यह कारण संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने के लिये पर्याप्त माना गया।[2] ऐसी याचिका प्रस्तुत करने के लिये कोई समय की अवधि निर्धारित नहीं है फिर भी सामान्यतया याचिका आवेदन में मांगी गई सहायता के लिये विनाश कारण उत्पन्न होने के बाद जहां तक व्यवहार्य हो शीघ्र ही पेश कर लेना चाहिये।[3] यह तथ्य कि याचिका बहुत विलम्ब से की गई प्रार्थी को, उच्च न्यायालय में असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए सहायता मांगने में अनधिकृत नहीं बनाता।[4] एक मामले में डेढ़ साल का विलम्ब घातक नहीं माना गया।

२६ अपील का प्रारूप तथा विषय वस्तु —(१) प्रत्येक अपील करने वाला व्यक्ति अलग अलग और अपने नाम से अपील प्रेषित करेगा।

(२) अपील उस प्राधिकारी को सम्बोधित होगी जिसके समक्ष अपील हो सकती हो, उसमें वे सब सारभूत विवरण एवं तर्क होंगे जिनका आश्रय अपीलकर्ता लेता है उसमें कोई अपमानपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह अपने आप में पूर्ण होगी।

टिप्पणी

यह नियम निर्धारित करता है कि अपील किस रूप में प्रस्तुत की जायगी। उपनियम (१) के अनुसार प्रत्येक राज्य कर्मचारी अपने खुद के नाम से अपील पेश करेगा वह अपनी अपील किसी वकील अथवा इन नियमों के नियम १६ (५) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य कर्मचारी के मारफत प्रेषित नहीं करेगा। यदि नियम १८ के अन्तर्गत किसी संयुक्त जांच में अनुशासन प्राधिकारी ने दो अथवा अधिक राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध शास्तियें अधिरोपित की हों तो प्रत्येक राज्य कर्मचारी अपनी पृथक अपील अपने निजी नाम से अपने अपील प्राधिकारी को पेश करेगा।

उप नियम (२) प्रावधान करता है कि इन नियमों के नियम २३ में निर्धारित निकटतम उच्च अपील प्राधिकारी को अपील पेश की जायगी। ऐसी अपील में वे समस्त सारभूत विवरण एवं तर्क होंगे जिन पर अपीलकर्ता आश्रय लेता है। अपील का कोई विशेष अथवा टक्नीकल फार्म इन नियमों द्वारा निर्धारित किया हुआ नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि उसमें सब आवश्यकताओं का

1 सुब्रह्मण्यम बनाम जी एस एस राजे ए आई आर. १९५३ मद्रास ५४ ए आर एम चौधरी बनाम भारतीय संघ ६० सी डब्लू एन ६३३ डा० कृष्ण लाल बनाम शिमला नगर पालिका, ए आई आर. १९५३ पंजाब ८८

2 ए बी एन श्रीवास्तव बनाम पुलिस महानिरीक्षक, ए आई आर. १९५७ नागपुर ८८

3 महिन्द्र सिंह बनाम पटियाला सरकार ए आई आर. १९५५ पेप्सू १०६, सुरेन्द्र नाथ बनाम मुख्य संरक्षक, वन विभाग ए आई आर. १९५८ पंजाब १६

4 धामय मल एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर. १९५८ राजस्थान १६२ वेंकटेश्वरलू बनाम मद्रास सरकार, ए आई आर. १९५४ मद्रास ५८७

5 पंडित गोपानाथ बनाम जम्मू कश्मीर सरकार, ए आई आर. १९५८ जम्मू कश्मीर ११

वास्तविक पूर्ति हो जानी चाहिये, अर्थात विवरण जिन पर अपील आधारित है सारभूत होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सारे आवश्यक तर्कों का उसमें उल्लेख कर दिया जावे। अपील में कोई अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिये। नियम २७ के अन्तर्गत अपील उचित प्रणाली के मारफत प्रेषित की जावे। इसीलिये यह आवश्यक है, कि अपील कर्त्ता को ऐसे पदाधिकारियों के प्रति अपमानभरी भाषा नहीं लिखनी चाहिये, जो उसकी अपील, अपील प्राधिकारी को अग्रसर करेंगे। अपील की भाषा शिष्ट एवं नम्र निवेदन के रूप में होनी चाहिये। मन्त्रीगण सरकार के ही अंग हैं। इस लिये मन्त्रीगण के प्रति राज्य कर्मचारी द्वारा कलंक लगाना अपने स्वामी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला होता है और ऐसे कारणों पर स्वामी को अधिकार होगा कि वह कर्मचारी को बर्खास्त कर दे।[1]

२७ अपीलें प्रेषित करना—प्रत्येक अपील उचित माध्यम (प्रणाली) द्वारा उस अधिकारी को प्रेषित की जायगी जिसने वह आज्ञा प्रदान की थी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

परन्तु यह कि यदि ऐसा प्राधिकारी उस कार्यालय का अध्यक्ष नहीं है जिसमें अपीलकर्त्ता काम कर रहा हो या यदि वह सेवा में नहीं हो तो अपील उस कार्यालय के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित की जायगी जिसमें वह अन्तिम बार काम कर रहा था, या जिसके अधीनस्थ अब वह नहीं है तो अपील ऐसे कार्यालयाध्यक्ष के पास प्रेषित कर दी जायगी जो उस तुरन्त ही ऐसे कथित प्राधिकारी को अग्रसर कर देगा।

परन्तु यह भी कि अपील की एक प्रतिलिपी अपील अधिकारी को सीधी भेजी जा सकती है।

टिप्पणी

यह नियम यह सिद्धांत स्थापित करता है कि सब अपीलें चाहे प्रथम हो अथवा अंतिम अपील प्राधिकारी को उचित प्रणाली के माध्यम से भेजी जायेंगी। सबंधित प्राधिकारी को नियम २८ के अन्तर्गत जो विशेष अधिकार दिये हैं उनको दृष्टिगोचर करते हुए विभागीय जाच में यह प्रावधान आवश्यक है। प्रथम प्रतिबन्धात्मक उपखंड के अनुसार, यदि आज्ञा तहसीलदार द्वारा जारी की गई हो और अपील जिलाधीश को दायर करनी हो, तो राज्य कर्मचारी अपील तहसीलदार के सामने प्रस्तुत करेगा, जो अपनी टिप्पणी सहित जिलाधीश को अग्रसर कर देगा। यदि किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण अन्य तहसील में हो गया हो तो ऐसा अन्य तहसीलदार उसकी अपील जिलाधीश को आगे भेजेगा। किसी व्यक्ति के सेवा निवृत्त हो जाने की दशा में, वह भी अपनी अपील ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष के माध्यम से भेजेगा जिसमें वह अंतिम बार नौकरी करता था। द्वितीय प्रतिबंध में व्यक्त किया गया है कि अपीलकर्त्ता अपील की एक प्रतिलिपि अपील प्राधिकारी को सीधी भी भेज सकता है। यह अ वश्यक है त कि यदि उचित प्रणाली का कार्यवाही म अन्य प्राधिकारी द्वारा

[1] मगनलाल जगजीवनदास मोदी बनाम गुजरात सरकार, ए आई आर १९६२ गुजरात ११८, रामेश्वर राव बनाम उड़ीसा सरकार, ए आई आर १९५६ उड़ीसा ६६, प्रतापसिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर. १९६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२

अपील रोक ली जाय, तो अपील अधिकारी अपने आप अपील पर कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

२८ अपीलें रोक लेना—(१) जिस आज्ञा की अपील की गई है उसे जारी करने वाला प्राधिकारी अपील को रोक सकता है यदि–

(i) अपील ऐसी आज्ञा के विरुद्ध है जिसकी कोई अपील नहीं होती या

(ii) उसमें नियम २६ के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, या

(iii) उसे नियम २५ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रेषित नहीं किया है और विलम्ब के लिये कोई कारण व्यक्त नहीं किया गया है, या

(iv) वह पहले से तयशुदा अपील की पुनरावृत्ति है और उसमें कोई नये तथ्य या परिस्थितियां नहीं बताई गई हैं।

परन्तु यह कि जो अपील केवल इस आधार पर रोकली गई हो कि उसमें नियम २६ के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, तो वह अपीलकर्ता को लौटा दी जायगी, और यदि वह एक महीने के भीतर उन प्रावधानों का पालन करने के पश्चात् पुनः प्रेषित करदे, तो वह रोकी नहीं जायगी।

(२) जब कोई अपील रोकी गई हो, तो अपीलकर्ता को इस तथ्य से मय इसके कारणों के सूचित किया जायगा।

(३) प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में, किसी प्राधिकारी द्वारा पिछली तिमाही में रोकी गई अपीलों की एक सूची मय उन्हें रोकने के कारणों के उस प्राधिकारी द्वारा अपील प्राधिकारी को भेजी जायगी।

टिप्पणी

राज्य कर्मचारी को नियम २७ के अन्तर्गत अपनी अपील उचित प्रणाली के माध्यम से प्रेषित करनी पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपील सर्व प्रथम उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी जिसने ऐसी आज्ञा प्रदान की थी। ऐसा प्राधिकारी अपील को रोक सकता है यदि वह अपील नियम २३, २५ या २६ में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में हो अथवा वह पहले से ही तयशुदा अपील की पुनरावृत्ति मात्र हो और कोई नये तथ्य या परिस्थितियां नहीं बताई गई हों। ऐसी अपील प्रबल कारणों से ही रोकी जानी चाहिए और उन कारणों से दोषी अधिकारी को सूचित करना चाहिये। रोकने वाले पदाधिकारी का पक्षपातमय नहीं होना चाहिए और अपील को शुद्ध दिमाग से जांचना चाहिए।

२९ अपीलें भेजना—(१) वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है और जो नियम २८ के अन्तर्गत रोकी नहीं गई है, ऐसी प्रत्येक अपील को, बिना परिहार्य (टालने योग्य) विलम्ब के, उस पर अपनी टिप्पणी एवं सारभूत रेकर्ड सहित अपील प्राधिकारी को भेज देगा।

(२) वह प्राधिकारी जिसको अपील होती हो आदेश दे सकता है कि नियम २८ के अन्तर्गत कोई रोकी हुई अपील उसके पास भेज दी जावे, जिस पर उक्त अपील रोकने वाला प्राधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी एवं सारभूत रेकर्ड सहित उस को भेज देगा।

टिप्पणी

इस नियम में स्थापित किया गया है कि अपीलें यथा संभव शीघ्र अपील प्राधिकारी को भेज दी जावें। उस प्राधिकारी को जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है, दायी प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधारों के विषय में अपनी आलोचना एवं ऐसे मामले में संबंधित अभिलेख भी अपील के साथ भेजने चाहियें। यदि अपील वापिस ले ली गई हो तो ऐसी दशा में उसे अपील प्राधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उप नियम (२) के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी को यह शक्ति दी गई है कि वह अपील भेजने के लिए आदेश दे सकता है। यह प्रावधान स्पष्ट एवं पक्षपातहीन न्याय हेतु आवश्यक है। यदि नीचे के प्राधिकारी ने लम्बे समय से अपील रोक रखी हो, तो दायी अधिकारी अपील प्राधिकारी को रेकर्ड प्रेषित करने का आदेश देने हेतु प्रार्थना कर सकता है। ऐसा कार्यवाही होने पर भी अपील को रोक रखने वाला प्राधिकारी अपील करने वाले राज्य कर्मचारी द्वारा व्यक्त अपील के आधारों पर अपनी टिप्पणी लेखबद्ध करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

३० अपीलों पर विचार—(१) निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील होने की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि आया नियम १३ के प्रावधानों के प्रकाश में तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलम्बन की आज्ञा न्यायोचित है अथवा नहीं एवं तदनुसार उक्त आज्ञा को पुष्ट अथवा निरस्त करेगा।

(२) नियम १४ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील होने की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि—

(क) आया इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, और यदि नहीं तो आया ऐसे अपालन के फलस्वरूप संविधान के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय की विफलता हुई है,

(ख) आया जिन तथ्यों के आधार पर आज्ञा जारी की गई वह स्थापित (सिद्ध) हो चुके हैं,

(ग) आया स्थापित तथ्य जारी की गई आज्ञा को न्यायोचित ठहराते हैं और

(घ) आया दी गई शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है तथा यदि आयोग से उस मामले में परामर्श करना आवश्यक हो तो ऐसे परामर्श के पश्चात् आज्ञा जारी करेगा—

(i) शास्ति को निरस्त करने, कम करने, पुष्ट करने अथवा बढ़ाने की अथवा

(ii) मामले का उस प्राधिकारी के पास जिसने शास्ति दी थी या किसी अन्य

प्राधिकारी के पास वापिस भेजने की और साथ ही मामले की परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए जसा उचित समझे वैसा आदेश देगा

परन्तु यह कि —

(i) अपील प्राधिकारी ऐसी कोई वधित शास्ति नहीं लगायेगा जिसे न तो वह स्वय न वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा के विरुद्ध अपाल की गई थी, लागू करने म समक्ष है

(ii) शास्ति वढान की कोई आज्ञा तब तक जारी नही की जायगी जब तक कि अपीलकर्ता को एसी वधित शास्ति क विरुद्ध अभिवदन करने का अवसर नही द दिया गया हो

(iii) यदि अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित शास्ति नियम १४ के खड (६) स (७) मे निर्दिष्ट कोई शास्तिया मे से एक हो, और मामले में नियम १६ के अतगत कोई जाच पहल स की हुई नहीं हो तो नियम के प्रावधानो के अधीन रहते, वह स्वय ऐसी जाच करगा अथवा एसी जाच करवाने का आदेश देगा, और तत्पश्चात ऐसी जाच की कायवाही पर विचार करन पर और ऐसी शास्ति के विरुद्ध अभिवेदन दने का अवसर अपीलकर्ता को दन के बाद वह जसी उचित समझे वसी आज्ञा जारी करगा।

•राजस्थान सरकार का निर्णय—इस विभाग के इसी क्रमाक के परिपत्र दिनाक ६ दिसम्बर १६६२ पर, जिसमे मृतक राज्य कमचारी के पीछे उसके वैध प्रतिनिधियो का उसके द्वारा प्रस्तुत की गइ अपील का पीछा करन का अधिकार निर्धारित हुआ है आगे जाच की गई है। इस जाच के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान प्रसनिक सेवाए (वर्गीकरण नियत्रण एव अपील) नियमो क अतगत अपीलो के मामलो मे समाप्ति तथा प्रतिस्थापना के अधिकार का प्रश्न नही उठता, राज्य कमचारी की मृत्यु के बावजूद, अपील प्राधिकारी को मृतक राज्य कमचारी के उत्तराधिकारियो या वैध प्रतिनिधियो को बिना फरीक बनाये इन नियमो मे निर्दिष्ट तरीके से अपील का निपटारा करना चाहिये।

२ अत उपरोक्त विभागीय परिपत्र का निरस्त करत हुए यह निर्णय किया गया है कि ऐसी परिस्थितियो मे अपील प्राधिकारी को सलाह दी जायगी कि राज्य कमचारी की मृत्यु के उपरात एव अभिलेख मे उसके उत्तराधिकारियो या वैध प्रतिनिधियो की अनुपस्थिति मे, परन्तु मामले मे मृतक क उत्तराधिकारियो वैध प्रतिनिधियो को फरीक बनाये बिना, राजस्थान प्रसनिक सेवाए (वर्गीकरण नियत्रण एव अपील) नियमो, १६५८ के नियम ३० द्वारा निर्धारित तरीके से अपील का निपटारा करना चाहिये

• नियुक्ति (A III) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (५) नियुक्ति (A)/६२ दिनाक १८ ४ ६३ द्वारा निविष्ट किया गया।

ि संदेह वस्तुस्थित की प्रकृति से हो, ऐसे मामलो मे रिमांड (वापसी) अथवा शास्ति को बढाने की आवश्यकता उत्पन्न नही होगी।

टिप्पणी

यह नियम उन सिद्धान्तो का गठन करता है जिन पर अपील प्राधिकारी उसके समक्ष विचाराधीन अपील पर फैसला करने से पहले गौर करेगा। अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियम १३ के अन्तर्गत निलम्बन की आज्ञा जारी की गई हो तो उस दशा म अपील नियम २२ म उल्लिखित प्राधिकारी के समक्ष होगी। ऐसा अपील प्राधिकारी विचार करेगा आया (१) नियम ११ के प्रावधानों के प्रकाश म, अथवा (२) मामले की परीस्थितियां का ध्यान रखते हुए निलम्बन की आज्ञा उचित है या नही। अपील प्राधिकारी आज्ञा को पुष्टि कर सकता है अथवा उसे निरस्त कर सकता है, परन्तु नियम १४ म निर्दिष्ट कोई शास्ति यह नही दे सकता। अपील प्राधिकारी का कर्तव्य यह देखने का है आया मामले की परस्थितिया म निलम्बन आवश्यक है अथवा नहीं। अपील प्राधिकारी यह भी ध्यान म रख सकते है कि प्रत्येक अनुशासनात्मक प्रक्रिया से पूर्व या किसी फौजदारी मुकदमा विचाराधीन रहते, निलम्बन आवश्यक नहीं है। यदि निलम्बन दण्ड स्वरूप हुआ है, तो अपील प्राधिकारी निलम्बन आज्ञा निरस्त कर सकता है क्योंकि ऐसे मामलों म नियम १६ या १७ (जैसा भी मामला हो) का अनुसरण करना आवश्यक होता है।

नियम १४ म निर्दिष्ट किसी भी शास्ति की आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने की दशा म, प्रथम अथवा अंतिम अपील प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा आया उक्त आज्ञा उप नियम (२) के खण्ड (क) से (घ) म निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है अथवा नहीं। अपील प्राधिकारी को देखना है कि नियम १६ या १७ मे निर्धारित प्रक्रिया का पालन पूर्णतया हुआ है अथवा नही या प्रक्रिया का पालन नहीं करने से संविधान के अनुच्छेद ३११ के कोई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है अथवा नही। आया तथ्य स्थापित (सिद्ध) हुए थे या नही और यदि तथ्य साबित हो चुके थे तो आया अपील करने वाले राज्य कर्मचारी के विरुद्ध वैसी शास्ति लागू करने के लिये वे पर्याप्त थे। आया दी गई शास्ति ऐसी है जो नियम १४ म निर्धारित है, और आया उक्त शास्ति अत्यधिक है पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है। प्रथम अथवा अंतिम अपील राज्यसरकार की होनेकी दशा म, कोई आज्ञा जारी करने से पूर्व सरकार आयोगसे परामर्श लेगी। ऐसा परामर्श लेना नियम १५(२), २३(६) या २ (४) म उल्लिखित मामलों के लिये आवश्यक होता है। प्रत्येक मामले म सरकार का आयोग की सम्मति से सहमत होना आवश्यक नहा है। अपील प्राधिकारी राज्य कर्मचारी को दी गई शास्ति निरस्त कर सकता है या हल्की कर सकता है या बढ़ा भी सकता है। दंड देने वाले प्राधिकारी को वह मामला वापिस भी भेज सकता है। वह दंड देने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी को भी ऐसे आदेशों सहित मामला भेज सकता है जो मामले की परिस्थितियां को देखते हुए वह उपयुक्त समझे। जिस प्राधिकारी के पास मामला रिमांड होकर आया है वह उसका निर्णय अपील प्राधिकारी के आदेशो को दृष्टिगोचर करते हुए करेगा।

शास्ति में वृद्धि—अपील प्राधिकारी को शास्ति बढ़ाने की शक्ति एक प्रतिबन्धित शक्ति है। यदि अपील प्राधिकारी स्वयं को कोई विशेष शास्ति देने का अधिकार नहा हो तो वह अपील प्राधिकारी की हैसियत से अपील मे शास्ति वृद्धि के अधिकारों के अन्तर्गत, ऐसी शास्ति नहीं दे

सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधीश हो और सहायक कलेक्टर ने उसके विरुद्ध कोई लघु शास्ति लगाई हो तब यदि ऐसा राज्य कर्मचारी उपर्युक्त अधिकारी (एस. डी. ओ.) के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है तो उक्त अधिकारी शास्ति को बढ़ाकर पदच्युति अथवा सेवा से पृथक्करण का आदेश, जिसे लागू करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है, नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी शास्ति केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही लगाई भी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि बढ़ी शास्ति लगानी हो तो अपील प्राधिकारी अपील कर्ता को एक प्रस्तावित बढ़ी शास्ति के विरुद्ध अभिवेदन जो वह करना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। यदि ऐसा अवसर दिए बिना शास्ति बढ़ाई जाती है तो वह इस नियम के प्रावधानों के प्रतिकूल होगा। तीसरी बात यह है कि यदि प्रस्तावित वर्धित शास्ति नियम १४ के खंड (४) से (७) में उल्लिखित शास्तियों में से कोई एक है और मामले में पहले ही नियम १६ के अन्तर्गत कोई जांच नहीं हुई हो तो अपील प्राधिकारी या तो इस प्रकार की जांच करने के लिए आदेश देगा अथवा ऐसी जांच स्वयं करेगा। ऐसी जांच में नियम १६ और संविधान के अनुच्छेद ३११ की समस्त आवश्यकताओं का पालन होना चाहिए। तत्पश्चात् अपील प्राधिकारी जांच के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर विचार करेगा और यदि वह शास्ति बढ़ाने का विचार रखता हो तो वह अपीलार्थी को उसकी इच्छानुसार पुनः अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा और उसके पश्चात् जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश जारी करेगा। जब कि पुलिस के महानिरीक्षक ने दो वेतन वृद्धियें रोकने तथा निन्दा की शास्ति देने का आदेश जारी था, सरकार ने अन्ततः प्रार्थी को हैड कॉन्स्टेबल पद से प्रथम पद पर हास के लिए पदावनति करने का आदेश दिया। तो यह निर्णय हुआ कि विभाग पर सरकार का पूर्ण अधिकार (पावर) होते हुए भी यदि वह महसूस करे कि अधीनस्थ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त शास्ति पर्याप्त नहीं है तो वह उसे बढ़ाकर शास्ति देने के लिए सक्षम है।[1] परन्तु शास्ति बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का यदि सरकार ने पालन नहीं किया है तो राज्य सरकार का आदेश अधिकार के बाहर होना घोषित किया जा सकता है।[2]

व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार—अपील करने का अधिकार केवल कार्यप्रणाली का विषय नहीं है परन्तु यह एक मौलिक अधिकार है।[3] यह कार्यवाही सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही का रूप धारण करती और इसमें मामले का स्पष्ट उल्लेख व अवधारण करने का प्रावधान हो न सका। इसी प्रकार अपील प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह कार्यवाही का औचित्य अथवा अन्यथा पर, जो कि अपील का विषय है, निर्णय देना सम्मिलित है। इसी कारण से अपील की सुनवाई करने में अपीलार्थी से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करता है व उसका पालन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवस्था को एक से अधिक निर्णयों में स्पष्ट किया है। अब जब कि किसी प्राधिकारी को अपील के कानूनी अधिकार दिए गये हैं, तो ऐसा समझा जाना चाहिए कि

1. ए. वेंकटा बनाम हैदराबाद सरकार, ए. आई. आर. १९५६ हैदराबाद १०३, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुराने वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम १९५० के अन्तर्गत इन मामलों में भिन्न राय दी है पूरन राम बनाम राजस्थान सरकार, आई. एल. आर. १९५९ राजस्थान ६५८, दौलतसिंह बनाम राजस्थान सरकार, आई. एल. आर. १९५८ राजस्थान ६५३
2. महेश्वर नाथ बनाम बिहार सरकार, ए. आई. आर. १९६२ पटना २०६
3. मोहनराज बनाम राजस्थान सरकार, आई. एल. आर. (१९६१) ११ राजस्थान ७९३

वह अपील का निपटारा करने में न्यायिक कार्य कर रहा है । किसी भी दशा में उनके कर्त्तव्य अर्ध न्यायिक कार्यवाही का रूप ग्रहण कर लेते हैं और इसमें अपील अन्तिम रूप से खारिज किये जाने से पूर्व अपील की पुष्टि में अपील कर्त्ता को सुनवाई का महत्वपूर्ण स्वत्व एवं विशेषाधिकार सम्मिलित है । इस तथ्य से यह भी अर्थ निकलता है कि अपील खारिज करने से अपीलकर्त्ता के विरुद्ध की गई शास्ति की कार्यवाही का पुष्टिकरण हो जाता है और इस विषय में उसके अधिकार का अंतिम निपटारा हो जाता है । जब कि प्रार्थी पुलिस अधीक्षक द्वारा दंडित किया गया और उसने अपील में उप महानिरीक्षक, पुलिस के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के अधिकार का दावा किया, तो यह निर्णय हुआ कि अपनी अपील की पुष्टि में उसे सुनवाई का अधिकार था ।[1] यह सत्य है कि नियम में यह प्रावधान है कि जिन तर्कों पर अपीलकर्त्ता अपनी अपील की पुष्टि हेतु निर्भर है वह उन्हें वह अपील के आवेदन पत्र में ही व्यक्त करदे परन्तु इससे अपील के समर्थन में सुनवाई का अपीलकर्त्ता के सामान्य अधिकार का अन्त नहीं होता है ।

अपीलकर्त्ता की मृत्यु—अपीलकर्त्ता की मृत्यु हो जाने के बावजूद अपील प्राधिकारी को चाहिये कि स्वर्गीय व्यक्ति के वारिस अथवा कानूनी प्रतिनिधियों को फरीक बनाए बिना अपील का निर्णय करदे । ऐसी दशा में रिमाड (वापिस भेजने) अथवा शास्ति को बढाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।[2]

३१ अपील में दी गई आज्ञा का अनुपालन—जिस प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई थी, वह प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाओं को प्रभावशील करेगा ।

टिप्पणी

समस्त विवादों की द्वितीय अवस्था आज्ञा का अनुपालन होती है जब कि प्रथम अवस्था अन्तिम निर्णय अथवा आज्ञा तक होती है । आज्ञा का अनुपालन, डिगरी की तामील की तरह अनुशासन प्राधिकारी की सहायता से आज्ञा का क्रियान्वित करना होता है ताकि राज्य कर्मचारी को उनके कर्मों की सजा मिले । स्वभावतया, अनुपालन का तरीका शास्ति की प्रकृति एवं अनुपालन प्राधिकारी से क्या सहायता मांगी गई है, इस पर निर्भर है । यदि राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य विभाग में हो चुका हो तो जिस अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई हो वह ऐसे अन्य विभाग के प्राधिकारी को निवेदन कर सकता है कि अपील प्राधिकारी का आज्ञा को क्रियान्वित करे । जब कि एक बार विभागीय जाच समाप्त हो जाती है, और सार्वजनिक कर्मचारी के विरुद्ध आज्ञा का अनुपालन हो चुका हो तो उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय विभागीय जांच करने का आदेश नहीं हो सकता, जब तक कि सेवा नियमों में कोई विशेष प्रावधान न हो ।[3]

---

१ धरणी मोहन बनाम असम सरकार, ए आई आर. १९६३ असम १८३ इसके विपरीत राय के लिये देखिये-जोगेन्द्र चन्द्र बनाम उप आयुक्त, ए आई आर. १९६२ असम २८, रवीन्द्र मोहन सरकार बनाम त्रिपुरा क्षेत्र, ए आई आर १९६१ त्रिपुरा १

२ नियुक्ति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (५) नियुक्ति (ए)।६२ ग्रुप (iii) दिनांक १८ ४ ६३

३ द्वारका चंद बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान ३८

भाग ७

पुनरवलोकन

३२ वह प्राधिकारी जिसके समक्ष नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति प्रदान करने के विरुद्ध अपील की जा सकती हो यदि उसकी कोई अपील नहीं की गई हो तो वह अपने आप अथवा अन्यथा उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा की गई अनुशासन कार्यवाही का अभिलेख मंगवाकर जांच कर सकता और यदि आवश्यकता हो तो आगे तहकीकात करने के पश्चात और जब आयोग से परामर्श आवश्यक हो तो ऐसा परामर्श करने के पश्चात, ऐसे मामले में दी गई आज्ञा का पुनर्निरीक्षण कर सकता है तथा

(क) आज्ञा का पुष्टिकरण, परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण कर सकता है,

(ख) कोई शास्ति दे सकता है या उक्त आज्ञा द्वारा दी गई शास्ति को कम कर सकता है, पुष्ट कर सकता है अथवा बढ़ा सकता है,

(ग) आज्ञा जारी करने वाले प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी के पास मामला वापिस भेजकर जैसा उचित समझे इस प्रकार से आगे कार्यवाही करने या जांच करने का आदेश दे सकता है, अथवा

(घ) ऐसी आज्ञा जारी कर सकता है जैसी वह उपयुक्त समझे,

परन्तु यह कि—

(i) कोई शास्ति लागू करने या किसी शास्ति को बढ़ाने की आज्ञा तब तक *नहीं दी जायगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी वधित शास्ति के* विरुद्ध उसकी इच्छानुसार अभिवेदन करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो,

(ii) यदि अपील प्राधिकारी किसी मामले में नियम १४ के खंड (४) से *(७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति देना प्रस्तावित करता हो जिसमें कि* नियम १६ के अन्तर्गत जांच नहीं हुई हो तो वह नियम १६ के प्रावधानों के अधीन रहते, ऐसी जांच करने का आदेश देगा, एवं तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करने पर तथा सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी शास्ति के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार अभिवेदन करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् जैसा उपयुक्त समझे वैसा आज्ञा प्रदान करेगा,

(iii) इस नियम के अन्तर्गत परिवर्तित की जाने वाली आज्ञा की तारीख से ६ महीनों से अधिक समय के पश्चात कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जावेगी।

टिप्पणी

इस परिच्छेद का शीर्षक पहले निगरानी था जिसको १९६१ में संशोधन करके अब शीर्षक 'पुनरावलोकन (नजरसानी) रख दिया गया। वास्तव में इस नियम की भाषा अब भी अपील प्राधिकारी की निगरानी करने की शक्ति के विषय में कहती है। इस नियम के अन्तर्गत नियम ३३ में निर्दिष्ट निकटतम अपील प्राधिकारी के समक्ष यदि कोई अपील नहीं की गई हो तो ऐसा अपील प्राधिकारी, या तो अपनी स्वेच्छा से अथवा सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की प्रार्थना पर निम्न लिखित प्रयोजनों के लिये अभिलेख (रेकार्ड) मंगवाकर जांच कर सकता है —

(i) आगे तफतीश करने के लिये, अथवा

(ii) अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी की गई आज्ञा की वैधता या औचित्य अथवा कार्यवाही नियमित होने के विषय में तसल्ली करने के लिये।

अपील अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, शास्ति को पुष्ट करने, संशोधन करने निरस्त करने, कम करने या बढ़ाने के लिये सक्षम होगा, या मामले को वह वापिस भेज सकता है अथवा ऐसी कोई आज्ञा जारी कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

प्रतिषेधात्मक वाक्य खंड—अभिवेदन करने का अवसर देना—इस नियम के अन्तर्गत कोई आज्ञा जारी करने से पूर्व, अपील प्राधिकारी को चाहिये कि वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अभिवेदन करने का अवसर प्रदान करे। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कर्मचारी को समुचित समय दिया जाना चाहिये, परन्तु गवाहों के बयान लेने अथवा जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि नियम १६ में निर्धारित तरीके से जांच की हुई नहीं हो और प्राधिकारी कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहता हो। अपील प्राधिकारी को चाहिये कि वह राज्य कर्मचारी को अपनी राय सूचित करे और यह व्यक्त करे कि वह शास्ति क्या देना चाहता है या क्या बढ़ाना चाहता है और यह अभिवेदन प्रेषित करने के लिये अवसर प्रदान करने का नोटिस देगा। उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को अपील प्राधिकारी के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिये अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय के सिद्धान्त का तकाजा है कि बिना सुनवाई किये कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जा सकता। यह 'Audi alteram Partem' के सूत्र पर आधारित है (अर्थात् दूसरे पक्ष की भी बात सुनो)।

जब कि एक बार विभागीय जांच समाप्त हो गई हो और सार्वजनिक कर्मचारी दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो जब तक कि सेवा नियमों में या किसी अन्य कानून में दोषमुक्ति की आज्ञा का पुनरावलोकन (रिव्यू) करने का कोई विशेष प्रावधान न हो तब तक उन्हीं तथ्यों पर दुबारा विभागीय जांच करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।[1]

अपील नहीं की गई—क्या पुनरावलोकन हो सकता है—यह निःसंदेह सत्य है कि सामान्यतया, कर्मचारी को नियम ३२ के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सकने से पहले उसे अपने अपील करने का अधिकार पूरा कर लेना चाहिये। परन्तु कानून का यह नियम दृढ़ नहीं

---

१ ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार, ए आई आर १९५८ राजस्थान ३८

है। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें, नियम २३ के अन्तर्गत अपील नहीं की गई हो तो भी अपील प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत हो। अपील तीन महीने की अवधि में की जा सकती है परन्तु पुनरावलोकन का आवेदन छः महीने की अवधि में किया जा सकता है। राज्य सरकार पुनरावलोकन का आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तीन महीनों की अवधि समाप्त होने से पहले भी कर सकती है।

३३. राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में आज्ञाओं का पुनरावलोकन (नजरसानी)—सरकार अपने आप या अन्यथा, उन मामलों का अभिलेख मंगा सकती है जिसमें नियम १४ में निर्दिष्ट कोई शास्ति राज्य सेवाओं के किसी सदस्य के विरुद्ध लागू की गई हो और उस मामले में दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकती है, और जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो तो आयोग से परामर्श कर लेने के पश्चात्, जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा जारी कर सकती है।

परन्तु यह कि किसी शास्ति को बढ़ाने की आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध, उसकी इच्छानुसार, अभिवेदन करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो,

परन्तु आगे यह भी कि, पुनरावलोकन किये जाने वाली आज्ञा की तारीख से तीन महीनों से अधिक समय के पश्चात्, इस नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायगी।

नोट[1]—यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा (आर. जे. एस.) के किसी सदस्य के मामले में लागू नहीं होता जिसके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट, सेवा से पृथक्करण या पदच्युति के अतिरिक्त कोई शास्ति की आज्ञा प्रशासनिक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश द्वारा जारी की गई हो अथवा जब कि कोई आज्ञा उच्च न्यायालय की समिति[1] द्वारा अपील में जारी की गई हो।

टिप्पणी

निरस्त कर सकती है कम कर सकती है या बढा सकती है अथवा जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा जारी कर सकती है। कोई आज्ञा जारी करने से पूर्व उन मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श लेगी जिनमें इन नियमों के नियम १५ (२) के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो।[1] राज्य कर्मचारी को सूचित करने से पहले आज्ञा का पुनरावलोकन किया जा सकता है। जब कि पैप्सू के राजस्व मन्त्री ने यह सम्मति प्रकट की कि चूंकि अपील कर्ता एक शरणार्थी था और एक बड़े परिवार का पालन पोषण करता है इसलिये उसको पदच्युत करना अत्यधिक कठोर होगा और यह कि उसे सेवा बर्खास्त करने के बजाय उसे कानूनगो के पद पर प्रत्यावर्तन कर देना चाहिये। पैप्सू का पंजाब राज्य में विलीनी करण होने के पश्चात पत्रावली पंजाब के राजस्व मन्त्री के सामने पेश की गई। पंजाब के मुख्य मन्त्री ने आज्ञा प्रदान की कि सेवा से पदच्युति सही शास्ति थी तथा दोषी अधिकारी के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जावे। यह निर्णय हुआ कि जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को आज्ञा सूचित नहीं की गई तब तक मन्त्री मण्डल इस विषय पर बारम्बार पुनर्विचार कर सकता था। मुख्य मन्त्री द्वारा जारी की गई आज्ञा, यद्यपि वह राजस्व मन्त्री के विभाग से सबंधित मामला था मन्त्री मण्डल की आज्ञा होनी समझी जावेगी।[2]

प्रतिबन्धात्मक वाक्य खण्ड—अभिवेदन करने के लिये अवसर प्रदान करना—आज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी) करने की शक्ति के अन्तर्गत यदि सरकार शास्ति बढ़ाना चाहे तो उसे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कर्मचारी को समुचित समय दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार को चाहिये कि शास्ति लागू करने अथवा बढाने की राय कारण सहित राज्य कर्मचारी को सूचित करे और उसे अभिवेदन प्रेषित करने का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस दिया जावे। उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को अपना दृष्टिकोण समझाने का अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय के सिद्धान्त का तकाजा है कि बिना सुनवाई किये कोई दण्डित नहीं किया जावे।

इस नियम का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड सरकार द्वारा नजरसानी करने की मियाद तीन महीनों की अवधि निर्धारित करता है। सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की मियाद भी तीन महीने की ही है। यह निःसदेह सत्य है कि सामान्यतया, किसी कर्मचारी को सरकार के समक्ष नजरसानी या अपील करने का अधिकार पूर्व कर लेना चाहिये। परन्तु यह कानून का कोई दृढ नियम नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें नियम ३१ के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत नहीं का हो फिर भी, सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना न्यायोचित हो। अतः अपील करने के लिये नियत अवधि के भीतर भी सरकार अभिलेख का पुनरावलोकन कर सकती है।

३४ राज्यपाल की पुनरावलोकन की शक्ति—इन नियमों में कुछ भी समावेश होने के बावजूद, राज्यपाल अपने आप अथवा अन्यथा, मामले का अभिलेख मंगवाने के पश्चात ऐसी आज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी) कर सकता है जो इन नियमों के अन्तर्गत अथवा नियम ३५ द्वारा निरस्त नियमों के अन्तर्गत जारी हुई हो या अपील योग्य हो, और जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, इसमें ऐसा परामर्श करने के पश्चात—

---

१ नियम १५ (२) के अन्तर्गत टिप्पणी भी देखिये।

२ बचितर सिंह बनाम पंजाब सरकार ए आई आर १९६३ सर्वोच्च न्यायालय ३९५

(क) आज्ञा को पुष्ट, संशोधित अथवा निरस्त कर सकता है,

(ख) कोई शास्ति लागू कर सकता है, अथवा आज्ञा द्वारा दी गई शास्ति को निरस्त कर सकता है, कम कर सकता है, पुष्ट कर सकता है अथवा बढ़ा सकता है,

(ग) मामले को परिस्थितियों में जो वह उचित समझे ऐसी आगे कार्यवाही या जांच करने के लिये आदेश देते हुए राज्यपाल मामले को वापिस उस प्राधिकारी के पास जिसने उक्त आज्ञा दी थी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के पास भेज सकता है, अथवा

(घ) ऐसी अन्य आज्ञा प्रदान कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

परन्तु यह कि—

(i) कोई शास्ति लागू करने या वर्धित करने की कोई आज्ञा जारी नहीं की जायगी जब तक कि इस प्रकार बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(ii) यदि राज्यपाल किसी ऐसे मामले में नियम १४ के खंड (४) से (७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू करना प्रस्तावित करे जिसमें नियम १६ के अन्तर्गत जांच नहीं हुई हो तो नियम १६ के प्रावधानों के अधीन रहते आदेश देगा कि इस प्रकार की जांच की जावे एवं तत्पश्चात् उस जांच की कार्यवाही पर विचार करने पर और सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी शास्ति के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा प्रदान करेगा।

नोट[1] —यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा (आर. जे. एस.) के किसी सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट, सेवा से पदच्युतिकरण या पदच्युति से अतिरिक्त कोई शास्ति की आज्ञा प्रशासनिक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश द्वारा जारी की गई हो अथवा जब कि कोई आज्ञा उस न्यायालय की समिति द्वारा अपील में जारी की गई हो।

टिप्पणी

इस नियम तथा नियम ३२ के अन्तर्गत विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक निर्णयों के मामलों में, पुनरावलोकन (नजरसानी) की शक्ति राज्यपाल को प्रदान करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल स्वयं इच्छा से अथवा अन्यथा अभिलेख मंगवाकर जांच कर सकता है। राज्यपाल की पुनरावलोकन करने की शक्ति निम्न लिखित मामलों में प्रयोग में लाई जा सकती है — (1) जब कि

---

[1] अधिसूचना संख्या एफ. (1) नियुक्ति क/६० ग्रुप ३ दिनांक १६-९-६० तथा ६.१.६१ द्वारा जोड़ा गया।

इन नियमों के अन्तर्गत अनुशासन प्राधिकारी ने आज्ञा जारी की हो, या (ii) जब कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई ऐसी आज्ञा जारी हुई हो जिसकी अपील की जा सकती हो या (iii) वह आज्ञा जो भूतपूर्व राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५० के अन्तर्गत जारी हुई हो या अपील योग्य थी। अपने कार्यक्षेत्र में राज्यपाल शास्ति का पुष्टिकरण करने, संशोधन करने निरस्त करने, कम करने या बढ़ाने अथवा मामले को वापिस भेजने अथवा जैसी उचित समझे वैसी आज्ञा प्रदान करने के लिये सक्षम है।

प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड—अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवसर—इस नियम के अन्तर्गत कोई भी आज्ञा जारी करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर राज्यपाल द्वारा दिया जाना चाहिये। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कर्मचारी को वाजिब समय दिया जाना चाहिये, परन्तु न गवाहों के बयान लिये जायेंगे न जांच की जायगी जब तक कि नियम १६ द्वारा निर्धारित तरीके से जांच नहीं की जा चुकी हो और प्राधिकारी कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहता हो। राज्यपाल, राज्य कर्मचारी को अपनी सम्मति सूचित करेंगे कि वह शास्ति क्या लागू करना अथवा बढ़ाना चाहते हैं और अभिवेदन प्रेषित करने के लिये अवसर प्रदान करते हुए नोटिस देंगे। उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को अपना दृष्टिकोण राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय की भी मांग है कि बिना सुनवाई किये कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई मामला नियम १६ के प्रावधानों में नहीं आता हो तो बिना इस नियम के प्रावधानों का पालन किये, राज्यपाल किसी राज्य कर्मचारी को पदच्युत अथवा सेवा से पृथक नहीं कर सकता। जब कि यह तर्क किया गया कि अन्य सार्वजनिक कर्मचारियों की तरह राज्यपाल के प्रसन्न रहते प्रार्थी पद धारण कर सकता था और जब कि राज्यपाल ने उसे पदच्युत कर दिया इसलिये वह कोई नोटिस आदि का अधिकारी नहीं था। न्यायालय ने इस वाद को ठुकरा दिया और निर्णय दिया कि यद्यपि राज्यपाल ने स्वयं ने बर्खास्त किया था फिर भी संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की अवहेलना करते हुए वह ऐसा कर नहीं सकता था।[1] समय समय पर न्यायालयों ने निर्णय दिये हैं कि शास्ति की किसी आज्ञा का संशोधन करने के लिये राज्यपाल को अनुच्छेद ११ (२) के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।[2] न्यायालय ने इस बात को भी मान्यता दी कि अनुच्छेद ३१० में उल्लिखित राज्यपाल की प्रसन्नता अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा प्रतिबन्धित है।[3] वास्तव में धींगरा के वाद में[4] सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यक्त किया है कि संविधान का अनुच्छेद ३११, अनुच्छेद ३१० का प्रतिबन्धात्मक खण्ड है। जब कि पुलिस के सहायक थानेदार को पुलिस अधीक्षक ने दंडित किया और राज्यपाल ने आज्ञा का संशोधन करते हुए शास्ति बढ़ा दी और प्रार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया, तो निर्णय हुआ कि नियमों के अन्तर्गत, प्रार्थी को शास्ति बढ़ाने एवं उसे बर्खास्त करने के लिये राज्यपाल सक्षम था।[5]

---

१ वेंकटेश्वर राव बनाम मद्रास राज्य ए आई आर १९५४ मद्रास १०४३

२ मुनीराम बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९५४ आसाम १८

३ एम ए वहीद बनाम सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर २२९

४ पुरुषोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय संघ, ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

५ कनकचन्द्र बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर. १९५५ आसाम २४०

(क) आज्ञा को पुष्ट, संशोधित अथवा निरस्त कर सकता है,

(ख) कोई शास्ति लागू कर सकता है, अथवा आज्ञा द्वारा दी गई शास्ति को निरस्त कर सकता है कम कर सकता है पुष्ट कर सकता है अथवा बढ़ा सकता है,

(ग) मामले की परिस्थितियों में जो वह वाजिब समझे वैसी आगे कार्यवाही या जांच करने के लिये आदेश देते हुए राज्यपाल मामले को वापिस उस प्राधिकारी के पास जिसने उक्त आज्ञा दी थी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के पास भेज सकता है, अथवा

(घ) ऐसी अन्य आज्ञा प्रदान कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

परन्तु यह कि—

(i) कोई शास्ति लागू करने या वर्धित करने की कोई आज्ञा जारी नहीं की जायगी जब तक कि इस प्रकार बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं न दिया गया हो।

(ii) यदि राज्यपाल किसी ऐसे मामले में नियम १४ के खंड (४) से (७) तक में निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू करना प्रस्तावित करे जिसमें नियम १६ के अन्तर्गत जांच नहीं हुई हो तो नियम १६ के प्रावधानों के अधीन रहते आदेश देगा कि इस प्रकार की जांच की जावे, एवं तत्पश्चात उस जांच की कार्यवाही पर विचार करने पर और सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी शास्ति के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा प्रदान करेगा।

नोट[1] —यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा (आर जे एस) के किसी सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध नियम १४ में निर्दिष्ट, सेवा से पृथक्करण या पदच्युति के अतिरिक्त कोई शास्ति की आज्ञा प्रशासनिक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश द्वारा जारी की गई हो अथवा जब कि कोई आज्ञा इस न्यायालय की समिति द्वारा अपील में जारी की गई हो।

टिप्पणी

यह नियम सभी सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक विषयों के मामलों में, पुनरावलोकन (नजरसानी) की शक्ति राज्यपाल को प्रदान करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल निजी इच्छा से अथवा अन्यथा अभिलेख मंगवाकर जांच कर सकता है। राज्यपाल की पुनरावलोकन करने की शक्ति निम्न लिखित मामलों में प्रयोग में लाई जा सकती है — (i) जब कि

१ अधिसूचना संख्या एफ ३ (१) नियुक्ति क/६० ग्रुप ३ दिनांक १६-९-६० एवं ६ १ ६१ द्वारा जोड़ा गया।

इन नियमों के अन्तर्गत अनुशासन प्राधिकारी ने आज्ञा जारी की हो, या (ii) जब कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई ऐसी आज्ञा जारी हुई हो जिसकी अपील की जा सकती हो या (iii) वह आज्ञा जो भतपूर्व राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५० के अन्तर्गत जारी हुई हो या अपील योग्य थी। अपने कार्यक्षेत्र में राज्यपाल शास्ति की पुष्टिकरण करने, संशोधन करने, निरस्त करने, कम करने या बढ़ाने अथवा मामले को वापिस भेजने अथवा जैसी उचित समझे वैसी आज्ञा प्रदान करने के लिये सक्षम है।

प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड—अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवसर—इस नियम के अन्तर्गत कोई भी आज्ञा जारी करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर राज्यपाल द्वारा दिया जाना चाहिये। लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कर्मचारी को वाजिब समय दिया जाना चाहिये, परन्तु न गवाहों के बयान लिये जायेंगे न जांच की जायगी जब तक कि नियम १६ द्वारा निर्धारित तरीके से जांच नहीं की जा चुकी हो और प्राधिकारी कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहता हो। राज्यपाल, राज्य कर्मचारी को अपनी सम्मति सूचित करेंगे कि वह शास्ति क्या लागू करना अथवा बढ़ाना चाहते हैं और अभिवेदन प्रेषित करने के लिये अवसर प्रदान करते हुए नोटिस देंगे। उद्देश्य यह है कि राज्य कर्मचारी को अपना दृष्टिकोण राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय की भी मांग है कि बिना सुनवाई किये कोई व्यक्ति दंडित नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई मामला नियम १६ के प्रावधानों में नहीं आता हो तो बिना इस नियम के प्रावधानों का पालन किये, राज्यपाल किसी राज्य कर्मचारी को पदच्युत अथवा सेवा से पृथक नहीं कर सकता। जब कि यह तर्क किया गया कि अन्य सार्वजनिक कर्मचारियों की तरह राज्यपाल के प्रसन्न रहते प्रार्थी पद धारण कर सकता था और जब कि राज्यपाल ने उसे पदच्युत कर दिया इसलिये वह कोई नोटिस आदि का अधिकारी नहीं था। न्यायालय ने इस वाद को ठुकरा दिया और निर्णय दिया कि यद्यपि राज्यपाल ने स्वयं ने बर्खास्त किया था फिर भी संविधान के अनुच्छेद ३११ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की अवहेलना करते हुए वह ऐसा कर नहीं सकता था।[1] समय समय पर न्यायालयों ने निर्णय दिये हैं कि शास्ति की किसी आज्ञा का संशोधन करने के लिये राज्यपाल को अनुच्छेद ३११ (२) के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।[2] न्यायालय ने इस बात को भी मान्यता दी कि अनुच्छेद ३१० में उल्लिखित राज्यपाल की प्रसन्नता अनुच्छेद ३११ (२) द्वारा प्रतिबन्धित है।[3] वास्तव में धींगरा के वाद में[4] सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यक्त किया है कि संविधान का अनुच्छेद ३११, अनुच्छेद ३१० का प्रतिबन्धात्मक खण्ड है। जब कि पुलिस के सहायक थानेदार को पुलिस अधीक्षक ने दंडित किया और राज्यपाल ने आज्ञा का संशोधन करते हुए शास्ति बढ़ा दी और प्रार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया, तो निर्णय हुआ कि नियमों के अन्तर्गत, प्रार्थी की शास्ति बढ़ाने एवं उसे बर्खास्त करने के लिये राज्यपाल सक्षम था।[5]

---

१ वेंकटेश्वर राव बनाम मद्रास राज्य ए आई आर १९५४ मद्रास १०४३

२ मुंशीराम बनाम पुलिस अधीक्षक ए आई आर १९५४ असम १८

३ एम ए वहीद बनाम सरकार ए आई आर १९५४ नागपुर २२६

४ पुरुषोत्तम लाल धींगरा बनाम भारतीय संघ ए आई आर. १९५८ सर्वोच्च न्यायालय ३६

५ कनकचन्द्र बनाम पुलिस अधीक्षक, ए आई आर. १९५५ असम २४०

क्या राज्यपाल नियम ३४ के अन्तर्गत पुनरावलोकन की शक्ति सरकार को प्रत्यायुक्त कर सकता है—राज्य कर्मचारी को दी गई शास्ति का नजरसानी (पुनरावलोकन) के विषय में प्रावधान इन नियमों के नियम ३२, ३३ एवं ३४ में उपलब्ध हैं। मोटे तौर से नियम ३२ उस अधीन प्राधिकारी से सम्बन्धित है जिसको राज्य कर्मचारी को दी गई शास्ति पर पुनरावलोकन के अधिकार हैं। नियम ३३ राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में दी गई आज्ञाओं का सरकार द्वारा पुनरावलोकन करने से सम्बन्धित है। नियम ३४ समस्त सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध जारी की गई आज्ञाओं पर राज्यपाल द्वारा पुनरावलोकन करने के विषय में है। नियम ३४ द्वारा प्रदत्त शक्ति राज्यपाल अपने स्वविवेक से प्रयोग में ला सकता है। नियम स्वयं ही सरकार की शक्ति एवं राज्यपाल की शक्ति में विभिन्नता स्पष्ट करते हैं। कोई भी कार्य जो राज्यपाल को संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत निजी स्वविवेक में करने हैं वे केवल वह स्वयं कर सकता है। इस प्रकार इन नियमों के नियम ३४ द्वारा प्रदत्त शक्ति केवल राज्यपाल प्रयोग में ला सकता है। यह शक्ति सरकार राज्यपाल के प्रत्यायुक्त (डेलीगेट) के स्वरूप में प्रयोग नहीं कर सकती। जब कि राज्यपाल ने प्रार्थी को कोई अवसर प्रदान नहीं किया और वास्तव में नियम ३४ के अन्तर्गत अवसर सरकार ने दिया था तो यह निर्णय हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई आज्ञा स्पष्टतया बिना अधिकार के थी।[1] उच्च न्यायालय ने आज्ञा खारिज करते हुए व्यक्त किया कि नियम ३४ के अन्तर्गत पुनरावलोकन के अधिकार केवल राज्यपाल को हैं।

१ ओम्प्रकाश बनाम पुलिस अधीक्षक ए० आई० आर० १९६३ राजस्थान ८१८

भाग ८

विविध एवं अस्थायी

३५ निरसन एवं व्यावृत्ति,—(१) राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५० और उनके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें और आज्ञाएं, जिस सीमा तक वे उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जिन पर ये नियम लागू होते हैं और जहां तक कि वे अनुसूची में निर्दिष्ट असैनिक सेवाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित हैं, अथवा नियुक्तियां करने, शास्तियां लागू करने और अपील सुनने की शक्तियां प्रदान करते है, इन नियमों द्वारा निरस्त किये जाते हैं

परन्तु यह कि—

(क) ऐसा निरसन, उन नियमों, अधिसूचनाओं एवं आज्ञाओं और उनके अन्तर्गत की गई तत्कालिक कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं रखेगा,

(ख) कथित नियमों, अधिसूचनाओं अथवा आज्ञाओं के अन्तर्गत कोई कार्यवाहियां, जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय चालू हों, वे जारी रखी जायेंगी और यथा सम्भव, इन नियमों के अनुसार निपटाई जायेंगी।

(२) इन नियमों की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जिन पर ये नियम लागू होते हैं अपील करने के किसी अधिकार से वंचित करने का प्रभाव नहीं रखेगी जो उसको इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले उप-नियम (१) द्वारा निरस्त किये गये नियमों अधिसूचनाओं या आज्ञाओं के अन्तर्गत प्राप्त हो चुके थे।

(३) इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील ऐसे प्रारम्भ होने के समय पर या उसके पश्चात प्रेषित की गई हो तो उस पर इन नियमों के अनुसार विचार होगा एवं आज्ञा प्रदान की जावेगी।

टिप्पणी

इस नियम के उप-नियम (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित का निरसन (उन्मूलन) किया गया है —

(१) राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम १९५०,

(२) राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम १९५० के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

(३) राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५० के अन्तर्गत दी गई आज्ञाएं।

इन नियमों, अधिसूचनाओं तथा आज्ञाओं का निरस्तीकरण केवल उस सीमा तक है जिस सीमा तक वे उन व्यक्तियों पर लागू हैं जिन पर कि ये नये नियम लागू होते हैं और वह भी सेवाओं के वर्गीकरण, नियुक्तियों, शास्तियों तथा अपीलों के मामलों के विषय में। उपरोक्त नियमों, अधिसूचनाओं तथा आज्ञाओं को निरस्त करने के पश्चात् उप नियम (१) में आगे प्रतिबन्धात्मक वाक्य-खंड में पुराने नियमों, अधिसूचनाओं और आज्ञाओं आदि के भूतपूर्व प्रभाव की रक्षा की गई है, ताकि पुराने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई या ऐसी समझी जाने वाली बातें व कार्यवाहियां मान्य एवं वैध होना माना जाए। ऐसी कार्यवाही जो इन नये नियमों के प्रारम्भ होने के समय चालू थी वह इन नये नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जायेगी। पुरानी अधिसूचनाओं या आज्ञाओं से तात्पर्य उन सब अधिसूचनाओं, आज्ञाओं आदि से है जो इनमें के नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी हुई थी। इनमें वे आज्ञाएं सम्मिलित नहीं हैं जो पिछले नियमों के अधिकार से बाहर होने के कारण दूषित थीं। वह व्यक्ति, जो अनुशासन प्राधिकारी द्वारा, अपने से अधिक अधिकारों पुराने नियमों के निरसन की तारीख तक नियुक्त किया जा रहा था वह इन नये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत, इस नियम के आधार पर यथावत् से नियुक्त हुआ माना जावेगा।

अपील का अधिकार—उप नियम (२) निर्धारित करता है कि यदि कोई आज्ञा इन नये नियमों के प्रारम्भ होने से पहले जारी हुई थी या पुराने नियमों के अन्तर्गत किये गये दावा राज्य कर्मचारी का अपील करने का अधिकार उपलब्ध होना जारी रहेगा। निरस्त किये गये नियमों द्वारा प्रदत्त कोई इस प्रकार के अधिकार में कमी व वंचित नहीं किया जायगा। परन्तु उप नियम (२) के अन्तर्गत, इस प्रकार की अपील पर विचार एवं आज्ञा इन नये नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी। उप नियम (२) में ऐसा संशोधन दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ को हुआ था। एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या ऐसा संशोधन भविष्य के लिए है या भूतकालिक प्रभावशील है। पुराने नियमों में ऐसे किसी कथन का कोई अधिकार नहीं था, परन्तु अब ऐसा नवीन अपील अधिकार का नियम २० द्वारा प्रदत्त हुआ है। जब कि राजस्थान सरकार ने प्रार्थी का प्रत्यावर्तन करने एवं तीन वर्षों तक उच्चतर पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के अवसर मिलने पर रोक लगाने की आज्ञा जारी की। उसने अपील प्रस्तुत की थी जो लगभग दो वर्षों तक अनिर्णीत रही। राज्य सरकार ने अन्तत प्रार्थी का बयान दर्ज किया। यह निर्णय हुआ कि सन् १९५८ के नियमों के नियम २५ के उप-नियम (२) में जो संशोधन हुआ है उसका प्रभाव आगामी (भविष्य) काल का है। प्रार्थी को सजा वर्धित करने में सरकार ने ऐसी त्रुटी की है जो अभिलेख में प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है।[1] इसका अर्थ इस प्रकार से लगाना न्यायोचित नहीं होगा कि अपील प्राधिकारी को पहले से विचाराधीन अपील पर इन नियमों के नियम ३० में निर्धारित तरीका अपना कर शास्ति वर्धित करने का अधिकार दिया गया था।

---

१ मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार, आई एल आर (१९६१) ११ राजस्थान ७८३, ए आई आर. १९५७ सर्वोच्च न्यायालय ५४० एवं आई आर १९३२ प्रिवी कौंसिल १६५ आई एल आर (१९५९) ९ राजस्थान ६२९ एवं (१९८६) ३२ सी एच डी ४०२ का हवाला दिया गया।

२३ रिक्यी विधिबोधक (लीगल रिमेम्बेंसर)

२४ सन्स्य प्रायोगिक न्यायाधिकरण।

२५ रजिस्ट्रार (पंजीयक) सहकारी समितियां।

२६ बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) आयुक्त।

२७ सचालक यातायात।

२८ सचालक मुद्रण एव लेखन सामग्री (आर ए एस अधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से)।

२९ अतिरिक्त सचालक, शिक्षा।

३० सचालक तकनीकी शिक्षा।

३१ सचालक, बीमा।

३२ देवस्थान आयुक्त।

३३ सचालक भूखण्ड एकीकरण (चकबन्दी) विभाग।

३४ प्रधानाचार्य [1] अधिकारीगण प्रशिक्षण विद्यालय।

३५ मुख्य लेखाधिकारी चम्बल परियोजना।

३६ सचालक पशु-चिकित्सा एव पशु-पालन।

३७ अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मडल।

३८ अध्यक्ष पाठ्य-पुस्तक निर्धारण मडल।

३९ [2] अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक भ्रष्टाचार विरोधी विभाग।

४० मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना।

४१ द्वितीय मुख्य अभियन्ता सिचाई।

४२ सचालक नियोजन (सेवा योजन)।

४३ [3] सहायता आयुक्त (रिलीफ कमीश्नर)।

४४ सचालक अल्प बचत।

४५ सचालक उपनिवेशन हनुमानगढ।

४६ [4] विशेष कार्याधिकारी गृह (यातायात) विभाग भूतपूर्व राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के राज्य कर्मचारियों द्वारा अथवा राजस्थान राज्य परिवहन निगम म प्रतिनियुक्ति पर काय करते समय किये गये कर्मों अथवा भूल चूक के विषय म अनुशासन कार्यवाहियों के सम्बन्ध म-जो चालू हो अथवा अब चालू की जावें।

४७ [5] आयुक्त विभागीय जांच।

४८ अतिरिक्त आयुक्त कर एव पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्यकर प्रशिक्षण विद्यालय।

४९ सचालक भेड व ऊन।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III, दिनांक २०-५-६२ द्वारा जोड़ा गया।

२ "विशेष महानिरीक्षक पुलिस" के स्थान पर लिखा गया, अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनाक २०-३-६२ द्वारा।

३ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) ६२ दिनाक २०-८-६२ द्वारा जोड़ा गया।

४ क्रमाक ४६ 'जनरल मनेजर राजस्थान राज्य परिवहन' के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक ५-४-६७ (७-११-६६ से प्रभावशील हुआ)।

५ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) ६३ ग्रुप III दिनाक २७-४-६४ द्वारा जोड़ा गया और जो दिनांक ४-१-६० से प्रभावशील हुआ।

अनुसूची (क)

(१) विभागाध्यक्षों की सूचि (प्रथम श्रेणी)

१ महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)।
२ अध्यक्ष, राजस्व मंडल।
३ मुख्य संरक्षक वन विभाग।
४[1] नाम काट दिया गया।
५ मुख्य अभियन्ता भवन एवं पथ।
६ मुख्य अभियन्ता सिंचाई।
७[2] आयुक्त वाणिज्य कर राजस्थान।
८[3] संचालक उद्योग एवं पूर्ति।
९ मुख्य चुनाव अधिकारी (स्थायी)।
१० मुख्य शासन सचिव राजस्थान सरकार।
११[4] आयुक्त आबकारी विभाग राजस्थान।
१२ संचालक शिक्षा विभाग।
१३ संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
१४ संचालक खनिज एवं भू-गर्भ विभाग।
१५ कृषि संचालक एवं खाद्य आयुक्त राजस्थान।
१६[5] संयुक्त विकास आयुक्त।
१७ विकास आयुक्त तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव।
१८ आरक्षी (पुलिस) महा निरीक्षक।
१९ महा निरीक्षक कारागार (जेल विभाग)।
२० महा निरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प।
२१ जागीर आयुक्त।
२२ श्रम आयुक्त।

---

१ मुख्य अभियन्ता विद्युत (यांत्रिक विभाग का नाम काट दिया गया अधिसूचना क्रमांक एफ (१) नियुक्ति (ए III) दिनांक १२-४-६३ द्वारा।
२ आयुक्त आबकारी एवं कर राजस्थान के स्थान पर लिखा गया अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१६) ए ए /६४ दिनांक ८-६४ द्वारा।
३ उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त के स्थान पर लिखा गया अधिसूचना क्रमांक २ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनांक २०- २ द्वारा।
४ अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर कृषि आयकर, राजस्थान के स्थान पर लिखा गया अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१६) नियुक्ति (ए) ६४ दिनांक १९-८-६४ द्वारा।
५ उप विकास आयुक्त (वरिष्ठ) के स्थान पर लिखा गया अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनांक २०-२- द्वारा।

२३ रिक्थी विधिबोधक (लीगल रिमेम्ब्रेंसर)

२४ सम्भग प्रादेशिक न्यायाधिकरण।

२५ रजिस्ट्रार (पञ्जीयक) सहकारी समितियां।

२६ बन्दोबस्त (सेटलमन्ट) आयुक्त।

२७ सचालक यातायात।

२८ सचालक मुद्रण एव लेखन सामग्री (आर ए एम अधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से)।

२९ अतिरिक्त सचालक शिक्षा।

३० सचालक तकनीकी शिक्षा।

३१ सचालक, बीमा।

३२ देवस्थान आयुक्त।

३३ सचालक भूखड एकीकरण (चकबन्दी) विभाग।

३४ प्रधानाचार्य [1] अधिकारीगण प्रशिक्षण विद्यालय।

३५ मुख्य लेखाधिकारी चम्बल परियोजना।

३६ सचालक पशु-चिकित्सा एव पशु-पालन।

३७ अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मडल।

३८ अध्यक्ष पाठ्य-पुस्तक निर्धारण मडल।

३९ [2] अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग।

४० मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना।

४१ द्वितीय मुख्य अभियन्ता सिंचाई।

४२ सचालक नियोजन (सेवा योजन)।

४३ [3] सहायता आयुक्त (रिलीफ कमीश्नर)।

४४ सचालक अल्प बचत।

४५ सचालक उपनिवेशन हनुमानगढ।

४६ [4] विशेष कार्याधिकारी गृह (यातायात) विभाग, भूतपूर्व राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के राज्य कर्मचारियों द्वारा अथवा राजस्थान राज्य परिवहन निगम में प्रति नियुक्ति पर कार्य करते समय किये गये कर्मों अथवा भूल चूक के विषय में अनुशासन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में-जो चालू हों अथवा अब चालू की जावें।

४७ [5] आयुक्त विभागीय जांच।

४८ अतिरिक्त आयुक्त कर एव पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्यकर प्रशिक्षण विद्यालय।

४९ सचालक भेड व ऊन।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III, दिनांक २०-३-६२ द्वारा जोडा गया।

२ "विशेष महानिरीक्षक पुलिस" के स्थान पर लिखा गया, अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनांक २०-३-६२ द्वारा।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक २०-८-६२ द्वारा जोडा गया।

४ क्रमांक ४६ 'जनरल मनेजर राजस्थान राज्य परिवहन' के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक ५-४-६७ (७-११-६६ से प्रभावशील हुआ)।

५ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) ६३ ग्रुप III दिनांक २७-४-६४ द्वारा जोडा गया और जो दिनांक ४-१-६० से प्रभावशील हुआ।

(२) विभागाध्यक्षों की सूचि (प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त)

१ अतिरिक्त आबकारी आयुक्त।
२[1] संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
३[2] संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय।
४[3] नाम काटा गया।
५ संचालक आयुर्वेदिक एवं यूनानी विधियों का पुनर्गठन।
६ सक्षम पदाधिकारी (निष्क्रांत सम्पत्ति) (इवक्यूई प्रापर्टी) संस्थापन।
७[4] नाम काटा गया।
८ जिलों के जिलाधीशगण।
९[5] पदाधिकारी समाहित, एन सी सी डुवजिये।
१० संचालक आयुर्वेद।
११ संचालक स्थानीय संस्थायें।
१२ संचालक, जन सम्पर्क।
१३ संचालक समाज कल्याण विभाग।
१४[6] नाम काटा गया।
१५ जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण।
१६ रजिस्ट्रार स्थानीय बोर्ड तथा परीक्षा विभाग।
१७ पुरातत्व मन्दिर का अध्यक्ष।
१८ व्यवस्थापक आयुर्वेदिक फार्मेसी।
१९ प्रधानाचार्यगण डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय।
२० प्रधानाचार्य पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर (बांगर)।
२१ प्रधानाचार्य मगनीराम बांगड़ मेमोरियल, इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर।
२२ रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय।
२३ सचिव नगर सुधार कार्यालय।
२४ विशेषाधिकारी नगर सुधार एवं राज्य शासन सचिव।
२५ सचिव, लोक सेवा आयोग।

---

१ 'मुख्य सांख्यिकी अधिकारी' के स्थान पर लिखा गया अधिसूचना संख्या एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनांक २०- -६२ द्वारा।
२ मुख्य अधीक्षक के स्थान पर लिखा गया " " " "
३ मुख्य अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री काटा गया " " "
४ मुख्य पंचायत अधिकारी काटा गया " " " " "
५ समादेष्टा एन सी सी के स्थान पर लिखा गया देखिये अधिसूचना संख्या एफ ३ (१८) नियुक्ति ए III/६२ दिनांक १० ९ ६२
६ 'संचालक, उपनिवेशन, हनुमानगढ़' काटा गया देखिये अधिसूचना संख्या एफ ३ (१२) नियुक्ति (ए) III/६२, दिनांक १ ८ ६२

२६[1] उप सचालक भेड एव ऊन ।
२७[2] नाम काटा गया
२८ अधीक्षक, आयुर्वेद अध्ययन ।
२९ प्रधानाचाय, पशु चिकित्सा महा विद्यालय बीकानेर ।
३० प्रधानाचाय, एस के एन कृषि महाविद्यालय, जोबनेर ।
३१[3] राजकीय विद्युत निरीक्षक वित्त विभागीय आदेश क्रमाक आई डी ७२१९/५८/एफ (५) एफ डी (ए) आर/५८ दिनाक २२ १ ५९ म उल्लिखित मदो के लिये ।
३२[4] नाम काटा गया ।
३३ राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर का विशष कार्याधिकारी प्रधानाचाय पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानर के अनुसार, जब तक कि महाविद्यालय म कोई प्रधानाचाय काय ग्रहण न करले ।
३४ विशष शिक्षा नियोजन अधिकारी निम्नलिखित योजनाओ के सम्बध म —
(क) बहुउद्देशीय एव उच्चतर माध्यमिक शालाए
(ख) केन्द्रीय मड एव जिला पुस्तकालय
(ग) सामाजिक शिक्षा ।
३५ राजस्थान के महाविद्यालयो के लिये विशेष कार्याधिकारी ।
३६[5] उप उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर योजना बीकानेर ।
३७ उपनिवेशन आयुक्त चम्बल परियोजना कोटा ।
३८[7] काटा गया ।
३९ उप शासन सचिव, नियुक्ति ईकाई अभिलेख अधिकारी के सम्बन्ध में ।
४० वक्फ आयुक्त ।
४१ सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मडल ।

---

१ भेड एव ऊन विकास अधिकारी के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए/६१ दिनाक २० ३ ६२
२ अधीक्षक गजेटियर का नाम काटा गया देखिये, अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए/६१ दि० २० ३ ६२ ।
३ इन्द्राज न० ६१ के स्थान पर लिखा गया देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्ति ए ııı)/६७ दि० १२ ४ ६७ ।
४ सचालक सहायता विभाग काटा गया देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ııı/६१ दि० २० ३-६२ ।
५ उपनिवेशन अधिकारी राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर' के स्थान पर लिखा गया देखिये अधिसूचना एफ ३ (१८)'नियुक्ति एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ııı/६१ दिनाक २० ३ ६२ ।
६ 'उपनिवेशन अधिकारी, चम्बल परियोजना कोटा' के स्थान पर लिखा गया, देखिए अधिसूचना एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ııı/६१ दिनाक २०—३—६२ ।
७ शब्द सचिव राजस्व मडल (भू अभिलेख) काट गये केवल पशु गणना कार्यवाहियो के लिये, देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ııı/६१ दि० २० ३ ६२ ।

४२ प्रधानाचार्य, बहुतकनीकी, (पालीटेक्नीक्स)।
४ प्रधानाचार्य अतिरिक्त प्रसारण प्रशिक्षण केन्द्र सुमेरपुर।
४४ संचालक, सहायता एवं पुनः सस्थापन।
४५ संचालक संस्कृत शिक्षा दि० २० ३-५८ से।
४६ संचालक आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण।
४७ [1] संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग।
४८ [2] अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्य कर एवं पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्य कर प्रशिक्षण विद्यालय।
४९ [3] प्रभार अभियन्ता एवं सचिव भूमिगत जल मंडल।

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ७ (१४) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक १२—८—६२ द्वारा सम्मिलित।
२ अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २२—८—६५ द्वारा जोड़ा गया।
अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१) नियुक्ति (ए) III/६७ दिनांक ५—८—६७ द्वारा जोड़ा गया
३ दिनांक १—४—६३ से प्रभावशील हुआ।

लेखक वर्गीय सेवाओ एव चतुर्थ श्रेणी सेवाओ से सबद्ध कार्यालयाध्यक्ष जो असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियमो के भाग तृतीय तथा नियम १५ (१) मे निर्दिष्ट शक्तियो का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं।

विभाग	कार्यालय	चतुर्थ श्रेणी सेवाए		लेखक वर्गीय सेवाए	
		कार्यालयाध्यक्ष	उच्चतर प्राधिकारी निकटतम	कार्यालयाध्यक्ष	निकटतम उच्चतर प्राधिकारी
१	२	३	४	५	६
१ कृषि	मुख्यालय कार्यालय	उप सचालक (शस्य पालन) (क्रोपहजबेंडरी)	सचालक	उप सचालक शस्य पालन	सचालक
(क) शस्य पालन (क्रोप हजबेंडरी)	जिला कृषि अधिकारी	जिला कृषि अधिकारी	उप-सचालक (शस्य पालन)	जिला कृषि अधिकारी	उप-सचालक (शस्य पालन)
	फार्म	फार्म मनजर	सबधित उप सचालक	सबधित उप सचालक	सचालक
	कृषि विद्यालय	प्रधानाचार्य	"	प्रधानाचार्य	सबधित उप सचालक
(ख) पशु धन	उप सचालक का कार्यालय	उप सचालक (पशुधन)	सचालक	उप सचालक (पशु धन)	सचालक
	पशुपालन अधिकारी का कार्यालय	पशुपालन अधिकारी	"	"	"
	डेयरी विकास शाखा	डेयरी विकास अधिकारी	"	"	"
	पशु प्रजनन फार्म	प्रभारी अधीक्षक	"		"
	पक्षी पालन (फार्म पोल्ट्री)	प्रभारी अधिकारी	"	"	"
	गोशाला विकास शाखा	गोशाला विकास अधिकारी	"	"	"

१	२	३	४	५	६
(ग) पशु चिकित्सा	पशुधन विकास शाखा मुख्य शासन	पशुधन विकास अधिकारी प्रभारी [illegible] (सुपरवाईजर)	उप निदेशक (पशुधन)	उप निदेशक (पशुधन)	निदेशक
	उप निदेशक का कार्यालय क्षेत्रीय (रोजगार) कार्यालय	उप निदेशक (पशु चिकित्सा)	निदेशक	,,	,,
	(क) जयपुर (ख) जोधपुर	सम्बन्धित क्षेत्रीय (रोजगार) अधिकारी (द्वितीय श्रेणी अधिकारी)	उप निदेशक पशु चिकित्सा	उप निदेशक (पशु चिकित्सा) सम्बन्धित क्षेत्रीय (रोजगार) अधिकारी (द्वितीय श्रेणी अधिकारी)	निदेशक उप निदेशक (पशु चिकित्सा)
	पशु चिकित्सालय अस्पताल अथवा डिस्पेन्सरी	प्रभारी पशु चिकित्सा डाक्टर	क्षेत्रीय अधिकारी (द्वितीय श्रेणी अधिकारी) जो सम्बन्धित हो।	,,	,,
उड्डयन (विमान विभाग)	क्षेत्रीय कार्यालय कोष का कार्यालय	भूमि अभियन्ता भूमि अभियन्ता कोष	मुख्य विमान चालक	भूमि अभियन्ता भूमि अभियन्ता कोष	मुख्य विमान चालक
आयुर्वेद	मुख्यालय आयुर्वेद विभाग	उप निदेशक आयुर्वेद विभाग	निदेशक आयुर्वेद विभाग	निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग	राज्य का शासन सचिव
	महाविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्था	प्रधानाचार्य	,,	प्रधानाचार्य	निदेशक
	औषधि भण्डार (कारखाना) औषधालय [illegible] [illegible]	प्रभारी [illegible] प्रभारी [illegible] प्रभारी [illegible]	व्यवस्थापक उप निदेशक आयुर्वेद विभाग	व्यवस्थापक प्रभारी [illegible]	,,

	औषधालय की एक ही श्रेणी यूनानी दवाखाना की एवं सी श्रेणी	निरीक्षक	उप संचालक, आयुर्वेदिक विभाग	निरीक्षक	संचालक
४ पुरातत्व एवं संग्रहालय	केन्द्रीय कार्यालय	मुख्य अधीक्षक	राज्य का शासन सचिव	मुख्य अधीक्षक	राज्य का शासन सचिव
	सकल कार्यालय	अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक
	प्रबन्धकर्त्ता के अधीन संग्रहालय	प्रबन्धकर्त्ता (क्यूरेटर)	सम्बधित सकल का अधीक्षक	प्रबन्धकर्त्ता (क्यूरेटर)	सम्बधित सकल का अधीक्षक
	संरक्षक (कस्टोडियन) के अधीन संग्रहालय	संरक्षक (कस्टोडियन)	सम्बधित सकल का अधीक्षक	सम्बधित सर्कल का अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक
	ज्योतिष वेधशाला (जन्तर मन्तर), जयपुर	पर्यवेक्षक	मुख्य अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	राज्य का शासन सचिव
५ जनगणना विभाग	केन्द्रीय कार्यालय	अधीक्षक	राज्य का शासन सचिव	अधीक्षक	,,
	उप अधीक्षक का कार्यालय	उप अधीक्षक	अधीक्षक	उप अधीक्षक	अधीक्षक
६ सर्किट हाउसेज (विश्रामालय)	[1]राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर	अधीक्षक	जी ए डी म राज्य का शासन सचिव	अधीक्षक	जी ए डी म राज्य का शासन सचिव
	सर्किट हाउस उदयपुर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर	व्यवस्थापक	सम्बधित जिलाधीश	व्यवस्थापक	[2]सम्बधित जिलाधीश
	सर्किट हाउस, भरतपुर, बून्दी, माउंट आबू	व्यवस्थापक	,, ,,	,,	,,

१ अधिसूचना संख्या एफ १६ (५) नियुक्ति ए/५६ दिनांक २८-७-५६ द्वारा लिखा गया।
२ शब्द '... ' के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ७ (१६) नियुक्ति (ए III)/६१ दिनांक ७-६-६२।

		४	५	६
दिल्ली	व्यवस्थापक	जी ए डी में राज्य का शासन सचिव	व्यवस्थापक	जी ए डी में राज्य का शासन सचिव
	अतिरिक्त आयुक्त विभागीय	खाद्य आयुक्त	अतिरिक्त आयुक्त	खाद्य आयुक्त
		,, ,	जिलाधीश	,, ,
		पंजीयक जो ... म प्रशासन ...गु हो।	[3]उप-पंजीयक जो मुख्य कार्यालय मे प्रशासन का प्रभार रखता हो।	पंजीयक (रजिस्ट्रार)
		पंजीयक	सहायक पंजीयक	सम्बंधित उप-पंजीयक
		,,	शिक्षा अधिकारी	,, ,,
	जीयक	,,	प्रचार अधिकारी	, ,
		,,	सहायक पंजीयक	,, ,

[1] आयुक्त काट गये, देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ १० (५) नियुक्ति I II/६५ दिनांक ४-२ ६६ द्वारा 'नागरिक रसद विभाग' के स्थान पर लिखा गया।

[illegible] नोट क्रमांक एफ ३ (४) नियुक्ति (ए-III)/दिनांक ५-४-६६।

६ (क) वाणिज्य [1]कर	मुख्य कार्यालय	प्रशासन अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त	प्रशासन अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त
	उप-आयुक्त (प्रशासन) का कार्यालय	उप-आयुक्त (प्रशासन)	" "	उप-आयुक्त (प्रशासन	" "
	[2]उपायुक्त (अपील) का कार्यालय	उपायुक्त (अपील)	अतिरिक्त आयुक्त	उपायुक्त (अपील)	" "
	वाणिज्य कर अधिकारीगण एवं सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण के कार्यालय	वाणिज्य कर अधिकारीगण /सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण जिनके कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी के मुख्यालय पर न हो।	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारीगण	उपायुक्त (प्रशासन)
	वाणिज्य कर प्रशिक्षण स्कूल	उप प्रधानाचार्य	अतिरिक्त आयुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)	उप-प्रधानाचार्य	अतिरिक्त आयुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)
	जांच चौकियें (चेक पोस्टस)	वाणिज्य कर अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन)
	उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वेडस)	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एफ)	" "	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एफ)	" "

१ प्रविष्टि क्रमांक ६ के स्थान पर लिखे गये जरिये आधे सूचना क्रमांक एफ ३ (१५) नियुक्ति (ए) III/६४ दिः २४-१-६४

"आबकारी कर"	मुख्यालय कार्यालय	सहायक आयुक्त (प्रशासन)	उपायुक्त (प्रशासन)	उपायुक्त (प्रशासन)	आयुक्त
	डिवीजनल कार्यालय	डिवीजन कार्यालय का सहायक आयुक्त	डिवीजन का उपायुक्त	डिवीजन का सहायक आयुक्त	डिवीजन का उपायुक्त
	जिला कार्यालय				
	सर्कल कार्यालय	जिले का सहायक आयुक्त	" "	जिले का सहायक आयुक्त	" "
	थाने एवं चौकियें	" "	" "	" "	" "
	कृषि आयकर अधिकारी का कार्यालय	कृषि आयकर अधिकारी	आयुक्त	कृषि आयकर अधिकारी	आयुक्त

२ नियुक्ति III क्रमांक एफ ३ (१५) नियुक्ति A/III/६४ दिनांक २४-७-६४ द्वारा लिखा गया।

१	२	३	४	५	६
	बीकानेर हाउस नई दिल्ली [1]काट दिया गया।	व्यवस्थापक	जी ए डी में राज्य का शासन सचिव	व्यवस्थापक	जी ए डी में राज्य का शासन सचिव
७ [2]खाद्य पूर्ति	मुख्य कार्यालय	अतिरिक्त आयुक्त	खाद्य आयुक्त	अतिरिक्त आयुक्त	खाद्य आयुक्त
	जिला पूर्ति कार्यालय	जिलाधीश	” ”	जिलाधीश	” ”
८ सहकारी	केन्द्रीय कार्यालय	मुख्य कार्यालय में सहायक पंजीयक	[3]उप-पंजीयक जो कार्यालय में प्रशासन प्रभार रखता हो।	[3]उप-पंजीयक जो मुख्य कार्यालय में प्रशासन का प्रभार रखता हो।	पंजीयक (रजिस्ट्रार)
	सहायक पंजीयक का कार्यालय	सहायक पंजीयक	सम्बंधित उप पंजीयक	सहायक पंजीयक	सम्बंधित उप-पंजीयक
	शिक्षा अधिकारी का कार्यालय	शिक्षा अधिकारी	” ”	शिक्षा अधिकारी	” ”
	प्रचार कार्यालय	प्रचार अधिकारी	” ”	प्रचार अधिकारी	” ”
	निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों एवं लेखा परीक्षकों का कर्मचारी वर्ग	सहायक पंजीयक	”	सहायक पंजीयक	” ”

१ प्रविष्टि क्रमांक ६ के नीचे ' मध्य सर्किट हाउसेज जिलाधीश आयुक्त, जिलाधीश आयुक्त काटे गये देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ १, (५) नियुक्ति (ए)/५६ दिनांक २४-७-५६।

अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२१) नियुक्ति (ए I II/६४ दिनांक ४ २ ६६ द्वारा नागरिक रसद विभाग के स्थान पर लिखा गया।

शब्द "उप-पंजीयक (प्रसार) ' के स्थान पर लिया गया। देखिये नोट क्रमांक एफ ३ (४) नियुक्ति (ए-III)/दिनांक ५-४-६६।

६ (क) वाणिज्य [1]कर	मुख्य कार्यालय	प्रशासन अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त	प्रशासन अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त
	उप-आयुक्त (प्रशासन) का कार्यालय	उप-आयुक्त (प्रशासन)	,, ,,	उप-आयुक्त (प्रशासन	,, ,,
	[2]उपायुक्त (अपील) का कार्यालय	उपायुक्त (अपील)	अतिरिक्त आयुक्त	उपायुक्त (अपील)	,, ,,
	वाणिज्य कर अधिकारीगण एवं सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण के कार्यालय	वाणिज्य कर अधिकारीगण /सहायक वाणिज्यकर अधिकारीगण जिनके कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी के मुख्यालय पर न हो।	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारीगण	उपायुक्त (प्रशासन)
	वाणिज्य कर प्रशिक्षण स्कूल	उप-प्रधानाचार्य	अतिरिक्त आयुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)	उप-प्रधानाचार्य	अतिरिक्त आयुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)
	जांच चौकियें (चेक पोस्टस)	वाणिज्य [redacted] अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन)
	उडन दस्ते (फ्लाइंग स्क्वेडस)	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एफ)	,, ,,	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (पी एफ)	,, ,,

१ प्रविष्टि क्रमांक ६ के स्थान पर लिखे गये जरिये आधे सूचना क्रमांक एफ ३ (१५) नियुक्ति (ए) III/६४ दि: २४-[illegible]-६४

"आबकारी कर	मुख्यालय कार्यालय	सहायक आयुक्त (प्रशासन)	उपायुक्त (प्रशासन)	उपायुक्त (प्रशासन)	आयुक्त
	डिवीजनल कार्यालय	डिवीजन कार्यालय या सहायक आयुक्त	डिवीजन का उपायुक्त	डिवीजन का सहायक आयुक्त	डिवीजन का उपायुक्त
	जिला कार्यालय				
	सर्कल कार्यालय	जिले का सहायक आयुक्त	,, ,,	जिले का सहायक आयुक्त	,, ,,
	थाने एवं चौकियें	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
	कृषि आयकर अधिकारी का कार्यालय	कृषि आयकर अधिकारी	आयुक्त	कृषि आयकर अधिकारी	आयुक्त

२ नियुक्ति III क्रमांक एफ-३ (१५) नियुक्ति A/III/ ६४ दिनांक २४-७-६४ द्वारा लिखा गया।

१	२	३	४	५	६
(ख) आबकारी विभाग	मुख्य कार्यालय	प्रशासन अधिकारी	आयुक्त	प्रशासन अधिकारी	आयुक्त
	उपायुक्त (आबकारी) का कार्यालय	उपायुक्त आबकारी	"	उपायुक्त (आबकारी)	,,
	उपायुक्त (प्रिवेंटिव) का कार्यालय	उपायुक्त (प्रिवेंटिव)	,,	उपायुक्त (प्रिवेंटिव)	,,
	जिला आबकारी अधिकारी का कार्यालय	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (आबकारी)	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (आबकारी)
	सहायक आबकारी अधिकारी का कार्यालय	सहायक आबकारी अधिकारी (जिनके मुख्यालय जिला आबकारी अधिकारी के मुख्यालय पर न हो)	,, ,,	,,	" "
	सहायक आबकारी अधिकारीगण (पी एफ) जिला आबकारी अधिकारी पी एफ के कार्यालय	सहायक आबकारी अधिकारीगण (पी एफ) जिला आबकारी अधिकारी पी एफ	उपायुक्त (प्रिवेंटिव फोर्स)	सहायक आबकारी अधिकारीगण (पी एफ) जिला आबकारी अधिकारी (पी एफ)	उपायुक्त (पी एफ)
धर्मा	मुख्यालय कार्यालय	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक
	सहायक अधीक्षक एवं उसके क्षेत्र (क्षेत्र) में निरीक्षक कर्मचारीगण	,, ,,	"	" ,,	,,
क्षा	संचालक का कार्यालय	सहायक संचालक	उप-संचालक रेंज	सहायक संचालक	संचालक शिक्षा
	उप संचालक	उप निरीक्षक	,, "	उप संचालक रेन्ज	" ,,
	निरीक्षक एवं निरीक्षिका का कार्यालय	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	,, ,,	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	उप-संचालक रेंज

नोट — इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारीगण निरीक्षकों की श्रेणी में सम्मिलित है —

(१) संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक।

(२) प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी।

(३) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं।

उप निरीक्षक अथवा उप निरीक्षिका का कार्यालय	उप निरीक्षक अथवा उप निरीक्षिका	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	उप निरीक्षक अथवा उप निरीक्षिका	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका

नोट — इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारीगण उप निरीक्षकों की श्रेणी में सम्मिलित हैं —

(१) संगठन सचिव, बालचर संघ (बॉय स्काउट्स् एसोसियेशन)

(२) अधीक्षक शारीरिक शिक्षा।

(३) पर्यवेक्षक बुनियादी शिक्षा।

उप प्रतिनिरीक्षक का कार्यालय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय, कानून का महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय	उप प्रतिनिरीक्षक (एस डी आई) संस्था का मुखिया	उप निरीक्षक राज्य सरकार का शिक्षा सचिव	उप निरीक्षक संस्था का मुखिया	निरीक्षक राज्य सरकार का शिक्षा सचिव
सरकारी इन्टरमीडिएट महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर एवं सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	,,	संचालक, शिक्षा विभाग	,,	संचालक, शिक्षा विभाग
नोर्मल एवं ट्रेनिंग स्कूलें	,,	उप संचालक (रेंज)	,,	उप संचालक (रेंज)
हाई स्कूलें	,,	निरीक्षक	,,	निरीक्षक
अन्य शिक्षा संस्थायें, इसी अथवा निम्नतर स्तर की	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६
९ (ख) आबकारी विभाग	मुख्य कार्यालय उपायुक्त (आबकारी) का कार्यालय उपायुक्त (प्रिवेंटिव) का कार्यालय	प्रशासन अधिकारी उपायुक्त आबकारी उपायुक्त (प्रिवेंटिव)	आयुक्त , ,,	प्रशासन अधिकारी उपायुक्त (आबकारी) उपायुक्त (प्रिवेन्टिव)	आयुक्त ,, ,,
	जिला आबकारी अधिकारी का कार्यालय	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (आबकारी)	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (आबकारी)
	सहायक आबकारी अधिकारी का कार्यालय	सहायक आबकारी अधिकारी (जिनके मुख्यालय जिला आबकारी अधिकारी के मुख्यालय पर न हो)	, ,	,,	,,
	सहायक आबकारी अधिकारीगण (पी एफ) जिला आबकारी अधिकारी पी एफ के कार्यालय	सहायक आबकारी अधिकारीगण (पी एफ) जिला आबकारी अधिकारी पी एफ	उपायुक्त (प्रिवेंटिव फोर्स)	सहायक आबकारी अधिकारीगण (पी एफ) जिला आबकारी अधिकारी (पी एफ)	उपायुक्त (पी एफ)
० धर्मा	मुख्यालय कार्यालय सहायक अधीक्षक एवं उसके जोन (क्षेत्र) में निरीक्षक कर्मचारीगण	सहायक अधीक्षक , ,	अधीक्षक ,,	सहायक अधीक्षक , ,,	अधीक्षक ,,
शिक्षा	संचालक का कार्यालय उप संचालक निरीक्षक एवं निरीक्षिका का कार्यालय	सहायक संचालक उप निरीक्षक निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	उप-संचालक रेंज ,, ,, ,,	सहायक संचालक उप संचालक रेन्ज निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	संचालक शिक्षा , उप संचालक रेंज

नोटः— इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारीगण निरीक्षकों की श्रेणी म सम्मिलित है —

(१) संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक ।

(२) प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ।

(३) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाए ।

उप निरीक्षक अथवा उप निरीक्षिका का कार्यालय	उप निरीक्षक अथवा उप निरीक्षिका	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	उप निरीक्षक अथवा उप निरीक्षिका	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका

नोट — इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारीगण उप निरीक्षकों की श्रेणी मे सम्मिलित हैं —

(१) संगठन सचिव, बालचर संघ (बोय स्काउट्स एसोसियेशन)

(२) अधीक्षक शारीरिक शिक्षा ।

(३) पर्यवेक्षक बुनियादी शिक्षा ।

उप प्रतिनिरीक्षक का कार्यालय प्रथम श्रेणी महाविद्यालय, कानून का महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय	उप प्रतिनिरीक्षक(एस डी आई) संस्था का मुखिया	उप निरीक्षक राज्य सरकार का शिक्षा सचिव	उप निरीक्षक संस्था का मुखिया	निरीक्षक राज्य सरकार का शिक्षा सचिव
सरकारी इन्टरमीजिएट महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर एवं सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	,,	संचालक, शिक्षा विभाग	,,	संचालक, शिक्षा विभाग
नोमल एवं ट्रेनिंग स्कूलें	,,	उप संचालक (रेंज)	,,	उप संचालक (रेंज)
हाई स्कूलें	,,	निरीक्षक	,,	निरीक्षक
अन्य शिक्षा संस्थायें इसी अथवा निम्नतर स्तर की	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६
	मुख्यालय कार्यालय, आयुर्वेदिक शिक्षा	अधीक्षक	सरकार का शासन सचिव	अधीक्षक	सरकार का शासन सचिव
	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेदिक शिक्षा	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेदिक शिक्षा
	ए श्रेणी के पुस्तकालय	पुस्तकालय का प्रभारी अधिकारी	संचालक, शिक्षा विभाग	पुस्तकालय का प्रभारी अधिकारी	संचालक, शिक्षा विभाग
	अन्य पुस्तकालय	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	उप संचालक (रेंज)	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	उप-संचालक (रेंज)
	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण मंडल	सचिव पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकरण मंडल	शिक्षा सचिव	सचिव पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकरण मंडल	शिक्षा सचिव
१२ निर्वाचन (चुनाव) विभाग	मुख्यालय कार्यालय	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग	जिला कार्यालय	जिलाधीश	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मंडल का सदस्य	जिलाधीश	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मंडल का सदस्य
	[1]चुनाव पंजीयक अधिकारी का कार्यालय	चुनाव पंजीयक अधिकारी	जिलाधीश	जिलाधीश	"

१ मौजूदा प्रविष्टि क्रमांक १२ के स्थान पर लिखा गया (अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१६) नियुक्ति ए/६१ ग्रुप III दि० ७-६-६२)।

र्वाचन विभाग'	जिला कार्यालय	जिला निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	जिला निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन
	चुनाव पंजीयक अधिकारी का कार्यालय	चुनाव पंजीयक अधिकारी	जिला निर्वाचन अधिकारी	–	"

१३	[1]विद्युत निरीक्षणालय	मुख्यालय अधिकारी	सहायक विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय),	राज्य का विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय)	राज्य का विद्युत निरीक्षक
		डिवीजनल कार्यालय	सहायक विद्युत निरीक्षक	,	सहायक विद्युत निरीक्षक	,
	जल प्रदाय विभाग	जलप्रदाय विभाग जयपुर बीकानेर व कोटा	अधिशासी अभियन्ता जो जयपुर व बीकानर का इ'चाज हो तथा सहायक अभियन्ता जो कोटा का इ'चाज हो।	सुपरिन्टेंडिंग अभियन्ता जयपुर व बीकानेर के सबंध में तथा अधिशासी अभियन्ता जो कोटा का इ'चाज हो।	अधिशासी अभियन्ता जो जयपुर व बीकानर का इ'चाज हो तथा सहायक अभियन्ता जो कोटा का इन्चाज हो।	सुपरिन्टेंडिंग अभियन्ता जयपुर व बीकानेर के सबंध मे तथा अधिशासी अभियन्ता जो कोटा का इन्चाज हो।
१४	निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति प्रशासन (इवेक्यूई प्रोपर्टी)	केन्द्रीय कार्यालय	सहायक संरक्षक प्रशासन का प्रभारी	सरक्षक (कस्टोडियन)	सहायक सरक्षक प्रशासन का प्रभारी	सरक्षक
		उप संरक्षक का कार्यालय	उप सरक्षक (डिप्टी कस्टोडियन)	,	उप सरक्षक	,,
		सहायक सरक्षक का कार्यालय	सहायक सरक्षक	जिला का उप सरक्षक	सहायक सरक्षक	जिला का उप सरक्षक
१५	खाद्य आयुक्त का विभाग	मुख्य लय कार्यालय	विशेष अधिकारी खाद्य	खाद्य आयुक्त	विशेष अधिकारी खाद्य	खाद्य आयुक्त
		डिवीजनल खाद्य सहायक पोध सरक्षण शाखा	खाद्य सहायक पोध सरक्षण अधिकारी	विशेषाधिकारी, खाद्य खाद्य आयुक्त	विशेषाधिकारी खाद्य पोध सरक्षण अधिकारी	,, ,,

१ 'विद्युत एव यन्त्रीकरण विभाग' की मौजूदा प्रविष्टी के स्थान पर लिखा गया, देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए-111)/६७ दिनांक १२-४-६७।

१	२	३	४	५	६
(१) वन विभाग	मुख्यालय कार्यालय	¹मुख्य वन संरक्षक का तकनीकी सहायक (T A)	मुख्य वन संरक्षक	²मुख्य वन संरक्षक का तकनीकी सहायक	मुख्य वन संरक्षक
	सर्कल कार्यालय	संरक्षक (कन्जर्वेटर)	,	संरक्षक	,,
	डिवीजनल कार्यालय	डिवीजनल अधिकारी	वन संरक्षक	डिविजनल अधिकारी	,, वन संरक्षक
	उप खण्ड कार्यालय	उप खण्ड वन अधिकारी	डिविजनल वन अधिकारी	उप खण्ड वन अधिकारी	डिविजनल वन अधिकारी
	रेंज अथवा अन्य शाखायें रेंजरों या उप रेंजरों के अधीन	रेंजर	उप खण्ड वन अधिकारी	,, ,,	,,
	वन स्कूल, कोटा जंगली प्राणी संरक्षण शाखा	संचालक अधिकारी जिसके सीधे अधीनस्थ हो, अर्थात शिकार वार्डन, सहायक शिकार वार्डनगण, वरिष्ठ शिकार पर्यवेक्षकगण कनिष्ठ शिकार पर्यवेक्षकगण	मुख्य संरक्षक, वन विभाग सम्बन्धित सर्कल का संरक्षक	संचालक सम्बन्धित सर्कल का संरक्षक	मुख्य संरक्षक वन विभाग ,, ,,
(२) वन भू प्रबन्ध	मुख्यालय कार्यालय	वन भू प्रबन्ध अधिकारी	मुख्य संरक्षक, वन विभाग	वन भू प्रबन्ध अधिकारी	मुख्य संरक्षक वनविभाग
	डिविजनल कार्यालय	डिविजनल वन भू प्रबन्ध अधिकारी	वन भू प्रबन्ध अधिकारी	डिविजनल वन भू प्रबन्ध अधिकारी	,, ,
					,, ,

शब्द 'वन अधिकारी, उपयोग (यटिलाइजेशन) के स्थान पर लिखा गया,—देखिये सूचना क्रमांक एफ ३ (१२) नियुक्ति (ए) ६३, दिनांक २७ ९ ६३।

१७	[1]गैरेज विभाग	(i) केन्द्रीय गैरेज कारखाना	मुख्य प्रधीक्षक	सचालक, यातायात	मुख्य प्रधीक्षक केवल कनिष्ट लेखको एव वरिष्ट लेखको के विषय मे / सचालक, यातायात
		(ii) राजकीय गैरेज, उदयपुर	प्रधीक्षक, मोटर गैरेज, उदयपुर।	मुख्य प्रधीक्षक	" / "
१८	राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री	मुख्यालय कार्यालय, केन्द्रीय लेखन सामग्री स्टोर सरकारी मुद्रणालय	[2]सचालक, मुद्रण एव लेखन सामग्री अधिकारी जिसके सीधे चाज मे हो।	राजकीय शासन सचिव / [2]सचालक, मुद्रण एव लेखन सामग्री	[2]सचालक, मुद्रण एव लेखन सामग्री अधिकारी जिसके सीधे चाज मे हो। / राजकीय शासन सचिव / [2]सचालक, मुद्रण एव लेखन सामग्री
१९	उद्योग एव वाणिज्य	मुख्यालय क्षत्रीय उप सचालक उद्योग प्रधीक्षको के कार्यालय	उप सचालक सम्बन्धित उप सचालक प्रभारी प्रधीक्षक	सचालक " सचालक जयपुर क्षत्र के सम्बन्ध म, एव रीजन (क्षत्र) के लिये सम्बन्धित उप सचालक सचालक	उप सचालक सम्बन्धित उप सचालक प्रभारी प्रधीक्षक / सचालक , सचालक, जयपुर क्षेत्र के सम्बन्ध म एव रीजन (क्षत्र) के लिये सम्बन्धित उप सचालक सचालक
		कुटीर उद्योग केन्द्र भेड एव ऊन सुधार शाखा, मारकेटिंग शाखा, नमक शाखा एव [illegible] गुड शाखा	" प्रभारी अधिकारी	सचालक ,	प्रभारी अधिकारी / ,
		गणना—उत्पादन उद्योगो की शाखा।	सहायक सचालक(सांख्यिकि)	"	सहायक सचालक / "

1 प्रविष्टि क्रमाक १७ गैरेज विभाग के स्थान पर लिखा गया, अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए) नियुक्ति (ए) III/६२ ग्रुप III दिनाक ७ ३ ६२ द्वारा—

केन्द्रीय गैरेज एव कारखाना	मुख्य प्रधीक्षक	राजकीय शासन सचिव	मुख्य प्रधीक्षक	राजकीय शासन सचिव
जिलो के गैरेज	प्रभारी प्रधीक्षक	मुख्य प्रधीक्षक	प्रभारी प्रधीक्षक	मुख्य प्रधीक्षक
मरम्मत के केन्द्र	गैरेज का प्रभारी प्रधीक्षक जिसके मरम्मत केन्द्र सलग्न है	"	गैरेज का प्रभारी प्रधीक्षक जिसके मरम्मत केन्द्र सलग्न है	" / "

2 [illegible] 'मुख्य प्रधीक्षक' के स्थान पर लिखे गये, अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१४) नियुक्ति (ए III)/६२ दिनाक १३-८-६२ द्वारा

१	२	३	४	५	६
२० सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)	मुख्यालय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता
	सर्किल कार्यालय	अधीक्षक अभियन्ता		अधीक्षक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता
	डिवीजनल कार्यालय	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता
	उप क्षेत्रीय कार्यालय	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता

नोट—मुख्य विकास अभियन्ता कोटा के अधीन परियोजनाओं से सम्बन्धित कर्मचारी गणों के विषय में उपरोक्त अनुसूचित यथोचित आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

१	२	३	४	५	६
[1]सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)	राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव राजस्थान नहर बोर्ड	सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सचिव राजस्थान नहर बोर्ड
२१ सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ)	मुख्यालय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता
	सर्किल कार्यालय	अधीक्षक अभियन्ता		अधीक्षक अभियन्ता	
	स्वास्थ्य सर्किल	,,			,,
	डिविजनल (क्षेत्रीय) कार्यालय	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	,,
	उप-खंड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता
	तहसीलदार का कार्यालय,	तहसीलदार	,,	तहसीलदार	अधिशासी अभियन्ता
	विशेषाधिकारी ग्राम जल प्रदाय बीकानेर	विशेषाधिकारी	,	विशेषाधिकारी	,
	उद्यान शास्त्री का कार्यालय	उद्यान शास्त्री	मुख्य अभियन्ता	उद्यान शास्त्री	मुख्य अभियन्ता

नियुक्ति (ए) विभाग क्रमांक डी १४१७६/५६ एफ १८ (२२) नियुक्ति/ए/५६ दिनांक १२-११-१९५६

२२ जेल विभाग	उद्यान अधीक्षक का कार्यालय	अधीक्षक	उद्यान शासन	अधीक्षक	उद्यान शासन
	मुख्यालय पर कार्यालय	महानिरीक्षक कारागार के निजी सहायक	उप महानिरीक्षक, कारागार	उप महानिरीक्षक, कारागार	महानिरीक्षक, कारागार
	केन्द्रीय जेलें	प्रभारी अधीक्षक	कारागारों के महानिरीक्षक	प्रभारी अधीक्षक	,
	अन्य जेलें एवं बन्दीगृह (लॉक अप)	प्रभारी अधिकारी	कारागारों के उप महानिरीक्षक	प्रभारी अधिकारी	कारागारों के उप महानिरीक्षक
	जेल उद्योगों के संचालक का कार्यालय	संचालक	कारागारों के महानिरीक्षक	संचालक	कारागारों के महानिरीक्षक
२३ न्यायिक (सिविल एवं सत्र न्यायालय)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	उच्च न्यायालय	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	उच्च न्यायालय
	सिविल एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय	सिविल एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में हो।	सिविल एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में हो।
	सिविल न्यायाधीश का न्यायालय	सिविल जज	,,	सिविल जज	,,
	मुन्सिफ का न्यायालय	मुन्सिफ	,,	मुन्सिफ	,,
	विशेष जज का न्यायालय	विशेष जज		विशेष जज	,,
२४ श्रम	[1]मुख्यालय पर कार्यालय	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त
	निम्नलिखित के कार्यालय -				

१ क्रमांक डी ६२३७ ६०/एफ १६ (३) नियुक्ति (ए) III/६० दि ६-६-६० द्वारा बदला गया।

१	२	३	४	५	६
२० सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)	मुख्यालय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता
	सर्किल कार्यालय	अधीक्षक अभियन्ता		अधीक्षक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता
	डिवीजनल कार्यालय	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता
	उप खण्डीय कार्यालय	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता
नोट—मुख्य विकास अभियन्ता कोटा के अधीन परियोजनाओं से सम्बन्धित कर्मचारी गणों के विषय में उपरोक्त प्रत्यायुक्ति यथोचित आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।					
[1]सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)	राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव राजस्थान नहर बोर्ड	सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड
२१ सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ)	मुख्यालय पर कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता
	सर्कल कार्यालय	अधीक्षक अभियन्ता		अधीक्षक अभियन्ता	
	स्वास्थ्य सर्कल				,,
	डिविजनल (क्षेत्रीय) कार्यालय	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता		
	उप-खण्ड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता
	तहसीलदार का कार्यालय	तहसीलदार	,,	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता
	विशेषाधिकारी ग्राम जल प्रदाय बीकानेर	विशेषाधिकारी	,,	तहसीलदार	
				विशेषाधिकारी	
	उद्यान शास्त्रज्ञ का कार्यालय	उद्यान शास्त्रज्ञ	मुख्य अभियन्ता	उद्यान शास्त्रज्ञ	मुख्य अभियन्ता

१ नियुक्ति (ए) विभाग क्रमांक डी १४१७९/५९ एफ १८ (२२) नियुक्ति/ए /५६ दिनांक १२-११-१९५९

	उद्यान अधीक्षक का कार्यालय	अधीक्षक	उद्यान शासन	अधीक्षक	उद्यान शासन
२२ जेल विभाग	मुख्यालय पर कार्यालय	महानिरीक्षक कारागार के निजी सहायक	उप महानिरीक्षक, कारागार	उप महानिरीक्षक, कारागार	महानिरीक्षक, कारागार
	केन्द्रीय जेलें	प्रभारी अधीक्षक	कारागारा के महानिरीक्षक	प्रभारी अधीक्षक	,
	अन्य जेलें एवं बन्दी[illegible] (लोक श्रम)	प्रभारी अधिकारी	कारागारो के उप महानिरीक्षक	प्रभारी अधिकारी	कारागारो के उप महानिरीक्षक
	जेल उद्योगो के सचालक का कार्यालय	सचालक	कारागारो के महानिरीक्षक	सचालक	कारागारो के महानिरीक्षक
२३ न्यायिक (सिविल एव सत्र न्यायालय)	जिला एव सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय	जिला एव सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश	उच्च न्यायालय	जिला एव सत्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश	उच्च न्यायालय
	सिविल एव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय	सिविल एव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जिले का जिला एव सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार मे हो।	सिविल एव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	जिले का जिला एव सत्र न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार मे हो।
	सिविल न्यायाधीश का न्यायालय	सिविल जज	,,	सिविल जज	,,
	मुन्सिफ का न्यायालय	मुन्सिफ	,,	मुन्सिफ	,,
	विशेष जज का न्यायालय	विशेष जज	,,	विशेष जज	,,
२४ श्रम	[1]मुख्यालय पर कार्यालय	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	श्रम आयुक्त
	निम्नलिखित के कार्यालय –				

१ क्रमाक डी ६२३७ ६०/एफ १६ (३) नियुक्ति (ए) III/६० दि ६-६-६० द्वारा बदला गया।

	२	३	४	५	६
	कारखानों एवं बोयलरों का मुख्य निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर	कारखानों एवं बोयलरों का निरीक्षक मुख्यालय	कारखानों एवं बोयलरों का मुख्य निरीक्षक	कारखानों एवं बोयलरों का निरीक्षक, मुख्यालय	कारखानों एवं बोयलरों का मुख्य निरीक्षक
	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)
	श्रम अधिकारी	श्रम अधिकारी	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	श्रम अधिकारी	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त
	जिला मुख्यालय पर कारखानों एवं बोयलरों का निरीक्षक	निरीक्षक कारखाने एवं बोयलर	मुख्य निरीक्षक, कारखाने एवं बोयलर	निरीक्षक, कारखाने एवं बोयलर	मुख्य निरीक्षक कारखाने एवं बोयलर
२५ सेवा नियोजन	[1]मुख्यालय कार्यालय	उप संचालक, सेवा नियोजन	संचालक, सेवा नियोजन	उप संचालक, सेवा नियोजन	संचालक, सेवा नियोजन
	उप क्षेत्रीय सेवा नियोजन कार्यालय	उप क्षेत्रीय सेवा नियोजन अधिकारी	उप संचालक, सेवा नियोजन	उप क्षेत्रीय सेवा नियोजन अधिकारी	उप-संचालक, सेवा नियोजन
	जिला सेवा नियोजन कार्यालय	जिला सेवा नियोजन अधिकारी	उप संचालक, सेवा नियोजन	जिला सेवा नियोजन अधिकारी	उप संचालक, सेवा नियोजन
२६ स्थानीय स्वायत्त शासन (स्थानीय संस्थाएं	मुख्यालय पर कार्यालय	सहायक संचालक, स्थानीय संस्थायें	संचालक, स्थानीय संस्थायें	सहायक संचालक, स्थानीय संस्थायें	संचालक, स्थानीय संस्थायें
	क्षेत्रीय निरीक्षकों के कार्यालय	क्षेत्रीय निरीक्षक	सहायक संचालक, स्थानीय संस्थायें	क्षेत्रीय निरीक्षक	सहायक संचालक, स्थानीय संस्थायें

१ क्रमांक एफ १९ (१२) नियुक्ति (ए)/५६ दि १८-१२-६० के नियुक्ति विभाग के आदेश द्वारा बदला गया।

२७ चिकित्सा एव सावजनिक स्वास्थ्य विभाग	केन्द्रीय सचालक कार्यालय	सबधित उप सचालक (चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य)	– [1] सचालक	सबधित उप-सचालक, (चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य)	सचालक
	प्रधान चिकित्सा अधिकारियो के प्रभार म अस्पताल	अस्पताल का अधीक्षक जहा कहीं नियत है अन्यथा पी एम ओ	पी एम ओ जहा अधीक्षक नियत हो अन्यथा सचालक	पी एम ओ	सचालक
	अधीक्षक के प्रभार म अस्पताल	अधीक्षक	उप सचालक (चिकित्सा स्टोर एव अस्पताल)	अधीक्षक	उप सचालक (चिकित्सा स्टोर एव अस्पताल)
	स्टोर के क्षत्रीय कार्यालय एव जोनल डीपो	स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जो क्षेत्र के सहायक सचालक से सलग्न हो	क्षत्र का सहायक सचालक	क्षत्र का सहायक सचालक	उप सचालक (सावजनिक स्वास्थ्य एव ग्रामीण चिकित्सा सहायता)
	जिला कार्यालय	जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	[1]उप सचालक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें (प्रशासन)	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	[1]उप सचालक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये (प्रशासन)
	अस्पताल, डिसपेंसरियें अथवा इसी प्रकार की चिकित्सा या स्वास्थ्य सस्थायें जो ऊपर सम्मिलित नही हैं	प्रभारी अधिकारी	जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी

१. अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए III)/६० दिनाक २३-३-६१ द्वारा बदला गया।

१	२	३	४	५	६
	टी बी क्लिनिक (क्षय निवारण चिकित्सालय)	प्रदेशीय टी बी अधिकारी	उप संचालक (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायता)	प्रदेशीय टी बी अधिकारी	उप संचालक (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायता)
	केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं	मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक (पब्लिक ऐनेलिस्ट)	"	मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक	"
	स्वास्थ्य पाठशाला	क्षेत्र का सहायक संचालक		क्षेत्र का सहायक संचालक	
	मेडीकल कॉलेज (चिकित्सा महाविद्यालय)	महिला अधीक्षक प्रधानाचार्य	क्षेत्र का सहायक संचालक संचालक	" प्रधानाचार्य	" " संचालक
[१]२८ खनिज एवं भूगर्भ	मुख्यालय पर कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय	संयुक्त संचालक (प्रशासन) खनिज अभियन्ता	संचालक संयुक्त संचालक प्रशासन	संयुक्त संचालक (प्रशासन) खनिज अभियन्ता	संचालक
	उप क्षेत्रीय कार्यालय पलाना कोयले की खान, बीकानेर	सहायक खनिज अभियन्ता खनिज अभियन्ता	क्षेत्रीय खनिज अभियन्ता संयुक्त संचालक (प्रशासन)	सहायक खनिज अभियन्ता खनिज अभियन्ता	संयुक्त संचालक, (प्रशासन) क्षेत्रीय खनिज अभियन्ता संयुक्त संचालक (प्रशासन)
[२]२९ जनसम्पर्क विभाग	(i) मुख्यालय पर कार्यालय	सहायक संचालक	अतिरिक्त संचालक	सहायक संचालक (फीचर अनुभाग के लिये)	अतिरिक्त संचालक
	जन सम्पर्क निदेशालय	संचालक द्वारा अधिकृत सहायक संचालक	संचालक	संचालक द्वारा अधिकृत उप संचालक	संचालक द्वारा अधिकृत उप-संचालक संचालक

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III/६७ दिनांक २८-२-६७ द्वारा प्रविष्टि क्रमांक २८ के स्थान पर लिया गया।

२ देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (४)/नियुक्ति (ए) III/६५ दिनांक २२-४-६५ द्वारा प्रविष्टि क्रमांक २९ के स्थान पर बदला गया।

				प्रतिरिक्त सचालय (केवल कनिष्ट लेखर से उपर के लिये)	सचालक
	(ii) अधीनस्थ कार्यालय	जन सपक अधिकारी एव सूचना केन्द्रो का प्रभारी अधिकारी	प्रतिरिक्त सचालक	(i) जन सपर्क अधिकारी (केवल कनिष्ट लेखका के लिये)	प्रतिरिक्त संचालक
				(ii) सूचना केन्द्रा का प्रभारी अधिकारी (केवल कनिष्ट लेखक के लिये)।	
				(iii) प्रतिरिक्त सचालय (कनिष्ट लेखको से उपर के लिये)	सचालक
१० पुलिस	[1]मुख्यालय कार्यालय	सहायक महानिरीक्षक (फोर्स)	[2]प्रतिरिक्त महानिरीक्षक, पुलिस (फोर्स)	सहायक महानिरीक्षक (फोर्स)	प्रतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (फोर्स)
	रेन्ज	रेन्ज का उप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक पुलिस	रेन्ज का उप महा-निरीक्षक	महानिरीक्षक, पुलिस
	जिला एव अधीक्षक के प्रभार म लाइनें	अधीक्षक	उप महानिरीक्षक, पुलिस	अधीक्षक	रेन्ज का उप महानरीक्षक, पुलिस,

१ अधिसूचना क्रमाक ८७४२४/६० एफ १६ (२) नियुक्ति/ए एस/६० दि० २-६-६० द्वारा बदला गया।

२ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक २६-६-६७ द्वारा शब्द पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) के स्थान पर लिखा गया एव दिनाक ३०-४-६६ से प्रभावशील हुआ।

१	२	३	४	५	६
	सकल-उप अधीक्षक या निरीक्षकों के प्रभार मे थाने एवं चौकियें	प्रभारी अधिकारी	जिले का अधीक्षक भारसी	जिले का अधीक्षक भारसी	रेन्ज का उप महा निरीक्षक पुलिस
	सी आई डी एवं आई बी	"	समस्त का प्रभारी अधिकारी	"	"
	(क) मुख्यालय	अमले का प्रभारी अधीक्षक भारसी	पुलिस का उप महा निरीक्षक, सी आई डी	अमले का प्रभारी अधीक्षक भारसी	पुलिस का उप महा निरीक्षक सी आई डी
	(ख) जोन	प्रभारी अधिकारी	"	प्रभारी अधिकारी	"
	पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय	"	[1]अतिरिक्त पुलिस महा निरीक्षक (फोस)	"	[1]अतिरिक्त पुलिस महा निरीक्षक (फोस)
	रेन्ज प्रशिक्षण केन्द्र	"	रेन्ज का उप महानिरीक्षक, पुलिस	"	रेन्ज का उप महानिरीक्षक, पुलिस
	बेतार का तार (वायरलैस)	"	[1]अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (फोस)	"	[1]अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, (फोस)
	मोटर यातायात	"	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (फोस)	"	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (फोस)
११ रजिस्ट्रेशन एव स्टाम्प	मुख्यालय—(रजिस्ट्रेशन एव स्टाम्प का अतिरिक्त महानिरीक्षक)	अतिरिक्त महानिरीक्षक	महा निरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक	महानिरीक्षक
रजिस्ट्रेशन	सर्कल निरीक्षक का कार्यालय	निरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक	"	"

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक २६ ६ ६७ द्वारा शब्द पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) के स्थान पर लिखा गया एवं दिनांक ३० ४ ६६ से प्रभावशील हुआ।

		उप रजिस्ट्रार का कार्यालय	उप रजिस्ट्रार		
	स्टाम्प	कोषागार	कोषागार अधिकारी	अध्यक्ष	कोषागार अधिकारी रजिस्ट्रार	अतिरिक्त महानिरीक्षक अध्यक्ष
३२	[1]राजस्व विभाग	राजस्व मडल का कार्यालय	रजिस्ट्रार			
	(१) राजस्व विभाग	[2]काट दिया गया जिला	(i) जिलाधीश	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मडल का सदस्य	प्रथम श्रेणी अधीक्षको एवं द्वितीय श्रेणी आशुलिपिकों के विषय मे जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा अजमेर एव बीकानेर मे नियुक्त हैं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मडल का सदस्य ।	राज्य सरकार
			(ii) —	—	अन्य कर्मचारियों के विषय मे, अर्थात् कनिष्ट लेखक, वरिष्ट लेखक इत्यादि जिलाधीश [3]जिलाधीश-जिला रेवेन्यू एकाउटेंटो पर लघु शास्ति लागू करने न के लिये	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मडल का सदस्य [4]राजस्व मडल

१ तत्कालीन प्रविष्टि जिला—जिलाधीश-जिलाधीश-आयुक्त-जिलाधीश-आयुक्त के स्थान पर अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए III)/६१ दिनाक ७-६-६२ द्वारा लिखा गया ।

२ निम्नलिखित प्रविष्टि काटी गई डिविजनल अधिकारी —अधिकारी—आयुक्त का निजी सहायक आयुक्त—आयुक्त—अध्यक्ष राजस्वमडल देखिये अधिसूचना (ए) III विभाग क्रमाक एफ ३ (१६) नियुक्ति/ए एस ६१ दिनाक ७-६-६२ ।

३ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (ii) नियुक्ति/ए III/६१ दिनाक २७-११-६१ द्वारा बदला गया ।

४ शब्द सरकार" के स्थान पर लिखा गया—अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनाक २१-३-६७ द्वारा । यह सशोधन मई १९६२ से प्रभावशील हुआ ।

१	२	३	४	५	६
	उप खंड मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	उप खंड अधिकारी रहन पर	जिलाधीश	उप खंड अधिकारी रहन पर	जिलाधीश
	तहसील	१ तहसीलदार २	उप खंड अधिकारी	तहसीलदार (क) रेवेन्यू स्टाफ पर जो उसी न्यायालय में नियुक्त हो उन मामलों के लिए में— तहसीलदार (ख) अन्य मामलों के लिये—जिलाधीश	उप खंड अधिकारी जिलाधीश [1]राजस्व मंडल
	उप तहसील	तहसीलदार	उप खंड अधिकारी	तहसीलदार	उप खंड अधिकारी
	[2](i) राजस्व प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य का कार्यालय	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष, राजस्व मंडल अजमेर
	(ii) राजस्व अपील अधिकारी का कार्यालय	राजस्व अपील अधिकारी	अध्यक्ष राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य	राजस्व अपील अधिकारी	अध्यक्ष राजस्व मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य
[3]उपनिवेशन विभाग राजस्थान नहर परियोजना	१ उपनिवेशन आयुक्त	उपनिवेशन आयुक्त का निजी सहायक	उपनिवेशन आयुक्त	सहायक उपनिवेशन आयुक्त (मुख्यालय)	उपनिवेशन आयुक्त

१ शब्द "सरकार" के स्थान पर लिखा गया अधिसूचना एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक २१-३-६७ द्वारा (यह मई १९६२ से भूतलक्षित प्रभावशाली हुआ)।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (III)/६१ ग्रुप III दिनांक २८-१-६३ द्वारा जोड़ा गया।

३ निम्नलिखित के स्थान पर बदला गया अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (४) नियुक्ति ए/६१ ग्रुप III दि० ७ १० ६२ एवं ७ ३ ६२ द्वारा

उपनिवेशन अधिकारी बीकानेर क्षेत्र का कार्यालय	उपनिवेशन अधिकारी	आयुक्त	उपनिवेशन अधिकारी	आयुक्त

	२ उप आयुक्त उपनिवेशन	अतिरिक्त सहायक आयुक्त उपनिवेशन	सहायक आयुक्त उपनिवेशन (मुख्यालय)	सहायक आयुक्त उपनिवेशन	उप आयुक्त उपनिवेशन
	३ सहायक आयुक्त उपनिवेशन	सहायक आयुक्त, उपनिवेशन	उप आयुक्त, उपनिवेशन	"	,
	४ उपनिवेशन तहसीलदारगण	उपनिवेशन तहसीलदारगण	सहायक आयुक्त उपनिवेशन	उप आयुक्त उपनिवेशन	आयुक्त, उपनिवेशन
	५ नगर एवं ग्राम योजना सेल, राजस्थान नहर परियोजना जयपुर	सहायक नगर आयोजक जयपुर	उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर	सहायक नगर आयोजक जयपुर	उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर
(२) भू अभिलेख	मुख्यालय पर कार्यालय	सहायक संचालक (कार्यालय)	अध्यक्ष राजस्व मंडल	सहायक संचालक (कार्यालय)	अध्यक्ष राजस्व मंडल
	भू अभिलेखों के सहायक संचालक (रीजन) का कार्यालय	संबंधित सहायक संचालक, भू अभिलेख	,	संबंधित सहायक संचालक	,
	जिला कार्यालय	भू अभिलेख शाखा का प्रभारी उप खंड अधिकारी	जिलाधीश	भू अभिलेख शाखा का प्रभारी उप खंड अधिकारी	जिलाधीश
	तहसील कर्मचारीगण	तहसीलदार	सम्बन्धित उप खंड अधिकारी	तहसीलदार	सम्बन्धित उप खंड अधिकारी

नोट—सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो एवं भू अभिलेख विभाग के निरीक्षकों के पदों को धारण करने वालों के विषय में सम्बन्धित जिले का जिलाधीश कार्यालयाध्यक्ष होगा एवं भू अभिलेखों का प्रभारी [1]राजस्व मंडल का सदस्य निकटतम उच्चतर प्राधिकारी होगा।

१ "सम्बन्धित डिविजन का आयुक्त" के स्थान पर लिखा गया—अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१६, नियुक्ति (ए) ६१, दिनांक ७-२ ६२ द्वारा।

१	२	३	४	५	६
(३) भू प्रबन्ध (सेटलमेंट)	मुख्य कार्यालय	भू प्रबन्ध आयुक्त का निजी सहायक	भू प्रबन्ध आयुक्त	भू प्रबन्ध आयुक्त का निजी सहायक	भू प्रबन्ध आयुक्त
	समस्त	भू प्रबन्ध अधिकारी	,	भू प्रबन्ध अधिकारी	,,
	तहसील अथवा क्षेत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी या सहायक अभिलेख अधिकारी का क्षेत्र	सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सहायक अभिलेख अधिकारी	भू प्रबन्ध अधिकारी	सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सहायक अभिलेख अधिकारी	भू प्रबन्ध अधिकारी

नोट—सदर कानूनगो सहायक सदर कानूनगो, कार्यालय कानूनगो, एव भू अभिलेख विभाग के निरीक्षकों के पद को धारण करने वालों के विषय में सबधित जिले का जिलाधीश कार्यालयाध्यक्ष होगा एव निदेशक, भू अभिलेख निकटतम उच्चतर प्राधिकारी होगा।

१	२	३	४	५	६
३३ सहायता एव पुन स स्थापन	मुख्य कार्यालय	सहायक लेखाधिकारी (पुन स) जयपुर	उप सचिव (सहायता पुन स स्थापन) पदेन स चालक, सहायता एव पुन स स्थापन विभाग	सहायक लेखाधिकारी (पुन स) जयपुर	राज्य का उप सचिव (सहायता पुन स स्थापन) पदेन स चालक, सहायता एव पुन स स्थापन विभाग
	जिला कर्मचारी अलवर मे	सहायक लेखाधिकारी (पुनः स) अलवर	,,	सहायक लेखाधिकारी (पुन स) अलवर	,
	जिला कर्मचारी अलवर के अतिरिक्त	जिलाधीश (सहायता)	,,	जिलाधीश (सहायता)	,,

			राज्य का उप सचिव/सहायक सचिव/विभाग/सेल का सेक्शन अधिकारी अपने विभाग/सिक्शन/सेल से सलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो पर निंदा एव केवल एव वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति के विषय मे, अनुशासन कार्यवाही शुरू होते समय।	(१) राजकीय सचिव जबकि विभाग/सेल का कार्यालयाध्यक्ष उप सचिव हो। (२) अन्य समस्त मामलो मे नियुक्ति (बी) विभाग मे राज्य का उप सचिव	विभाग/सेल मे राज्य का उप सचिव अथवा समान रतबे का अधिकारी कनिष्ट लेखक, वरिष्ट लेखक आशु लिपिक, वरिष्ट आशु लिपिक, अनुवादकर्त्ता टेली फोन ऑपरेटर एव मॉनीटर जो उसके अधीनस्थ हो के सम्बध मे	नियुक्ति विभाग मे राज्य का विशेष सचिव

१ देखिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२) नियुक्ति (ए) III/६५ दिनांक ९ ३ ६५ । द्वारा बदला गया —
निम्नलिखित के स्थान पर लिखे गये—

१	सहायता एव पुन: स स्थापन	मुख्य कार्यालय	मुख्यालय पर सहायक स चालक	मुख्यालय पर उप स चालक	मुख्यालय पर उप स चालक	स चालक
		क्षेत्रीय स चालनालय एव शाखाए प्रत्येक क्षेत्रीय स चालनालय के अन्तर्गत	सहायक स चालक, क्षेत्रीय कार्यालय पर	क्षेत्र का उप स चालक	क्षेत्र का उप स चालक	,,
		अगहीनो के लिये आवास (क) उदयपुर एव (ख)	प्रभारी अधिकारी	,,	प्रभारी अधिकारी	क्षेत्र का उप स चालक
		जयपुर प्रत्येक क्षेत्र मे शिक्षा निरीक्षको से सलग्न कर्मचारी वर्ग	सम्बधित निरीक्षक	,,	सम्बधित निरीक्षक	,,
		आर्थिक सलाहकार	सहायता एव पुन स स्थापन विभाग का आर्थिक सलाहकार	राजकीय सचिव, सहायता एव पुन स स्थापन	सहायता एव पुन स स्थापन विभाग का आर्थिक सलाहकार	राजकीय सचिव सहायता एव पुन स स्थापन

२. अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (५) नियुक्ति III/६४ दिनाक २० १० ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

१	२	३	४	५	६
				नियुक्ति (बी) विभाग में राज्य का उप सचिव राजकीय सचिव, मन्त्रीगण एवं उप मन्त्रीगण के सामान्य कर्मचारियों के विषय में	राज्य के नियुक्ति विभाग में विशेष सचिव
		अन्य सब मामलों के विषय में राज्य सचिवालय का रजिस्ट्रार	नियुक्ति (जी) विभाग में राज्य का उप सचिव	नियुक्ति विभाग में राज्य का विशेष सचिव सहायक लेखन अधिकारी एवं मुख्य अनुवादकर्ता के विषय में	राज्य का मुख्य सचिव
१५ सैनिक मंडल (सोल्जर्स बोर्ड)		प्रभारी अधिकारी	राज्य का सचिव	प्रभारी अधिकारी	राज्य का सचिव
१६ राज्य बीमा					
१७[1] अर्थ एवं सांख्यिकी संचालनालय	(i) मुख्यालय	उप संचालक	संचालक	उप संचालक	संचालक
		उप संचालक (प्रशासन)	संचालक	उप संचालक (प्रशासन)	संचालक
	(ii) जिला कार्यालय	संख्या शास्त्री (स्टेटीशियन)	उप संचालक (प्रशासन)		

१ इसके स्थान पर अधिसूचना क्रमांक एफ. ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ दिनांक २-३-६२ द्वारा बदला गया 'सांख्यिकी ब्यूरो मुख्य सांख्यिकी अधिकारी—राजकीय सचिव मुख्य सांख्यिकी अधिकारी—राजकीय सचिव।

३८ यातायात	मुख्य कार्यालय	उप-यातायात आयुक्त	यातायात आयुक्त	उप यातायात आयुक्त	यातायात आयुक्त
	क्षेत्रीय यातायात कार्यालय	क्षेत्रीय यातायात अधिकारी	उप यातायात आयुक्त	क्षेत्रीय यातायात अधिकारी	उप यातायात आयुक्त
	जिला यातायात अधिकारी	निरीक्षक	जिलाधीश	जिलाधीश	,,

नोट —(1) जहां पर इस अनुसूचि में राजकीय सचिव को 'निकटतम उच्चतर प्राधिकारी' होना दर्शाया गया है वहां उसको की गई अपील सरकार को की गई अपील नहीं समझी जावगी। उसकी आज्ञा के विरुद्ध की गई अपील राज्य सरकार के समक्ष की गई अपील मानी जावेगी और उसका निपटारा तदनुसार किया जायगा।

(२) नियम १४ (३) के प्रावधानानुसार, इस अनुसूचि में निहित शक्तियों की प्रत्यायुक्ति को क्रियान्वित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये विभागाध्यक्ष गण नियम एवं आदेश निर्धारित करेंगे।

३९ कोषागार	कोषागार	कोषाधिकारी	जिलाधीश	कोषाधिकारी	जिलाधीश
	उप कोषागार	तहसीलदार	कोषाधिकारी	,,	,,
४० राज्यपाल का सचिवालय	राज्यपाल का सचिवालय	राज्यपाल का सचिव	राजकीय सचिव	राज्यपाल का सचिव	राजकीय मुख्य सचिव
४१ विधि विभाग	(i) एडवोकेट जनरल का कार्यालय	एडवोकेट जनरल	विधि विभाग का राज्य सचिव	एडवोकेट जनरल	विधि विभाग का राज्य सचिव
	[1](ii) सरकारी एडवोकेट का कार्यालय	उप सरकारी एडवोकेट	सरकारी एडवोकेट	सरकारी एडवोकेट	लीगल रिमेम्ब्रेंसर (विधि परामर्शी)
[2]४२ विकास एवं पंचायत विभाग	मुख्यालय	उप विकास आयुक्त	संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायते)	उप विकास आयुक्त (पंचायते)	संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायते)

१ नोट क्रमांक एफ ३ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक ८ ११ ६२ द्वारा जोड़ा गया।

२ नियुक्ति (ए) विभाग क्रमांक एफ १६ (६) नियुक्ति (ख) १६ दि० ४-४-६० द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

१	२	३	४	५	६
(पंचायत विंग)	जिलाधीश कार्यालय	[1]उप जिला विकास अधिकारी	जिलाधीश	कनिष्ट लेखकों के विषय में जिलाधीश वरिष्ट लेखकों के विषय में उप विकास आयुक्त (पंचायतें)	[3]अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राजस्व मंडल का सदस्य "
४३ सर्कल कमांडिंग एन सी सी राजस्थान	[2]एन सी सी इकाइयों का कमांडिंग अधिकारी	एन सी सी इकाइयों का कमांडिंग अधिकारी	सर्कल कमांडिंग, एन सी सी राजस्थान	एन सी सी इकाइयों का कमांडिंग अधिकारी	सर्कल कमांडिंग एन सी सी राजस्थान
४४ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	मुख्य कार्यालय	सहायक परीक्षक	परीक्षक	परीक्षक	वित्त विभाग में राज्य का सचिव
	रेन्ज कार्यालय	"	"	सहायक परीक्षक	परीक्षक
[3]४५ पुरालेख संचालनालय		सहायक संचालक	संचालक	संचालक	शिक्षा विभाग में राज्य का सचिव
४६ सचिवालय एवं सामान्य दाखिल किये गये अभिलेख	जिला मुख्यालय	जिलाधीश	नियुक्ति (ब) विभाग का उपशासन सचिव	जिलाधीश	नियुक्ति (बी) विभाग का शासन सचिव
	उप-खंड मुख्यालय	उप खंड अधिकारी		उप खंड अधिकारी	

१ [1]क्रमश: विकास एवं पंचायतों के लिये जिलाधीश या सहायक एवं संयुक्त विकास आयुक्त के स्थान पर क्रमांक एफ ३ (१९) नियुक्ति (ए) ६१ दि० ७-६-६२ द्वारा लिये गये।

२ शब्द इकाई कमांडेंट के स्थान पर अधिसूचना एफ ३ (१८) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक १०-९-६२ द्वारा लिया गया।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१९) नियुक्ति (ए III) ६५ दिनांक ९-६-६६ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

४७	जागीर विभाग	मुख्य कार्यालय	³अतिरिक्त जागीर आयुक्त	जागीर आयुक्त	अतिरिक्त जागीर आयुक्त	जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर
		जिला जागीर कार्यालय	उप जिलाधीश जागीर, ³सहायक जिलाधीश (जमीदारी एव बिस्वेदारी)	जिलाधीश	उप जिलाधीश जागीर, ³सहायक जिलाधीश जागीर (जमीदारी एव बिस्वेदारी)	जिलाधीश
४८	मुख्य लेखाधिकारी का सगठन लेखापालो के पदो सहित	(क) मुख्य लेखाधिकारी [illegible] कार्यालय	लेखाधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी	(i) लेखाधिकारी लेखापालो के विषय के प्रतिरिक्त (ii) मुख्य लेखाधिकारी, लेखापालो के विषय म	(i) मुख्य लेखाधिकारी (ii) वित्त विभाग म शासन सचिव (ए एण्ड ए)
		(ख) अन्य विभाग/कार्यालय	—	—	(i) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उनके विभागो/कार्यालयो स सलग्न लेखापालो पर लघु शास्तियें लागू करने के विषय म । (ii) मुख्य लेखाधिकारी, कठोर शास्तियें आरोपित करने के विषय म ।	
४९	समाज कल्याण	मुख्य कार्यालय	उप सचालक	सचालक	उप सचालक	स चालक
		क्षेत्रीय कार्यालय	क्षत्रीय कार्यालय का सहायक स चालक	उप स चालक (मुख्यालय)	क्षत्रीय कार्यालय का सहायक स चालक	उप स चालक (मुख्यालय)

जोडा गया अधिसूचना क्रमाक एफ ३(१) नियुक्ति एफ (६१) ग्रूप III दिनांक = २ ६१ द्वारा
बदला गया, हटाया गया एव जोडा गया अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (८) नियुक्ति ए III ६२ दिनाक १६ ५ ६२
अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (८) नियुक्ति ए (III) ६२ दिनाक १६-५-६२ द्वारा जोडा गया ।
अधिसूचना क्रमाक एफ १६ (८) नियुक्ति ए एस III/६० दिनाक १० ६ ६०
अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१०) नियुक्ति (ए) III/६१ दिनाक ५ ६-६१ द्वारा अन्तर्यासित किया गया ।

५३	असैनिक प्रतिरक्षा संगठन		असैनिक प्रतिरक्षा सलाहकार का सहायक	असैनिक प्रतिरक्षा सलाहकार	असैनिक प्रतिरक्षा सलाहकार का सहायक	[illegible] निक प्रतिरक्षा सलाहकार
[1]५४	पत्राधिकारियों का प्रशिक्षण स्कूल	मुख्य कार्यालय	प्रशासन अधिकारी	उप प्रधानाचार्य	उप प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य
[2]५५	जिला गजेटियर्स संचालनालय	मुख्य कार्यालय	सहायक संचालक	संचालक	सहायक संचालक	संचालक
[3]५६	राजस्थान भूमिगत [illegible] बोर्ड	मुख्य कार्यालय	प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव	राजकीय शासन सचिव	सहायक अभियन्ता (मुख्यालय)	प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव
		अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग) का कार्यालय	अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग)	प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव	अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग)	,,
		अधिशासी अभियन्ता (ब्लास्टिंग) का कार्यालय	अधिशासी अभियन्ता (ब्लास्टिंग)	,	अधिशासी अभियन्ता (ब्लास्टिंग)	,,
		सहायक अभियन्ता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग	सहायक अभियन्ता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग	अधिशासी अभियन्ता ड्रिलिंग/ब्लास्टिंग	सहायक अभियन्ता ब्लास्टिंग/ड्रिलिंग	अधिशासी अभियन्ता ड्रिलिंग/ब्लास्टिंग
		सहायक अभियन्ता (स्टोर एवं कारखाना)	सहायक अभियन्ता	प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव	सहायक अभियन्ता	प्रभारी अभियन्ता एवं सचिव

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए) ६५ दिनांक २५-६-६५ द्वारा अन्तर्यासित किया गया।
२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (८) नियुक्ति (ए)/६५ दिनांक २५ ६ ६५ द्वारा जोड़ा गया।
३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (९) नियुक्ति (ए)/III/६५ दिनांक २७ ७ ६५ द्वारा जोड़ा गया।
४ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए)/III दिनांक १५ ९ ६५ द्वारा जोड़ा गया।

७ कन्या पाठशालाओं की निरीक्षिका।
८ पाठशालाओं के उप निरीक्षक सचालक के निजी सहायक, संस्कृत पाठशालाओं के उप निरीक्षकों सहित।
६ कन्या पाठशालाओं की उप निरीक्षिकाएं।
[1]१० हटा दिया गया।
११ नाम काट दिया गया।
१२ राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालयों के प्रवक्तागण।
१३ राजकीय उच्च शालाओं तथा इसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाध्यापकगण।
१४ नाम काट दिया गया।
१५ प्रधानाचार्य कला एव शिल्प पाठशाला जयपुर तथा कला सस्थान, जयपुर।
१६ उप प्रधानाचार्य कला एव शिल्प पाठशाला जयपुर।
१७ जिला शिक्षाधिकारी (योजना)
१८ प्रधानाचार्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर।
१९ प्रधानाचार्य सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर।
२० माध्यमिक स्कूलों की प्रधानाध्यापिकाएं।
२१ प्रधानाध्यापिका गगा बाल विद्यालय बीकानेर।
२२ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय कोटा।
२३ प्रधानाध्यापिका, बाल विद्यालय उदयपुर।
२४ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय भरतपुर।
२५ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय, जोधपुर।
२६ शारीरिक ज्ञान शिक्षक राजस्थान महाविद्यालय जयपुर।
२७ पुस्तकालयाध्यक्ष राजस्थान महाविद्यालय।

नोट—प्रविष्टि क्रमांक ८, ९ तथा १४ के पदाधिकारियों के विषय में नियम ६ एव नियम १४ (१) में निर्दिष्ट शक्तियें उप प्रधानाचार्य के प्रशासनिक शिक्षा सचालक की होंगी।

पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व अनुसधान संस्था)

१ सचालक।
२ उप-सचालक।
३ वरिष्ठ अनुसधान अधिकारी

१ "राजकीय इन्टर मीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्य" और "... स्थानापन्न कालेज के व्याख्यातागण" अधिसूचना क्रमांक एफ (१२) नियुक्ति (क) III/६ दि ६-८-६२ द्वारा हटा दिये गये। प्रविष्टियां क्रमांक ११ एव १४ हटा दी गई। प्रविष्टि १० तथा १२ में "राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य एव प्रवक्तागण" अधिसूचना क्रमांक एफ २ (४८) शिक्षा एम ६० दिनांक १८-१-६८ द्वारा जोड़ा गया।

[1]विद्युत निरीक्षणालय

१ विद्युत निरीक्षकगण।
२ सहायक विद्युत निरीक्षकगण।

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग

१ लेखाधिकारी।

[1]वन विभाग

१ मुख्य वन सरक्षक।
२ वन सरक्षकगण।
३ क्षेत्रीय वन अधिकारीगण।
४ वन उपयोग अधिकारी।
५ उप-खण्ड वन अधिकारीगण।
६ वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण।
७ सहायक वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण।
८ मुख्य वन सरक्षक का निजी सहायक क्षेत्रीय वनाधिकारी के स्तर का।
९ कार्ययोजना अधिकारीगण।
१० वन वर्धनिक अधिकारीगण (सिलविकल्चरिस्ट अधिकारीगण)।

गेरेज विभाग

१ गेरेजो का मुख्य अधीक्षक।
२ मोटर अभियन्ता।
३ गेरेजो का अधीक्षक।

राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग

१ [2]सचालक मुद्रण एव लेखन सामग्री।
२ राजकीय मुद्रणालयो के अधीक्षकगण।
३ राजकीय मुद्रणालयो के सहायक अधीक्षकगण।
४ लेखाधिकारी।

उद्योग एव वाणिज्य

१ सचालक उद्योग एव वाणिज्य।
२ उप-सचालकगण।
३ क्रय विक्रय अधिकारी (मार्केटिंग आफिसर)।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुविन (ए) III ६७ दिनांक १२ ४ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

२ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१४) नियुविन (ए) III/६२ दिनाक १३ ८ ६२ द्वारा शब्द "मुख्य अधीक्षक राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग के स्थान पर स्थानापन्न किया गया।

७ कन्या पाठशालाओं की निरीक्षिका ।
८ पाठशालाओं के उप-निरीक्षक संचालक व निजी सहायक, संस्कृत पाठशालाओं के उप निरीक्षकों सहित ।
९ कन्या पाठशालाओं की उप निरीक्षिकाएं ।
[1]१० हटा दिया गया ।
११ नाम काट दिया गया ।
१२ राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालयों के प्रवक्तागण ।
१३ राजकीय उच्च शालाओं तथा इसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाध्यापकगण ।
१४ नाम काट दिया गया ।
१५ प्रधानाचार्य कला एवं शिल्प पाठशाला जयपुर तथा कला संस्थान जयपुर ।
१६ उप प्रधानाचार्य कला एवं शिल्प पाठशाला जयपुर ।
१७ विशेष शिक्षाधिकारी (योजना)
१८ प्रधानाचार्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर ।
१९ प्रधानाचार्य, सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर ।
२० माध्यमिक स्कूलों की प्रधानाध्यापिकाएं ।
२१ प्रधानाध्यापिका गंगा बाल विद्यालय बीकानेर ।
२२ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय कोटा ।
२३ प्रधानाध्यापिका, बाल विद्यालय उदयपुर ।
२४ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय भरतपुर ।
२५ प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय, जोधपुर ।
२६ शारीरिक ज्ञान शिक्षक राजस्थान महाविद्यालय जयपुर ।
२७ पुस्तकालयाध्यक्ष राजस्थान महाविद्यालय ।

नोट—प्रविष्टि क्रमांक ८,९ तथा १५ के पदाधिकारियों के विषय में भाग तृतीय एवं नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियाँ उक्त प्रावधानों के अधीनस्थ शिक्षा संचालक की होंगी ।

पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व अनुसंधान संस्था)

१ संचालक ।
२ उप-संचालक ।
३ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

१ राजकीय इन्टरमीजिएट कालेजों के प्रधानाचार्य और राजकीय इन्टरमीजिएट कालेज के व्याख्यातागण अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१२) नियुक्ति (ए) III/६ दि ६-८-६२ द्वारा हटा दिये गये । प्रविष्टियां क्रमांक ११ एवं १४ हटा दी गई । प्रविष्टि १० एवं १२ में राजकीय प्रथम श्रेणी उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रवक्तागण अधिसूचना क्रमांक एफ २ (४६) आई एंड एम १० दिनांक १८-१-६८ द्वारा हटाया गया ।

[1]विद्युत निरीक्षणालय

१ विद्युत निरीक्षकगण।
२ सहायक विद्युत निरीक्षकगण।

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग

१ लेखाधिकारी।

[1]वन विभाग

१ मुख्य वन सरक्षक।
२ वन सरक्षकगण।
३ क्षत्रीय वन अधिकारीगण।
४ वन उपयोग अधिकारी।
५ उप-खड वन अधिकारीगण।
६ वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण।
७ सहायक वन भू प्रबन्ध अधिकारीगण।
८ मुख्य वन सरक्षक का निजी सहायक, क्षेत्रीय वनाधिकारी के स्तर का।
९ कार्ययोजना अधिकारीगण।
१० वन वर्धनिक अधिकारीगण (सिलविकल्चरिस्ट अधिकारीगण)।

गेरेज विभाग

१ गेरेजो का मुख्य अधीक्षक।
२ मोटर अभियन्ता।
३ गेरेजो का अधीक्षक।

राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग

१ [2]सचालक मुद्रण एव लेखन सामग्री।
२ राजकीय मुद्रणालयो के अधीक्षकगण।
३ राजकीय मुद्रणालयो के सहायक अधीक्षकगण।
४ लेखाधिकारी।

उद्योग एव वाणिज्य

१ सचालक उद्योग एव वाणिज्य।
२ उप-सचालकगण।
३ क्रय विक्रय अधिकारी (मार्केटिंग आफिसर)।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए) III ६७ दिनांक १२ ४ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

२ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१४) नियुक्ति (ए) III/६२ दिनाक १३ ८ ६२ द्वारा शब्द "मुख्य अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग' के स्थान पर स्थानापन्न किया गया।

४ कनिष्ठ प्रयोगशाला अधिकारी।
५ अभियन्ता।
६ तकनीकी सहायकगण।
७ भेट अनुसंधान अधिकारी।
८ कनिष्ठ वर्गीकरण अधीक्षकगण।
९ संयुक्त संचालक।
१० सहायक संचालक, उद्योग एवं वाणिज्य।
११ अधीक्षक, हस्तकला भवन।
१२ धातुशोधक (मिटलर्जिस्ट)।
१३ जिला अधीक्षकगण।
१४ जिलाधिकारी।
१५ प्रथम श्रेणी कुटीर उद्योग संस्था।
१६ ताड़ गुड़ संगठक।
१७ व्यवस्थापक, उत्पादक एवं पूरक केन्द्र (यून वार्निंग एण्ड फिनिशिंग सेन्टर)
१८ अधीक्षक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन।
१९ तकनीकी सहायक, भेट एवं ऊन विभाग।
२० ऊन-वर्गीकरण अधीक्षक।
२१ महाअधीक्षक
१२२ उप अधीक्षक
१२३ शिफ्ट अभियन्तागण

} साडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना के लिए

१२४ प्रधानाचार्य, शिल्प प्रशिक्षण संस्था जयपुर।
१२५ प्रयोगशाला अधिकारी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग सिंचाई

१ मुख्य अभियन्ता।
२ मुख्य विकास अभियन्ता।
३ अधीक्षक अभियन्तागण।
४ अधिशासी अभियन्तागण।
५ मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक।
६ सहायक अभियन्तागण।
७ यान्त्रिक अभियन्ता।
८ भूगर्भ शास्त्री।
९ उप अभियन्ता

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२) नियुक्ति (ए)/६२ दि. ५ २ ६२ द्वारा जोड़ा गया।
२ „ एफ २ (११) नियुक्ति (ए)/६३ ग्रुप III दि. ८ ३ ६ द्वारा प्रतिस्थापित
३ „ „ एफ २ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दि. १२ ११ ६३ द्वारा प्रतिस्थापित।

१० सहायक लेखाधिकारी ।
११ जलविद्या सहायक (हाइड्रोलोजी एसिसटेन्ट)
१२ श्रम कल्याण अधिकारी ।
[1]१३ सहायक अनुसंधान अधिकारी ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग-भवन एवं पथ

१ मुख्य अभियन्ता ।
२ अधीक्षक अभियन्तागण ।
३ अधिशासी अभियन्तागण ।
४ सहायक अभियन्तागण ।
५ विशेषाधिकारी जल प्रदाय ।
६ वरिष्ठ वास्तुविद् (आरकीटेक्ट) ।
७ कनिष्ठ वास्तुविद् (,,) ।
८ राजकीय रसायनज्ञ (केमिस्ट) ।
९ लेखाधिकारी ।
१० उद्यान विशेषज्ञ ।
११ उद्यान अधीक्षक ।
१२ रसायनज्ञ (जल विभाग) ।
१३ विशेषाधिकारी ग्राम्य जल प्रदाय (जल विभाग) ।

जेल विभाग

१ कारागृहों के महानिरीक्षक ।
२ कारागृहो के उप-महा निरीक्षक ।
३ केन्द्रीय जेलो के अधीक्षकगण ।
४ जिला जेलो के अधीक्षकगण ।
५ केन्द्रीय तथा जिला जेलो के उप-अधीक्षकगण ।
६ जेल-उद्योगो के सचालक ।
७ चिकित्साधिकारीगण (सी ए एस श्रेणी प्रथम एव द्वितीय) ।

नोट—प्रविष्टि क्रमाक ५ के पदधारियो के विषय मे, भाग तृतीय एव नियम १५ (१) मे निर्दिष्ट शक्तिया, इन्ही प्रावधानो के अधीनस्थ कारागृहो के महानिरीक्षक को होगी ।

श्रम विभाग

१ सहायक श्रम आयुक्त ।
२ कारखाना एव बोयलरो के मुख्य निरीक्षक ।
३ श्रम सांख्यिकी अधिकारी ।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१४) नियुक्ति (ए)/६३ दि ३ ८ ६४ द्वारा अन्तर्यासित ।

४ महिला कल्याणाधिकारी ।
५ श्रम अधिकारीगण ।
६ कारखाना व निरीक्षकगण ।
७ भारित निरीक्षकगण ।
८ वाष्पयंत्र व निरीक्षकगण ।
९ कारखाना का चिकित्सा निरीक्षक ।
१०[1] प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ।

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग

(क) चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग

१ चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ।
२ उप-संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ।
३ सहायक संचालकगण, ।
४ मुख्य उपचारिका अधीक्षक (चीफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट) ।
५ प्रान्तीय क्षय अधिकारी ।
६ जीवन मरण सांख्यिकी अधिकारीगण ।
७ भेषजाधिकारी ।
८ मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण । (सिविल सर्जन)
९ अस्पतालों के अधीक्षकगण ।
१० वरिष्ठ शल्य चिकित्सकगण ।
११ वरिष्ठ चिकित्सकगण ।
१२ वरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक ।
१३ वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक ।
१४ शल्य चिकित्सकगण ।
१५ चिकित्सकगण (विशेषज्ञ चिकित्सक) ।
१६ स्त्री रोग चिकित्सकगण ।
१७ नेत्र चिकित्सकगण
१८ रेडियोलॉजिस्ट (एक्सरे विशेषज्ञ) ।
१९ दन्त चिकित्सक ।
२० जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण ।
२१ सिविल सहायक चिकित्सकगण श्रेणी प्रथम (चार्ज वाले चिकित्सकों सहित)
२२ उपचारिका अधीक्षकगण ।
२३ मेट्रन (प्रमुख परिचारिका) ।
२४ स्वास्थ्याधिकारीगण (एम ओ एच) ।

---

१ नियुक्ति (ए) III विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ३ (१) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक १८-४-६३ द्वारा अन्तःस्थापित ।

२५ महिला अवीक्षक, स्वास्थ्य स्कूल ।
२६ फार्मा स्युटिकल केमिस्ट (औषधि रसायनज्ञ) ।
२७ बेक्टीरिओलोजिस्ट (कीटाणु शास्त्रज्ञ) ।
२८ मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक (चीफ पबलिक केमिस्ट) ।
२९ रासायनिक जाचकर्त्ता ।
३० व्यवस्थापक, केन्द्रीय चिकित्सा स्टोर ।
३१ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्रेणी प्रथम (चुनाव ग्रेड) ।
३२ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्रेणी प्रथम ,
३३ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्रेणी द्वितीय (वरिष्ठ स्केल) ।
३४ " " " , , " " (कनिष्ठ स्केल) ।
३५ सहायक स्वास्थ्य अधिकारीगण ।
३६ सचिव, स्टोर क्रय सगठन ।
३७ प्रशासनिक अधिकारी ।
३८ प्रदर्शक (डेमान्स्ट्रेटर) ।
३९ आहार शास्त्री ।
४० सार्वजनिक विश्लेषक

(ख) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय

१ प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय ।
२ प्राध्यापक निम्नांकित विषयो के—
(क) शरीर विज्ञान (फिजियोलाजी) ।
(ख) शरीर रचना शास्त्र (चीर फाड) (ऐनेटोमी) ।
(ग) औषधि विज्ञान (फार्माकोलोजी) ।
(घ) रोग निदान (पथोलोजी) ।
३ रीडर, निम्नांकित विषयो के—
(क) रोग निदान ।
(ख) औषधियें (शिक्षा) ।
(ग) बायो–केमिस्ट्री ।
४ सहायक प्राध्यापक निम्न विषयो में—
(क) शरीर विज्ञान ।
(ख) शरीर रचना (चीर फाड) शास्त्र ।
५ वरिष्ठ प्रदर्शनकर्त्ता इन विषयो मे—
(क) शरीर विज्ञान ।
(ख) शरीर रचना (चीर फाड) शास्त्र ।
(ग) औषधि विज्ञान ।
(घ) रोग–निदान ।
६ व्याख्यातागण ।

खनिज एवं भूगर्भ विभाग

[1]१ सचालक ।
[2]२ उप सचालक (प्रशासन) ।
३ खनिज अभियन्ता गण
४ सहायक खनिज अभियन्ता ।
५ रसायन शास्त्री एवं कुम्हारी विद्या प्रवीण (केमिस्ट-कम-सिरामिक टक्नोलाजिस्ट ।
६ खनिज व्यवस्थापक ।
७ सहायक खनिज व्यवस्थापक ।
८ उप-ड्रिलिंग (छेदन) अभियन्ता ।
९ रसायन शास्त्रीगण ।
१० कुम्हारी विद्या सहायक ।
११ सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) ।
१२ व्यवस्थापक पाटन परियोजना ।
१३ श्रम कल्याण अधिकारी ।
१४ वरिष्ठ भू-गर्भ शास्त्री ।
१५ कनिष्ठ भू-गर्भ शास्त्री ।
१६ रसायनिक एवं कुम्हारी अभियन्ता ।

आरक्षी (पुलिस) विभाग

१ पुलिस मोटर अधिकारीगण ।
२ सचालक, अदालती प्रयोगशाला ।
३ सहायक सचालक ,
४, पुलिस अधीक्षक, रेडियो सगठन ।
५ उप-पुलिस „ , ।

[3]नोट —प्रविष्टियें १, २, ४ एवं ५ के पदाधिकारियों के विषय में 'निन्दा' तथा 'वेतन वृद्धियों म रोक' की शक्तियां लागू करने की शक्तियां महानिरीक्षक पुलिस को है और प्रविष्टि क्रमांक २ का पद धारण करने वाले के विषय म ये शक्तियां सचालक, अदालती प्रयोगशाला को प्राप्त है ।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२८) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक १५-९-६५ द्वारा "" "खनिज एवं भूगर्भ विभाग" के स्थान पर लिखा गया ।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ (२) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक २ -३-६६ द्वारा जोड़ा गया ।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ १ ( ) नियुक्ति (ए) ६० ग्रुप III दिनांक ८-१-६१ द्वारा स्थानापन्न किया गया एवं जोड़ा गया ।

जन संपर्क निदेशालय

१ संचालक ।
२ उप संचालकगण ।
३ सहायक संचालकगण ।
४ सुपरीक्षा अधिकारी (स्क्रूटिनि ऑफिसर)
५ वरिष्ठ फोटोग्राफर ।
६ सहायक संपादक ।
७ संपर्क अधिकारी ।
८ जन संपर्क अधिकारी ।
९ आय अधिकारी ।

सहायता एवं पुन: संस्थापन विभाग

१ आर्थिक सलाहकार ।
२ ऋण अधिकारीगण ।

समाज कल्याण विभाग

१ संचालक ।
२ सहायक संचालक ।
३ कल्याणाधिकारीगण (वेलफेयर ऑफिसर्स) ।
४ अनुसंधानाधिकारीगण ।
[1]५ प्रचाराधिकारी ।
६ विशेषाधिकारी (पुन: संस्थापन)
७ चिकित्सा अधिकारी ।
८ आवासगृहों का अधीक्षक ।
[2]९ मुख्य परीक्षण अधिकारी ।
१० प्रधानाचार्य ।
११ व्याख्याता ।
१२ जन जाति कल्याण एवं सुधार प्रशासन का व्याख्याता ।

निर्वाचन विभाग

१ मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक ।

पर्यटक सुविधायें विभाग

१ संगठक पर्यटक सुविधायें ।

पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग

१ निरीक्षकगण ।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २४ ३ ६४ द्वारा प्रविष्टि 'महिला कल्याण अधिकारी एवं सामाजिक शिक्षा अधिकारी' को हटाया गया ।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २४ ३ ६४ द्वारा जोड़ा गया ।

[1] राजस्व एवं भू प्रतिलेख विभाग

(काट दिया गया)

नाविक सैनिक एवं वायु सैनिकों का बोर्ड

१ सचिवगण।

सचिवालय

१ सहायक शासन सचिवगण।
२ संगठन एवं प्रणाली अधिकारीगण (ओ एण्ड एम आफिसर)।
३ निजी सचिवगण।
[2] ४ (काट दिया गया)।

राजकीय बीमा

१ संचालक।
२ उप संचालक।
३ सहायक संचालक।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

१ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालक।
२ सांख्यिकी।
[3]३ उप-संचालक।
[3]४ सहायक संचालक।

स्थानीय स्वायत्त शासन (स्थानीय संस्थायें)

१ क्षेत्रीय निरीक्षकगण।
२ डिविजनल पंचायत अधिकारीगण।

यातायात विभाग

१ सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारीगण।
२ व्यवस्थापक राजस्थान राज्य परिवहन सेवा।

विकास विभाग

१ सह विकास अधिकारी।
२ पशुपालन अधिकारी।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (४) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनांक १०-७-६२ द्वारा हटाया गया।

२ हटाया गया 'राज्य सचिवालय में अधीक्षक', अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२४) नियुक्ति (ए) ६१ ग्रुप III दिनांक १३-२-६२ द्वारा हटाया गया।

३ नियुक्ति (ए) III विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) नियुक्ति ए/(६१) दिनांक २०-८-६२ द्वारा जोड़ा गया।

३ कृषि प्रसार अधिकारी।
[1]४ लेखा परीक्षक राजस्थान विकास।
[2]५ प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र।

उपनिवेशन विभाग

१ उपनिवेशन के सहायक सचालक।
२ उपनिवेशन के तहसीलदार।

राजस्थान उच्च न्यायालय

१ उप-रजिस्ट्रार (प्रशासन)
२ सहायक रजिस्ट्रार एव मुख्यन्यायाधीश का सचिव।

विधि एव न्याय विभाग

१ पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स (पूरे समय काम करने वाले)।
[3]२ सरकारी अधिवक्ता (गवनमेन्ट एडवोकेट)।

पचायत विभाग

१ सहायक सचालक गण।
२ वरिष्ठ प्रशिक्षकगण एव अन्य प्रशिक्षकगण।
३ जिला पचायत अधिकारीगण।

अल्प बचत योजना

१ विशेषाधिकारी अल्प-बचत योजना।
२ क्षेत्रीय अधिकारी „ „

सेवा–नियोजन निदेशालय

१ सेवा नियोजन का सचालक।
२ सेवा-नियोजन का उप-सचालक।
३ सेवा-नियोजन का सहायक सचालक।
४ उप-क्षेत्रीय सेवा-नियोजन अधिकारी।
५ जिला सेवा-नियोजन अधिकारी।

चकबदी विभाग

२ चकबदी अधिकारी।

---

१ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए)/६३ दिनाक २५ ३ ६३ द्वारा जोडा गया।
२ अधिसूचना एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनाक २७–४–६४ द्वारा जोडा गया।
३ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दिनाक ८–११–६२ द्वारा जोडा गया।

[1] राजस्व एवं भू प्रबन्ध विभाग

(काट दिया गया)

आर्थिक सलाह एवं वायु मन्त्रियों का बोर्ड

१ सचिवगण ।

सचिवालय

१ सहायक शासन सचिवगण ।
२ संगठन एवं प्रणाली अधिकारीगण (आ. एण्ड एम. अधिकारीगण)।
३ निजी सचिवगण ।
[2] ४ (काट दिया गया) ।

राजकीय बाग

१ संचालक ।
२ उप संचालक ।
३ सहायक संचालक ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

१ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालक ।
२ सांख्यिकी ।
[3]३ उप-संचालक ।
[3]४ सहायक संचालक ।

स्थानीय स्वायत्त शासन (स्थानीय संस्थाएं)

१ ग्रामीण निरीक्षकगण ।
२ डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारीगण।

यातायात विभाग

१ सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारीगण ।
२ व्यवस्थापक राजस्थान राज्य परिवहन सेवा ।

विकास विभाग

१ खंड विकास अधिकारी ।
२ पशुपालन अधिकारी ।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ. २ (४) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनांक १० ५-६२ द्वारा हटाया गया ।

२ हटाया गया "राज्य सचिवालय में प्रशासक", अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२४) नियुक्ति (ए) ६१ ग्रुप III दिनांक १३-२ ६२ द्वारा हटाया गया ।

३ नियुक्ति (ए) III विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. २ (१८) नियुक्ति ए/(६१) दिनांक २०-२-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

३ कृषि प्रसार अधिकारी।
[1]४ लेखा परीक्षक राजस्थान विकास।
[1]५ प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र।

उपनिवेशन विभाग

१ उपनिवेशन के सहायक सचालक।
२ उपनिवेशन के तहसीलदार।

राजस्थान उच्च न्यायालय

१ उप-रजिस्ट्रार (प्रशासन)
२ सहायक रजिस्ट्रार एव मुख्य न्यायाधीश का सचिव।

विधि एव न्याय विभाग

१ पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स (पूरे समय काम करने वाले)।
[3]२ सरकारी अधिवक्ता (गवर्नमेन्ट एडवोकेट)।

पचायत विभाग

१ सहायक सचालक गण।
२ वरिष्ठ प्रशिक्षकगण एव अन्य प्रशिक्षकगण।
३ जिला पचायत अधिकारीगण।

अल्प बचत योजना

१ विशेषाधिकारी अल्प-बचत योजना।
२ क्षेत्रीय अधिकारी, " "

सेवा-नियोजन निदेशालय

१ सेवा नियोजन का सचालक।
२ सेवा-नियोजन का उप-सचालक।
३ सेवा-नियोजन का सहायक सचालक।
४ उप-क्षेत्रीय सेवा-नियोजन अधिकारी।
५ जिला सेवा-नियोजन अधिकारी।

चकबदी विभाग

२ चकबदी अधिकारी।

---

१ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (७) नियुक्ति (ए)/६३ दिनाक २५ ३ ६३ द्वारा जोडा गया।

२ अधिसूचना एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनाक २७-४-६४ द्वारा जोडा गया।

३ नियुक्ति (ए) III विभाग अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (२२) नियुक्ति (ए)/६२ दिनाक ८-११-६२ द्वारा जोडा गया।

[1] राजस्थान लोक सेवा आयोग

(विलोपित किया गया)

पदाधिकारियों का प्रशिक्षण स्कूल, जयपुर

१ प्रशासन अधिकारी।

[2] मूल्यांकन संगठन

१ क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारीगण।
२ अनुसंधान अधिकारीगण।

[3] राजस्थान नहर परियोजना

१ सहायक नगर नियोजक।

[4]राजस्थान राज्य सड़क परिवहन विभाग

१ महा व्यवस्थापक (जनरल मैनेजर)।
२ उप महा व्यवस्थापक।
३ सहायक महा व्यवस्थापक (प्रशासन)
४ सहायक महा व्यवस्थापक (यातायात)।
५ सहायक क्षेत्रीय व्यवस्थापक।
६ मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता।
७ क्षेत्रीय ,,   ,,
८ कार्य व्यवस्थापक।
९ स्टोर का नियन्त्रक।
१० सहायक यान्त्रिक अभियन्ता।
११ सहायक कार्य व्यवस्थापक।
१२ तकनीकी सहायक।
१३ सहायक अभियन्ता (सिविल)।
१४ कोष्ठागाराधिकारी (स्टोर ऑफिसर)।
१५ श्रम अधिकारी।
१६ वरिष्ठ लेखाधिकारी।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२८) नियुक्ति (ए) ६१ ग्रुप III दिनांक १०.२.६२ द्वारा 'लोक सेवा आयोग का अधीक्षक' हटा दिया गया।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१५) नियुक्ति (ए)/६१ दिनांक ४.१०.६१ द्वारा अन्तर्योजित किया गया।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२१) नियुक्ति एफ ३ (२१) नियुक्ति (ए) ६२ ग्रुप III दिनांक २२.१०.६२ द्वारा जोड़ा गया।

४ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए) ६४ दिनांक ७.१.६४ द्वारा जोड़ा गया।

[1]राजस्थान भूमिगत जल मडल

१ प्रभारी अभियन्ता एव सचिव ।
२ अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग) ।
३ „ (ब्लास्टिंग) ।
४ भूगमजल विशेषज्ञ (जीओहाइड्रालोजिस्ट) ।
५ सहायक अभियन्ता ।
६ कनिष्ठ भूगभ विशेषज्ञ ।
७ रसायन शास्त्री (केमिस्ट) ।
८ ड्रिलिंग फोरमेन ।

[2]जिला गजेटियर का निदेशालय

१ अनुसधान अधिकारी ।

[3]प्राचीन अभिलेख निदेशालय

१ प्राचीन अभिलेखों के सचालक ।
२ प्राचीन अभिलेखो के सहायक सचालक ।

[4]विद्युत निरीक्षणालय

१ सहायक विद्युत निरीक्षक ।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ७ (६) नियुक्ति (ए) III/६५ दिनाक १५-६-६७ द्वारा जोड़ा गया ।
२ „ , (६) „ (ए) /६५ दि० २३ ७ ६५ द्वारा जोड़ा गया ।
३ „ , , (१६) , (ए) - III ६५ दिनाक ८-११-६५ द्वारा अन्तर्यामित हुआ ।
४ „ , (१५) „ , „ , „ ८ ११-६५ „ „

अनुसूची द्वितीय

अधीनस्थ सेवायें

निम्न लिखित पद तथा इसी प्रकार के पदधारी —
[1] समाविष्ट किया गया।

कृषि विभाग

क—कृषि शाखा

१ सहायक जिला कृषि अधिकारी (यंग ग्रेजुएट्स)।
२ सहायक फसल चार्ज (चार्ज)।
३ गन्ना फसल चार्ज (कपास)।
४ फार्म ओवरसियर गण।
५ ड्राफ्ट्समैन।
६ कलाकार।
७ फल रसायनिकगण (टेक्नीशियन)।
८ मिस्त्री।
९ ड्रिल चालक।
१० प्रयोगशाला सहायकगण।
११ कृषि सहायकगण।
१२ खेत सहायकगण (फील्ड असिस्टेन्ट्स)।
१३ सहायक कला रसायनिकगण।
१४ ग्राम शिक्षा गण।
१५ कृषि शिक्षकगण।
१६ उद्यानों के पर्यवेक्षक।
१७ निरीक्षकगण (इन्सपेक्टर्स)।
१८ यान्त्रिकगण (मशीनिस्ट)।
१९ फार्म निरीक्षकगण।
२० पौध संरक्षण सहायक।
२१ सहायक जिला कृषि अधिकारीगण।
२२ ट्रैक्टर फोरमैन।
२३ ग्राम व्यवस्थापकगण।
२४ अनुसंधान सहायक।
२५ कृषि प्रसार अधिकारीगण।
२६ कृषि व्याख्यान का डिमान्स्ट्रेटर।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ० (११) नियुक्ति/ (ए)/ ६७ दिनांक १२.१०.६२ द्वारा सम्मिलित हुआ।

ख—पशुधन शाखा

१ सल्हात्री।
२ टीका लगाने वाले।
३ मुख्य स्टोकमैन एव स्टोक मन।
४ पशुधन निरीक्षकगण।
५ मत्स्य प्रयवेक्षकगण।
६ पशुचिकित्सालयो के लिये कम्पाउडर गण।
७ पक्षी निरीक्षकगण, उप–निरीक्षकगण एव सहायक।
८ प्रयोगशाला सहायकगण।
९ पशु प्रजनन फार्मो के सहायक अधीक्षकगण।
[1]१० पशुपालन प्रसार अधिकारीगण एव भेड तथा ऊन प्रसार अधिकारीगण।

नोट—निन्दा एव 'वतन वृद्धियो मे रोके' जो दो से अधिक नही होगी और उनका जुडवा प्रभाव नही होगा ऐसी शास्तियें लागू करने की शक्तियां, राजपत्रित पशुपालन प्रसार अधिकारी के पदधारी के सम्बध म (i) सम्बधित पशुपालन उप सचालक के पास होगी और (ii) अराजपत्रित कमचारियो के विषय मे सम्बधित जिला पशुपालन अधिकारी के पास होंगी तथा कृषि प्रसार अधिकारियो एव भेड तथा ऊन प्रसार अधिकारियो के विषय म ये शक्तियां क्रमश सम्बधित जिला कृषि अधिकारियो एव जिला पशु पालन अधिकारियो के पास होगी।

पुरातत्व विभाग एव सग्रहालय विभाग

१ सरक्षकगण (कस्टोडियन्स)।
२ सुरक्षा सहायक (कन्जरवेशन एसिसटेन्ट)।
३ पयवेक्षक, खगोलिक वेधशाला जयपुर।
४ फाटोग्राफर्स।
५ ड्राफ्ट्स मैन।
६ कलाकार (आर्टिस्ट)।
[2]७ पुस्तकालयाध्यक्ष।
८ पयवेक्षक (दुग एव प्रासाद)।
९ प्रयोगशाला सहायक।
१० निशानेबाज।
११ मुख्य फोटोग्राफर।
१२ बढई।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३(२६)नियुक्ति (ए)/६२ दि ३० १० ६३ द्वारा अन्त र्विष्ट हुआ।
२ पद स्ख्या ७ से १२ के स्थान पर अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III) दि० १२ ४-६७ द्वारा लिखा गया।

आयुर्वेदिक विभाग

१ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के निरीक्षकगण।
२ आयुर्वेद विभाग भाग के यंत्र एवं सहायक यंत्र।
३ चिकित्सालयों के यंत्र एवं हकीम।
४ कम्पाउन्डरगण।
५ नर्स।
६ आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के व्याख्यातागण।
७ भारतीय मेडिसिन बोर्ड का पंजीयक।

उच्च विश्राम गृह (सर्किट हाउसेज)

१ प्रथम श्रेणी के उच्च विश्रामगृहों के व्यवस्थापक।
२ व्यवस्थापक, राज्य के आवासगृह (गवर्नमेन्ट हास्टल) जयपुर।
३ वरिष्ठ स्वागतकर्ता।
४ कनिष्ठ स्वागतकर्ता।
५ उच्च विश्रामगृहों के व्यवस्थापक।
१६ राजस्थान राजकीय होस्टल जयपुर का सहायक अधीक्षक।
१७ व्यवस्थापक बीकानेर आवास नई दिल्ली।

प्रशासनिक उड्डयन विभाग (विमान विभाग)

१ यांत्रिक (मैकेनिक)

[2]खाद्य पूर्ति विभाग

१ क्षेत्रीय स्वदेश अधिकारीगण।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ. ३ (४) नियुक्ति (ग) ६१ दि. ११ ६ ६१ द्वारा जोड़ा गया।

२ "नागरिक पूर्ति विभाग" के स्थान पर लिया गया अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२१) नियुक्ति (ए) III/६५ दि. ५ २ ६५ द्वारा —

१ प्रवर्तक (एनफोर्समेन्ट) निरीक्षक।
२ सहायक रसनिंग अधिकारी।
३ मुख्य निरीक्षक, रासनिंग।
४ रासनिंग निरीक्षक।
५ सहायक पूर्ति अधिकारी।
६ पदवकार (जिला)।
७ नायब तहसीलदार।
८ गोदाम अधिकारी।
९ गोदाम पर्यवेक्षक।
१० गोदामों के श्रम निरीक्षक।
११ तकनीकी अधिकारी।
१२ तकनीकी सहायक।
१३ यातायात अधिकारी।
१४ प्रवर्तक (एनफोर्समेंट) शाखा के हैड कान्स्टेबल।
१५ " " " कान्स्टेबल सिपाही।

३ जोड़ा गया क्रमांक एफ ३ (२६) नियुक्ति (ए) ६२ ग्रुप III दिनांक ३० १० ६३

२ प्रवर्त्तक (एनफोर्समेन्ट) अधिकारीगण।
३ गोदाम अधिकारीगण।
४ सहायक जिला पूर्ति अधिकारीगण।
५ प्रवर्त्तक (एन्फोर्समेंट) निरीक्षकगण।

सहकारी विभाग

१ निरीक्षकगण।
२ सहायक निरीक्षकगण।
३ फील्ड प्रचार सहायक।
४ आपरेटस (चालक)।
५ ग्राम सेवक।
६ ग्राम पुनः निर्माण विभाग के शिक्षक।
७ वैद्य।
[1] ८ व्यवस्थापक, नाटय इकाई (ड्रामेटिक यूनिट)।
[1] ९ कलाकार „ „ ।
[1] १० अभिनेता, „ ।
[1] ११ संगीतज्ञ „ „ „ ।
[2] १२ सहकारी प्रसार अधिकारी।

[2] **नोट**— निंदा एवं वेतन वृद्धियां में रोक, जो दो से अधिक नहीं होगी और जिनका जुड़वा प्रभाव नहीं होगा, ऐसी शास्तियें लागू करने की शक्तियां सहकारी प्रसार अधिकारियों और सहायक निरीक्षकों के पद धारण करने वालों के विषय में सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रार को होगी।

[3] वाणीज्य कर विभाग

१ विधि सहायक।
२ निरीक्षक प्रथम ग्रेड के।

१ क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III, दिनांक ८ २ ६१ द्वारा जोड़ा गया।
२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२६) सहायता (ए) ६२ ग्रुप III दिनांक ३० १० ६३ द्वारा जोड़ा गया।
३ 'आबकारी एवं कर विभाग' के स्थान पर लिखा गया।

१ निरीक्षक — २ जमादार
३ महसूलचोरी विरोधकदल के सिपाही तथा सवार — ४ गश्त लगाने वाले अधीक्षक।
५ गश्त लगाने वाले अधिकारी।

नोट— निंदा एवं वेतन वृद्धियां में रोक जो दो से अधिक नहीं होगी और जिसका जुड़वा प्रभाव नहीं होगा, ऐसी शास्तियें लागू करने की शक्तियां निरीक्षकों के पद धारण करने वालों के विषय में सम्बंधित सहायक आयुक्त बिक्री कर अधिकारी को होगी जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक १९ ८ ६४।

३ निरीक्षक द्वितीय ग्रेड के ।

४ निरीक्षक तृतीय ग्रेड के ।

[1] ५ गश्त लगाने वाले अधिकारी (पैट्रोलिंग आफिसर) ।

[1] ६ जमादार ।

[1] ७ सिपाही ।

[1] ८ मोटर चालक ।

[1] नोट—१ जिन पदों के वेतन वृद्धियां में रोक आदेश में वर्णित नहीं होंगी और जिनका उनका प्रभाव नहीं होगा ऐसी शास्तियें लागू करने की शक्तियां पूर्व प्रमाणित संख्या ३ से ४ अर्थात निरीक्षकगण ग्रेड १ से ३ तक के विषय में वाणिज्य कर अधिकारी को होगी ।

२ शास्ति की शास्ति लागू करने की शक्ति पद क्रमांक ७ एवं ८ अर्थात सिपाही और मोटर चालक के विषय में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी (निरोधक दल) को होगी ।

३ राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १४ (i) (ii) तथा (iii) में निर्धारित समस्त लघु शास्तियें पद क्रमांक ७ से ८ के विषय में लागू करने की शक्तियां उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग (प्रशासन) को होगी ।

[2] आबकारी विभाग

१ निरीक्षक ग्रेड प्रथम ।

२ „ द्वितीय ।

३ „ „ तृतीय ।

४ कोर्ट इन्सपेक्टर ।

५ गश्त लगाने वाले अधीक्षक (निरोधक दल) ।

६ गश्त लगाने वाले अधिकारी ग्रेड प्रथम (निरोधक दल) ।

७ „ „ „ „ द्वितीय („) ।

८ जमादार (निरोधक दल) ।

९ सिपाही तथा सवार (निरोधक दल) ।

[3] नोट—१ जिन तथा ग्रेड में वृद्धियां पर रोक आदेश में वर्णित नहीं होगा और जिनका उनका प्रभाव नहीं होगा ऐसी शास्तियां लागू करने की शक्तियां पद क्रमांक १ से ४ तक के विषय में सहायक आबकारी अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारियों को होगी ।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ ([illegible]) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक [illegible] द्वारा जोड़ा गया ।

२ अधिसूचना क्रमांक ३ (१९) नियुक्ति (ए)/६४ दिनांक १६-८-६४ द्वारा जोड़ा गया ।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ ([illegible]) नियुक्ति (ए) III/६४ दिनांक २२-४-६५ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

२ निन्दा की शास्ति लागू करने की शक्ति पद क्रमांक ८ तथा ६ के विषय मे सहायक आबकारी अधिकारी (निरोधक दल)/जिला आबकारी अधिकारी (निरोधक दल) को होगी।

३ कथित नियमो के नियम १४ (i) (ii) तथा (iii) मे निर्धारित समस्त लघुशास्तिया प्रदान करने की शक्तिया पद क्रमाक १ से ४ के विषय मे उपायुक्त, आबकारी को एव पद क्रमाक ५ से ६ के विषय मे उपायुक्त (निरोधक दल) को होगी।

धर्मार्थ विभाग

१ निरीक्षक।
२ सहायक निरीक्षक।

शिक्षा विभाग

१ सहायक उप निरीक्षक।
२ उच्च विद्यालयो तथा इसी प्रकार की अन्य शिक्षा सस्थाम्रो के अतिरिक्त स्कूलो के प्रधानाध्यापक गण।
२ महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर पचम जॉज रजत जुबिली पुस्तकालय बीकानेर एव सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय जोधपुर, के पुस्तकालयाध्यक्ष।
४ समस्त राजकीय सस्थाम्रो के शिक्षक।
५ अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा।
६ चिकित्साधिकारी।
७ सामाजिक शिक्षा सगठक।
८ म्रोवरसीयर।
६ उप प्रधानाचार्य, कला सस्थान, जयपुर।
१० [1]शारीरिक शिक्षक।
११ [1]प्रयोगशाला सहायक।
१२ [1]प्रदर्शनकर्त्ता।
१३ [1]आशु-लिपिक शिक्षक।
१४ [1]पशुम्रो की खाल मे मसाला भरने वाला।
१५ [1]कलाकार।
१६ [1]उद्यान पर्यवेक्षक।
१७ [1]सग्रहालय रखने वाले (म्यूजियम कीपर्स।)
१८ [1]गसवाले।
१६ [1]सेक्शन काटने वाला।
२० [2]सस्कृत महाविद्यालय के व्याख्याता।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (२२) नियुक्ति (ए) ग्रुप III/६१ दिनाक २४-१ ६२ द्वारा अन्तर्योसित किया गया।

२ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१३) नियुक्त (ए) ग्रुप III ६२ दिनाक ६ ८ ६२ द्वारा अन्तर्योसित किया गया।

२१ [1]शिक्षा प्रसार अधिकारी।
२२ सहायक शारीरिक शिक्षक।
२३ संगीत तथा नृत्य शिक्षक।
२४ [illegible]।
२५ तबला शिक्षक।
२६ [2]श्रम शिक्षक।
२७ [3]महिला परिचारिका (नर्स मेट्रन)
२८ [4]यांत्रिक तथा मिस्त्री।
२९ स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष।
३० सहायक [illegible]।
३१ [4]कम्प्यूटर।
३२ [5]प्रबन्धक अधिकारी।
३३ सहायक प्रबन्धक अधिकारी।
३४ उपस्थिति अधिकारी।
३५ [5]क्षेत्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष।
३६ [5]परिचारिका (मेट्रन)

नोट—(१) [6]भाग तृतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट अध्यापकों, प्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड व शिक्षकों, बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूलों के सहायक

---

1 अधिसूचना क्रमांक एफ. ३ (२६) नियुक्ति (ए) ग्रुप III/६२ दिनांक १० १० ६२ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
2 अधिसूचना क्रमांक एफ. ३ (११) नियुक्ति (ए) III/६३ दिनांक १२ १२ ६३ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
3 अधिसूचना क्रमांक एफ. ३ (११) नियुक्ति (ए) ६४ दि. १७ ६ ६४ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
4 अधिसूचना क्रमांक एफ. ३ (१४) नियुक्ति (ए) ६४ दि. २६ ? ६५ द्वारा जोड़ा गया।
5 " एफ. ३ (१८) " " दि. २२ १० ६४ " " "।
6 अधिसूचना क्रमांक एफ. (२६) नियुक्ति (ए) III/६२ दिनांक १० १० ६२ द्वारा निम्न नोट १ से ४ तक नोट १ से ४ के स्थान पर किया गया।

नोट १ भाग तृतीय में निर्दिष्ट नियुक्तियां इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहते प्रशिक्षित स्नातक, अप्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदोन्नतियों के विषय में उप शिक्षा संचालक की होगी।

२ भाग तृतीय में निर्दिष्ट नियुक्तियां, इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहते, मिडल, प्रशिक्षित मिडल, मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक एवं अप्रशिक्षित इण्टर ग्रेड अध्यापकों के पदोन्नतियों के विषय में स्कूलों के निरीक्षक की (जिसमें जिले के प्रभारी स्कूल उप निरीक्षकगण भी सम्मिलित हैं) होगी।

३ भाग तृतीय में निर्दिष्ट नियुक्तियां इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहते, कन्या पाठशालाओं की प्रशिक्षित मैट्रिक, एवं इण्टर ग्रेड की अध्यापिकाओं के पदोन्नतियों के विषय में सहायक शिक्षा संचालक (महिलाएं) की होगी।

४ भाग तृतीय में निर्दिष्ट नियुक्तियां इन्हीं नियमों के प्रावधानों के अधीनस्थ रहते कन्या पाठशालाओं की मिडल एवं प्रशिक्षित मिडल ग्रेड अध्यापिकाओं के पदोन्नतियों के विषय में स्कूलों की उप निरीक्षिका की होगी।

शिक्षको सहित पदो के धारण करने वालो के विषय मे इन्ही नियमो क प्रावधानो के अधीन, शिक्षा के उप सचालको को होगी ।

(२) भाग तृतीय नियम १५ (१) मे निर्दिष्ट शक्तिया, मैट्रिक प्रशिक्षित, मैट्रिक अप्रशिक्षित, इटर, एव प्रशिक्षित इटर, शिक्षक पदधारियो के विषय मे इन्ही नियमो के प्रावधानो के अधीन, विद्यालय निरीक्षको को (जिले के प्रभारी उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं) होगी ।

(३) भाग तृतीय नियम १५ (१) मे निर्दिष्ट शक्तिया, अप्रशिक्षित एव प्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के कन्यापाठशालाग्रो के अध्यापिकाग्रो व पदधारियो के विषय मे, इन्ही नियमो के प्रावधानो के अधीन, सहायक/उप सचालक शिक्षा (महिला) को होगी ।

(४) भाग तृतीय नियम १५(१) मे निर्दिष्ट शक्तिया, कन्यापाठशालाग्रो की मैट्रिक एव प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड को अध्यापिकाग्रो के पदधारियो के विषय मे स्कूलो की उप निरीक्षिका को इन नियमो के प्रावधानो के अधीन होगी ।

(५) 'निंदा' एव 'वेतन मे दो तरक्कियें तक रोकने, जिनका जुडवा प्रभाव नही होगा ऐसी शास्तिया प्रदान करने की शक्तिया, शिक्षा प्रसार अधिकारियो का पद धारण करने वालो के विषय मे सम्बधित स्कूलो के निरीक्षक को होगी ।

पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व अनुसधान सस्था)

१ कनिष्ठ अनुसधान सहायक ।
२ पर्यवेक्षक ।

[1]निर्वाचन विभाग (काट दिया गया)

वन विभाग

१ रेन्जरगण जिनमे चिन्ह अकित करने वाले रेन्जर एव घास फार्मो के उप रेन्जर भी सम्मिलित हैं ।
२ उप रेन्जरगण ।
३ कोटा वन स्कूल के शिक्षकगण ।
४ मुख्य पहरेदार ।
५ हवलदार ।
६ फोरेस्टर ।
७ नाकेदार ।
८ चमडे वाले (स्किनर्स)
९ पर्यवेक्षकगण ।
१० ड्राफ्ट्समैन ।
११ अमीन ।
१२ ओवरसीयर ।

१ मौजूदा निर्वाचन विभाग की प्रविष्टियाँ, अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (४) नियुक्ति (ग)-६२ दिनाक २२ १० ६२ द्वारा काट दी गई ।

गैरेज विभाग

१ चालक, सहायक चालक जिसमें मोटर चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक सम्मिलित हैं।
२ फायरमैन।
३ विद्युत कर्मचारी।
४ मैकेनिक।
५ फिटर।
६ यान्त्रिक निरीक्षक।

नोट —I—इस अनुसूची का वर्गीकरण अन्य विभागों के इसी प्रकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

नोट II—निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति एवं [illegible] करने की शक्ति [illegible] के [illegible] मुख्य [illegible] के [illegible]

१ मैकेनिक (मिस्त्री)।
फिटर।
३ विद्युत कर्मचारी।
४ चालक।

सार्वजनिक निर्माण विभाग-सिंचाई

१ सहायक पम्प अभियन्ता।
२ कम्प्यूटर्स।
३ नक्शा नवीस [illegible] (एस्टीमेटर)
४ ड्राफ्ट्समैन, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन, कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन एवं सहायक ड्राफ्ट्समैन सहित।
५ ट्रेस करने वाले।
६ ओवरसीयर।
७ मिस्त्री, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सम्मिलित।
८ पम्पमैन।
९ नक्शों का अभिलेख रखने वाला।
१० [illegible] वाले एवं [illegible] कर्मचारी।
११ सर्विस मैन।
१२ यान्त्रिक फोरमैन।
१३ [illegible]।
१४ मुद्रण करने वाले मुख्य चालक एवं [illegible]।

१६ उप कलेक्टर।
१७ यान्त्रिक एव विद्युत ओवरसीयर।
१८ अनुसधान सहायक।
१९ मुख्य प्रयोगशाला सहायक।
२० प्रयोगशाला सहायक।
२१ ओवरसीयर।
२२ नहर तहसीलदार।
[1]२३ फील्ड सहायक।
[1]२४ मिट्टी विश्लेषक।
[1]२५ ओवजवम (प्रेक्षक)
[1]२६ मिस्त्री।
[2]२७ श्रम कल्याण निरीक्षक।

[3]नोट–' निंदा एव बिना जुडवा प्रभाव किये दो वेतन वृद्धि तक रोकने की शास्तिया लागू करने की शक्तिया ओवरसीयर का पद धारण करने वालों के विषय मे सबधित अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को होगी।

सहायक एव पुन सस्थापन विभाग

१ तहसीलदार।
२ सहायक ग्राम पुन सस्थापन अधिकारी।
३ ऋण निरीक्षक।
४ परिभ्रमण निरीक्षक।
५ नायब तहसीलदार।
[4]६ विक्रय निरीक्षक।

समाज कल्याण विभाग

१ सहायक अनुसधानाधिकारी।
२ सहायक प्रचाराधिकारी।
३ सहायक सांख्यिकी अधिकारी।
४ फोटोग्राफर एव कलाकार।
५ कल्याण एव पुन सस्थापन।
६ लेखा निरीक्षक।
७ प्रचार सहायक।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ १८(१६) नियुक्ति (ए)५६ दि ११ ४ ५९ द्वारा अन्तर्न्यासित किया गया।
२ , एफ ३ (१) नियुक्ति (ए-III) ६७ , १०-४ ६७ ,, , ,,
३ , ,, एफ ३ (२६) , (ए) II ६२ , ३० १० ६३ , ,,
४ , , एफ ५ (१०) (ए) II ६५ ,, १९ ८ ६५ द्वारा जोड़ा गया।

८ कल्याण कर्मचारी ।
९ महिला कल्याण कर्मचारी ।
१० ओवरसीयर तथा ड्राफ्ट्समैन ।
११ प्रचारक ।
१२ चालक (आपरेटस)
१३ मुख्य निरीक्षक ।
१४ वरिष्ठ आवास निरीक्षक ।
१५ औद्योगिक निरीक्षक ।
१६ स्कूलो के पर्यवेक्षक ।
१७ आवास निरीक्षक ।
१८ वृत निरीक्षक ।
१९ वैद्य ।
२० कम्पाउडर ।
२१ छात्रावास अधीक्षक ।
२२ महिला छात्रावास अधीक्षक ।
२३ सिलाई प्रशिक्षक ।
२४ बढई प्रशिक्षक ।
२५ जूता कार्य निरीक्षक ।
२६ वास एव बेत कार्य प्रशिक्षक ।
२७ कृषि प्रशिक्षक ।
२८ लुहारी प्रशिक्षक ।
२९ प्रशिक्षक (बुनियादी पाठशालाए)
३० ¹क्राफ्ट अध्यापक (बुनियादी पाठशाला)
३१ शिल्पकगण ।
३२ सहायक अधीक्षक ।
¹३३ महिला कल्याण अधिकारी ।
३४ जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
३५ अनुसधानकर्त्ता (पोस्ट सर्वेक्षण)
३६ परीक्षण अधिकारी ।
३७ सहायक महिला कल्याण अधिकारी ।
३८ अधीक्षक, उत्तर-परिचर्या गृह/रक्षा गृह/भिक्षुक गृह/एव वृद्धा तथा निबलों के गृह ।
३९ प्रमाणित स्कूल के मुख्याध्यापक ।
४० सहायक अधीक्षक, उत्तर परिचर्या गृह/रक्षा गृह/भिक्षुक गृह एव वृद्धों तथा निबलो के गृह ।
४१ सहायक परीक्षण अधिकारी ।

१ अधिसूचना क्रमाक एफ . (१६) नियुक्ति (ए) 111/६४ दि २४ . ६४ द्वारा जोड़ा गया ।

४२ कल्याण अधिकारी (कारावास)
४३ अन्वेषणकर्ता (गृहो के)

सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ

१ अधीनस्थ अभियन्ता कर्मचारीगण, वरिष्ठ एण्ड कनिष्ठ ।
२ आगणनकर्त्ता (ऐस्टीमेटस) ।
३ गणनाकार (कम्प्यूटस) ।
४ मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समेन), जिसमे मुख्य मान चित्रकार वरिष्ठ मानचित्र कार कनिष्ठ मानचित्रकार एव सहायक मानचित्रकार सम्मिलित हैं ।
५ फेर्री कर्मचारीगण ।
६ कारखाने के पर्यवेक्षक ।
७ कारखाने के फोरमैन ।
८ जल निरीक्षक ।
९ मीटर निरीक्षक ।
१० मीटर पढने वाले ।
११ प्रयोगशाला सहायक ।
१२ फिल्टर परिचारक ।
१३ पम्प परिचारक ।
१४ ट्रेस करने वाले ।
१५ उद्यानो के निरीक्षक ।
१६ उद्यानो के सहायक निरीक्षक ।
१७ कानूनी सहायक ।
१८ सहायक वास्तुविद् (एसिसटेंट आरकिटेक्ट) ।
१९ सहायक सांख्यिकि ।
२० मिस्त्री ।
[1]२१ पम्प चालक ।

[2]नोट — निन्दा एव वेतन वृद्धियें रोकना जो दो से अधिक नहीं हो और जिनका कुप्रभाव नहीं हो, ऐसी शास्तियां ओवरसीयरों के पद धारण करने वालों को सम्बधित अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन एव पथ) देने के लिये सशक्त होंगे ।

श्रम विभाग

१ निरीक्षक ।
२ अनुसन्धानकर्ता ।
३ सांख्यिकी सहायक ।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (२५) नियुक्ति (ए III)/६५ दि ५-४-६६ द्वारा जोडा गया ।
२ ,, ,, एफ ३ (२६) ,, (ए)/६३ ग्रुप III दि ३०-१०-६३ ,, ,, ।

४ कम्पाउंडर ।
५ गणनाकार (कम्प्यूटर)
६ शिक्षित दाई ।
७ परिचारिका (नर्स) ।
८ मानचित्रकार (नक्शानवीस) ।
९ सिनेमा चालक ।
[1]१० व्यवस्थापक केन्द्रीय चिकित्सा स्टोर कर्मचारी राजकीय बीमा योजना ।
[2]११ पयवेक्षक प्रशिक्षक ।
[2]१२ चित्रकारी एवं हस्तकला प्रशिक्षक ।
[2]१३ अ नस्नीकी प्रशिक्षक ।
[2]१४ फारमन प्रशिक्षक ।

जेल विभाग

१ जेलर ।
२ उप जेलर ।
३ नायब जेलर ।
४ मुख्य हैड वार्डर ।
५ परिचारिका (मेट्रन) ।
६ हैड वार्डर ।
७ कारखाना व्यवस्थापक ।
८ सहायक फैक्टरी व्यवस्थापक ।
९ अध्यापक ।
१० मुख्य मुद्रयोजक (कम्पोजीटर) ।
११ मुद्रयोजक ।
१२ मुद्रक (प्रिन्टर) ।
१३ जेलों एवं बन्दीगृहों के निरीक्षक ।
१४ कम्पाउंडर ।
१५ नर्स दाइयां ।

राजस्व उपनिवेशन तथा भू अभिलेख विभाग

१ नायब तहसीलदार ।

नोट —इन पदों का धारण करने वालों के लिये कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित [3]जिले के जिलाधीश होंगे ।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ. १६( ) नियुक्ति ए/६१ ग्रुप III दिनांक —११-६१ द्वारा जोड़ा गया ।
२ " , एफ. २ (१०) III/६२ दिनांक ७-६-६२ द्वारा जोड़ा गया ।
३ शब्द "खंड (डिवीजन)" तथा "आयुक्त" के स्थान पर अधिसूचना क्रमांक एफ. (२३) नियुक्ति (ए III) ६१ दिनांक ७-६-६२ द्वारा लिखे गये ।

२ सहायक भू अभिलेख अधिकारी।

नोट —इन पदों को धारण करने वालों के लिये कार्यालयाध्यक्ष भू अभिलेखों का संचालक होगा।

३ भू व्यवस्था विभाग के चैकरों के निरीक्षक।
४ निरीक्षक, भू अभिलेख विभाग।
५ मुख्य नकशानवीस तथा नक्शानवीस।
६ सीमा निरीक्षक।
७ सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो एवं कार्यालय कानूनगो।
८ सहायक कार्यालय कानूनगो।
९ वरिष्ठ सीमा निरीक्षक।
१० राजस्व लेखों के निरीक्षक।
११ ट्रेसर्स।
१२ फोरमैन।
१३ तहसीलदार।

रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) एवं स्टाम्प विभाग

१ उप रजिस्ट्रार।

स्थानीय संस्थाओं का निदेशालय

१ सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक।

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग

(क)-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग

१ अस्पतालों के सहायक अधीक्षक।
२ सहायक औषधि रसायनज्ञ (सहायक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट)।
३ सहायक परिचारिकाएं (मेट्रन्स)।
४ महोपचारिकाएं (सिस्टर्स) तथा कनिष्ठ महोपचारिकाएं।
५ नर्से तथा नर्स दाइयां, दाइयां नर नर्सों सहित।
६ कम्पाउडर।
७ फार्मासिस्ट्स (औषधियें तैयार करने वाले)
८ तकनीकिज्ञ (टेकनीशियन्स)।
९ क्षरश्मि सहायक (एक्सरे ऐसिस्टेंट)।
१० प्रचार सहायक।
११ कलाकार।
१२ महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (लेडी हैल्थ विजीटर)।
१३ प्रयोगशाला सहायक।
१४ मीडिया मैन (साधन कर्मचारी)।
१५ स्वास्थ्य निरीक्षक।

१६ सैनिटरी निरीक्षक।
१७ मलेरिया सर्वे दल का सदस्य।
१८ हैल्थ विजीटर।
१९ टीका लगाने वाले।
२० मिस्त्री।
२१ विद्युत कर्मचारी।
२२ सहायक परिचारिका शिक्षक (सिस्टर ट्यूटर)।
२३ स्टाफ नर्स।
२४ प्रशिक्षित दाइयां।
२५ पशु आवास रखवाला (एनीमल हाउस कीपर)।
२६ [illegible]।
२७ (व्यवसायिक चिकित्सा) आक्यूपेशनल थिरेपिस्ट।
२८ माडेलर (नमूने वाले)।
२९ शारीरिक प्रशिक्षक।
[1]३० मोटर मिस्त्री।
[2]३१ मलेरिया इकाई अधिकारी।

(घ) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय

१ कनिष्ठ प्रदर्शक कला।
२ क्यूरेटर (संग्रहालय रक्षक)
३ पुस्तकालयाध्यक्ष।
४ शारीरिक प्रशिक्षक।

[3]नोट — निम्न पद केवल सूचियों में और जो [illegible] में अधिक नहीं होगा और जिनका मूल्य प्रभाव नहीं होगा तथा शास्तियां अनिवार्य निरीक्षकों पर लागू करने की शक्ति सम्बन्धित जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।

[4]क्लिनिक एवं सू [illegible] विभाग

१ सर्वेक्षण कर्मी।
२ विद्युत कर्मचारी।
३ संग्रहालय सहायक।
४ रसायनिक सहायक।
५ कच्ची धातु छांटने वाला।
६ यांत्रिक (मैकेनिक)।
७ व्यवस्थापक भाकरी पट्टियों की खान।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ( ) नियुक्ति (ए) [illegible]/ग्रुप III दि [illegible] द्वारा जोड़ा गया।
२ " " एफ ( ) नियुक्ति (ए III)/६६ दिनांक [illegible] " "।
३ " " एफ ( ) नियुक्ति (ए) ६३ दिनांक २० १० ६३ " "।
४ अधिसूचना क्रमांक एफ ( ) नियुक्ति III/[illegible] दिनांक [illegible] द्वारा जोड़ा गया।

८ कम्प्रेसर ओपरेटर।
६. खान खोजने वाला पर्यवेक्षक।
१० पम्प चालक।
११ जनरेटर चालक।
१२ चट्टान छेदने वाला चालक।
१३ छेदने वाला सहायक।
१४ रस्सा वाला (रिगमैन)।
१५ सेक्शन काटने वाला।
१६ ट्रेस करने वाला।
१७ कम्प्रेसर ड्राइवर।
१८ छेदने वाला ग्रेड प्रथम।
१९ ,, ,, ग्रेड द्वितीय।
२० सहायक छेदक (ऐसिस्टेंट ड्रिलर)।
२१ खनिज सर्वेक्षण कर्त्ता।
२२ सांख्यिकी सहायक।
२३ कम्प्यूटर।
२४ खनिज फोरमैन ग्रेड प्रथम।
२५ ,, ,, ग्रेड द्वितीय।
२६ नक्शा नवीस ग्रेड प्रथम।
२७ ,, ,, ग्रेड द्वितीय।
२८ फील्ड सहायक ग्रेड प्रथम।
२९ ग्रेड द्वितीय।
३० ओवरमैन वरिष्ठ।
३१ ओवरमैन कनिष्ठ।
३२ प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ।
३३ ,, ,, कनिष्ठ।
३४ कारखाने का यान्त्रिक।
३५ छेदन यान्त्रिक।
३६ फिल्टर, ग्रेड द्वितीय।
३७ जीप ट्रक एवं ट्रेक्टर ड्राईवर।

पुलिस विभाग

१ निरीक्षक।
२ थानेदार।
३ प्लटून कमांडर।

[1]नोट — १ भाग तृतीय नियम १५ (१) म निर्दिष्ट शक्तियां, इन नियमों के अधीनस्थ रहते, थानेदारों तथा ब्लाटून कमाण्डरों के पदधारियों के विषय में सम्बन्धित रेंज के उप महानिरीक्षक आरक्षी की होगी।

४ हैड कान्सटेबल।
५ कान्सटेबल (सिपाही)।
६ सहायक थानेदार।
७ फोटोग्राफर।
८ कम्पनी कमाण्डर।
९ शस्त्र फैंकनेवाला विशेषज्ञ।
१० वैज्ञानिक सहायक।
११ पुलिस फोटोग्राफर एवं विश्लेषक।

[2]नोट—२ भाग तृतीय तथा नियम १५ (१) म निर्दिष्ट शक्तियां इन नियमों के अधीनस्थ रहते प्रविष्टियों ८ और ९ के पद धारण करने वाले के विषय में, सम्बन्धित जिले के प्रधान आरक्षी तथा अतिरिक्त अधीक्षक आरक्षी को होगी।

[3]नोट — जिला एवं वतन में वृद्धियें रोकने की शास्तियां लागू करने की शक्तियां, इन पदधारियों के विषय में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस के उप महानिरीक्षक हैं क्रमशः पुलिस के उप महानिरीक्षक एवं अधीक्षक आरक्षी तथा आर ए सी के कमाण्डेंटों की होगी।

सार्वजनिक सम्पर्क निदेशालय

१ फोटोग्राफर।
२ तमाशबकोष्ट सहायक (डाक रूम टेलिप्रिन्टर्स)।
३ कलाकार।
४ यान्त्रिक तथा आपरेटर।
५ आपरेटर।
६ मिस्त्री।

[4]आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

१ सांख्यिकी अनुसंधान सहायक।
२ फील्ड सांख्यिकी निरीक्षक।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ १६ (२) नियुक्ति (ए)/६०/ग्रुप III दिनांक २६ ६० तथा ~८ २ ६१ द्वारा बदले गये एवं जोड़े गये।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७ नियुक्ति (ए III))/६० दिनांक ६ २ ६० द्वारा जोड़ा गया। (इसका प्रभाव दिनांक १३ ४ ६१ से होगा)।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२१) नियुक्ति (ए)III/६३ दिनांक १२ १२ ६२ द्वारा जोड़ा गया।

४ पद का प्रविष्टि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का मचालक, १ सहायक सांख्यिकी अधिकारी २ सबके नाम कम्प्यूटर ८ सांख्यिकी अधिकारी के स्थान पर दिये गये अधिसूचना क्रमांक एफ (१६) नियुक्ति (ए) ६१ ग्रुप III दिनांक २०-२-६२ द्वारा।

३ वरिष्ठ कलाकार।
४ कनिष्ठ कलाकार।
५ नक्शा नवीस।
६ गणनाकार (कम्प्यूटर)
७ प्रगति प्रसार अधिकारी।
८ पुस्तकालयाध्यक्ष।
[1]९ पर्यवेक्षक (आर्थिक एव सांख्यिकी)।

नोट—निदा एव वेतन वृद्धियो म रोक, जो दो से अधिक नहो होगी और जिनका कुप्रभाव नही होगा ऐसी शास्तिया लागू करने की शक्तिया, प्रगति प्रसार अधिकारियो के पद-धारियो के विषय म सम्बन्धित जिला साख्यिकी की होगी।

यातयात विभाग

१ यातायात निरीक्षक।
२ यातायात उप निरीक्षक।
३ सर्वेक्षण निरीक्षक।
४ फोरमन।
५ ड्राइवर।
६ यान्त्रिक निरीक्षक।

विकास विभाग

१ सहकारी एव पचायत अधिकारी।
२ समाज शिक्षा अधिकारी।
३ ओवरसियर।
४ ड्राइवर।

पचायत विभाग

१ पचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड प्रथम।
२ " " ग्रेड द्वितीय।

पर्यटक सुविधायें विभाग

१ पर्यटक सहायक।

चकबदी विभाग

[2]१ सहायक चकबंदी अधिकारी।
२ मुसरिम।
[2]३ निरीक्षक।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए III)/६४ दिनाक १२ ४ ६७ द्वारा जोडा गया।
२ अधिसूचना क्रमाक एफ ३(६) नियुक्ति (ए)III/६६ दिनाक ३० १० ६३ द्वारा जोडा गया।

[1]नोट — १ भाग तृतीय नियम १५ (१) म निर्दिष्ट शक्तियां, इन नियमों के अधीनस्थ दल, थानदार तथा प्लाटून कमाडरों के पदधारियों के विषय म सम्बन्धित रेन्ज के उप महानिरीक्षक प्रारम्भी का होगा।

४ हैड कान्सटेबल।
५ कान्सटेबल (सिपाही)।
६ सहायक थानदार।
७ फोटोग्राफर।
८ कम्पनी कमान्डर।
९ गन्ध फैंकनवाला विशपज्ञ।
१० वैज्ञानिक सहायक।
११ पुलिस फोटोग्राफर एव विश्लेषक।

[2]नोट —२ भाग तृतीय तथा नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियां इन नियमो के अधीनस्थ उन प्रविष्टियाँ ४ और ५ के पद धारण करने वालों के विषय म, सम्बन्धित जिल के अधीक्षक प्रारम्भी तथा अतिरिक्त अधीक्षक प्रारम्भी का होगी।

[3]नोट — निम्न एव वेतन म वृद्धियें रोकने की शक्तियां राजु वेतन का शक्तियां, इस पदधारियों के विषय में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक एव पुलिस के उप महानिरीक्षक है उनका पुलिस के उप महानिरीक्षक एव अधीक्षक प्रारम्भी तथा आर ए सी के कमान्डरों का होगी।

सार्वजनिक सम्पर्क निदेशालय

१ फोटोग्राफर।
२ तकनीकी सहायक (टेक्निकल असिस्टेंट्स)।
३ कलाकार।
४ यांत्रिक तथा आपरेटर
५ आपरेटर।
६ मिस्त्री।

[4]आर्थिक एव सांख्यिकी निदेशालय

१ सांख्यिकी अनुसन्धान सहायक।
२ जूनियर सांख्यिकी निरीक्षक।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ १६ (२) नियुक्ति (ए)/६०/ग्रुप III दिनांक २ ६ ६० तथा ८ २ ? द्वारा हटाये गये एव जोड़े गये।

२ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७ नियुक्ति (ए III)/६३ दिनांक ? २ ६३ द्वारा जोडा गया। (प्रभाव दिनांक १ ४ ६१ से लागू)।

३ अधिसूचना क्रमांक एफ २ (२१) नियुक्ति (ए)III/६३ दिनांक १२ ?? ६२ द्वारा जोडा गया।

४ पहले की प्रविष्टि "आर्थिक एव सांख्यिकी विभाग का मकान १ सहायक सांख्यिकी अधिकारी २ लगान तहसील ३ कम्पूटर ४ नक्शा अधिकारी के स्थान पर लिये गये अधिसूचना क्रमांक एफ २ (१८) नियुक्ति (ए) ६१ ग्रुप III दिनांक २० ?-?२ द्वारा।

३ वरिष्ठ कलाकार।
४ कनिष्ठ कलाकार।
५ नकशा नवीस।
६ गणनाकार (कम्प्यूटर्स)
७ [1]प्रगति प्रसार अधिकारी।
८ पुस्तकालया ध्यक्ष।
[1]९ पयवक्षक (आर्थिक एव सांख्यिकी)।

[2]नोट — निंदा एवं वेतन वृद्धियो मे रोक, जो दो से अधिक नहीं होगी और जिनका जुडवा प्रभाव नहीं होगा ऐसी शास्तियां लागू करने की शक्तियां, प्रगति प्रसार अधिकारियो के पद-धारियो के विषय मे सम्बन्धित जिला सांख्यिकी की होगी।

यातयात विभाग

१ यातायात निरीक्षक।
२ यातायात उप निरीक्षक।
३ सर्वेक्षण निरीक्षक।
४ फोरमैन।
५ ड्राइवर।
६ यान्त्रिक निरीक्षक।

विकास विभाग

१ सहकारी एव पचायत अधिकारी।
२ समाज शिक्षा अधिकारी।
३ ओवरसियर।
४ ड्राइवर।

पचायत विभाग

१ पचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड प्रथम।
२ „ „ ग्रेड द्वितीय।

पयटक सुविधायें विभाग

१ पयटक सहायक।

चकबदी विभाग

१ सहायक चकबदी अधिकारी।
२ [1]मुन्सरिम।
३ [1]निरीक्षक।

---

[1] अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१) नियुक्ति (ए ॥)/६४ दिनांक [illegible]
[2] अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए)॥/६६ दिनांक [illegible]

उद्योग विभाग

१ सम्पर्क अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक।

[1]२ तकनीकी (विशेषज्ञ) ग्रेड प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय } सोडियम सल्फेट डीडवाना के लिए।

[1]३ रंगे बनाने के यन्त्र का यान्त्रिक

[2]४ ललित शिल्प प्रशिक्षण संस्था जयपुर।

[2]५ लघु उद्योगों में उत्तमता को चिन्हांकित करने वाला अधीक्षक।

[3]६ उद्योग प्रसार अधिकारी।

[4]७ अधीक्षक, लवण (विशेषज्ञ)।

[5]७क अधीक्षक तथा डिजाइन कलाकार डिजाइन प्रसार केन्द्र जयपुर।

[6]नोट — "निन्दा एवं वेतन वृद्धियों में गये जो तीन से अधिक नहीं होगी और जिसका कुप्रभाव नहीं होगा ऐसी शास्तियाँ लागू करने की शक्तियाँ उद्योग प्रसार अधिकारियों के पद धारण करने वालों के विषय में सम्बन्धित जिला उद्योग अधिकारियों को होगी।

[7]मूल्यांकन संगठन

[7]१ अनुसंधान सहायक।

[7]२ अनुसंधान कर्ता।

[7]३ गणनाकार (कम्प्यूटर)।

[8]पदाधिकारी प्रशिक्षक स्कूल

१ शारीरिक प्रशिक्षण तथा जैन-जूड प्रशिक्षक।

राजस्थान नहर मंडल

[9]१ स्टोर अधीक्षक।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन विभाग

१ डीपो व्यवस्थापक।

२ सहायक डीपो व्यवस्थापक।

३ आवागमन निरीक्षक।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ २(२) नियुक्ति ए III/६३ दि ५ ७ ६३ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
२ अधिसूचना क्र एफ ३(२) नियुक्ति ए III/६३ दि ८ ७ ६ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
३ ,, ,, एफ ३ (२६) ,, ,, /६२ ३० १० ६ ,, ,, ,,।
४ ,, ,, एफ ३ (४) ,, /६४ ,, २६ ४ ६४ ,,।
५ ,, ,, एफ ३ (१८) ,, /६३ दि ३१ २-६४ एवं ५ ६ ६३ ,, ,,।
६ ,, एफ ३ (३६) ,, /६२ दि २०-१० ६२ ,, ,,।
७ ,, एफ ३ (१५) ,, /६१ ,, ४ १० ६१ ,, ,,।
८ ,, एफ ३ (१२) ,, ,, /६२ ,, २७-६ ६२ ,, ,, ,,।
९ ,, एफ ३ (१) ,, ,, /६५ ,, २२ २ ६५ ,, ,, ,,।

४ सहायक आवागमन निरीक्षक।
५ सहायक सांख्यिकी।
६ श्रम कल्याण निरीक्षक।
७ स्टोर अधीक्षक।
८ स्टोर निरीक्षक।
९ स्टोर सहायक निरीक्षक।
१० सहायक स्टोर नायव निरीक्षक।
११ वरिष्ठ फोरमैन, ग्रेड प्रथम।
१२ ,, ,, ,, ग्रेड द्वितीय।
१३ कनिष्ठ ,, ,, (यान्त्रिक)
१४ ,, ,, ,, (विद्युति)
१५ ओवरसीयर।
१६ ड्राइवर।
१७ कन्डक्टर।
१८ यान्त्रिकी।
१९ विद्युत कर्मचारी ग्रेड प्रथम।
२० खरादी ग्रेड प्रथम।
२१ रबड का काम करने वाला ग्रेड प्रथम।
२२ लुहार ग्रेड प्रथम।
२३ टिन का काम करने वाला ग्रेड प्रथम।
२४ मोची ग्रेड प्रथम।
२५ धातु के जोड या टाका लगाने वाला (वेल्डर) ग्रेड प्रथम।
२६ रगसाज ग्रेड प्रथम।
२७ वढई, ग्रेड प्रथम।
२८ सहायक यान्त्रिक।
२९ पर्दे इत्यादि वनाने वाले (अपहोल्सटर्स) ग्रेड द्वितीय।
३० टायर फिट करने वाले, ग्रेड द्वितीय।
३१ वढई ग्रेड द्वितीय।
३२ सहायक विद्युत कर्मचारी ग्रेड द्वितीय।
३३ रगसाज ग्रेड द्वितीय
३४ टिन/मोची-कर्मचारी ग्रेड द्वितीय।
३५ धातु के जोड या टाका लगाने वाला (वेल्डर) ग्रेड द्वितीय।
३६ रवड कर्मचारी, ग्रेड द्वितीय।
३७ खरादी ग्रेड द्वितीय।
३८ लुहार ग्रेड द्वितीय।
३९ प्रशीतक (रेफ्रीजरेशन) तथा वातानुकूलन विशेषज्ञ।
४० अतिथि तथा पर्यटक के मार्ग प्रदर्शक (वातानुकूलित गाडियो मे)।

१९ खरादी।
२० फिटर।
२१ धातु का जोड़ लगाने वाले
२२ विद्युत कर्मचारी।
२३ रंगसाज।
२४ ड्राइवर।
२५ कम्प्रेसर ड्राइवर।
२६ यान्त्रिक तथा तखमीना बनाने वाले
२७ मशीन पर काम करने वाला।
२८ भाजा।

[1]स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग

१ सामुदायिक विकास मण्डल।

प्राचीन अभिलेख निदेशालय

१ प्राचीन अभिलेख विशेषज्ञ।
२ रसायनिक
३ अनुसंधानाधिकारी।
४ सहायक रसायनिक।
५ अनुसंधान विद्यार्थी।
६ सहायक प्राचीन अभिलेख विशेषज्ञ।
७ " [2]अन्य कार्य का प्रभारी।
८ अनुसंधान सहायक।
९ फोटोग्राफर।
१० वरिष्ठ नकलनवीस सहायक
११ कनिष्ठ।

[3]राजकीय अधिवक्ता (गवर्नमेन्ट एडवोकेट) जोधपुर

१ कानूनी सहायक।

[4] विधालय

१ मुख्य कानूनी सहायक।
२ कानूनी सहायक।
३ पुस्तकालयाध्यक्ष।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ० (??) नियुक्ति (ए III)/६७ दिनांक १८-९-६७ द्वारा जोड़ा गया।
२ अधिसूचना क्रमांक एफ (१६) नियुक्ति (ए) III/६५ दि० ८-११-६५ द्वारा जोड़ा गया।
३ " " " " " "
४ एफ (१३), (ए III)/६४ दि० ९ ९ ६६ " "

४ सांख्यिकी सहायक ।
५ गणनाकर (कम्प्यूटर) ।
६ विद्युत सहायक ।

नोट —भाग तृतीय एवं नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियां प्रविष्टियां ३ से ६ के पद धारण करने वालों के विषय में नियुक्ति की विभाग के उप शासन सचिव को होगी ।

[४]विद्युत निरीक्षणालय

१ निरीक्षक सहायक ।
२ प्रयोगशाला सहायक ।
३ ड्राईवर ।

४ अधिसूचना संख्या एफ ३ (१) नियुक्ति ए/III/६७ दिनांक १२ ४ ६७ द्वारा जोड़ा गया ।

अनुसूची तृतीय

लेखक वर्गीय सेवाएं

समस्त विभागों में निम्नलिखित श्रेणियां (कैटेगरीज) के पद धारण करने वाले, जैसे —

१ लेखाकार, जिसमें वरिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाकार, उप लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाकार, स्टोर लेखाकार, सहायक स्टोर लेखाकार, जिला राजस्व लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सम्मिलित हैं।

२ अहलमद वरिष्ठ कनिष्ठ अथवा सहायक अहलमद।

३ लेखा लेखक एवं कनिष्ठ लेखा लेखक।

४ लेखा संकलनकर्त्ता।

५ सहायकगण जिसमें राजस्व सहायक, न्यायिक सहायक, कर्मचारीवर्ग (अमला) सहायक, विविध सहायक सम्मिलित हैं।

६ लेखा परीक्षा चिट्ठियात लेखक।

लेखा परीक्षा लेखक।

८ लेखा परीक्षक, जिसमें सहायक लेखा परीक्षक सम्मिलित हैं।

९ बिल लेखक।

१० चिट्ठियात लेखक।

११ जिल्दसाज।

१२ खजांची एवं सहायक खजांची।

१३ लेखकगण जिसमें दीवानी लेखक, फौजदारी लेखक, विविध (मुतफर्रकात) लेखक, अपील लेखक, निगरानी लेखक, अंग्रेजी लेखक सम्मिलित हैं।

१४ हिसाब लगाने वाली मशीन चलाने वाले।

१५ कैम्प (यात्रा में) लेखक।

१६ सूचीपत्र लेखक।

१७ संकलनकर्त्ता जिसमें [1]जिला गजटियर का मुख्य संकलनकर्त्ता भी सम्मिलित है।

१८ गोपनीय लेखक।

१९ नकल नवीस।

२० कोर लौगिंग लेखक।

२१ लेनदेन की मेज पर बैठनेवाला लेखक (काउन्टर क्लर्क)

२२ डाक लेखक।

२३ डाक भेजने वाला लेखक।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ (६) नियुक्ति (ए III)/६४ दिनांक २२-३-६४ द्वारा [illegible] जनगणना विभाग के स्थान पर [illegible] गये।

२४ रोजनामचा लेखक।
२५ क्षेत्रीय लेखक।
२६ अमला लखक।
२७ आबकारी लेखक।
२८ फाम लेखक।
२९ फोरडमनकम स्टोर कीपस तथा कनिष्ठ फील्डमैनकम स्टोर कीपस।
३० फील्ड सहायक।
३१ फोस (दल) लेखक।
३२ फर्नीचर लखक।
३३ गजधर।
३४ गजट लेखक।
३५ मुख्य लेखक।
३६ जनगणना विभाग में निरीक्षक।
३७ सायर एव आबकारी विभाग के गुप्त समाचारो के लिये निरीक्षक सब इन्सपेक्टर एव सहायक निरीक्षक।
३८ यन्त्र (इन्स्टरूमेंट) लखक।
३९ कनिष्ठ अथवा लोअर डिवीजन लेखक।
४० खाता जमाउ डी लेखक।
४१ नौग लेखक (दिनचर्या)।
४२ माल लादने एव भेजने वाले लेखक।
४३ पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा कार्यालयो के पुस्तकालय के लेखक।
४४ अनुसूची प्रथम अथवा द्वितीय म उल्लिखित पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षो के अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष रैफेरेंस पुस्तकालयाध्यक्ष।
४५ अवकाश पर जाने वाला के स्थान पर काय करने वाले लेखक।
४६ मुन्सरिम।
४७ मुंशी एव हैड मुंशी।
४८ मोहर्रिर।
४९ मुक्दम।
५० नावेदार।
५१ नाजिर।
५२ सहकारी विभाग का कागज विशेषज्ञ
५३ पासल क्लर्क।
५४ पटवारी।
५५ वेतन लेखक।
५६ पेंशन लेखक।

[1]१११ करिदा।

११२ सचिवालय के शाखा अधिकारी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के शाखा अधिकारी।

११३ लेखा निरीक्षक।

[2]११४ अभियन्ता सहायक।

११५ खोजकर्ता (इनवेस्टिगेटर्स)।

११६ अभियन्ता परिचारक (रक्षक एटेन्डेंट)।

[3]११७ वीडर (फालतू कागजों को छांट कर नष्ट करने वाले)।

११८ सर्वेक्षण सहायक।

११९ प्रयोगशाला सहायक।

[4]१२० सचिवालय का मुख्य अनुवाद कर्ता।

१२१ प्रशासनिक सहायक, भवन व पथ विभाग।

१२२ मास्टर शीरम, भेड़ व ऊन विभाग।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ५ (१) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनांक ८ १० ६१ द्वारा जोड़ा गया।
२ „ „ एफ (२४) „ „ „ १३ १२ ६२ „ „।
३ „ एफ (१६) „ „ /६२ „ „ १३ ८-६२ „।
४ „ एफ (१) „ „ III/६४ „ „ ८ १२-६४ „।
५ „ एफ २ (१८) „ „ „ „ ८ ६ ६६ „ „।

अनुसूची चतुर्थ

चतुर्थ श्रेणी सेवा

समस्त विभागो मे निम्न श्रेणी के पद धारण करने वाल, जैसे —

१ कारीगर (लुहार, बढई धातु के जाड अथवा टाका लगाने वाले वेल्डर, खरादी रंगसाज इत्यादि)।
२ परिचारक–जिसमे दीर्घा परिचारक, वाड परिचारक, अस्पताल परिचारक, रिपीटर' परिचालक, 'सब-स्टेशन' परिचालक सम्मिलित है।
३ नाई।
४ भारवाहक।
५ भिश्ती।
६ जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज।
७ बुहारिया।
८ लडके (बोएज) जिसमे पुस्तकालय की पुस्तकें लाने वाले टेलीफोन बाएज, वाड बाएज और पेट्रोल बोएज सम्मिलित हैं।
९ बडल उठाने वाले।
१० पोलिश करने वाले।
११ गाडीवान।
१२ गाडी चलाने वाले।
१३ चावलिया।
१४ चौकीदार।
१५ चैनमेन (जजीर खीचने वाल।
१६ सिनेमा के सेवकगण।
१७ सफाई कराने वाले।
१८ भोजन बनाने वाले।
१९ कुली।
२० दफेदार।
२१ दफ्तरी।
२२ दाइया अथवा प्रशिक्षित दाइया।
२३ डाक पहुँचाने वाले।
२४ पट्टिया बाधने वाले।
२५ फराश।
२६ फिल्टर आपरेटस।
२७ बागवान (हली, माली चौधरी इत्यादि)।
२८ गेंग मेट एव गेंग–मेंन।

२९ गेट पास (प्रवेश पत्र) जांच करने वाले।
३० द्वारपाल एवं गेट सारजेंट।
३१ पहरेदार जिसमें खजाने के पहरेदार, जेल के पहरेदार, प्राइवेट पहरेदार तथा रिजर्व पहरेदार सम्मिलित हैं।
३२ हरकारा
३३ हुक्का (मददगार)।
३४ हाथीवान।
३५ जमादार।
३६ कगुयारिया।
३७ खल्लासी।
३८ श्रमिक जिसमें स्थायी श्रमिक (मजदूर) एवं कुशल श्रमिक सम्मिलित हैं।
३९ लिफ्टमैन।
४० लाइन बलदार।
४१ मेट एवं मुख्य मेट।
४२ हटा दिया गया[1]।
४३ मालिया।
४४ निगरान और निगरानीकार, सहायक निगरान तथा निगरानीकार।
४५ मदली।
४६ पंखा करने वाले।
४७ पदल।
४८ पट्रोल (गश्त लगाने वाले)।
४९ चपरासी।
५० अभिलेख उठाने वाले।
५१ महल के जमादार।
५२ सक्का।
५३ शिकारी।
५४ सवार, जैसे साईकिल-सवार-ऊंट सवार, शुतर-सवार, घुड सवार, गाड़ी सवार।
५५ मेहतर (झाडू लगाने वाले)।
५६ सईस।
५७ दर्जी।
५८ भण्डारगृह की तालियें रखने वाला तथा सहायक तालियें रखने वाला।
५९ वार्डर (पहरेदार)।
६० वार्ड मेट।

---

१ अधिसूचना संख्या एफ १८(१६) नियुक्ति ए/५६ दिनांक ११.४.५८ द्वारा शब्द "४२ यान्त्रिक असैनिक विमान विभाग एवं कृषि विभाग के यान्त्रिकी (मेकैनिक) के अतिरिक्त" हटा दिये गये।

६१ धात्री ।
६२ जलधारी ।
६३ कृपक ।
६४ गडरिया ।
६५ डील ।
६६ मूर्ता ।
६७ भडारी ।
६८ वेटर ।
६९ मशालची ।
७० पन्ट्रीमेन (भडारगृह मे काम करन वाल)।
७१ स्टोवाड अथवा वटलर ।
७२ आवदार ।
७३ हलवाई ।
७४ वेकर (रोटी वनाने वाला) ।
७५ बेयरर (नौकर) ।
७६ वेलदार ।
७७ वायलर परिचारक ।
७८ काट दिया गया[1] ।
७९ खाना क पहरेदार ।
८० पापाशा ।
८१ मिस्त्री ।
८२ पहरायती ।
८ सखन ।
८४ टिन का काम करने वाला ।
८५ हटा दिया गया[2] ।
८६ स्टोरमन ।
८७ पर्दे इत्यादि वनाम वाला ।
८८ चमडे का काम करन वाला ।
८९ रगरेज ।
९० लश्कर ।
९१ स्वच्छता पयवेक्षक (सेनीटेरी सुपरवाइजर) ।
९२ सिनेमा आपरेटर ।
९३ नादर ड्योढी ।
९४ नादर खिटकी ।

---

१ अधिसूचना क्रमाक एफ० ३ (१९) नियुक्ति (ए) /६२ दिनाक २१ ८ ६२ द्वारा काट दिया गया ।

२ शब्द 'फिटर अधिसूचना क्रमाक एफ० १८(२६) नियुक्ति(ए)/२६ दिनाक ११-४ ५९ द्वारा हटा दिया गया ।

९५ नरयार।
९६ ठाकरा।
९७ योगार।
९८ माय मजार का सहायक (महार)।
९९ कामवाम वाला।
१०० डाक वाला।
१०१ रथट का काम करने वाला।
१०२ इनक्यूबेटर (जिसका द्वारा सोता, वाना इत्यादि जहान वाला)।
१०३ पटरी वाला।
१०४ मार्गी।
१०५ रतगाज या विस्वार।
१०६ काठारी दवखान विभाग।
१०७ भडारा ।
१०८ रावन्यिा ।
१०९ नागानामी " ।
११० मनिशामी " ।
१११ बालमागी, " " ।
११२ गुमचिनक , ।
११३ ग्माइया , ।
११४ न्हमया , ।
११५ मरटिया " ।
११६ माननिया , ।
११७ मालदार , , ।
११८ हरपारा , " ।
११९ पाणापा, , ।
१२० जस्पारिया , , ।
१२१ बैयरटबर (रमवाला)।
१२२ कर वसूल करने वाला।
१२३ सहायक भंडारी।
१२४ मशीन पर काम करने वाला।
१२५ खेत पर काम करने वाला (फामहाउस)।
१२६ मुख्य हलवाहक (मुख्य हाली)।
१२७ हाली।
१२८ मछुआ।
१२९ हैड मेट (देवामा)।
१३० घोबी।
१३१ तामील कुनन्दा।

१३२ कुशल बनकर, ग्रेड प्रथम।

१३३ „ „ , ग्रेड द्वितीय (दिवस्टर मास्टर)।

१३४ सहायक बुनकर मास्टर मिलर, फिनीशर, सूत बुनकर, सहायक बोयलर मैन।

१३५ चम कमचारी।

१३६ तौलन वाला।

१३७ सिनेमा की मशीन चलाने वाला।

१३८ गॉज (यन्त्र) पढ़नेवाला।

१३९ प्रयोगशाला का बेयरर (शिक्षा विभाग)।

१४० प्रयोगशाला का नौकर (शिक्षा विभाग)।

१४१ लुहार।

१४२ बढ़ई।

१४३ खरादी।

१४४ बाजावाला (देवस्थान विभाग)।

१४५ सारंगिया, „ „।

१४६ पखावजिया, „ „।

१४७ बडार, „ „।

१४८ मुखिया „।

१४९ पुजारी, „ „।

१५० भितरिया „ „।

१५१ झपटिया, „ „।

१५२ देश का पोसवान, „ „।

१५३ नगारची „ „।

१५४ प्रचारक, „ „।

१५५ शहनायची, „ „।

[1]१५६ साड परिचारक।

[1]१५७ ग्वाला तथा हाली।

[1]१५८ सहायक गैसवाला।

[2]१५९ सहायक श्रमिक।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ ३ (७) नियुक्ति ए/६१ ग्रुप दिनांक २२-२-६१ द्वारा जोड़ा गया।
२ „ „ ३ (२३) „ „ दिनांक २४-१-६२ „ „।

[1]१६० नक्शा रखने वाला।
[1]१६१ फेरी वाला।
[2]१६२ हाजरी वाला।
[2]१६३ पोर्टर (मजदूर, कुली)।
[3]१६४ नम्बर।
[4]१६५ प्रयोगशाला में वाहक (सेवक)।
[5]१६६ मरम्मत करने वाला (मेन्डर)।
१६७ नाव रखने वाला।

---

१ अधिसूचना क्रमांक एफ (१७) नियुक्ति (ए)/६२ दिनांक ९-८-६२ द्वारा जोड़ा गया।
२ " " " (९) " (ए) III/६४ ८-१-६८ "।
३ " " " २(२१) /६ १५-१-६५ "।
४ " " " १२(१२) " (ए) /६४ " २-८-६५ "।
५ " " " २(१६) III/६५ ८-११-६५ "।

परिशिष्ट—क

विभागीय जांचो के लिये आदश प्रपत्र

[नियम १३ (१) (क) के अन्तर्गत निलम्बन आज्ञा]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमाक | दिनाक

चूंकि श्री

[राज्यकर्मचारी का नाम तथा पद]

के विरुद्ध एक अनुशासन कार्यवाही की जानी है/चल रही है

२ अत अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९५८ के नियम १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्री को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

अनुशासन अधिकारी का हस्ताक्षर एव पद।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है —

१ समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को।

२ महालेखापाल राजस्थान जयपुर को, श्री को निलम्बन की अवधि मे उसके वेतन का चौथाई भाग निर्वाह भत्ते स्वरूप एव उस पर देय महगाई भत्ता उठाने दिया जावे।

[नियम १३ [१] [ख] के अन्तगत निलम्बन आज्ञा]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमाक | दिनाक

चूंकि श्री (राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद) के विरुद्ध फोजदारी दोषारोपण के विषय मे मामला तफ्तीश/जाच किया जा रहा है।

२ अत अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण एव अपील) नियम १९५८ के नियम १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए कथित श्री को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते है।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एव पद।

पृष्ठाकन ऊपर लिखे अनुसार

[नियम १६ (२) के अन्तर्गत नोटिस]

राजस्थान सरकार

विभाग

स्मृति पत्र

क्रमांक जयपुर दिनांक

श्री एतद् द्वारा सूचित किये जाते हैं कि उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १६ के अन्तर्गत जांच की जाना प्रस्तावित है। अभिकथन जिन पर जांच की जाना प्रस्तावित है संलग्न अभिकथनों के विवरण में उल्लेखित हैं एवं उक्त अभिकथनों पर आधारित आरोप संलग्न अभिकथनों के विवरण में निर्दिष्ट है।

२ श्री को एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति के पश्चात् दिन की अवधि के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित उत्तर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें और यह भी —

(क) कथन करें कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं

(ख) यदि वह अपनी प्रतिरक्षा की पुष्टि में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहे तो उनके नाम तथा पते देवें

(ग) यदि वह अपनी प्रतिरक्षा की पुष्टि में कोई प्रलेख प्रस्तुत करना चाहे तो प्रलेखों की सूची देवें।

३ श्री को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिरक्षा को तैयार करने के प्रयोजन से यदि वह कोई सरकारी अभिलेख का निरीक्षण करना तथा उनमें से उद्धरण लेना चाहें तो वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता को ऐसे अभिलेखों की सूची देवें, ताकि इस प्रयोजन के लिये उचित सुविधा देने की व्यवस्था की जा सके। किन्तु उनको यह ध्यान रहे कि यदि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की सम्मति में ऐसे अभिलेख इस प्रयोजन के लिये सारभूत नहीं होंगे अथवा ऐसे अभिलेखों को उपलब्ध करना यदि सार्वजनिक हित में नहीं हुआ तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

४ श्री को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनकी प्रतिरक्षा का लिखित उत्तर उपरोक्त दिनांक को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं हुआ तो जांच इकतरफा की जा सकेगी।

५ इस स्मृतिपत्र की प्राप्ति सूचित करें।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर तथा पद

[आरोप पत्र]
राजस्थान सरकार
विभाग

श्री के विरुद्ध बनाये गये आरोपों का विवरण ।
(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

आरोप-प्रथम

यह कि श्री ने का कृत्य करते हुए अवधि में

जैसा कि अभिकथनों के विवरण में पैरा में बताया गया है ।

आरोप—द्वितीय

यह कि श्री ने, का कृत्य करते हुए, अवधि में

जैसा कि अभिकथनों के विवरण में पैरा में बताया गया है ।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद ।

[अभिकथनों का विवरण]
राजस्थान सरकार
विभाग

अभिकथनों का विवरण जिनके आधार पर श्री (राज्यकर्मचारी का नाम तथा पद) के विरुद्ध आरोप (चार्जेज) बनाये गये है ।

आरोप प्रथम के विषय मे अभिकथन —
आरोप द्वितीय के विषय मे अभिकथन —
आरोप तृतीय के विषय में अभिकथन —

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

टिप्पणी —अभिकथनों मे स्पष्टतया यह व्यक्त किया जावे कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ठीक सही किस लिये दण्डनीय हैं अर्थात उस विशेष मामले में उसका क्या उत्तरदायित्व था जिसको पूरा करने मे वह विफल रहा ।

[नियम १६ (४) के अन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति]
राजस्थान सरकार
विभाग

आज्ञा

क्रमांक दिनांक

चूंकि राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १६ के अन्तर्गत जांच श्री के विरुद्ध की जा रही है ।
(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

२ और चूंकि राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उक्त विरुद्ध आरोपित आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच अधिकारी/जांच मण्डल नियुक्त किया जाना चाहिए।

३ अत, अब, राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा श्री ... ... /सर्व श्री ... ... की (जांच अधिकारी/जांच मण्डल के सदस्य गणों के नाम तथा पद) को जांच अधिकारी/जांच मण्डल रचित श्री ... ... के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त करते हैं/करता है।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

क्रमांक ... दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है :—

१ श्री ... ...

(जांच अधिकारी का नाम तथा पद)

२ श्री ... ...

(राज्यकर्मचारी का नाम तथा पद)

३ अन्य सम्बंधित यदि कोई हो।

(नियम १८ के अन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति)

राजस्थान सरकार

... विभाग

आज्ञा

क्रमांक ... दिनांक ... ...

चूंकि सब श्री ... ... (कर्मचारियों के नाम एवं पद) के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

२ और चूंकि राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार में उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों की जांच करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये।

३ अत, अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम १८ के अन्तर्गत श्री ... ... (जांच अधिकारी का नाम तथा पद) को उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों की संयुक्त जांच करने के लिये नियुक्त करते हैं/करता है। कार्यवाही में वर्णित नियमों के नियम १६ द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जावे।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद।

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित है —

१ श्री ... को

(जांच अधिकारी का नाम तथा पद)

२ श्री को

(राज्य कर्मचारियों के नाम तथा पद)

३ अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को, यदि कोई हो।

(पिछले जांच अधिकारी के स्थान पर नए जांच अधिकारी की नियुक्ति)

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमांक दिनांक ...

आज्ञा/आज्ञायें क्रमांक दिनांक

के सिलसिले में राज्यपाल प्रसन्न होकर/निम्न हस्ताक्षर कर्ता श्री ...

(नाम एवं पद) को ... से सम्बंधित

मामले/मामलों की जांच करने के लिये जांच प्राधिकारी नियुक्त करते हैं/करता है, जो गतकालिक जांच प्राधिकारी श्री ... द्वारा अपूर्ण छोड़ दिया गया था।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पद।

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित है—

(समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को)।

[नियम १६ (१०) (ख) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जब कि जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो]।

राजस्थान सरकार

... विभाग

क्रमांक दिनांक

ओर से

(अनुशासन प्राधिकारी)

वास्ते

(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

विषय —अनुशासनात्मक कार्यवाही।

संदर्भ—

(पुनः यह कहने का मुझे निर्देश हुआ है कि) आपके विरुद्ध आरोपित कुछ आरोपों के विषय में जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है।

२. प्रतिवेदन पर सावधानी पूर्वक जांच करने पर, जांच अधिकारी के निष्कर्ष अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसमें दिये गये कारणों से स्वीकार नहीं किये गये हैं और यह निर्णय किया है कि ——

—— —— —— —— —— ——

का आरोप आपके विरुद्ध साबित हुआ है/हुए हैं। (राज्यपाल ने निश्चय यह निर्णय किया है) तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि (यहां शास्ति लिखिए)। ऐसी कार्यवाही करने से पूर्व प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर आपको दिया जाता है। इस सिलसिले में यदि आप कोई अभिवेदन करें तो अवसर, प्रस्तावित कार्यवाही करने से पूर्व, उसके द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसा अभिवेदन यदि कोई हो तो, लिखित रूप में करना चाहिये एवं आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति से पन्द्रह दिन से पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्ता को मिल जाना चाहिये।

३. इस पत्र की रसीद भेजें।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पद

[नियम १६ (१०) (ग) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जब कि अनुशासन प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत हो]

राजस्थान सरकार

—— विभाग

क्रमांक दिनांक

प्रेषक —— —— —— ——

(अनुशासन प्राधिकारी)

प्रेषिती

—— —— ——

(सम्बन्धित राज्य कर्मचारी)

विषय—अनुशासन कार्यवाही।

महोदय, —— —— ——

ऐसा अभिवेदन यदि कोई हो तो, लिखित रूप मे करना चाहिये एव आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति से पन्द्रह दिन से पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को मिल जाना चाहिये।

३ इस पत्र की पहुँच भेजें।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

[भारतीय दण्ड विधान एव भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी पर फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमांक दिनांक

चूकि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के यह ध्यान मे लाया गया है कि श्री का कृत्य करते हुए श्री की साजिश से रोकड़ (नाम तथा पद) बहिया (कैशबुक) म गलत तथा फर्जी प्रविष्टियो द्वारा विभिन्न धनराशियो को विभिन्न व्यक्तियो एव सस्थाओ के नाम वितरण करना दर्शाया जो वास्तव म वितरित नहीं की गई थी एव कुल धनराशि रु० जो इस प्रकार विभिन्न सस्थाओ को फर्जी वितरित की जाना बताई गई वह कथित अधिकारी द्वारा अपराधिक अपहरण (दुरुपयोग) की गई और कुछ के श्री ने भी गलत प्रमाणित किये हैं और

२ चूकि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के यह भी ध्यान म लाया गया है कि रुपये जो श्री स्टेट बैक आफ इंडिया से दिनांक को प्राप्त किये थे न तो रोकड़ बही म जमा है न उनका सही व्यक्ति को अथवा पत्र मुक्त करने वाले अधिकारी को भुगतान ही किया गया है और इस राशि का भी कथित अधिकारियो न अपहरण किया है और

३ चूकि अभिलेख के अवलोकन से तथा मामले के सब तथ्य एव परिस्थितियो पर विचार करने के पश्चात सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता को यह तसल्ली हो गई कि कथित श्री और श्री न भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा के साथ पठित भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत अपराध किये है और।

४ इसलिये, अब आप्ता फौजदारी की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है कि श्री के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा मे, भारतीय दण्ड विधान की धारा का पठन करते हुए एव सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाली न्यायालय मे कोई अन्य अपराध बने तो उसके अन्तर्गत फौजदारी मुकदमा चलाया जाव।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

मुहर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धितो को सिवाय उन राजकीय कर्मचारीयो के जो इस मामले म सम्मलित हो।

परिशिष्ट—ग

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां
(गवाहों का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण)
नियम, १९६०[1]

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम १९५९ की धारा ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा —

नियम

१ **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ**—(१) ये नियम राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) नियम, १९६० कहलायेंगे।

(२) ये नियम तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

२ **सम्मन एवं आदेश-पत्र**—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में जांच प्राधिकारी किसी पक्ष को आज्ञा दे सकता है कि वह सम्मन के हेतु एक प्रपत्र दो प्रतियों में देवनागरी लिपि में लिखकर, उपस्थिति पेशी का दिनांक/तथा सम्मन/नोटिस (सूचना पत्र) के जारी होने के दिन, के विषयों को पूरी तरह भर कर उन गवाहों पर तामील कराने के लिये प्रस्तुत करे जिनको वह पक्ष अपने साक्ष्य में पेश करना चाहता हो।

(२) सम्मनों एवं सूचनापत्रों में उपस्थिति/पेशी का दिनांक एवं जारी होने का दिनांक [2]जांच प्राधिकारी के कार्यालय में भरे जायेंगे तथा [2]जांच प्राधिकारी अथवा उसका कार्यालय अधीक्षक अथवा निजी सहायक अथवा कर्मचारी वर्ग का कोई अन्य सदस्य जिसको ऐसा अधिकार प्रत्यायुक्त किया गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर करने का दिनांक भी अंकित करेगा।

(३) प्रपत्र तब तक स्वीकृत नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे बड़े स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य अक्षरों में नहीं भरे गये हों। वह पक्ष उस प्रपत्र पर नीचे के बाएं हाथ के कोने पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस प्रपत्र में प्रविष्टित वृतान्त की सत्यता का उत्तरदायी होगा।

(४) [2]जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किये या दिये प्रत्येक आदेश-पत्र या आज्ञा में जारी करने वाले या देने वाले अधिकारी का नाम सबसे ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

सब दशाओं में [2]जांच प्राधिकारी या उसका कार्यालय अधीक्षक या निजी सहायक या उपरोक्त नियम २ (२) में निर्दिष्ट कर्मचारी वर्ग का अन्य सदस्य अपने नाम के हस्ताक्षर साफ साफ एवं पढ़ने योग्य अक्षरों में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टाम्प) द्वारा नहीं किया जायगा।

(५) प्रपत्र अथवा आदेश-पत्र आवश्यक परिवर्तनों तथा संशोधनों सहित वही होगा जो राजस्थान के दीवानी न्यायालयों के लिये सामान्य नियम (सिविल) १९५२ के अन्तर्गत निर्धारित है।

---

१ प्रथमबार राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग ४—ग दिनांक ८-१२-१९६० को अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ।

२ 'जांच अधिकारी' के स्थान पर लिखा गया।

(६) आदेश-पत्र जारी करने से पूर्व जारी करने वाला अधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि जिस व्यक्ति को आदेश पत्र भेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस सम्पत्ति के विषय में वह जारी किया जा रहा है उसके वर्णन की प्रविष्टियां ऐसी है जिनमे तामील कुनन्दा या उस व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को पहिचानने में गल्ती करने का खतरा नहीं रहे। आदेश पत्र में नाम, पिता का नाम, व्यवसाय जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये जावेंगे। जब कि जांच प्राधिकारी को निवेदन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पत्र में इस प्रकार का वर्णन किया हुआ नहीं हो तो, जारी करने वाले अधिकारी को तुरन्त जांच प्राधिकारी की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

(७) जब कोई सम्मन किसी सैनिक नाविक, वायु सैनिक अथवा सार्वजनिक कर्मचारी को जारी किया जाना हो तो यथा सम्भव गवाहों के आव्हान तथा प्रलेखों हेतु सामान्य नियम (सिविल) १९५२ के अध्याय ३ में दिये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा।

(८) साधारण तथा समस्त आदेश पत्र तामील हेतु उस जिला एवं सत्र न्यायाधीश [1]के न्यायालय में भेजे जावेंगे जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है जिसमें उक्त गवाह निवास करता हो अथवा जिसके संरक्षण में प्रलेख प्रस्तुत करवाना हो।

(एफ २३ (६३) ए०/५८/ग्रुप तृतीय, दिनांक २१ १० १९६०)

१ "प्रथम श्रेणी दण्ड नायक" के स्थान पर, नियुक्ति (ए तृतीय) विभाग के क्रमांक एफ २२ (६३) ए ए/५८ ग्रुप तृतीय दिनांक १७ जून १९६१ द्वारा लिखा गया।

परिशिष्ट—ग

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां
(गवाहों का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण)
नियम, १९६०[1]

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, १९५९ की धारा ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा —

नियम

१ **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ**—(१) ये नियम राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आह्वान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) नियम, १९६० कहलायेंगे।

(२) ये नियम तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

२ **सम्मन एवं आदेश-पत्र**—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में जांच प्राधिकारी किसी पक्ष को आज्ञा दे सकता है कि वह सम्मन के छपे हुए प्रपत्र की प्रतियां में देवनागरी लिपि में सिवाय, उपस्थिति पत्रों की तिथि/तथा सम्मन/नोटिस (सूचना पत्र) के जारी होने के दिन, के विषयों को पूरी तरह भर कर उन गवाहों पर तामील कराने के लिये प्रस्तुत करे जिनको वह पक्ष अपने साक्ष्य में पेश करना चाहता हो।

(२) सम्मनों एवं सूचनापत्रों में उपस्थिति/पेशी की तिथि एवं जारी होने की तिथि [2]जांच प्राधिकारी के कार्यालय में भर जायेंगे तथा [2]जांच प्राधिकारी अथवा उसका कार्यालय अधीक्षक अथवा निजी सहायक अथवा कर्मचारी वर्ग का कोई अन्य सदस्य जिसको ऐसा अधिकार प्रत्यायुक्त किया गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर करने की दिनांक भी अंकित करेगा।

(३) प्रपत्र तब तक स्वीकृत नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे, बड़े स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य अक्षरों में नहीं भरे गये हों। वह पक्ष उस प्रपत्र पर नीचे के बाएं हाथ के कोने पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस प्रपत्र में प्रविष्टित वृतान्त की सत्यता का उत्तरदायी होगा।

(४) [2]जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये या दिये गये प्रत्येक आदेश-पत्र या आज्ञा में जारी करने वाले या देने वाले अधिकारी का नाम सबसे ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायगा।

सब दशाओं में [2]जांच प्राधिकारी या उसका कार्यालय अधीक्षक या निजी सहायक या उपरोक्त नियम २ ( ) में निर्दिष्ट कर्मचारी वर्ग का अन्य सदस्य अपने नाम के हस्ताक्षर साफ साफ एवं पढ़ने योग्य अक्षरों में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टाम्प) द्वारा नहीं किया जायगा।

(५) प्रपत्र अथवा आदेश पत्र, आवश्यक परिवर्तनों तथा संशोधनों सहित वही होंगे जो राजस्थान के दीवानी न्यायालयों के लिये सामान्य नियम (सिविल) १९५७ के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

---

१ प्रथमबार राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग ४—ग दिनांक ८-१२-१९६० को अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ।

२ जांच अधिकारी के स्थान पर लिखा गया।

(६) आदेश-पत्र जारी करने से पूर्व जारी करने वाला अधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि जिस व्यक्ति को आदेश पत्र भेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस सम्पत्ति के विषय में वह जारी किया जा रहा है उसके वर्णन की प्रविष्टियां ऐसी है जिनमे तामील कुनन्दा को एम व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को पहिचानने में गल्ती करने का खतरा नहीं रहे। आदेश पत्र में नाम, पिता का नाम, व्यवसाय जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये जावेंगे। जब कि जाच प्राधिकारी को निवेदन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पत्र में इस प्रकार का वर्णन दिया हुआ नहीं हो तो, जारी करने वाले अधिकारी को तुरन्त जाच प्राधिकारी की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

(७) जब कोई सम्मन किसी सैनिक नाविक वायु सैनिक अथवा सार्वजनिक कर्मचारी को जारी किया जाना हो तो यथा सभव गवाहों के आव्हान तथा प्रलखो हेतु सामान्य नियम (सिविल) १९५२ के अध्याय ३ में दिये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा।

(८) साधारण तथा समस्त आदेश पत्र तामील हेतु उस जिला एवं सत्र न्यायाधीश [1]के न्यायालय में भेजे जावेंगे जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है जिसमे उक्त गवाह निवास करता हो अथवा जिसके सरक्षण से प्रलेख प्रस्तुत करवाना हो।

(एफ २३ (६३) नि०/५८/ग्रुप तृतीय, दिनाक २१ १० १९६०)

---

१ "प्रथम श्रेणी दण्ड नायक" के स्थान पर, नियुक्ति (ए तृतीय) विभाग के क्रमाक एफ २१ (६१) ए ए/५९ ग्रुप तृतीय दिनाक १५ जून १९६१ द्वारा लिया गया।

परिशिष्ट—घ

राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यो की सीमा) विनियम १९५१ के कुछ अंश

क्रमांक एफ २० (१)नियुक्ति(ए)/५०—भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजप्रमुख प्रसन्न होकर निम्नलिखित विनियम बनाते है —

भाग प्रथम—जनरल (सामान्य)

१ इन विनियमों का हवाला "राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम, १९५१" के नाम से दिया जायगा।

२ इन विनियमों में—

(१) 'आयोग' से अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयोग से है।

(२) "सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।

(३) "सेवा" अथवा "पद" से अभिप्राय राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित किसी असैनिक सेवा अथवा पद से है।

(४) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करता हो।

(५) "अनुसूची" से अभिप्राय इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है।

(६) "संविलीन राज्यों की पुलिस" से अभिप्राय उन सेवाओं से है,—

(क) जो राजस्थान राज्य की स्थापना से पूर्व प्रसंविदा के अनुच्छेद १ (क) में उल्लिखित कोई राज्य की हो

(ख) जो उक्त अनुच्छेद के उप खंड (ग) में परिभाषित भूतपूर्व राजस्थान राज्य की हो, अथवा

(ग) जो राजस्थान के राजप्रमुख एवं अलवर भरतपुर धौलपुर तथा करौली के महाराजाओं के मध्य हुए दिनांक १० मई १९४९ के इकरारनामे के उप खंड (१) (क क) में परिभाषित भूतपूर्व मत्स्य राज्य की हो।

x x x x x \

भाग चतुर्थ अनुशासनात्मक मामले

११ आयोग से परामर्श करना निम्न लिखित मामलों में आवश्यक नहीं होगा —

(१) उन अनुशासनात्मक मामलों में, जिनमें ऐसे मामलों से सम्बन्धित अभ्यावेदन तथा याचिकाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें आज्ञा सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होनी हो

(२) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की दृष्टि से किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रारूप बनाने तथा प्रारूप बनाने की आज्ञा देने से पूर्व,

(३) अनुशासनात्मक कार्यवाही की किसी भी स्टेज पर (स्थिति म) जब तक कि मामला अंतिम निर्णय के लिये तय्यार नहीं हो जावे,

(४) जब कि कोई आज्ञा सरकार द्वारा जारी की गई हो और वह—

(क) जाच करने हेतु निलम्बन की आज्ञा हो

(ख) किसी अधिकारी को सेवा से डिसचार्ज अथवा प्रत्यावर्तित (रिवर्शन) करने की आज्ञा हो जो शास्ति स्वरूप नहीं हो

(ग) शास्ति लागू करने की कोई आज्ञा हो जो पदच्युति, या सेवा से पृथकीकरण, या वर्तमान म निम्नतर स्टेज पर पदावनति, या असावधानी अथवा किसी कानून, नियम या आदेशो को भंग करने के फल स्वरूप हुई सरकारी हानि की पूर्ति पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से वेतन से वसूल करने के अतिरिक्त कोई अन्य हो।

स्पष्टीकरण १—सेवा से डिसचार्ज करना—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति का जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया था परीक्षण काल मे या परीक्षण काल समाप्त होने पर परीक्षण की किसी विशिष्ट शर्त पर आधारित कारण से,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी संविदा से अथवा अस्थायी पद धारण करने के लिये रखा गया था, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी संविदा के अन्तर्गत नौकरी पर लिया गया था, उसकी संविदा की शर्तों के अनुसार, और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी संविदा बद्ध राज्य की सेवाओं का हो, जो एकीकरण नियमानुसार, अतिरिक्त अथवा राजस्थान राज्य मे नियुक्ति हेतु वे अनुपयुक्त पाया गया हो—

इन नियमो के प्रयोजनार्थ पृथकीकरण अथवा पदच्युत करना नहीं समझा जायगा।

स्पष्टीकरण २ —राजस्थान राज्य की सेवाओं के लिये अतिरिक्त अथवा अनुपयुक्त पाये जाने के अलावा किसी अन्य कारण से, राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर एतदर्थ अथवा सामयिक आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति का डिसचार्ज करना, स्थितिनुसार पृथकीकरण अथवा पदच्युति करना माना जावेगा।

स्पष्टीकरण ३ —एतदर्थ अथवा सामयिक आधार पर राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति की संविदा बद्ध राज्यों की सेवाओं का राजस्थान राज्य की सेवाओं मे एकीकरण करने की योजना कार्यान्वित करने के फल स्वरूप निम्नतर पद पर पदावनति करना, इन विनियमों के अभिप्राय के अन्तर्गत शास्ति स्वरूप होना नहीं माना जावेगा।

स्पष्टीकरण ४ —परीक्षण की विशिष्ट शर्तानुसार परीक्षण काल का बढना इन विनियमो के अभिप्राय के अन्तर्गत शास्ति नहीं माना जावेगा।

१२ जब कि किसी पूर्वकालीन स्थिति म आयोग ने किसी मामले म आज्ञा जारी करने के विषय म सलाह देदी हो और उसके पश्चात निर्णय हेतु कोई नया प्रश्न नहीं उठा हो तो, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

x x x x x x

भाग छठवां—विविध

१४ इन विनियमो म कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद किसी विशेष मामले मे, आयोग से परामर्श करने का आदेश सरकार दे सकेगी।

परिशिष्ट–घ

राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम १९५१ के कुछ अंश

क्रमांक एफ २० (१)नियुक्ति(ए)/५० —भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजप्रमुख प्रसन्न होकर निम्नलिखित विनियम बनाते है —

भाग प्रथम—जनरल (सामान्य)

१ इन विनियमों का हवाला 'राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों की सीमा) विनियम, १९५१' के नाम से दिया जावेगा ।

२ इन विनियमों में—

(१) 'आयोग' से अभिप्राय राजस्थान लोक सेवा आयोग से है ।

(२) 'सरकार' से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है ।

(३) 'सेवा' अथवा "पद" से अभिप्राय राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित किसी असैनिक सेवा अथवा पद से है ।

(४) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करता हो ।

(५) 'अनुसूची' से अभिप्राय इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है ।

(६) 'संविदाबद्ध राज्यों की सेवाओं' से अभिप्राय उन सेवाओं से है —

(क) जो राजस्थान राज्य की स्थापना से पूर्व संविदा के अनुच्छेद १ (क) में उल्लिखित कोई राज्य की हो

(ख) जो उक्त अनुच्छेद के उप खंड (ख) में परिभाषित भूतपूर्व राजस्थान राज्य की हो, अथवा

(ग) जो राजस्थान के राजप्रमुख एवं अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के महाराजाओं के मध्य हुए दिनांक १० मई १९४९ के इकरारनामे के उप खंड (१) (क क) में परिभाषित भूतपूर्व मत्स्य राज्य की हो ।

x x x x x x

भाग चतुर्थ अनुशासनात्मक मामले

११ आयोग से परामर्श करना निम्न लिखित मामलों में आवश्यक नहीं होगा —

(१) उन अनुशासनात्मक मामलों में, जिनमें ऐसे मामलों से सम्बन्धित अभ्यावेदन तथा याचिकाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें आज्ञा सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होनी हो,

(२) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की दृष्टि से किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रारूप बनाने तथा प्रारूप बनाने की आज्ञा देने से पूर्व,

(३) अनुशासनात्मक कार्यवाही की किसी भी स्टेज पर (स्थिति में) जब तक कि मामला अन्तिम निर्णय के लिये तय्यार नहीं हो जावे,

(४) जब कि कोई आज्ञा सरकार द्वारा जारी की गई हो और वह—

(क) जांच करने हेतु निलम्बन की आज्ञा हो

(ख) किसी अधिकारी की सेवा में डिसचार्ज अथवा प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) करने की आज्ञा हो जो शास्ति स्वरूप नहीं हो

(ग) शास्ति लागू करने की कोई आज्ञा हो जो पदच्युति या सेवा से पृथक्करण, या समयमान में निम्नतर स्टेज पर पदावनति, या असावधानी अथवा किसी कानून, नियम या आदेशों को भंग करने के फल स्वरूप हुई सरकारी हानि की पूर्ति पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से वतन से वसूल करने के अतिरिक्त कोई अन्य हो ।

स्पष्टीकरण १—सेवा से डिसचार्ज करना—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति का जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया था परीक्षण काल में या परीक्षण काल समाप्त होने पर परीक्षण की किसी विशिष्ट शर्त पर आधारित कारण से,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी संविदा से अथवा अस्थायी पद धारण करने के लिये रखा गया था, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी संविदा के अन्तर्गत नौकरी पर लिया गया था, उसकी संविदा की शर्तों के अनुसार, और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी संविदा बद्ध राज्य की सेवाओं का हो, जो एकीकरण नियमानुसार, अतिरिक्त अथवा राजस्थान राज्य में नियुक्ति हेतु के अनुपयुक्त पाया गया हो—

इन नियमों के प्रयोजनार्थ पृथक्करण अथवा पदच्युत करना नहीं समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण २—राजस्थान राज्य की सेवाओं के लिये अतिरिक्त अथवा अनुपयुक्त पाये जाने के अलावा किसी अन्य कारण से, राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर एतदर्थ अथवा सामयिक आधार पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति का डिसचार्ज करना, स्थितिनुसार पृथक्करण अथवा पदच्युति करना माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण ३—एतदर्थ अथवा सामयिक आधार पर राजस्थान सेवाओं के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को, संविदा बद्ध राज्यों की सेवाओं का राजस्थान राज्य की सेवाओं में एकीकरण करने की योजना कार्यान्वित करने के फल स्वरूप निम्नतर पद पर पदावनति करना, इन विनियमों के अभिप्राय के अन्तर्गत शास्ति स्वरूप होना नहीं माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण ४—परीक्षण की विशिष्ट शर्तानुसार परीक्षण काल का बढ़ना, इन विनियमों के अभिप्राय के अन्तर्गत शास्ति नहीं माना जावेगा ।

१२ जब कि किसी पूर्वकालीन स्थिति में आयोग ने किसी मामलें में आज्ञा जारी करने के विषय में सलाह दी हो और उसके पश्चात निर्णय हेतु कोई नया प्रश्न नहीं उठा हो तो, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

x x x x x x

भाग छठवां—विविध

१४ इन विनियमों में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद किसी विशेष मामलें में, आयोग से परामर्श करने का आदेश सरकार दे सकेगी ।

परिशिष्ट—ट

राजस्थान असैनिक सेवाएं (राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण) नियम, १९५८

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिज़हाइनेस, राजस्थान के राजप्रमुख निम्न लिखित नियम बनाते हैं, यथा/—

१ (१) ये नियम राजस्थान असैनिक सेवाएं (राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण) नियम, १९५८ कहलायेंगे।

(२) ये राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवा में कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।

२ (क) "राज्य कर्मचारी" से अभिप्राय ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिन पर ये नियम लागू होते हैं,

(ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्राय है—

(१) विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नियुक्त राज्य कर्मचारी के विषय में विभागाध्यक्ष, और

(२) किसी अन्य राज्यकर्मचारी के विषय में राजप्रमुख।

३ जब कि राजप्रमुख की सम्मति यह हो कि राज्यकर्मचारी विध्वंसक कार्यवाहियों में लगा हुआ है अथवा उसका ऐसी कार्यवाहियों में लगा होना का उचित सन्देह है अथवा वह विध्वंसक कार्यवाहियों में दूसरों का सहयोगी है तथा इस कारण से उसका सार्वजनिक सेवा में रखा जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल है, तो राजप्रमुख ऐसे राज्यकर्मचारी को सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त करने का आदेश जारी कर सकता है।

४ नियम ३ के अन्तर्गत आदेश जारी करने से पूर्व—

(क) सक्षम अधिकारी लिखित सूचना द्वारा उसके विषय में प्रस्तावित कार्यवाही से राज्यकर्मचारी को सूचित करेगा तथा उसको यह अवसर प्रदान करेगा कि वह उस कार्यवाही के विरुद्ध अपना अभिवेदन सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राजप्रमुख को प्रेषित करे, एवं

(ख) यदि कोई इस प्रकार का अभिवेदन किया जावे तो राजप्रमुख उस पर विचार करेगा।

५ जब कि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही का जाना प्रस्तावित की जाय तो सक्षम अधिकारी उस राज्य कर्मचारी को निलम्बित कर देगा,

परन्तु यदि सरकार चाहे तो उसे निलम्बित करने से पूर्व, सक्षम अधिकारी उसको एक अवकाश पर जाने की अनुमति दे जो उसे ग्राह्य हो।

६ इन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही पर या उसके विषय में, राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियमों में समाविष्ट कोई बात लागू नहीं होगी।

परिशिष्ट—च

भारतीय संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेद

विधि के समक्ष समता —

अनुच्छेद १४—भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।

राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर समता —

अनुच्छेद १६—(१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उसके राज्य क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में ऐसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का हो।

कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्च न्यायालयों की शक्ति —

अनुच्छेद २२६—(१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके सम्बन्ध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा इनमें से किसी को निकालने की शक्ति होगी।

(२) खंड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतम-न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा।

उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय —

अनुच्छेद २२९ —(१) उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा।

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में जैसी कि नियम में उल्लिखित हों किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना नियुक्त न किया जायेगा।

(२) राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है नियमों द्वारा विहित करे

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये जहां तक वे वेतनों भत्तों छुट्टी या निवृत्ति वेतनों से सम्बद्ध हैं उस राज्यपाल के जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्च न्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिनके अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन भत्ते और निवृत्ति वेतन भी हैं राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीस और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी।

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें —

अनुच्छेद ३०९ —इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करें ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि —

अनुच्छेद ३१० —(१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा में सम्बन्धित किसी पद का अथवा किसी असैनिक पद का धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है यथास्थिति राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है,

(२) इस में इस बात हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद का धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो प्रतिरक्षा-सेवा या असैनिक सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता है तो यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहले उस पद को खत्म कर दिया जाता है अथवा उसके द्वारा किये गये किसी कदाचार से असम्बद्ध कारणों से लिये उससे पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे प्रतिकर दिया जायगा।

संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत में नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों का पदच्युत, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना—

अनुच्छेद ३११—(१) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायगा।

[1](२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायगा अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायगा जब तक ऐसी जांच जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों से अवगत करा दिया गया है और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है नहीं करली जाती और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति आरोपित करना प्रस्थापित है वहां जब तक उस प्रस्थापित शास्ति के बारे में अभिवेदन, किन्तु ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता

परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा—

(क) जहां कोई व्यक्ति उस आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिसके लिये दण्ड-आरोप पर वह सिद्ध-दोष हुआ है

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायगा यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाय, अथवा

(ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह स्पष्ट कर देना है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाय।

(३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खंड (२) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

---

१ पन्द्रहवां संशोधन १९६३ द्वारा बदला गया।

आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति —

अनुच्छेद ३१८ —संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा —

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा, तथा

(ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के तथा उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसको अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा।

लोकसेवा आयोगों के कृत्य—

अनुच्छेद ३२० —(१) संघ तथा राज्य के लोक सेवा-आयोगों का कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

(२) यदि संघ लोक सेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये जिनके लिये विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिए उन राज्यों की सहायता करें।

(३) यथास्थिति संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक सेवा-आयोग से—

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिये भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर,

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने में तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर,

(ग) ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार की असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उनके सहित समस्त ऐसे अनुशासन-विषयों पर

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सम्राट के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है अथवा उसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य पालन में किये गये या करने में अभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि कार्यवाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है वह यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्यों की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति-वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो इस प्रश्न पर,

परामर्श किया जायेगा तथा इस प्रकार उनसे पूछे गये किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल उनसे पूछा करे, परामर्श देना उस लोकसेवा आयोग का कर्तव्य होगा,

परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ-कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल, उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लोकसेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

(४) खण्ड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिससे कि अनुच्छेद १६ के खण्ड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद ३३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना है।

(५) खण्ड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाये गये सब विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति संसद् के प्रत्येक सदन अथवा राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिये रखे जायेंगे तथा निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जैसे कि संसद् के दोनों सदन अथवा उस राज्य के विधान मण्डल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें कि वे इस प्रकार रखे गये हों।

परिशिष्ट छ

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की रूप रेखा

	विषय	क्रमांक एवं दिनांक
१	निलम्बन तब तक किया जा सकेगा जब कि निम्नलिखित मे से कोई आधार मौजूद हो— (क) प्रथमावलोकन से कोई ऐसा मजबूत मामला बनता है जिसका सभावित फल सेवा से पृथक्कीकरण या बर्खास्तगी हो। (ख) जानबूझ कर आज्ञा पालन से इन्कार करना। (ग) ऐसे आरोप जिनमें नैतिक पतन सम्मिलित हो। (घ) फौजदारी मुकद्दमा चल रहा हो। (ङ) ऋण वसूली के कारण गिरफ्तारी।	नियुक्ति (ए) विभाग की स० डी० २६००/एफ० २३ (१८) नियुक्ति (ए)/५८ दिनांक २५ ३-१९५८
	(च) प्रिवेन्शन आफ डिटेन्शन अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी।	वित्त विभाग का स० २४६७/५९ एफ ७ (क) (१) एफ डी ए /रूल्स/ ५८ १ दिनांक १८-८ १९५९
२	निलम्बन की आज्ञा तभी पारित की जा सकेगी जब कि कठोर शास्ति की कोई सभावना हो।	नियुक्ति- (ए) विभाग की, स० डी/ ९६३३/५९ एफ १९ (२७) नियुक्ति (ए) ६० दिनांक १७ ३ १९६०
३	निलम्बन की अवधि मे निर्वाह भत्ता वेतन के ½ (आधे) दर से दिया जावे/जब निलम्बन अवधि १२ मास से अधिक हो जावे, तो निर्वाह भत्ता वेतन के ¾ (पौन) दर से दिया जावे।	नियम ५३ राजस्थान सेवा नियम तथा स एफ १ (४४) एफ डी (ई रूल्स)/६३ दिनांक २२ १ ६४
४	निलम्बन की अवधि मे विभागीय जाच पर उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा के लिये यात्रा भत्ता की अनुमति दी जावे।	वित्त विभाग आदेश स (६) एफ ११/५५ दिनांक ३ ५ १९५५
५	निलम्बन की अवधि मे कोई अवकाश प्रदान नही किया जावे। मुख्यालय छोड़ने के लिये आवेदन किया जावे।	वित्त विभाग का आदेश स ६ (१) (१) आर/५५ दिनांक ८ २ १९५५
६	निलम्बन की अवधि मे मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा।	नियम ६-मकान किराया भत्ता प्रदान करने के नियम

परामर्श किया जायेगा तथा इस प्रकार उनसे पृच्छा किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल उनसे पृच्छा करे, परामर्श देने का लोकसेवा आयोग का कर्त्तव्य होगा,

परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा सघ-कार्यों में ससक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से ससक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल, उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, लोकसेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

(४) खण्ड (३) की बात में यह अपेक्षा न होगा कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाय जिसमें कि अनुच्छेद १६ के खण्ड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति में कि अनुच्छेद ३३५ के उपबन्धों का प्रभाव दिया जाना है।

(५) खण्ड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाये गये सब विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति ससद के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिए रखे जायेंगे तथा निरसन या सशोधन द्वारा किये गये ऐसे रूप भेदों के अधीन होंगे जो कि ससद के दोनों सदन अथवा उस राज्य के विधान मण्डल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें कि वे इस प्रकार रखे गये हों।

परिशिष्ट

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की रूप रेखा

	विषय	क्रमांक एवं दिनांक
१	निलम्बन तब तब किया जा सकेगा जब कि निम्नलिखित में से कोई आधार मौजूद हो— (क) प्रथमावलोकन में कोई ऐसा मजबूत मामला बनता है जिसका संभावित फल सेवा से पृथक्करण या बर्खास्तगी हो। (ख) जानबूझ कर आज्ञा पालन में इन्कार करना। (ग) ऐसे आरोप जिनमें नैतिक पतन सम्मिलित हो। (घ) फौजदारी मुकद्दमा चल रहा हो।	नियुक्ति (ए) विभाग की सं० डी० २६७०/एफ० २३ (१८) नियुक्ति (ए)/५८ दिनांक २५ ३-१९५८
	(ङ) ऋण वसूली के कारण गिरफ्तारी।	वित्त विभाग का सं० २४६७/५९ एफ ७ (क) (१) एफ डी ए /रूल्स/५८ १ दिनांक १८-८ १९५९
	(च) प्रिवेंशन आफ हिंसान अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी।	
२	निलम्बन की आज्ञा तभी पारित की जा सकेगी जब कि कठोर शास्ति की कोई संभावना हो।	नियुक्ति- (ए) विभाग की, सं० डी/६६३३/५९ एफ १९ (२७) नियुक्ति (ए) ६० दिनांक १७ ३ १९६०
३	निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ता वेतन के ½ (आधे) दर से दिया जावे/जब निलम्बन अवधि १२ मास से अधिक हो जावे, तो निर्वाह भत्ता वेतन के ¾ (पौन) दर से दिया जावे।	नियम ५३ राजस्थान सेवा नियम तथा नम एफ १ (४४) एफ डी (ई रूल्स)/६३ दिनांक २२ १ ६४
४	निलम्बन की अवधि में विभागीय जांच पर उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा के लिये यात्रा भत्ता की अनुमति दी जावे।	वित्त विभाग आदेश सं (६) एफ ११/५७ दिनांक ३ ५ १९५५
५	निलम्बन की अवधि में कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जावे। मुख्यालय छोड़ने के लिये आवेदन किया जावे।	वित्त विभाग का आदेश सं ९ (१) (१) आर/५५ दिनांक ८ २ १९५५
६	निलम्बन की अवधि में मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा।	नियम ६-मकान किराया भत्ता प्रदान करने के नियमें

७	निलम्बन की अवधि में निवास स्थान रिक्त नहीं किया जायगा ।	नियम १७ १७ तथा १८ राजकीय आवास गृह आवंटन के नियम
८	निलम्बित कर्मचारी चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार होगा ।	राजस्थान गवनमेंट सर्वेन्ट्स (मेडिकल अटेन्डेन्स) रूल्स (राज. राज पत्र भाग ४-ग दिनांक १ २ १९५९)
९	निलम्बित राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच का समय सारिणी (अवधि)	नियुक्ति (ए III) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ ४ (४२) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक ८ ८ ६३
	(क) प्रारम्भिक जांच समाप्त करना — १ मास	
	(ख) प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन पर विचार तथा आरोप पत्र तामील करना । — १ मास	
	(ग) आरोपित व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रेषित करना । — कम से कम ३ सप्ताह अधिकाधिक २ मास	
	(घ) उत्तर पर विचार तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति । — २ सप्ताह	
	(ङ) विभागीय जांच समाप्त करना — ३ मास	
	(च) जांच प्रतिवेदन पर विचार — २ सप्ताह	
	(छ) कारण बताने के लिए नोटिस जारी करना । — २ सप्ताह	
	(ज) दोषारोपित व्यक्ति द्वारा कारण बताने के नोटिस का उत्तर प्रेषित करना । — ३ सप्ताह	
	(झ) कारण बताने के नोटिस के उत्तर पर विचार तथा अन्तिम आदेश जारी करना । — १ सप्ताह	
१०	एक वर्ष समाप्त होने के तुरन्त पश्चात सक्षम प्राधिकारी निलम्बित आदेश का पुनरावलोकन करेगा ।	नियुक्ति (ए III) विभाग का ज्ञापन स. एफ १ (६१) नियुक्ति (ए) ६२/ दिनांक २२ ११ १९६२
११	जांच शीघ्र गति से निर्धारित अवधि के अनुसार की जावे । परिजनों की दुर्दशा चलने की स्थिति निर्धारित प्रपत्र में दी जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग स. एफ ४ (४३) नियुक्ति (ए)/६२/दिनांक ८ ३ १९६३

१२	(क) दस्तावजा की सूची जहां तक संभव हो रानगीट के साथ दी जाव ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स ए ३ (२५) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनाक १४ २ १९६२
	(ख) अभिलेखो का निरीक्षण करने की अनुमति लिखित रूप में अस्वीकृत की जावे ।	
	(ग) यदि आवश्यक हो तो सरकार स्वय फाटू की प्रतियें लेवे ।	
	(घ) अभिलेखो का निरीक्षण करने के लिये जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता की अनुमति दी जाव ।	
१३	प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यक्ति को यात्रा भत्ते की अनुमति दी जावे ।	वित्त विभाग स एफ ३ (२) एफ डी (ऐक्स पी रूल्स)/६३ दिनांक १०-२-६४
१४	विभागीय जाच की कार्यवाही म धापस नही दिखाई जाव ।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ २ (३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनाक १७ १० १९५८
१५	आरोपित व्यक्ति को उसको प्रतिरक्षा के लिये गवाह को जाच अधिकारी द्वारा बुलवाने का हक है ।	नियुक्ति (ए) विभाग स १५९७४/१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ९ १२-५७
१६	तमाम सम्मन आदि (प्रासज) सम्बन्धित जिला तथा सत्र न्यायाधीश के द्वारा भेजे जावे ।	नियम २ (VIII) राजस्थान डिसीप्लीनेरी प्रोसीडिंग्ज (सम्मनिज आफ विटनेसेज एण्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेन्टस) रूल्स, १९६०
१७	गवाहों को यात्रा भत्ता दिया जावे ।	नियम २ (V)
१८	भ्रष्टाचार के आरोप अतिरिक्त महानिरीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, प्राथमिक जाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाध्यक्ष/सरकार के माध्यम से निर्देशन किया जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ २३ (३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिनांक २२ ८ १९५७
१९	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति के १५ दिन के भीतर किया जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ १९ (३८) नियुक्ति (ए/६० दिनाक १३ ५ १९६०
२०	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का निरीक्षक तथा कोई उच्चतम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी विभागीय जाच का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा तथा अभिलेखों (रेकर्ड्स) पर कब्जा कर सकेगा ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स २२ (३६) नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ८ २ १९५८ ।

७	निलम्बन की अवधि में निवास स्थान रिक्त नहीं किया जायगा।	नियम १२ १७ तथा १८ राजकीय आवास गृह आवण्टन के नियम
८	निलम्बित कर्मचारी चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार होगा।	राजस्थान गवनमेन्ट सर्वेन्ट्स (मेडीकल एटेन्डन्स) रूल्स (राज. राज. पत्र भाग ४-ग दिनांक १ २ १९५९)
९	निलम्बित राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच का समय सारिणी (अवधि)	नियुक्ति (ए III) विभाग का पत्र चिट्ठी सं. एफ ४ (४३) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक ८ ८ ६३

(क) प्रार्थमिक जांच समाप्त करना — ३ मास

(ख) प्रार्थमिक जांच प्रतिवेदन पर विचार तथा आरोप पत्र तामील करना। — १ मास

(ग) आरोपित व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रेषित करना। — कम से कम ३ सप्ताह अधिकाधिक २ मास

(घ) उत्तर पर विचार तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति। — २ सप्ताह

(ङ) विभागीय जांच समाप्त करना — ३ मास

(च) जांच प्रतिवेदन पर विचार — २ सप्ताह

(छ) कारण बताने के लिये नोटिस जारी करना। — २ सप्ताह

(ज) दोषारोपित व्यक्ति द्वारा कारण बताने के नोटिस का उत्तर प्रेषित करना। — ३ सप्ताह

(झ) कारण बताने के नोटिस के उत्तर पर विचार तथा अन्तिम आदेश जारी करना। — १ सप्ताह

१०	एक वर्ष समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् सक्षम प्राधिकारी निलम्बन आदेश का पुनरावलोकन करेगा।	नियुक्ति (ए III) विभाग का आदेश सं. एफ ४ (६१) नियुक्ति (ए) ६२/ दिनांक २२ ११ १९६२
११	जांच शीघ्र गति से निर्धारित अवधि के अनुसार की जाय। फाजलाती मुकदमा चलाने की स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में दी जाय।	नियुक्ति (ए) विभाग सं. एफ ४ (४३) नियुक्ति (ए)/६२/दिनांक ८ ३ १९६३

१२	(क) दस्तावेजो की सूची जहा तक सभव हो चार्जशीट के साथ दी जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग की सं एफ ३ (२५) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनांक १४-२ १९६२
	(ख) अभिलेखो का निरीक्षण करने की अनुमति लिखित रूप मे अस्वीकृत की जावे ।	
	(ग) यदि आवश्यक हो तो सरकार स्वय फाइल की प्रतियें लेवे ।	
	(घ) अभिलेखो का निरीक्षण करने के लिये जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता की अनुमति दी जाव ।	
१३	प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यक्ति को यात्रा भत्ते की अनुमति दी जावे ।	वित्त विभाग स एफ ३ (२) एफ डी (ऐक्स पी रूल्स)/६३ दिनांक १० २ ६४
१४	विभागीय जाच की कार्यवाही मे शपथ नहीं दिलाई जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ २ (३८) नियुक्ति (ए) २७ दिनाक १७ १० १९५८
१५	दोषारोपित व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा के लिये गवाह को जाच अधिकारी द्वारा बुलवाने का हक है ।	नियुक्ति (ए) विभाग स १५६७४/१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ६ १२-५७
१६	तमाम सम्मन आदि (प्रोसेज) सम्बन्धित जिला तथा सत्र न्यायाधीश के द्वारा भेजे जावे ।	नियम २ (VIII) राजस्थान डिसी प्लीनेरी प्रोसीडिंग्ज (सम्मनिज आफ विटनेसेज एण्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स) रूल्स १९६०
१७	गवाहो को यात्रा भत्ता दिया जावे ।	नियम २ (V) ,
१८	भ्रष्टाचार के आरोप अतिरिक्त महानिरीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, प्राथमिक जाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाध्यक्ष/सरकार के माध्यम से निर्देशित किया जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ २१ (३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिनाक २२ ८ १९५७
१९	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति के १५ दिन के भीतर किया जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ ११ (३८) नियुक्ति (ए/६० दिनाक १३ ५ १९६०
२०	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का निरीक्षक तथा कोई उच्चतम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी विभागीय जाच का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा तथा अभिलेखो (रेकार्ड्स) पर कब्जा कर सकेगा ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स २२ (३६) नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ८ २ १९५८ ।

७	निलम्बन की अवधि में निवास स्थान रिक्त नहीं किया जायगा।		नियम १२ १७ तथा १८ राजकीय आवास गृह आवंटन के नियम
८	निलम्बित कर्मचारी चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार होगा।		राजस्थान गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स (मेडिकल एटेन्डेन्स) रूल्स (राज राज पत्र भाग ४-ग दिनांक १ २ १९५९)
९	निलम्बित राज्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच का समय तालिका (अवधि)		नियुक्ति (ए III) विभाग का गश्ती चिट्ठी न एफ ५ (४) नियुक्ति (ए) ६२ दिनांक ८ ८-६२
	(क) प्राथमिक जांच समाप्त करना	३ मास	
	(ख) प्राथमिक जांच प्रतिवेदन पर विचार तथा आरोप पत्र तामील करना।	१ मास	
	(ग) आरोपित व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रेषित करना।	कम से कम ३ सप्ताह अधिकाधिक २ मास	
	(घ) उत्तर पर विचार तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति।	२ सप्ताह	
	(ङ) विभागीय जांच समाप्त करना	३ मास	
	(च) जांच प्रतिवेदन पर विचार	२ सप्ताह	
	(छ) कारण बताने के लिए नोटिस जारी करना।	२ सप्ताह	
	(ज) दोषारोपित व्यक्ति द्वारा कारण बताने के नोटिस का उत्तर प्रेषित करना।	३ सप्ताह	
	(झ) कारण बताने के नोटिस के उत्तर पर विचार तथा अन्तिम आदेश जारी करना।	१ सप्ताह	
१०	?। वर्ष समाप्त होने के तुरन्त पश्चात सक्षम प्राधिकारी निलम्बित आदेश का पुनरावलोकन करेगा।		नियुक्ति (ए III) विभाग का आदेश स एफ १ (६१) नियुक्ति (ए) ६२/ दिनांक २२ ?१ ?९६२
११	जांच शीघ्र गति से निर्धारित अवधि के अनुसार की जावे। फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में दी जावे।		नियुक्ति (ए) विभाग स एफ ? (८३) नियुक्ति (ए)/६?/दिनांक ८ ? ?९६?

१२	(क) दस्तावेजो की सूची जहा तक सभव हो चार्जशीट के साथ दी जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स ए ३ (२५) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनाक १४-२ १९६२
	(ख) अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति लिखित रूप म अस्वीकृत की जावे ।	
	(ग) यदि आवश्यक हो तो सरकार स्वय फाइ की प्रतियें लेवे ।	
	(घ) अभिलेखो का निरीक्षण करने के लिये जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता की अनुमति दी जाव ।	
१३	प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यक्ति को यात्रा भत्ते की अनुमति दी जावे ।	वित्त विभाग स एफ ३ (२) एफ डी (ऐक्स पी रूल्स)/६३ दिनाक १०-२ ६४
१४	विभागीय जाच की कार्यवाही म शपथ नही दिलाई जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ २ (३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनाक १७ १० १९५८
१५	आरोपित व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा के लिये गवाह को जाच अधिकारी द्वारा बुलवाने का हक है ।	नियुक्ति (ए) विभाग स १५९७४/१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ९ १२ ५७
१६	तमाम सम्मन आदि (प्रासज) सम्बन्धित जिला तथा सत्र न्यायाधीश के द्वारा भेजे जावे ।	नियम २ (VIII) राजस्थान डिसीप्लीनेरी प्रोसीडिंग्ज (सम्मनिज ऑफ विटनेसेज एण्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेन्ट्स) रूल्स १९६०
१७	गवाहों को यात्रा भत्ता दिया जावे ।	नियम २ (V)
१८	भ्रष्टाचार के आरोप अतिरिक्त महानिरीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, प्राथमिक जाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाध्यक्ष/सरकार के माध्यम से निर्देशन किया जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ २३ (३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिनाक २२ ८ १९५७
१९	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रतिवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति के १५ दिन के भीतर किया जावे ।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ ११ (३८) नियुक्ति (ए/६० दिनाक १३ ५ १९६०
२०	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का निरीक्षक तथा कोई उच्चतम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी विभागीय जाच का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा तथा अभिलेखो (रकॉर्ड्स) पर कब्जा कर सकेगा ।	नियुक्ति (ए) विभाग की स २२ (३६) नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक ८ २ १९५८ ।

२१	आरोपित व्यक्तियों को प्रतिनिधि (वकील) से प्रतिनिधित्व कराने तथा निरीक्षण की अनुमति देने के सम्बन्ध में निर्देश। अनुशासन प्राधिकारी सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त न करने के लिए स्वीकार कर सकता यदि उसकी राय में — (क) ऐसा प्रतिनिधित्व मामले के लिए आवश्यक नहीं है। (ख) ऐसा प्रबन्ध के लिए अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ (२१) नियुक्ति (ए)/६१ दिनांक १४-२-६२ तथा इसी संख्या का दिनांक ८-११-१९६२।
२२	पदों पर वेतन वृद्धि रोकने पर शास्ति — (क) दोषी को बर्खास्तगी के बजाय मामलों के लिये—रुके वेतन में ग्रान्ट वेतन वृद्धियों पर रोक (ख) भविष्य में ऐसे मामले होने पर सूचना में प्रबन्ध करना अथवा अनावश्यक।	नियुक्ति ए III विभाग की संख्या एफ २० (७) नियुक्ति (ए) ६० ग्रुप III दिनांक १०-८-१९६०
२	यदि दोषारोपित व्यक्ति बार बार प्रार्थना पत्र पेश करता रहे तो ऐसी प्रार्थना अस्वीकार करने से पूर्व हर बार अलग अलग आदेश से सूचित करना आवश्यक नहीं है।	नियुक्ति विभाग का स एफ १६ (७) नियुक्ति (ए)/६०/ग्रुप III दिनांक १-७-१९६१
२४	जिन मामलों में विभागीय तथा कानूनी कार्यवाही दोनों सम्मिलित हों प्रारम्भ में विभागीय जांच की जानी चाहिये। इस बीच पुलिस द्वारा तफ्तीश जारी रह सकती है परन्तु न्यायालय में चालान विभागीय जांच पूरी हो जाने और दोषी को दंड दिये जाने के पश्चात प्रस्तुत करना चाहिये। परन्तु स्पष्ट मामलों में प्रारम्भ से ही फौजदारी मुकदमा नियमित चलाया जा सकता है।	नियुक्ति (ए) विभाग का स एफ १ (४) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप III दिनांक ७-२-१९६२ तथा स एफ (६१) ए ए/६० ग्रुप III दिनांक २१-११-१९६२
२५	उन मामलों में जिनमें दोषियों को न्यायालय ने स्वतन्त्र छोड़ दिया हो अथवा गलती से दोष मुक्त कर दिया गया हो अनुशासन विभाग द्वारा के विरुद्ध उन्हें लगाये गये अपराध के अनुसार पर्याप्त दंड देने के दृष्टिकोण से मामले पर पुनर्विचार करने की वांछनीयता पर विचार कर [illegible]।	नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ १ (३) नियुक्ति (ए)/६२ ग्रुप III दिनांक ८-२-१९६२ तथा स एफ (६१) ए ए/६२ ग्रुप III दिनांक २१-११-१९६२

२६	उस मामले म जिसम कोई दोपी व्यक्ति गलत जाच के कारण, न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया हो, जाच अधिकारी तथा अनुशासन प्राधिकारी के विरूद्ध अनुशासन कार्यवाही की जा सकेगी।	नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ ५ (६१) नियुक्ति सी २ अपू ııı दिनाक २१ १०-६२।
२७	जिस राज्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी फौजदारी न्यायालय के फसले के अन्तगत जेल सजा पारित की गई हो, उसे बिना कारण बताने का नोटिस दिये सेवा से पृथक या बर्खास्त किया जा सकेगा।	नियुक्ति (ए) विभाग म डी १६८ डा एफ २४ (५७) नियुक्ति/ए/५८ दिनाक १८ ४ १९५८।
२८	जब किसी फौजदारी मुकद्दमे म अपील दायर की गई हो, अन्तिम निर्णय होने तक सेवा म बर्खास्तगी अथवा पृथक्कीकरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।	नियुक्ति (ए) विभाग स एफ ५ (४६) नियुक्ति (ए) ६३/अपू ııı दिनाक ११ ११ १९६३।
२९	जब किसी मामले म जाच अधिकारी किसी गवाह के विरूद्ध या अन्यथा किसी नतीजे पर पहुँचे, तो वह ऐसी टिप्पणी एक गोपनीय प्रतिवेदन म कर सकेगा।	नियुक्ति (ए) विभाग की स ९९६ / एफ २३ (८५) नियुक्ति/(ए) ५७ दिनाक २१ ८ १९५७।

परिशिष्ट—ज

राजस्थान राज्य-कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी आचरण नियम

[1](क्रमांक—एफ० ? (८४) सा० प्र०/८८ दिनांक ३१ सितम्बर, १९४९)

राजस्थान प्रशासन अध्यादेश १९४९ (सं० १/१९४९) संशोधित की धारा १० में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संयुक्त राजस्थान राज्य के महामहिम राजप्रमुख महोदय ने प्रसन्न होकर राजस्थान कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासन को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

१—व्याख्या।

(क) राज्य कर्मचारी—से अभिप्राय प्रत्येक उस व्यक्ति से है जो राजस्थान राज्य की असैनिक सेवा में नियोजित है चाहे वह कुछ समय के लिए किसी सेवा में हो या नहीं। इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कि राज्य सेवा से कभी अन्यत्र सेवा निवृत्त हुआ हो और राजस्थान सेवा में पुनः नियोजित किया गया हो अथवा जो किसी अनुबन्ध के द्वारा सेवा में हो। किन्तु इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जो भारत सरकार की अथवा किसी अन्य प्रान्त या राज्य की सेवा में हों तथा राजस्थान राज्य में प्रति नियुक्ति पर हों ऐसे व्यक्ति अपने सम्बन्धित नियमों से प्रशासित होते रहेंगे।

(ख) सेवानिवृत्त—(पेन्शनर) से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि राजस्थान राज्य अथवा किसी एकीकृत राज्य (भूतपूर्व रियासत) की सेवा में रहा हो और राजस्थान सरकार से निवृत्ति वेतन (पेन्शन) प्राप्त कर रहा हो।

[2]१ (क) सामान्य—प्रत्येक राज्य कर्मचारी सदा पूर्ण सत्यनिष्ठा ईमानदारी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा अपने पद का सम्मान बनाये रखेगा।

२—उपहार (१) इस नियम में दी आगे दिये गये प्रावधानों को छोड़कर तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी—

(अ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्वयं की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा-या

(ब) अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी स्वीकृति नहीं देगा कि वह किसी व्यक्ति से कोई उपहार अनुतोष अथवा पुरस्कार या ऐसे उपहार अनुतोष या इनाम के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करे।

(२) सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई राज्य कर्मचारी किसी व्यक्ति से पुष्पों, फलों अथवा इसी प्रकार के नगण्य मूल्य की साधारण

---

१ विज्ञप्ति सं० एफ १ (२३) ६-ए/५० दिनांक ८ नवम्बर, १९५० द्वारा संशोधित।

२ सा० प्र० आज्ञा सं० एफ० ५(७३) सा० प्र०/क/५४ दिनांक २७-१२-५४ द्वारा जोड़ा गया।

वस्तुओं की कोई शुभकामनापूर्ण भेंट स्वीकार कर सकेगा, किन्तु समस्त राज्य कर्मचारी ऐसे उपहारों या देने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे।

(३) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी व्यक्तिगत अथवा धार्मिक उत्सव जैसे—विवाह, वर्षगांठ अथवा यज्ञोपवीत संस्कार आदि अवसरों पर अथवा इनके सम्बन्ध में अपने किसी व्यक्तिगत मित्र से अल्प ऐसे मूल्य की भेंट जो कि सभी परिस्थितियों में समुचित हो, स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।

[1]० अ भ्रमण (टोर) के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण करना—प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने भ्रमण के समय अपने पड़ाव के स्थानों पर निवास एवं भोजन का प्रबन्ध स्वयं करना चाहिए और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आतिथ्य ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने उच्चाधिकारियों को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करना चाहिए।

११ राज्य कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन—(१) इस नियम में दिये गए प्रावधानों के अलावा कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना—

(क) स्वयं अपने सम्मान में आयोजित, कोई सार्वजनिक शुभकामनापूर्ण अभिनन्दन नहीं लेगा, कोई प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं करेगा या न ही ऐसी कोई सार्वजनिक सभा या मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित ही होगा।

(ख) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या सरकारी सेवा से निवृत्त अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किये जाने वाले किसी सार्वजनिक शुभकामनापूर्ण अभिनन्दन अथवा प्रशस्तिपत्र में सम्मिलित नहीं होगा, न ही तत्सम्बन्धी किसी सार्वजनिक सभा या मनोरंजन कार्यक्रम में उपस्थित ही होगा।

(ग) किसी अन्य राज्य कर्मचारी या किसी अन्य सेवा निवृत्त कर्मचारी की सेवाओं के सम्मान में स्थापित किसी छात्रवृत्ति अथवा आयोजित किसी अन्य सार्वजनिक या दातव्य उद्देश्य या किसी चित्र, प्रतिमा या मूर्ति जो कि ऐसे अन्य राज्य कर्मचारी या व्यक्ति को भेंट किये जाने वाले हों पर खर्च की जाने वाली किसी निधि को एकत्र करने में भाग नहीं लेगा।

(२) नियम (१) में कही हुई किसी भी बात से प्रभावित हुये बिना—

(क) ५०) या उससे कम वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी से अपने कार्य के बाबत कोई प्रशंसा पत्र प्राप्त कर सकता है।

(ख) कोई राज्य-कर्मचारी किसी सार्वजनिक सभा के अनुरोध पर किसी चित्र, मूर्ति आदि की तैयारी के लिए बैठ सकता है, बशर्ते कि वह चित्र आदि उसे भेंट करने के उद्देश्य से नहीं बनाये जा रहे हों।

(ग) सरकार के किसी विशेष अथवा साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए, राज्य-कर्मचारी अत्यन्त व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक ढंग के किसी विदाई समारोह में भाग ले सकता है जो कि उसके स्वयं के अथवा किसी अन्य कर्मचारी के अथवा हाल ही में जिसने

१ विज्ञप्ति सं० एफ० डी० (१७) नियुक्ति-(क) ५७ दि० २७-८-५७ द्वारा निविष्ट।

सेवा द्वारा दी हो, एक व्यक्ति के सम्मान में, सेवा निवृत्ति अथवा एक स्थान से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान (स्थानान्तर) करने के अवसर पर आयोजित किया गया हो।

४ **समारोह में करनी इत्यादि का भेंट करना**—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी समारोह, जल-कोई चिकित्सालय अथवा सार्वजनिक भवन का उद्घाटन, के अवसर पर उसको भेंट की गई कोई करनी अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु प्राप्त नहीं करेगा।

५ **नियम (२) और (३) का चिकित्सा या शिक्षा-अधिकारियों पर लागू होना**—इस प्रश्न पर बने हुए विभागीय नियमों के अधीन, कोई चिकित्सा अथवा शिक्षा अधिकारी उनकी व्यावसायिक अथवा शासकीय सेवाओं के सम्मान में किसी व्यक्ति समूह द्वारा सद्भावना से दिया गया कोई उपहार, मानदेय अथवा इनाम, स्वीकार कर सकता है।

६ **चन्दा इकट्ठा करना**—सरकार की पूर्व स्वीकृति होने की स्थिति को छोड़कर कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र किये जाने वाले किसी चन्दे अथवा अन्य आर्थिक सहायता के लिए न तो किसी से कहेगा, न इसे स्वीकार ही करेगा और न उस धनराशि के संग्रह में किसी भी प्रकार भाग ही लेगा।

[1]ध्वज दिवस के मनाने की अवधि में भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए स्वयं की नगरी में धन जमा करने में कोई भी राज्य कर्मचारी भाग ले सकता है।

७ **त्याग-पत्र की खरीद**—सरकार के अधीन किसी पद के त्याग पत्र के सम्बन्ध में किसी अन्य को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कोई भी राज्य कर्मचारी किसी आर्थिक व्यवस्था में भाग नहीं लेगा। यदि इस नियम का उल्लंघन का पता लगा हो तो, यथास्थिति त्यागपत्र देने के बाद किया गया कोई मनोनयन या नियुक्ति रद्द कर दी जायगी और इस व्यवस्था से सम्बन्धित एक लोगों को जो कि यदि तब भी सेवा में हों सरकार की आज्ञा मिलने तक निलम्बित कर दिया जायगा।

८ **रुपया उधार देना और लेना**—(१) कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसका कि वेतन २००) रु० प्रतिमाह अथवा अधिक हो, अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्दर रहने वाले अचल सम्पत्ति के स्वामी किसी व्यक्ति को रुपया उधार नहीं दे सकेगा और न ही वह किसी ज्वाइन्ट स्टाक बैंक अथवा किसी प्रसिद्ध फर्म के साथ किए जाने वाले साधारण व्यावसायिक काम को छोड़कर, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति अथवा उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं में रहने वाले अचल सम्पत्ति रखने वाले अथवा अपना व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति से रुपया उधार ले सकेगा और न ही किसी अन्य प्रकार के आर्थिक दायित्व में अपने आपको बाध्य करेगा।

(२) जब कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा २००) मासिक अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाला अधिकारी किसी एक पद पर नियुक्त किया जाता है अथवा स्थानान्तरित किया जाता है, जहां पर कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको उसने रुपया उधार दे रखा हो अथवा जिसके साथ उसने स्वयं ने किसी आर्थिक दायित्व में अपने को बाध्य रखा हो और जो उसकी सरकारी अधिकार सीमा के अन्तर्गत होगा अथवा रहता होगा, अचल सम्पत्ति रखता होगा अथवा उस अधिकार क्षेत्र में

---

१ विज्ञप्ति सं० एफ १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० १६.५.५६ द्वारा निविष्ट।

स्थानीय सीमा मे कार्य करता होगा, तो उसे उचित मार्ग द्वारा उन परिस्थितियों से सरकार को सूचित कर देना चाहिए।

(३) इस खण्ड के आदेश, २००) प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों पर भी लागू होते है किन्तु उनके सम्बन्ध मे उनके कार्यालयाध्यक्ष के विवेक पर विशेष मामलों मे छूट दी जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को उपरोक्त उप खण्ड (२) मे वर्णित प्रतिवेदन अपने कार्यालयाध्यक्ष को दे देने चाहिये।

९ मकान एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय-¹(१) किसी नियमित विक्रेता के साथ सद्उद्देश्य से किसी सौदे के मामले को छोड कर, २००) प्रतिमाह अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाला कोई राज्य कर्मचारी जो कि एक हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय अथवा विक्रय अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तार करना चाहता है अपनी ऐसी इच्छा निर्धारित अधिकारी को घोषित करेगा। ऐसी घोषणा मे परिस्थितियों एवं प्रस्तावित मूल्य का पूरा विवरण होगा और विक्रय के अलावा निस्तार की कोई अन्य विधि अपनाने की स्थिति मे, निस्तार की विधि भी उसमे उल्लिखित होगी। इसके पश्चात वह राज्य कर्मचारी ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा, जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए हो।

(२) उप नियम (१) मे दी गई किसी भी बात को ध्यान मे न लाते हुए, कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा २००) या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाला कोई अधिकारी, जो कि अपने नियुक्ति के स्थान जिला अथवा अन्य स्थानीय सीमा को छोड़ने वाला हो बिना किसी अधिकारी को सूचित किए अपनी चल सम्पत्ति को, समाचार मे साधारण या उसको एक सूची घुमाकर अथवा सार्वजनिक नीलाम के द्वारा विक्रय कर के निपटारा कर सकता है।

१० राज्य कर्मचारियों द्वारा धारित या प्राप्त अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण-(१) इन नियमों के प्रभावशाली होने के तीन माह के भीतर सेवा मे संलग्न प्रत्येक राज्य कर्मचारी उचित मार्ग द्वारा, उसके स्वयं के उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व मे रहने वाली अचल सम्पत्ति की एक घोषणा करेगा। ऐसी सम्पत्ति राजस्थान के जिस जिले, प्रदेश अथवा राज्य मे स्थित है, उसका भी उस घोषणा मे उल्लेख होगा और उसमे ऐसी अन्य सूचना भी दी होगी जैसी कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा चाहे।

(२) उप नियम १० (१) मे वर्णित प्रथम घोषणा के बाद यदि राज्य कर्मचारी उसकी पत्नी, उसके साथ रहने वाला अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार का कोई सदस्य कोई अचल सम्पत्ति प्राप्त करता है अथवा उत्तराधिकार मे पाता है तो वह उचित मार्ग द्वारा ऐसी सम्पत्ति का एक घोषणा पत्र सरकार को प्रेषित करेगा।

( ) निर्धारित अधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी नियमित विक्रेता के द्वारा क्रय विक्रय या उपहार द्वारा कोई अचल सम्पत्ति राज्य कर्मचारी प्राप्त नहीं करेगा या उसका निस्तार नहीं करेगा।

किन्तु शर्त यह है कि एक नियमित व प्रसिद्ध विक्रेता के द्वारा किए जाने के अतिरिक्त ऐसे किसी भी सौदे के लिये निर्धारित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

---

¹विज्ञप्ति सं० एफ० ४ (२) नियुक्ति श्रेणी ३ दि० २१ ६ ६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]स्पष्टीकरण—सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी ही इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

११ अचल सम्पत्ति में अनिश्चित प्रकार के विनियोग—कोई भी राज्य कर्मचारी न तो स्वयं ऐसा विनियोग करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसका प्रभावित होना या अथवा जो कि उसकी स्थिति को उलझन में डाल दे।

१२ सट्टा—कोई भी सरकारी कर्मचारी विनियोगों में सट्टा नहीं करेगा।

इस नियम के नियम को लागू करने में, सन्देह उत्पन्न होने पर सामान्यतः यह प्रश्न कि कोई अमुक प्रतिभूतियों की खरीद किया जायेगा अथवा उसके प्रकार के विनियोगों का मामला इस नियम के विनियोग में सट्टा माना जा सकेगा।

१ कम्पनियों की स्थापना या प्रबन्ध—कोई सरकारी कर्मचारी किसी संस्था (जिसकी सदस्य १००) से अधिक की स्थापना ... के प्रबन्ध में सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी ऐसी संस्था अथवा कम्पनी की स्थापना, प्रबन्ध अथवा व्यवस्था में भाग नहीं ले सकेगा।

यह नियम किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होता जो कि सरकार की स्वीकृति से, सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई किसी ऐसी संस्था की सेवा में प्रवेश करता है अथवा जो कि पारस्परिक सहयोग और लाभ प्राप्त नहीं करने के उद्देश्य से सम्भावना से संचालित अथवा स्थापित किसी संगठन का प्रबन्ध करता है किन्तु शर्त यह है कि ऐसा प्रबन्ध या संचालन उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे अथवा ऐसी शर्त के साथ यह नियम उस राज्य कर्मचारी पर भी लागू नहीं होगा जो सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष स्वीकृति के अनुसार किसी सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेता है।

१४ निजी व्यापार अथवा नियोजन—कोई राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने सरकारी काम काज के अलावा किसी अन्य व्यापार में अपने आप को नहीं लगा सकेगा और न कोई अन्य नियोजन स्वीकार करेगा।

कोई राज्य कर्मचारी किसी साहित्यिक अथवा कलात्मक प्रकृति का सामाजिक काम कर सकता है बशर्ते कि उससे उसके सरकारी कर्तव्यों की हानि न हो किन्तु सरकार अपने विवेक से किसी भी समय उसको ऐसा करने से मना कर सकती है अथवा उसको ऐसा कोई भी नियोजन छोड़ने का आदेश दे सकती है जो कि उसके अभिमत में अवांछनीय हो।

[1]१४ क—राजकीय संरक्षण प्राप्त फर्मों में निकटस्थ सम्बन्धी का नियोजन—राजस्थान सरकार का कोई भी अधिकारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पुत्र-पुत्री अथवा आश्रित को ऐसी प्राइवेट फर्म जिसके कि साथ सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध है अथवा ऐसी अन्य फर्म जो कि सरकार से लेन देन का व्यवहार रखती हो में किसी नियोजन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। किन्तु शर्त यह है कि जब ऐसा नियोजन स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व

---

१ विज्ञप्ति दि० ९ ८ ६२ नियुक्ति विभाग द्वारा निविष्ट।

विज्ञप्ति सं० ... दि० (१३) नियुक्ति (क)/५५ दि० ... द्वारा निविष्ट।

स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की जा सके अथवा जो अन्य प्रकार से आवश्यक समझा गया हो, तो यह मामला सरकार को भेजा जावेगा और ऐसा नियोजन सरकार की स्वीकृति के अधीन अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।

[1]१४ स्व–शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने पर प्रतिबंध—कोई राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा में रहते हुए [2](सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अपने आपको तैयार करने की दृष्टि से न तो किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेगा अथवा उपस्थित होगा और न उस परीक्षा में बैठेगा। किन्तु शर्त यह है कि—

(१) इस नियम में उल्लिखित कोई बात ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो कि विद्यालय अथवा महा विद्यालय के उस सत्र जिसमें कि वह ऐसी तैयारी करना चाहता है, की पूरी अवधि के लिए राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत मिलने वाले किसी अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र देता है और जिसे ऐसा अवकाश स्वीकार किया जाता है।

(२) किसी भी राज्य कर्मचारी को, जिसने सन् १९५५ में अथवा उसके पूर्व के वर्षों में किसी परीक्षा का पूर्व खण्ड उत्तीर्ण कर लिया हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी पूर्व खण्ड परीक्षा में आगे वाली अन्तिम परीक्षा में बैठने अथवा अपने आप को तैयारी करने के उद्देश्य से सरकारी सेवा के समय के बाहर के समय में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की स्वीकृति दी जा सकती है।

(३) प्रत्येक राज्य कर्मचारी को किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षाओं, जो कि ऐसी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिये तैयारी करने अथवा उनमें बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिए उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

(४) प्रत्येक अध्यापक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत किसी स्वीकृत मण्डल अथवा विश्वविद्यालय का मैट्रिक परीक्षा अथवा किसी स्वीकृत मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी अन्य परीक्षाओं, जो कि ऐसी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जा चुकी हो, के लिए तैयारी करने अथवा उसमें बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने के लिये उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृती दी जा सकती है और

(५) किन्हीं विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक तकनीकी अधिकारी को भी उच्च तकनीकी अध्ययन करने अथवा किसी तकनीकी परीक्षा में बैठने के उद्देश्य से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किसी तकनीकी संस्था में प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण [क] पूर्व खण्ड परीक्षा" से अभिप्राय अन्तिम इन्टरमीजियेट अथवा स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा से तुरन्त पूर्व वाली वार्षिक परीक्षा से है और

१ विज्ञप्ति सं० एफ० १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० ११-१० ५८ द्वारा निविष्ट।
२ विज्ञप्ति सं० एफ० १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ श्रेणी ३ दि० २१ ८-६१ द्वारा निविष्ट।

(ख) "**तकनीकी अधिकारी**" से अभिप्राय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, वन, सार्वजनिक निर्माण और खान एवं भूगर्भ विभागों अथवा राज्य द्वारा संचालित फैक्ट्रियों अथवा राज्य के उद्योग विभाग के अधीन उत्पादन केन्द्रों में किसी तकनीकी कार्य वाले किसी पद पर आसीन अधिकारियों से है।

१५ **दिवालियापन एवं अभ्यस्त ऋण ग्रस्तता (कर्जदारी)**-(१) प्रत्येक राज्य कर्मचारी अभ्यस्त कर्जदार बनने की स्थिति को टालेगा।

(२) जब किसी राज्य कर्मचारी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा न्यायालय ऐसी क्षमता दे देती है और जब ऐसे राज्य कर्मचारी के वेतन का एक यथेष्ट भाग लगातार [illegible] से अधिक की अवधि तक कुर्क रहता है अथवा जब उसका वेतन एक ऐसी रकम के लिये कुर्क किया जाता है जो कि सामान्य परिस्थितियों में दो वर्ष की अवधि में नहीं चुकाया जा सके, तो उसको बर्खास्त करने के योग्य माना जायेगा।

(३) जब ऐसा राज्य कर्मचारी सरकार की स्वीकृति से अथवा उसके द्वारा ही बर्खास्त किया जाने योग्य है और अन्य प्रकार से नहीं, यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो वह मामला सरकार को भेजा जाना चाहिए और यदि केवल उसके वेतन का भाग ही कुर्क किया गया है तो उस मामले पर सरकार को प्रतिवेदन किया जा सकता है।

(४) किसी अन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में ऐसा मामला उसके कार्यालय अथवा विभाग जिसमें कि वह नियोजित है, के अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए।

(५) जब किसी अधिकारी के वेतन का कुछ भाग कुर्क कर लिया गया है, तो प्रतिवेदन में यह वर्णित होना चाहिए कि ऋण का वेतन से क्या अनुपात है, उससे राज्य कर्मचारी की कार्य कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कर्जदार की स्थिति असाध्य है और क्या उस मामले की परिस्थितियों में उसे उसके स्वयं के अथवा किसी अन्य पद पर रखना वांछनीय है, जब कि यह मामला प्रकाश में आ गया है।

(६) इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में यह बात सिद्ध करने का भार कि दिवालियापन अथवा कर्जदारी ऐसी परिस्थितियों का परिणाम है, जो कि सामान्य चतुरता दिखाने के बाद भी कर्जदार पहले से न देख सका अथवा जिन पर कि उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा और वह कर्जदारी उसकी फिजूल खर्ची अथवा अन्य आदतों के कारण नहीं हुई, कर्जदार पर होगा।

१५ क—**द्वि विवाह**—कोई भी राज्य कर्मचारी जिसकी कि एक पत्नी जीवित है, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा चाहे दूसरा विवाह करने की उस पर लागू उसके व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत उसे स्वीकृति मिल सकती हो।

१५ ख—कोई भी महिला कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगी जिसके कि पहले वाली पत्नी जीवित हो।

१५ ग—कोई भी राजकीय कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों में नशा किये हुए नहीं जायगा।

---

१ विज्ञप्ति सं. एफ ५ (७) सा. प्र. (क) ५८ दि० २२ १२-५८ द्वारा निविष्ट।
२ नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति दि० ६ १ ५७ से निविष्ट।
नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति दि० ३ ७ ५७ से निविष्ट।

१६ शासकीय प्रलेखों अथवा सूचना का सम्प्रेषण—कोई भी राजकीय कर्मचारी, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जब तक सामान्य अथवा विशेषतया *अधिकार नहीं दिया गया* हो, किसी भी अन्य विभाग से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा समाचारपत्रों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कागज अथवा ऐसी सूचना जो कि उसके अधिकार में उसके सार्वजनिक कर्त्तव्यों के दौरान आई हो अथवा जो कि उसके द्वारा ऐसे कर्त्तव्यों के दौरान संग्रहित अथवा तैयार की गई हो, चाहे सरकारी सूत्रों के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से, नहीं देगा। इससे ऐसे अधिकारी प्रतिबन्धित नहीं होंगे, जिनका कि कर्त्तव्य सरकार के किसी, सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अनुसार समाचार-पत्रों को सरकारी कार्य की प्रचार सामग्री देना है।

१७ समाचार पत्रों से सम्बन्ध—कोई भी राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र अथवा अन्य सामयिक प्रकाशन की व्यवस्था अथवा सम्पादन में न तो भाग ले सकेगा और न उसका संचालन कर सकेगा और न ही वह उसका सम्पूर्ण अथवा आंशिक मालिक बन सकेगा।

ऐसी स्वीकृति केवल उसी समाचार पत्र अथवा प्रकाशन में दी जावेगी, जो कि केवल विभागीय अथवा राजनीति रहित विषयों के लिए कार्य करता हो और ऐसी स्वीकृति सरकार की इच्छानुसार कभी भी वापिस ली जा सकती है।

१८ नियम (१०) के प्रावधानों के अधीन कोई भी राज्य कर्मचारी समाचार पत्रों में अपना नाम व्यक्त किये बिना रचना भेज सकता है लेकिन उसे स्वस्थ एवं उचित वाद विवाद तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये और यदि उसका समाचार पत्रों से सम्पर्क सार्वजनिक हित के विपरीत है, तो सरकार उसकी रचनायें भेजने की स्वतन्त्रता को वापिस ले सकती है। जब कोई शंका हो जाय कि किसी राज्य कर्मचारी का समाचार पत्रों के साथ सम्बन्ध सार्वजनिक हित के विपरीत है या नहीं, तो वह मामला सरकार को आज्ञा के लिए भेज दिया जायगा।

१९ सरकार की आलोचना तथा विदेशों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर सूचना एवं अभिमत प्रकट करना—(१) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से प्रकाशित किसी पत्र में अथवा उसके द्वारा दिये गये किसी सार्वजनिक वक्तव्य में कोई ऐसा तथ्य एवं मत प्रकट नहीं करेगा, जिससे कि निम्न बातों में अन्तर आ सके।

(अ) राजस्थान राज्य के लोगों अथवा उनके किसी वर्ग एवं सरकार के बीच सम्बन्धों में, अथवा

(ब) भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के आपसी सम्बन्धों अथवा किसी राज्य की सरकार अथवा रियासती संघों की सरकारों के बीच।

(२) कोई भी राज्य कर्मचारी जो कि अपने स्वयं के नाम से कोई कागजात प्रकाशित करना चाहता है अथवा कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देना चाहता है, जिसके कि वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी शंका उठ सकती हो कि उपनियम (१) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध उस पर लागू होते हैं कि नहीं तो वह ऐसा प्रस्तावित प्रकाशन अथवा वक्तव्य की एक प्रति सरकार को प्रेषित करेगा और उस प्रकाशन तथा वक्तव्य को, सरकार की स्वीकृति को छोड़कर तथा सरकार द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों के बिना तब उसे प्रकाशित नहीं करेगा अथवा वक्तव्य नहीं देगा।

(३) [1](१) कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न उद्देश्य से संसद अथवा राज्य विधान सभा के किसी सदस्य से सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा—

(क) उसकी सेवा की शर्तों अथवा उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रश्न पर कोई प्रश्न पुछवाना अथवा प्रस्ताव रखवाना अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करना देना, जो कि सरकार की स्थिति को संकट में डाल दे।

[2](२) कोई भी राज्य कर्मचारी अपने स्वयं के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के हितों को आगे बढ़ाने के लिये अपने किसी उच्चाधिकारी पर न तो कोई बाहरी या प्रभाव डालेगा और न ऐसा करने का प्रयत्न ही करेगा।

२०. समितियों के समक्ष साक्ष्य—कोई राज्य कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सार्वजनिक-समिति के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं दे सकेगा।

यह नियम ऐसी साक्ष्य पर लागू नहीं होगा जो कि ऐसी संवैधानिक समितियों जो कि लोगों को अनिवार्य रूप से उपस्थित कराने एवं उत्तर प्राप्त करने का अधिकार रखती हों अथवा जो कि न्यायिक जांच या सरकार द्वारा या उसकी अनुमति से नियुक्त समितियों के समक्ष दी गई हो।

[3]२१. राजनीति एवं चुनाव में भाग लेना—(१) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी राजनैतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का न तो सदस्य होगा और न किसी अन्य प्रकार से उससे सम्बन्ध होगा। वह किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में न तो कोई भाग लेगा न उसकी सहायता के लिये चन्दा देगा अथवा न उसकी किसी अन्य तरह से सहायता करेगा।

(२) प्रत्येक राज्य कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस पर आश्रित अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन अथवा गतिविधि जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कानून से स्थापित सरकार को उलटने के लिए की जा रही हो में भाग लेने अथवा उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य प्रकार से उसकी सहायता करने से उसको रोके और जहां पर कोई राज्य कर्मचारी ऐसी गतिविधि अथवा आन्दोलन में उसके परिवार के किसी सदस्य के भाग लेने, उसकी सहायता के लिये चन्दा देने अथवा किसी अन्य विधि से मदद करने से रोकने में असमर्थ रहता है तो वह उसकी सूचना सरकार को देगा।

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि अमुक आन्दोलन अथवा कोई गतिविधि इस नियम के अन्तर्गत आती है या नहीं, तो उस पर लिया गया सरकार का निर्णय ही अन्तिम होगा।

(४) कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी विधान सभा अथवा स्थानीय चुनाव में न तो प्रचार कर सकेगा और न किसी अन्य प्रकार से हस्तक्षेप कर सकेगा, न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का उपयोग कर सकेगा और न उसमें भाग ही लेगा।

किन्तु शर्त यह है कि—(१) ऐसे चुनाव में मत देने की योग्यता रखने वाला राज्य कर्मचारी अपने मत देने के अधिकार का उपयोग कर सकता है किन्तु जहां वह ऐसा करेगा, वह ऐसा कोई संकेत न देगा कि वह किसे मत देना चाहता है अथवा उसने किसे मतदान किया है।

---

१ सामान्य प्रशासन विभाग की विज्ञप्ति दि० १८.१०.[illegible] द्वारा निविष्ट।

२ विज्ञप्ति सं. एफ १३ (१७) नियुक्ति (क)/५७ दि० [illegible] द्वारा निविष्ट।

विज्ञप्ति सं. एफ ५ (३५) मा० प्र० (क)/[illegible] दि० [illegible] द्वारा निविष्ट।

(२) कोई राज्य कर्मचारी द्वारा केवल इसी कारण से इस नियम का उल्लंघन किया हुआ नहीं माना जायेगा कि वह उस समय में प्रचलित किसी कानून से अथवा इसके अधीन सौंपे गये उचित कर्त्तव्य के पालन में चुनाव के संचालन में सहायता करता है।

[1]स्पष्टीकरण—राज्य कर्मचारी द्वारा अपने शरीर अपने वाहन अथवा घर पर किसी चुनाव चिन्ह अथवा कोई अन्य चिन्ह या किसी राजनैतिक संस्था से विशेष प्रकार से सम्बन्धित किसी उपदान का प्रदर्शन जब तक कि अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं कर दिया जावे, इस नियम के अन्तर्गत, किसी चुनाव में अपने प्रभाव का प्रयोग किया हुआ माना जावेगा।

२२ राज कर्मचारी के रूप में किये कार्यों व आचरण का प्रतिशोध—सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के अनुसार अपने सार्वजनिक-कर्त्तव्य अथवा आचरण को स्पष्ट करने के लिये समाचार पत्रों तथा किसी न्यायालय का सहायता नहीं लेगा। न्यायालय कार्यवाही के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व, सरकार प्रत्येक मामले में यह निर्णय करेगी कि क्या राज्य कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा अपने खर्च से चलायेगा और यदि ऐसा है तो क्या न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय दिये जाने की स्थिति में, उस मुकदमे के खर्चे का पूरा या आंशिक भाग उस कर्मचारी को दे देगी।

इस नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि राज्य कर्मचारी के अपने निजी कार्य अथवा आचरण को स्पष्ट करने के अधिकार को प्रभावित कर सके।

२२ क प्रदर्शन तथा हड़ताल—अपनी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई भी राज्य कर्मचारी न तो किसी प्रदर्शन में भाग ले सकेगा और न किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेगा।

२३ सेवा संघों की सदस्यता—कोई भी राज्य कर्मचारी ऐसे संघ जो कि राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हों अथवा करने के उद्देश्य वाले हों, का सदस्य प्रतिनिधि तथा अधिकारी तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि उस संघ को सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्रदान करदी गई है।

[2]२३ क-राज्य कर्मचारियों द्वारा संघों में प्रवेश—कोई भी राज्य कर्मचारी निम्न प्रकार के राज्य कर्मचारियों के संघों का सदस्य नहीं बन सकेगा और न उनका गठन कर सकेगा :—

(अ) ऐसा संघ, जिसको अपने गठन के ६ मास की अवधि के भीतर सरकार से तत्सम्बन्धित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं कर ली हो।

(ब) ऐसा संघ, जिनको कि नियमों के अन्तर्गत मान्यता देने से मना कर दिया गया हो अथवा सरकार द्वारा जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई हो।

२४ सेवा निवृत्त कर्मचारी—(१) निवृत्ति वेतन की प्रत्येक कर्मचारी को स्वीकृति के लिए भविष्य का अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति किसी भयंकर

---

१ सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा दि० १६-४-५५ द्वारा निविष्ट।

२ विज्ञप्ति सं० १३ (१७) नियुक्ति (क)/५७ दि० २ १२ ५७ द्वारा प्रतिस्थापित, जो पहले दि० १० ३ ५४ को प्रतिस्थापित किया गया था।

अपराध में सजा प्राप्त करे अथवा गम्भीर दुराचरण का अपराधी पाया जावे, तो राज्य सरकार निवृत्ति-वेतन अथवा उसके किसी भाग को वापिस लेने का अथवा अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्पष्टीकरण—राष्ट्रद्रोही राजनैतिक प्रवृत्तियों में भाग लेने अथवा अवैधानिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने को इस नियम के लिए गम्भीर दुराचरण माना जा सकता है।

(२) राज्य कर्मचारियों के आचरण के अन्य नियम सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

२८. व्यावृत्ति—राज्य कर्मचारियों के आचरण से सम्बन्धित वर्तमान समय में प्रचलित विधि या किसी सक्षम अधिकारी के कोई आदेश के लागू होने में, इन नियमों की कोई भी बात प्रभावित नहीं करेगी।

२९. निरसन—राजस्थान के किसी भी भाग में प्रचलित कर्मचारियों के आचरण नियम, उन सब कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन पर ये नियम लागू होते हैं, एतद्द्वारा प्रतिसंहित किये जाते हैं।

परिशिष्ट—भ

पचायत समिति एव जिलापरिषद् सेवाए
(शास्ति एव अपील)
नियम १९६१

[क्रमाक एफ २३ (५) नियुक्ति (क) ६० श्रेणी ३ दिनांक २५ मई १९६१] राजस्थान प चायत समिति एव जिला परिषद अधिनियम १९५९ (अधिनियम स ख्या ३७ सन् १९५९) की धारा १९ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए धारा ८८ की उप धारा (२) खण्ड (ख) एव धारा ८९ के साथ पठित राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

(१) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ –(क) ये नियम राजस्थान प चायत समिति एव जिला परिषद सेवाए (शास्ति एव अपील) नियम १९६१ कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(२) व्याख्या –इन नियमो म जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) अधिनियम – से तात्पय राजस्थान प चायत समिति एव जिला परिषद अधिनियम १९५९ (अधिनियम सख्या ३७ सन् १९५९) स है,

(ख) अपील प्राधिकारी –से तात्पय उस प्राधिकारी से है, जिसको अपील धारा ८९ का उप धारा (५) तथा (६) के अधीन की जा सकती है।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी –स तात्पय उस प्राधिकारी से है जिसका अधिनियम का धारा ३१ के अधीन प चायत समिति तथा जिला परिषद के किसी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करने के अधिकार है।

(घ) समिति –से तात्पय अधिनियम की धारा ८८ (१) के अन्तगत बनाई गई "जिला कर्मचारी वग समिति से है।

(ङ) आयोग –से तात्पय धारा ८६ की उपधारा (६) के अधीन गठित 'चयन आयोग से है।

(च) अनुशासन प्राधिकारी –से तात्पय अधिनियम की धारा ८९ के अधीन कोई शास्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है।

(३) प्रभाव —ये नियम प चायत समिति तथा जिला परिषद के सभी अधिकारियो तथा कर्मचारियो पर लागू होंगे, सिवाय उन अधिकारियो के, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा २६ तथा ५५ म हैं एव वे व्यक्ति जो सामयिक नौकरी म है तथा व व्यक्ति जिन्हे एक माह स कम अवधि की सूचना पर हटाया जा सकता है।

(४) संदेह का निवारण —जहां इन नियमो म किसी प्रावधान की व्याख्या के लिये या उसके लागू किये जाने के सम्बन्ध म सन्देह उत्पन्न हो जाय, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जायगा जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

धारा द्वारा निश्चित अवधि में एक लिखित प्रतिकथन जिसमें यह बताते हुए कि क्या वह सब अथवा उनमें से किसी आरोप को अथवा को स्वीकार करता है उस सम्बन्ध स्पष्टीकरण या बचाव यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

परन्तु अपने बचाव के दौरान में आरोपित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान या लगाए गए अभिकथनों के सम्बन्ध में जब कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो कोई अतिरिक्त आरोप बनाना आवश्यक नहीं होगा।

( ) उस अधिकारी या कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा वर्णित कार्यालय के अभिलेख (रेकार्ड) का निरीक्षण करने तथा उसमें से उद्धरण लेने की अनुमति दी जायगी, परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी की सम्मति में ऐसा अभिलेख उस प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं हो अथवा उस अभिलेख तक उसकी पहुंच की अनुमति देना लोक हित में नहीं हो तो उन कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसी अनुमति देने से अस्वीकार किया जा सकता है।

(४) बचाव में लिखित प्रतिकथन प्राप्त होने पर या निश्चित अवधि में ऐसा प्रतिकथन प्राप्त नहीं होने पर अनुशासन प्राधिकारी स्वयं उन आरोपों की जांच कर सकेगा, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है या आवश्यक समझे तो, कोई जांच मण्डल या जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(५) अनुशासन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जांच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष (जिसे यहां से आगे जांच प्राधिकारी कहा जायगा) आरोपों की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने के लिए मनोनीत कर सकता है। वह अधिकारी या कर्मचारी भी अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमति किया गया किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु किसी वकील को इस प्रयोजनार्थ नहीं रख सकता, जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई वकील न हो या अनुशासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति न दे।

(६) जांच प्राधिकारी जांच के दौरान ऐसे दस्तावेजी (लिखित) पर विचार करेगा और ऐसी मौखिक साक्ष्य लेगा जो आरोपों के सम्बन्ध में सुसंगत व सारभूत हो। उस अधिकारी या कर्मचारी को आरोपों की पुष्टि में बयान देने वाले साक्षियों से तर्क (जिरह) करने का अधिकार होगा एवं वह स्वयं साक्ष्य दे सकेगा। आरोपों की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उस अधिकारी या कर्मचारी के उसके बचाव में बयान देने वाले साक्षियों से तर्क कर सकेगा। यदि जांच प्राधिकारी किसी साक्षी का कथन (बयान) लिखने से इस आधार पर मना करे कि उसकी साक्ष्य सुसंगत या सारभूत नहीं है तो वह इसके लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(७) जांच की समाप्ति पर जांच प्राधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक आरोप पर उसका निष्कर्ष मय कारणों के अभिलिखित किया जायगा। यदि जांच प्राधिकारी की सम्मति में जांच की कार्यवाही मूल आरोपों से भिन्न आरोप प्रमाणित करे तो वह उन पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा, परन्तु ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि या तो उस अधिकारी या कर्मचारी ने उन तथ्यों को स्वीकार नहीं कर लिया हो जिनसे कि

आरोप बनते हों या उसको उनके विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा (बचाव) प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल चुका हो।

(८) जाच का अभिलेख (निम्न का) सम्मिलित करेगा—

(१) उस अधिकारी या कमचारी के विरुद्ध बनाये गये आरोप व अभिकथना का विवरण जो उसे उपनियम (२) के अधीन दिये गये थे।

(२) उसके बचाव का लिखित प्रतिकथन, यदि कोई हो।

(३) जाच के दौरान ली गई मौखिक—साक्ष्य।

(४) जाच के दौरान विचार किया गया दस्तावेजी—साक्ष्य।

(५) अनुशासन प्राधिकारी और जाच—प्राधिकारी द्वारा जाच के सम्बन्ध म दी गई आज्ञायें यदि कोई हो, और

(६) रिपोर्ट, जिसम प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित निष्कर्ष दिये गये हो।

(९) यदि वह (स्वय) जाच—प्राधिकारी नहीं है, तो अनुशासन प्राधिकारी जाच के अभिलेख पर विचार करेगा तथा प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष देगा।

(१०) यदि आरोपो के निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात् अनुशासन प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि नियम ६ के खण्ड (४) से (७) म वर्णित कोई एक शास्ति दी जानी चाहिये, तो वह—

(क) उस अधिकारी या कमचारी को जाच प्राधिकारी की रिपोट की प्रतिलिपि और यदि अनुशासन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नहो है तो उस पर अपने निष्कर्ष का विवरण मय जाच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणो के यदि कोई हो तो, देगा।

(ख) उसे एक नोटिस (सूचना), जिसम उसे दिये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड का उल्लेख करते हुए देगा कि वह प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध जसा वह चाहे वसा अभिवेदन निर्दिष्ट समय म प्रस्तुत करेगा और

(ग) अनुशासन प्राधिकारी उस अधिकारी या कमचारी के ऊपर निर्दिष्ट अभिवेदन यदि कोई हो पर विचार करके यह निश्चय करेगा कि सेवा के सदस्य को क्या शास्ति यदि कोई देना हो दी जानी चाहिये और वह उस मामले म समुचित आज्ञा प्रसारित करेगा।

(घ) यदि अनुशासन प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को ध्यान म रखते हुए यह सम्मति बनावे कि नियम ६ के खण्ड (१) से (३) मे निर्दिष्ट शास्तियो म स कोई शास्ति दी जानी चाहिये तो वह उस मामले म समुचित आज्ञा पारित करेगा।

(११) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा उस अधिकारी या कमचारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे जाच प्राधिकारी की रिपोट की प्रति दी जावेगी और जहा अनुशासन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नहीं हो तो उसके निष्कर्षों का एक विवरण मय असहमति के संक्षिप्त कारणो के, यदि कोई हो तो और यदि वे पहले ही नहो दे दिये गये हो तो देगा।

(१२) नियम ६ के खण्ड (४) से (६) तक वर्णित कोई शास्ति देने से पहले इस नियम मे पहले वर्णित एसी जाच की आवश्यकता नहो होगी—

(ख) जहां ऐसी शास्ति उस आचरण के आधार पर आरोपित करना है जिसके कारण किसी आपराधिक आरोप में सजा हुई हो,

(ग) जहां अनुशासन प्राधिकारी का, लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए यह समाधान हो जाय कि ऐसी जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(घ) जहां अनुशासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समाचीन नहीं है।

(८) लघु शास्तियां देने की प्रक्रिया—(१) किसी राज्य अधिकारी या कर्मचारी को नियम ६ के खण्ड (१) से (३) में वर्णित कोई शास्ति का आदेश नहीं दिया जायगा, सिवाय इसके कि—

(क) उस अधिकारी या कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की और आरोपों के जिन पर ऐसा करना प्रस्तावित किया गया है, लिखित में सूचित कर दिया गया हो और कोई अभिवेदन जो वह देना चाहे उसको देने का एक अवसर दे दिया गया हो।

(ख) ऐसा अभिवेदन यदि कोई हो पर अनुशासन प्राधिकारी ने विचार कर लिया हो।

(२) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में (ये) सम्मिलित होंगे—

१ उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की उसको दी गई प्रस्ताव की सूचना की प्रतिलिपि,

२ उसे दिए गए आरोपों के विवरण पत्र की प्रतिलिपि,

३ उसका अभिवेदन यदि कोई हो,

४ मामले में दी गई आज्ञा मय उसके कारणों के।

(९) समिति की अनुमति—जहां अधिनियम की धारा ८८ की उपधारा (४) के प्रावधानों के अधीन अनुमति आवश्यक हो वहां ऐसी अनुमति के बिना इन नियमों के अधीन कोई शास्ति नहीं दी जा सकेगी।

(१०) संयुक्त जांच—जहां किसी मामले में दो या अधिक अधिकारी या कर्मचारी सम्बद्ध हों अनुशासन प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जो उन सब अधिकारियों और कर्मचारियों को पदच्युति की शास्ति देने के लिए सक्षम हो, यह निर्देश देते हुए आज्ञा जारी करेगा कि उन सबके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही एक संयुक्त कार्यवाही में होगी।

(११) आज्ञाओं की प्रतिलिपि जिस मामले में कोई आज्ञा अपील योग्य है जो आज्ञा देने वाला प्राधिकारी यथोचित समय में यदि पहले नहीं दी गयी हो, आज्ञा की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध आज्ञा पारित की गया है।

(१२) अपील का प्रारूप व विषय सामग्री—(१) प्रत्येक अपील प्रस्तुतकर्ता अलग अलग अपने स्वयं के नाम से अपील करेगा।

(२) अपील जिस प्राधिकारी को प्रस्तुत होती है उसको सम्बोधित की जावेगी और उसमें समस्त सारभूत कथन और तर्क होंगे, जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है,

जिसमें कोई असम्मानजनक या अनुचित भाषा नहीं होनी चाहिये और वह अपने आप में परिपूर्ण होनी चाहिये।

(१३) अपीलों का प्रस्तुतिकरण—प्रत्येक अपील समुचित माध्यम से उस प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, जिसने वह आज्ञा दी, तथा जिसकी अपील करनी है।

परन्तु उस अपील की एक प्रति सीधा अपील प्राधिकारी के पास भेजी जा सकती है।

(१४) अपीलों का आगे भेजना—जिस प्राधिकारी ने ऐसी आज्ञा दे दी हो, जिस की अपील की गई है वह बिना किसी परिहार्य विलम्ब के, अपील प्राधिकारी को प्रत्येक ऐसी अपील मय अपनी टिप्पणी व सम्बन्धित अभिलेख के आगे भेज देगा।

(१५) अपीलों पर विचार—(१) निलम्बन की आज्ञा के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि—नियम ५ के प्रावधानों के प्रकाश में और उस विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन की आज्ञा न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार उस आज्ञा को पुष्ट या निरस्त करेगा।

(२) नियम ६ में वर्णित कोई भी शास्ति देने की किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि—

(क) इन नियमों में निहित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और यदि नहीं, तो ऐसा नहीं किये जाने से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा न्याय की विफलता हुई है या नहीं,

(ख) जिन तथ्यों के आधार पर आज्ञा दी गई थी, वे स्थापित हो चुके हैं या नहीं

(ग) इस प्रकार स्थापित हो चुकने वाले तथ्य इस प्रकार की आज्ञा को न्यायोचित ठहराते हैं या नहीं, और

(घ) जो शास्ति दी गई है, वह अत्यधिक पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है और इसके पश्चात्—(१) शास्ति निरस्त, कम पुष्ट या बधन करते हुए या

(२) मामले को दण्ड देने वाले प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी के पास वापिस प्रेषित करते हुए और मामले की परिस्थितियों में जैसा उचित समझे निर्देश देते हुए आज्ञा पारित करेगा।

परन्तु—(१) अपील-प्राधिकारी ऐसी कोई वर्धित शास्ति नहीं देगा जिसे न तो ऐसा प्राधिकारी (स्वयं) और न वह प्राधिकारी जिसकी आज्ञा की अपील की गई थी देने के लिये सक्षम हो,

(२) वर्धित शास्ति की कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अपीलार्थी को वर्धित शास्ति के विरुद्ध कोई अभिवेदन, जो वह चाहे करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(३) यदि वर्धित शास्ति जो अपील-प्राधिकारी देना प्रस्तावित करता है ऐसी शास्ति है जो नियम ६ के खण्ड (४) से (७) में वर्णित है और उस मामले में नियम ७ के अन्तर्गत कोई जांच पहले में नहीं करली गई हो तो नियम ७ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपील प्राधिकारी स्वयं ऐसी जांच कर लेगा अथवा ऐसी जांच का निर्देश देगा और तत्पश्चात् ऐसी जांच

राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) अधिनियम, 1971

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर जून 5 1971

सख्या प 7 (21) विधि 169—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनाक 30 मई 1971 ई को प्राप्त हुई एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है —

राजस्थान सरकारी सेवक जाच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) अधिनियम 1969

(अधिनियम सख्या 11 सन् 1971)

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनाक 30 मई, 1971 को प्राप्त हुई]

सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने के लिए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में यह निम्न लिखित रूप में अधिनियमित हो —

1 सक्षिप्त नाम—यह अधिनियम राजस्थान सरकारी सेवक जाच (भ्रष्टाचार का साक्ष्य) अधिनियम 1971 कहा जा सकेगा ।

परिभाषा—इस अधिनियम में जब तक सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 'सरकारी सेवक' से अभिप्रेत हैं राजस्थान राज्य के कार्यों से सबद्ध किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति जिसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए राज्य विधान मण्डल सक्षम है ।

3 भ्रष्टाचार की उपधारणा—यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सबधी किसी जाच में यह साबित हो जाता है कि उस सरकारी सेवक या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धनीय साधन या सपत्ति है या उस सेवक के पदारूढ़ रहने की कालावधि के दौरान किसी भी समय कब्जे में रही है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अननुपाती हैं जिनके लिए वह समाधानप्रद वृत्तान्त नहीं दे सकता तो ऐसे सबूत पर जाच आफिसर और कोई भी अन्य सपृक्त प्राधिकारी जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो जाय यह उपधारित करेगा कि वह सेवक भ्रष्टाचार का दोषी है ।

सूरज प्रसाद मेहरा,
शासन सचिव ।

Amendments to C C A Rules Published in Rajasthan Gazette
Part IV (II dated 30 3 72

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील)
नियम 1958 के संशोधन

अनुसूची क —(1) अनुसूची "क" के शीर्ष (1) विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी)' की सूची में प्रविष्टि संख्या 53 के पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोड़ी जावेगी —

'54 मुख्यनगर आयोजक'

(2) अनुसूची ख" में प्रविष्टि संख्या 56 के पश्चात निम्न प्रविष्टि जोड़ी जावेगी —

1	2	3	4	5	6
57 नगर आयोजना विभाग	मुख्यालय	उपनगर आयोजक	मुख्य नगर आयोजक	उप नगर आयोजक	मुख्य नगर आयोजक
	क्षेत्रीय कार्यालय	उपनगर आयोजक	मुख्य नगर आयोजक	उप नगर आयोजक	मुख्य नगर आयोजक

(3) अनुसूचि I 'राज्य सेवायें' के अन्त में नया शीर्ष तथा उसके अन्तर्गत निम्नांकित प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी —

नगर आयोजन विभाग

1 मुख्य नगर आयोजक एवं वास्तु शिल्प सलाहकार
2 वरिष्ठ नगर आयोजक
3 उप नगर आयोजक
4 उप नगर आयोजक (सिविर सर्वेक्षण)
5 सहायक नगर आयोजक (तकनीकी सहायक सहित)
6 सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण)
7, सांख्यिक
8 अनुसंधान अधिकारी

(4) अनुसूची 2 'अधिनस्थ सेवाएं" के अन्त में नया शीर्ष तथा उसके अन्तर्गत निम्नांकित प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी —

नगर आयोजन विभाग

1 नगर आयोजक सहायक
2 विधि सहायक
3 नक्शा नवीस इसमें मुख्य नक्शा नवीस वरिष्ठ नक्शा नवीस, कनिष्ठ नक्शा नवीस और अनुरेखक शामिल हैं ।

4 मर्वेक्षक इसमे कनिष्ठ अभिय ता और ओवरसियर शामिल हैं

5 म वेयक

6 सर्वेक्षण सहायक

7 ड्राइवर

8 फेरोमैन

(5) अनुसूची 3 'लिपिक वर्गीय सेवाए' म प्रविष्टि सख्या 122 के पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोडी जावेगी —

'प्रशासनिक सहायक -

(जयपुर 9 माच 1971) (सख्या प 3(12] नियुक्ति (क 3) 69)

सशोधन

अनुसूची 2 —उक्त नियमो से सलग्न अधिनस्थ सेवाओं से सम्ब घित अनुसूची 2 म 'वित्त विभाग (लेखा परीक्षण और निरीक्षण) शार्षा तगत मौजूदा नोट के स्थान पर निम्न लिखित नोट प्रतिस्थापित किया जावेगा अर्थात् —

नोट —विभाग म सम्बद्ध लेखाकारो के सम्बन्ध म छोटी शास्तिया अधिरोपित करने की शक्तिया विभागाध्यक्ष म ही निहित होगा।

(जयपुर 15 3 71) (स० प 3(5) नियुक्ति (क 3)/66)

सशोधन

अनुसूची क —उक्त नियमों म सलग्न अनुसूची 'क' म शीष "(1) विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी की सूची' के अ तगत क्रम सख्या 24 की वतमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् —

'न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण।'

(जयपुर 9 माच, 1970) (3 (32) नियुक्ति (क–3) 69

सशोधन

अनुसूची ख'—उक्त नियमो की अनुसूची 'ख' म 'ब दोबस्त' से सम्ब घित प्र विष्टि सख्या 32 (3) के सामने स्तम्भ सख्या 3 और 5 म श द 'ब दोवस्त आयुक्त के वैयक्तिक सहायक के स्थान पर शब्द 'अपर आयुक्त ब दोवस्त प्रतिस्थापित किय जायेंगे।

(जयपुर 27 अप्रेल 1970) (स प 3 (2) नियुक्ति (क–3)/70

नियम 23 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रति स्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"(ख) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी या किसी अ य प्राधिकारी जो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अधिनस्थ न हो और जिनको इन नियमो के अ तगत शास्तिया आरोपित करने की शक्तिया प्रत्यायोजित की गई हो, के आदेश के विरुद्ध सरकार को'

जयपुर 27 अप्रेल, 1970) (स प 3 (30) नियुक्ति (क–3)/69

संशोधन

अनुसूची 2 तथा 3—1 अनुसूची 2 'अधिनस्थ सेवायें' में शीर्षक कृषि विभाग-क कृषि अनुभाग के अधीन वर्तमान प्रविष्टि सं 26 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जायगी, अर्थात् —

'27 कृषि फील्ड मैन'

2 उक्त नियमों में संलग्न अनुसूची 3 लिपिक वर्गीय सेवा' की प्रविष्टि सं 29 विलोपित की जायगी ।

(9 जुलाई 1970) (सं प 3 (10) नियुक्ति (क-3) 70

संशोधन

अनुसूची 'ख —में जिला कार्यालय में सम्बन्धित प्रविष्टि सं 32 के सामने स्तम्भ सं 5 और 6 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् —

स्तम्भ 5 "कलक्टर अपने अपने कार्यालयों में प्रथम ग्रेड के कार्यालय सहायकों और द्वितीय ग्रेड के आशुलिपिकों के पद धारकों पर अपनी शास्तियां अधिरोपित करने के सम्बन्ध में ।

स्तम्भ 6 जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट हो राजस्व मंडल का कोई सदस्य

(9 जुलाई, 1970) (सं प 3 (31) नियुक्ति (क-3) 69

अनुसूची क एवं ख आदि संशोधन

उपर्युक्त नियमों में संलग्न अनुसूची क (1) विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी) की सूची में वर्तमान प्रविष्टि सं 55 के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि जोड़ी जायगी अर्थात् —

56 निदेशक भाषा विभाग

(2) उपर्युक्त नियमों में संलग्न अनुसूची ख' में प्रविष्टि सं 58 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जायगी —

1	2	3	4	5	6
59 भाषा विभाग	निदेशालय	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक

3 उपर्युक्त नियमों में संलग्न अनुसूची 1 राज्य सेवाओं में अन्त में निम्नलिखित नवीन शीर्षक और प्रविष्टियां जोड़ी जायगी, अर्थात् —

'भाषा विभाग

1 निदेशक

2 सहायक निदेशक

3 जिला भाषा अधिकारी

4 उपर्युक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-3 लिपिक वर्गीय सेवाओं में वर्तमान प्रविष्टि सं 123 के पश्चात निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां जोड़ी जायगी, अर्थात —

'124—मुख्य अनुवादक

125—सहायक अनुवादक'

(जयपुर 5 सितम्बर 1970) (सं प 3 (4) नियुक्ति (क-3) 70)

संशोधन

अनुसूची 1—'राज्य सेवाओं' शीर्षक चिकित्सा एव जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन निम्नलिखित नवीन शीर्षक एव प्रविष्टिया जोडी जाएगी, अर्थात् —

ग–आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष (375–850 के वेतन मान मे)

(2) व्यायाम शिक्षक (375–850 के वेतन में)

(2 नवम्बर 1970) (स प 3 (27) नियुक्ति (क–3), 70

संशोधन

अनुसूची क''—उपयुक्त अनुसूची म —

(1) शीर्षक (1) विभागाध्यक्षो (प्रथम श्रेणी) की सूची" के अधीन क्रमाक 30 पर की गयी प्रविष्टि लोपित की जाएगी और

(2) शीर्षक (2) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) के अतिरिक्त की सूची के अधीन वर्तमान म० सख्या 51 क पश्चात् निम्नलिखित नया मद जोडा जाएगा अर्थात् —

उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोध विभाग

(28 नवम्बर 1970) (स प 3 (7) नियुक्ति (क–3)/66

संशोधन

अनुसूची 3 —उपयुक्त अनुसूची म वर्तमान प्रविष्टि स 125 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि जोडी जाएगी, अर्थात् —

'126 सागर स्टेंडेन्ट"

(जयपुर 5 दिसम्बर, 1970) (स प 3 (28) नियुक्ति (क–3)/70

संशोधन

अनुसूची ख व क्रम 1 अनुसूची ख म म० 10 'उद्योग एव वाणिज्य विभाग' म मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जावेगी अर्थात् —

विभाग	कार्यालय	कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कार्यालयाध्यक्ष	लिपिक वर्गीय सेवाए अगला उच्च प्राधिकारी	कार्यालयाध्यक्ष	अगला उच्च प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
उद्योग एव सिविल सप्लाई	1 मुख्यालय (बाट एव माप मे अन्य)	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
	2 नियन्त्रक (बाट एव माप) का कार्यालय	नियन्त्रक बाट एव माप	निदेशक	नियन्त्रक बाट एव माप	निदेशक

3 प्रान्तिक सहायक, निदेशक का कार्यालय	सम्बन्धित प्रान्तिक निदेशक	सहायक निदेशक	प्रान्तिक सहायक निदेशक	निदेशक
4 रसायनिक प्रयोगशाला का कार्यालय	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक
5 परियोजना अधिकारी का कार्यालय	परियोजना अधिकारी	निदेशक	परियोजना अधिकारी	निदेशक
6 प्रधानाचार्य, ऊन कुटीर उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय	प्रधानाचार्य	निदेशक	प्रधानाचार्य	निदेशक
7 सहायक निदेशक का कार्यालय (चर्म) (चर्म प्रशिक्षण संस्थान)	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
8 जयपुर से अन्य जिलों के जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय	सम्बन्धित जिला उद्योग अधिकारी	प्रान्तिक सहायक निदेशक	जिला उद्योग अधिकारी	प्रान्तिक सहायक निदेशक
9 अभिकल्पक एवं डिजाइनर आर्टिस्ट हस्त शिल्प कला विकास केन्द्र जयपुर का कार्यालय	अभिकल्पक एवं डिजाइनर आर्टिस्ट	निदेशक	अभिकल्पक एवं डिजाइनर आर्टिस्ट	निदेशक

अनुसूची 1—राज्य सेवाओं में शीर्ष 'उद्योग एवं वाणिज्य' के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जावेगी अर्थात्—

1 संयुक्त निदेशक
2 नियन्त्रक बाट एवं माप
3 उप निदेशक
4 प्रयोगशाला अधिकारी
5 प्रधानाचार्य, ऊन कुटीर उद्योग प्रशिक्षण संस्थान
6 सहायक रसायनिक
7 सहायक निदेशक जिसमें प्रान्तिक सहायक निदेशक शामिल है
8 परियोजना अधिकारी
9 योजना एवं सर्वेक्षण अधिकारी
10 सहायक निदेशक (चर्म)

अनुसूची 2—'अधिनस्थ सेवाएं' में शीर्ष "उद्योग विभाग" के अधीन मौजूदा प्रविष्ट्या के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जावगी, अर्थात् —

1 जिला उद्योग अधिकारी
2 सूचना अधिकारी (जो जिला उद्योग अधिकारी के पद का होगा)
3 अधीक्षक एव डिजाइनर आर्टिस्ट
4 तकनीकी अधिकारी
5 तकनीकी व्यवस्थापक (मैनजर)
6 प्राध्यापक चम विज्ञान
7 विश्लेषक, रसायनिक प्रयोगशाला
8 व्यवस्थापक औद्योगिक सपन्न जयपुर
9 प्रशिक्षक बढ़ईगीरी
10 आर्थिक अन्वेषक
11 सांख्यिक सहायक
12 सर्वेक्षण अधिकारी
13 डिजाइनर हस्त शिल्प कला
14 अधीक्षक लवण
15 उद्योग निरीक्षक
16 व्यवस्थापक औद्योगिक सपदा, जयपुर के अलावा
17 निरीक्षक, लवण
18 पयवक्षक, कोटिमकन
19 पयवक्षक चम
20 निरीक्षक हस्त शिल्प कला
21 यन्त्र करघा प्रशिक्षक
22 होजरी मास्टर
23 ऊन बुनाई मास्टर
24 रगाई मास्टर
25 डिजाइनर, हस्त शिल्प कला विकास केन्द्र
26 परिस्पर्ण (फिनिशिंग) मास्टर
27 रसायनिक शोरा
28 उद्योग प्रसार अधिकारी
29 निरीक्षक बाट एव माप
30 नक्शा नवीस शोरा
31 निरीक्षक कोटि अकन
32 मरम्मतकार बाट एव माप
33 प्रशिक्षक, चम जूता
34 सहायक निरीक्षक बाट एव माप

35 प्रयोगशाला सहायक
36 मिस्त्री चम संस्थान
37 मिस्त्री यांत्रिक रंगरेज एवं मुद्रक
38 बुनाई प्रशिक्षक, कुटीर उद्योग संस्थान
39 सहायक बुनाई प्रशिक्षक कुटीर उद्योग संस्थान
40 दक्ष जुलाहा
41 यांत्रिक
42 रंगरेज
43 मिलर
44 प्रशिक्षक मुद्रण और बारा
54 प्रशिक्षक, मृत्ता बनन, निर्माण
46 मिस्त्री
47 ड्राईवर
48 बढ़ई

IV अनुसूची— चतुर्थ सेवायें म क्रमांक 81,89 132 133 134 और 142 की प्रविष्टिया लोपित की जायेंगी ।

(जयपुर 17 फरवरी, 1971) (स प 3 (13) नि क 1 68)

उप खण्ड (II)

नियुक्ति (क-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर फरवरी 9, 1970

एस ग्रा 158 —राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 11 के साथ पठित भारत के संविधान क अनुच्छेद 309 क परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा उपयुक्त नियमों म सलग्न अनुसूचियों म निम्नांकित संशोधन करते हैं —

संशोधन

1 अनुसूची ध क शीर्ष (2) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी क अतिरिक्त) की सूची की मद संख्या 46 की प्रविष्टि निदेशक, अर्थ विज्ञान एवं औद्योगिक सर्वेक्षण को विलोपित किया समझा जावेगा ।

2 अनुसूची "ग" की वतमान प्रविष्टि संख्या 37 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि दिनांक 5-5-1961 से जोडी हुई समझी जावेगी—

1	2	3	4	5	6
37 अर्थ विभाग एव सांख्यिकी निदेशालय	मुख्यालय	सहायक निदेशक (प्रभारी प्रशासन)	निदेशक	सहायक निदेशक (प्रभारी प्रशासन)	निदेशक
	जिला कार्यालय	सांख्यिक	निदेशक	सांख्यिक	निदेशक

3 अनुसूची 2 'अधीनस्थ सेवाए' मे शीर्षक अर्थ विभाग एव सांख्यिकी निदेशालय के अधीन —

(1) मद संख्या 7 की प्रविष्टि तथा प्रगति प्रसार अधिकारी से सम्बन्धित' टिप्पणी लोपित की जाएगी ।

(2) प्रविष्टि संख्या 9 के पश्चात् निम्न नई प्रविष्टिया जोडी जावेगी —

10 मुख्य सचालक
11 फोटो लिथो प्रचालक
12 टेबुलेटर प्रचालक
13 पच काड प्रचालक/वेरीफायर प्रचालक
14 साटर प्रचालक
15 यांत्रिकी

(स एफ 3 (6) नियुक्ति (क-3) 69)

राज्यपाल के आदेशानुसार,
एस एन वाथवानी,
उप शासन सचिव ।

कार्मिक विभाग (क-3)
अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 12 1972

जी एस आर 436 (37) —राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 11 के साथ पठित भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, उक्त नियमों म संलग्न अनुसूचियो मे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् —

संशोधन

1 उक्त नियमो से संलग्न अनुसूची 1 'राज्य सेवाए' क अन्त म नवीन शीर्षक के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टिया जोडी जायेंगी, अर्थात् —

"भेड़ तथा ऊन विभाग"

1 उप निदेशक (विपणन)
2 उप निदेशक (प्रसार)
3 प्रधानाचार्य, भेड़ तथा ऊन प्रशिक्षण संस्थान
4 सहायक निदेशक (विपणन)
5 सहायक निदेशक (प्रशासन)
6 जिला भेड़ तथा ऊन अधिकारी
7 ऊन श्रेणीकरण अधिकारी
8 कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी
9 प्रयोगशाला अधिकारी ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला
10 अधीक्षक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (फार्म)
11 मुख्य कतन अधिकारी
12 प्राध्यापक भेड़ तथा ऊन प्रशिक्षण संस्थान
13 सहायक कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी
14 भेड़ तथा ऊन प्रसार अधिकारी

उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 2 के अन्त में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

"भेड़ तथा ऊन विभाग"

1 सहायक जिला भेड़ तथा ऊन अधिकारी
2 प्रगति सहायक
3 कृषि सहायक
4 अनुसंधान सहायक
5 बिन निरीक्षक
6 अधीक्षक (कतन श्रेणीकरण)
7 पर्यवेक्षक
8 प्रासरमियर
9 नक्शा नवीस
10 प्रक्षेत्र (फार्म) सहायक
11 श्रेणीकर्ता
12 पशुपाल सहायक
13 पशुपाल
14 यांत्रिक
15 चालक
16 ड्राईवर
17 मास्टर कतक

उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 'ख' के अन्त में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टी जोड़ी जायगी, अर्थात् —

अनुसूची (ख)

विभाग	कार्यालय	चतुर्थ श्रेणी सेवाएं		लिपिक वर्गीय सेवाएं	
		कार्यालय अध्यक्ष	अगला उच्चतर प्राधिकारी	कार्यालय अध्यक्ष	अगला उच्चतर प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
भेड़ तथा ऊन	1 निदेशालय, भेड़ तथा ऊन	सहायक निदेशक (प्रशासन)	निदेशक	सहायक निदेशक (प्रशासन)	निदेशक
	2 जिला कार्यालय	जिला भेड़ तथा ऊन अधिकारी	निदेशक	जिला भेड़ तथा ऊन अधिकारी	निदेशक
	3 ऊन श्रेणीकरण केन्द्र	ऊन श्रेणीकरण अधिकारी	निदेशक	ऊन श्रेणीकरण अधिकारी	निदेशक
	4 भेड़ तथा ऊन प्रशिक्षण स्कूल	प्रधानाचार्य	निदेशक	प्रधानाचार्य	निदेशक
	5 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (फार्म)	अधीक्षक	निदेशक	अधीक्षक	निदेशक
	6 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक	प्रयोगशाला अधिकारी	निदेशक
	7 चल कतरन योजना	मुख्य कतरन अधिकारी	निदेशक	मुख्य कतरन अधिकारी	निदेशक
	8 कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी	निदेशक	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी	निदेशक
	9 सहायक कृत्रिम गर्भाधान	सहायक कृत्रिम गर्भाधान	निदेशक	कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी	निदेशक

[संख्या एफ 3 (10) एपाइंट (क–3)।72]
राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्रपाल सिंह
शासन उप सचिव।

Amendments to Rajasthan C C A Rules

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of the Rajasthan makes the following amendments in the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1958, namely —

AMENDMENTS

(1) The existing sub-rule 4 of the Rule 16 of the said Rules shall be substituted by the following namely —

16(4)—On receipt of the written statement of defence, or if no such statement is received within the time specified, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the charges as are not admitted or if it considers it necessary so to do appoint a Board of Inquiry or an Inquiring Authority for the purpose and where all the articles of charges have been admitted by the Government servant in his written statement of defence the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge"

(2) The following sub rule 4A shall be added below sub-rule (4) of Rule 16 of the said Rules namely —

'16(4A)—If the Government servant who has not admitted any of the articles of charge in the written statement of defence or has not submitted any written statement of defenee appears before the Inquiring Authority such Authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he Pleads Guilty to any of the articles of charge the Inquiring Authority shall record the plea, signt he record and obtain the signature of the Government servant thereon

The Inquiring Authority shall return a finding of guilty in respect of those articles of charge which the Government servant pleads guilty

(3) The existing sub-rule 6 (a) of Rule 16 of the said Rules shall be susbstituted by the following namely —

16 (6) (a)—Where the Government servant has pleaded not guilty to the charges at the commencement of the enquiry, the Inquiring Authority shall ask the Presenting Officer appearing on behalf of the Disciplinary Authority to submit the list of witnesses and documents within 10 days, who shall also simultaneously send a copy to the Government servant The Inquiring Authority on receipt of such list shall summon the relevant evidence as per the list and record the evidence giving opportunity to the Presenting Officer for Examination in-Chief,

Note New evidence shall not be permitted of called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally

(6) The following new sub-rule (6B) shall be added after the afore said Rules namely —

"16 (6B)–(a) where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of Rule 14, (but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii)of Rule 14 has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it is of the opinion that the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 14 should be imposed on the Government servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice recall the witness and examine cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Government servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules

(7) The following new Rule 19A shall be added after Rule 19 of the said Rules namely —

' 19 A–Provisions regarding officers lent to the Central Government or to a company in the Public Sector or an autonomous body created by an Act of State or Central Legislature —

(1) Where the services of a Government servant are lent to—

(i) The Central Government

(ii) Any Public Sector Company registered under the Companies Act 1956 (Act I of 1956) or

(iii) Any Autonomous Body created by an Act of State or Central Legislature under the Control of the Government (Hereinafter in this rule referred to as 'the Borrowing Authority) the Borrowing Authority for the purpose of placing him under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking a disciplinary proceeding against him

Provided that the Borrowing Authority shall forthwith inform the authority which lent his services (Hereinafter in this rule referred to as the Lending Authority") of the circumstances lading to the order o his suspension or the commencement of the disciplinary proceedings as the case may be

(2) If the light of the findings in the Disciplinary proceedings taken against the Government servant—

(i) In the Borrowing Authority is of the opin on that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of rule 14 should be impos.d on him it may, in consultation with the lending authority pass such orders on the case as it deems necessary

Provided that in the event of a difference of opinion between the Borrowing Authority and the Lending Authority the services of the Government servant shall be peplaced at the disposal of the Lending Authority

(ii) If the Borrowing Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of Rule 14 should be imposed on him it shall replace his services at the disposal of the Lending Authority and transit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the Lending Authority may if it is the Disciplinary Authority, pass such orders as it deems necessary of if it is not the Disciplinary Authority submit the case to the Disciplinary Authority which shall pass such orders on the case as it deems necessary

Provided that in passing any such order the Disciplinary Authority shall comply with the provision of sub-rules (10) and (11) of Rule 16,

Explanation The Disciplinary Authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted by the Borrowing Authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary

(8) The existing Rule 20 of the said Rules shall be substituted by the following namely —

20—Orders passed by the Disciplinary Authority other than the Government in cases of the Subordinate Service and the Ministerial Service will be communicated to the Appellate Authority and the Government and those passed by the disciplinary authority in cases of Class IV Service to the next higher authority

(9) The existing sub—Rule 4 of Rule 23 of the said Rules and the provision existing thereunder shall be deleted Consequently the existing sub Rules (5) and (6) of the Rule 23 of the said Rules shall be renumbered as Sub-Rules (4) and (6) respectively

(10) In Part VII the heading—Review' occurring above Rule 32 of the said Rules shall be substituted by the heading "Revision and Review '

(11) The existing Rule 33 of the said Rules shall be substituted by the following, namely —

33 Review of orders in disciplinary cases against members of the State Services —The Government may, of ist own motion or otherwise, call for the records of the case in which an order imposing any of the penalties specified in Rule 14 has been made against a member of the State Serveces review any order passed in such a case and *after consultation with the Commission where such con sultation is necessary*

(a) confirm modify or set aside the orders

(b) impose any penalty set aside reduce or enhance any penalty imposed by it

Provided that an order enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty

Provided further that no action under this rule shall be initiated more than three months after the date of the order to be reviewed

Note This rule shall not apply in the case of a member of the *Rajasthan Judicial Service against whom an order imposing* any of the penalties specified in Rule 14, except the penalty of removal or dismissal from service is made by the Adminis trative Judge or a Judge nominated by the Chief Justice of the High Court or when an order is made by the Committee of the Court in appeal

No F 3(17)Apptts(AIII)/67 *Dt Jaipur the 9th October 1974*
